चतुर्दश माला, खंड 36, अंक 12

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008

24 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग दो)

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 12-76
Dated 28 July 2009

(खंड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 12, सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008/24 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 225 और 228 से 231	1–45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 221-222, 226-227 और 232 से 240	45–169
अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 से 2452	170–685
सभा पटल पर रखे गए पत्र	686–713
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
11वां प्रतिवेदन	714
विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में धन की कथित पेशकश के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच करने संबंधी समिति	
प्रतिवेदन	714
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
67वां प्रतिवेदन	714
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
14वां और 15वां प्रतिवेदन	715
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	715–719
(एक) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-2008 और 2008-2009) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	715–716
(दो) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	716
(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
राव इन्द्रजीत सिंह	716–717

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें से 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. नारायणसामी	717
(पांच) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	718-719
बादागरा-माहे नहर की खुदाई के बारे में दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	719
समिति के लिए निर्वाचन	
केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति	719-720
सदस्यों द्वारा निवेदन	
पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	724-726
नियम 377 के अधीन मामले	737-750
(एक) ग्रामीण डाकघर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	737-738
(दो) उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में रुग्ण चीनी मिलों की दशा में सुधार लाने तथा इन राज्यों में सहकारी गन्ना समितियों का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	738
(तीन) विधिक शिक्षा प्रणाली को फिर से चालू किए जाने और विधि महाविद्यालयों में हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	738-739
(चार) गुजरात के काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा केन्द्र में लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां दिए जाने की आवश्यकता	
डा. तुषार ए. चौधरी	739-740
(पांच) मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	740-741
(छह) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) सुविधाओं संबंधी नियमों को समान और पारदर्शी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामस्वरूप कोली	741

विषय		कॉलम
(सात)	विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का निपटान करने हेतु तात्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रायापति सांबासिवा राव	741–742
(आठ)	मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों के लिए 'अफीम की मात्रा' के प्रतिमान में ढ़ील दिए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	742–743
(नौ)	महाराष्ट्र के सोलापुर रेल मंडल में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	743
(दस)	देश में डीएनटी/वीजेएनटी के लिए नौकरियों में आरक्षण देने तथा अन्य कल्याण उपायों का उपबंध करने वाला विधान लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाऊ राठौड़	743–744
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के अकोला में मध्य रेलवे के फाटक संख्या 31सी के समीप एक रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री संजय एस. धोत्रे	744–745
(बारह)	केन्द्रीय काजू बोर्ड, जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो, की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सी.एस. सुजाता	745–746
(तेरह)	केरल में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चलाए जा रहे पारंपरिक करघा उद्योग के संरक्षण हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती पी. सतीदेवी	746
(चौदह)	उत्तर प्रदेश में मैलानी-दुधवा-गोण्डा रेलवे खंड पर रेल सेवाएं फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	746
(पन्द्रह)	उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार झांसी-मिर्जापुर और कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजनरायन बुधौलिया	746–747
(सोलह)	बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर कुसहा बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	747
(सत्रह)	श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा करने तथा तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों को सहायता देने के लिए उन्हें धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	747–748

विषय		कॉलम
(अठारह)	झारखंड में बुनियादी संरचना विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री हेमलाल मुर्मू	748
(उन्नीस)	श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एल. गणेशन	749
(बीस)	जनगणना में विभिन्न जातियों के पृथक आंकड़े दिए जाने तथा उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	749–750
कार्य मंत्रणा समिति		
51वां प्रतिवेदन		750
नियम 193 के अधीन चर्चा		
उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न भागों में, विशेषकर असम के संदर्भ में, बम विस्फोटों के कारण उत्पन्न स्थिति		751–830
	श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	751–754
	श्री अधीर चौधरी	755–757
	श्री कीरेन रिजीजू	757–763
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	763–767
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	767–772
	श्री बसुदेव आचार्य	772–776
	श्री मित्रसेन यादव	776–778
	प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन	779–781
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	781–784
	श्री अनंत गंगाराम गीते	784–786
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	786–790
	डा. अरुण कुमार शर्मा	790–793
	श्री नारायण चन्द्र वरकटकी	793–797
	श्री किरिप चालिहा	797–800
	कुमारी अगाथा के. संगमा	800–802
	कुमारी ममता बैनर्जी	802–804
	श्री अनवर हुसैन	805–809
	श्री राजेन गोहेन	809–811

विषय	कॉलम
श्री खगेन दास	812–815
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	816–818
श्री सर्वानंद सोनोवाल	818–820
डा. टोकचोम मैन्या	820–821
श्री पी. चिदम्बरम	822–828
असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008.	830–832
विचार करने के लिए प्रस्ताव	830
श्री ऑस्कर फर्नांडीज	830
श्री सांताश्री चटर्जी	831
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	833
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	834–840
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	841–842
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	841–842

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008/24 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम कम-से-कम 100 दिनों की बैठकें चाहते हैं, लेकिन 50 दिन भी गणपूर्ति नहीं हो पाती।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03$^{1}/_{2}$ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 221, श्री किसनभाई वी. पटेल—उपस्थित नहीं।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 222, श्री रनेन बर्मन—उपस्थित नहीं।

श्री नवजोत सिंह सिद्धू—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 223, श्री पी.एस. गढ़वी—उपस्थित नहीं।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील।

सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना

*223. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:***
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु किसी पैकेज की घोषणा की है/घोषणा करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने विशेष पैकेज के माध्यम से उक्त समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पैकेज की घोषणा करते हुए वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की जरूरत को समझते हुए, भारत सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन अन्य बातों के साथ-साथ (1) ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना की सिफारिश करने तथा (2) समुचित विनियामक फ्रेमवर्क और प्रासंगिक कानूनों में इस प्रयोजनार्थ जरुरी संशोधनों का सुझाव देने हेतु किया। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार पर कार्यबल (अध्यक्ष प्रो. ए. वैद्यनाथन) द्वारा की गई सिफारिशों तथा इन सिफारिशों पर राज्यों के साथ आगे किए गए परामर्श के आधार पर भारत सरकार ने अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा सहकारी ऋण ढांचे (सीसीएस) द्वारा 68:28:4 के अनुपात में हिस्सेदारी करके 13,596 करोड़ रु. के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है। यह सहायता जिन कार्यों के लिए उपलब्ध होगी वे हैं (क) संचित हानियों को समाप्त करना, (ख) याचित किन्तु राज्य सरकारों द्वारा अदत्त गारण्टियों को कवर करना, (ग) पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 7% के न्यूनतम स्तर तक बढ़ाना तथा (घ) तकनीकी सहायता (विशेष लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण आदि की लागत सहित)।

भारत सरकार द्वारा पैकेज के तहत निधियों की निर्मुक्ति मुख्यतया निम्नलिखित पर निर्भर है:

(1) पैकेज को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना;

(2) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना;

(3) राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश/विधेयक के जरिये सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन किया जाना; और

(4) राज्य सरकार द्वारा उसका अपना हिस्सा निर्मुक्त किया जाना।

पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 25 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने नाबार्ड तथा भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को 4,970.37 करोड़ रु. निर्मुक्त कर दिए गए है। इसमें से नाबार्ड द्वारा राज्यों को 4,448.68 करोड़ रु. पहले ही निर्मुक्त कर दिए गए हैं। निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रु.)

राज्य	पीएसीएस की संख्या	कुल सहायता	निर्मुक्त भारत सरकार का हिस्सा	निर्मुक्त राज्य सरकार का हिस्सा	सीसीएस का हिस्सा
आंध्र प्रदेश	2461	1939.84	1,558.13	218.08	163.63
गुजरात	4890	166.20	142.31	10.53	13.36
हरियाणा	1596	482.95	432.04	20.32	30.59
मध्य प्रदेश	1985	652.79	561.59	38.44	52.76
महाराष्ट्र	12998	1061.77	820.07	28.18	213.52
उड़ीसा	2528	710.11	593.69	67.44	48.98
उत्तर प्रदेश	3710	581.63	340.85	44.12	196.66
कुल	30168	5595.29	4448.68	427.11	719.50

इसके अलावा, नाबार्ड ने अपने पास 451.14 करोड़ रु. की शेष राशि छोड़ते हुए इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए विशेष लेखा परीक्षा, मानव संसाधन विकास, तकनीकी सहायता आदि पर 70.55 करोड़ रु. खर्च कर दिए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि मंत्रिमंडल ने अगस्त माह में 106वें संविधान संशोधन विधेयक, 2006 में कुछ संशोधन की मंजूरी दी थी। वह विधेयक लोक सभा में लम्बित पड़ा है। इस विधेयक के अब तक पारित न होने के क्या कारण हैं तथा सरकार का इसे कब तक पारित करने का विचार है? क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे सरकारी संस्थाओं को शक्ति मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या इस संबंध में कोई विधेयक लंबित है?

श्री शरद पवार: महोदय, संविधान (संशोधन) विधेयक है, जिसे संसद में पुर:स्थापित किया गया है। हम उचित समय देख रहे हैं, जब हम इसे पारित करा सकें। यह कार्य-सूची मद में है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, हम इस पर कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या यह सत्य है कि सहकारिता क्षेत्र में आयकर लिया जाता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके? इस हेतु क्या सरकार सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस दृष्टि से आयकर से मुक्त करने का विचार कर रही है? क्या सरकार को इस संबंध में किसी प्रकार के सुझाव आदि प्राप्त हुए हैं? यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह कराधान से संबंधित है। यह मंत्रालय कराधान के मामले पर कार्यवाही नहीं करता लेकिन इस क्षेत्र को कराधान से छूट देने या मुक्त करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, केरल में सहकारिता प्रणाली बहुत सुदृढ़ है। यह बहुत से कार्य संपन्न करती है, ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है। अब जबकि वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट लागू होने जा रही है, तो बैंकों की सहकारी समितियां जो कार्य अब तक करती रही हैं, अब नहीं कर सकती। इस बात का उल्लेख केरल सरकार और सहकारी समिति के प्रतिनिधियों ने सरकार से किया था। माननीय मंत्री महोदय क्या मैं आप के माध्यम से यह जान सकता हूं कि वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करते समय क्या सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केरल सरकार के सुझाव लेगी?

श्री शरद पवार: वैद्यनाथन समिति एक विशेष उद्देश्य से नियुक्त की गई है, जिसके बारे में उत्तर में बताया गया है। विचारार्थ विषय तीन थे। इस संबंध में, वैद्यनाधन समिति ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों से इन तीन विचारार्थ विषयों पर चर्चा की थी, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति मुख्यत: इस उद्देश्य से नियुक्त की गई थी कि सहकारी समितियों और सहकारी संस्थाओं को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए। पीएसीएस और यहां तक कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में भारी हानियां हुई हैं। अत:, वैद्यनाथन समिति ने सिफारिश की है कि इन हानियों को किस प्रकार समाप्त किया जाए। उनकी सिफारिशों के अनुसार, उन्होंने तीन सुझाव दिए हैं। महोदय, 68 प्रतिशत हानियां भारत सरकार और शेष हानियां राज्य सरकार और पीएसीएस वहन करेंगे। लेकिन उन्होंने राज्यों में कुछ मानदण्ड और कुछ शर्तें रखी हैं। उन्हें वे शर्तें स्वीकार करनी होंगी और तब वे इस लाभ के हकदार होंगे। इस प्रस्ताव विशेष पर अधिकांश राज्यों के साथ चर्चा हुई थी और मेरे विचार से इस पर केरल के साथ भी चर्चा हुई होगी।

श्रीमती मिनाती सेन: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार दिल्ली में विशेष रूप से महिलाओं के लिए भागीदारी जैसी और विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहकारी योजना पर विचार करेगी।

श्री शरद पवार: जैसा मैंने कहा कि यह विशेष प्रस्ताव कमजोर सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए ही है और यह प्रश्न विशेष इसी के अंतर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इसके लिए पृथक प्रश्न करें?

प्रश्न सं. 224—श्री सी.के. चन्द्रप्पन—उपस्थित नहीं

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर।

नौकरी के अवसरों में कमी

*224. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धीमे औद्योगिक विकास, औद्योगिक इकाइयों के बंद होने तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण देश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी नौकरियां समाप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कामगारों के हितों की रक्षा हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) धीमे औद्योगिक विकास, औद्योगिक इकाइयों के बंद होने तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी में वृद्धि से संबंधित कोई व्यापक सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, विशेषकर रोजगारोन्मुख क्षेत्रों जैसे परिधानों समेत कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरी, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, मैरीन उत्पादों जैसे कुछेक क्षेत्रों से संबंधित 121 निर्यात संबंधी कम्पनियों हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए नमूना अध्ययन (अगस्त-अक्तूबर, 2008 की अवधि हेतु) ने लगभग 1792 करोड़ रु. के निर्यात आदेशों तथा नौकरियों में लगभग 65,500 की गिरावट दर्शाई।

(ग) सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के प्रति गंभीर है तथा उसने अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा करने, विकास को प्रेरित करने तथा संकट से उबरने के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय, अनेक उपाय किए हैं। कुछ मुख्य उपाय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में तरलता में वृद्धि करने तथा भारत सरकार द्वारा एक आर्थिक पैकेज, जिसमें मुख्य रूप से

अतिरिक्त व्यय, ब्याज परिदान और उत्पाद शुल्क में कटौती शामिल है, से संबंधित है। ये उपाय बड़े पैमाने पर रोजगार में होने वाली गिरावट को रोकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा संजाल उपलब्ध करवाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1.4.2005 से 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत छंटनी, फैक्ट्रियों/ प्रतिष्ठानों के बंद होने अथवा गैर रोजगार अवस्था में चोट के कारण स्थायी अक्षमता की वजह से अपना रोजगार खो चुके कर्मचारी पांच अथवा अधिक वर्षों तक बीमा किए जाने के उपरांत, अपनी समस्त सेवा के दौरान छह माह तक अपने वेतन के 50% के समतुल्य नकद रूप में बेरोजगारी भत्ता पाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वह अथवा उसके परिवार के सदस्य चिकित्सा देखभाल हेतु भी पात्र हैं।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मंदी का प्रभाव अंतत: छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच गया है जिसके कारण निगमित क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों में भय व्याप्त हो रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? यदि हां, तो मंदी ने देश में छात्र समुदाय को किस सीमा तक प्रभावित किया है और केन्द्र सरकार ने छात्र-समुदाय का आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: फिक्की ने एक अध्ययन किया है। एक अध्ययन वाणिज्य मंत्रालय ने किया है। हमने पाया कि निर्यात क्षेत्र में वैश्विक मंदी का प्रभाव है, लेकिन देश में उत्पादन दर अब भी बढ़ रही है। इसने आंतरिक उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं किया है। घरेलू खपत भी जारी है।

सिले-सिलाए कपड़ों (गारमेंट) और वस्त्र जैसे निर्यात क्षेत्र पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तथापि, भारत सरकार इस उद्योग की सहायता के लिए आगे आई है जिससे कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें ताकि उत्पादन श्रृंखला चलती रहे। हालांकि, जहां तक इलैक्ट्रानिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संबंध है, अमरीका और यूरोपियन देशों से आउटसोर्सिंग के कारण आशंकाएं बहुत अधिक है। लेकिन, अब तक इतना अधिक प्रभाव नहीं है। लेकिन समाचार ये भी है कि बाजार उठ रहा है। अत:, हम इस स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। मेरे विचार से हम इस स्थिति को काबू में करने में समर्थ होंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न रखें।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: जी नहीं, महोदय।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, प्रत्येक वर्ष विदेशों में 5 लाख से अधिक भारतीय नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। विदेश श्रम बाजार को नियमित और प्रोत्साहित करने के लिए, "ओवरसीज मैनपावर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल" की स्थापना का प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि "ओवरसीज मैनपावर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल" की स्थापना के प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, यह मामला प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है। उस मंत्रालय से पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उन्हें बता देंगे?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: जी, हां।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, यह वास्तविकता है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मुख्यत: दो क्षेत्र हैं-संगठित और असंगठित क्षेत्र। निस्संदेह संगठित क्षेत्र और असंगठित दोनों क्षेत्रों में यह समस्या बढ़ रही है। वैश्विक मंदी के कारण देश के भीतर और बाहर अनेक उद्योग हैं, जो अपने कामगारों की छंटनी करने वाले हैं जिसमें शिक्षित युवा और अन्य शामिल हैं। पूरी दुनिया में यह पहले ही परिचालित किया जा चुका है कि वे कामगारों की छंटनी करना चाहते हैं। हमारे छात्र और युवा बहुत योग्य हैं और उनकी योग्यता उल्लेखनीय है वे पूरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं। यह पहला बिंदु है।

दूसरा, देश के भीतर भी उद्योगपति अपनी इकाइयों को बंद कर रहे हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण कम्पनी डनलप कम्पनी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसे वैश्विक मंदी और आर्थिक मंदी के कारण बंद किया गया है। ऐसा देश के भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहा है और इससे युवाओं और कामगारों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और इससे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है।

महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम हैं ताकि यह समस्या विकराल रूप धारण न करे और भुखमरी से कोई मौत न हो? मेरे विचार से सरकार को देश के बाहर की समस्या के लिए यह मामला विश्व समुदाय के साथ उठाना चाहिए और साथ ही सरकार को देश के भीतर की समस्या के लिए यह संदेश देना चाहिए कि राहत किस प्रकार दी जाए और लोगों को नौकरी पर बहाल कैसे रखा जाए और उन्हें इकाइयों को बंद न करने के लिए कहना चाहिए। आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, दुनिया के अन्य देशों द्वारा कोई कार्रवाई करने से पहले ही हमारी सरकार ने इस मामले पर

पहल की है। माननीय प्रधान मंत्री ने पहला कदम उठाया है; माननीय वित्त मंत्री ने पर्याप्त उपाय किये हैं, उद्योग चलाने के लिए अपेक्षित संसाधनों के बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों की बैठक बुलाई गई थी, हमने बैठक में इसे सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व के नेताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने इस विशिष्ट पहलू पर चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री ने भी बैठकें की। वाणिज्य मंत्रालय भी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि निर्यात उद्योगों को अपेक्षित आर्थिक सहायता दी जाए। मेरे विचार से यहां आर्थिक मंदी का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि निर्यात बाजार इससे प्रभावित हुआ है। लेकिन यह धीरे-धीरे घरेलू उत्पादन को भी प्रभावित कर रहा है। हम केवल यह देख सकते हैं कि वित्त उपलब्ध रहे। क्रय क्षमता लोगों के पास होती है। यदि लोगों की क्रय क्षमता बनी रहे, तो मेरे विचार से कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा, मेरे विचार से निश्चित रूप से समस्या होगी।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि आज टाटा के कुछ यूनिट्स बंद हो रहे हैं, शिप उद्योग के यूनिट्स भी बंद हो रहे हैं। इसके अलावा रिसैशन के कारण ग्राहकों की बात भी है। जैट एअर ने भी अपने कर्मचारियों में कमी करने की बात कही थी लेकिन कर्मचारियों ने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों को सैलरी कम दें, लेकिन सभी उद्योगों में जितने कर्मचारी हैं, उन्हें काम पर रखें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि क्या सरकार यह सोच रही है कि रिट्रेंचमेंट के अलावा सभी की सेलरी प्रोपोशनेट कम कर दी जाए और सबको काम पर रख दिया जाए तो उनकी पेइंग कैपेसिटी रहेगी, कर्मचारी भूखे भी नहीं रहेंगे और उद्योग भी चलेंगे, इस बारे में सरकार का क्या ख्याल है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: अध्यक्ष महोदय, इसमें दो चीजें हैं एक डिमांड का मुद्दा है और एक सर्विसेज का मुद्दा है। हम कितना भी सेलरी कम कर लें और उन्हें नौकरी में रखें, लेकिन डिमांड नहीं होती है तो इंडस्ट्री को दिक्कत आती है। इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोगों के हाथ में क्या पैसा होना है, वह हो गया तो उससे इंडस्ट्री पर इफैक्ट नहीं होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने साठ हजार करोड़ से ज्यादा रुपया रूरल सेक्टर में रखा है,

[अनुवाद]

किसानों को ऋण राहत देने के कारण।

[हिन्दी]

इसकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसानों की पैसे की कैपेसिटी है और इसकी वजह से रूरल इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही है। माननीय सदस्य ने टाटा और जेट एअरवेज के बारे में एक प्रश्न पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने एविऐशन इंडस्ट्री की काफी मदद की है और इसकी वजह से एविऐशन इंडस्ट्री थोड़ा अच्छे ढंग से चल रही है। स्टील का दाम जरूर कम हुआ है। आज बैंकिंग इंडस्ट्री, हाउसिंग लोन के लिए मदद कर रही है और इसकी वजह से बिल्डिंग कन्सट्रक्शन इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। मैं इस तरफ सोच रहा हूं और मैं समझता हूं कि थोड़े दिन में यह भी ठीक हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। वह अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वे अधिक निधियां निवेश कर रहे हैं जिससे मांग बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय: उनके लिए ऐसा कहना वर्जित नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: लेकिन श्रम मंत्री का कार्य कुछ और है। उनका कार्य श्रम संबंधी कानूनों को लागू करना है। हमारे श्रम मंत्री जो कह रहे हैं उससे यह पता चलता है कि वह सभा में प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। केवल वस्त्र उद्योग में ही सात लाख कामगारों की छंटनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार दुनिया भर में दो करोड़ लोग अपनी नौकरी खो देंगे। यदि ऐसा ही रहा, तो भारत में प्रत्येक क्षेत्र में 20 लाख कामगार अपनी नौकरी खो देंगे। अत: माननीय श्रम मंत्री से मेरा यही प्रश्न है। जबकि बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि बड़े-बड़े उद्योग श्रमिकों की छंटनी करते समय देश के कानून का उल्लंघन न करे?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, माननीय सदस्य ने कानून प्रवर्तन का उल्लेख किया। वैश्विक मंदी हो अथवा न हो, मैं सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है और हम यह देखेंगे कि देश के कानून का पालन हो। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हमने पाया है कि लोग कानूनों का अनुपालन नहीं करते और हम इन क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। यदि उद्योग से मुनाफा न हो, तो वहां छंटनी होगी ही, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत एक योजना है—राजीव गांधी सुरक्षा योजना–जिसके अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी ने पांच वर्षों तक कार्य किया है, तो उसे छह माह के मजदूरी आधी दर पर मिलेगी ताकि कामगार को तत्काल राहत मिले।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, क्या मैं आधे मिनट और बोल सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। आप नोटिस दीजिए। मैं तत्काल इसकी अनुमति दूंगा।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

*225. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में श्रम और सामग्री की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए परिव्यय में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का परियोजनावार, राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम को 11वीं योजना के लिए राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में 1600 करोड़ रुपये के परिव्यय से अक्तूबर, 2008 में अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) इस स्कीम में नीचे दिए गए विभिन्न कार्यकलापों के लिए बढ़े हुए दर की व्यवस्था की गई है:

क्र.सं.	मद	2008 में अनुमोदित की गई स्कीम से पहले के लागू लागत मानक	2008 में अनुमोदित स्कीम के लिए लागत मानक
1.	खेत संबंधी विकास (ओएफडी) कार्य		
	* विशेष श्रेणी राज्यों/क्षेत्रों के लिए तथा दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए	18,000/15,000	22,000
	* अन्य राज्यों/क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए	10,000	15,000
2.	प्रचालीगत कमियों का सुधार	4,000	6,000
3.	जल प्रयोक्ता संघों को एक बारगी कार्यात्मक अनुदान	600	1000
4.	खेत संबंधी विकास कार्यों का सर्वेक्षण, आयोजना एवं डिजाइन	अनिर्धारित	1000

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। 11वीं योजना के लिए कार्यक्रम को जारी रखे जाने को सरकार द्वारा अक्तूबर, 2008 में अनुमोदन दिया गया था। निधि को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अनुबंध

जल संसाधन मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में जारी केन्द्रीय सहायता की वर्षवार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2005-06			2006-07			2007-08		
		सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्कीमों की की संख्या	उन स्कीमों की संख्या जिनके लिए वर्ष के दौरान निधि जारी की गई	राशि (रुपये लाख)	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्कीमों की की संख्या	उन स्कीमों की संख्या जिनके लिए वर्ष के दौरान निधि जारी की गई	राशि (रुपये लाख)	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्कीमों की की संख्या	उन स्कीमों की संख्या जिनके लिए वर्ष के दौरान निधि जारी की गई	राशि (रुपये लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	0.000	2	0	0.00	2	0	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	6	212.100	8	6	188.129	8	6	238.585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	3	0	0.000	3	0	0	3	0	0.00
4.	बिहार	6	0	0.000	6	0	0	6	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	7	7	283.387	7	3	1423.203	7	0	0.00
6.	गोवा	1	0	0.000	1	0	0	1	0	0.00
7.	गुजरात	2	1	4110.000	2	0	0	2	1	3057.66
8.	हरियाणा	3	3	3083.199	3	3	1998.541	3	3	2332.219
9.	हिमाचल प्रदेश	9	0	0.000	9	0	0	9	0	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	11	11	495.480	11	11	606.81	11	11	777.61
11.	झारखंड	2	0	0.000	2	0	0	2	0	0.00
12.	कर्नाटक	8	8	2769.670	8	8	3030.017	8	8	5771.293
13.	केरल	4	0	0.000	4	0	0	4	0	0.00
14.	मध्य प्रदेश	7	0	0.000	7	7	892.224	7	7	490.066
15.	महाराष्ट्र	10	0	0.000	10	0	0	10	7	622.27
16.	मणिपुर	3	3	121.428	3	3	207.038	3	3	184.07
17.	मेघालय	1	0	0.000	1	0	0	1	0	0.00
18.	मिजोरम	1	1	13.610	1	1	15	1	1	6.43
19.	नागालैंड	1	1	109.505	1	1	15.098	1	1	19.43
20.	उड़ीसा	13	13	208.963	13	13	494.834	13	13	1101.905
21.	पंजाब	3	3	717.070	3	3	2434.389	3	3	3589.235
22.	राजस्थान	3	3	2000.635	3	3	1143.792	3	3	1804.383
23.	सिक्किम	2	0	0.000	2	0	0	2	0	0.00
24.	तमिलनाडु	12	12	1169.341	12	11	1607.354	12	6	1740.481
25.	त्रिपुरा	1	0	0.000	1	0	0	1	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	15	13	3999.937	15	15	4537.521	15	15	5746.302
27.	उत्तराखण्ड	4	1	154.680	4	1	205.805	4	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	4	4	200.995	4	4	88.962	4	4	231.578
	कुल			19650.000			18888.717			27713.520

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, मैं किसानों की ओर से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए मंत्रालय का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। केवल यही नहीं, सरकार ने श्रम प्रभारों और अन्य सामग्रियों हेतु परिव्यय में वृद्धि की है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें किसानों का 10 प्रतिशत अंशदान अनिवार्य है। देश के विभिन्न भागों में व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए कि किसान अभी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस 10 प्रतिशत के अंशदान को माफ करने के लिये तैयार है अथवा नहीं। मेरा प्रश्न यही है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, 1974-75 से केन्द्र प्रायोजित कमान विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य, जिसको माननीय सांसद महोदय ने भी अपने प्रश्न में कहा है-सिंचाई क्षमता की सृजित उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए है ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से किसानों का उत्थान हो सके और हमारी कृषि बेहतर हो सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1600 करोड़ रुपये इस योजना के लिए रखा गया है ताकि किसानों की सिंचाई क्षमता बढ़ सके और हमारा कृषि उत्पादन बढ़ सके। जहां तक माननीय सदस्य ने किसानों को दस प्रतिशत लाभकारी अंशदान के संबंध में कहा है, तो उनकी ऐसी भागीदारी मिनिमम से मिनिमम रखी गयी है। 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है, 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है, तथा 10 प्रतिशत कृषक देते हैं। इस प्रकार दोनों के सहयोग से कार्यक्रम चलता है लेकिन सिर्फ उत्साह के लिए इसको मिनिमम रखा गया है ताकि लगे कि हमारे खेतों तक पानी जा रहा है, नालियां अच्छी बन रही हैं, चैनल बन रहे हैं, उसकी लोक भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी दिखाई पड़े इसके लिए इस मिशन को किया गया है। लगातार नौवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं और ग्यारहवीं में आकर इसको 1600 करोड़ रुपये किया गया है और किसानों के हित के लिए इसको जितना सुविधाजनक बनाया जा सकता है बनाया जाएगा ताकि टाइम बाउंड प्रोग्राम इसका कम से कम लगे। अभी लंबा समय लगता है, एक चैनल बनाने में चार-पांच साल लगते हैं। इससे भी कई परेशानियां होती हैं और जो कृषक है, वह सहयोग लोगों की भागीदारी के लिए आवश्यक है। इसलिए इस आवश्यकता के लिए मात्र नामिनल राशि रखी गई है ताकि उसमें उनकी भागीदारी दिखाई पड़े।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य भी अच्छा है लेकिन आज की परिस्थिति में हम किसानों का कर्जा वेव करने की स्कीम लाए हैं, कुछ जगह हमने कर दिया है, वह सही है या गलत है वह और बात है, उस बात को मैं उठाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर ये अमल ही नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, उसकी परिस्थिति ही नहीं है तो उद्देश्य सफल कैसे होगा यह तो प्राबलम है। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र ने 2005-06 में, 2006-07 में दस प्रोजैक्ट्स सबमिट किए, लेकिन 2007-08 में इसमें से खाली सात प्रोजैक्ट सैंक्शन कर दिये। इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय: सैकेन्ड पार्ट का उत्तर दीजिए, पहले पार्ट का नहीं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में परियोजना की स्थिति यह है कि 1974-75 में 25 योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, पूरी योजनाओं की संख्या 15 थी। वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की संख्या 10 है और उन योजनाओं को अभी तक 1974-75 से 2008 तक 265 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है। सबसे मुख्य उद्देश्य इसमें यह है कि राज्य सरकार से हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए। नहीं आने से उसमें परेशानी होती है, लेकिन हमारे फाइनैंशियल और फिजिकल टार्गेट के अनुसार महाराष्ट्र में दस योजनाएं ली गई हैं और उनके लिए अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने कुल राशि जो मुहैया कराई है वह 622.27 लाख रुपये है। इतना हम लोगों ने 2007-08 में मुहैया कराया है। अब जितना जल्दी काम राज्य सरकार से हो जाएगा और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, केन्द्र सरकार कोई कमी नहीं करेगी, वह जितना पैसा हमें देना चाहिए, हम देंगे।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: एक प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: सर प्रश्न पूछने से जवाब नहीं आया तो क्या फायदा हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, भारत में दुनिया के कुल क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत है और दुनिया की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत है, लेकिन स्वच्छ जल की कुल उपलब्ध मात्रा का केवल 4 प्रतिशत है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जल

संसाधनों के विकास, संरक्षण और इष्टतम उपयोग की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश में जल संसाधनों की संभावित क्षमता का आकलन किया है। जल के प्रभावी प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसानों को कोई प्रशिक्षण देती है....

अध्यक्ष महोदय: इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: निसंदेह, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप निसंदेह बोल रहे हैं। परन्तु मेरी बात मानी जाएगी।

आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या केन्द्र सरकार प्रभावी जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियां बनाने हेतु कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किसानों को कोई प्रशिक्षण प्रदान करती है? गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों की संख्या कितनी है? देश, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम से कितने किसानों को लाभ हुआ है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने ठीक कहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: लेकिन हम माननीय सांसद को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भू-जल की समस्या देश के अंदर आई है और इसका अति दोहन हो रहा है, इसके लिए हम कैसे इसका बेहतर प्रबंधन करें। इसके लिए हमें भू-जल एवं वर्षा जल का संचय और बचाव करना है। इसके लिए हमें अवेयरनैस पैदा करनी है और उसमें हमें राज्यों को हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ाना है। खास करके दिल्ली, राजस्थान और कुछ सुखाड़ क्षेत्र हैं, वहां भू-जल का अति दोहन हो रहा है, उसके कई कारण हैं। इसके लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। उसमें राज्य सरकार के सहयोग से और भी अवेयरनैस पैदा करके, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि हम बेहतर प्रबंधन भू-जल को बचाने के लिए कर सकें। जल की कमी नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन बेहतर तरीके से केन्द्र और राज्य मिल कर करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसी वजह से हमने जल संरक्षण संबंधी संसदीय मंच बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्य इसमें रुचि ले रहे हैं। श्री शिवाजीराव धन्यवाद आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।

क्या कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है? नहीं।

प्रश्न सं. 226—प्रो. एम. रामदास—उपस्थित नहीं।

श्री किन्जरपु येरननायडु—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 227—श्री चंद्रकांत खैरे—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 228—डा. के.एस. मनोज।

पारम्परिक मछुआरों की आर्थिक स्थिति

***228. डा. के.एस. मनोज:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पारम्परिक मछुआरों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पारम्परिक मछुआरे ही कामगारों का केवल ऐसा वर्ग है जो दिनभर में कोई प्राप्ति न होने पर मजदूरी का हकदार नहीं होता है;

(च) क्या सरकार का विचार मछुआरों के लिए न्यूनतम दिनों की मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना आरंभ करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है किन्तु केंद्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर और केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), कोच्चि द्वारा कैप्वर मात्स्यिकी से जुड़े पारम्परिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रयोजन आधारित और स्थान विशिष्ट अध्ययन किया गया है। अध्ययन से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि सक्रिय मछुआरों में से, गैर-मशीनीकृत जलयानों को चलाने वाले पारम्परिक मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।

(ङ) मछुआरों की आय सामान्यत: वेतन के रूप में नहीं होती है। पारम्परिक मछुआरों की आय साधारणत: मत्स्य कैच से प्राप्त आय की हिस्सेदारी से होती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

डा. के.एस. मनोज: अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुख की बात है कि देश के लगभग 1.5 मिलियन मछुआरों की आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक अध्ययन नहीं कराया गया है। मछुआरे, इस देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं। उत्तर में भी यह उल्लेख किया गया है कि गैर मशीनीकृत नावों से मछली पकड़ने वाले पारम्परिक मछुआरे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय अर्जित करते हैं।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दे। देश में मछुआरों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? क्या मंत्रालय मछुआरों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल करने का विचार रखती है? पारम्परिक मछुआरों की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है और क्या मंत्रालय सभी मछुआरों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल करने का सुझाव देता है?

अध्यक्ष महोदय: डा. मनोज, आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री शरद पवार: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के निर्धारण और उनकी सूची तैयार करने हेतु योजना आयोग ने एक मानदण्ड तैयार किया है। यदि ये मछुआरे उस मानदण्ड पर खरे उतरेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। वास्तव में, इसमें पहले ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया गया है। एक निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि आय संबंधी मुद्दे के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। मछुआरों की समग्र वित्तीय स्थिति के संबंध में, सैन्ट्रल इनलैण्ड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीआईएफआरआई), बैरकपुर और सैन्ट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीएमएफआरआई), कोच्ची ने आवश्यकता आधारित और स्थान विशेष अध्ययन किया है। उनके पास सीमित जानकारी है, विस्तृत जानकारी नहीं है। उनके पास निरक्षरता के प्रतिशत; स्वास्थ्य स्थिति तथा वह जो कार्य कर रहे हैं उसके कार्य की प्रकृति की जानकारी है। मछुआरे केवल मछली पकड़ने का कार्य ही नहीं कर रहे क्योंकि उनके अन्य बहुत से कार्य भी होते हैं। अत: यह पूरी जानकारी दी गई है।

अंतिम प्रश्न गैर मशीनीकृत नावों का प्रयोग कर रहे मछुआरों से संबंधित है। इसके संबंध में हमारे पास कुछ जानकारी है। वे कैटामारैन का प्रयोग करते हैं, जो गैर-मशीनीकृत है। हमारी जानकारी के अनुसार एक गरीब परिवार की वार्षिक आय लगभग 40,000 रु. है। यह प्रथम दृष्टता जानकारी है परंतु इस संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डा. के.एस. मनोज: मछुआरों की गरीबी और खराब आर्थिक स्थिति का प्रमुख कारण ऋण भार है। केन्द्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई ऋण माफी योजना में, पारम्परिक मत्स्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। अधिकांश मछुआरे अधिकतर राज्यों में स्थित सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं और ये सहकारी समितियां एन.सी.डी.सी. से वित्तपोषित होती हैं। इन सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को ऋण माफी योजना में शामिल किया गया था। मैं माननीय मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के तहत मत्स्य क्षेत्र के लिए दी गई धनराशि के बारे में जानना चाहूंगा। क्या मछुआरों द्वारा सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को इस ऋण माफी योजना के तहत शामिल किया जाएगा?

श्री शरद पवार: हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने पूरी जानकारी दी है। जिन मछुआरा सहकारी समितियों ने बैंकों से धन लेकर मछुआरों को दिया था और 30 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता मछुआरे इसके पात्र हैं। अन्य श्रेणियों पर यह लागू नहीं होती। वित्त मंत्रालय पहले ही यह जानकारी दे चुका है। बाद में, मुझे केरल सरकार और उस राज्य के कुछ मछुआरा संगठनों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि हमें इस परिभाषा को विस्तृत बनाना चाहिए। मैं यह प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय के पास भेज रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा

उन्होंने स्वीकार किया कि सामान्य मछुआरों की आय बहुत कम है इसलिए मैं उनका ध्यान गुजरात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि गुजरात में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। गुजरात के मछुआरे ज्यादातर घरेलू काम कर के और मछली पकड़ कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आपको यह जानकारी भी होगी कि गुजरात कोस्टल एरिया के ही अधिकतर मछुआरे कोस्टल एरिया के बाहर पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं। उनकी बोट चली जाती है। वे जेल में रहते हैं और यहां उनके परिवार वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा उनके साथ बार-बार होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मछुआरे जो पाकिस्तान की जेलों में हैं और जिनकी बोट्स चली गई हैं, हालांकि उन्हें कोआपरेटिव सोसायटीज की ओर से ऋण दिया जाता है, लेकिन वे ऋण की अदायगी नहीं कर सकते और इस प्रकार उनके ऊपर दो प्रकार की मुसीबतें आती हैं। एक तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है और कोआपरेटिव सोसायटी का ऋण अदा करना भी मुश्किल हो जाता है। अत: ऐसे मछुआरों के लिए क्या सहृदयता पूर्ण कोई नई योजना बनाई जाएगी या उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भारत सरकार की ओर से कोई मदद दी जाएगी?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, अभी तक स्पेसीफिकली ऐसी कोई स्कीम नहीं है। रीसेंटली, मेरे पास इंडियन कौंसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च के माध्यम से एक ऐसा प्रपोजल आया है। इसकी डीप स्टडी होनी आवश्यक है और यह देखा जाना जरूरी है कि वास्तव में उनकी समस्या क्या है। उसे देखकर हम गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं। यह प्रपोजल हमारे पास अभी आया है। इसे हम स्वीकार करने वाले हैं, इसे हम इजाजत देने वाले हैं, इसकी डीप स्टडी कर के हम कुछ करेंगे। इस प्रकार की जो समस्या यहां आनरेबल मैम्बर ने बताई है। उसमें हम डिटेल में जाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के खास कर के दो-तीन डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और सुपौल जिलों में, बड़े पैमाने पर मछुआरे मखाने का उत्पादन करते हैं। उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मखाना क्या है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मखाना एक क्राप है। मखाने के उत्पादन से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तालाबों में केवल मखाने का उत्पादन करते हैं। वह तालाब में, गहरे पानी में होता है, वे उसे वहां से निकालते हैं, लेकिन उनको कोई इनीशिएटिव नहीं मिलता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इतने मछुआरे हैं, उनको मखाना उत्पादन के काम में सरकार की कोई प्रोत्साहन देने की योजना सरकार के पास है? मखाना अकोला ड्राईफ्रूट है, जो कोलैस्ट्रालल्रैस है। दूसरे देशों में 3300 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत है, लेकिन यहां 45 रुपये किलो में उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके मखाने की प्रोसेसिंग या कुछ भी कृषि में उनको ऋण देकर या कोई इनीशिएटिव लेकर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उन्हें मत्स्य उद्योग के बदले मखाने की पैदावार का कार्य करने का सुझाव दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मखाना सब जगह होता है, यह क्राप है इसे केवल मछुआरे पैदा करते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे फिशरी का काम छोड़ देंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह एक विशिष्ट फसल है, जो एक विशेष क्षेत्र में लगाई जाती है। यह एक साधारण फसल नहीं है। इसके लिए कोई योजना आदि नहीं है। मुझे इस फसल की कुछ जानकारी है। जहां जलाशय हैं, वहां का मछुआरा समुदाय इस फसल को उगाता है और उसका एक सीमित बाजार है। परंतु इस संबंध में, कोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोई अध्ययन किया गया है, परंतु इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे इस मुद्दे और अन्य मामलों के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें, तो मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: यह सत्य है कि पारम्परिक मछुआरों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अच्छी आय प्राप्त नहीं हो रही है उनकी आय उनकी आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह प्रश्न पूछने का मुख्य कारण यह है कि मैं स्वयं इस देश के तटीय क्षेत्र से आया हूं। वर्तमान में, पारम्परिक मछुआरे समुद्र, उड़ीसा में चिल्का नदी पर और अन्य भागों में नदी पर निर्भर हैं। उन्हें समुद्र से वास्तविक लाभ नहीं

हो रहा है। इसका एक कारण यह है कि इसके उत्पाद में कमी आ रही है। दूसरे, मत्स्य व्यापार में बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। यहां तक कि बंगाल की खाड़ी और हमारे देश के अन्य भागों में विदेशी जलपोत भी मछली पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे पारम्परिक मछुआरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है। क्या सरकार मत्स्य व्यापार के इन बड़े खिलाड़ियों द्वारा समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी जलपोत उथले समुद्र में प्रवेश न करें और हमारे पारम्परिक मछुआरों को नुकसान न हो विदेशी जलपोतों पर रोक लगाएगी?

अध्यक्ष महोदय: वे खुले सागर में मछली पकड़ सकते हैं।

श्री शरद पवार: मजदूरी संबंधी पहले प्रश्न के संबंध में, पहली बात यह है कि मछुआरों की आय आमतौर पर उनकी मजदूरी से नहीं होती। उनकी आय मुख्यत: पकड़ी हुई मछलियों को बिक्री का बंटवारा करने से होती है। अत:, वे जितनी भी मछलियां पकड़ते हैं उन्हें आपस में बांटते हैं। निस्संदेह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त मात्रा में मछलियां नहीं मिलती हैं। परन्तु, हमने कुछ ऐसे संगठनों की स्थापना की है जिनमें हम अन्य एजेंसियों के माध्यम से मछुआरों को जानकारी दे रहे हैं कि किन-किन क्षेत्रों में मछलियां उपलब्ध होने की संभावना है ताकि वे वहां जा सकें। जो अवसर का लाभ उठाते हैं उन्हें निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है। यह कभी-कभार होने वाली समस्या है। जो मछुआरे बिना मोटर वाली नौकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें निश्चित रूप से ऐसी समस्या आती है। यह भी सत्य है कि कुछ लोग हमारे क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करके मछलियां पकड़ते हैं। हमें ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं कि थाइलैंड से कुछ मछुआरे, अंडमान और अन्य क्षेत्रों में घुसकर वहां मछलियां पकड़ने का प्रयास करते हैं। हमें तटरक्षकों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं और हम उन पर कार्यवाही करते हैं। कभी हमें श्रीलंका की ओर से और कभी पाकिस्तान की ओर से ऐसी शिकायतें मिलती हैं। इसी प्रकार, हमें हमारे मछुआरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी घटनाएं वहां हमेशा होती रहती हैं। परन्तु, हमारे लिए किसी पर भी प्रतिबंध लगाना मुश्किल है क्योंकि अंतत: यह देश का निर्यात से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हमारा गत वर्ष का निर्यात लगभग 8,000 करोड़ रुपये था। अत:, समुद्र में उतरकर मछलियां पकड़कर, उन्हें किनारे पर लाकर, उचित रूप से प्रसंस्कृत करके, पैकिंग करने के बाद भारत से बाहर भेजने के बाद ही हम निर्यात बाजार में अपनी स्थिति को बनाए रख सकते हैं। इस निर्यात का एक बड़ा भाग बड़ी कंपनियों के हिस्से में आता है। अत:, बड़ी कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना मुश्किल कार्य है।

अध्यक्ष महोदय: हाल ही में, लोक सभा टेलीविजन पर मत्स्य पालन की समस्याओं पर एक अच्छा कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यदि माननीय सदस्यों के पास टेलीविजन देखने के लिए कुछ समय हो तो वे लोक सभा टेलीविजन भी देखें। मछुआरों की समस्याओं पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया गया था।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 229-श्री नंद कुमार साय-उपस्थित नहीं।

श्री फ्रान्सिस फैन्थम।

डाकघरों का बंद किया जाना

+

***229. श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने डाकघरों को बंद किया गया/अन्यत्र स्थापित किया गया अथवा उनका दर्जा घटाया गया;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 2008-09 के दौरान देश में कतिपय डाकघरों को बंद करने/उनका विलय करने/उन्हें अन्यत्र स्थापित करने अथवा उनका दर्जा घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे डाकघरों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान, विभिन्न सर्किलों/राज्यों में 254 डाकघर बंद किए गए, पुन:स्थापित किए गए/उनका विलय किया गया/उनका दर्जा घटाया गया। सर्किल/राज्य-वार सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) से (घ) विभाग की देश में डाकघर बंद करने/दर्जा घटाने की कोई सामान्य नीति नहीं है। तथापि, कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों में डाकघरों को बंद किया जाता है जैसे किसी बांध का निर्माण कार्य पूरा होना, जीर्ण-शीर्ण आवास और समीप अन्य डाकघरों की उपलब्धता। जहां आवश्यक हो डाकघरों का दर्जा

घटाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जो डाकघर के स्तर को उसके कार्यभार के समकक्ष लाने के लिए की जाती है। इसलिए किसी डाकघर का दर्जा घटाना एक नियत अवधि के अनुसार की जाने वाली स्थापना समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करता है।

विभाग को डाकघर खोलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार इनकी जांच की जाती है। दसवीं योजना के निदेशों के अनुरूप दूरी मानकों के अनुसार अब तर्कसंगत नहीं रहे डाकघरों को विस्थापित/विलय करके तर्कसंगत प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 112 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (ईडीबीओ) और 50 विभागीय उप डाकघरों (डीएसओ) को औचित्यसम्मत बनाने का एक अनन्तिम लक्ष्य है। राज्य/सर्किल-वार ब्यौरा अनुबंध-II और III में संलग्न है। (यह 500 नये शाखा डाकघरों और 375 नये उपडाकघरों को खोलने संबंधी प्रस्तावों के अतिरिक्त है)। इन गतिविधियों के लिए अभी तक कोई योजना सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अनुबंध I

वर्ष 2007-08 के दौरान बंद/दर्जा घटाए/अन्यत्र स्थापित/विलय किए गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	बंद	दर्जा घटाए गए	पुन: अवस्थित	विलय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	24	10
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	6	शून्य	5	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	2	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	1	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	1	9	3
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	5	5
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	3	11	शून्य
12.	केरल	शून्य	शून्य	5	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	1	2	5
14.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	3	1
15.	पूर्वोत्तर	शून्य	3	1	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य	9	शून्य	शून्य
17.	पंजाब	शून्य	शून्य	5	39
18.	राजस्थान	शून्य	6	3	46

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	18	7
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उत्तराखंड	शून्य	5	2	1
22.	पश्चिम बंगाल	7	शून्य	शून्य	शून्य
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	13	28	96	117

अनुबंध II

वर्ष 2008-09 के दौरान उप डाकघरों की पुन: अवस्थिति के लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	3
3.	बिहार	3
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	शून्य
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	1
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	3
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	3
14.	महाराष्ट्र	4
15.	पूर्वोत्तर	2
16.	उड़ीसा	3
17.	पंजाब	1
18.	राजस्थान	2
19.	तमिलनाडु	4
20.	उत्तर प्रदेश	4
21.	उत्तराखंड	1
22.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	50

अनुबंध III

वर्ष 2008-09 के दौरान शाखा डाकघरों की पुन: अवस्थिति के लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	असम	5
3.	बिहार	5

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	4
5.	दिल्ली	5
6.	गुजरात	5
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	7
12.	केरल	5
13.	मध्य प्रदेश	8
14.	महाराष्ट्र	14
15.	पूर्वोत्तर	2
16.	उड़ीसा	5
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	4
19.	तमिलनाडु	3
20.	उत्तर प्रदेश	5
21.	उत्तराखंड	1
22.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	112

श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सरकार ने उन डाकघरों जिनका दर्जा घटाये जाने पर विचार किया जा रहा है, द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई अध्ययन किया है?

श्री ए. राजा: जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक डाकघरों से राजस्व का संबंध हैं उसमें कुछ कमी आई है। वर्ष 2005-06 में, 1209.88 करोड़ रुपये की कमी आई; वर्ष 2006-07 में 1249.52 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस हानि की भरपाई करने के लिए, डाक विभाग की बहुत से स्थानों पर अनुप्रयुक्त पड़ी भूमि से राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार ने वित्त सचिव सहित सचिवों की एक समिति का गठन किया था ताकि उस भूमि का उपयोग किया जा सके, और उससे राजस्व अर्जित किया जा सके। डाक विभाग के पास मौजूद भूमि से राजस्व अर्जित करने के अतिरिक्त डाकघरों के माध्यम से कई नई पहलें भी की गई हैं। डाक संबंधी कार्यों के अतिरिक्त हमने डाकघरों के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री आरंभ की है; जिससे हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है; विदेशी मुद्रा की खरीद-फरोख्त, रेलवे टिकटों का आरक्षण, और डाकघरों में सं.लो.से.आ. के आवेदन पत्रों की बिक्री भी की जा रही है। इन अतिरिक्त विभागीय कार्यों के माध्यम से हम कमी को पूरा करने के लिए कुछ राजस्व अर्जित करना चाहते हैं।

श्री फ्रांसिस फैन्थम: उत्तर में, माननीय मंत्री ने यह बताया है कि डाकघरों की 500 नई शाखाएं खोलने के लिए अभी तक योजना आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है, तो सरकार नए डाकघरों के लिए आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री ए. राजा: सभा को इस बात की जानकारी होगी कि हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, जिनको 1.55 लाख डाकघरों के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, मैं यह कह सकता हूं कि कई गांवों को मिलाकर ऐसा केन्द्र बनाया जाएगा जिनमें हम अतिरिक्त डाकघर चला रहे हैं। नि:संदेह, समूहों में मिलाए गए कुछ गांवों में अलग डाकघरों की आवश्यकता है जिसके संबंध में मांग की जा रही है। परन्तु, दसवीं योजना में वित्तीय कठिनाईयों के कारण हमने एक नीतिगत निर्णय लिया कि नए लोगों की भर्ती किए बिना, क्योंकि इससे सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय भार पड़ेगा, हमने विभाग के पास मौजूद डाक कर्मचारियों की पुन: तैनाती करके नए डाकघरों की स्थापना की जाए। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ही हमने मौजूद संसाधनों का अन्यत्र उपयोग करके 440 नए डाकघर खोले। इसके बावजूद हमने वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 नए डाकघर खोलना चाहते हैं जिसके संबंध में अभी वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर नहीं खोल रहे हैं। हम मौजूद संसाधनों का दूसरे स्थानों पर उपयोग करके नए डाकघर खोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो कुछ भी उत्तर दिया है, वह पूरा का पूरा असत्य है।

अध्यक्ष महोदय: असत्य है?

श्री संतोष गंगवार: असत्य है। नये डाकखाने, शाखा डाकघर या ए.जी. आफिस गांव में नहीं खोले जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि फाइनैंशियल कंस्ट्रेंट्स है, इसलिए गांव की पूरी उपेक्षा है। मैं पिछले तीन वर्षों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने जनपद में एक डाकघर जो बंद हो गया है, जिस गांव की आबादी सात हजार से अधिक है, और हर बार मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिलता है कि इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन वह शाखा डाकघर मीरगंज तहसील में सिंधौली, जो बहुत बड़ा गांव है, आज की तारीख तक नहीं खोला गया है। तत्कालीन माननीय मंत्री जी बरेली गए थे, मैंने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में वह बंद नहीं हो सकता। जहां तक ए.जी. सर्विस की बात है, यह बात सही है कि प्रगति बहुत हो रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डाकखाने की आवश्यकता है। अगर आप सूची देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2008-09 में पूरे देश के अंदर 112 डाकखाने का प्रस्ताव है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सोच रहा था कि लोग डाक सुविधाओं के स्थान पर मोबाइल फोन और कुरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: हर गांव में, सब जगह डाकखाने की सेवा बहुत अच्छी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार जब हजारों करोड़ों रुपये विभिन्न मदों से रियायत कर रही है और आम आदमी का हित करने की बात करती है, तो डाकखाना इस काम में पीछे क्यों रह जाता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बरेली का डाकखाना पीछे क्यों रह जाता है?

श्री संतोष गंगवार: मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि बरेली जनपद में, मैं स्पेसीफिक सिंधौली डाकघर के बारे में पूछ रहा हूं, वह डाकखाना खोला जायेगा या नहीं खोला जायेगा? इस बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने आपकी ओर से मंत्री जी से बरेली डाकखाने के बारे में पूछ लिया है।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: मैं संसद या माननीय सदस्यों से कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहता। मैंने यह स्वीकार किया कि देश में लगभग छ: लाख गांव हैं; इसके बावजूद हमारे पास केवल 1,55,000 डाक घर हैं। इसका यह अर्थ है कि हमें और डाकघरों की आवश्यकता है, परन्तु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि गांव डाकघरों की सुविधाओं से वंचित हैं। गांवों के समूह की एक इकाई बनाकर डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मांग सिद्धांतत: स्वीकार्य है, परन्तु, वित्तीय कठिनाइयों जिस पर वित्त मंत्रालय अलग से ध्यान दे रहा है, के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही वित्त मंत्रालय हमें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करा देगा हम यथासमय नए डाकघर खोल देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप बरेली को प्राथमिकता दे सकते हैं। हमने आपके लिए आर्डर दे दिया है।

श्री ए. राजा: हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि गांवों में पोस्ट आफिस नहीं खुलेगा, तो कैसे काम होगा? एनआरईजी एक्ट में प्रोविजन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का यह अर्थ है कि मामला गंभीर है और इस पर उचित रूप से ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

आप लोगों ने सही तरीके से अपनी शंका प्रकट की है। हमारा हिन्दी ठीक है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: माननीय मंत्री जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया है परन्तु, मैं कुछ और जानकारी चाहता हूं। जैसाकि आप जानते है डाक सेवाओं का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है, देश में किसी संगठन का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। यदि किसी तंत्र के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह देश का सर्वोत्तम तंत्र है। अन्य संगठनात्मक इकाइयों की संख्या ज्यादा कम है, क्योंकि डाक नेटवर्क की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने पहले ही कुछ सेवाओं को स्वीकार कर लिया था।

क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार जो कुछ लोगों तक भेजना चाहती है, उसके लिए मंत्रालय डाकघरों के माध्यम से अन्य

सेवाओं को जोड़ने पर विचार करेगा? यदि काम बढ़ता है, तो अधिक लोग इससे जुड़ेंगे और तब निधि अर्जन में वृद्धि होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार, न सिर्फ 2-3 सेवा बल्कि अधिक सेवाएं, जिन्हें डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करने की आवश्यकता है, को बढ़ाने पर व्यापक विचार करेगी?

श्री ए. राजा: जैसा कि मैंने पहले कहा था विभाग को हुए घाटे की भरपाई के तरीकों को खोजने के प्रति विभाग बहुत गंभीर है, जिसके लिए हम अपनी सेवाओं में डाक सेवाओं के अलावा और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इनमें से मैंने सोने के सिक्कों की बिक्री और अन्य सेवाओं के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त हम सभी ग्रामीण डाकघरों को ठीक स्थान पर रखना चाहते हैं; हमने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से करार किया था, जहां उनके बैंकों के आउटलेट्स या काउन्टर्स को डाकघरों में ही खोला जाएगा और स्थानीय डाक पाल या डाकघरों का काम काज देखने वाले स्थानीय व्यक्ति बैंकों के लेनदेन के लिए उनके भी प्रभारी अधिकारी होंगे। इससे डाकघरों द्वारा कुछ राजस्व का अर्जन किया जा सकता है। घाटे की भरपाई के लिए विभाग द्वारा ये कार्य किए गए हैं।

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना की समीक्षा

+

***230. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री रामदास आठवले:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई, उठाई गई तथा वितरित की गई;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त योजना की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले तथा उक्त योजना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे; और

(घ) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना में अनियमितताओं, यदि कोई हों, के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध राज्यवार और वर्षवार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है?

विवरण

(क) से (घ) गरीबी रेखा से नीचे के निर्धनतम परिवारों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्रित करने में और तेजी लाने के लिए दिसम्बर, 2000 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक भाग के रूप में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं। आरंभ में जब यह स्कीम शुरू की गई थी इसके अधीन एक करोड़ निर्धनतम परिवार कवर करने का लक्ष्य था। बाद में स्कीम के कवरेज को 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान 3 बार बढ़ाया गया ताकि हर बार 50 लाख अनुमानित अतिरिक्त परिवारों को और कवर किया जा सके। इस प्रकार 250 लाख कुल अनुमानित परिवारों के प्रति 242.755 अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को कवर किया गया है।

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अंत्योदय अन्न योजना के अधीन आबंटित और उठान किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भाग के रूप में अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के अलावा सरकार ने 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अंत्योदय अन्न योजना का समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया है। समवर्ती मूल्यांकन की रिपोर्टें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं।

अनुबंध

अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2006-07 से 2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक) के दौरान चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
		2006-07		2007-08		2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)	
		अं.अ.यो.	अं.अ.यो.	अं.अ.यो.	अं.अ.यो.	अं.अ.यो.	अं.अ.यो.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	654.29	656.77	654.29	698.40	381.67	391.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.97	9.07	15.97	10.86	9.32	9.22
3.	असम	294.22	272.05	295.45	298.03	172.49	173.95
4.	बिहार	662.09	566.33	1019.99	872.40	594.99	436.50
5.	छत्तीसगढ़	295.25	313.06	301.94	308.14	176.13	176.13
6.	दिल्ली	23.32	22.88	45.91	39.36	36.80	32.32
7.	गोवा	6.11	3.94	6.11	5.04	3.56	3.53
8.	गुजरात	310.85	259.99	332.18	293.57	198.38	204.44
9.	हरियाणा	109.39	102.92	122.82	116.99	71.65	66.82
10.	हिमाचल प्रदेश	76.81	77.24	82.74	80.02	48.27	49.44
11.	जम्मू-कश्मीर	104.01	98.43	107.39	107.71	62.64	61.54
12.	झारखंड	305.27	299.27	352.09	323.04	224.90	217.10
13.	कर्नाटक	491.35	465.20	503.89	484.19	293.94	300.39
14.	केरल	248.33	249.31	250.26	250.89	145.99	146.95
15.	मध्य प्रदेश	650.16	603.99	652.66	629.10	387.49	163.41
16.	महाराष्ट्र	833.22	698.75	1021.67	866.00	603.68	530.48
17.	मणिपुर	21.18	18.41	22.57	21.45	15.59	14.50
18.	मेघालय	23.35	23.35	29.48	28.98	17.20	17.69
19.	मिजोरम	10.92	11.25	10.92	11.62	6.37	5.66
20.	नागालैंड	19.97	22.98	19.97	21.43	11.65	12.60
21.	उड़ीसा	530.72	433.29	531.12	457.08	309.82	318.26

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	58.31	33.56	65.41	37.81	43.96	25.60
23.	राजस्थान	385.71	348.02	391.49	367.39	228.37	220.31
24.	सिक्किम	6.47	6.47	6.94	6.94	4.05	4.29
25.	तमिलनाडु	783.14	775.37	783.14	794.61	456.83	497.47
26.	त्रिपुरा	28.54	25.46	45.94	41.25	27.72	29.50
27.	उत्तर प्रदेश	1720.01	1692.33	1719.48	1667.59	1003.03	975.20
28.	उत्तराखंड	59.66	47.40	63.52	55.63	37.05	316.44
29.	पश्चिम बंगाल	621.68	515.64	621.68	531.52	362.65	316.44
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.80	0.82	1.80	1.30	1.05	0.93
31.	चण्डीगढ़	0.89	0.07	0.89	1.21	0.52	0.33
32.	दादरा व नगर हवेली	1.77	0.38	2.20	0.24	1.28	0.00
33.	दमन व दीव	0.64	0.37	0.64	0.18	0.37	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.16	0.16	0.46	0.63	0.29	0.00
35.	पांडिचेरी	13.55	7.14	13.55	6.54	7.90	2.38
	जोड़	9369.10	8661.68	10096.55	9437.11	5947.57	5438.68

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत्योदय अन्न योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पूरा एलाटमैंट नहीं किया जाता है, तो लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। लोग बार-बार वहां अन्न लेने जाते हैं, लेकिन उनको वापस आना पड़ता है। गुजरात में खासकर मेरे जिले बनासकांठा में यह हालत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना एलाटमैंट किया जाता है, उतना राज्य सरकार लेती हैं या नहीं? एलाटमैंट के मुताबिक माल आप वहां भेजते हैं या नहीं? गुजरात के लिए आपने इस साल जो एलाटमेंट किया, उससे ज्यादा उसने उठा लिया है, तो बाकी के लिए आप क्या करने वाले हैं और कैसे इसे पूरा किया जाएगा? जो सामान नहीं दिया जाता है, तो उसका क्या कारण है?

श्री शरद पवार: महोदय, इसमें जो फिगर्स और नम्बर है, इस नम्बर के मुताबिक भारत सरकार एएवाई कैटेगरी को पूरी एलाटमेंट करती है। माल उठाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। जहां तक गुजरात की बात है, वर्ष 2006-07 में 3.10 लाख टन का एलोकेशन गुजरात को दिया था, जिसमें से उन्होंने 2.59 लाख टन माल उठाया। वर्ष 2007-08 में 3.32 लाख टन एलोकेशन गुजरात को दी थी, जिसमें से उन्होंने 2.93 लाख टन माल उठाया था। जनरली 85 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक लिफ्टिंग वहां की हर सरकार की ओर से होती है। वहां कम लिफ्टिंग होती है, ऐसी स्थिति नहीं है। जब थोड़ी-बहुत कोई समस्या स्टेट गवर्नमेंट से आती है तो हम उनको बार-बार लिखते और कांटैक्ट करते हैं। हमें देने में कोई एतराज नहीं है। हम उनकी एलोकेशन, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते है और पूरी करेंगे।

श्री हरिसिंह चावड़ा: महोदय, जैसे गुजरात के लिए इस साल 1.98 लाख टन का एलोकेशन किया गया है और अभी तक उसने 2.04 लाख टन माल उठा लिया है। जिस प्रकार उन्होंने इस साल माल उठाया है, उसी तरह पिछली बार भी उठाना चाहते थे, लेकिन माल नहीं होने के कारण नहीं उठा पाए, तो इसका क्या कारण है?

श्री शरद पवार: महोदय, माल नहीं था, यह बात सच नहीं है। माल उपलब्ध था, एलोकेशन किया था, उन्होंने एलोकेशन के बाद माल उठा लिया। इस साल उन्होंने एलोकेशन से ज्यादा माल उठाया है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने एलोकेशन से कम उठाया था। इसलिए उनको ज्यादा उठाने की इजाजत हमने दे दी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले-अनुपस्थित।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या आपका मंत्रालय विभिन्न राज्यों को किए गए आबंटनों की समीक्षा करेगा। क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु, विशेषकर तंजौर जिला जो धान उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, भारी वर्षा से प्रभावित हुआ है। मंत्री महोदय आबंटन की समीक्षा करें तथा तमिलनाडु को अधिक चावल आबंटित करें।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

श्री शरद पवार: महोदय यह एएवाई श्रेणी के बारे में एक विशेष प्रश्न है। यह सही है कि तंजौर में भारी वर्षा के कारण धान के एक बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार ने एक दल नियुक्त किया है और मेरे विचार से आज भी यह दल तमिलनाडु में है। वे मूल्यांकन करने जा रहे हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उस दल से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद, भारत सरकार निश्चित रूप से उनकी सिफारिशों पर विचार करेगी। सिफारिशों में निश्चित रूप से कुछ आर्थिक सहायता की मांग भी शामिल होगी। उसमें अधिक खाद्यान्न, विशेषकर चावल की मांग शामिल हो सकती है। हम भली भांति जानते हैं कि धान की फसल प्रभावित हुई है और इसलिए हम प्रभावित लोगों की अवश्य सहायता करेंगे और तमिलनाडु राज्य को यथा आबंटन देंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, क्या आप इस प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं एएवाई चावल के वितरण की शिकायतों के संदर्भ में केन्द्र सरकार से जानकारी पाना चाहता हूं। क्या सरकार को चावल के वितरण करने या वितरण न करने के संबंध में, किसी राज्य से कोई शिकायत मिली थी? इस मामले में, दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं। सरकार, हमें इस संबंध में ब्यौरा दे।

श्री शरद पवार: वस्तुत:, हमने 26 राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में एएवाई का समवर्ती मूल्यांकन किया है। समवर्ती मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदनों की आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित राज्य को भेज दिया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं जानकारी एकत्र करके उन्हें दे दूंगा।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

+

***231. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चालू और बंद चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त चीनी मिलों को पुन: चालू करने हेतु सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में बहुत से भागों में चीनी मिलें सामान्यतया अपना पेराई कार्य दिसम्बर के मध्य तक आरम्भ करती हैं। अत: वर्तमान चीनी मौसम 2008-09 में चालू और बंद चीनी मिलों की संख्या बताना जल्दबाजी होगी। तथापि, चीनी मौसम 2007-08 के दौरान देश में चालू और बंद चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-I पर है।

(ख) देश में चीनी मिलों के बंद होने के मुख्य कारणों में गन्ने के ऊंचे मूल्य का भुगतान, चीनी मिलों का अलाभकारी आकार होना, संयंत्र और मशीनरी का पुराना होना, तकनीकी और प्रबंधकीय अक्षमता, आदि शामिल हैं।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है कि वे अपने राज्य में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों

में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) दिनांक 31.8.1998 के प्रेस नोट द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर देने से उद्यमी मौजूदा चीनी मिल अथवा अन्य नई चीनी मिल से 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार देश के किसी भी भाग में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं देती है।

अनुबंध I

चीनी मौसम 2007-08 के दौरान चालू और बंद चीनी मिलों का राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण

(30.9.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य की अपनी		निजी क्षेत्र	
		चालू	बंद	चालू	बंद	चालू	बंद
1.	पंजाब	9	7	0	0	7	0
2.	हरियाणा	11	1	0	0	3	0
3.	राजस्थान	–	1	1	–	–	1
4.	उत्तराखंड	4	–	2	–	4	–
5.	उत्तर प्रदेश	26	3	18	15	88	4
6.	मध्य प्रदेश	4	1	–	2	3	2
7.	छत्तीसगढ़	1	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	18	5	–	–	–	–
9.	महाराष्ट्र	145	20	–	–	27	1
10.	बिहार	–	–	–	15	8	5
11.	असम	–	2	–	–	–	1
12.	उड़ीसा	3	1	–	–	3	1
13.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	1	1	–
14.	नागालैंड	–	–	–	1	–	–
15.	आंध्र प्रदेश	12	2	–	1	26	2
16.	कर्नाटक	18	5	2	1	26	3
17.	तमिलनाडु	15	1	2	1	20	1
18.	पांडिचेरी	1	–	–	–	1	–
19.	केरल	–	1	–	–	–	1
20.	गोवा	1	–	–	–	–	–
	अखिल भारत	268	50	25	37	217	22

अनुबंध II

बंद चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

बिहार

राज्य सरकार ने बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों को टेंडर प्रक्रिया के जरिये दीर्घकालिक पट्टे पर निजी पार्टियों को सौंपने का निर्णय किया है।

कर्नाटक

राज्य सरकार ने चार सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को पट्टे पर देने का निर्णय किया है। एक सहकारी चीनी मिल का परिसमापन किया जा रहा है।

पंजाब

पंजाब सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है जिसे राज्य सरकार द्वारा 4 जून, 2008 को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, बंद चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत साफ था कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के बंद होने का क्या कारण है? मंत्री जी ने कारण तो बताए नहीं, अपने लिखित जवाब में तालिका देकर बताया है कि इतनी चीनी मिलें बंद हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें बंद हैं, उनके श्रमिकों के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? इसके अलावा जिन किसानों का गन्ना उन मिलों में पेराई के लिए जाता था, उसे अन्य मिलों में स्थानांतरित करने की क्या कोई व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें लाभ हो सके? चीनी मिलें बंद होने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और यह भी नहीं बताया गया है कि इन बंद चीनी मिलों के श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे हो रही है?

अध्यक्ष महोदय: कारण तो बताए हैं, लेकिन लगता है आपको पसंद नहीं आए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर के भाग (ख) में बताया है, देश में चीनी मिलों के बंद होने के मुख्य कारणों में गन्ने के लिए ऊंची कीमत का भुगतान, चीनी मिलों के अपव्ययी आकार, पुराने संयंत्र और मशीनरी, तकनीकी एवं प्रबंधकीय अक्षमता आदि शामिल है। यही कारण है। वस्तुत: कुछ ऐसी चीनी मिलें हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में लगाई गई हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में गन्ना होना चाहिए किंतु पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं था। गन्ने की कम उपलब्धता से चीनी मिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित गन्ना क्षेत्र के विकास में विलंब हो रहा है। चीनी मिल का अपव्ययी आकार, पुराने संयंत्र और तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता ही मुख्य कारण हैं, जिसके कारण ये मिलें बंद हैं।

महोदय, यदि आप देश में कुल क्षमता और उपलब्ध क्षमता का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि क्षमता बहुत ज्यादा है। यह एक चक्र है। यदि आप पांच वर्ष के गन्ने की फसल का अध्ययन करें, तो तीन वर्षों में गन्ना अधिक और कीमत कम होती है, दो वर्षों में गन्ने की कमी होती है और कीमत ऊंची होती है। उदाहरण के लिए इस वर्ष किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, क्योंकि गन्ने के रोपड़ में कमी आई है। गन्ना किसानों की समस्या यह है कि यदि कीमत ज्यादा हो तो वे गन्ने की रोपाई ज्यादा करते हैं। अंतत: देश में या देश के बाहर चीनी का खुला बाजार मूल्य चीनी उद्योग की संपूर्ण दशा का निर्धारण करता है और यदि बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिये जाते हैं, तो यह स्थिति नहीं आएगी।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, किसानों के गन्ने का लाभकारी मूल्य तय न होने के कारण गन्ने की पैदावार घट रही है। यह बात मंत्री जी ने स्वयं भी कबूल की है। चीनी उपलब्ध है, लेकिन किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य समान रूप से मिले, इसके लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसके अलावा गन्ने का जो मूल्य तय किया जाता है, वह भी गन्ना उत्पादकों को समय पर नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया जवाब देने का समय भी दें, क्योंकि प्रश्न काल समाप्त होने जा रहा है।

श्री हरिकेवल प्रसाद: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसे गन्ने का लाभकारी मूल्य मिले और समय पर उसका भुगतान हो, उसके लिए क्या आप राज्य सरकारों को कोई निर्देश देंगे?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: सीएपीसी की सिफारिश पर भारत सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय लेती है कि गन्ना उत्पादकों को सांविधिक न्यूनतम मूल्य के रूप में क्या कीमत दी जाए, किंतु

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी निजी प्रणाली शुरू की है। उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अलग-अलग कानून बनाया है और राज्य, राज्य परामर्शी मूल्य घोषित करते हैं। राज्य परामर्शी मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक परामर्शी मूल्य से कहीं ज्यादा है।

देश के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्यों के पास प्राधिकरण है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। इस निर्णय के अनुसार, यह राज्यों का विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि इसको कार्यान्वित किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में संकट

*221. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप वस्त्र इकाइयां बंद हो रही हैं तथा कर्मचारियों की छंटनी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को बचाने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जुलाई) के प्रथम चार महीनों के दौरान वस्त्र और परिधान (हस्तशिल्प, कयर और पटसन सहित) निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए वस्त्र एवं परिधान निर्यातों की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में 15% की वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रैल-अगस्त 2008 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अगस्त 2007 में 8.18 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यातों की तुलना में 11.10% की कम वृद्धि दर्शाते हुए 9.09 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ। तथापि, अगस्त 2008 के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यातों में स्पष्ट गिरावट देखी गई है जिसमें अगस्त 2007 में 1732.42 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वस्त्र निर्यात कुल 1655.29 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ। इस प्रकार अमरीकी डालर में इसमें लगभग (-)4.5% की कमी दर्ज की गई। रुपए के रूप में अगस्त 2007 में 7071.96 करोड़ रु. की तुलना में अगस्त 2008 के दौरान, 7107.37 करोड़ रु. का निर्यात हुआ और इस प्रकार रुपए के रूप में इसमें 0.5% की मामूली सी वृद्धि हुई।

जनवरी-सितम्बर 2008 के दौरान भारत से वस्त्र एवं क्लोदिंग के आयातों में भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग के प्रमुख बाजार अमरीका के आयात संबंधी आंकड़ों में 0.8% की कमी दर्शाई गयी है।

इस कमी के कुछ कारणों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वित्तीय क्षेत्र में गिरावट और आर्थिक मंदी, कच्ची सामग्री की बढ़ती हुई लागतों के कारण उत्पादन की बढ़ती हुई लागत, विद्युत एवं अन्य इनपुट्स लागत हैं जिससे भारत में वस्त्र एवं परिधान एककों की लाभप्रदता तथा इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। इस उद्योग को प्रभावित करने वाला अन्य कारण धन की कमी भी है।

सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही बिक्री के कारण वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग में रोजगार की संभावित कमी के बारे में उद्योग एवं व्यापार संघों के अनुरोधों की जानकारी है। तथापि, अभी तक कोई विशिष्ट अथवा निश्चित संख्या सूचित नहीं की गई है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) डीईपीबी योजना को मई 2009 तक बढ़ाया गया।

(2) आईटी अधिनियम की धारा 10बी के तहत सरकार द्वारा 100% ईओयू को दिए जा रहे आयकर लाभ को 31.3.2009 के बाद एक वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है।

(3) ईपीसीजी योजना के तहत देय सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 3% किया गया।

(4) प्रीमियर ट्रेडिंग घराओं को ईपीसीजी के तहत औसत निर्यात बाध्यता की गणना, एक विकल्प के रूप में, वर्तमान 3 वर्षों की बजाय पिछले 5 वर्षों के निर्यात के औसत आधार पर करना।

(5) ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात बाध्यता के पूरा करने के लिए किए गए निर्यात, संवर्धनात्मक योजनाओं के तहत प्रोत्साहन/पुरस्कारों के पात्र होंगे।

(6) वस्त्र एवं ग्रेनाइट क्षेत्र की ईओयू के मामले में डीटीए बिक्री पर केवल उत्पाद शुल्क का भुगतान शुल्क अदा किए गए आयातित इनपुट्स के मामले में निर्यात के एफओबी मूल्य पर 3%।

(7) उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए 2.5% की बढ़ी हुई शुल्क ऋण स्क्रिप (एफपीएस के तहत सामान्य 1.25% की बजाय) अनुमत होगी।

(8) फोकस मार्केट योजना के क्षेत्र में 10 और देशों को शामिल करना।

(9) निर्यातकों की लेन-देन लागत को कम करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार ने 7 दिसंबर 2008 को एक राहत पैकेज घोषित किया है। जहां तक वस्त्र क्षेत्र का संबंध है, इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के पिछले संपूर्ण बैकलाग को निपटाने के लिए 1400 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन।

(2) हस्तशिल्प की सभी मदों को "विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीके एवं जीयूवाई)" में शामिल करना।

(3) 31.3.2009 तक सभी मदों पर यथा मूल्य सैनवेट दर में 4% की कटौती।

(4) पूर्व और पश्चशिपमैंट निर्यात ऋण पर न्यूनतम 7% प्रतिवर्ष की शर्त पर 31.3.2009 तक 2% की ब्याज सहायता।

(5) टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान।

(6) कठिन बाजारों में/कठिन उत्पादों के निर्यात के कवर के लिए ईसीजीसी को बढ़ी हुई बैकअप गारंटी।

(7) शुल्क वापसी योजना के तहत लाभ लेते समय निर्यात और साथ ही साथ आउटपुट सेवा पर सेवा कर वापिस लेने के लिए एफओबी लागत के 10% तक विदेशी एजेंट कमीशन पर सेवा कर वापसी।

एमटीएनएल/बीएसएनएल की बकाया धनराशि

***222. श्री रनेन बर्मन:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ तथा राज्य सरकार ने अनेक कार्यालयों और अन्य उपभोक्ताओं पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी कुल कितनी धनराशि की वसूली की जानी बाकी है; और

(ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा उक्त संगठनों से यह धनराशि एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) एमटीएनएल और बीएसएनएल का सकल बकाया देय अब तक उगाहे गए कुल बिलों का बहुत थोड़ा प्रतिशत (एमटीएनएल का लगभग 1.5% और बीएसएनएल का लगभग 2%) ही है।

30.9.2008 की स्थिति के अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड का संघ और राज्य सरकार के कार्यालयों और अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया देयों का विवरण निम्नानुसार है:

एमटीएनएल के बकाया का ब्यौरा (करोड़ रु.)

केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	रक्षा	निजी	कुल
14.12	2.57	3.03	1171.37	1191.09

बीएसएनएल के बकाया का ब्यौरा (करोड़ रु.)

केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	रक्षा	निजी	कुल
98.81	171.83	40.11	4993.83	5304.58

(ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं से राशि की वसूली के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:

(1) उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर और उसके बाद लिखित नोटिस देकर स्मरण कराया जाता है।

(2) बकाया देयों की यूनिट/सब-यूनिट स्तर पर नियमित मानीटरिंग होती है।

(3) वसूली के लिए प्राइवेट वसूली एजेंट नियुक्त किए जाते हैं।

(4) जहां आवश्यक होता है, बकाया देयों की वसूली के लिए अदालतों में मुकदमे भी दायर किए जाते हैं।

(5) बकाया देयों की वसूली के लिए समय-समय पर, छूट सहित, विभिन्न स्कीमें शुरू की जाती हैं।

(6) एमटीएनएल अधिक राजस्व वसूली के लिए, राजस्व आश्वासन कार्यक्रम और अभिसारित बिलिंग व्यवस्था लागू कर रहा है।

(7) बीएसएनएल ने विभिन्न राज्य सरकारों से भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन के लिए अनुरोध किया है ताकि राज्य द्वारा बीएसएनएल के बकाया देयों को भूमि राजस्व के रूप में मानते हुए बीएसएनएल के देयों की वसूली में राज्य सरकार की मदद ली जा सके।

पुराना खाद्यान्न भण्डार

*226. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री किन्जरपु येरनायडु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने देशभर के अपने गोदामों में पांच वर्ष से भी अधिक पुराने खाद्यान्नों का भंडार रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पुराने भंडारों के निपटान हेतु प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 546 टन खाद्यान्न पांच वर्ष से अधिक पुराने थे। 1.11.2008 को भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के कुल स्टाक में 5 वर्ष से अधिक पुराने वर्तमान स्टाक का प्रतिशत (0.0054%) नगण्य है। इस स्टाक के राज्यवार ब्यौरे और उनका निपटान न करने के कारण निम्नानुसार हैं-

क्षेत्र	जिंस	मात्रा (टन में)	फसल वर्ष	निपटान न करने का कारण
पंजाब	चावल	81	2001-02	मुकद्दमा
पंजाब	चावल	182	2001-02	मुकद्दमा
पंजाब	गेहूं	33	2001-02	पुलिस मामला
बिहार	चावल	250	1999-2000	मुकद्दमा

(ख) से (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्नों का पुराना स्टाक जारी कर दिया जाए, भारतीय खाद्य निगम 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धांत का अनुपालन करता है। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे पुराने स्टाक का शीघ्र निपटान करने के लिए न्यायालय में पड़े अनिर्णित/पुलिस मामलों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करें।

निजी टेलीकाम आपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें

*227. **श्री चंद्रकांत खैरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को निजी टेलीकाम आपरेटरों द्वारा भ्रामक सूचना दिए जाने सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनके स्वरूप सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) ट्राई में निजी प्रचालकों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष 2007-08	-	2063
वर्ष 2008-09 (अक्तूबर, 08 तक)	-	1358

मोटे तौर पर शिकायतें निम्नलिखित के संबंध में हैं:

(1) सेवा की गुणवत्ता

(2) बिलिंग और मीटरिंग

(3) जमानत जमाराशि की वापसी

(4) प्रशुल्क

(5) अवांछित वाणिज्यिक काल आदि

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में ऐसा कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है जिससे वे प्रचालकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई कर सकें। तथापि, ट्राई

में प्रचालकों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु सेवा प्रदाताओं को भेज दिया जाता है।

ट्राई के निदेश/विनियम/आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए ट्राई ने अक्तूबर, 2008 तक प्रचालकों को 23 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 13 नोटिसों का निपटारा हो चुका है।

प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने/शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक निदेश/आदेश/विनियम भी जारी किए हैं।

यू.ए.एस.एल. के अंतर्गत स्पेक्ट्रम का आबंटन

***232. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ कंपनियों को ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेन्स (यू.ए.एस.एल.) के अंतर्गत स्पेक्ट्रम प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रदान करने पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक (यूएएसएल) सभी सेवा प्रदाताओं को प्रारंभिक स्पेक्ट्रम का आबंटन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाता है। 2जी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आबंटित स्पेक्ट्रम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) न तो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने और न ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धांत पर कोई आपत्ति की है। तथापि, लाइसेंस जारी किए जाने और स्पेक्ट्रम का आबंटन किए जाने के लिए पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना प्रदान कर दी गई है।

विवरण

आबंटित जीएसएम स्पेक्ट्रम के ब्यौरे (2.12.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	प्रचालक	900 मेगाहर्ट्ज में आबंटन (कुल 25 मेगाहर्ट्ज)	1800 मेगाहर्ट्ज में आबंटन (कुल 75 मेगाहर्ट्ज)	कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	भारती	8.0	2.0	10.0
		वोडाफोन	8.0	2.0	10.0
		एमटीएनएल	6.2	6.2	12.4
		आइडिया		8.0	8.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		कुल	22.2	31.4	53.6

1	2	3	4	5	6
2.	मुंबई	वोडाफोन	8.0	2.2	10.2
		भारती		9.2	9.2
		एमटीएनएल	6.2	6.2	12.4
		आइडिया		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीपीएल	8.0	2.0	10.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	22.2	50.4	72.6
3.	कोलकाता	भारती	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		6.2	6.2
		डिशनेट		4.4	4.4
		वोडाफोन	7.8	2.0	9.8
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	40.2	60.4
4.	चेन्नई	वोडाफोन	6.2	1.8	8.0
		टीटीएसएल	0.0	4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		एयरसेल	6.2	2.4	8.6
		कुल	18.6	12.4	31.0

1	2	3	4	5	6
5.	महाराष्ट्र	भारती	0.0	7.2	7.2
		आइडिया	7.8	2.0	9.8
		रिलायंस	0.0	4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		एयरसेल लि.	0.0	4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	43.8	64.0
6.	गुजरात	वोडाफोन	7.8	2.0	9.8
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	1.2	7.4
		आइडिया	6.2	0.0	6.2
		भारती		6.2	6.2
		एयरसेल लिमिटेड		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		कुल	20.2	31.4	51.6
7.	आंध्र प्रदेश	वोडाफोन		6.2	6.2
		एयरसेल लिमिटेड		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		भारती	7.8	1.4	9.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0

1	2	3	4	5	6
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		अस्का		4.4	4.4
		स्पाइस		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	48.4	68.6
8.	कर्नाटक	भारती	7.8	2.2	10.0
		स्पाइस	6.2	0.0	6.2
		वोडाफोन		8.0	8.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		अस्का		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	49.2	69.4
9.	तमिलनाडु	भारती		8.6	8.6
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		रिलायंस		4.4	4.4
		एयरसेल लि.	7.8	2.0	9.8
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	45.2	65.4
10.	केरल	बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		भारती		6.2	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		अस्का		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	42.6	61.2
11.	पंजाब	वोडाफोन		6.2	6.2
		भारती	7.8	0.0	7.8
		स्पाइस	7.8	0.0	7.8
		बीएसएनएल	6.2	0.0	6.2
		रिलायंस		4.4	4.4
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		एचएफसीएल		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		कुल	21.8	28.2	50.0

1	2	3	4	5	6
12.	हरियाणा	भारती		6.2	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		आइडिया	6.2	0.0	6.2
		वोडाफोन		6.2	6.2
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	12.4	47.0	59.4
13.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारती		6.2	6.2
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		कुल	18.6	33.8	52.4
14.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारती	6.2	0.0	6.2
		वोडाफोन	6.2	1.8	8.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		आइडिया		6.2	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0

1	2	3	4	5	6
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्वॉन		4.4	4.4
		कुल	18.6	33.8	52.4
15.	राजस्थान	वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		आइडिया		6.2	6.2
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	1.8	8.0
		भारती	6.2	0.0	6.2
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		कुल	18.6	16.8	35.4
16.	मध्य प्रदेश	भारती		6.2	6.2
		वोडाफोन		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		एलायंज		4.4	4.4
		कुल	18.6	42.6	61.2
17.	पश्चिम बंगाल	भारती	4.4	1.8	6.2
		डिशनेट		4.4	4.4
		भारती	4.4	1.8	6.2

1	2	3	4	5	6
		रिलायंस	4.4	1.8	6.2
		बीएसएनएल	6.2	1.8	8.0
		कुल	19.4	11.6	31.0
18.	हिमाचल प्रदेश	वोडाफोन		4.4	4.4
		डिशनेट		4.4	4.4
		भारती	6.2	0.0	6.2
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		आइडिया		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एस. टेल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	39.0	57.6
19.	बिहार	भारती	6.2	2.0	8.2
	:	वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		एबीटीएल		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एस. टेल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		एलायंज		4.4	4.4
		कुल	18.6	47.2	65.8

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		भारती	6.2	1.8	8.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		नहान		4.4	4.4
		एस. टेल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	40.8	59.4
21.	असम	वोडाफोन		4.4	4.4
		भारती	1.8	4.4	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		डिशनेट	4.4	1.8	6.2
		कुल	18.6	14.4	33.0
22.	पूर्वोत्तर	भारती	4.4	0.0	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस	4.4	1.8	6.2
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4
		वोडाफोन		4.4	4.4
		कुल	19.4	10.0	29.4
23.	जम्मू व कश्मीर	वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	8.0	0.0	8.0
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4
		भारती	6.2	0.0	6.2
		कुल	18.6	8.8	27.4

30.11.2008 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सीडीएमए आधारित प्रणालियों का प्रयोग करने वाले प्रचालकों को आवंटित स्पेक्ट्रम

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	प्रचालक का नाम	सीडीएमए बैंड में आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा*	सीडीएमए बैंड (800 मेगाहर्ट्ज) में उपलब्ध स्पेक्ट्रम
1	2	3	4	4
1.	दिल्ली	महानगर टेलीफोन निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज# (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
2.	मुंबई	महानगर टेलीफोन निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज# (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
3.	कोलकाता	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज# (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
4.	चेन्नै	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज# (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
5.	आंध्र प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज# (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
6.	बिहार	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज# (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
7.	गुजरात	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	5.0+5.0 मेगाहर्ट्ज# (4 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	

1	2	3	4	4
8.	हरियाणा	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	5.0+5.0 मेगाहर्ट्ज# (4 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
9.	हिमाचल प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	7.5+7.5 मेगाहर्ट्ज (6 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
10.	जम्मू-कश्मीर	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	5.0+5.0 मेगाहर्ट्ज# (4 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
11.	केरल	भारत संचार निगम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
12.	कर्नाटक	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (2+1 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	**एक कैरियर अस्थाई है और
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज** (3+1 कैरियर)	जनवरी, 2009 तक वैध है।
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
13.	महाराष्ट्र	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज# (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
14.	मध्य प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	5.0+5.0 मेगाहर्ट्ज# (4 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
15.	उड़ीसा	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	6.25+6.25 मेगाहर्ट्ज (5 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	

1	2	3	4	4
16.	पंजाब	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज# (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कं.लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
17.	राजस्थान	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज# (2 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
18.	तमिलनाडु	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	5.0+5.0 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	5+5 मेगाहर्ट्ज (4 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
21.	पश्चिम बंगाल	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	6.25+.625 मेगाहर्ट्ज# (5 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज (3 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
22.	पूर्वोत्तर	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	7.5+7.5 मेगाहर्ट्ज (6 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
23.	असम	भारत संचार निगम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	7.5+7.5 मेगाहर्ट्ज (6 कैरियर)
		रिलायंस इंफोकॉम लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		टाटा टेलीसर्विसेज लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	
		श्याम टेलीलिंक लि.	2.5+2.5 मेगाहर्ट्ज (2 कैरियर)	

#उपलब्धता, सामन्जस्य के अध्यधीन।

सशस्त्र सेना अधिकरण

***233. श्री गणेश सिंह:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कार्मिकों की शिकायतों के निवारण में यह अधिकरण कितना सहायक होगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार ने सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन सेना कार्मिकों के कमीशन, नियुक्तियों, भर्ती और सेवा-शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों की सुनवाई तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत कोर्ट मार्शल के आर्डरों, निष्कर्षों या दण्डों से उत्पन्न अपीलों और उससे सम्बद्ध एवं प्रासंगिक मामलों के न्याय निर्णयन के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इस अधिकरण के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त, इस अधिकरण में प्रधान पीठ और क्षेत्रीय पीठों में 15 प्रशासनिक सदस्य और 14 न्यायिक सदस्य होंगे।

इस अधिकरण के पास सेवा मामलों के संबंध में मूल और अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं। इस अधिकरण के पास कोर्ट मार्शल के निर्णयों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी हैं।

यह अधिकरण सेना कार्मिकों की शिकायतों के तेजी से समाधान में सहायता करेगा।

संकर सरसों

***234. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैज्ञानिकों ने सरसों की एक संकर किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां संकर सरसों की खेती प्रयोग के तौर पर की गई है; और

(घ) ऐसी संकर किस्म की खेती से सरसों के तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। अनेक संकरों का विकास किया गया है जिनमें से एक संकर किस्म नामत: डीएमएच-1 को एनडीडीबी-दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है जिसे "फसल मानकों, कृषि फसलों हेतु किस्म की अधिसूचना और रिलीज करने की केन्द्रीय उप-समिति" के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस संकर को जारी करने की सिफारिश रिलीज एवं अधिसूचना समिति द्वारा दिनांक 26.11.2008 को आयोजित बैठक में की गई।

(ग) तोरिया-सरसों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत सरसों के संकरों के मूल्यांकन के लिए लुधियाना (पंजाब), हिसार (हरियाणा), भरतपुर, गंगानगर, कोटा, नवगांव मंडोर (राजस्थान), पंतनगर (उत्तराखण्ड), कानपुर (उत्तर प्रदेश), मुरैना (मध्य प्रदेश) और एस.के. नगर (गुजरात) में परीक्षण किए गए।

(घ) इन संकरों से तेल के उत्पादन में 10-15 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है।

भू-जल स्तर

***235. श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में भू-जल स्तर में चिन्ताजनक रूप से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने भू-जल स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) देश में भू-जल स्तर की पुन: पूर्ति तथा उसे बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं तथा ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या कार्य योजना तैयार की गयी है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा कराये गए अध्ययन के अनुसार वार्षिक पुनर्भरण से अधिक मात्रा में भूजल की निकासी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है।

सरकार ने भूजल स्तर के पुनर्भरण और इसके रखरखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

* "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक स्कीम का कार्यान्वयन।
* 2006-09 की अवधि के दौरान अभिज्ञात क्षेत्रों में "वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन।
* भूजल विनियमन और कृत्रिण पुनर्भरण के लिए जल संचयन को सुविधाजनक बनाने के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल बिल का परिचालन।
* दावाधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि जल सम्मेलन का आयोजन।
* दावाधारकों के बीच कृत्रिण पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए "भूजल के कृत्रिण पुनर्भरण" संबंधी सलाहकार परिषद का गठन।
* भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यू) का गठन।

सरकार ने 460.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 11वीं योजना के लिए "भूजल प्रबंधन और विनियमन" के लिए एक योजना अनुमोदित की है।

खाद्य संकट

***236. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन तथा कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत सहित विश्व में खाद्यान्नों की अल्प उपलब्धता और उनकी ऊंची कीमत के कारण खाद्य संकट उत्पन्न होने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) किफायती मूल्य पर देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खाद्य और कृषि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने नवम्बर, 2008 के अपने अद्यतन आकलन में दिखाया है कि 2008-09 के दौरान विश्व में अनाज उत्पादन चार वर्षों में पहली बार प्रत्याशित उपयोग से अधिक होगा जिससे वैश्विक स्टाक में रिकवरी का रास्ता बनेगा। हाल के महीनों में कई देशों में बेहतर आपूर्ति संभावना और वित्तीय स्थिति से अधिकांश अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर गिरावट का दबाव रहा है।

भारत में फिलहाल खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। सरकार ने भविष्य में भी खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपाय किए हैं। कृषि विभाग के अद्यतन अनुमानों के अनुसार 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन और उनकी उपलब्धता 2007-08 की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है।

खाद्य और कृषि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद के अनुसार विश्व उत्पादन, खपत, अन्तिम स्टाक और पिछले एक वर्ष की विभिन्न अवधियों में चुनिन्दा आवश्यक जिन्सों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार ने देश में उचित मूल्यों पर खाद्य स्टाक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम कालिक रणनीतिक पहलों के अलावा विभिन्न अल्पकालिक वित्तीय, प्रशासनिक तथा मुद्रा संबंधी उपाय किए हैं।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी-2008-09, पूर्वानुमान, जीएमआर दिनांक 27.11.2008)

जिन्स	उत्पादन	खपत	व्यापार	इतिशेष स्टाक
गेहूं	683	650	117	150
मक्का	775	790	85	114

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ-2007-08, पूर्वानुमान-फूड आउटलुक नवम्बर, 2008)

जिन्स	उत्पादन	खपत	व्यापार	इतिशेष स्टाक
गेहूं	677	643.3	119	186
चावल	450.2	444.4	30.5	115.4
मोटे अनाज	1114.2	1109.2	114.5	172

चुनिन्दा जिन्सों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (4.12.2008 की स्थिति के अनुसार)

मद	केन्द्र यूनिट	मूल्य* (4.12.08)	एक पखवाड़ा पूर्व	एक माह पूर्व	छ: माह पूर्व	एक वर्ष पूर्व
चावल	एफएएस, यूएस गल्फ यूएस डालर प्रति टन	1010	1040	1040	1020	480
गेहूं	सीबीओटी यूएस डालर प्रति टन	171.9	187.0	206.5	275.8	321.6
मक्का	सेंट लुइस यूएस डालर प्रति टन	102.9	122.7	120.1	220.4	145.9
चना	आस्ट्रेलियाई डालर	375-400	350-370	400-410	600-650	570-580
उड़द	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	455-550	550-575	540-590	580-610	605-610
तूर	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	480-540	560-590	630-650	600-640	530-570
मसूर	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	925-950	950-975	950-975	680-700	610-650
मूंग	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	480-525	480-525	610-680	640-690	650-695
पीली मटर	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	360-375	360-375	400-405	580-585	350-385
दून मटर	यूएस डालर प्रति टन सीएनएफ	390-400	390-425	460-470	565-580	350-365

*स्रोत: रिउटर्स, नेफेड; 2.12.2008 की स्थिति के अनुसार चावल का मूल्य, 3.12.08 की स्थिति के अनुसार दालों का मूल्य

[हिन्दी]

कृषि राजसहायता

***237. श्री अजीत जोगी:**
श्री के. सुब्बारायण:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को उनकी जोत भूमि के आकार के आधार पर राजसहायता प्रदान करने के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र में राजसहायता को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार उर्वरकों, बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, मशीनरी, फसल बीमा के प्रीमियम आदि पर राजसहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न जारी योजनाओं नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वृहत प्रबंधन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी मिशन आदि के अंतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/रियायत भी प्रदान करती है। इन प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटन/अनुदान संलग्न विवरण-I से X में दिए गए हैं। उर्वरक पर राजसहायता उत्पादकों/आयातकों को प्रदान की जाती है, जिसका लाभ सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित बिक्री मूल्यों के माध्यम से किसानों को प्राप्त होता है। उर्वरक हेतु भुगतान की गई/देय राजसहायता की वर्षवार राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल व्यय की गई/देय राजसहायता
2005-06	18299
2006-07	25952
2007-08	40338
2008-09*	113309

*अनुमानित

(ग) से (च) अनेक कार्यक्रमों/स्कीमों में छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभ को ध्यान में रखते हुए राजसहायता को जोत भूमि के आकार के आधार पर सीमित किया गया है। राजसहायता किसानों द्वारा अपनी उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके द्वारा वास्तविक उपयोग के आधार पर तथा निवेशों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति

(करोड़ रुपयों में)

(10.12.2008 के अनुसार)

राज्य	चावल		गेहूं		दलहन		प्रचार		स्थानीय पहल						कुल आबंटन	कुल निर्मुक्त राशि
									चावल		गेहूं		दलहन			
	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	26.40	11.92	00.00	00.00	29.38	14.17	1.00	1.00	5.92	2.97	00.00	00.00	5.93	2.96	68.63	33.01
असम	26.27	12.37	00.00	00.00	00.00	00.00	0.20	0.20	6.16	3.08	00.00	00.00	00.00	00.00	32.63	15.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	21.57	14.98	27.71	5.33	18.77	12.45	00.00	00.00	7.58	3.79	7.58	3.79	7.59	3.79	90.80	44.14
छत्तीसगढ़	31.51	20.80	00.00	00.00	48.43	31.06	00.00	00.00	3.79	1.90	00.00	00.00	3.79	1.90	87.52	55.66
गुजरात	1.77	1.41	6.80	1.09	4.52	1.70	0.41	0.10	2.69	1.34	2.69	1.34	2.68	1.34	21.55	8.33
हरियाणा	00.00	00.00	20.59	1.24	0.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4.94	2.10	0.75	0.75	27.21	4.09
झारखंड	10.40	8.32	00.00	00.00	00.00	00.00	0.30	0.30	2.37	1.19	00.00	00.00	00.00	00.00	13.07	9.81
कर्नाटक	14.65	7.02	00.00	00.00	11.18	3.17	0.50	0.50	4.74	2.37	00.00	00.00	4.74	2.37	35.81	15.43
केरल	1.89	1.51	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.89	1.51
मध्य प्रदेश	12.36	9.89	52.43	21.91	42.30	19.78	00.00	00.00	8.53	4.26	8.53	4.27	8.53	4.27	132.69	64.38
महाराष्ट्र	10.32	7.72	8.31	5.96	31.11	16.32	1.53	1.25	4.74	2.37	4.74	2.37	4.74	2.37	65.50	38.36
उड़ीसा	32.02	21.23	00.00	00.00	25.08	17.03	0.81	0.70	8.00	2.96	00.00	00.00	3.85	2.97	69.76	44.88
पंजाब	00.00	00.00	37.54	22.85	0.54	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.56	1.78	3.56	1.78	45.19	26.40
राजस्थान	00.00	00.00	20.94	4.85	5.42	00.00	1.48	0.75	00.00	00.00	7.11	3.56	7.11	3.55	42.06	12.71
तमिलनाडु	37.15	21.52	00.00	00.00	2.12	00.00	0.50	0.50	4.03	2.02	00.00	00.00	4.03	2.01	47.82	26.05
उत्तर प्रदेश	48.42	38.74	94.47	51.27	24.76	14.54	00.00	00.00	12.32	6.16	12.32	6.16	12.32	6.16	204.60	123.02
पश्चिम बंगाल	46.33	30.98	3.00	0.26	13.00	8.54	00.00	00.00	2.69	1.34	2.69	1.34	2.69	1.35	70.39	43.81
कुल	321.06	208.41	271.79	114.76	257.54	138.76	6.73	5.30	73.56	35.75	54.16	26.71	72.31	37.57	1057.12	567.24
आई.आई.पी.आर. कानपुर	00.00	00.00	00.00	00.00	15.00*	3.15										3.15
आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.	00.00	00.00	00.00	00.00	1.61	0.47										0.47
					2.38	1.00										1.00
एन.एस.सी. बीज मिनीकिट	-	00.00	-	0.03	00.00	00.00										00.03#
एस.एफ.सी.आई. बीज मिनीकिट	-	00.00	-	0.31	00.00	00.00										0.31@
एस.एस.सी.एस. बीज मिनीकिट	-	00.00	-	00.00	00.00	00.00										00.00
एस.एफ.सी.आई. (दालों के बीज उत्पादन के लिए)	00.00	00.00	00.00	00.00	20.78	10.00									20.78	10.00
केन्द्रीय स्तर पर प्रचार के साथ अन्य व्यय																20.58
महायोग																602.78

*11वीं योजना अवधि के दौरान एसएमएसएम-दलहन के अधीन 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है (प्रजनक बीज उत्पादन के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर पर 10.00 करोड़ रुपए और प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर 5 करोड़ रुपए)

@वर्ष 2007-08 के दौरान नेशनल बीज मिनीकिट की आपूर्ति के लिए एसएफसीआई को 31.20 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

#वर्ष 2007-08 के दौरान नेशनल बीज मिनीकिट की आपूर्ति के लिए एनएससी को 3.00 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

एन.एफ.एस.एम. वर्ष 2007-08 के दौरान निर्मुक्त निधियों और व्यय की गई राशि

2007-08 के दौरान एन.एफ.एस.एम. के अधीन कुल आबंटन : 398.75 करोड़ रुपए

2007-08 के दौरान निर्मुक्ति : 398.73 करोड़ रुपए

(करोड़ रुपए में)

राज्य	चावल			गेहूं			दलें			प्रचार			महायोग		
	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	खर्च न किया गया बकाया	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	खर्च न किया गया बकाया	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	खर्च न किया गया बकाया	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	खर्च न किया गया बकाया	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	खर्च न किया गया बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	15.75	6.55	9.20	0.00	0.00	0.00	28.11	18.76	9.35	0.76	0.76	0.00	44.62	26.07	18.55
असम	11.24	8.75	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	11.40	8.90	2.49
बिहार	2.63	0.34	2.28	28.92	12.08	16.84	3.38	0.82	2.56	1.38	0.07	1.31	36.30	13.31	23.00
छत्तीसगढ़	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	9.63	1.96	7.67	0.51	0.19	0.49	14.55	1.98	12.58
गुजरात	0.00	0.00	0.00	4.80	0.46	4.35	2.26	0.34	1.92	0.31	0.00	0.31	7.37	0.79	6.58
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	18.38	3.14	15.24	2.15	0.15	2.00	0.62	0.33	0.30	21.15	3.62	17.54
कर्नाटक	2.42	0.76	1.65	0.00	0.00	0.00	5.11	1.11	4.00	0.34	0.34	0.00	7.87	2.21	5.66
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	26.12	6.09	20.03	16.94	2.88	14.06	3.06	0.00	3.06	46.12	8.97	37.15
महाराष्ट्र	0.87	0.33	0.54	3.97	3.28	0.69	8.58	3.37	5.21	0.72	0.44	0.28	14.14	7.42	6.72
उड़ीसा	6.46	2.08	4.38	0.00	0.00	0.00	4.57	1.53	3.04	0.31	0.21	0.11	11.34	3.81	7.52
पंजाब	0.00	0.00	0.00	31.08	24.09	7.18	0.66	0.12	0.54	1.14	0.08	1.06	32.88	24.29	8.59
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	15.01	3.11	11.90	8.53	0.65	7.88	1.05	0.32	0.73	24.59	4.08	20.51
तमिलनाडु	9.10	0.90	8.17	0.00	0.00	0.00	3.46	0.51	2.95	0.25	0.25	0.00	12.81	1.67	11.14
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	70.79	46.48	24.31	8.41	3.15	5.26	4.59	0.01	4.58	83.79	49.64	34.15
पश्चिम बंगाल	6.09	5.96	0.14	4.27	2.13	2.14	1.86	1.14	0.72	0.78	0.01	0.77	13.00	9.23	3.77
कुल	58.97	25.67	33.27	203.34	100.86	102.68	103.65	36.49	67.16	15.98	2.98	13.00	381.93	165.99	215.95
आई.आई.पी.आर. कानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06
आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88
एन.एस.सी. (बीज मिनीकिट-गेहूं)	0.00	0.00	0.00	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	3.27	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
एस.एफ.सी.आई. (बीज मिनीकिट-गेहूं)	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
विस्तार निदेशालय (केन्द्र स्तर पर प्रचार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
महायोग	58.97	25.67	33.27	208.21	105.73	102.68	105.59	36.49	69.10	25.98	12.98	13.00	398.73	180.85	217.88

विवरण II

2008-09 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति

(रुपये करोड़)

(8.12.2008 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम राज्य	योग्य/अयोग्य राज्य	कुल आबंटन	कुल जारी की गई राशि				
				स्ट्रीम I	स्ट्रीम II	डीएपी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	योग्य	316.57	104.91	27.65		132.56	
2.	अरुणाचल प्रदेश #	अयोग्य	6.88					
3.	असम	योग्य	142.62	57.79	13.52	1.50	72.81	
4.	बिहार	योग्य	148.54	58.17	16.10		74.27	
5.	छत्तीसगढ़	योग्य	116.48	45.28	12.96	1.70	59.94	
6.	गोवा #	अयोग्य	6.91					
7.	गुजरात	योग्य	243.39	91.27	23.24		114.51	
8.	हरियाणा	योग्य	74.00	31.34	8.16		39.50	
9.	हिमाचल प्रदेश	योग्य	15.11	5.67	2.52		8.19	
10.	जम्मू-कश्मीर #	अयोग्य	16.17			1.20	1.20	
11.	झारखंड	योग्य	58.62		10.46		10.46	
12.	कर्नाटक	योग्य	316.57	109.69	47.38		157.07	
13.	केरल	योग्य	60.11		4.8		4.80	
14.	मध्य प्रदेश	योग्य	146.05	40.74	19.29		60.03	
15.	महाराष्ट्र	योग्य	269.63		24.20		24.20	
16.	मणिपुर #	अयोग्य	4.14			0.90	0.90	
17.	मेघालय	योग्य	13.53	4.78	1.99		6.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम #	अयोग्य	4.29			0.80	0.80	
19.	नागालैंड	योग्य	13.89		0.99		0.99	
20.	उड़ीसा	योग्य	115.44	36.36	11.37		47.73	
21.	पंजाब	योग्य	87.52	34.71	9.05		43.76	
22.	राजस्थान	योग्य	233.75	91.93	24.95		116.88	
23.	सिक्किम	योग्य	11.37	4.22	1.46		5.68	
24.	तमिलनाडु	योग्य	140.38	51.41	18.78		70.19	
25.	त्रिपुरा	योग्य	34.02	12.25	3.83		16.08	
26.	उत्तर प्रदेश	योग्य	316.57	109.00	49.29		158.29	
27.	उत्तराखण्ड #	अयोग्य	20.60					
28.	पश्चिम बंगाल	योग्य	147.38	59.49	16.52		76.01	
	राज्यों का कुल योग		3080.53	949.01	348.51	6.10	1303.62	
	संघ शासित प्रदेश							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग्य	6.43		0.31	0.10	0.41	
2.	चंडीगढ़	योग्य	2.2		0.14		0.14	
3.	दादरा एवं नगर हवेली #	अयोग्य	0.61					
4.	दमन एवं दीव	योग्य	1.42		0.16	0.10	0.26	
5.	दिल्ली #	अयोग्य	1.83					
6.	लक्षद्वीप	योग्य	12.08		1.03	0.10	1.13	
7.	पुडुचेरी #	अयोग्य	6.67					
	कुल संघ शासित राज्य		31.24		1.64	0.30	1.94	
	जिला कृषि प्लान		53.90					
	एन आई आर डी						0.50	
	प्रशासनिक आनुषंगिकता					6.40	0.03	
	महायोग		3165.67	949.01	350.15	6.40	1306.09	41.26

#वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन राज्यों की निर्धारित पात्रता के लिए मापदण्ड के अनुसार छ: राज्य- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम तथा उत्तराखण्ड एवं तीन संघ राज्य क्षेत्र- दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली और पुडुचेरी अयोग्य थे। इस तरह से इन राज्यों/संघ शासित राज्यों को वर्ष 2008-09 के दौरान पात्र होने के लिए और उपर्युक्त आवंटन तक पहुंच बनाने के लिए बजट अनुमान या संशोधित अनुमान स्तर पर निम्नानुसार उनके नाम के सामने दिये गए हिसाब से राज्य योजना में कृषि संबद्ध क्षेत्रों के अधीन प्रतिशतता अंश मुहैया कराना। अरुणाचल प्रदेश-7.20%, गोवा-3.98%, जम्मू कश्मीर-6.15%, मणिपुर-3.15%, मिजोरम-10.3%, उत्तराखण्ड-10.25%, संघ शासित राज्य- दादरा एवं नगर हवेली-9.71%, दिल्ली-0.39% एवं पुडुचेरी-8.49%। केरल-25.26 करोड़ तथा महाराष्ट्र-62.03 करोड़ रुपये (कुल 87.29 करोड़ रुपये)। पहलें आईएफडी को प्रस्तुत की गई हैं। झारखण्ड के मामले में 2007-08 के दौरान जारी की गई निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया, राज्य सरकार वर्ष 2007-08 में चालू वर्ष में पहली बार में ही निर्मुक्त 53.78 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी।

2007-08 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति

(रुपये करोड़)

क्र.सं.	राज्य का नाम राज्य	योग्य/अयोग्य राज्य	कुल आबंटन	कुल जारी की गई राशि			
				स्ट्रीम I	स्ट्रीम II	डीएपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	योग्य	93.13	59.08		2.00	61.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	योग्य	2.85		0.30	1.60	1.90
3.	असम*	अयोग्य	23.77				0.00
4.	बिहार	योग्य	64.02	39.22	15.15	3.40	57.77
5.	छत्तीसगढ़	योग्य	60.54	52.96			52.96
6.	गोवा	योग्य	2.29	1.00	0.50	0.20	1.70
7.	गुजरात	योग्य	53.71	35.11	12.50	2.20	49.81
8.	हरियाणा	योग्य	23.12	14.32	5.30	1.90	21.52
9.	हिमाचल प्रदेश	योग्य	17.39	11.00	4.07	1.10	16.17
10.	जम्मू-कश्मीर*	अयोग्य	6.85				0.00
11.	झारखंड	योग्य	61.66	39.03	14.75	1.90	55.68
12.	कर्नाटक	योग्य	171.97	110.00	42.00	2.30	154.30
13.	केरल	योग्य	61.41	39.15	15.05	1.20	55.40
14.	मध्य प्रदेश	योग्य	110.01	71.12	26.00	4.50	101.62
15.	महाराष्ट्र	योग्य	142.20	90.60	34.50	3.10	128.20
16.	मणिपुर*	अयोग्य	1.35				0.00
17.	मेघालय	योग्य	7.00	5.67		0.70	6.37
18.	मिजोरम*	अयोग्य	1.05				0.00
19.	नागालैंड	योग्य	9.45		2.09	1.10	3.19
20.	उड़ीसा	योग्य	46.59	25.85	10.75	2.70	39.30
21.	पंजाब	योग्य	39.85	25.15	9.00	1.90	36.05
22.	राजस्थान	योग्य	71.68	35.96	17.00	2.80	55.76
23.	सिक्किम	योग्य	2.77	1.78	0.59	0.40	2.77
24.	तमिलनाडु	योग्य	188.21	104.70	46.00	2.90	153.60

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	योग्य	4.69	2.84	1.12	0.20	4.16
26.	उत्तराखण्ड	योग्य	30.54	20.66	6.49	1.10	28.25
27.	उत्तर प्रदेश	योग्य	116.15	70.30	27.00	6.60	103.90
28.	पश्चिम बंगाल	योग्य	60.87	38.68	14.75	1.50	54.93
	कुल राज्य		1475.12	894.18	304.91	47.30	1246.39
	संघ शासित प्रदेश						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग्य	9.52				
2.	चंडीगढ़	योग्य	0.22				
3.	दादरा और नगर हवेली	योग्य	0.25			0.10	
4.	दमन और दीव						
5.	दिल्ली	योग्य	0.56			0.10	0.10
6.	लक्षद्वीप	योग्य	0.92			0.10	
7.	पुडुचेरी	योग्य	3.13			0.40	0.40
	कुल संघ शासित राज्य		14.58			0.70	0.50
	जिला कृषि प्लान		10.30				
	महायोग		1500.00	894.18	304.91	48.00	1246.89

*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों की योग्यता निर्धारण हेतु मानदण्डों के अनुसार, चार राज्य- असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर तथा मिजोरम अयोग्य थे। चूंकि इन राज्यों ने 2007-08 के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के तहत अतिरिक्त परिव्यय प्रदान नहीं किये हैं अतः उन्हें निधियां जारी नहीं की गई।

विवरण III

वर्ष 2008-09 के दौरान संशोधित कृषि वृहत प्रबंधन स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति

(11.12.2008 के अनुसार)
(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	केन्द्रीय आवंटन (90%)	राज्य अंश (10%)	कुल आवंटन	निम्न दिनांक को कार्य योजना वार्ता	अनुमोदित कार्य योजना की राशि	कार्य योजना की बकाया राशि	पहली निर्मुक्ति	दूसरी निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	राज्य										
1.	आंध्र प्रदेश	6535.00	726.11	7261.11	10.6.2008	7261.11	0.00	3267.50	161.22	3428.72	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2050.00	0.00	2050.00	18.7.2008	2050.00	0.00	1025.00	1025.00	2050.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	1625.00	0.00	1625.00	22.7.2008	1625.00	0.00	812.50			
4.	बिहार	3900.00	433.33	4333.33	23.5.2008	4333.33	0.00	1950.00	1293.03	3243.03	
5.	छत्तीसगढ़	2170.00	241.11	2411.11	24.4.2008	2411.11	0.00	1085.00	1085.00	2170.00	
6.	गोवा	100.00	11.11	111.11	24.4.2008	111.11	0.00	50.00			आई.एफ.डी. को प्रस्तावित
7.	गुजरात	3645.00	405.00	4050.00	6.6.2008	4050.00	0.00	1822.50	1822.50	3645.00	
8.	हरियाणा	1690.00	187.78	1877.78	17.4.2008	1877.78	0.00	845.00	845.00	1690.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	2000.00	222.22	2222.22	13.5.2008	2222.22	0.00	1000.00	985.09	1985.09	
10.	जम्मू और कश्मीर	3660.00	406.67	4066.67	25.6.2008	4066.67	0.00	1830.00			
11.	झारखण्ड	1065.00	118.33	1183.33	11.6.2008	1183.33	0.00	532.50			
12.	कर्नाटक	5025.00	558.33	5583.33	16.4.2008	5583.33	0.00	2512.50			
13.	केरल	1275.00	141.67	1416.67	14.5.2008	1416.67	0.00	637.50			
14.	मध्य प्रदेश	6285.00	698.33	6983.33	12.6.2008	6983.33	0.00	3142.50			
15.	महाराष्ट्र	9275.00	1030.56	10305.56	7.5.2008	10305.56	0.00	4637.50	4221.35	8858.85	
16.	मणिपुर	2050.00	0.00	2050.00	25.4.2008	2050.00	0.00	1025.00	1025.00	2050.00	
17.	मेघालय	1425.00	0.00	1425.00	14.7.2008	1038.82	386.18	712.50			
18.	मिजोरम	2325.00	0.00	2325.00	25.4.2008	2219.25	105.75	1162.50			
19.	नागालैंड	2325.00	0.00	2325.00		1804.64	520.36	1162.50			
20.	उड़ीसा	3280.00	364.44	3644.44	4.6.2008	3644.44	0.00	1640.00			
21.	पंजाब	1750.00	194.44	1944.44	22.7.2008	1944.44	0.00	875.00			
22.	राजस्थान	5750.00	638.89	6388.89	27.5.2008	6388.89	0.00	2875.00			
23.	सिक्किम	1850.00	0.00	1850.00	28.4.2008	1850.00	0.00	925.00	925.00	1850.00	
24.	तमिलनाडु	3460.00	384.44	3844.44	16.4.2008	3844.44	0.00	1730.00	1730.00	3460.00	
25.	त्रिपुरा	1850.00	0.00	1850.00	11.6.2008	1100.00	750.00	925.00			
26.	उत्तर प्रदेश	11375.00	1263.89	12638.89	28.4.2008	10559.93	2078.96	5687.50			
27.	उत्तराखंड	2300.00	255.56	2555.56	15.5.2008	2555.56	0.00	1150.00	1150.00	2300.00	
28.	पश्चिम बंगाल	4425.00	491.67	4916.67	18.7.2008	2891.07	2025.60	2212.50			
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
30.	पुदुचेरी	35.00	0.00	35.00		20.00	15.00	17.50			
	उप जोड़ क	94500.00	8773.89	103273.89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ख.	संघ शासित प्रदेश विधायी के बिना										
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.00	0.00	8.00		8.00	0.00	4.00			
2.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
3.	दादरा एवं नगर हवेली	6.00	0.00	6.00		6.00	0.00	3.00		0.00	
4.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
5.	लक्षद्वीप	6.00	0.00	6.00		6.00	0.00	3.00	3.00	6.00	
	उप जोड़ ख	20.00	0.00	20.00							
ग.	प्रत्यक्ष घोषित घटक										
1.	फसल	175.00	0.00	175.00				50.50			
2.	एन आर एम	30.00	0.00	30.00							
3.	आर.एफ.एस.	272.00	0.00	272.00							
4.	एम एम	3.00	0.00	3.00							
	उप जोड़ ग	480.00		480.00							
	सकल जोड़ (क+ख+ग)	95000.00	8773.89	103773.89		97412.03		47310.50	16271.19	63581.69	66.93

टिप्पणी: समस्त प्रदत्त राज्य

1. कुल आवंटन हेतु खर्च योजना प्रस्ताव पश्चिम बंगाल से (रुपए 20.26) अभी प्राप्त किया जाना है।

2. राज्य जिनके पास दिसंबर 1.4.2008 को बड़ी मात्रा में बिना खर्च की हुई धनराशि शेष है वे हैं, आंध्र प्रदेश, (36.26 करोड़ रुपए), बिहार 8.97 करोड़ रुपए), जम्मू-कश्मीर (9.76 करोड़ रुपए), झारखण्ड (15.21 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (9.63 करोड़ रुपए), केरल (15.15 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (17.30 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (16.61 करोड़ रुपए), उड़ीसा (23.29 करोड़ रुपए), राजस्थान (39.83 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (12.92 करोड़ रुपए)।

वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आवंटन/निर्मुक्तियां

(लाख रुपए में)
(12.11.2008 की अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2007-08	1.4.2007 तक बकाया जो खर्च नहीं हुआ	पहली निर्मुक्तियां 2007-08	दूसरी निर्मुक्तियां	अतिरिक्त निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति 2007-08	कुल उपलब्ध निधियां	31.3.08 तक व्यय	1.4.08 तक बकाया जो खर्च नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5200.00	2866.58	2600.00	154.42	1889.40	4643.82	7510.40	3884.12	3626.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	2650.00	124.48	1325.00	1325.00		2650.00	2774.48	2527.02	247.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	2050.00	238.03		1594.64		1594.64	1832.67	1629.64	203.03
4.	बिहार	2400.00	39.45	1200.00	1200.00	642.14	3042.14	3081.59	2184.62	896.97
5.	छत्तीसगढ़	2350.00	122.57	1175.00	1175.00	105.48	2455.48	2578.05	2461.09	116.96
6.	गोवा	300.00	49.97	150.00	126.03	156.6	432.63	482.60	304.75	177.85
7.	गुजरात	4350.00	0.00	2175.00	2175.00	1421.7	5771.65	5771.65	5382.86	388.79
8.	हरियाणा	2250.00	73.11	1125.00	1125.00		2250.00	2323.11	2323.11	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2300.00	289.12	1150.00	1064.88		2214.88	2504.00	2259.00	244.91
10.	जम्मू-कश्मीर	4240.00	1211.85	1120.00	1434.04		2554.04	3765.89	2790.13	975.76
11.	झारखंड	1700.00	283.83	850.00			850.00	1133.83	479.80	654.03
12.	कर्नाटक	7010.00	659.35	3505.00	3444.65	397.23	7346.88	8006.23	7165.66	840.57
13.	केरल	3450.00	1831.49	1725.00			1725.00	3556.49	2041.01	1515.48
14.	मध्य प्रदेश	6500.00	2135.29	3250.00	1539.92		4789.92	6925.21	5194.85	1730.36
15.	महाराष्ट्र	12450.00	1288.37	6225.00	5809.63		12034.63	13323.00	11661.85	1661.15
16.	मणिपुर	2650.00	0.00	1325.00	1325.00	659.25	3309.25	3309.25	3309.25	0.00
17.	मिजोरम	3000.00	223.00	1500.00	1200.00	300.00	3000.00	3223.00	2764.28	458.72
18.	मेघालय	1850.00	137.67	925.00			925.00	1062.67	1062.23	0.44
19.	नागालैंड	3000.00	0.00	1500.00	729.22	154.78	2384.00	2384.00	2384.00	0.00
20.	उड़ीसा	3300.00	322.89	1650.00	1582.11	504.00	3736.11	4059.00	1729.91	2329.09
21.	पंजाब	1300.00	1043.01	650.00			650.00	1693.01	1575.54	117.47
22.	राजस्थान	8600.00	1503.58	4300.00	3535.42		7835.42	9339.00	5356.56	3982.44
23.	सिक्किम	2400.00	254.54	1200.00	1135.46		2335.46	2590.00	2365.46	224.54
24.	तमिलनाडु	5450.00	64.21	2725.00	2725.00	1212.5	6662.51	6726.72	6298.60	428.12
25.	त्रिपुरा	2400.00	1294.05	1200.00	105.95	138.85	1444.8	2738.85	2539.07	199.78
26.	उत्तर प्रदेश	8100.00	1663.73	4050.00	3103.27		7153.27	8817.00	7525.24	1291.76
27.	उत्तराखण्ड	2650.00	513.13	1325.00	1028.87		2353.87	2867.00	2661.95	205.05
28.	पश्चिम बंगाल	3500.00	584.79	1750.00	1484.21	130.00	3364.21	3949.00	2985.30	963.70
29.	दिल्ली	50.00	75.90				0.00	75.90		75.90
30.	पुडुचेरी	50.00	5.30	25.00			25.00	30.30	10.50	19.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40.00	14.18	20.00			20.00	34.18	19.52	14.66
32.	चण्डीगढ़		0.00				0.00	0.00		0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	30.00	2.02	10.00			10.00	12.02	5.73	6.29
34.	दमन और दीव		0.00				0.00	0.00		0.00
35.	लक्षद्वीप	30.00	1.04	15.00			15.00	16.04	15.00	1.04
	कुल	107600.00	18916.53	51750.00	40122.72	7711.89	99579.61	118496.14	94897.74	23598.40
	प्रत्यक्ष पोषित घटक	1,400.00					546.50	546.50	546.50	
	दामोदर घाटी निगम	10,00.00					0.00			
	महायोग	1,10,000.00					100126.11	119042.64	95444.24	23598.40

कृषि का वृहत प्रबंधन

(रुपए लाख में)
(31.3.2007 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006-07 हेतु आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	1.4.2006 को बकाया जो खर्च नहीं हुआ	2006-07 में कुल केंद्रीय निर्मुक्ति	उपलब्ध कुल निधियां	2006-07 के दौरान व्यय	1.4.2007 को बकाया जो खर्च नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4210.00	2807.00	6191.27	2541.54	8732.81	**5866.23**	2866.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	2200.00		71.34	2200.00	2271.34	**2126.55**	144.79
3.	असम	2000.00		1153.81	1000.00	2153.81		2153.81
4.	बिहार	2170.00		558.63	1564.37	2123.00	**2083.55**	39.45
5.	छत्तीसगढ़	2300.00	744.00	1789.84	1129.76	2919.60	**2797.03**	122.57
6.	गोवा	260.00	236.50	83.17	385.77	468.94	**418.97**	49.97
7.	गुजरात	2810.00	2408.00	3240.98	2330.84	5571.82	**5571.82**	0
8.	हरियाणा	2040.00	660.00	16.63	2700.00	2716.63	**2643.52**	73.11
9.	हिमाचल प्रदेश	2040.00	860.00	162.90	2770.59	2933.49	**2644.37**	289.12
10.	जम्मू और कश्मीर	4000.00	1103.00	366.31	3351.50	3717.81		3717.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	1660.00		374.54	830.00	1204.54		1204.54
12.	कर्नाटक	5990.00	1000.00	1847.76	5214.24	7062.00	**6402.65**	659.35
13.	केरल	3060.00	350.00	3909.87	1350.00	5259.87	**3428.38**	1831.49
14.	मध्य प्रदेश	4980.00	1473.00	2051.07	3963.00	6014.07	**3878.78**	2135.29
15.	महाराष्ट्र	8730.00	3500.00	1163.70	11751.30	12915.00	**11626.63**	1288.37
16.	मणिपुर	2200.00		154.91	2200.00	2354.91	**2200.00**	154.91
17.	मिजोरम	2500.00	50.00	1158.64	2300.00	3458.64	482.57	2976.07
18.	मेघालय	1800.00		229.63	900.00	1129.63	**991.96**	137.67
19.	नागालैंड	2500.00	40.00	355.50	2221.04	2576.54	1893.50	683.04
20.	उड़ीसा	2550.00	1000.00	477.82	3550.00	4027.82	1460.52	2567.3
21.	पंजाब		426.00	2099.05	426.00	2525.05	**1482.04**	1043.01
22.	राजस्थान	7390.00	2346.00	2863.28	8212.55	11075.83	2193.94	8881.89
23.	सिक्किम	1900.00	100.00	78.11	2000.00	2078.11	**1823.57**	254.54
24.	तमिलनाडु	4590.00	1747.70	218.27	6337.70	6555.97	6231.98	323.99
25.	त्रिपुरा	2000.00		1147.30	2000.00	3147.30	**1853.25**	1294.05
26.	उत्तर प्रदेश	7400.00	290.00	2945.76	5668.14	8613.90	**6950.17**	1663.73
27.	उत्तरांचल	2170.00	974.37	14.93	3144.37	3159.30	2878.70	280.6
28.	पश्चिम बंगाल	3190.00		160.00	3190.00	3350.00	**2765.21**	584.79
29.	दिल्ली			75.90	0.00	75.90	0.00	75.90
30.	पुडुचेरी	0.00		12.52	0.00	12.52	7.25	5.27
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00		1.68	25.00	26.68	12.50	14.18
32.	चंडीगढ़			0.00	0.00	0.00		0
33.	दादरा और नगर हवेली	10.00		0.15	5.00	5.15	**3.13**	2.02
34.	दमन और दीव			0.00	0.00	0.00		0
35.	लक्षद्वीप	25.00		0.00	12.5	12.50	**11.46**	1.04
	कुल	88700.00	22115.57	34975.27	85275.21	120250.48	82730.23	37520.25

व्यय संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना पर आधारित हैं।

बोल्ड में
आंकड़े
(यूसी प्राप्त)

कृषि का वृहत प्रबंधन

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06 हेतु आवंटन	1.4.2005 को बकाया जो खर्च नहीं हुआ	2005-06 हेतु पहली किस्त के रूप में केन्द्रीय सहायता	दूसरी किस्त में जारी केन्द्रीय सहायता	कुल निर्मुक्तियां	उपलब्ध कराई गयी कुल निधियां	अतिरिक्त निर्मुक्तियां	1.4.2006 को बकाया जो खर्च नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3300.00	1577.31	1650.00	432.69	7707.69	9285.00	5625.00	6191.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1420.00	532.03	710.00	710.00	1420.00	1952.03		71.34
3.	असम	1720.00	1222.09	860.00		860.00	2082.09		1153.81
4.	बिहार	1700.00	822.72	850.00		850.00	1672.72		558.63
5.	छत्तीसगढ़	1800.00	3060.29	900.00		2775.00	5835.29	1875.00	1789.84
6.	गोवा	200.00	37.41	100.00	82.59	332.59	370.00	150.00	83.17
7.	गुजरात	2200.00	2294.80	1100.00		4850.00	7144.80	3750.00	3240.98
8.	हरियाणा	1600.00	198.90	800.00	660.00	1460.00	1658.00	1642.27	16.63
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	159.44	800.00	800.00	1700.00	1859.44	100.00	162.90
10.	जम्मू और कश्मीर	3000.00	832.14	2250.00		2250.00	3082.14		319.32
11.	झारखंड	1300.00	1342.56	650.00		906.00	2248.56	256.00	374.54
12.	कर्नाटक	4700.00	5519.86	2350.00	1552.58	4702.58	10222.44	800.00	1847.76
13.	केरल	2400.00	1531.84	1200.00		5950.00	7481.84	4750.00	3909.87
14.	मध्य प्रदेश	3900.00	3492.49	1950.00		2550.00	6042.49	600.00	2051.07
15.	महाराष्ट्र	6850.00	1091.99	3425.00	3153.01	10328.01	11420.00	3750.00	1163.70
16.	मणिपुर	1600.00	408.76	800.00	800.00	1785.40	2194.16	185.40	154.91
17.	मिजोरम	1800.00	278.64	900.00	900.00	1950.00	2228.64	150.00	1158.64
18.	मेघालय	1600.00	663.18	800.00		800.00	1463.18		229.63
19.	नागालैंड	1800.00	355.50	900.00	900.00	1800.00	2155.50		355.50
20.	उड़ीसा	2000.00	177.82	1000.00	1000.00	2300.00	2477.82	300.00	477.82
21.	पंजाब	1100.00	3378.27			0.00	3378.27		2099.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	5800.00	4546.54	2900.00	1487.78	6255.00	10801.54	1615.00	2863.28
23.	सिक्किम	1422.00	29.05	711.00	711.00	1422.00	1451.05		78.11
24.	तमिलनाडु	3600.00	1049.50	1800.00	1800.00	3670.00	4719.50	70.00	218.27
25.	त्रिपुरा	1700.00	1121.06	850.00	510.00	1861.56	2982.62	501.56	1147.30
26.	उत्तर प्रदेश	5800.00	1784.60	2900.00	2900.00	7423.23	9207.83	1623.23	2945.76
27.	उत्तरांचल	1700.00	171.83	850.00	837.87	1787.87	1959.70	100.00	14.93
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	794.79	1250.00	1250.00	2500.00	3294.79		160.00
29.	दिल्ली	50.00	95.52			0.00	95.52		75.90
30.	पुडुचेरी	100.00	25.94	10.00		10.00	35.94		12.52
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	280.00		35.00		35.00	35.00		1.68
32.	चंडीगढ़					0.00	0.00		0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	200.00		5.00		5.00	5.00		0.15
34.	दमन और दीव					0.00	0.00		0.00
35.	लक्षद्वीप	200.00		15.00	8.25	23.25	23.25		0.00
	कुल	70762.00	38596.87	35321.00	20495.77	82270.18	120867.05	26201.19*	34928.28
36.	दामोदर घाटी निगम	1000.00				1000.00			
37.	प्रत्यक्ष पोषित घटक	900.00				915.43			
38.	छिड़काव सिंचाई	20000.00							
	महायोग	92662.00				84185.61			

*जैसा राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा सूचित किया गया।

आरवीपी/एफपीआर, एनडब्लयूडीपीआरए, बीज हस्तक्षेप तथा सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त निधियां शामिल हैं।

विवरण IV

2005-06 से 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 जारी की गयी राशि	2006-07 जारी की गयी राशि	2007-08 जारी की गयी राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	7836.94
2.	बिहार	3100	3500.00	269.72

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	6252.41
4.	गोवा	315.2	200.00	3.19
5.	गुजरात	3259.28	2577.03	1954.24
6.	हरियाणा	1050	3480.00	6476.49
7.	झारखंड	3030	4000.00	781.00
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	8571.05
9.	केरल	3533.98	7959.53	6147.73
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	5537.50
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	13224.97
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	3812.16
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	2409.99
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	5673.19
15.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	8536.82
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	9425.90
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	681.82
18.	दिल्ली		300.00	0.00
19.	लक्षद्वीप		63.00	29.90
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		85.00	0.00
	कुल	58620.00	84385.14	87625.02

विवरण V

उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लिए मिशन के तहत निधियों की निर्मुक्ति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
क.	**मिनी मिशन-1**			
1.	सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्य			440.00
2.	जम्मू और कश्मीर	250.00	87.50	296.99

1	2	3	4	5
3.	हिमाचल प्रदेश	250.00	87.50	150.00
4.	उत्तराखंड	250.00	100.00	365.00
ख.	**मिनी मिशन-2**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1300.00	1612.90	2830.00
2.	असम	1300.00	1400.00	2680.00
3.	मणिपुर	1500.00	1700.00	2228.00
4.	मेघालय	1700.00	2000.00	2700.00
5.	मिजोरम	1800.00	3200.00	3095.00
6.	नागालैंड	1700.00	2356.00	2500.00
7.	सिक्किम	1800.00	2331.00	3110.00
8.	त्रिपुरा	1500.00	1400.00	2400.00
9.	जम्मू-कश्मीर	1550.00	2933.00	2000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1100.00	4000.00	2400.00
11.	उत्तराखंड	1100.00	4000.00	2839.94
	सेवा प्रभार तथा प्रयोजन प्रस्ताव आदि	189.21	114.00	266.35
ग.	**मिनी मिशन-3**			
1.	सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्य	600.00	400.00	550.00
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड	750.00	450.00	625.00
3.	जम्मू-कश्मीर (पुनर्निर्माण योजना)			0.00
घ.	**मिनी मिशन-4**			
1.	सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्य			0.00
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड		300.00	700.00
3.	जम्मू-कश्मीर (पुनर्निर्माण योजना)	200		0.00
	महायोग	18739.21	28471.90	32176.28

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों के लिए अपने परिव्यय के 10% आवंटन से अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करेगा। मिशन के द्वारा अतिरिक्त आवश्यकताएं यदि कोई हों प्रदान की जायेगी।

विवरण VI

सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्र प्रायोजित योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनवरी, 2006 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान निधियों की निर्मुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 के दौरान निर्मुक्ति	2006-07 के दौरान निर्मुक्ति	2007-08 के दौरान निर्मुक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	6129.23	19519.68	5747.76
2.	बिहार	0	2482.10	0
3.	छत्तीसगढ़	0	3032.88	783.39
4.	दिल्ली	0	15.71	0
5.	गोवा	0	12.13	0
6.	गुजरात	2182.01	3355.90	7349.60
7.	हरियाणा	0	443.89	604.19
8.	झारखण्ड	0	229.92	0
9.	कर्नाटक	3584.10	2456.75	6864.51
10.	केरल	3200.00	636.30	0
11.	मध्य प्रदेश	580.32	401.16	700.46
12.	महाराष्ट्र	4806.09	8796.549	13897.34
13.	उड़ीसा	0	454.26	108.40
14.	पंजाब	566.14	0	427.05
15.	राजस्थान	1048.02	2833.34	2341.14
16.	तमिलनाडु	4290.97	1200.64	2200.00
17.	उत्तर प्रदेश	1241.76	0	0
18.	पश्चिम बंगाल	0	195.67	0
19.	एनसीपीएएच, नई दिल्ली "प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण" घटक हेतु निर्मुक्ति	417.50	0	0 101.16 (गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान)
	कुल	28046.14 लाख**	46066.88 लाख	41125.00 लाख

**निर्मुक्ति मार्च, 2006 के आखिरी समय में जारी की गई।

विवरण VII

दिनांक 30.11.2008 तक निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करनें हेतु सहायता पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत जारी की गयी सब्सिडी का ब्यौरा

राज्य	प्रस्तावों की संख्या	प्रसंस्करण क्षमता (क्विंटल)	भण्डारण क्षमता (क्विंटल)	जारी की गयी/प्रदान की गयी राजसहायता (रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	15	310000	104645	11743353
बिहार	1	20000	1240	108762
गुजरात	7	130000	12805	3582288
हरियाणा	11	265000	60390	5519728
हिमाचल प्रदेश	1	20000	0	128402
कर्नाटक	2	70000	5930	1072229
मध्य प्रदेश	7	180000	59649	4514853
महाराष्ट्र	6	120000	23023	2913337
उड़ीसा	5	110000	32598	3719999
पंजाब	8	245000	92906	6795031
राजस्थान	7	160000	39479	2762448
तमिलनाडु	24	315000	97060	7699174
उत्तर प्रदेश	34	470000	292348	24607825
उत्तराखंड	26	535000	330067	16750621
पश्चिम बंगाल	7	145000	51170	4504153
	161	3095000	1203310	95972203

विवरण VIII

बीजों के संचलन संबंधी परिवहन राजसहायता घटक के अधीन निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संगठन का नाम	निर्मुक्त राजसहायता की राशि			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय बीज निगम, दिल्ली	56.24	52.82	47.61	133.38
2.	असम बीज निगम	22.34	9.93	68.46	226.07

1	2	3	4	5	6
3.	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड सरकार	–	7.68	–	–
4.	उत्तराखंड राज्य सहकारी विपणन संघ, देहरादून	2.82	2.90	–	5.71
5.	राज्य कृषि निगम लिमिटेड	1.86	5.61	0.54	–
6.	कृषि विभाग, सिक्किम सरकार	4.57	4.89	–	4.22
7.	कृषि विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार	–	16.14	17.13	30.38
8.	कृषि विभाग, नागालैण्ड सरकार	3.92	–	–	–
	कुल	91.75	99.97	133.74	399.76

विवरण IX

'हाइब्रिड चावल बीजों को बढ़ावा देना' घटक के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संगठन का नाम	निर्मुक्त राजसहायता की राशि			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	–	0.95	–	–
2.	हरियाणा बीज विकास निगम	–	4.50	6.60	–
3.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम	–	19.80	15.26	22.64
4.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक	–	21.35	–	–
5.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	–	3.60	–	–
6.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	–	6.50	–	–
7.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	–	–	5.90	–
8.	कर्नाटक राज्य बीज निगम	–	6.75	–	–
9.	उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम	–	32.15	–	–
10.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	–	12.06	–	–
11.	कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार	–	27.23	–	–
12.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम	–	600.70	–	–
13.	उड़ीसा राज्य बीज निगम	–	–	0.45	–
14.	कृषि विभाग, पंजाब सरकार	–	5.70	–	–

1	2	3	4	5	6
15.	कृषि विभाग, बिहार सरकार	28.00	24.00	–	–
16.	कृषि विभाग, मणिपुर सरकार	–	6.50	–	–
17.	कृषि विभाग, सिक्किम सरकार	–	7.95	–	–
18.	राष्ट्रीय बीज निगम	30.00	–	178.00	–
19.	भारतीय राज्य फार्म निगम	40.00	–	–	–
20.	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	25.00	–	–	–
21.	कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	25.00	–	–	–
22.	कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार	39.00	–	–	–
23.	कृषि विभाग, त्रिपुरा सरकार	17.50	–	–	–
24.	कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	17.75	–	–	–
25.	कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	19.20	–	–	–
	कुल	241.45	779.74	206.21	22.64

विवरण X

आइसोपाम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान आबंटित और निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (10.12.2008)	
		आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3543.00	3559.97	4900.00	4816.50	4542.00	4542.00	5325.00	5325.00	5000.00	2500.00
2.	असम	8.00	4.00	15.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	290.00	145.00	245.00	245.00	385.00	385.00	1100.00	1100.00	800.00	400.00
4.	छत्तीसगढ़	625.00	625.00	400.00	400.00	675.00	675.00	500.00	500.00	400.00	296.29
5.	गुजरात	1883.00	1883.00	1850.00	1850.00	975.00	975.00	100.00	100.00	800.00	200.00
6.	गोवा	20.00	10.00	16.50	16.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	559.00	497.00	434.00	434.00	411.00	411.00	800.00	800.00	600.00	200.00
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00	75.50	75.50	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	10.00
9.	जम्मू-कश्मीर	170.00	85.00	142.50	142.50	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कर्नाटक	21.55	21.55	1800.00	1800.00	2700.00	2700.00	2500.00	2500.00	2000.00	376.66
11.	केरल	10.00	5.00	7.50	7.50	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2925.00	2925.00	2400.00	2400.00	3750.00	3750.00	2500.00	2500.00	4000.00	2000.00
13.	महाराष्ट्र	1040.00	1040.00	2739.30	2739.00	925.00	925.00	2000.00	2000.00	1800.00	400.00
14.	मिजोरम	107.00	107.00	90.00	90.00	180.00	102.87	300.00	300.00	300.00	150.00
15.	उड़ीसा	455.00	455.00	500.00	500.00	525.00	525.00	900.00	900.00	500.00	275.00
16.	पंजाब	105.00	52.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94
17.	राजस्थान	2000.00	2000.00	2840.00	2840.00	2934.50	2934.50	3600.00	3600.00	2500.00	2000.00
18.	तमिलनाडु	990.00	990.00	1245.00	1245.00	1345.00	1345.00	1200.00	1200.00	1000.00	500.00
19.	त्रिपुरा	10.00	5.00	20.00	7.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	1065.00	1065.00	1115.00	1115.00	1600.00	1600.00	1400.00	500.00
21.	पश्चिम बंगाल	260.00	260.00	450.00	450.00	674.50	674.50	800.00	800.00	600.00	100.00
22.	कुल	17980.00	17628.47	21322.80	21214.00	21300.00	21149.87	24300.00	24300.00	21875.00	9938.89
	अन्य कार्यान्वयन	7095.00	7020.00	6000.00	6116.72	9185.00	9105.00	10075.00	10045.14	85.00	7167.41
	कुल योग	25075.00	24648.47	27322.80	27330.72	30485.00	30254.87	34375.00	34345.14	32000.00	17106.30

[अनुवाद]

लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

***238. श्री किरिप चालिहा:**
श्री निखिल कुमार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष में कितने अवसरों पर भारतीय वायुसेना के मिग 21 सहित मिग लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों, वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिग दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) गत दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष (5 दिसम्बर, 2008 तक) में भारतीय वायुसेना की मिग शृंखला के कुल 18 युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन दुर्घटनाओं में 2 पायलट मारे गए।

विमानों की क्षति के अतिरिक्त, सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर कुल 12,10,709/- रुपए की राशि अदा की गई।

इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक, तकनीकी त्रुटि और पक्षियों का टकराना है।

भारतीय वायुसेना में प्रत्येक विभाग दुर्घटना की जांच एक जांच अदालत के माध्यम से की जाती है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तदनुसार उपचारात्मक

उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने और उसके स्तरोन्नयन के लिए भारतीय वायुसेना में एक सतत् और बहु-आयामी प्रयास हमेशा चलता रहता है। दक्षता-स्तर को बेहतर बनाने, पायलटों की सही निर्णय लेने की क्षमता और स्थितिजन्य सजगता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। विमान की तकनीकी त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ निरन्तर बातचीत भी की जाती है। उसके अतिरिक्त पक्षी-रोधी उपाय भी किए जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट सुविधा

***239. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पीड पोस्ट सुविधा संचार के क्षेत्र में एक नई पहल है तथा देश में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा देश में केवल नगरों और कस्बों में ही उपलब्ध है;

(घ) देश में स्पीड पोस्ट केन्द्रों की राज्यवार और स्थानवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। स्पीड पोस्ट सुविधा ने संचार के क्षेत्र में एक नया परिदृश्य खोला है और इसे देश में आज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। स्पीड पोस्ट देश में विशिष्ट स्थानों पर डाक का गारंटीशुदा एवं समयबद्ध वितरण करता है।

(ग) जी नहीं। स्पीड पोस्ट सुविधा देश में शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है।

(घ) स्पीड पोस्ट केन्द्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ङ) और (च) बाजार अपेक्षाओं, ग्राहक आवश्यकताओं, प्रत्याशित कारोबार, उपलब्ध परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्पीड पोस्ट सुविधा का विस्तार किया जाता है।

विवरण I

स्पीड पोस्ट केन्द्रों की सूची

सर्किल	स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या	राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या	कुल
आंध्र प्रदेश	23	59	82
असम	6	18	24
बिहार	11	53	64
छत्तीसगढ़	6	32	38
दिल्ली	1	0	1
गुजरात	7	55	62
हरियाणा	16	2	18
हिमाचल प्रदेश	5	17	22
जम्मू-कश्मीर	2	17	19
झारखंड	4	80	84
कर्नाटक	23	11	34
केरल	13	12	25
महाराष्ट्र*	11	74	85
मध्य प्रदेश	12	80	92
पूर्वोत्तर*	8	84	92
उड़ीसा	5	38	43
पंजाब	17	18	35
राजस्थान	7	37	44
तमिलनाडु	45	22	67
उत्तराखंड	14	15	29
उत्तर प्रदेश	40	48	88
पश्चिम बंगाल	12	83	95
सेना डाक सेवा	2	0	2
कुल	290	855	1145

*पूर्वोत्तर सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

*महाराष्ट्र सर्किल में महाराष्ट्र और गोवा राज्य शामिल हैं।

विवरण II

राष्ट्रीय स्पीड स्पोट केन्द्रों का स्थान
(डाक सर्किल वार)

सेना डाक सेवा		
1.	1 सीबीपीओ	
2.	2 सीबीपीओ	
आंध्र प्रदेश		
3.	अनंतपुर	
4.	भीमावरम	
5.	चित्तौड़	
6.	कुडप्पा	
7.	एलेरू	
8.	गुंटाकल	
9.	गुंटूर	
10.	हैदराबाद	
11.	काकीनाडा	
12.	खम्माम	
13.	करनूल	
14.	मदानापल्ले	
15.	नेल्लोर	
16.	निजामाबाद	
17.	ओनगोल	
18.	प्रोद्दातुर	
19.	राजामुंद्री	
20.	श्रीकाकुलम	
21.	तिरूपति	
22.	विजयवाड़ा	
23.	विशाखापट्टनम	
24.	विजयनगरम	
25.	वारंगल	
असम		
26.	डिब्रूगढ़	
27.	गुवाहाटी	
28.	जोरहाट	
29.	सिल्चर	
30.	तेजपुर	
31.	तिनसुकिया	
बिहार		
32.	आरा	
33.	बेगूसराय	
34.	भागलपुर	
35.	छपरा	
36.	दरभंगा	
37.	गया	
38.	हाजीपुर	
39.	मधुबनी	
40.	मोतिहारी	
41.	मुजफ्फरपुर	
42.	पटना	
छत्तीसगढ़		
43.	भिलाई	
44.	बिलासपुर	
45.	दुर्ग	
46.	कोरबा	
47.	रायगढ़	
48.	रायपुर	
गुजरात		
49.	अहमदाबाद	
50.	आणंद	
51.	जामनगर	
52.	राजकोट	
53.	सूरत	
54.	वड़ोदरा	
55.	वलसाड़	

हरियाणा

56. अम्बाला
57. भिवानी
58. फरीदाबाद
59. गुड़गांव
60. हिसार
61. जीन्द
62. कैथल
63. करनाल
64. कुरूक्षेत्र
65. पंचकुला
66. पानीपत
67. रेवाड़ी
68. रोहतक
69. सिरसा
70. सोनीपत
71. यमुना नगर

हिमाचल प्रदेश

72. धर्मशाला
73. हमीरपुर
74. मंडी
75. शिमला
76. सोलन

जम्मू-कश्मीर

77. जम्मू
78. श्रीनगर

झारखंड

79. बोकारो
80. धनबाद
81. जमशेदपुर
82. रांची

कर्नाटक

83. बागलकोट
84. बंगलौर
85. बेलगाम
86. बेल्लारी
87. बीदर
88. बीजापुर
89. चिकमगलूर
90. चित्रदुर्गा
91. दावणगेरे
92. धारवाड़
93. गदाग
94. गोकाक
95. गुलबर्ग
96. हासन
97. हावेरी
98. होसपेट
99. कोलार
100. कोपाल
101. मैंगलूर
102. मैसूर
103. रायचुर
104. सिरसा
105. उडुपी

केरल

106. आलप्पुषा
107. अलुवा
108. कन्नूर
109. कोचि
110. कोल्लम

111. कोट्टायम
112. कोझिकोड
113. मलपुरम
114. पालकाड
115. पथानामथिता
116. तिरूवल्ला
117. त्रिशूर
118. तिरुवनंतपुरम

मध्य प्रदेश

119. भोपाल
120. छिंदवाड़ा
121. देवास
122. गुना
123. ग्वालियर
124. इंदौर
125. जबलपुर
126. खंडवा
127. सागर
128. सतना
129. सिहोर
130. उज्जैन

महाराष्ट्र

131. औरंगाबाद
132. चंद्रपुर
133. जलगांव
134. मुम्बई
135. नागपुर
136. नासिक
137. पणजी
138. पुणे
139. थाणे
140. वास्कोडिगामा
141. वरधा

दिल्ली

142. नई दिल्ली

पूर्वोत्तर

143. अगरतला
144. आइजाल
145. दीमापुर
146. इम्फाल
147. ईटानगर
148. कोहिमा
149. शिलांग

उड़ीसा

150. बरहामपुर
151. भुवनेश्वर
152. कटक
153. राउरकेला
154. संबलपुर

पंजाब

155. अमृतसर
156. बटाला
157. भटिंडा
158. चंडीगढ़
159. फिरोजपुर
160. गुरदासपुर
161. होशियारपुर
162. जगरौन
163. जालंधर
164. कपूरथला

165. खन्ना
166. लुधियाना
167. मोहाली
168. पठानकोट
169. पटियाला
170. फगवाड़ा
171. संगरूर

राजस्थान

172. अजमेर
173. बीकानेर
174. जयपुर
175. जोधपुर
176. कोटा
177. पिलानी
178. उदयपुर

तमिलनाडु

179. अम्बसामुद्रम
180. अन्नामालैंगर
181. अराक्कोनम
182. अरुकोटाई
183. बोदिनयाकनूर
184. चेनगलपट्टू
185. चेन्नई
186. कोयम्बटूर
187. कुड्डालोर
188. डिन्डीगुल
189. ईरोड
190. होसुर
191. कांचीपुरम
192. कराईकुड्डी
193. करूर
194. कोविलपट्टी
195. कुंबाकुनम
196. मदुरै
197. मईलाडुदुराई
198. नागरकोइल
199. नामक्कल
200. परमाकुडी
201. पेरियाकुलम
202. पोल्लाची
203. पुडुचेरी
204. पुडुकोट्टई
205. राजापलायम
206. रामनाथापुरम
207. रानीपेट
208. सलेम
209. शिवगंगा
210. शिवकासी
211. थंजावूर
212. तेनकासी
213. थुकले
214. टिंडीवनम
215. तिरुचिरापल्ली
216. तिरुनेलवेली
217. तिरुपुर
218. तिरुवन्नामलई
219. तूतीकोरिन
220. उदगमंडलम
221. उदुमलपेट
222. वेल्लूर

223. विल्लुपुरम
224. विरुदुनगर

उत्तर प्रदेश

225. आगरा
226. अलीगढ़
227. इलाहाबाद
228. आजमगढ़
229. बहराइच
230. बलिया
231. बलरामपुर
232. बरेली
233. बस्ती
234. बिजनौर
235. बदायूं
236. देवरिया
237. एटा
238. इटावा
239. फिरोजपुर
240. गाजियाबाद
241. गाजीपुर
242. गोंडा
243. गोरखपुर
244. हरदोई
245. जौनपुर
246. झांसी
247. कानपुर
248. खेरी
249. खुर्जा
250. लखनऊ
251. मैनपुरी
252. मथुरा
253. मऊ
254. मेरठ
255. मिर्जापुर
256. मुरादाबाद
257. मुजफ्फरनगर
258. नरोरा
259. नोएडा
260. ओराई
261. प्रतापगढ़
262. सहारनपुर
263. शहजहांपुर
264. बनारस

उत्तराखंड

265. अल्मोड़ा
266. देहरादून
267. हल्द्वानी
268. हरिद्वार
269. काशीपुर
270. कोटद्वार
271. लैंसडाउन
272. मसूरी
273. नैनीताल
274. न्यू टिहरी
275. पौड़ी
276. ऋषिकेश
277. रुड़की
278. रुद्रप्रयाग

पश्चिम बंगाल	
279.	आसनसोल
280.	बरदवान
281.	दार्जिलिंग
282.	दुर्गापुर
283.	गंगटोक
284.	हावड़ा
285.	जलपाइगुड़ी
286.	खड़गपुर
287.	कोलकाता
288.	माल्दा
289.	पोर्ट-ब्लेयर
290.	सिलीगुड़ी

* पूर्वोत्तर सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
* महाराष्ट्र सर्किल में महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य शामिल हैं।
* पश्चिम बंगाल सर्किल में सिक्किम राज्य शामिल है।
* तमिलनाडु सर्किल में संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी शामिल है।
* गुजरात सर्किल में संघ शासित प्रदेश दमन और दीव शामिल हैं।

विवरण III

राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र	जिला
1	2	3
आंध्र प्रदेश सर्किल		
1.	आदिलाबाद	आदिलाबाद
2.	अदुनी	कर्नूल
3.	अल्लगड्डा	कर्नूल
4.	अरमूर	निजामाबाद
5.	भद्राचलम	खम्मम
6.	भीमावरम	पश्चिमी गोदावरी
7.	बोनगीर	नलगोंडा
8.	बोधन	निजामाबाद
9.	चन्द्रगिरी	चित्तूर
10.	चित्तूर	चित्तूर
11.	कुडप्पा	कुडप्पा
12.	धर्मावरम	अनंतपुर
13.	गडवाल	मेहबूबनगर
14.	गुंटाकल	अनंतपुर
15.	हिंदूपुर	अनंतपुर
16.	हुजूराबाद	करीमनगर
17.	जगितियाल	करीमनगर
18.	जनगांव	वारंगल
19.	जनगारेड्डीगुडेम	पश्चिमी गोदावरी
20.	काकीनाड़ा	पूर्वी गोदावरी
21.	कल्याणीखानी	आदिलाबाद
22.	कामारेड्डी	निजामाबाद
23.	करीमनगर	करीमनगर
24.	कोदाद	नलगोंडा
25.	कोठागुडेम कोल्स	खम्मम
26.	मछलीपट्टनम	कृष्णा
27.	मदनपल्ली	चित्तूर
28.	महबूबाबाद	वारंगल
29.	महबूबनगर	मेहबूबनगर
30.	मनचेरियाल	आदिलाबाद
31.	मरकापुर	प्रकाशम
32.	मेढक	मेढक

1	2	3
33.	मिरयालगुडा	नलगोंडा
34.	नालगोंडा	नलगोंडा
35.	नांदयाल	कर्नूल
36.	नरसरापेट	गुंटूर
37.	नेल्लूर	नेल्लूर
38.	निर्मल	आदिलाबाद
39.	निजामाबाद	निजामाबाद
40.	ओंगोल	प्रकाशम
41.	आर्डनेंस फैक्टरी	मेढक
42.	पी.एस. निलायम	अनंतपुर
43.	पलमानेर	चित्तूर
44.	परकल	वारंगल
45.	पेड्डपल्ली	करीमनगर
46.	प्रोदत्तूर	कुडप्पा
47.	पुलिवेंडला	कुडप्पा
48.	राजामुंदरी	पश्चिमी गोदावरी
49.	राजमपेट	कुडप्पा
50.	सांगारेड्डी	मेढक
51.	सत्तेनपल्ली	गुंटूर
52.	सिद्दीपेट	मेढक
53.	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
54.	श्रीकलाहस्ती	चित्तूर
55.	स्टेशन जाडचेरला	मेहबूबनगर
56.	सूर्यपेट	नलगोंडा
57.	तनुकू	पश्चिमी गोदावरी
58.	विजयनगर	विजयनगरम
59.	वनपर्ती	मेहबूबनगर

1	2	3
असम सर्किल		
60.	बारपेटा	बारपेटा
61.	बोगाइगांव	बोगाइगांव
62.	धुबरी	धुबरी
63.	दिफू	
64.	ग्वालपाडा	ग्वालपाडा
65.	गोलाघाट	गोलाघाट
66.	हाफ्लोंग	एनसी हिल्स
67.	हेलाकांडी	हेलाकांडी
68.	कागजनगर	मोरीगांव
69.	करीमगंज	करीमगंज
70.	कोकराझार	कोकराझार
71.	मंगलदोई	मंगलदोई
72.	नागांव	नागांव
73.	नालबारी	नालबारी
74.	नार्थ लखीमपुर	लखीमपुर
75.	शिवसागर	शिवसागर
76.	तेजपुर	नितपुर
77.	तिनसुकिया	तिनसुकिया
बिहार सर्किल		
78.	अररिया	अररिया
79.	अरवाल	अरवाल
80.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
81.	बांका	बांका
82.	बारबीघा	मधुबनी
83.	बेगूसराय	बेगूसराय
84.	बेनीपट्टी	मधुबनी
85.	बेतिया	बेतिया

1	2	3
86.	भबुआ	रोहतास
87.	भागलपुर	भागलपुर
88.	बिहारशरीफ	मधुबनी
89.	बिजपुर (आरा)	बिजपुर
90.	बक्सर	बक्सर
91.	दरभंगा	दरभंगा
92.	दाउदनगर	औरंगाबाद
93.	देहरी-आन-सोन	रोहतास
94.	गया	गया
95.	गोपालगंज	गोपालगंज
96.	हाजीपुर	वैशाली
97.	हवेली खड़गपुर	मधुबनी
98.	जयनगर	मधुबनी
99.	जमालपुर	मुंगेर
100.	जमुई	जमुई
101.	जहानाबाद	जहानाबाद
102.	झंझारपुर	मधुबनी
103.	कटिहार	कटिहार
104.	खगड़िया	खगड़िया
105.	खजौली	मधुबनी
106.	किशनगंज	किशनगंज
107.	लखीसराय	लखीसराय
108.	मधेपुरा	मधेपुरा
109.	मधुबनी	मधुबनी
110.	मोतिहारी	मोतिहारी
111.	मुंगेर	मुंगेर
112.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
113.	नालंदा	नालंदा
114.	नवादा	नवादा
115.	पूर्णिया	पूर्णिया
116.	रफीगंज	गया
117.	राजगीर	नालंदा
118.	रक्सौल	मोतीहारी
119.	सहरसा	सहरसा
120.	सकरी	मधुबनी
121.	समस्तीपुर	समस्तीपुर
122.	सासाराम	रोहतास
123.	शेखपुरा	शेखपुरा
124.	शिवहर	शेवहर
125.	शेरघाटी	गया
126.	सिलाव	नालंदा
127.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
128.	सीवान	सिवान
129.	सुपौल	सुपौल
130.	सूरजगढ़	लखीसराय
छत्तीसगढ़ सर्किल		
131.	महासमंद	अंबिकापुर
132.	बालोदाबाजार	दांतेवाडा
133.	सरायपल्लि	कोरिया
134.	भाटपाड़ा	रायपुर
135.	धमतारी	कनकेर
136.	चम्पा	रायपुर
137.	जांजगीर	जंजगीर-चम्पा
138.	मनंदरागढ़	कनकेर

1	2	3
139.	जसपुरनगर	कोरबा
140.	पथालगांव	दंतेवाड़ा
141.	अंबिमापुर	धमतारी
142.	बैकुंठपुर	जगदलपुर
143.	चेरमिरी	जाशपुर नगर
144.	खराथिया	कनकेर
145.	राजनंदगांव	कवर्धा
146.	कवर्धा	रायगढ़
147.	सिविक सेंटर भिलाई	दंतेवाड़ा
148.	जगदलपुर	कोरबा
149.	चरामा	महासमुंद
150.	किरणदुल	दांतेवाड़ा
151.	तुकामा	जशपुर नगर
152.	बचली	राजनन्दगांव
153.	दांतावाधा	रायपुर
154.	कोण्डागांव	दंतेवाड़ा
155.	भानुप्रतापपुर	कनकेर
156.	कनकेर	कनकेर
157.	नारायणपुर	नारायणपुर
158.	रायपुर आरएमएस	रायपुर
159.	जगदलपुर आरएमएम	जगदलपुर
160.	बिलासपुर आरएमएस	बिलासपुर
161.	रायगढ़ आरएमएस	रायगढ़
162.	दुर्ग आरएमएस	दुर्ग
गुजरात सर्किल (*)		
163.	गांधीनगर	गांधीनगर
164.	कलोल एचओ	गांधीनगर
165.	मनसा	गांधीनगर
166.	चंगोदर	अहमदाबाद
167.	हिम्मतनगर एचओ	साबरकंठा
168.	मोडासा एमडीजी	साबरकंठा
169.	ईदर एमडीजी	साबरकंठा
170.	बयाड एमडीजी	साबरकंठा
171.	प्रांतिज एसओ	साबरकंठा
172.	पाटण एचओ	पाटण
173.	सिदपुर एमडीजी	पाटण
174.	राधानपुर एचओ	पाटण
175.	हरिज एसओ	पाटण
176.	पालनपुर एचओ	बनासकांठा
177.	दीसा एमडीजी	बनासकांठा
178.	मेहसाणा एचओ	मेहसाणा
179.	वीजापुर एमडीजी	मेहसाणा
180.	ऊंझा पीओ	मेहसाणा
181.	वीसनगर एमडीजी	मेहसाणा
182.	गोधरा	पंचमहल
183.	हलोल	पंचमहल
184.	दाहोड	दाहोड
185.	लूनावाड़ा	दाहोड
186.	नाडियाड एचओ	खेडा
187.	दभोई एचओ	वडोदरा
188.	मांडवी (एसआर)	सूरत
189.	व्यारा	सूरत
190.	फोर्ट सोनगढ़	सूरत
191.	ओलपद	सूरत

1	2	3
192.	कोसांबा आरएस	सूरत
193.	सचिन	सूरत
194.	बारदोली एचओ	बरदोली
195.	अनुमाला	बरदोली
196.	अहवा	दांग
197.	भरूच एचओ	भरूच
198.	अंकलेश्वर एमडीजी	नर्मदानगर
199.	राजपिपला एमडीजी	नर्मदानगर
200.	नवसारी एचओ	नवसारी
201.	बिल्लीमोडा एचओ	नवसारी
202.	वापी एमडीजी	वल्साड
203.	वापी आईई	वल्साड
204.	गोंदल एचओ	राजकोट
205.	सुरेंद्रनगर एचओ	सुरेंद्रनगर
206.	मोरबी एमडीजी	सुरेंद्रनगर
207.	अमरेली एचओ	अमरेली
208.	भावनगर एचओ	भावनगर
209.	पोरबंदर एचओ	पोरबंदर
210.	जूनागढ़ आजाद चौक	जूनागढ़
211.	वेरावल एमडीजी	जूनागढ़
212.	भुज एचओ	भुज
213.	गांधीधाम एमडीजी	गांधीधाम
214.	दीव	दीव
215.	दमन	दमन
216.	सिलवासा	दादरा और नगर हवेली
217.	व्यारा	सूरत
हरियाणा सर्किल		
218.	बहादुरगढ़	झज्जर
219.	झज्जर	झज्जर

1	2	3
हिमाचल प्रदेश सर्किल		
220.	थियोग	शिमला
221.	देहरा	कांगड़ा
222.	कांगड़ा	कांगड़ा
223.	नाहन	सिरमौर
224.	बद्दी	सोलन
225.	कसौली	सोलन
226.	परवाणू	सोलन
227.	चम्बा	चंबा
228.	डलहौजी	चंबा
229.	रामपुर बीएसआर	शिमला
230.	रिकोंग पिओ	किन्नौर
231.	पालमपुर	कांगड़ा
232.	ऊना	ऊना
233.	कुल्लू	कुल्लू
234.	सुंदरनगर	मंडी
235.	मनाली	कुल्लू
236.	बिलासपुर	बिलासपुर
जम्मू-कश्मीर सर्किल		
237.	अखनूर	जम्मू
238.	अनंतनाग	अनंतनाग
239.	बडगाम	बडगाम
240.	बारामुला	बारामुला
241.	बिजबेहरा	अनंतनाग
242.	गढ़ी	ऊधमपुर
243.	कठुआ	कठुआ
244.	कटरा	ऊधमपुर

1	2	3
245.	लेह	लेह
246.	पम्पोर	श्रीनगर
247.	पट्टन	बारामुला
248.	पुलवामा	बारामुला
249.	राजौरी	पुलवामा
250.	रियासी	राजौरी
251.	रोआन	ऊधमपुर
252.	सोपोर	ऊधमपुर
253.	ऊधमपुर	ऊधमपुर
झारखंड सर्किल		
254.	बी. देवघर	साहिबगंज
255.	बी.आई.टी. मेसरा	रांची
256.	बालिडीह	हजारीबाग
257.	बराजामदा	हजारीबाग
258.	बरहारवा	गरवाह
259.	बरहारवा	साहिबगंज
260.	बरही	बोकारो
261.	बरकागांव	हजारीबाग
262.	बरकाकाना	हजारीबाग
263.	बरकट्ठा	हजारीबाग
264.	भावनाथपुर	सिंहभूम
265.	चाईबासा	हजारीबाग
266.	चक्रधरपुर	लातेहार
267.	चंद्रपुरा	सिंहभूम (पश्चिम)
268.	चंदवा	बोकारो
269.	चरही	धनबाद
270.	चतरा	साहिबगंज
271.	चतरा	कोदर्मा
272.	चौपारण	हजारीबाग
273.	चिरकुंडा	रांची
274.	चीतामुरी	देवगढ़
275.	डाल्टनगंज	कोदर्मा
276.	दोमछांच	सिंहभूम (पश्चिम)
277.	दुमका	पलमाऊ
278.	एफ.आर.आई.	दुमका
279.	गढ़	गुमला
280.	गढ़वा	हजारीबाग
281.	घटोतंड	हजारीबाग
282.	गिरीडीह	गोड्डा
283.	गोड्डा	गरवाह
284.	गोला	धनबाद
285.	गोमिया	गिरिडीह
286.	गुमला	धनबाद
287.	हजारीबाग	बोकारो
288.	ईचक	हजारीबाग
289.	ईटकारी	हजारीबाग
290.	जादूगोडा	कोदर्मा
291.	जैना	धनबाद
292.	जैनगर	बोकारो
293.	जामतारा	पलमाऊ
294.	जापला	सिंहभूम
295.	जसिडीह	जामतारा
296.	झरिया	चतरा
297.	झुमरी तलैया	कोदर्मा
298.	झुमरी तलैया	कोदर्मा

1	2	3
299.	कठहारा	हजारीबाद
300.	कटरस	धनबाद
301.	खूंटी	सिमदेगा
302.	कोडरमा	चतरा
303.	कोडरमा	कोदर्मा
304.	कोलेबिरा	देवगढ़
305.	कुजु	धनबाद
306.	कुसुंदा	रांची
307.	लतेहार	बोकारो
308.	लोहरदग्गा	लातेहार
309.	मधुपुर	जामतारा
310.	महागमा	सिंहभूम (पश्चिम)
311.	मनोहरपुर	हजारीबाग
312.	मरकाक	लातेहार
313.	मर्का	कोदर्मा
314.	मिहिजाम	गोड्डा
315.	नगर ऊटारी	सिंहभूम (पश्चिम)
316.	नवागढ़	देवगढ़
317.	नवामुंदी	धनबाद
318.	निरसाचट्टी	धनबाद
319.	पद्मा	हजारीबाग
320.	पाकुर एमडीजी	बोकारो
321.	पतरातू (पीटीपीएस)	गढ़वा
322.	फुसरो बाजार (पीटीपीएस)	बोकारो
323.	राजमहल	बोकारो
324.	रामगढ़ कैंट	पाकुर
325.	रेहला	हजारीबाग
326.	साहिबगंज	सराईकेला खर्सवान
327.	सरायकेला	चतरा
328.	सिमरिया	सीमदेगा
329.	सिमडेगा	पलमाऊ
330.	सिंदरी	साहिबगंज
331.	सिनी	सराईकेला खर्सवान
332.	तंदवा	धनबाद
333.	तोपा	चतरा
कर्नाटक सर्किल		
334.	शिमोगा	शिमोगा
335.	भद्रावती	शिमोगा
336.	पुत्तूर	दक्षिण कर्नाटक
337.	मांड्या	मांड्या
338.	मादीकेरी	कोडगु
339.	नांजांगुद	चामराजनगर
340.	तुमकूर	टुमकूर
341.	चीकोदी	बेलगांव
342.	कुमटा	उत्तर कर्नाटक
343.	कारवाड़	उत्तर कर्नाटक
344.	यादगिरी	गुलबर्ग
केरल सर्किल		
345.	चंगनासेरी	कोट्टायम
346.	इरिन्जलकुडा	त्रिशूर
347.	कालपेट्टाह	वयनाड
348.	कासरगोड	कासरगोड
349.	कावारती	लक्षद्वीप
350.	मंजेरी	मलप्पुरम

1	2	3
351.	मवेलिकारा	आलप्पुषा
352.	ओट्टापल्लम	पालक्काड
353.	थलसेरी	कण्णूर
354.	थोडुपुजा	इदुक्की
355.	तिरूर	मलप्पुरम
356.	बडकरा	कोझिकोड
मध्य प्रदेश सर्किल		
357.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
358.	गदरवाडा	नरसिंहपुर
359.	हरदा	हरदा
360.	इटारसी	होशंगाबाद
361.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
362.	पंचमढ़ी	होशंगाबाद
363.	पिपरिया	होशंगाबाद
364.	विदिशा	विदिशा
365.	बरेली	रायसेन
366.	गंजबसोला	विदिशा
367.	कुरवई	विदिशा
368.	लातेरी	विदिशा
369.	रायसेन	रायसेन
370.	सिरोंज	विदिशा
371.	छत्तरपुर	छत्तरपुर
372.	खजुराहो	छत्तरपुर
373.	पन्ना	पन्ना
374.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
375.	नवगांव	छत्तरपुर
376.	बैतूल	छिंदवाड़ा

1	2	3
377.	कन्नौद	देवास
378.	खाटेगांव	देवास
379.	शिवपुरी	शिवपुरी
380.	अशोकनगर	अशोक नगर
381.	एनएफएल विजयपुर	गुना
382.	गैल काम्पलेक्स	गुना
383.	डाबडा	ग्वालियर
384.	दतिया	दतिया
385.	मुरैना	मुरैना
386.	भिंड	भिंड
387.	शिवपुर कलां	मुरैना
388.	मालनपुर	मुरैना
389.	तांकेपुर	ग्वालियर
390.	धार	धार
391.	पदमपुर	धार
392.	पीथमपुर सै. 3	धार
393.	डेहरीघाट बिल्लौड	धार
394.	महोवा	इंदौर
395.	मंगलिया	इंदौर
396.	राव	इंदौर
397.	सनवे भैंसली आईई	इंदौर
398.	मंदसौर	मंदसौर
399.	नीमच	नीमच
400.	कांटी	कांटी
401.	बालाघाट	बालाघाट
402.	मंडला	मंडला
403.	सिवनी	सिवनी

1	2	3
404.	डिंडोरी	डिंडोरी
405.	लखनादोन	लखनादोन
406.	नैनपुर	नैनपुर
407.	शहडोल	शहडोल
408.	सिधी	सिधी
409.	उमरिया	उमरिया
410.	धनपुरी कोलियारी	शहडोल
411.	अनूपपुर	अनूपपुर
412.	कोटमा	अनूपपुर
413.	बुरहर	शहडोल
414.	बियोहारी	शहडोल
415.	चैधान	सीधी
416.	सिंग्रौली कोलियारी	सीधी
417.	बुरहानपुर	खंडावा
418.	नेपानगर	खंडावा
419.	खारगोनी	खारगोनी
420.	सेंधावा	खारगोनी
421.	बरवानी	खारगोनी
422.	बीना	सागर
423.	दामोह	दामोह
424.	हत्ता	दामोह
425.	खुराई	सागर
426.	रीवा	रीवा
427.	मेहर	मेहर
428.	नागौर	नागौर
429.	राजगढ़ (ब्यौरा)	राजगढ़ (ब्यौरा)
430.	आस्था	सिहोर
431.	नरसिंहगढ़	सिहोर
432.	शाहजहांपुर	उज्जैन
433.	बिलग्राम नागदा	उज्जैन
434.	रतलाम	रतलाम
435.	झबुआ	झबुआ
436.	जावरा	रतलाम
महाराष्ट्र सर्किल (**)		
437.	अहमदनगर	अहमदनगर
438.	अकोला	अकोला
439.	अलीबाग	रायगढ़
440.	अमलनेर	जलगांव
441.	अमरावती	अमरावती
442.	बारामती	पुणे
443.	बीड	बीड
444.	भंडारा	भंडारा
445.	भायंदर	थाणे
446.	भुसावल	जलगांव
447.	चिपलुन	रत्नागिरि
448.	डपोली	रत्नागिरि
449.	देहु रोड कैंट	पुणे
450.	धुले	धुले
451.	गढ़चिरौली	गढ़चिरौली
452.	गोंदिया	गोंदिया
453.	गोरेगांव	रायगढ़
454.	हिंगोली	हिंगोली
455.	ईचलकरंजी	कोल्हापुर
456.	इंदापुर	पुणे

1	2	3
457.	जालना	जालना
458.	जुनार	पुणे
459.	कैम्प्टी सिटी	नागपुर
460.	कनकवली	सिंधुदुर्ग
461.	कराड	सतारा
462.	कोंकण भवन	थाणे
463.	कोल्हापुर	कोल्हापुर
464.	कोपरगांव	अहमदनगर
465.	कुडाल	सिंधुदुर्ग
466.	लातूर	लातूर
467.	लोनावला	पुणे
468.	लोटे	रत्नागिरि
469.	महाबलेश्वर	सतारा
470.	माहाड	रायगड़
471.	मालेगांव	नासिक
472.	मलकापुर	बुलढाना
473.	मलवान	सिंधुदुर्ग
474.	मनगांव	रायगड़
475.	मनमाड	नासिक
476.	मीरा रोड	थाणे
477.	मीराज	सांघली
478.	नादुरबैग	नन्दरबार
479.	नांदेड़	नांदेड़
480.	आमरेगा	उस्मानाबाद
481.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
482.	पंचगनी	सतारा
483.	पंढरपुर	लातूर
484.	पनवेल	रायगड़
485.	परभनी	परभनी
486.	पीसीटीएस (नागोथाने)	रायगड़
487.	पेन	रायगड़
488.	राजगुरुनगर	पुणे
489.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
490.	आरसीएफ थाल	रायगड़
491.	रोहा	रायगड़
492.	रोहा एवी	रायगड़
493.	संगमनेर	अहमदनगर
494.	सांगली	सांघली
495.	ससवाड़	पुणे
496.	सतारा	सतारा
497.	सार्वतवाड़ी	सिंधुदुर्ग
498.	शिरडी	अहमदनगर
499.	शिरूर	पुणे
500.	श्रीरामपुर	अहमदनगर
501.	श्रीवर्धन	रायगड़
502.	तुलजापुर	उस्मानाबाद
503.	वडगांव (मावल)	पुणे
504.	वसई	थाणे
505.	वाशी	थाणे
506.	चकान	पुणे
507.	चालीस गांव	अलगांव
508.	विरार	थाणे
509.	वाशिम	वाशिम
510.	यवतमाल	यवतमाल

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश		
511.	बोमडिला एमडीजी एसओ	पश्चिमी कामेंग
512.	बंदेरदेवा एसओ	अप्पर सुबांसरी
513.	दोईमुख एसओ	लोवर सुबांसरी
514.	नहारलगुन एडीजी एसओ	लोवर सुबांसरी
515.	नीरजुली एसओ	पपुंपरे
516.	आर.के. मिशन एसओ	पपुंपरे
517.	तवांग एमडीजी एसओ	तवांग
518.	पासीघाट एसओ	पूर्वी सियांग
519.	अलोंग	पश्चिमी सियांग
520.	खोंसा	तिराप
521.	सेप्पा	पूर्वी कामेंग
मणिपुर		
522.	बिशेनपुर एसओ	बिशेनपुर
523.	चूड़चन्द्रपुर एमडीजी एसओ	चूड़चन्द्रपुर
524.	चंदेल	चंदेल
525.	इम्फाल बाजार एसओ	इम्फाल
526.	काकचिंग बाजार एसओ	थौबल
527.	कांगपोकपी एसओ	सेनापति
528.	लामलोंग बाजार एसओ	उखरूल
529.	लम्फलपेट एसओ	इम्फाल
530.	लांगजिंग सीआरपीएफ कैंप	इम्फाल
531.	मैरंग एसओ	बिशेनपुर
532.	मणिपुर यूनिवर्सिटी एसओ	इम्फाल
533.	मंत्रीफुकरी एसओ	इम्फाल
534.	मयंग एसओ	सेनापति
535.	नाम्बोल एसओ	इम्फाल
536.	पोरोम्पतबाजार एसओ	इम्फाल पूर्व
537.	सेकमई एसओ	इम्फाल
538.	सेनापति एसओ	सेनापति
539.	सिंगजमेइबाजार एसओ	उखरूल
540.	थौबल एसओ	थौबल
541.	तुलीहाल एयरपोर्ट एसओ	इम्फाल
542.	तुलीहाल एसओ	इम्फाल
543.	उखरूल एसओ	उखरूल
544.	तामेंगलोंग	तामेंगलोंग
545.	लोकटेक प्रोजेक्ट	बिशेनपुर
मेघालय		
546.	असम राइफल्स एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
547.	चेरापूंजी एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
548.	हैप्पी वैली एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
549.	ईवदुह एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
550.	जोवई एसडीजी एसओ	जयंतिया हिल्स
551.	लैतकोरपीक एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
552.	लैतुमखराह एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
553.	लाबान एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
554.	मवलई एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
555.	मवीयोंग एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
556.	नोंगलेयर एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
557.	नोंगथमई एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
558.	नेहू एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
559.	फुदमावरी एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
560.	अप्पर शिलांग एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
561.	रयन्जा एसओ	पूर्वी खासी हिल्स

1	2	3
562.	तूरा एचओ	पश्चिमी गारो हिल्स
563.	मवफलांग एसओ	पूर्वी खासी हिल्स
564.	मैरांग एसओ	पश्चिमी खासी हिल्स
565.	नोंगस्टोइन एसओ	पश्चिमी खासी हिल्स
566.	चेराबाजार	पूर्वी खासी हिल्स
567.	ऊमीठम	री भोई
568.	यूसीसी	री भोई
569.	नैग्रिम्स	पूर्वी खासी हिल्स
मिजोरम सर्किल		
570.	[illegible]वान एसओ	आइजोल
571.	चेम्फई एसओ	आइजोल
572.	चांदमेरी एसओ	आइजोल
573.	द्वारपुई एसओ	आइजोल
574.	हंथील एसओ	आइजोल
575.	कुलीकवान एसओ	आइजोल
576.	कोलासिब	लुंगलेई
577.	लवंगतलई	लवंगतलई
578.	लुंगलेई	लुंगलेई
579.	लांगपुई एयरपोर्ट	आइजोल
580.	ममित एसओ	ममित
581.	रामह्लुन एसओ	आइजोल
582.	सइहा एसओ	सइहा
583.	सेरचिप एसओ	सेरचिप
584.	थिंगसुलथ्ली एसओ	आइजोल
585.	थिंगदावल एसओ	आइजोल
586.	वैवाकावन एसओ	आइजोल
587.	खवसाल	आइजोल
588.	सैतुल	आइजोल
589.	जेमावाक	आइजोल
नागालैंड सर्किल		
590.	सर्कुलर रोड एसओ	
591.	कोहिमा पीडब्ल्यूडी एसओ	कोहिमा
592.	कोहिमा साइंस कालेज एसओ	कोहिमा
593.	मोन एमडीजी एसओ	मोन
594.	मुकोकचुंग एमडीजी	मुकोकचुंग
उड़ीसा सर्किल		
595.	आंगुल एचओ	आंगुल
596.	अस्का एचओ	गंजाम
597.	अथगढ़ एचओ	कटक
598.	बालासोर एचओ	बालासोर
599.	बारगढ़ एचओ	बारगढ़ा
600.	बरीपादा एचओ	मयूरभंज
601.	भद्रक एचओ	भद्रक
602.	भंजनगर एचओ	गंजाम
603.	भवानीपटना एचओ	कालाहांडी
604.	नवपाड़ा तांवत एमडीजी	नवपाड़ा
605.	बोलनगीर एचओ	बोलनगीर
606.	सोनपुर राज एमडीजी	सुवर्णपुर
607.	छतरपुर एचओ	गंजाम
608.	ढेंकानाल एचओ	ढेंकनाल
609.	जगतसिंहपुर एचओ	जगतसिंहपुर
610.	तालचेर एमडीजी	अंगूल
611.	पारादीप एमडीजी	जगतसिंहपुर
612.	जाजपुर पारादीप	जाजपुर

1	2	3
613.	जाजपुर रोड एमडीजी	जाजपुर
614.	जैपोर (के) एचओ	कोरापुट
615.	झारसुगुड़ा एचओ	झारसुगुड़ा
616.	केन्द्रपाड़ा एचओ	केंद्रपाड़ा
617.	क्योंझरगढ़ एचओ	क्योंझार
618.	बारबील एमडीजी	क्योंझार
619.	खुरदा एचओ	खुरदा
620.	कोरापुट एचओ	कोरापुट
621.	नौरंगपुर एमडीजी	नौरंगपुर
622.	मलकानगिरि एमडीजी	मलकानगिरि
623.	नयागढ़ एचओ	नयागढ़
624.	पारालेखमुंडी	जगपति
625.	फुलबानी एचओ	फुलबनी
626.	बौद्धराज एमडीजी	बौद्ध
627.	पुरी एचओ	पुरी
628.	रायागडा एचओ	रायागडा
629.	सुंदरगढ़ एचओ	सुंदरगढ़
630.	देवगढ़ एमडीजी	देवगढ़
631.	जाटनी एमडीजी	खुर्दा
632.	तितलागढ़ एमडीजी	बोलांगीर
पंजाब सर्किल		
633.	आनन्दपुर साहिब	रोपड़
634.	दसुया	शायिरपुर
635.	फरीदकोट	फरीदकोट
636.	फतेहगढ़ साहिब	पटियाला
637.	फिरोजपुर	फिरोजपुर
638.	जगरांव	लुधियाना

1	2	3
639.	कपूरथला	कपूरथला
640.	मानसा	मानसा
641.	मोगा	फरीदकोट
642.	मोहाली	मोहाली
643.	मुक्तसर	मुक्तसर
644.	नवांशहर	नवांशहर
645.	राया	अमृतसर
646.	रोपड़	रोपड़
647.	राजपुरा	पटियाला
648.	संगरूर	संगरूर
649.	शियारपुर	शियारपुर
650.	तरणतारण	अमृतसर
राजस्थान सर्किल		
651.	अलवर	अलवर
652.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
653.	बारां	बारां
654.	बाड़मेर	बाड़मेर
655.	ब्यावर	अजमेर
656.	भरतपुर	भरतपुर
657.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
658.	बिजयनगर	अजमेर
659.	बूंदी	बूंदी
660.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
661.	चोमू	जयपुर
662.	चूरू	चूरू
663.	दौसा	दौसा
664.	धौलपुर	धौलपुर

1	2	3
665.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
666.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
667.	जैसलमेर	जैसलमेर
668.	जालौर	जालौर
669.	झालावाड़	झालावाड़
670.	झुंझुनू	झुंझुनू
671.	केकरी	अजमेर
672.	कंकरौली	राजसमंद
673.	मावली जंक्शन एचओ	उदयपुर
674.	माउंट आबू	सिरोही
675.	नागौर	नागौर
676.	नसीराबाद	अजमेर
677.	पाली	पाली
678.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
679.	शाहपुरा	जयपुर
680.	सीकर	सीकर
681.	सिरोही	सिरोही
682.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
683.	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर
684.	टोंक	टोंक
685.	तिलौनिया	अजमेर
686.	वनस्थली विद्यापीठ	टोंक
687.	करौली	करौली
तमिलनाडु सर्किल (*)**		
688.	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी
689.	थेनी एमडीजी	थेनी
690.	पलनी एसपीसी	डिंडिगुल
691.	नीलकोट्टई एसपीसी	डिंडिगुल
692.	संकरनकोविल एसपीसी	तिरुनेलवेली
693.	तिरुचेंदूर एसपीसी	तूतीकोरीन
694.	श्रीवैकुंटम एसपीसी	तूतीकोरीन
695.	नागापट्टिनम	नागापट्टिनम
696.	पुदुकोट्टई	तंजावूर
697.	नैवेली-3	कुडलूर
698.	लालगुडी	त्रिच्ची
699.	मानरगुडी	तिरुवारूर
700.	पापनासम	तंजावूर
701.	कुलीतलई	कारूर
702.	तिरुतुरईपुंडी	तिरुवारूर
703.	तुराईयूर	पेराम्बलूर
704.	सीरकाली	नागपट्टिनम
705.	तिरुवारूर	तिरुवारूर
706.	पेरम्बूर	पेराम्बलूर
707.	अरियालूर	पेराम्बलूर
708.	करईकल	पोंडी-यूटी
709.	धर्मपुरी	धर्मपुरी
उत्तर प्रदेश सर्किल		
710.	आजमगढ़	आजमगढ़
711.	बहराइच	बहराइच
712.	बलिया	बलिया
713.	बलरामपुर	बलरामपुर
714.	बांदा	बांदा
715.	बाराबंकी	बाराबंकी
716.	बस्ती	बस्ती

1	2	3
717.	बिजनौर	बिजनौर
718.	बदायूं	बदायूं
719.	देवरिया	देवरिया
720.	एटा	एटा
721.	इटावा	इटावा
722.	फैजाबाद	फैजाबाद
723.	फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद
724.	फतेहपुर	फतेहपुर
725.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
726.	गाजीपुर	गाजीपुर
727.	गौंडा	गौंडा
728.	एचएएल कोरवा	सुल्तानपुर
729.	हमीरपुर	हमीरपुर
730.	हरदोई	हरदोई
731.	आईटीआई मनकापुर	गोंडा
732.	जौनपुर	जौनपुर
733.	कन्नौज	कन्नौज
734.	करवी	चित्रकूट
735.	खलीलाबाद	संत कबीरनगर
736.	खीरी	खीरी
737.	खुर्जा	बुलंदशहर
738.	महाराजगंज	महाराजगंज
739.	महोबा	महोबा
740.	मैनपुरी	मैनपुरी
741.	मऊ	मऊ
742.	मिर्जापुर	मिर्जापुर
743.	मोदीनगर	गाजियाबाद
744.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
745.	नरौरा	बुलंदशहर
746.	नजीबाबाद	बिजनौर
747.	उरई	जालौन
748.	पडरौना	कुशीनगर
749.	पीलीभीत	पीलीभीत
750.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
751.	रायबरेली	रायबरेली
752.	रामपुर	रामपुर
753.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
754.	सीतापुर	सीतापुर
755.	सुलतानपुर	सुल्तानपुर
756.	तेतरीबाजार	सिद्धार्थ नगर
757.	उन्नाव	उन्नाव
उत्तरांचल सर्किल		
758.	पंतनगर	अल्मोड़ा
759.	रुद्रपुर	ऊधम सिंह नगर
760.	किच्छा	ऊधम सिंह नगर
761.	रामनगर	ऊधम सिंह नगर
762.	श्रीनगर	नैनीताल
763.	रानीखेत	पौड़ी
764.	बागेश्वर	अल्मोड़ा
765.	बीएचईएल	बागेश्वर
766.	दोईवाला	हरिद्वार
767.	विकासनगर	देहरादून
768.	चक्राता	देहरादून
769.	बाजपुर	देहरादून

1	2	3
770.	खतिमा	ऊधम सिंह नगर
771.	गोपेश्वर	ऊधम सिंह नगर
772.	पिथौरागढ़	चमोली
पश्चिम बंगाल सर्किल (***)**		
773.	अजीमगंज	मुर्शिदाबाद
774.	आमटा	हावड़ा
775.	आरामबाग	हुगली
776.	अशोकनगर	24 परगनास (उत्तर)
777.	बदूरिया	24 परगनास (उत्तर)
778.	बगनान	हावड़ा
779.	बैद्यबाटी	हुगली
780.	बल्ली	हावड़ा
781.	बंदेल	हुगली
782.	बांकुरा	बांकुरा
783.	बांसबेरिया	हुगली
784.	बसीरघाट प्रधान डाकघर	24 परगनास (उत्तर)
785.	बीसीकेवीवी (मोहनपुर)	नादिया
786.	बेलडांगा	मुर्शिदाबाद
787.	बेलूरमठ	हावड़ा
788.	बरहामपुर (बी)	मुर्शिदाबाद
789.	भद्रस्वार	हुगली
790.	भाटपारा	24 परगनास (उत्तर)
791.	बीरनगर	नादिया
792.	बिष्णुपुर	बांकुरा
793.	बोंगांव	24 परगनास (उत्तर)
794.	बोटैनिकल गार्डन	हावड़ा
795.	बर्नपुर	बर्दवान

1	2	3
796.	चंपदानी	हूगली
797.	चंदनगर	हूगली
798.	चंद्रकोणा	पश्चिम मिदनापुर
799.	चिनसूरा	हूगली
800.	कोंटाई	पूर्वी मिदनापुर
801.	कूपर्स कैंप	नादिया
802.	धुलियान	मुर्शीदाबाद
803.	डायमंड हार्बर प्रधान डाकघर	24 परगनास (दक्षिण)
804.	दुबराजपुर	बीरभूम
805.	दकमल	मुर्शीदाबाद
806.	एगरा	पूर्वी मिदनापुर
807.	गरूलिया	28 परगनास (उत्तर)
808.	गयेशपुर	नादिया
809.	घाटाल	पश्चिम मिदनापुर
810.	गोबरडांगा	24 परगनास (उत्तर)
811.	हावड़ा	24 परगनास (उत्तर)
812.	हल्दिया	पूर्व मिदनापुर
813.	हालिशहर	29 परगनास (उत्तर)
814.	इचापुर डाकघर	26 परगनास (उत्तर)
815.	जांगीरपुर डाकघर	मुर्शिदाबाद
816.	जयनगर-मजिलपुर डाकघर	24 परगनास (उत्तर)
817.	झालदा	पुरुलिया
818.	झारग्राम	पश्चिम मिदनापुर
819.	जियागंज	मुर्शिदाबाद
820.	कल्याणी प्रधान डाकघर	नादिया
821.	कांचरपारा	27 परगनास (उत्तर)

1	2	3
822.	कांडी प्रधान डाकघर	मुर्शिदाबाद
823.	कोलाघाट	पूर्व मिदनापुर
824.	कोन्नगर	हुगली
825.	किशनगढ़ प्रधान डाकघर	नादिया
826.	माचेदा	पूर्व मिदनापुर
827.	मिदनापुर	पश्चिम मिदनापुर
828.	नवद्वीप प्रधान डाकघर	नादिया
829.	नईहाटी	26 परगनास (उत्तर)
830.	नलहाटी	बीरभूम
831.	पांसकुरा	पूर्व मिदनापुर
832.	पुरुलिया	पुरुलिया
833.	रघुनाथगंज प्रधान डाकघर	मुर्शिदाबाद
834.	रघुनाथपुर	पुरुलिया
835.	रामपुरहाट प्रधान डाकघर	बीरभूम
836.	रानाघाट प्रधान डाकघर	नादिया
837.	ऋषरा	हुगली
838.	सैंथिया	बीरभूम
839.	साल्किया	हावड़ा
840.	शांतिनिकेतन	बीरभूम
841.	शांतिपुर	नादिया
842.	संतरागांछी	हावड़ा
843.	शिउराफुली	हुगली
844.	सेरामपुर	हुगली
845.	श्यामगर	30 परगनास (उत्तर)
846.	सोनामुखी	बांकुरा
847.	सूरी	बीरभूम
848.	ताहरपुर	नादिया
849.	ताकिपो	24 परगनास (उत्तर)
850.	तामलूक	पूर्वी मिदनापुर
851.	तारकेश्वर	हुगली
852.	उलूबेरिया	हावड़ा
853.	उत्तरपाड़ा	हुगली
854.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	पश्चिम मिदनापुर
855.	चाकदाह	नादिया

(*) गुजरात में दमन और दीव संघ शासित प्रदेश शामिल हैं।
(**) महाराष्ट्र में गोवा राज्य शामिल है।
(***) पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
(****) तमिलनाडु में संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी शामिल है।
(*****) पश्चिम बंगाल में संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल है।

कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध

*240. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोया तेल, आलू, चना और रबड़ सहित कुछ कृषि उत्पादों के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध के कारण देश में कृषि के विकास पर असर पड़ा है तथा इन उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायदा बाजार आयोग ने इस संबंध में कोई अध्ययन/आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। वायदा बाजार आयोग ने 2007 में चार वस्तुओं अर्थात् तूर, उड़द, गेहूं और

चावल में भावी सौदा व्यापार को निलंबित कर दिया था। बाद में मई, 2008 से नवम्बर, 2008 तक चना, सोया तेल, आलू और रबड़ के भावी सौदा व्यापार को भी निलंबित कर दिया गया। चना, सोया तेल, आलू और रबड़ में भावी सौदा व्यापार के निलंबन को नवम्बर 2008 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी कि कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए भावी सौदा बाजार जिम्मेदार है या नहीं। विशेषज्ञ समिति इन वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार और मूल्य वृद्धि के बीच कोई कार्यकरण संबंध स्थापित नहीं कर सकी। समिति ने यह भी महसूस किया कि जिस अवधि के दौरान भावी सौदा व्यापार प्रचालन में था, वह अवधि इतनी अल्प थी कि वस्तुओं के स्पाट मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव के बारे में कोई निश्चयात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। भावी सौदा बाजार केवल मूल्य खोज के लिए प्लेटफार्म मुहैया करता है और किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि/गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। वायदा बाजार आयोग ने सूचित किया है कि आठ कृषि-जन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व सक्रिय भावी सौदा व्यापार की अवधि कृषि की वृद्धि पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव संबंधी विश्लेषण के लिए उपयुक्त आंकड़े और सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता आंदोलन हेतु धनराशि

2223. श्री रामस्वरूप कोली: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी सहायता दी गयी है और दिल्ली में ऐसे संगठनों द्वारा उपभोक्ता आंदोलन के प्रति संगठन-वार क्या योगदान दिया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए जन-सम्बोधन उपकरण तथा फिल्म प्रोजेक्टरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में स्वैच्छिक संगठनों को गत वर्ष तथा चालू वर्ष में दी गई वित्तीय सहायता और उनके द्वारा दिया गया योगदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए अनुदान

दिल्ली

क्र.सं.	संगठन का नाम	रिलीज की गई राशि	उपभोक्ता आंदोलन के प्रति योगदान
1	2	3	4
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली	1,14,44,000	उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण में अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कालेजों आदि की भागीदारी को बढ़ावा देने की स्कीम के तहत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुसंधान अध्ययन/ उपभोक्ता अधिकार समारोहों के लिए 228 संगठनों को अनुदान वितरित किया गया।

1	2	3	4
2.	साऊथ दिल्ली हाउसवाइव्ज एसोसिएशन, ए 38 बी, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048	3,00,000	दिल्ली में विभिन्न स्कूलों में 30 उपभोक्ता क्लब स्थापित किए गए।
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए	41,00,000	देश में कहीं से भी किसी बीएसएनएल/एमटीएनएल टेलीफोन लाईन से उपभोक्ता 1800-11-4000 पर नि:शुल्क काल कर सकते हैं और उपभोक्ता हित के सभी क्षेत्रों के बारे में परामर्श ले सकते हैं और अपनी शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। 1.4.2007 से 31.3.2008 तक कुल 39,355 कालें प्राप्त हुई हैं।
4.	मिरांडा हाऊस यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, दिल्ली	1,00,000	उपभोक्ता जागरूकता पर सेमिनार आयोजित किया गया।
5.	वायस सोसायटी, 441, जंगपुरा, नई दिल्ली-14	23,00,000	परियोजना तुलनात्मक परीक्षण के लिए है। वायस सोसायटी ने 20 उत्पादों के परीक्षण कराए हैं और 4 सेवाओं का मूल्यांकन किया है।
	योग	1,82,44,000	

वर्ष 2008-09 के लिए अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	रिलीज की गई राशि	उपभोक्ता आंदोलन के प्रति योगदान
1.	फिक्की, फेडरेशन हाऊस, नई दिल्ली	42,00,000	स्वैच्छिक आत्म नियंत्रण और उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र प्रतितोष को सुकर बनाने के लिए फिक्की एलाइंज फार कंज्यूमर केयर की स्थापना की गई।
2.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली	73,97,000	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उपभोक्ता अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित किया गया। भारतीय लोक प्रशासन मंत्रालय ने 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम/क्षमता निर्माण गतिविधियां और 10 संवर्धनात्मक गतिविधियां आयोजित की।
3.	विनोद कुमार मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली	10,00,000	औषधियों और मूल्यों पर सूचना देने के लिए मिड गाइड: काम (midguide.com) वेबसाइट के उन्नयन और रख-रखाव के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई।
4.	(नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए) दिल्ली विश्वविद्यालय को	12,00,000	देश में कहीं से भी किसी बीएसएनएल/एमटीएनएल टेलीफोन लाइन से उपभोक्ता 1800-11-4000 पर नि:शुल्क काल कर सकते हैं और उपभोक्ता हित के सभी क्षेत्रों के बारे में परामर्श ले सकते हैं और अपनी शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। 1.4.2008 से 31.10.2008 तक कुल 31,182 कालें प्राप्त हुई हैं।
	कुल	1,37,97,000	

बड़े बांध और बाढ़

2224. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि बाढ़ के लिए बड़े बांध जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बांधों के लाभ, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नदीतल में गाद जमा होना, नदी मार्ग में परिवर्तन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) बड़े बांध बाढ़ों को कम करने में सहायक होते हैं विशेषकर यदि भण्डारण में डेडीकेटिड बाढ़ कुशन की व्यवस्था की गई हो। बड़े बांधों का प्रचालन जलाशयों संबंधी प्रचालन मैनुअल के अनुसार विशिष्ट नियम चक्र (स्पेसीफाईड रूल कर्व्ज) के आधार पर किया जाता है जो बाढ़ कम करने में सहायक है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा बांधों के लाभ, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नदी तल में गाद जमा होने, नदी मार्ग में परिवर्तन संबंधी विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, बड़े बांधों की परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात किया जाता है ताकि तकनीकी-आर्थिक रूप से सब अधिक व्यवहार्य नतीजे प्राप्त किये जा सकें। बड़े बांधों की आयोजना के समय विभिन्न विकल्पों का विधिवत अध्ययन किया जाता है।

बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

2225. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य होने के बावजूद हाल ही में छह राज्यों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 138 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में एक भी बाढ़ नियंत्रण योजना असम के लिए नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए छह अन्य राज्यों के अनेक स्वीकृत अनुदान और लागत के संबंध में संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान असम सरकार द्वारा प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की अधिकार प्राप्त समिति की मार्च, 2008 में हुई प्रथम बैठक के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत 12 राज्यों से कुल 239 प्रस्तावों को शामिल किया गया था जिनमें 75 प्रस्ताव असम से थे जिनकी अनुमानित लागत 438.39 करोड़ रुपये थी। इन स्कीमों के लिए जुलाई, 2008 में केन्द्रीय सहायता की 90 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त राज्य को जारी की गई थी।

अगस्त 2008 में हुई अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चार राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल से 27 नए प्रस्तावों को शामिल किया गया था। असम राज्य सरकार से प्राप्त 4 प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक में विचार किया गया परन्तु यह पाया गया कि इनके लागत अनुमान को मौजूदा मूल्य स्तर पर अद्यतन नहीं किया गया था। अत: राज्य सरकार को लागत अनुमानों का अद्यतनीकरण करने तथा संशोधित लागत अनुमानों के प्रस्तावों को दोबारा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत राज्यवार बाढ़ प्रबंधन स्कीमों के लागत अनुमान, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय हिस्सा तथा दिनांक 31.11.2008 तक जारी निधि की सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान असम सरकार से एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार से अनुमानित लागत को मौजूदा मूल्य स्तर पर अद्यतन करके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत अनुमोदित की गई राज्यवार स्कीमें तथा दिनांक 30.11.2008 तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए प्रस्ताव			केन्द्रीय सहायता (प्रथम किस्त) 30.11.2008 को जारी की गई	
		संख्या	अनुमानित लागत	केन्द्रीय सहायता	स्कीमों की सं.	जारी की गई राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	9	54.72	49.25	9	16.40
2.	असम	75	438.39	394.55	73	90.00
3.	बिहार	29	425.29	318.97	6	59.01
4.	जम्मू एवं कश्मीर	14	146.9	132.21	5	12.80
5.	झारखंड	1	20.12	15.09	1	6.00
6.	मणिपुर	9	21.19	19.07	9	10.47
7.	नागालैंड	5	13.9	12.51	5	6.95
8.	उड़ीसा	72	170.42	127.82	69	45.90
9.	पंजाब	1	111.39	83.54	1	21.51
10.	सिक्किम	24	86.21	77.59	24	15.75
11.	त्रिपुरा	11	26.57	23.91	11	5.00
12.	उत्तर प्रदेश	4	48.85	36.64	4	5.25
13.	उत्तराखंड	4	28.68	22.02	1	3.47
14.	पश्चिम बंगाल	8	59.46	44.60	5	7.64
	कुल	266	1652.09	1357.76	223	306.15

खान दुर्घटनाएं

2226. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्र में राज्यवार हुई कोयला खान दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में मृतकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं में प्रत्येक मामले में कोई जांच की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं में लापरवाही के लिए कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में

कोयला खानों में घटी दुर्घटनाओं की संख्या और इन दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या (राज्य-वार) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य	वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2004	11	14
	2005	11	11
	2006	16	19
	2007	12	12
	2008	11	12
असम	2004	2	2
	2005	1	1
	2006	0	0
	2007	0	0
	2008	1	2
छत्तीसगढ़	2004	3	4
	2005	7	7
	2006	3	3
	2007	11	11
	2008	8	8
गुजरात	2004	0	0
	2005	1	1
	2006	0	0
	2007	1	1
	2008	2	2
झारखण्ड	2004	27	30
	2005	29	49
	2006	25	75
	2007	20	22
	2008	15	15
मध्य प्रदेश	2004	8	9
	2005	16	17
	2006	15	16
	2007	11	11
	2008	15	18
महाराष्ट्र	2004	11	11
	2005	5	5
	2006	6	6
	2007	8	8
	2008	9	9
उड़ीसा	2004	4	4
	2005	10	10
	2006	2	2
	2007	4	4
	2008	4	4
तमिलनाडु	2004	3	3
	2005	1	1
	2006	5	5
	2007	2	2
	2008	2	2
उत्तर प्रदेश	2004	2	2
	2005	2	2
	2006	0	0
	2007	3	3
	2008	1	1

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	2004	16	17
	2005	13	13
	2006	6	11
	2007	5	5
	2008	8	8
अखिल भारत	2004	87	96
	2005	96	117
	2006	78	137
	2007	77	79
	2008	76	91

टिप्पणी: वर्ष 2008 के आंकड़े 31.10.2008 तक के हैं।

मछुआरों को पहचान-पत्र

2227. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समुद्र में जाने वाले मछुआरों को पहचान-पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछुआरों को कब तक पहचान-पत्र जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी कामगारों को बुनियादी सुविधाएं

2228. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित समेकित आवास योजना, 2005 के अंतर्गत निर्मित आवासीय कालोनियों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपयुक्त उपाय किये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के लिए किसी आवासीय कालोनी को मंजूरी प्रदान नहीं की है।

संतरे का उत्पादन

2229. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में संतरे के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में संतरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार नारंगी उत्पादन बढ़ते रुझान को दर्शाता है। विवरण संलग्न है।

(ग) कृषि और सहकारिता विभाग वर्ष 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी (टीएमएनई) पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसका विस्तार वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हो गया है। इस स्कीम के तहत संतरा सहित बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्री का उत्पादन, पुराने जर्जर उद्यानों का नवीनीकरण, जैविक कृषि को अपनाने, समेकित पोषाहार प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) भी हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी, फसल पश्चात् अवसंरचना सृजन, विपणन और संतरा सहित बागवानी उत्पादों का प्राथमिक संस्करण करने के लिए "उत्पादन और फसल पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यक बागवानी का विकास" स्कीम के तहत वित्तीय सहायता दे रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के लिए पूर्वोत्तर में संतरा के राज्यवार उत्पादन

(मीट्रिक टन)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
अरुणाचल प्रदेश	27800	28356	28353
असम	73994	88137	89915
मणिपुर	11672	21620	28380
मेघालय	34155	34735	34735
मिजोरम	10505	34366	35097
नागालैण्ड	10000	10000	15000
सिक्किम	9050	9250	9671
त्रिपुरा	18150	19444	19797
कुल	195326	245908	260948

उपभोक्ता जागरूकता

2230. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में उपभोक्ता जागरूकता क्रियाकलाप चलाने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राज्य ने इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां। केरल सरकार ने राज्य में उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां। केरल सरकार ने राज्य में उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के लिए 93.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है।

(घ) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। प्रस्ताव पर विभाग में कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना

क्र.सं.	उद्देश्य जिनके लिए राशि मांगी गई	अनुमानित राशि
1	2	3
1.	उपभोक्ताओं के अधिकारों, राशन के आबंटन, पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, आईएसआई मोहरबंद, बीआईएस हालमार्किंग आदि के ब्यौरों के बारे में पम्फलेट और पुस्तिकाएं प्रकाशित करना।	10.00 लाख रुपए
2.	भारतीय मानक ब्यूरो की मदद से जिला और तालूका स्तर पर सोने की हालमार्किंग, चांदी के हालमार्किंग केंद्रों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बाट तथा माप अधिनियम, पैकेज में रखी वस्तुएं नियमों आदि के बारे में उपभोक्ता जागरूकता अभियान आयोजित करना।	31.50 लाख रुपए
3.	व्यापारियों, विनिर्माताओं और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की बैठकें आयोजित करवाना ताकि उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा सके और उन्हें उपभोक्ता के अनुकूल बनाया जा सके।	2.00 लाख रुपए

1	2	3
4.	उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए 250 चुने हुए स्कूलों में उपभोक्ता क्लब आयोजित करना।	25.00 लाख रुपए
5.	उपभोक्ताओं के अधिकारों, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच/आयोग आदि के बारे में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार।	25.00 लाख रुपए
	योग	93.50 लाख रुपए

[हिन्दी]

ब्राडबैंड कनेक्शन

2231. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में ब्राडबैंड सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है तथा देश में उपलब्ध कराए गए ब्राडबैंड कनेक्शन की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में ब्राडबैंड उचित ढंग से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) ब्राडबैंड सेवाएं आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में प्रदान की जा रही हैं। 31 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 4.98 मिलियन ब्राडबैंड उपभोक्ताओं में से आंध्र प्रदेश में ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या, 0.4 मिलियन से अधिक है। ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की राज्य-वार संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

ब्राडबैंड कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से भारतीय तार अधिनियम में "चरणबद्ध रूप में गांवों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रावधान" शामिल करने हेतु संशोधन किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "ब्राडबैंड सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता विनियमन 2006" के द्वारा सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर निर्धारित किए हैं। ट्राई की "जून, 2008 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवाओं के तिमाही निष्पादन संकेतक" पर 7 अक्तूबर, 2008 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 13 सेवा प्रदाता हैं जिनके ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 10,000 से अधिक है। इन सेवा प्रदाताओं में से अधिकतम प्रदाता, ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकांश सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को अधिकतर क्षेत्रों में पूरा कर रहे हैं।

विवरण

अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्राडबैंड उपभोक्ता

क्र.सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	ब्राडबैंड उपभोक्ता (31.10.2008 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2282
2.	आंध्र प्रदेश	400663
3.	असम	31456
4.	बिहार (झारखंड सहित)	63305
5.	दिल्ली*	588716
6.	गुजरात	322656
7.	हरियाणा	88558
8.	हिमाचल प्रदेश	20981
9.	जम्मू और कश्मीर	19538

1	2	3
10.	कर्नाटक	569057
11.	केरल	249909
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	934351
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	168951
14.	पूर्वोत्तर**	14202
15.	उड़ीसा	48350
16.	पंजाब	182953
17.	राजस्थान	145449
18.	तमिलनाडु	644912
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	238791
20.	पश्चिम बंगाल	246896
	जोड़	4981976

*नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित।

**मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सहित।

[अनुवाद]

बागवानी का विकास

2232. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में बागवानी के विकास के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों को आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मध्य प्रदेश सहित देश में बागवानी के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में बागवानी विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। यथा- (1) 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन जिसे वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया था और (2) 2005-06 से मध्य प्रदेश सहित शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)।

2005-06 से 2008-09 के दौरान बागवानी विकास के लिए मध्य प्रदेश सहित निर्मुक्त राशियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 जारी राशि	2006-07 जारी राशि	2007-08 जारी राशि	2008-09 जारी राशि (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	7836.94	10468.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	1300.00	1612.90	2830.00	1200.00
3.	असम	1300.00	1400.00	2680.00	2875.00
4.	बिहार	3100.00	3500.00	269.72	3122.48
5.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	6252.41	3000.00
6.	गोवा	315.2	200.00	3.19	50.45
7.	गुजरात	3239.28	2577.03	1954.24	2131.83

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	1050.00	3480.00	6476.49	2551.86
9.	हिमाचल प्रदेश	1100.00	4000.00	2400.00	1600.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1550.00	2933.00	2000.00	1115.00
11.	झारखंड	3030.00	4000.00	781.00	3000.00
12.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	8571.05	12536.88
13.	केरल	3533.98	7959.53	6147.73	7517.29
14.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	5537.50	3500.00
15.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	13224.97	13021.70
16.	मणिपुर	1500.00	1700.00	2228.00	1850.00
17.	मेघालय	1700.00	2000.00	2700.00	2062.50
18.	मिजोरम	1800.00	3200.00	3095.00	2125.00
19.	नागालैंड	1700.00	2356.00	2500.00	2075.00
20.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	3812.16	0.00
21.	पंजाब	2868.82	1150.00	2409.99	12.48
22.	राजस्थान	2259.57	3837.93	5673.19	2897.71
23.	सिक्किम	1800.00	2331.00	3110.00	1977.50
24.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	8536.82	7688.00
25.	त्रिपुरा	1500.00	1400.00	2400.00	1600.00
26.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	9425.90	1079.27
27.	उत्तराखंड	1100.00	4000.00	2839.94	1800.00
28.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	681.82	607.20
29.	दिल्ली	0.00	300.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.00	63.00	29.90	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	85.00	0.00	0.00
	कुल	74970.00	111318.04	116407.96	93465.54

[हिन्दी]

ग्रामोन्मुखी डाकघर

2233. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों को ग्रामोन्मुखी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो डाकघरों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-सी योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) देश में इस योजना का कार्यान्वयन कब से किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) डाक प्रणाली पहले ही ग्रामोन्मुखी है। कुल 1,55,035 डाकघरों के नेटवर्क (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार) में से 1,39,173 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि 89% से अधिक डाकघर गांवों में प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) मनीआर्डर, पंजीकरण, बचत बैंक सेवाओं आदि जैसे पारंपरिक उत्पाद गांवों में कार्यरत शाखा डाकघरों में पहले से उपलब्ध हैं। हाल ही में भारत सरकार की दो नई योजनाएं, नामत: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) को ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जहां मनीआर्डर अथवा बचत बैंक खातों के जरिए राशि का वितरण किया जाता है।

मोबाइल तथा टेलीफोन सेवाएं

2234. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है जो भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन तथा मोबाइल सेवा के अंतर्गत कवर नहीं किये गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2008 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में किए गए कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) देश के सभी राज्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बी.एस.एन.एल. की इन सेवाओं द्वारा कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(घ) निजी मोबाइल सेवाओं की तुलना में बी.एस.एन.एल. मोबाइल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जीएसएम आधारित मोबाइल सेवा द्वारा सभी जिला मुख्यालयों और 15,989 शहरों/कस्बों को सुविधा प्रदान कर दी है। 5,93,601 गांवों में से, 2,74,960 गांवों को बीएसएनएल पहले ही मोबाइल सुविधा प्रदान कर चुका है। सर्किलवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। 2,642 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में से 2,589 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को भी डब्ल्यूएलएल पर फिक्सड टेलीफोन सेवा प्रदान की गई है। सर्किलवार ब्यौरा विवरण-2 पर दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल की आगामी तीन वर्षों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को उत्तरोत्तर मोबाइल सेवा सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) शेष अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। अधिक पूंजी लगने के कारण मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था केवल चरणों में ही की जा सकती है और इसीलिए बीएसएनएल विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध रूप में सेवा उपलब्ध करा रहा है।

(घ) बीएसएनएल देश में अपने सेवा क्षेत्र में अपने बेतार नेटवर्क में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है ताकि कवरेज, क्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार हो। निष्पादन में सुधार के लिए, बीएसएनएल नियमित रूप से अपने नेटवर्क का भी इष्टतम उपयोग कर रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की मॉनीटरिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण I

31.10.2008 की स्थिति के अनुसार सेल्यूलर सेवायुक्त जिला मुख्यालयों, शहरों/कस्बों और गांवों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	राजस्व जिला मुख्यालयों की कुल सं.	सेल्यूलर सेवायुक्त जिला मुख्यालय	कुल गांव	सेल्यूलर सेवायुक्त गांव
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	501	290
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	26613	12014
3.	असम	26	26	25124	6782
4.	बिहार	38	38	39032	11893
5.	छत्तीसगढ़	18	18	19744	6033
6.	गुजरात	28	28	18159	10502
7.	हरियाणा	20	20	6764	3389
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	17595	8608
9.	जम्मू-कश्मीर	22	22	6417	1453
10.	झारखंड	24	24	29354	14711
11.	कर्नाटक	27	27	27481	14039
12.	केरल	14	14	1372	1344
13.	मध्य प्रदेश	48	48	52117	23329
14.	महाराष्ट्र	35	35	41442	15813
15.	पूर्वोत्तर-I	19	19	7347	356
16.	पूर्वोत्तर-II	36	36	7456	2990
17.	उड़ीसा	30	30	47529	18519
18.	पंजाब	22	22	12301	9751
19.	राजस्थान	33	33	39753	17019
20.	तमिलनाडु	30	30	13837	6088
21.	उत्तराखंड	13	13	15761	7900
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	47	47	76993	60559
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23	23	20949	3055
24.	पश्चिम बंगाल	22	22	37512	17776
25.	कोलकाता	5	5	893	437
26.	चेन्नै	3	3	1655	310
	कुल	621	621	593601	274960

विवरण II

31.10.2008 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूएलएल सेवा सुविधायुक्त अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों की कुल संख्या	सुविधायुक्त कुल अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	243	243
3.	असम	46	46
4.	बिहार	104	104
5.	छत्तीसगढ़	112	105
6.	गुजरात	161	160
7.	हरियाणा	54	54
8.	हिमाचल प्रदेश	33	33
9.	जम्मू-कश्मीर	34	30
10.	झारखंड	75	74
11.	कर्नाटक	180	179
12.	केरल	58	48
13.	मध्य प्रदेश	249	249
14.	महाराष्ट्र	304	304
15.	पूर्वोत्तर-I	30	27
16.	पूर्वोत्तर-II	56	37
17.	उड़ीसा	120	120
18.	पंजाब	55	55
19.	राजस्थान	258	253
20.	तमिलनाडु	122	122
21.	उत्तराखंड	38	36
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	164	164
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	64	64
24.	पश्चिम बंगाल	71	71
25.	कोलकाता	1	1
26.	चेन्नै	8	8
	कुल	2642	2589

[अनुवाद]

डाक विभाग के माध्यम से विदेशी मुद्रा सेवा

2235. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने देश में विदेशी मुद्रा सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा में और विस्तार करने का है तथा इस सेवा के माध्यम से डाक विभाग को कितना राजस्व मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग ने चुनिंदा डाकघरों की मार्फत विदेशी मुद्रा विनिमय के क्रय/विक्रय के लिए सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड के साथ 17 मार्च, 2008 को एक समझौता किया है। सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ 23 मई, 2008 को विलय हो गया। यह समझौता छः माह की अवधि के लिए था। सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक के साथ विलय होने के साथ यह समझौता सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लिमिटेड के साथ-साथ एचडीएफसी बैंक के साथ भी रहेगा। 16 सितम्बर, 2008 को समाप्त हुए इस समझौते की डाक विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता बढ़ाने के लिए समीक्षा की जा रही है। विदेशी विनिमय की क्रय/विक्रय सेवा समूचे भारत में 44 डाकघरों में उपलब्ध है जिनकी सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) जी हां, सरकार का इस सेवा के विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस सेवा की वृहदतर पहुंच से डाक विभाग को अधिक राजस्व का अर्जन होगा।

(घ) एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर इस सेवा का अधिक स्थानों पर विस्तार करने पर डाक विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है जो कि पहचान किए गए डाकघरों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पूर्णरूपेण धनांतरण लाइसेंस देने के अध्यधीन होगा।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	डाकघर का स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद जीपीओ
2.		सिकन्दराबाद प्रधान डाकघर
3.		हैदराबाद जुबली प्रधान डाकघर
4.	दिल्ली	गोल डाकखाना जीपीओ
5.		सरोजिनी नगर प्रधान डाकघर
6.		लोधी रोड प्रधान डाकघर
7.		संसद मार्ग प्रधान डाकघर
8.		रमेश नगर प्रधान डाकघर
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता जीपीओ
10.		टोलीगंज प्रधान डाकघर, कोलकाता
11.		सिलीगुडी प्रधान डाकघर
12.		पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर, कोलकाता
13.	हरियाणा	अम्बाला प्रधान डाकघर
14.		करनाल प्रधान डाकघर
15.		गुड़गांव प्रधान डाकघर
16.	गोवा	मडगांव प्रधान डाकघर
17.	गुजरात	अहमदाबाद जीपीओ
18.		नवरंगपुरा प्रधान डाकघर, अहमदाबाद
19.		वड़ोदरा प्रधान डाकघर
20.	कर्नाटक	बसवनगुडी प्रधान डाकघर, बेंगलुरू
21.		बेंगलुरू जीपीओ
22.		कोरमंगला उप डाकघर, बेंगलुरू
23.		मैसूर प्रधान डाकघर
24.	केरल	एमजी रोड जीपीओ, त्रिवेंद्रम
25.		एरणाकुलम प्रधान डाकघर
26.		त्रिचूर प्रधान डाकघर
27.		कालीकट
28.		अडूर प्रधान डाकघर
29.		कण्णूर प्रधान डाकघर
30.		कोल्लम प्रधान डाकघर
31.		कोट्टायम प्रधान डाकघर
32.		तिरूर प्रधान डाकघर
33.	महाराष्ट्र	मुम्बई जीपीओ
34.		चेम्बूर प्रधान डाकघर
35.	पंजाब	कम्पनी बाग प्रधान डाकघर, जालन्धर
36.		लुधियाना प्रधान डाकघर
37.		अमृतसर प्रधान डाकघर
38.		सेक्टर-17 प्रधान डाकघर
39.	तमिलनाडु	टी नगर प्रधान डाकघर, चेन्नै
40.		चेन्नै जीपीओ
41.		नागरकोविल प्रधान डाकघर
42.		मदुरै प्रधान डाकघर
43.		कोयम्बतूर प्रधान डाकघर
44.		अन्ना रोड प्रधान डाकघर

शस्त्र प्रणालियों में खराबी

2236. श्री के.एस. राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुध फैक्ट्रियों द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित विभिन्न महत्वपूर्ण हथियार तथा गोलाबारूद में थलसेना द्वारा पाई गई खराबियों एवं कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुध फैक्ट्रियों द्वारा विस्फोटकों सहित घटिया हथियारों तथा गोलाबारूद का उत्पादन करने के कारणों का पता लगाने के लिए यदि कोई अध्ययन कराया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसका थलसेना के मनोबल तथा मारक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या सरकार का विचार हथियारों तथा गोला बारूदों की खराबियों तथा कमियों के बारे में एक तंत्र स्थापित करने का है तथा सुधार करने का है ताकि रक्षा उपकरणों तथा हथियार प्रणालियों के उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) आयुध निर्माणियां शस्त्रों एवं गोलाबारूदों का उत्पादन निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार करती हैं तथा गुणता आश्वासन महानिदेशालय (गुणता आश्वासन अभिकरण के रूप में पदनामित) द्वारा इन उत्पादों का निरीक्षण करने के उपरांत इन्हें स्वीकृत करने के बाद ही सेना को इनकी आपूर्ति करती है। जब कभी सशस्त्र सेनाओं द्वारा शस्त्र एवं गोलाबारूदों में दोष होने के बारे में बताया जाता है तो उनकी विस्तृत रूप से जांच करके इन्हें दूर करने के लिए एक स्थापित तंत्र मौजूद है। दोष दूर करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सुरक्षा संबंधी कारणों से विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।

(ख) जैसाकि ऊपर (क) में बताया गया है, गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा प्रयोक्ता और संबंधित निर्माणी के सहयोग से दोषों की व्यापक जांच-पड़ताल की जाती है। सेना के मनोबल अथवा इसकी मारक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सुरक्षा संबंधी कारणों से कोई सूचना देना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) आयुध निर्माणियां दोष निवारण के लिए तंत्र के अलावा उत्पादों में सतत् रूप से सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर कच्ची सामग्री को शामिल करना तथा गुणता प्रबंधन का उन्नयन करके नियमित आधार पर कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा संबंधी कारणों से विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

2237. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के असंख्य मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन लंबित आवेदनों पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण डाक सेवकों की कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के 577 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभाग ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के मामलों के शीघ्रता से निपटान के लिए प्रत्येक सर्किल में सर्किल रियायत समिति तथा डाक निदेशालय में उच्चाधिकार समिति का गठन किया है।

(ङ) ग्रामीण डाक सेवकों की कार्य दशाओं की समय-समय पर जांच की जाती है और जहां भी आवश्यकता हो, उचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु लंबित मामलों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	36
2.	असम	45
3.	बिहार	0
4.	छत्तीसगढ़	5

1	2	3
5.	दिल्ली	0
6.	गुजरात	18
7.	हरियाणा	25
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू-कश्मीर	6
10.	झारखंड	19
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	11
13.	मध्य प्रदेश	101
14.	महाराष्ट्र	26
15.	पूर्वोत्तर	62
16.	उड़ीसा	49
17.	पंजाब	26
18.	राजस्थान	28
19.	तमिलनाडु	25
20.	उत्तर प्रदेश	52
21.	उत्तराखंड	13
22.	पश्चिम बंगाल	30
	कुल	577

[हिन्दी]

कोटा जारी करने में अनियमितताएं

2238. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों से राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे का तौल में कम होने, अनियमितताएं तथा विलंब से जारी करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य से प्राप्त ऐसी शिकायतों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 2006, 2007 और 2008 में व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था।

विवरण

व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों से विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त आम शिकायतों को बताने वाला विवरण

(11.12.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
		2006	2007	2008
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	–
3.	असम	1	2	4
4.	बिहार	8	5	4
5.	छत्तीसगढ़	6	1	1
6.	दिल्ली	31	12	26
7.	गुजरात	–	2	–
8.	हरियाणा	7	3	6
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1
10.	जम्मू-कश्मीर	2	–	–
11.	झारखंड	1	5	1
12.	कर्नाटक	3	3	2
13.	केरल	–	–	4
14.	मध्य प्रदेश	3	3	2

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	8	6	6
16.	मणिपुर	–	–	2
17.	नागालैंड	9	–	–
18.	उड़ीसा	3	–	–
19.	पंजाब	4	–	–
20.	राजस्थान	9	16	7
21.	तमिलनाडु	2	–	2
22.	उत्तराखंड	8	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	60	38	17
24.	पश्चिम बंगाल	2	3	4
	जोड़	172	99	90

पुलिस बलों में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन

2239. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषरूप से महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विशेषरूप से महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने रक्षा कार्मिक सेवानिवृत्त हुए तथा इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डाकघरों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

2240. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर के माध्यम से पेंशन प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डाक घर के द्वारा पेंशन का भुगतान अभी नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता के अधिकार

2241. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पैकेटबंद वस्तुओं/उपकरण पर विभिन्न भाषाओं में सूचना देने के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई शर्त लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पैकेटबंद वस्तुओं/उपकरणों पर विभिन्न भाषाओं में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के नियम 9(4) में यह उपबंध है कि नियमों के तहत अपेक्षित घोषणाएं देवनागरी लिपि में हिंदी में अथवा अंग्रेजी में होंगी। तथापि, नियमों के तहत विनिर्दिष्ट घोषणाएं करने के लिए नियमों में हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के प्रयोग का निषेध नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

दूरसंचार सेवाओं का सार्वभौमीकरण

2242. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में उज्जैन तथा रतलाम जिलों सहित देश में दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई; और

(ख) देश में दूरसंचार सेवाओं के सार्वभौमीकरण हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) बीएसएनएल द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम जिलों सहित देश में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	टेलीफोन कनेक्शन							
	एमटीएनएल (लाख में)		बीएसएनएल (लाख में)		रतलाम		उज्जैन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	8.00	7.71	78.75	82.24	1,300	1,004	2,500	865
2006-07	10.00	7.43	100	95.64	1,200	-3,016	1,000	-4,275
2007-08	7.00	5.43	99.75	76.16	1,000	182	1,000	-2,464
2008-09 (31.10.008 तक)	9.50	3.73	111.5	21.73	500	-5,816	500	-1,779

(ख) दूरसंचार सेवाओं में विस्तार के लिए बीएसएनएल और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा विवरण-I और II में संलग्न है।

विवरण I

दूरसंचार सेवाओं में विस्तार के लिए बीएसएनएल द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना

* डब्ल्यूएलएल उपकरण की लगभग 8 लाख लाइनों को संस्थापित करने का कार्य चल रहा है।
* 2008-09 के दौरान डब्ल्यूएलएल उपकरण की 19.2 लाख लाइनों के अधिप्रापण हेतु आर्डर दिए गए हैं। इस डब्ल्यूएलएल उपकरण के संस्थापित हो जाने पर देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन मांग पर उपलब्ध होने की आशा है।
* जीएसएम मोबाइल उपकरण की लगभग 23 मिलियन लाइनों के संस्थापन का कार्य चल रहा है।
* जीएसएम उपकरण की 93 मिलियन लाइनों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है जिन्हें आगामी तीन वर्षों में अधिप्राप्त कर लिया जाएगा और बीएसएनएल की योजना आगामी तीन वर्षों में 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में मोबाइल सेवाएं उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध कराने की है।

विवरण II

देश में दूरसंचार सेवाओं को सर्व सुलभ बनाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की कार्य योजना

* **2001 की जनगणना के अनुसार शेष गांवों में नए वीपीटी उपलब्ध कराना**

  2001 की जनगणना के अनुसार देश में दूरसंचार सुविधाओं से वंचित 60,000 गांव हैं जिनमें अभी वीपीटी सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। दूरसंचार सुविधाओं से वंचित इन गांवों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता द्वारा भी वीपीटी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

* **मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता (चरण-II)**

  देश में दूरसंचार सुविधा से वंचित अन्य क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है जिसके लिए

अतिरिक्त टावरों की पहचान की जा रही है। साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के दूसरे चरण, जिसे शीघ्र शुरू किए जाने की आशा है, के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता द्वारा देश में लगभग 11000 टावरों को संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

* **1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें**

1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता हेतु पात्र प्रचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जो समाप्त किए जा रहे अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) के बदले प्रति वर्ष 2000 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है, ट्राई की सिफारिशों के आधार पर भारतीय तार नियमावली में पहले ही 3 वर्ष की अवधि के लिए संशोधन कर दिया गया है।

* **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण ब्राडबैंड संयोजकता**

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा निष्क्रिय (पैसिव) और कोर अवसंरचना का उपयोग करके ब्राडबैंड अवसंरचना के लिए वित्तीय छूट देकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक स्कीम पर कार्य कर रहा है। प्रस्तावित ग्रामीण ब्राडबैंड संयोजकता से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ग्राम पंचायतों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा स्थापित किए जा रहे काम सर्विस सेंटरों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, वायरलाइन ब्राडबैंड को भी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

* **ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी जैसी सामान्य अवसंरचना सुविधाएं सृजित करना**

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क से उनके कोर नेटवर्क में वाइस एवं डेटा ट्रैफिक को समेकित करने के लिए पर्याप्त बैक-हाल क्षमता उपलब्ध कराने की दृष्टि से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए पहल की है। इस स्कीम में आरंभ में ब्लाक मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क में विस्तार करने पर विचार किया गया है।

* **पायलट परियोजनाएं**

दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकीय विकास लाने के लिए ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पायलट परियोजना आधार पर यूएसओएफ ने पात्र कंपनियों से पायलट परियोजना के निष्पादन हेतु ग्रामीण टेलीफोन के क्षेत्र में अपने उत्पादों/सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग पांच पायलट परियोजनाओं को प्रति परियोजना अधिकतम 50 लाख रु. की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आशा है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

2243. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार इन सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी भूमि सिंचित है;

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है; और

(घ) सिंचाई परियोजनाओं में ठीक ढंग से कार्य हो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण और रख रखाव स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है:

जल संसाधन विभाग, उड़ीसा के नियंत्रणाधीन कुल मिलाकर 22806 सिंचाई परियोजनाएं जिसमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र के अधीन 118, माइनर (प्रवाह) के अधीन 3646 तथा माइनर (लिफ्ट) के अधीन 19042 सिंचाई परियोजनाएं मौजूद हैं। मार्च, 2008 के अंत तक 22.32 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। प्रचालन और गैर-प्रचालन सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं।

तालिका-1 (वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र)

श्रेणी	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	कुल संख्या	सृजित निवल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
वृहद	10	8	18	929.02
मध्यम	49	12	61	293.23
क्रीक	14	6	20	23.90
ईआरएम	12	7	19	14.75
कुल	85	33	118	1260.90

तालिका-2 (माइनर प्रवाह)

क्र.सं.	श्रेणी	एमआईपी की संख्या	अभिकल्पित अयाकट (हजार हेक्टेयर)	निवल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1.	कार्यात्मक एमआईपीएस	2082	337.00	529.23
2.	आंशिक रूप से परित्यक्त एमआईपीएस	844	103.00	
3.	पूर्ण रूप से परिव्यक्त एमआईपीएस	540	44.00	
4.	चल रही एमआईपीएस	180	63.00	
	कुल	3646	547.00	529.23

तालिका-3 (माइनर लिफ्ट)

विवरण	केबीके जिले		गैर-केबीके जिले		कुल	
	सं.	सृजित निवल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	सं.	सृजित निवल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	सं.	सृजित निवल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
प्रचालन योग्य एलआई परियोजनाएं	3076	75.028	8407	191.698	11483	266.726
निष्क्रिय एलआई परियोजनाएं	1381	32.080	6178	143.500	7559	175.580
कुल	4457	107.108	14585	335.198	19042	442.306

(घ) उड़ीसा सरकार, सिंचाई परियोजनाओं को दक्ष बनाने के लिए विभिन्न पहल शुरू कर रही है। उक्त प्रयोजन के लिए तैयार की गई स्कीमें नीचे दी गई हैं:-

(1) उड़ीसा समेकित सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश परियोजना (ओआईआईएडब्ल्यूएमआईपी): इस परियोजना का उद्देश्य 14 वृहद एवं मध्यम, 04 क्रीक सिंचाई परियोजनाएं एवं 4843 माइनर (लिफ्ट) परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के द्वारा मौजूदा अयाकट के 1.79 लाख हेक्टेयर को स्थिर करना है। इसके अतिरिक्त एक चल रही परियोजना को पूरा करके 5937 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की

जायेगी। यह परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जाएगी। ऐशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है। एडीबी के साथ हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चालू वित्त वर्ष के दौरान ट्रेंच-1 कार्य शुरू किए जाने का कार्यक्रम है।

(2) उड़ीसा सामुदयिक टैंक प्रबंध परियोजना (ओसीटीएमपी): यह परियोजना 1,20,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र सहित लगभग 900 टैंक प्रणालियों में सुधार कार्य करती है। यह परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जानी है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू किया जाना है।

(3) उड़ीसा जल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (ओडब्ल्यूएसआईपी): इस परियोजना में महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल निकास विकास के अलावा नई सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण, नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की योजना है। परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा हीराकुंड प्रणाली और महानदी डेल्टा चरण-1 का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करते हुए मौजूदा अयाकट के 1.96 लाख हेक्टेयर का स्थिरीकरण करना है। यह परियोजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जायेगी। प्रारंभिक कार्यकलाप जैसे सर्वेक्षण एवं अन्वेषण रिपोर्ट की तैयारी प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2009-10 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

खेतों में आग

2244. श्री नवीन जिन्दल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल कटाई के बाद खेतों में आग लगा देने की प्रथा कई राज्यों में प्रचलित है जैसाकि 2 मई, 2008 के 'द ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आग से मिट्टी की उर्वरता कम होती है तथा मानव जीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचाती है और वायु प्रदूषित होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस हानिकारक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। विशेष रूप से, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल-गेहूं फसल प्रणाली में।

(ख) फसल अवशेषों को जलाने से अवशेष में निहित बहुत से अनिवार्य पादप पोषक तत्व तथा महत्वपूर्ण जैविक कार्बन की हानि होती है। दहन के कारण कार्बन डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड तथा विविध पदार्थों आदि के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण भी होता है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या तो मृदा में सम्मिश्रण के जरिए या कम्पोस्टिंग/वर्मी-कम्पोस्ट के माध्यम से अवशेषों के पुनर्चक्रण का समर्थन करता है। फसल अवशेषों के दहन में कमी लाने तथा विघटन हेतु मृदा में उनके सम्मिश्रण को कारगर बनाने के लिए ताकि जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि की जा सके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा बृहत प्रबंधन प्रणाली स्कीम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत जीरो टीलेज तथा रोटावेटरों जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में उन्नयन कार्य

2245. श्री गिरिधारी यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में कोई उन्नयन कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उन्नयन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम एक्सचेंजों, मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के उन्नयन कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान और नए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (वीटीएस) के उन्नयन के माध्यम से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और मोबाइल सेवाओं में भी वृद्धि की गई है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV पर दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र के उन्नयन के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अच्छी दूरसंचार कनेक्टिविटी और सेवाएं प्राप्त होंगी जिससे सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों में सुधार होगा।

विवरण I

छोटे और मध्यम एक्सचेंजों का उन्नयन

वर्ष	एकल बेस मॉड्यूल का दूरस्थ उपभोक्ता एकक में परिवर्तन	सी-डॉट आरएएक्स का एएन-आरएएक्स में परिवर्तन
2006-07	33	369
2007-08	8	266
2008-09, अक्तूबर-08 तक	1	11
बिहार में उन्नयन कार्य	2006-07 - 2 2007-08 - 3 सभी कार्य पूरा कर लिया गया है, कोई परिवर्तन कार्य लंबित नहीं है	2006-07 - 43 सब कार्य पूरा कर लिया गया है, परिवर्तन का कोई कार्य लंबित नहीं है।

विवरण II

31.10.2008 की स्थिति के अनुसार मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) का प्रतिस्थापन

क्र.सं.	सर्किल	1.4.2007 को वास्तविक आधार पर किए गए समाधान के अनुसार एमएआरआर के संबंध में आंकड़े	अक्तूबर, 2008 तक प्रतिस्थापित किए गए कुल एमएआरआर	31.10.2008 की स्थिति के अनुसार शेष
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71	71	0
2.	आंध्र प्रदेश	10335	10334	1
3.	असम	9237	9102	135
4.	बिहार	7431	7431	0
5.	झारखंड	3570	3570	0
6.	गुजरात	4106	4087	19
7.	हरियाणा	1423	1423	0
8.	हिमाचल प्रदेश	949	941	8
9.	जम्मू और कश्मीर	2283	2251	32
10.	कर्नाटक	14575	14574	1
11.	केरल	4	4	0
12.	मध्य प्रदेश	21111	21023	88

1	2	3	4	5
13.	छत्तीसगढ़	5007	4816	191
14.	महाराष्ट्र	15227	15143	84
15.	पूर्वोत्तर-I	1901	1327	574
16.	मेघालय	1056	612	444
17.	मिजोरम	527	397	130
18.	त्रिपुरा	318	318	0
19.	पूर्वोत्तर-II	1531	1373	158
20.	अरुणाचल प्रदेश	440	384	56
21.	मणिपुर	547	457	90
22.	नागालैंड	544	532	12
23.	उड़ीसा	11912	11770	142
24.	पंजाब	2146	2146	0
25.	राजस्थान	14573	14431	142
26.	तमिलनाडु	6000	6000	0
27.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	25007	25007	0
28.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9975	9975	0
29.	उत्तराखंड	2876	2845	31
30.	पश्चिम बंगाल	11446	11446	0
31.	सिक्किम	70	68	2
	जोड़	182766	181158	1608

विवरण III

वर्तमान बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) का उन्नयन

क्र.सं.	सर्किल	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर, 08 तक)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	248	81	67
2.	हिमाचल प्रदेश	124	32	70

1	2	3	4	5
3.	जम्मू-कश्मीर	91	58	39
4.	पंजाब	985	100	189
5.	राजस्थान	775	291	143
6.	उत्तराखंड	105	37	39
7.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1189	259	295
8.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	278	138	86
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	27	5
10.	असम	107	255	120
11.	बिहार	181	243	114
12.	कोलकाता दूरसंचार जिला	317	103	113
13.	झारखंड	113	49	73
14.	पूर्वोत्तर	141	101	47
15.	उड़ीसा	178	237	143
16.	पश्चिम बंगाल	233	209	150
17.	छत्तीसगढ़	203	307	195
18.	गुजरात	842	488	224
19.	महाराष्ट्र	1024	928	428
20.	मध्य प्रदेश	566	422	438
21.	आंध्र प्रदेश	452	176	633
22.	चेन्नै दूरसंचार जिला	160	33	83
23.	केरल	521	204	120
24.	कर्नाटक	253	152	193
25.	तमिलनाडु	369	160	319
	जोड़	9474	5090	4326

विवरण IV

कोड डिविजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) बीटीएस चालू करने की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	31.3.2007	31.3.2008	31.10.2008
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	41	48
2.	आंध्र प्रदेश	352	641	742
3.	असम	159	188	201
4.	बिहार	276	386	406
5.	छत्तीसगढ़	128	207	122
6.	गुजरात	132	191	242
7.	हरियाणा	61	104	111
8.	हिमाचल प्रदेश	72	165	196
9.	जम्मू और कश्मीर	85	129	150
10.	झारखंड	133	163	174
11.	कर्नाटक	253	492	495
12.	केरल	539	795	816
13.	मध्य प्रदेश	111	213	256
14.	महाराष्ट्र	480	717	782
15.	पूर्वोत्तर-1	78	88	95
16.	पूर्वोत्तर-2	42	51	52
17.	उड़ीसा	103	199	209
18.	पंजाब	77	90	114
19.	राजस्थान	267	424	494
20.	तमिलनाडु	320	411	411
21.	उत्तराखंड	79	124	142
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	324	360	368
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	112	112	112
24.	पश्चिम बंगाल	152	277	286
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	0	0	0
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	36	57	58
	जोड़	4379	6625	7082

दूरसंचार अवसंरचना का विकास

2246. श्री महावीर भगोरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान फिक्सड लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितने कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) क्या जारी किए गए कनेक्शन के अनुसार आधारभूत ढांचा विकसित किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष (31.10.2008 तक) के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तथा लक्ष्य सर्किल-वार क्रमश: विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। गत दो वर्षों और चालू वर्ष (31.10.2008 तक) के दौरान बीएसएनएल के वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम कनेक्शनों की सुसज्जित क्षमता में हुई निवल वृद्धि निम्नलिखित है:

क्र.सं.	मद	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09 (31.10.2008 तक)
1.	वायरलाइन	लाख	-0.95	-5.61	-3.91
2.	डब्ल्यूएलएल	लाख	13.78	18.39	3.96
3.	जीएसएम	लाख	76.55	51.15	52.59

एमटीएनएल में केबलों, बीटीएस, पारेषण उपस्कर और आप्टिकल फाइबर केबल आदि के माध्यम से अवसंरचना में सुधार किया गया है।

विवरण I

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए वायरलाइन कनेक्शनों हेतु बीएसएनएल के सर्किल-वार एमओयू लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	सर्किल/मैट्रो जिला का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि (31.10.2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	-6,699	534	-6,767	-3,100	-3,862
2.	आंध्र प्रदेश	20,600	-257,893	35,130	-315,112	-177,700	-174,963
3.	असम	3,700	-17,418	11,138	-72,078	-37,300	-61,347
4.	बिहार	19,400	-50,425	22,010	-13,305	-29,600	-7,035
5.	छत्तीसगढ़	600	-11,792	5,793	-17,279	-12,800	-22,094
6.	गुजरात	8,300	-201,231	29,737	-214,776	-132,600	-146,152
7.	हरियाणा	15,500	-96,748	17,303	-77,888	-51,900	-66,048

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	1,200	-22,175	10,005	-42,662	-26,100	-27,597
9.	जम्मू और कश्मीर	4,200	-7,061	6,546	-35,975	-19,700	-12,979
10.	झारखंड	6,000	-20,971	9,671	-2,809	-12,300	-24,358
11.	कर्नाटक	21,500	-157,309	31,338	-162,512	-118,200	-108,584
12.	केरल	49,800	61,870	62,838	-44,448	-107,300	-63,491
13.	मध्य प्रदेश	13,100	-35,754	22,105	-73,734	-57,600	-58,763
14.	महाराष्ट्र	31,900	-129,310	48,136	-340,493	-212,500	-396,480
15.	पूर्वोत्तर-I	1,200	2,976	4,402	1,321	-4,800	-3,885
16.	पूर्वोत्तर-II	1,500	-789	3,335	-22,494	-11,600	-5,403
17.	उड़ीसा	5,400	-14,601	17,084	-3,953	-20,900	-49,810
18.	पंजाब	19,100	-224,213	26,898	-163,163	-95,900	-47,318
19.	राजस्थान	25,900	-89,308	28,727	-92,592	-73,600	-66,960
20.	तमिलनाडु	8,900	-173,822	31,843	-246,648	-149,500	-174,734
21.	उत्तराखंड	1,200	-20,480	7,260	-21,361	-16,000	-19,175
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	17,600	-76,938	26,145	-54,491	-56,800	-14,372
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4,200	-116,967	17,208	-71,733	-50,100	-3,887
24.	पश्चिम बंगाल	29,200	-34,177	20,943	-91,976	-61,900	-47,107
25.	कोलकाता	16,700	16,716	16,484	53	-34,900	-3,183
26.	चेन्नै	1,200	234	12,387	567	-25,400	-8,929
	बीएसएनएल	328,000	-1,684,285	525,000	-2,186,308	-1,600,000	-1,618,516

विवरण II

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए जीएसएम मोबाइल कनेक्शनों हेतु बीएसएनएल के सर्किल-वार एमओयू लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	सर्किल/मैट्रो जिला का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि (31.10.2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,600	12,005	12,805	9,727	29,000	11,045
2.	आंध्र प्रदेश	545,400	600,147	563,415	394,095	1,067,000	407,886

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	100,800	206,213	230,488	234,703	145,000	56,038
4.	बिहार	540,000	190,324	256,098	313,653	433,000	331,035
5.	छत्तीसगढ़	72,900	250,582	256,098	208,707	263,000	137,093
6.	गुजरात	333,000	215,133	409,756	951,555	800,000	242,614
7.	हरियाणा	308,700	469,296	358,537	266,138	283,000	46,637
8.	हिमाचल प्रदेश	144,900	283,050	179,268	50,795	97,000	59,653
9.	जम्मू-कश्मीर	113,400	289,589	204,878	23,832	88,000	20,123
10.	झारखंड	155,700	149,977	204,878	48,466	233,000	87,929
11.	कर्नाटक	760,500	495,767	512,195	9,006	833,000	76,111
12.	केरल	1,139,400	349,360	435,366	201,217	550,000	153,287
13.	मध्य प्रदेश	351,900	509,352	409,756	401,481	488,000	232,896
14.	महाराष्ट्र	848,700	1,108,815	717,073	943,231	1,166,000	107,250
15.	पूर्वोत्तर-I	29,700	83,432	76,829	89,400	43,000	-13,654
16.	पूर्वोत्तर-II	37,800	106,440	76,829	119,834	53,000	-69,749
17.	उड़ीसा	145,800	200,292	204,878	245,148	252,000	162,837
18.	पंजाब	504,900	758,337	563,415	800,866	500,000	310,011
19.	राजस्थान	684,900	951,809	614,634	206,499	800,000	200,787
20.	तमिलनाडु	303,300	606,200	486,585	329,678	1,067,000	156,871
21.	उत्तराखंड	35,100	209,031	102,439	131,198	200,000	22,092
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	467,100	1,219,242	512,195	1,424,533	833,000	423,033
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	110,700	233,613	307,317	516,223	467,000	108,935
24.	पश्चिम बंगाल	773,100	367,774	307,317	310,256	548,000	154,766
25.	कोलकाता	456,300	189,819	204,878	401,121	412,000	121,219
26.	चेन्नै	32,400	209,298	192,073	149,020	350,000	55,322
	बीएसएनएल	9,000,000	10,264,897	8,400,000	8,780,382	12,000,000	3,602,067

विवरण III

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों हेतु बीएसएनएल के सर्किल-वार एमओयू लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	सर्किल/मैट्रो जिला का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि (31.10.2008 तक)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300	-509	2,917	4,036	9,000	1,060
2.	आंध्र प्रदेश	40,000	24,028	58,333	73,328	120,000	32,636
3.	असम	7,500	34,012	23,333	19,253	45,000	-249
4.	बिहार	40,600	22,694	43,750	35,187	60,000	17,314
5.	छत्तीसगढ़	7,500	25,295	29,167	25,031	36,000	-5,160
6.	गुजरात	28,700	30,470	58,333	43,527	90,000	-6,895
7.	हरियाणा	18,800	20,449	17,500	14,303	45,000	-7,815
8.	हिमाचल प्रदेश	14,900	12,917	20,417	30,607	45,000	9,375
9.	जम्मू और कश्मीर	8,400	32,717	23,333	35,148	30,000	-7,844
10.	झारखंड	11,300	17,869	14,583	20,546	60,000	5,618
11.	कर्नाटक	63,000	55,651	58,333	100,684	120,000	29,843
12.	केरल	76,800	122,489	116,667	120,758	156,000	53,009
13.	मध्य प्रदेश	26,000	67,961	87,500	116,066	105,000	22,631
14.	महाराष्ट्र	62,400	142,008	87,500	39,159	105,000	-34,668
15.	पूर्वोत्तर-I	2,100	16,298	11,667	16,270	30,000	4,151
16.	पूर्वोत्तर-II	2,700	8,486	11,667	6,932	36,000	3,137
17.	उड़ीसा	10,800	38,841	29,167	40,008	60,000	6,446
18.	पंजाब	37,000	-2,934	11,667	-5,579	60,000	-653
19.	राजस्थान	50,200	2,900	43,750	51,314	90,000	1,764
20.	तमिलनाडु	24,800	187,715	102,083	66,639	120,000	-5,456
21.	उत्तराखंड	2,700	14,072	14,583	9,485	45,000	3,602
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34,300	58,921	58,333	96,660	75,000	37,486
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	8,100	13,246	26,250	35,484	60,000	27,965
24.	पश्चिम बंगाल	56,700	30,672	58,333	18,587	120,000	820
25.	कोलकाता	34,000	3,473	20,417	-2,008	45,000	493
26.	चेन्नै	2,400	3,997	20,417	10,044	33,000	681
	बीएसएनएल	672,000	983,738	1,050,000	1,021,469	1,800,000	189,291

विवरण IV

एमटीएनएल के लक्ष्य तथा प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

पैरामीटर	2006-07			
	लक्ष्य*	उपलब्धि		
		दिल्ली	मुंबई	जोड़
डब्ल्यूएलएल स्थिर सहित स्थिर लाइन	1000000	-23823	-52275	-76098
डब्ल्यूएलएल		521	12462	12983
जीएसएम		395282	410377	805659
जोड़		371980	370564	742544

पैरामीटर	2007-08			
	लक्ष्य*	उपलब्धि		
		दिल्ली	मुंबई	जोड़
डब्ल्यूएलएल स्थिर सहित स्थिर लाइन	700000	4374	1197	5571
डब्ल्यूएलएल		31252	11016	42268
जीएसएम		147012	348025	495037
जोड़		182638	360238	542876

पैरामीटर	2008-09 (31.10.08 की स्थिति के अनुसार)			
	लक्ष्य*	उपलब्धि		
		दिल्ली	मुंबई	जोड़
डब्ल्यूएलएल स्थिर सहित स्थिर लाइन	950000	-52314	-75279	-127593
डब्ल्यूएलएल		-3079	1777	-1302
जीएसएम		268940	233088	502028
जोड़		213547	159586	373133

*एमटीएनएल स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

[अनुवाद]

गणतंत्र दिवस समारोह पर व्यय

2247. श्री सुव्रत जोस: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस तथा बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित करने पर कुल कितना व्यय होता है;

(ख) समारोहों हेतु कितना बजट आबंटन किया गया;

(ग) इन समारोहों के टिकटों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में समारोहों पर व्यय में कमी करने तथा इसे संक्षिप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) यद्यपि रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह (बीटिंग रिट्रीट) आयोजित करने के लिए जिम्मेवार है, फिर भी इन समारोहों के आयोजन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा कई अन्य अभिकरणों के मिले-जुले प्रयासों की जरूरत होती है। चूंकि इन समारोहों से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को संबद्ध संगठन/अभिकरण अपने बजट आबंटन से वहन करते हैं और इस व्यय को एक लेखाशीर्ष के तहत संकलित/प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले इन समारोहों पर व्यय की गई कुल धनराशि के बारे में बताना संभव नहीं है।

गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह के टिकटों की बिक्री से वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग राशि प्राप्त होती है। गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह, 2008 के टिकटों की बिक्री से 17,63,021/- रुपए की कुल धनराशि प्राप्त हुई थी।

गणतंत्र दिवस परेड की अवधि को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। तथापि, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह की अवधि का निर्धारण दर्शकों की अभिरुचि बनाए रखने पर समुचित ध्यान देते हुए समारोह, सैन्य और सांस्कृतिक पहलुओं के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

2248. श्री सुभाष महरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जिलों को शामिल करने हेतु अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को देश के अन्य जिलों में विस्तारित करने संबंधी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कतिपय मानदण्डों के आधार पर जिलों को चिन्हित किया गया है, जैसे एनएफएसएम-चावल के लिए वे जिले चिन्हित किए थे जिनमें चावल के तहत 50,000 हैक्टे. क्षेत्र से अधिक है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है, एनएफएसएम-गेहूं के लिए वे जिले जिनमें गेहूं के तहत सिंचाई कवरेज 50% से अधिक है और उत्पादकता राज्य स्तर से कम हो चिन्हित किए थे। एनएफएसएम-दलहन के कार्यान्वयन के लिए जिले दालों के तहत मौजूदा बड़े क्षेत्र, अन्तर फसलन और चावल परती भूमि के उपयोग के माध्यम से क्षेत्र विस्तार संबंधी क्षमता के आधार पर चयनित किए गए हैं।

(घ) एनएफएसएम की प्रगति वर्धित आदान उपयोग और किसानों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकियों की पहुंच के साथ अत्यधिक उत्साहवर्धक रही है जिसके फलस्वरूप एनएफएसएम जिलों में 2007-08 के दौरान गेहूं का लगभग एक लाख टन अतिरिक्त उत्पादन लाभ हुआ है।

पशुपालन हेतु योजना

2249. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी विकास तथा बकरा पालन से संबंधित कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी किसानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही पशुपालन, डेयरी विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न है। यह विभाग बकरी पालन पर कोई योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

इन योजनाओं के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता उनकी आवश्यकता, वास्तविक प्रगति तथा उन्हें पहले जारी धनराशि के उपयोग के आधार पर प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य को धनराशि जिलावार आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सरकार को चालू वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	2008-09 (10.12.2008 तक) के दौरान महाराष्ट्र को जारी धनराशि
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	0.00
2.	चारा विकास परियोजना	0.00
3.	राज्य कुक्कुट/बतख फार्मों को सहायता	61.81
4.	संकटापन पशुधन नस्लों का संरक्षण	64.50
5.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	600.00
6.	राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना	8.00
7.	व्यावसायिक दक्षता विकास	0.00
8.	खुर पका और मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	40.00
9.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	30.00
10.	पशुधन गणना	900.00
11.	पशुधन बीमा	0.00
12.	सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	0.00
13.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	17.43
14.	सहकारिताओं को सहायता	0.00
15.	एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम	0.00
	कुल	1721.74

सिंचाई परियोजनाएं

2250. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदित की गईं;

(ख) व्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) कितनी परियोजनाएं पूरी कर ली गईं/अभी भी निर्माणाधीन हैं तथा ये परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों में जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा 4 सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् बाल्टू घाटी, सिद्धाता, शाहनहर और चंगेर क्षेत्र को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 2 परियोजनाएं अर्थात् सिद्धाता और शाहनहर को योजना आयोग द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त 236 लघु सिंचाई स्कीमें हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित की गई हैं और निर्माण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शुरू की गई हैं।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके अधीन चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को 90% अनुदान सहायता उपलब्ध कराती है और शेष 10% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है।

(ग) एआईबीपी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को वर्ष-वार जारी किया गया अनुदान नीचे दिया गया है:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (रुपये करोड़ में)
2005-06	30.0785
2006-07	3.93
2007-08	114.05

(घ) एआईबीपी के अंतर्गत शुरू की गई कोई भी वृहद/मध्यम परियोजना पूरी नहीं हुई है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के

अनुसार एआईबीपी के अंतर्गत चालू वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि नीचे दी गई है:

परियोजना का नाम	पूरा होने की लक्ष्य निधि
शाहनहर परियोजना	2010-11
सिद्धाता परियोजना	2009-10
चंगेर क्षेत्र परियोजना	2010-11

पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी में शामिल की गई 236 सतही लघु सिंचाई स्कीमों में से 76 स्कीमें पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार इन स्कीमों के पूरा होने की लक्ष्य निधि मार्च, 2009 है।

रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षोपाय

2251. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रक्षा प्रतिष्ठानों संबंधी कोई सुरक्षोपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जबलपुर स्थित महत्वपूर्ण केन्द्रीय रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) हमारी रक्षा संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं और खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

धागे का आयात

2252. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से सस्ते धागे के आयात ने बुनकरों को दयनीय स्थिति में ला दिया है तथा वे पारंपरिक पेशों को छोड़कर कोई अन्य कार्य करने पर विवश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बुनकरों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। चीन से सस्ते रेशम फैब्रिक के आयात से घरेलू विनिर्माताओं में प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है।

(ग) बुनकरों के हितों के संरक्षण के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:-

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(4) विविधीकृत हथरकघा विकास योजना

(5) मिल गेट कीमत योजना

[अनुवाद]

उपभोक्ता क्लब

2253. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित उपभोक्ता क्लबों की राज्यवार संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में उक्त योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कराने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) देश में उपभोक्ता क्लबों को मजबूत करने तथा नए उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) अब तक स्थापित किए गए उपभोक्ता क्लबों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जिन राज्य सरकारों ने अभी तक उपभोक्ता क्लब स्थापित नहीं किए हैं उनसे इन्हें शीघ्र स्थापित करने को कहा गया है। राज्य सरकारों को निधियां, ऐसे स्कूलों की सूची सहित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रिलीज की जाती हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत उपभोक्ता क्लबों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	चरण I	स्कूलों की संख्या	स्वीकृति की तारीख	चरण II	स्कूलों की संख्या	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	72.70 लाख रुपए	727	10.01.2005	25.00 लाख रुपए	250	30.03.2006
2.	छत्तीसगढ़	25 लाख रुपए	250	31.03.2005	–	–	–
3.	गुजरात	प्रथम वर्ष 25 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 25 लाख रुपए	250	31.03.2005 16.04.2007	–	–	–
4.	हरियाणा	11.50 लाख रुपए	135	16.09.2005	–	–	–
5.	कर्नाटक	15 लाख रुपए	150	31.03.2005	50.00 लाख रुपए	500	28.03.2006
6.	महाराष्ट्र	प्रथम वर्ष 45 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 45 लाख रुपए	450	21.06.2007 17.03.2008	–	–	–
7.	उड़ीसा	50 लाख रुपए	500	31.03.2005	–	–	–
8.	पंजाब	25 लाख रुपए	250	28.03.2006	–	–	–
9.	राजस्थान	प्रथम वर्ष 50 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 50 लाख रुपए	500	31.03.2005 6.06.2007	50.00 लाख रुपए	500	27.09.2006
10.	तमिलनाडु	50 लाख रुपए 50 लाख रुपए	500	31.03.2005 13.10.2006	50.00 लाख रुपए 50.00 लाख रुपए	500	12.10.2006 30.09.2008
11.	उत्तराखंड	10.00 लाख रुपए	100	13.06.2007	–	–	–
12.	पश्चिम बंगाल	40.00 लाख रुपए	400	28.03.2006	–	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	2.10 लाख रुपए	36	30.03.2006	–	–	–
14.	सिक्किम	5.00 लाख रुपए	50	20.12.2005	–	–	–
15.	मिजोरम	10.00 लाख रुपए	100	11.01.2007	–	–	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	प्रथम वर्ष 3.20 लाख रुपए 6.80 लाख रुपए	100	30.03.2006 27.03.2008	–	–	–
17.	लक्षद्वीप	2.10 लाख रुपए	21	13.02.2006	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	जम्मू-कश्मीर	13.80 लाख रुपए	153	28.04.2005	-	-	-
19.	त्रिपुरा	2.70 लाख रुपए	27	7.03.2005	-	-	-
20.	पाण्डिचेरी	5.00 लाख रुपए	50	1.11.2007	-	-	-
21.	केरल	10.00 लाख रुपए	100	2.11.2007	-	-	-
	योग	6,49,90,000	4849		2,25,00,000	1750	

गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा गठित उपभोक्ता क्लब

दिल्ली

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के नाम	चरण I	स्कूलों की संख्या	स्वीकृति की तारीख
1.	'बिन्टी' मकान सं. 4/9 (एफ एफ), किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली	प्रथम वर्ष 5 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 3.24 लाख रुपए	50	19.12.2003
2.	वॉयस सोसायटी, 441, जंगपुरा एक्सटेंशन, मथुरा रोड, नई दिल्ली	प्रथम वर्ष 5 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 5 लाख रुपए	50	02.03.2005 08.11.2006
3.	साउथ दिल्ली हाऊसवाइव्ज एसोसिएशन, ए 38 बी, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	प्रथम वर्ष 3 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 3 लाख रुपए	50	25.02.2005 08.10.2007
	योग	24.24 लाख रुपए	150	

उड़ीसा

क्र.सं.	वी जी ओ/वी सी ओ के नाम	चरण I	स्कूलों की संख्या	स्वीकृति की तारीख
1.	जय कृष्ण यूथ क्लब, जानकीगढ़, पो. गडासी, जिला पुरी, उड़ीसा	प्रथम वर्ष 5 लाख रुपए द्वितीय वर्ष 5 लाख रुपए	50	06.08.2004 20.02.2007
	योग	10 लाख रुपए	50	

बीईएमएल द्वारा रेल डिब्बों का उत्पादन

2254. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) का विचार अगले कुछ महीनों में रेल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड की 2008-09 के दौरान रोलिंग स्टाक को 450 के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2009-10 के दौरान 600 करने की योजना है, जिसमें मुख्य लाइन के डिब्बे,

स्टेण्डर्ड और ब्राड गेज डिब्बे, मैट्रो डिब्बे, ईएमयू, स्टेनलैस स्टील ईएमयू और मिलिटरी वैगन शामिल हैं।

पत्रकारों को अंतरिम राहत

2255. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग के पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों हेतु 30 प्रतिशत अंतरिम राहत की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 13क और 13घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार, समाचार-पत्र कर्मचारियों के वेतन बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचना का.आ. संख्या 2524(अ) तथा का.आ. संख्या 2525(अ) दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 द्वारा 8 जनवरी, 2008 से पत्रकारों तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों एवं समाचार एजेंसी कर्मचारियों को मूल मजदूरी के तीस प्रतिशत की दर से अंतरिम मजदूरी दर प्रदान करने को अधिसूचित किया है।

केरल में मत्स्यग्रहण पत्तन

2256. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में 11 और मत्स्यग्रहण पत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मैन्ग्रोव द्वारा आच्छादित क्षेत्रों में कितने पत्तन स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने राज्य में 13 और मात्स्यकी बंदरगाह विकसित करने का अपना इरादा बताया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रस्तावित मात्स्यकी बंदरगाह का स्थान	जिला
1.	कासरगोड	कासरगोड
2.	चेरूबथुर	कासरगोड
3.	मंजेश्वरम	कासरगोड
4.	वेलायिल	कोझीकोड
5.	पारापानांगडी	मालापुरम
6.	थानुर	मालापुरम
7.	चेटुवई	तिरिसुर
8.	चेलनाम	एर्णाकुलम
9.	आर्थुन्गल	अलपुझा
10.	चेथी	अलपुझा
11.	वरकला-चिलाकुर	तिरुवनंतपुरम
12.	वलीयाथुरा	तिरुवनंतपुरम
13.	पुंथुरा	तिरुवनंतपुरम

(ग) शून्य।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्य

2257. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुन्देलखंड तथा मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में सूखा समस्याओं के लिए दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक उपायों के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि एवं कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय अध्ययन दल ने विभिन्न मध्यावधिक और दीर्घावधिक सूखा शमन कार्यक्रमों/स्कीमों की वास्तविक स्थिति और कार्यान्वयन पैमाने का मूल्यांकन करने के विचार से इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति का अध्ययन करने के लिए तथा नीति और विभिन्न उपायों जो वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए इस क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि विकास के लिए अपेक्षित है, की सिफारिश करने के लिए जनवरी, 2008 के चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की कुछ तहसीलों और बुन्देलखंड क्षेत्रों तथा फरवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र का दौरा किया। दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो विचाराधीन है।

[अनुवाद]

डाकघरों के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री

2258. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के डाकघरों के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सोने के सिक्कों की बिक्री के लिए चुने गए डाकघरों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने डाकघरों के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री के लिए निबंधन एवं शर्तें निर्धारित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सोने के सिक्कों के मूल्य निर्धारण के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी हां। 'सोने के सिक्कों की बिक्री' की प्रायोगिक परियोजना 15 अक्तूबर, 2008 से प्रचालन में है। टैंपर प्रूफ सील किए गए लिफाफों में बंद एवं वालकाम्बी, स्विटजरलैंड द्वारा प्रमाणित 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम एवं 8 ग्राम के 24 कैरेट के सोने के सिक्कों को 148 चुने हुए डाकघरों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सर्किल का नाम	सोने के सिक्के बेचने वाले डाकघरों की संख्या
तमिलनाडु	20
गुजरात	29
महाराष्ट्र	33
दिल्ली	20
पंजाब	06
मध्य प्रदेश	10
कर्नाटक	15
आंध्र प्रदेश	15
कुल	148

(घ) और (ङ) जी, हां। डाकघर कमीशन आधार पर सोने के सिक्कों की बिक्री करता है। अनुमोदित विक्रेता द्वारा डाकघरों को सोने के सिक्कों की आपूर्ति की जाती है।

(च) विक्रेता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की वर्तमान दर के आधार पर सोने के सिक्कों का दाम निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. द्वारा मोबाइल कनेक्शन

2259. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान किए गए कनेक्शनों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के तहसील मुख्यालय सहित सभी स्थान मोबाइल टेलीफोन सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों को मोबाइल सेवाओं से अभी जोड़ा जाना है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित देश में मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में उत्तर प्रदेश (5,31,968) सहित, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 2008-09 (31.10.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या 36,02,067 है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 2008-09 (31.10.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गये मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या, दिल्ली (3,69,769) सहित, 6,51,672 है। सर्किल-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी हां, तहसील मुख्यालय सहित उत्तर प्रदेश के सभी स्थान, मोबाइल टेलीफोन सेवाओं से जुड़े हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2008-09 (31.10.2008) के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शनों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2008-09 (31.10.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शन
1	2	3
बीएसएनएल		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11045
2.	आंध्र प्रदेश	407886
3.	असम	56038
4.	बिहार	331035
5.	छत्तीसगढ़	137093
6.	गुजरात	242614
7.	हरियाणा	46637
8.	हिमाचल प्रदेश	59653
9.	जम्मू और कश्मीर	20123
10.	झारखंड	87929
11.	कर्नाटक	76111
12.	केरल	153287
13.	मध्य प्रदेश	232896
14.	महाराष्ट्र	107250
15.	पूर्वोत्तर-1	-13654
16.	पूर्वोत्तर-2	-69749
17.	उड़ीसा	162837
18.	पंजाब	310011
19.	राजस्थान	200787
20.	तमिलनाडु	156871
21.	उत्तराखंड	22092
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	423033
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	108935
24.	पश्चिम बंगाल	154766
25.	कोलकाता	121219
26.	चेन्नै	55322
	कुल	3602067
एमटीएनएल		
1.	दिल्ली	369769
2.	मुंबई	281903
	कुल	651672

[अनुवाद]

नई खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत अनुबंध

2260. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं/अनुबंध प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे कितना वित्तीय एवं तकनीकी लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। नई रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी-2008) 01.09.2008 से प्रभावी हुई है। डीपीपी-2008 के अनुसार, केवल उन मामलों पर कार्रवाई की जानी है, जिनमें प्रस्ताव हेतु अनुरोध 1 सितंबर, 2008 के बाद जारी किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सैनिक स्कूल

2261. श्री पी.सी. थामस:
डा. टोकचोम मैन्या:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सैनिक स्कूल चलाने के लिए पर्याप्त निधियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूल में किसी छात्र के लिए प्रति छात्र व्यय को केवल छात्रों से शुल्क द्वारा पूरा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सैनिक स्कूलों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिलब्धियों के स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सैनिक स्कूलों की संकल्पना स्व-वित्तपोषित संस्थानों के रूप में की गई है। आवर्ती व्यय के एक बड़े हिस्से की पूर्ति अभिभावकों द्वारा देय शुल्कों से की जाती है। राज्य सरकारें वास्तविक अवसंरचना के निर्माण अनुरक्षण तथा आवर्ती व्यय के एक हिस्से की पूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के बालकों को योग्यता तथा संसाधनों के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। जहां तक संघ सरकार का संबंध है, शुल्क और दैनिक आहार प्रभारों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाले कैडेटों के लिए प्रोत्साहन, रक्षा कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा इन स्कूलों को प्रशिक्षण अनुदान के लिए इमदाद व्यय की पूर्ति के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों के अंतर्गत 17.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मौजूद है। इसके अतिरिक्त, इन स्कूलों की अवसंरचना को सुधारने के लिए वर्ष 2008-09 के लिए केंद्रीय बजट में 29.2.2008 को क्रियाशील 22 सैनिक स्कूलों के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की दर पर 44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सैनिक स्कूलों के शैक्षणिक स्तरों में सतत् सुधार हुआ है। इस प्रवृत्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तरों को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, सेनाओं और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों/निकायों के विशेषज्ञों की सहायता से शिक्षकों के लिए सेना प्रशिक्षण में एक व्यापक कार्यक्रम तथा कैडेटों के लिए प्रतिस्पर्द्धा उन्मुख प्रशिक्षण कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रशिक्षण अवसंरचना और दक्षता को उन्नत करने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय भी इन स्कूलों को प्रशिक्षण अनुदान मुहैया कराता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गई 1987 की रिट याचिका संख्या 1219 पर 4.10.1988 को दिए गए अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सैनिक स्कूल कर्मचारी अपने आप में एक वर्ग है और इन्हें न तो केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में माना जा सकता है और न ही केंद्रीय विद्यालयों के समान। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत सैनिक स्कूल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान स्थानीय रूप से जुटाए गए संसाधनों से किया जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी चयन

वर्ष	जोड़ (दोनों अवधियां)	चयनित सैनिक स्कूल छात्रों की संख्या	सैनिक स्कूल छात्रों की प्रतिशतता का अंश
2004	623	125	20.0%
2005	596	114	19.1%
2006	667	171	25.6%
2007	643	162	25.1%
2008	595	186	31%

(ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-10वीं की बोर्ड परीक्षा

वर्ष	उपस्थित संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता	प्रथम श्रेणी की प्रतिशतता
2004	1550	1511	96.71	86.12
2005	1588	1567	98.78	88.79
2006	1606	1570	97.75	85.24
2007	1621	1621	100	91.47
2008	1698	1693	99.87	99.87

(ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-12वीं की बोर्ड परीक्षा

वर्ष	उपस्थित संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता	प्रथम श्रेणी की प्रतिशतता
2004	893	770	86.22	66.34
2005	908	794	87.44	71.55
2006	995	924	92.86	66.12
2007	995	971	97.29	87.10
2008	939	868	92.05	92.05

चावल उत्पादन

2262. श्री अर्जुन सेठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को चावल बीजों के नए उच्च उत्पादकता वाले बीजों की किस्में उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में वार्षिक चावल उत्पादन का जोन-वार प्रति हैक्टेयर ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों हेतु कृषि के लिए बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित अधिक उपज देने वाले चावल के बीजों की नई किस्मों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश के स्तर पर औसत वार्षिक चावल की पैदावार 2203 कि/हैक्टे. है। तथापि, क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् जनवरी, 2006 से नवंबर, 2008 के लिए बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नई उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विवरण

क्र.सं.	किस्म
1	2
1.	भुदेब (सीएन-1035-61) (आईईटी-14496)
2.	गिरी
3.	जल्दी धान-13 (पीएनआर-591-18)
4.	बीआर-2655
5.	स्वेता (आईईटी-14735)
6.	धानु
7.	गौरी (एमओ-20)
8.	वर्षा (पीटीबी-56)
9.	चिंगम
10.	पीआरएच-122 (आईईटी-17248)
11.	एचपीआर-2143
12.	एचपीआर-1068
13.	भृगु धान
14.	विवेक धान-154
15.	पूसा सुगंध धान-15 (आईईटी-14132) (यूपीआरबीएस-92-4)
16.	पंत संकर धान-3 (यूपीएचआर-1010)
17.	पंत संकर धान-17 (आईईटी-17263) (यूपीआर-2879-98-105)
18.	एडीटी (आर)-48
19.	वीएल धान-207 (वीएल-97-9729)
20.	वीएल धान-208 (वीएल-9632)

1	2
21.	वीएल धान-85 (आईईटी-16455)
22.	ओनम
23.	भाग्या
24.	सागरा
25.	धान्या
26.	पीटीबी-45 (माता त्रिवेणी)
27.	पीटीबी-49 (कैराली)
28.	पीटीबी-50 (कंचना)
29.	पीटीबी-51 (एएटीएचआईआरए)
30.	पीटीबी-52 (ऐश्वर्या)
31.	भूतनाथ [सीएसआरसी(एस) 5-2-2-5] (आईईटी-12855/11354)
32.	बिरसा धान-108
33.	केएचपी-9
34.	तुंगा (आईईटी-13901)
35.	बारानी दीप (एनडीआर-1025-2) (आईईटी-13194)
36.	जोगेश (ओआर-1519-2) (आईईटी-15169)
37.	सिद्धांत (ओआर-102-4) (आईईटी-15296)
38.	वर्षा धान (सीआरएलसी-899) (आईईटी-16481)
39.	उपहार (ओआर-1234-12-1) (आईईटी-17318)
40.	प्रतीक्षा (ओआर-201-5) (आईईटी-15191)
41.	अजय (सीआरएचआर-7) (आईईटी-18166)
42.	केटेकिजोहा (आईईटी-18669)
43.	राजलक्ष्मी (सीआरएचआर-5)
44.	नवीन (सीआर-749-2-2) (आईईटी-14461)
45.	गीतांजली (सीआरएम-2007-1)
46.	जेकेआरएच-401 (आईईटी-18181) (जेकेआरएच-2000)
47.	शुष्क सम्राट (आईईटी-17458)
48.	विरेन्द्र (आईईटी-17901) (आरआर-347-2)
49.	वीएल धान-86 (वीएल-97-3861) (आईईटी-16863)
50.	हरियाणा संकर धान-1 (एचकेआरएच-1)
51.	वीएल धान-209
52.	वीएल धान-65
53.	सहयाद्री-2 (केजेटीआरएच-3) (आईईटी-17661)
54.	सहयाद्री-3 (केजेटीआरएच-12) (आईईटी-18829)
55.	पीएयू-201
56.	इम्प्रूव्ड साम्बा महसूरी
57.	अक्षय धान (आईईटी-19367)
58.	सीआर धान 40 (आईईटी-19253)
59.	संपदा (आईईटी-19424)
60.	एमटीयू 1075 (आईईटी-18482)
61.	वर्धान (आईईटी-18940)
62.	गोंत्रा विधान-1 (आईईटी-17430)
63.	थानु
64.	कर्मा महसूरी (आईईटी-19991)
65.	पीकेवी एचएमटी
66.	जल्दी धान-6 (आईईटी-14359)
67.	नुआ कालजीरा (आईईटी-18393)
68.	फुले सामरुद्धी
69.	एएयूडीआर-1 (आईईटी-19258)
70.	सीआर धान-10 (आईईटी-18312)
71.	सीआर बोरो धान-2 (आईईटी-17612)
72.	सीआर धान-70 (आईईटी-11904)
73.	सीआर सुगंध धान-3 (आईईटी-18395)
74.	मानस्वीनी (आईईटी-19005)
75.	पीआर-118
76.	राजेन्द्रा स्वेता

1	2
77.	राजेन्द्रा सुवास्नि
78.	राजेन्द्रा महसूरी-1
79.	राजेन्द्रा कस्तूरी
80.	अभिषेक
81.	इम्प्रूव्ड पूसा बासमती (आईईटी-18990)
82.	पंत धान-18 (आईईटी-17920)
83.	भोगाराती
84.	सामलेश्वरी (आईईटी-17455)
85.	चन्द्राहासिनी (आईईटी-16800)
86.	जल्दबी (आईईटी-17153)
87.	इन्दिरा सोना
88.	परधीरा
89.	इन्द्रा
90.	श्री कुर्मा
91.	वारंगल सात्रलु
92.	फुले राधा
93.	जेआरएच-5
94.	जेआरएच-4
95.	एडीटी (आर) 47
96.	टीपीएस (आर) 4
97.	आरएमडी (आर) 1
98.	सीओआरएच-3
99.	कर्जात-5
100.	कर्जात-6
101.	पंत धान-19 (आईईटी-17544)
102.	हाइब्रिड-6129 (आईईटी-18815)
103.	परिपोऊ
104.	पीवाई-7
105.	जीआर-12
106.	वरुण धान

टेक्सटाइल पार्क

2263. श्री विक्रम केशरी देव:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा तथा महाराष्ट्र सहित देश में टेक्सटाइल्स पार्कों की स्थापना करने एवं इन्हें विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पार्कों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है और इनमें राज्य-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान उड़ीसा सहित देश के विभिन्न राज्यों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि आबंटित एवं स्वीकृत की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) उपयुक्त सहायता अवसंरचना सुविधाओं सहित वस्त्र पार्कों की स्थापना को आसान बनाने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के तहत उद्योग संघ/उद्यमी समूह वस्त्र पार्कों के मुख्य प्रवर्तक हैं। अभी तक 40 वस्त्र पार्क परियोजनाओं को आईटीपी के तहत स्वीकृत किया गया है। इन पार्कों का राज्य-वार स्थान नीचे दिया गया है:-

राज्य का नाम	परियोजनाओं का नाम	स्थान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	06	पोचमपल्ली, विशाखापत्तनम, महबूबनगर, हिन्दूपुर, नैल्लोर, अनंतपुर
असम	01	डारांग
गुजरात	07	सूरत (5), कच्छ (मुंडरा एसईजेड), खेडा
कर्नाटक	01	डोडबालापुर

1	2	3
महाराष्ट्र	10	इचालकरांजी (3), तारापुर, बारामती, धौले, भिवंडी, इस्लामपुर, लातूर, हिंगोली
पंजाब	02	धौला (बरनाला), नवाशहर
राजस्थान	04	किशनगढ़ (2), पाली, बागरु
तमिलनाडु	06	पालाडम, कुड्डालूर, पेरुनडुरई, कोमारपल्लयम, करुर, मंडूरई
उत्तर प्रदेश	01	गोरखपुर
पश्चिम बंगाल	02	कोलकाता, नार्थ 24 परगना

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार अनुमानित वार्षिक उत्पादन और रोजगार संभाव्यता निम्नलिखित तालिका में दी गयी है:-

राज्य	परियोजनाओं का नाम	अनुमानित वार्षिक उत्पादन (करोड़ रु. में)	रोजगार संभाव्यता (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	06	15737	449608
असम	01	215	11507
गुजरात	07	6596	98013
कर्नाटक	01	350	4000
महाराष्ट्र	10	6613	137350
पंजाब	02	2090	30350
राजस्थान	04	2490	56650
तमिलनाडु	06	3193	55500
उत्तर प्रदेश	01	300	8500
पश्चिम बंगाल	02	530	56640

(घ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत निधियां राज्य-वार न तो आबंटित की जाती हैं और न ही स्वीकृत की जाती हैं। उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को इस योजना के अनुरूप और संबंधित वित्तीय संस्थानों के वित्तीय मानदंडों के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसियों/सहयोजित संस्थाओं के माध्यम से निधियां रिलीज की जाती हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के लिए 1440 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। 30.9.2008 तक इस योजना की राज्य-वार प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त किए गए आवेदन पत्र			स्वीकृत किए गए आवेदन पत्र			जिन आवेदनों के प्रति संवितरण किया गया है	
	सं.	परियोजना लागत	अपेक्षित ऋण राशि	सं.	परियोजना लागत	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	339	5077.89	3220.89	324	4870.75	3153.90	320	2631.68
चंडीगढ़	18	185.40	116.37	16	175.40	95.00	16	92.78
दादरा और नगर हवेली	49	553.81	459.92	49	553.81	459.86	49	380.72
दमन एवं दीव	18	430.59	72.56	18	430.59	72.56	18	66.22
दिल्ली	334	2889.84	1415.73	331	2872.14	1209.84	330	1024.52
गुजरात	9080	13835.21	7267.94	9076	14196.87	6348.42	9073	5110.14
हरियाणा	555	2173.15	1297.87	555	2173.15	1279.24	506	1098.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	31	704.24	374.94	30	703.24	374.94	30	354.90
जम्मू-कश्मीर	22	653.59	503.47	20	573.59	413.47	20	309.45
कर्नाटक	565	2287.04	1403.09	565	2287.04	1235.59	543	1014.36
केरल	55	1160.50	552.81	54	1160.50	420.82	54	290.63
मध्य प्रदेश	61	1132.56	585.44	60	1120.10	598.37	59	488.89
महाराष्ट्र	1680	29647.29	14513.46	1631	28380.32	12126.68	1609	10168.70
उड़ीसा	1	2.09	1.34	1	2.09	1.34	1	0.92
पांडिचेरी	2	45.57	33.65	2	45.57	33.65	2	30.28
पंजाब	1878	23113.21	11052.68	1869	23017.94	10457.63	1854	7131.34
राजस्थान	815	17231.03	4439.75	815	17231.03	4323.24	813	3676.07
तमिलनाडु	4943	27601.95	16550.75	4896	27283.93	15412.20	4861	13051.98
उत्तराखंड	5	269.79	119.14	5	269.79	119.14	5	25.36
उत्तर प्रदेश	125	2444.32	1079.54	121	2420.41	777.34	118	697.52
पश्चिम बंगाल	135	689.92	440.30	133	683.05	431.74	127	332.30
कुल	20711	132128.98	65501.38	20571	130541.30	59344.99	20408	47976.80

हेलीकॉप्टर गनशिपों का विनिर्माण

2264. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को 67 हेलीकॉप्टर गनशिपों के विनिर्माण का क्रयादेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर के विनिर्माण के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कोई आर्डर नहीं दिया गया है। हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर के डिजाइन और विकास के लिए अक्तूबर, 2006 में 377 करोड़ की अनुमानित लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस डिजाइन और विकास परियोजना के दिसम्बर, 2010 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इसमें एक मॉक-आप और 2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शकों का विनिर्माण शामिल है। इसके सफलतापूर्वक डिजाइन और विकास कर लिए जाने पर भारतीय वायुसेना की प्रस्तावित आवश्यकता 65 हेलीकॉप्टरों की होगी।

सिम कार्ड जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश

2265. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी नए ग्राहक को सिम कार्ड जारी करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का विचार देश में ग्राहकों को सिम कार्ड जारी करते समय वेब कैमरा का उपयोग करते हुए तत्काल फोटो लेने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) किसी नए उपभोक्ता को सिम कार्ड जारी करने के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देश पर्याप्त हैं।

(ग) से (ङ) फिलहाल दूरसंचार विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र पर आवेदक को अपना फोटो चिपकाना अनिवार्य है।

सूखा प्रूफिंग संबंधी राष्ट्रीय नीति

2266. श्री हितेन बर्मन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा प्रूफिंग संबंधी नई राष्ट्रीय नीति की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सूखा प्रूफिंग के लिए बनाए गए मूल्यांकन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के वर्षा में कमी वाले क्षेत्रों में सूखा के उन्मूलन/शमन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि कार्यकलापों का विविधीकरण

2267. श्री आलोक कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन हेतु कृषि कार्यकलापों के विविधीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बागवानी, तिलहन और दलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित किए जा रहे हैं-

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
2. समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपोम)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्रियान्वित किया गया है जिसमें फल, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधों को शामिल किया गया है। काजू और कोको फसलों का पौधरोपण भी कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देता है। इस मिशन में सर्वांगीण दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसमें किसानों/उत्पादकों को पर्याप्त लाभ सुनिश्चित कराने के लिए उत्पादन, फसल पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल किया गया है। इस मिशन के तहत सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसमें न केवल ताजा उपभोग के लिए बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने और फसल पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करने के लिए उत्पादन आधार विकसित करना है। इस मिशन के अंतर्गत बागवानी उत्पाद का केवल प्राथमिक/गतिशील प्रसंस्करण को शामिल किया जाता है। बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के प्रमुख कार्यक्रम का संवर्धन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उनके स्कीम में से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में 11वीं योजना के लिए 25000 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शुरू की गई जिसका उद्देश्य निवेश और कृषि विकास कार्यनीतियों को पुनरोन्मुख करने में राज्यों को प्रोत्साहित करना है और अन्य फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देना है।

गन्ने में 11वीं योजना अवधि के दौरान इथनोल, सहउत्पादन और उच्च फाइबर तत्व जैसे गैर-परंपरागत प्रयोगों के लिए उपयुक्त किस्मों का विकास, माइक्रो-आर्गेनिज्म इत्यादि का प्रयोग करते हुए बायोमास से इथनोल के उत्पादन के लिए गन्ने के प्रयोग पर अन्वेषणात्मक अध्ययन, उच्च बायोमास उत्पादन वाली किस्मों का विकास, कागज उद्योगों के लिए फाइबर के कैप्टिव संसाधन के रूप में उपयुक्त प्रजातियों और कृंतकों (क्लोनों) की पहचान, इथनोल उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रबंधन तकनीकों का विकास और बायोमास ईंधन के रूप में इथनोल के बढ़ते उत्पादन के कारण आने वाले पर्यावरणीय मुद्दे का अध्ययन और तत्संबंधी समस्याओं के उपशमन के लिए कार्यनीतियों का विकास करना जैसे अभिनव क्षेत्र की पहचान की गई है।

जूट के विविधीकृत उत्पाद कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जूट के विविधीकृत उत्पादों में जैव टेक्सटाइल, यार्न, जूट, जूट कार्पेट आदि महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त जूट स्टिक का प्रयोग पार्टिकल बोर्ड के लिए किया जाता है और जूट का संपूर्ण पौध कागज लुगदी के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

अनेक कपास उत्पादन क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ और उससे सटे क्षेत्र में अंत:फसल, रेशा फसल अथवा कपास के चक्रानुक्रम में उगाए जाने के लिए सोयाबीन की खेती शुरू की गई है। सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे अच्छा पारिश्रमिक मिलता है और सोयाबीन उत्पादों का कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से प्रसंस्करण किया जाता है।

रक्षा कार्मिकों को एक रैंक एक पेंशन

2268. लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह रावत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार निकट भविष्ट में रक्षा कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन के प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) "एक रैंक एक पेंशन" की मांग को प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कारणों से स्वीकार्य नहीं पाया गया था। इसके अलावा, अफसर रैंक से निचले रैंक, विशेषकर सिपाही, नायक और हवलदार के तीन रैंकों के कार्मिकों के पेंशन संबंधी लाभों में वेटेज को 5 वर्ष से बढ़ाकर क्रमश: 10, 8 और 6 वर्ष करके और 1.1.1996 से पूर्व की पेंशन की 1.1.1996 से लागू वेतनमान के अधिकतम के संदर्भ में संगणना करने की अनुमति देकर उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

सेलफोन तथा मोबाइल टावरों का विकिरण स्तर

2269. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विनियामक संस्थाओं ने सेलफोन एवं टावर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले विकिरण स्तरों के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया है जिसे सेलफोन विनिर्माताओं द्वारा विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) स्तरों के अनुसार घोषित किया जाना अनिवार्य है;

(ख) क्या देश में सेलफोनों की बिक्री एस.ए.आर. स्तरों की घोषणा की अनिवार्य आवश्यकता द्वारा विनियमित होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारत में दूरसंचार क्षेत्र में ईएमएफ के प्रभाव को सीमित करने के लिए मूलभूत निबन्धन और संदर्भ स्तरों के बारे में इंटरनेशनल कमीशन आन नान-आयनाइजिंग रेडिएशन के दिशानिर्देशों के अंगीकरण को दूरसंचार आयोग ने अनुमोदित कर दिया है।

दूरसंचार विभाग ने आईसीएनआईआरपी द्वारा संस्तुत दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

2270. श्री मित्रसेन यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में चल रहे डाकघरों की कुल संख्या तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी गांवों में डाकघर सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे गांवों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है जहां डाकघर की सुविधा प्रदान की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में डाकघर खोलने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे 1,39,173 डाकघरों सहित डाकघरों की कुल संख्या 1,55,035 है (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)। विभाग का कुल कार्यबल 4,96,387 है जिसमें 2,80,802

ग्रामीण डाक सेवक हैं (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)। डाकघरों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों का राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी गांवों में मेल के नियमित वितरण, पत्र पेटियों से पत्र निकालने और ग्राहकों के घर तक डाक-टिकटों/स्टेशनरी की बिक्री के रूप में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, देशभर में 4,61,355 गांव ऐसे हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 84,670 गांव भी शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) डाकघर खोलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डाकघर निर्धारित मानदंडों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर खोले जाते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध योजना सहायता/ ग्रामीण डाक सेवकों के पदों की संस्वीकृति के अध्यधीन गांवों में 3000 डाकघरों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

विवरण I

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार डाकघर

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		ईडीएसओ		ईडीबीओ		कुल		डाकघरों की संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	98	6	981	1352	12	19	196	13485	1287	14862	16149
2.	असम	19	0	222	382	0	35	57	3292	298	3709	4007
3.	बिहार	30	1	367	645	18	81	17	7898	432	8625	9057
4.	छत्तीसगढ़	10	0	195	128	0	0	18	2772	223	2900	3123
5.	दिल्ली	12	0	406	4	10	9	62	68	490	81	571
6.	गुजरात	34	0	635	638	0	33	58	7515	727	8186	8913
	दमन व दीव	0	0	4	3	0	0	0	12	4	15	19
	दादरा व नगर हवेली	0	0	1	3	0	0	0	34	1	37	38
7.	हरियाणा	16	0	293	178	3	11	12	2140	324	2329	2653
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	100	343	4	14	0	2298	119	2658	2777
9.	जम्मू-कश्मीर	9	0	175	74	11	11	32	1379	227	1464	1691
10.	झारखण्ड	13	0	226	209	11	17	22	2593	272	2819	3091
11.	कर्नाटक	59	0	926	803	11	24	261	7742	1257	8569	9826
12.	केरल	45	6	485	959	69	394	308	2790	907	4149	5056
	लक्षद्वीप	0	0	0	7	0	2	0	1	0	10	10
	माहे	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	4
13.	मध्य प्रदेश	42	0	692	323	33	33	93	7107	860	7463	8323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	महाराष्ट्र	59	0	1107	954	10	108	108	10249	1284	11311	12595
	गोवा	2	0	45	57	0	3	7	144	54	204	258
15.	पूर्वोत्तर											
	अरुणाचल प्रदेश	1	0	17	31	0	0	0	251	18	282	300
	मणिपुर	1	0	11	42	0	0	0	643	12	685	697
	मेघालय	2	0	26	35	0	0	2	423	30	458	488
	मिजोरम	1	0	23	17	2	3	32	327	58	347	405
	नागालैंड	1	0	15	27	0	0	10	275	26	302	328
	त्रिपुरा	3	0	29	53	2	7	24	598	58	658	716
16.	उड़ीसा	35	0	519	638	9	49	16	6896	579	7583	8162
17.	पंजाब	21	0	420	325	0	8	11	3076	452	3409	3861
	चण्डीगढ़	1	0	40	2	0	1	0	6	41	9	50
18.	राजस्थान	46	2	593	692	2	20	33	8930	674	9644	10318
19.	तमिलनाडु	92	0	1356	1308	27	175	334	8728	1809	10211	12020
	पुडुचेरी	1	0	23	9	0	0	13	49	37	58	95
20.	उत्तराखण्ड	13	0	190	181	5	73	10	2242	218	2496	2714
21.	उत्तर प्रदेश	71	0	1614	855	109	263	152	14598	1946	15716	17662
22.	पश्चिम बंगाल	45	0	945	714	81	251	38	6674	1109	7639	8748
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	10	16	1	5	0	68	12	89	101
	सिक्किम	1	0	12	10	0	0	0	186	13	196	209
	कुल	799	18	12704	12017	432	1649	1927	125489	15862	139173	155035

विवरण II

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अराजपत्रित स्टाफ की वास्तविक संख्या के आंकड़े
(ग्रुपवार और सर्किल वार)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	ग्रुप			कुल	ग्रामीण डाक सेवक	सकल योग
		ख	ग	घ			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	68	3622	1038	4728	27243	31971
2.	असम	229	12309	2222	14760	8553	23313

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	212	5624	2434	8270	14837	23107
4.	छत्तीसगढ़	58	1828	368	2254	5607	7861
5.	दिल्ली	282	7366	2497	10145	381	10526
6.	गुजरात	155	11796	2309	14260	15551	29811
7.	हरियाणा	74	3277	820	4171	4234	8405
8.	हिमाचल प्रदेश	46	2065	436	2547	6418	8965
9.	जम्मू-कश्मीर	28	1336	380	1744	2698	4442
10.	झारखण्ड	54	2340	591	2985	6043	9028
11.	कर्नाटक	212	11658	1646	13516	14821	28337
12.	केरल	159	9348	1324	10831	11916	22747
13.	मध्य प्रदेश	144	6652	1389	8185	13582	21767
14.	महाराष्ट्र	259	24147	5544	29950	21383	51333
15.	पूर्वोत्तर	42	1637	428	2107	7121	9228
16.	उड़ीसा	122	5306	911	6339	16849	23188
17.	पंजाब	90	5339	1276	6705	5924	12629
18.	राजस्थान	176	6699	1721	8596	14826	23422
19.	तमिलनाडु	298	16324	3118	19740	23449	43189
20.	उत्तर प्रदेश	273	16157	4285	20715	32485	53200
21.	उत्तराखण्ड	57	2004	382	2443	6248	8691
22.	पश्चिम बंगाल	246	16278	4070	20594	20633	41227
	कुल	3284	173112	39189	215585	280802	496387

विवरण III

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार डाकघर रहित ग्रामों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघर रहित ग्रामों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11914
2.	असम	22539
3.	बिहार	29850
4.	छत्तीसगढ़	17229
5.	दिल्ली	84
6.	गुजरात	9945
	दमन	5
	दादरा और नगर हवेली	32
	दीव	1

1	2	3
7.	हरियाणा	4435
8.	हिमाचल प्रदेश	14837
9.	जम्मू-कश्मीर	4707
10.	झारखण्ड	25930
11.	कर्नाटक	20236
12.	केरल	0
	लक्षद्वीप	0
	माहे (पांडिचेरी)	0
13.	मध्य प्रदेश	46167
14.	महाराष्ट्र	29367
	गोवा	136
15.	पूर्वोत्तर	
	अरुणाचल प्रदेश	3388
	मणिपुर	1748
	मेघालय	5420
	मिजोरम	294
	नागालैंड	938
	त्रिपुरा	197
16.	उड़ीसा	39406
17.	पंजाब	8869
	चण्डीगढ़	14
18.	राजस्थान	28245
19.	तमिलनाडु	6318
	पुडुचेरी	233
20.	उत्तराखण्ड	13265
21.	उत्तर प्रदेश	84670
22.	पश्चिम बंगाल	30271
	अडंमान और निकोबार द्वीपसमूह	415
	सिक्किम	250
	कुल	461355

[अनुवाद]

खाद्य तेल का आयात

2271. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री विजय कृष्ण:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में खाद्य तेलों का कुल उत्पादन, मांग एवं आयात की मात्रा कितनी है;

(ख) खाद्य तेल के आयात में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं और इसका आयात किन-किन देशों से किया गया था;

(ग) क्या खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन में कमी के साथ इनके आयात में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं एवं गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जैव-ईंधन के लिए विपथित किए गए खाद्यान्नों की वर्ष-वार कुल मात्रा कितनी है; और

(ङ) देश में पाम आयल सहित खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का कुल अनुमानित उत्पादन और आयात निम्नानुसार रहा है:-

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	तिलहन उत्पादन (नवम्बर-अक्तूबर)	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता (नवम्बर-अक्तूबर)	खाद्य तेलों का आयात* (अप्रैल-मार्च)
2005-06	279.79	83.16	42.88
2006-07	242.89	73.70	42.17
2007-08	288.25 (अनुमानित)	84.92 (अनुमानित)	49.03

*स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

वर्ष 2008-09 के दौरान तिलहनों और खाद्य तेलों के कुल उत्पादन का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए गए तिलहनों/खाद्य तेलों के अनुमानों के अनुसार देश में व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य तेलों की खपत के रूप में इनकी वार्षिक आवश्यकता और मांग 2005-06 में 118.50 लाख टन, 2006-07 में 124.10 लाख टन, 2007-08 में 127.57 लाख टन और 2008-09 में 132.80 लाख टन बैठती है।

(ख) खोपरे के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दी गई है। खाद्य तेलों के आयात में प्राइवेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। जिन देशों से इसका आयात किया गया उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन/निवल उपलब्धता और आयात 2005-06 से 2007-08 तक के दौरान 83.16 लाख टन और 42.88 लाख टन से बढ़कर क्रमश: 84.92 लाख टन और 49.03 लाख टन हो गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किसी खाद्यान्न का विपथन नहीं हुआ है।

(ङ) देश में तिलहनों और पाम तेल सहित खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम में निम्न शामिल हैं:-

(1) कुछ राज्यों में तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम का क्रियान्वयन, पाम तेल के विकास और ब्रीडर बीज की खरीदारी, फाउंडेशन बीज के उत्पादन, प्रणामित बीज के उत्पादन और वितरण, एकीकृत जन्तुबाधा प्रबंधन आदि के लिए सहायता प्रदान करना।

(2) तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से हाल ही में 11वीं योजनावधि के दौरान मानदंडों और सहायता के पैटर्न, नए घटकों और अतिरिक्त क्रियान्वयन एजेंसियों को शामिल करने के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के एक भाग के रूप में तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम को संशोधित किया गया है। 2008-09 के दौरान तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम के अधीन 320.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तिलहनों में अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों के विकास, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास और किसानों के लिए तिलहन की खेती को लाभप्रद बनाने के काम में लगी हुई है।

(4) प्रमुख तिलहनों का अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना।

(5) देश में साल्वेंट निष्कर्षण तेलों के उत्पादन को बढ़ाने और निष्कर्षणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए खाद्य ग्रेड के हेक्सान पर उत्पाद शुल्क कम करके 14% कर दिया गया है।

विपणन सहायता एवं सेवा योजना

2272. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विपणन सहायता एवं सेवा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि आबंटित एवं जारी की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम पहले से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों में शामिल है; कई प्रकार के विपणन कार्यक्रम आयोजित करके लोगों में हस्तशिल्प संबंधी जागरूकता पैदा करना और भारतीय हस्तशिल्पों को प्रदर्शित करना; शिल्पियों के लिए सीधे बिक्री केन्द्र उपलब्ध करवाना; महत्वपूर्ण शहरों में सोर्सिंग शो के आयोजन द्वारा बिचौलियों के बिना निरन्तर और सतत आर्डर प्राप्त करने के लिए निर्यातकों, क्रेता गृहों और अन्य विपणन संगठनों के साथ शिल्पियों, उत्पादक समूहों, स्व: सहायता समूह संघों आदि का सीधा सम्पर्क स्थापित करना; शिल्पियों को पर्याप्त सीधे विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में प्रमुख स्थानों पर कई प्रकार के हाट स्थापित करना और थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, क्रेता गृहों, विदेशी खरीददारों और उपभोक्ताओं आदि जैसे संभाव्य खरीददारों के लिए एक स्थायी विपणन मंच तैयार करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर महत्वपूर्ण स्थानों/बाजारों में भंडारण सुविधाएं और महानगरों में विपणन हब, शिल्प समूहों में सोर्सिंग हब स्थापित करना।

(ग) देश में हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम सहित किसी भी स्कीम के अंतर्गत राज्यवार कोई निधियों का आबंटन नहीं किया जाता। तथापि 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान क्रमश: 20.30 करोड़ रुपये और 26.00 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) की राशि का आबंटन किया गया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा राज्य-वार इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09 (10 दिसम्बर, 2008 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	149.73	208.67
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4.	असम	133.72	95.92
5.	बिहार	25.91	15.32
6.	चण्डीगढ़	9.75	20.33
7.	दिल्ली	162.38	162.62
8.	गोवा	17.49	1.62
9.	गुजरात	55.76	68.89
10.	हरियाणा	29.90	26.56
11.	हिमाचल प्रदेश	31.16	46.55
12.	झारखंड	50.02	27.93
13.	जम्मू-कश्मीर	19.45	24.71
14.	कर्नाटक	69.25	79.73
15.	केरल	45.10	29.70
16.	मध्य प्रदेश	125.13	88.63
17.	महाराष्ट्र	95.65	59.03
18.	मणिपुर	51.10	80.06
19.	मेघालय	3.14	-
20.	मिजोरम	4.04	52.23
21.	नागालैंड	20.85	66.26
22.	उड़ीसा	108.12	103.86
23.	पंजाब	2.76	3.24
24.	पुडुचेरी	16.56	21.69
25.	राजस्थान	59.46	82.44
26.	सिक्किम	6.75	6.37
27.	तमिलनाडु	38.27	83.07
28.	त्रिपुरा	24.03	2.93
29.	उत्तर प्रदेश	819.00	340.98
30.	उत्तराखंड	39.40	31.37
31.	पश्चिम बंगाल	36.25	61.46
	कुल	2250.13	1892.17

[हिन्दी]

हथकरघा क्लस्टरों के अंतर्गत उत्पादन यूनिट

2273. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हथकरघा क्लस्टरों में कार्यरत उत्पादन यूनिटों की संख्या राज्य-वार तथा क्लस्टर-वार कितनी है;

(ख) इनमें राज्य-वार कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त क्लस्टरों से राज्य-वार औसत वार्षिक उत्पादन एवं निर्यात की मात्रा एवं इनका मूल्य कितना है; और

(घ) क्लस्टरों की स्थापना के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्रों का किस सीमा तक विकास हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) 1995-96 की पिछली हथकरघा गणना के अनुसार राज्यवार क्लस्टरों, हथकरघों की संख्या तथा हथकरघा बुनकरों/कारीगरों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हथकरघा फैब्रिक्स की वार्षिक उत्पादन मात्रा इस प्रकार है:-

(मिलियन वर्ग मीटर)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल-सितम्बर, 2008)
6108	6536	6947 (अनंतिम)	3304 (अनंतिम)

जहां तक निर्यात का संबंध है, अलग आईटीसी कोड नहीं होने के कारण अप्रैल 2003 से आगे के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 24 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना द्वारा हाल ही में हथकरघा उत्पादों हेतु आईटीसी कोड अधिसूचित किए हैं। अब से निर्यात आंकड़ों का सृजन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा किया जाएगा।

विवरण

हथकरघा कलस्टरों के अंतर्गत उत्पादन यूनिट

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्लस्टरों की संख्या	करघों की संख्या	बुनाई (बुनकर) और संबद्ध कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	202100	490616
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	39592	53473
3.	असम	23	1322056	2322268
4.	बिहार	53 (झारखंड सहित)	34906	110732
5.	छत्तीसगढ़	–	8111	28362
6.	दिल्ली	01	7027	6708
7.	गोवा	01	43	25
8.	गुजरात	19	20550	57936
9.	हरियाणा	17	22718	22810
10.	हिमाचल प्रदेश	12	47631	65099

1	2	3	4	5
11.	जम्मू-कश्मीर	14	18154	51847
12.	झारखंड	–	11314	56975
13.	कर्नाटक	20	70835	177562
14.	केरल	14	49508	63153
15.	मध्य प्रदेश	45 (छत्तीसगढ़ सहित)	14425	27744
16.	महाराष्ट्र	28	39900	80901
17.	मणिपुर	08	281496	462087
18.	मेघालय #	–	#	#
19.	मिजोरम #	–	#	#
20.	नागालैंड	07	87878	126228
21.	उड़ीसा	30	92869	246782
22.	पुडुचेरी	01	3106	7369
23.	पंजाब	12	6556	13160
24.	राजस्थान	31	34343	71915
25.	सिक्किम**	–	838	1228
26.	तमिलनाडु	22	413174	607675
27.	त्रिपुरा	4 (झारखंड सहित)	117792	291761
28.	उत्तर प्रदेश	–	182539	401362
29.	उत्तराखंड	–	7031	19322
30.	पश्चिम बंगाल	18	350654	686254
	कुल अखिल भारत	470	3487146	6551354

#मेघालय और मिजोरम के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

**सिक्किम के बुनकरों की संख्या संबंधी कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

नदियों को परस्पर जोड़ना

2274. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में जल की अत्यधिक कमी के बारे में अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों को परस्पर जोड़ना देश के जल संकट की समस्या का समाधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नदी लिंकिंग परियोजना की कार्ययोजना एक एवं दो के बारे में निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जल संसाधन के विकास की आयोजना की जाती है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) का गठन किया है। एनसीआईडब्ल्यूआरडी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2010, 2025 तथा 2050 तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल जरूरतों के वास्ते अनुमानों का उल्लेख निम्न प्रकार किया है:

उपयोग (बिलियन घन मीटर में)	वर्ष		
	2010	2025	2050
सिंचाई	557	611	807
घरेलू	43	62	111
उद्योग	37	67	81
अन्य	73	103	181
कुल	710	843	1180

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 1980 में जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतर्बेसिन हस्तांतरण की योजना है। एनपीपी के अंतर्गत अंतर्संपर्क प्रस्तावों में बाढ़ में कमी, नौवहन, जल आपूर्ति, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि आनुषंगिक लाभों के अलावा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर का सिंचाई लाभ, भूजल के बढ़े हुए उपयोग द्वारा 10 मिलियन हेक्टेयर तथा 34 हजार मेगावाट जल विद्युत के सृजन की योजना है।

(ङ) और (च) नदी को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (आईएलआर) ने परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्टों को पूरा करने की समयसूची, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन अनुसूची, सुनिश्चित लाभ और फायदे की रूपरेखा देते हुए अप्रैल, 2003 के दौरान कार्रवाई योजना-1 प्रस्तुत की। परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए विकल्पों तथा लागत वसूली की पद्धतियों पर सुझाव देते हुए कार्रवाई योजना-2 भी अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत की थी। मूल्यांकन के मानकों पर मार्गदर्शन, राज्यों के बीच तेजी से सर्वसम्मति लाने और संपर्कों की प्राथमिकता के निर्धारण के संबंध में कार्यबल द्वारा दी गई सिफारिशों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। कार्यबल की शेष सिफारिशों पर निर्णय लेने की स्थिति अभी नहीं आई है।

(छ) और (ज) आईएलआर परियोजना का कार्यान्वयन, संबंधित राज्यों की सर्वसम्मति और सहयोग तथा पड़ोसी देशों के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करता है।

ग्राम डाकघरों का उन्नयन

2275. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्राम डाकघरों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) ग्रामीण डाकघरों के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु जनता के साथ कारोबार संबंधी लेनदेन को सुगम बनाने के लिए सभी ऐसे डाकघरों को ढांचागत उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और सभी ग्रामीण डाकघरों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 4000 ग्रामीण डाकघरों को कवर करने के लिए ढांचागत उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए सर्किलों को दो करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। सर्किलवार ब्यौरा विवरण-I और II पर है।

विवरण I

ग्रामीण डाकघरों को ढांचागत उपकरणों की आपूर्ति-योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य (ढांचागत उपकरण उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या) (2007-08)	वित्तीय परिव्यय (हजार रुपये में) (2007-08)
1.	आंध्र प्रदेश	120	600
2.	असम	95	475
3.	बिहार	120	600
4.	छत्तीसगढ़	60	300
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	85	425
7.	हरियाणा	25	125
8.	हिमाचल प्रदेश	20	100
9.	जम्मू-कश्मीर	8	40
10.	झारखंड	25	125
11.	कर्नाटक	90	450
12.	केरल	32	160
13.	मध्य प्रदेश	70	350
14.	महाराष्ट्र	100	500
15.	पूर्वोत्तर	200	1000
16.	उड़ीसा	65	325
17.	पंजाब	15	75
18.	राजस्थान	60	300
19.	तमिलनाडु	75	375
20.	उत्तर प्रदेश	130	650
21.	उत्तराखंड	25	125
22.	पश्चिम बंगाल	75	375
	सिक्किम (पश्चिम बंगाल)	5	25
	कुल	1500	7500

विवरण II

ग्रामीण डाकघरों को ढांचागत उपकरणों की आपूर्ति-योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य (ढांचागत उपकरण उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या) (2008-09)	वित्तीय परिव्यय (हजार रुपये में) (2008-09)
1.	आंध्र प्रदेश	200	1000000
2.	असम	150	750000
3.	बिहार	200	1000000
4.	छत्तीसगढ़	100	500000
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	140	700000
7.	हरियाणा	45	225000
8.	हिमाचल प्रदेश	35	175000
9.	जम्मू-कश्मीर	15	75000
10.	झारखंड	40	200000
11.	कर्नाटक	150	750000
12.	केरल	55	275000
13.	मध्य प्रदेश	120	600000
14.	महाराष्ट्र	200	1000000
15.	पूर्वोत्तर	245	1225000
16.	उड़ीसा	125	625000
17.	पंजाब	45	225000
18.	राजस्थान	100	500000
19.	तमिलनाडु	150	750000
20.	उत्तर प्रदेश	215	1075000
21.	उत्तराखंड	45	225000
22.	पश्चिम बंगाल	120	600000
	सिक्किम (पश्चिम बंगाल)	5	25000
	कुल	2500	12500000

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं

2276. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने बीड़ी कामगार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं तथा उन संस्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके माध्यम से उक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या उक्त सुविधाएं इन लाभार्थियों के लिए अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीड़ी कामगारों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नई योजना लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना/प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) लाभभोगियों के लिए सुविधाएं कमोबेश पर्याप्त हैं। तथापि, जब कभी अतिरिक्त सुविधाओं हेतु अनुरोध किया जाता है, तब निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के संदर्भ में इसकी जांच की जाती है।

विवरण

चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे बीड़ी कामगारों की राज्यवार संख्या तथा अस्पतालों/औषधालयों के नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे बीड़ी कामगारों की संख्या	उन अस्पतालों/औषधालयों के नाम जिनके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं
1	2	3	4
1.	गुजरात	46645	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पाटन, जिला-पाटन
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सारसा, जिला-खेडा
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अहमदाबाद, जिला-अहमदाबाद
			4. स्थिर औषधालय, वादनगर, जिला-मेहसाणा
			5. स्थिर औषधालय, बोरसाड, जिला-कैयरा
			6. आयुर्वेदिक औषधालय, पालनपुर, जिला-मेहसाणा
2.	राजस्थान	35947	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सुजानगढ़, जिला-चुरू
			2. स्थिर औषधालय, टोंक, जिला-टोंक
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अजमेर, जिला-अजमेर
			4. स्थिर औषधालय, ब्यावर, जिला-अजमेर
			5. स्थिर औषधालय, कारोली, जिला-सवाईमाधोपुर
			6. सचल औषधालय, कोटा, जिला-कोटा
			7. आयुर्वेदिक औषधालय, सवाईमाधोपुर
			8. आयुर्वेदिक औषधालय, निसराबाद, जिला-अजमेर
			9. आयुर्वेदिक औषधालय, बारन, जिला-कोटा
			10. आयुर्वेदिक औषधालय, बूंदी, जिला-बूंदी

1	2	3		4
3.	उत्तर प्रदेश	380092	(i)	10 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल, गुरसहायगंज (उ.प्र.)
			1.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, जौनपुर, जिला-जौनपुर
			2.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, इलाहाबाद, जिला-इलाहाबाद
			3.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, झांसी, जिला-झांसी
			4.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, अमरोहा, जिला-मुरादाबाद
			5.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, मिर्जापुर, जिला-मिर्जापुर
			6.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, रायबरेली, जिला-रायबरेली
			7.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, रामपुर, जिला-रामपुर
			8.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, गाजीपुर, जिला-गाजीपुर
			9.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, सुल्तानपुर, जिला-सुल्तानपुर
			10.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, वाराणसी, जिला-वाराणसी
			11.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, लार (मतलार), जिला-देवरिया
			12.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, आजमगढ़, जिला-आजमगढ़
			13.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, फैजाबाद, जिला-फैजाबाद
			14.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, बलिया, जिला-बलिया
			15.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर
			16.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, भारवारी, जिला-इलाहाबाद
			17.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, हंडिया, जिला-इलाहाबाद
			18.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, नवगांवसादत, जिला-मुरादाबाद
4.	कर्नाटक	250763	(i)	50 बिस्तर वाला केन्द्रीय अस्पताल, मैसूर (कर्नाटक)
			1.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, थुंबे, जिला-मंगलौर
			2.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, मूदाबिद्री, जिला-मंगलौर
			3.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, काटीपल्ला, जिला-मंगलौर
			4.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, पुट्टुर, जिला-मंगलौर
			5.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, डेरलाकट्टा, जिला-मंगलौर
			6.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, हरिहर, जिला-चित्रदुर्ग
			7.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, निपानी, जिला-बेलगांव
			8.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, बंगलौर, जिला-बंगलौर
			9.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, कोलार, जिला-कोलार
			10.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, टुमकुर, जिला-टुमकुर
			11.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, उडुपि, जिला-दक्षिणी कनारा
			12.	स्थिर-सह-सचल औषधालय, वामडापाडवा, जिला-दक्षिणी कनारा

1	2	3	4
			13. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कल्लाडोका, जिला-दक्षिणी कनारा
			14. स्थिर-सह-सचल औषधालय, उप्पी-नानगडी, जिला-दक्षिणी कनारा
			15. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कामरल, जिला-दक्षिणी कनारा
			16. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कारकला, जिला-दक्षिणी कनारा
			17. स्थिर औषधालय, कईकम्बा, जिला-मंगलौर
			18. स्थिर औषधालय, यादगीर, जिला-गुलबर्गा
			19. स्थिर औषधालय, चन्नापाटना, जिला-बंगलौर
			20. स्थिर औषधालय, गुंडलपेट, जिला-मैसूर
			21. स्थिर औषधालय, चामराजनगर, जिला-मैसूर
			22. स्थिर औषधालय, हुबली, जिला-धारवाड़
			23. स्थिर औषधालय, सिरा तालुक, जिला-टुमकुर
			24. स्थिर औषधालय, धारवाड़, जिला-धारवाड़
			25. सचल औषधालय, मैसूर (अस्पताल से संबद्ध)
			26. सचल औषधालय, पाडिल, जिला-मंगलौर
5.	केरल	79208	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कन्नूर, जिला-कन्नूर
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, टेल्लीचेरी, जिला-टेल्लीचेरी
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अलाथुर, जिला-पलाक्कड
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, नीलेश्वर, जिला-कासरगोड
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कसारगोड, जिला-कासरगोड
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मन्जेश्वर, जिला-कासरगोड
			7. स्थिर औषधालय, कन्डोट्टी, जिला-मालापुरम
			8. स्थिर औषधालय, चवक्कड, जिला-तृश्शूर
6.	उड़ीसा	195540	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अंगुल, जिला-ढेंकानाल
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सालेपुर, जिला-कटक
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बागेडिया, जिला-ढेंकानाल
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दसरथपुर, जिला-कटक
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, रेंगली, जिला-सम्बलपुर
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, परमाणपुर, जिला-सम्भलपुर
			7. स्थिर औषधालय, ब्रह्मबारदा, जिला-कटक
			8. स्थिर औषधालय, घोलपुर, जिला-कटक
			9. स्थिर औषधालय, बैदेश्वर, जिला-कटक
			10. स्थिर औषधालय, बालीझरी, जिला-कटक

1	2	3	4
			11. स्थिर औषधालय, बालासोर, जिला-बालासोर
			12. स्थिर औषधालय, सम्बलपुर, जिला-सम्बलपुर
			13. स्थिर औषधालय, भुवनेश्वर, जिला-भुवनेश्वर
			14. स्थिर औषधालय, गुजीदार्दा, जिला-भद्रक
			15. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कामाख्या नगर, जिला-ढेंकानाल
7.	आंध्र प्रदेश	469997	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, निजामाबाद, जिला-निजामाबाद
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कामारेड्डी, जिला-निजामाबाद
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अमरचिंता, जिला-महबूबनगर
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कोथाकोटा, जिला-महबूबनगर
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कोरातला, जिला-करीमनगर
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, नेल्लूर, जिला-नेल्लूर
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सिद्दीपेट, जिला-मेडक
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सिरसिल्ला, जिला-करीमनगर
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, जगताल, जिला-करीमनगर
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, भीमगल, जिला-निजामाबाद
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, वारंगल, जिला-वारंगल
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दुब्बाक, जिला-मेडक
			13. स्थिर-सह-सचल औषधालय, रमय्यामपेट, जिला-मेडक
			14. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कोठापल्ली, जिला-करीमनगर
			15. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मुस्तफाबाद, जिला-करीमनगर
			16. स्थिर औषधालय, एलरू, जिला-नालगोंडा
			17. स्थिर औषधालय, श्री कलाहस्ती, जिला-चित्तूर
			18. स्थिर औषधालय, निर्मल, जिला-अदिलाबाद
			19. स्थिर औषधालय, कमालपुरम, जिला-कुडापाह
			20. स्थिर-सह-सचल औषधालय, हैदराबाद
8.	तमिलनाडु	509265	(i) 30 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल, मुक्कुदल (तमिलनाडु)
			1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, वेल्लोर, जिला-उत्तरी अरकोट
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मेलाविश्राम, जिला-उत्तरी अरकोट
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, तेनकासी, जिला-तिरूनेलवेली
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मुक्कुदल, जिला-तिरूनेलवेली
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अलानगुलम, जिला-तिरूनेलवेली
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, तिरूचिरापल्ली/त्रिची, जिला-तिरूचिरापल्ली
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, ओल्ड वाशरमैनपेट, चेन्नई
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सलेम, जिला-सलेम

1	2	3	4
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कुडांगुलम, जिला-तिरूनेलवेली
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, इरूवाडी, जिला-तिरूनेलवेली
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पानागुडी, जिला-तिरूनेलवेली
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, वानीवामबाडी, जिला-उत्तरी अरकोट
			13. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सुरानदई (तेनकाशी), जिला-तिरूनेलवेली
			14. स्थिर औषधालय, गुडीयाथम, जिला-उत्तरी अरकोट
			15. स्थिर औषधालय, मेलापालायाम, जिला-तिरूनेलवेली
			16. स्थिर औषधालय, पुडूपट्टी, जिला-तिरूनेलवेली
			17. स्थिर औषधालय, पेरनामबुट, जिला-उत्तरी अरकोट
			18. सचल औषधालय, तिरूनेलवेली, जिला-तिरूनेलवेली
9.	मध्य प्रदेश	987088	(i) 30 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल, सागर (मध्य प्रदेश)
			1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सिहोर, जिला-जबलपुर
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, जबलपुर, जिला-जबलपुर
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, घरकोट्टा, जिला-सागर
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, देवरी, जिला-सागर
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सागर, जिला-सागर
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दमोह, जिला-सागर
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, हाट्टा, जिला-दमोह
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, नोहाटा, जिला-दमोह
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, ग्वालियर, जिला-ग्वालियर
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बेगमगंज, जिला-रायसेन
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, भोपाल, जिला-भोपाल
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सनवाड, जिला-खरगांव
			13. स्थिर-सह-सचल औषधालय, रीवा, जिला-रीवा
			14. स्थिर-सह-सचल औषधालय, उज्जैन, जिला-उज्जैन
			15. स्थिर-सह-सचल औषधालय, खुराई, जिला-सागर
			16. स्थिर-सह-सचल औषधालय, गोदारवारा, जिला-नरसिंहपुर
			17. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पाटन, जिला-जबलपुर
			18. स्थिर-सह-सचल औषधालय, रेहली, जिला-सागर
			19. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दमोह, जिला-दमोह
			20. स्थिर औषधालय, इन्दोर, जिला-इन्दोर
			21. स्थिर औषधालय, कटांगी, जिला-जबलपुर
			22. स्थिर औषधालय, वारासियोनी, जिला-बालाघाट
			23. स्थिर औषधालय, गुना, जिला-गुना
			24. स्थिर औषधालय, बुरहानपुर, जिला-खंडवा
			25. स्थिर औषधालय, सतना, जिला-सतना

1	2	3	4
10.	छत्तीसगढ़	20481	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, धामतारी, जिला-धामतारी
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, राजनंदगांव, जिला-राजनंदगांव
11.	बिहार	204110	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मधुबनी, जिला-मधुबनी
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, गया, जिला-गया
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मोतीहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बेगूसराय, जिला-बेगूसराय/बछवारा
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, भागलपुर, जिला-भागलपुर
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मुंगेर, जिला-मुंगेर
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पटना, जिला-पटना
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मधेपुरा
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर
			13. स्थिर औषधालय, ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण
			14. स्थिर औषधालय, गोपालगंज, जिला-गोपालगंज
			15. स्थिर औषधालय, नवादा, जिला-नवादा
			16. स्थिर औषधालय, बाढ़, जिला-बाढ़
12.	झारखण्ड	98027	(i) 50 बिस्तरों वाला टी.बी. अस्पताल, करमा (झारखण्ड)
			1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, चक्रधरपुर, जिला-सिंहभूम
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पाकुर, जिला-दुमका
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, झाझा, जिला-जम्मुई
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, देवघर
			5. स्थिर औषधालय, छत्तरा
13.	पश्चिम बंगाल	1203947	65 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल, धुलिया (पश्चिम बंगाल)
			1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बांकुरा, जिला-बांकुरा
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कूचबिहार, जिला-कूचबिहार
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, मागरा-हाट, जिला-24 परगना (उत्तरी)
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बारासाथ, जिला-24 परगना (उत्तरी)
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, झालदाह, जिला-पूरलिया
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कृष्णनगर, जिला-नादिया
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, करीमपुर, जिला-नादिया
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, खड़गपुर, जिला-मिदनापुर
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कलियाचक, जिला-मालदा

1	2	3	4
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, काकद्वीप, जिला-24 परगना
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, बेहरामपुर, जिला-मुर्शिदाबाद
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, कोनटई, जिला-मिदनापुर
			13. स्थिर-सह-सचल औषधालय, दोमोहाना, जिला-पश्चिमी दिनाजपुर
			14. सचल चिकित्सा इकाई, काकुरगाची, जिला-कोलकाता
			15. सचल चिकित्सा इकाई, निमतिता, जिला-मुर्शिदाबाद
			16. स्थिर-सह-सचल औषधालय, टोलीगंज, कोलकाता
14.	असम	6879	स्थिर-सह-सचल औषधालय, गौरीपुर, जिला-धुबरी
15.	त्रिपुरा	8537	स्थिर-सह-सचल औषधालय, अगरतला, जिला-अगरतला
16.	महाराष्ट्र	243818	1. स्थिर-सह-सचल औषधालय, तुमसुर, जिला-भण्डारा
			2. स्थिर-सह-सचल औषधालय, आमगांव, जिला-भण्डारा
			3. स्थिर-सह-सचल औषधालय, तिरोरा, जिला-भण्डारा
			4. स्थिर-सह-सचल औषधालय, लखानी, जिला-भण्डारा
			5. स्थिर-सह-सचल औषधालय, भण्डारा, जिला-भण्डारा
			6. स्थिर-सह-सचल औषधालय, गोंडिया, जिला-भण्डारा
			7. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सिनेर, जिला-नासिक
			8. स्थिर-सह-सचल औषधालय, अहमदनगर, जिला-अहमदनगर
			9. स्थिर-सह-सचल औषधालय, संगमनेर, जिला-अहमदनगर
			10. स्थिर-सह-सचल औषधालय, पुणे, जिला-पुणे
			11. स्थिर-सह-सचल औषधालय, सांगली, जिला-सांगली
			12. स्थिर-सह-सचल औषधालय, खाट, जिला-नागपुर
			13. स्थिर औषधालय, काम्पटी, जिला-नागपुर
			14. स्थिर औषधालय, शोलापुर, जिला-शोलापुर
			15. स्थिर औषधालय, जालना, जिला-जालना
			16. आयुर्वेदिक औषधालय, नान्देड, जिला-नान्देड
			17. आयुर्वेदिक औषधालय, ब्रह्मपुरी, जिला-चंद्रपुर

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव

2277. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों तथा नदियों के बहाव पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधनों और नदी के बहाव पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का उचित आकलन करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से आवश्यक अध्ययन शुरू किए गए हैं। अध्ययनों का समन्वयन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। इन अध्ययनों का उद्देश्य (क) जल उपलब्धता और बहाव

में होने वाले संभावित परिवर्तनों की सीमा के आकलन, (ख) ऐसे परिवर्तनों का जल संसाधन प्रणाली के निष्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने, और (ग) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के समाधान हेतु उचित उपाय पहचानने की दृष्टि से जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच करना है।

कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम

2278. श्री एल. राजगोपाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुमोदित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में इसमें शामिल संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में पैदावार तथा आय बढ़ाने के लिए प्रदर्शित या प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित संशोधित सिंचाई तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में 100 लाख रुपये की लागत से 200 किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम स्वीकृत किये गए हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तीन संस्थाओं अर्थात्: (i) जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, कृषि महाविद्यालय, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद; (ii) केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद; और (iii) अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क ट्रोपिक्स फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), पाटनचेरू, हैदराबाद को 70 लाख रुपये तक की निधि जारी की गई है। इन संस्थानों द्वारा प्रदर्शित तकनीके हैं- चावल की पैदावार में वृद्धि की प्रणाली (एलआरआई) सहित जल बचत प्रौद्योगिकियां; जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से माइक्रो-सिंचाई के लिए सर्वश्रेष्ट प्रबंधन पद्धतियां; और टैंक की गाद का मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार के लिए उपयोग करना।

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

2279. श्री नरहरि महतो:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में हो रही अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ग) क्या इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के भंडारण और संचलन संबंधी व्यापक प्रचालनात्मक कार्यों के निष्पादन के दौरान कोई भारी हानि नहीं हुई है। किंतु विभिन्न प्रचालनात्मक प्रभावों, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रों और सतर्कता प्रभाग/अनुभागों की निरीक्षण/जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता के मामले शुरू किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों से संबंधित ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) (i) कुल बिक्री के प्रति चोरी और दुर्विनियोजन के कारण पिछले तीन वर्षों में हुए नुकसान की राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	चोरी, उठाईगिरी और दुर्विनियोजन के कारण नुकसान की राशि (करोड़ रुपये में)	बिक्री (करोड़ रुपये में)
2004-05	1.40	61272.55
2005-06	0.92	57656.48
2006-07	1.55	48883.02

(ii) पिछले तीन वर्षों में बहुस्तरीय हैंडलिंग, रेल से लंबी दूरी तक ढुलाई, लंबी अवधि तक भंडारण के कारण नमी की समाप्ति और कर्मचारियों की अनियमितताओं जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और धान के रूप में चावल) की भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मार्गस्थ हानियां

(मात्रा लाख टन/मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	हानि की मात्रा	हानि का मूल्य	कुल संचलित मात्रा	संचलित मात्रा पर हानि का प्रतिशत
2005-06	1.51	143.00	353.75	0.43
2006-07*	1.39	148.26	255.46	0.49
2007-08*	1.15	135.79	287.17	0.40

*अनंतिम

भंडारण हानियां (मात्रा लाख टन/मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	हानि की मात्रा	हानि का मूल्य	कुल जारी की गई मात्रा	संचलित मात्रा पर हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2005-06	1.17	133.87	730.69	0.16
2006-07*	1.34	156.85	425.05	0.32
2007-08*	1.30	162.77	461.29	0.28

*अनंतिम

(ग) जहां भी अनियमितताएं पाई गई हैं वहां प्रक्रिया के अनुसार जिम्मेदारी तय की गई है। अनियमितताओं के ऐसे सतर्कता के मामलों का स्वरूपवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मामले के स्वरूपवार, दिए गए दंड का ब्यौरा विवरण-III में दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) (i) अनियमितताओं/भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। ये उपाय निवारक एवं दंडात्मक स्वरूप के हैं। ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ii) जहां तक प्रचालनात्मक हानियों का संबंध है, इसे रोकने/कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न कदम उठाए हैं जो विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण I

सतर्कता मामलों का निपटान

वर्ष	अथ शेष		जोड़	शुरू किए गए मामलों की संख्या		जोड़	निपटाए गए मामलों की संख्या		जोड़	इतिशेष		जोड़
	बड़े दंड के मामले	छोटे दंड के मामले		बड़े दंड के मामले	छोटे दंड के मामले		बड़े दंड के मामले	छोटे दंड के मामले		बड़े दंड के मामले	छोटे दंड के मामले	
2006	552	1593	2145	535	2405	2940	591	2490	3081	496	1508	2004
2007	496	1508	2004	419	2175	2594	578	2638	3216	337	1045	1382
2008 (अक्तूबर तक)	337	1045	1382	233	1624	1857	320	2025	2345	250	644	894

विवरण II

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2008 (अक्तूबर) तक लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	अनियमितता का स्वरूप	2006	2007	2008 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5
1.	अवैध परितोष स्वीकार करना/गैर-आनुपातिक परिसंपत्तियां	11	10	5
2.	खातों का गबन/दुर्विनियोजन	79	70	73

1	2	3	4	5
3.	डेड स्टाक का दुर्विनियोजन/गोदामों का निर्माण	6	11	17
4.	घटिया स्टाक की खरीद	569	288	168
5.	हैंडलिंग और ढुलाई के ठेके देना	3	11	2
6.	मार्गस्थ/भंडारण हानियां	1195	850	429
7.	प्रशासनिक खामियां/विविध	141	142	200
	जोड़	2004	1382	894

विवरण III

दिया गया दण्ड

क्र.सं.	दिए गए दंड का स्वरूप	2006	2007	2008 (अक्तूबर तक)
1.	बर्खास्तगी/सेवा से हटाया जाना/अनिवार्य सेवा निवृत्ति	79(3)	50(-)	18(-)
2.	रैंक में कमी	30(-)	46(-)	11(-)
3.	समय वेतनमान में कमी	318(2)	274(4)	245(-)
4.	वेतनवृद्धि को रोकना	216(1)	195(1)	73(1)
5.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि के लिए वेतन से वसूली	1731(23)	1821(35)	1242(14)
6.	प्रोन्नति को रोकना	2(-)	66(-)	6(-)
7.	निन्दा	382(6)	358(16)	419(7)
	जोड़	2758(35)	2816(56)	2014(22)
8.	जारी की गई चेतावनी/आरोप-मुक्ति/बंद किए गए मामले	323(4)	400(23)	331(5)
	कुल जोड़	3081(39)	3216(79)	2345(27)

नोट:- कोष्टक में दर्शाए गए आंकड़े ऊपर दिए गए कुल आंकड़ों में से श्रेणी-1 अधिकारियों पर लगाए गए दंड को दर्शाते हैं।

विवरण IV

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. निवारक उपाय

1. उन डिपुओं को चिह्नित करना जहां भंडारण/मार्गस्थ हानियां अधिक हुई हैं ताकि उनकी गहन समीक्षा और जांच की जा सके।
2. विशेष रूप से खरीद संबंधी प्रचालनों के दौरान संवेदनशील डिपुओं/लदान/उतरान स्थलों/केन्द्रों पर बार-बार औचक/स्क्वाड जांच।
3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ संपर्क और उनकी सहायता करना और उनके छापों/औचक जांच में उनके साथ रहना।
4. प्रणाली/प्रक्रिया/अनुदेशों में खामियों को दूर करना।
5. आशंकित सत्यनिष्ठा और सहमत सूची तैयार करना।

6. संपत्ति से होने वाली आय की जांच-पड़ताल।
7. प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को चिन्हित करना।
8. संवेदनशील तैनाती की समीक्षा और आशंकित सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को उन स्थानों से हटाए जाने के लिए उपयुक्त सुझाव देना।
9. जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम।

ख. दंडात्मक उपाय

1. शिकायतों की जांच।
2. प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया बनाए गए मामलों में आरोप पत्र जारी करना।
3. जहां तक संभव हो, निर्धारित समय-सीमा में विभागीय कार्यवाहियों (बड़ी/छोटी) को अंतिम रूप देना और उचित दंड देना।
4. निचले अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के स्तर पर लंबित शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा।
5. उपयुक्त मामलों में षड्यंत्र अथवा कदाचार में संलिप्त अधिकारियों के मामलों में भ्रष्टाचार की प्रणाली को समाप्त करने के लिए अनुकरणीय दंड देना।
6. जहां विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त बाह्य पक्षों के साथ आपराधिक कदाचार/संदेहास्पद संबंध के मामले का संदेह हो उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/स्थानीय पुलिस के सुपुर्द करना।

ग. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा

(1) खरीद करने वाले क्षेत्रों में खरीद की तारीख के संबंध में एफआईएफओ (फसल वर्ष) के स्थान पर एफआईएफओ लागू करना।

(2) स्तर को बनाए रखने के लिए दो बोलियों की निविदा प्रणाली।

(3) निष्पक्ष प्रतियोगिता शुरू करने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी एनआईटी का व्यापक प्रचार करना।

(4) प्रदान की गई निविदाओं के परिणाम तथा सफल निविदादाताओं के नाम एवं दरों आदि को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना।

(5) कार्यालयों/डिपुओं/लदान/उतरान केन्द्रों की समीक्षा (मार्गस्थ/भंडारण हानियां 2004-2005 के दौरान 0.53% थी जो 2005-2006 में कम होकर 0.36% हो गई थी- बचत लगभग 50 करोड़ रुपए)।

(6) डिपु निरीक्षण मानीटरिंग सैल स्थापित करना।

(7) निम्नलिखित की जांच करना:

(क) अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(ग) सी टी ई निरीक्षणों का प्रेक्षण

(8) बारी-बारी से स्थानांतरण - जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया हो, उन्हें गैर-संवेदनशील पदों पर तैनात करना ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

(9) निम्नलिखित का गहन अध्ययन करना-

(क) हैंडलिंग और ढुलाई के ठेके

(ख) भारतीय खाद्य निगम में खरीद की प्रक्रिया

(10) शिकायतों और सतर्कता के मामलों के निष्पादन की प्रगति की मानीटरिंग।

(11) निम्नलिखित पर अधिकारियों की निगरानी-

(क) सहमत सूची - 82 (श्रेणी-1—2 अधिकारी)

(ख) आशंकित सत्यनिष्ठा सूची - 442 (श्रेणी-1—14 अधिकारी)

इन दो सूचियों में शामिल कार्मिकों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाता।

(12) निम्नलिखित को चिन्हित करना-

(क) अधिक हानि वाले डिपु

(ख) अधिक नुकसान वाले रेलहैड

(ग) घटिया/बेकार किस्म के चावल की बार-बार खरीद करने वाले वाले डिपु/केन्द्र (उदाहरणार्थ फरीदकोट, पंजाब का मुक्तसर केन्द्र)

(13) उक्त प्रचालन स्थलों की गहन जांच।

(14) कम्प्यूटरों का उपयोग, ई सी एस के जरिए भुगतान, नकद भुगतान पर प्रतिबंध।

(15) यांत्रिक तौल सेतुओं का स्तरोन्नयन करके इलेक्ट्रानिक तौल सेतु लगाना (617 में से 315 का उन्नयन कर दिया गया है)।

(16) रिकार्ड रखना, पारदर्शिता, कार्यकुशलता और आई एस ओ 9001-2000 के अनुसार संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

(17) ईमानदारी का वातावरण तैयार करना — दोषियों को दंडित करना और ईमानदार/सराहनीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।

(18) खाद्यान्नों का क्षतिग्रस्त होना/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान की जांच।

विवरण V

हानियों को न्यूनतम करने/रोकने के लिए किए गए उपाय

1. गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी पर कांटेदार तार लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान करने और शेडों में उचित रूप से ताला लगाने जैसे भौतिक उपाय किये जाते हैं।

2. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम और होमगार्ड जैसी अन्य एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

3. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।

4. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।

5. 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि हुकों का प्रयोग न करना पड़े।

6. मशीन से बोरियों की दोहरी सिलाई।

7. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार करना।

8. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना।

9. चुने हुए रेल शीर्षों, लदान और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की विशेष दलों द्वारा जांच किया जाना।

10. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।

11. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महा प्रबंधकों (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।

12. तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाना।

13. प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाए रखना।

14. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।

15. मानसून-पूर्व प्रधूमन करना।

16. डनेज सामग्री में सुधार करना।

17. खाद्यान्नों का सुरक्षित तरीकों, अर्थात् ढके हुए वैगनों, आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन करना।

18. वसूली के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

19. यह सुनिश्चित करना कि भारतीय खाद्य निगम के अपने सभी गोदामों का निर्माण तथा रखरखाव खाद्यान्नों के भंडारण के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अनुरूप किया जाए।

20. रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में मार्गस्थ हानियों को रोकने के लिए, इसमें तृतीय निजी पक्ष (बीमा एजेंसी) सामिल होती है जिसके प्रतिनिधि रेल द्वारा प्रेषण से पहले और प्राप्ति स्थल पर उस स्टाक को प्राप्त करते समय वैगनों के उतरान के बाद स्टाक की तुलाई तक स्टाक की गुणवत्ता की जांच करते हैं। इस प्रकार, मार्गस्थ प्रक्रिया के दौरान उठाईगिरी की संभावनाओं को कम कर दिया गया है।

21. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण करना।

22. स्टाक का मार्गस्थ बीमा।

23. जहां तक संभव हो अच्छी किस्म की बोरियों का लदान और 'फ्लैप डोर' के पास 18 इंच की जगह छोड़ना।

नेफेड

2280. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के प्रमुख कार्य क्या हैं तथा इसके निदेशक मण्डल के सदस्य कौन-कौन होते हैं;

(ख) क्या सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के संबंध में मण्डल के सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नेफेड को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) नेफेड के निदेशक बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं- आम सभा के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अनुमोदित करना, सदस्यों को प्रवेश देना और निलम्बित करना; प्रबंधन निदेशक को नियुक्त करना, निलम्बित करना अथवा हटाना; कार्यकारी और व्यापार समिति बनाना; आम सभा को लाभ के वितरण की सिफारिश करना; निदेशक बोर्ड के सदस्यों से त्यागपत्र स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना और त्यागपत्र के स्वीकार होने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्ति होने की स्थिति में आम सभा के प्रतिनिधियों में से ही निदेशक सहयोजित करना। नेफेड बोर्ड एक चयनित निकाय है जिसमें सदस्य आम सभा द्वारा चुने जाते हैं।

बोर्ड के संविधान को बहुराज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के संशोधन पर विचार करते हुए परिवर्तित कर दिया गया था। तदनुसार नेफेड के उप नियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार नेफेड के निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 है। इसके अतिरिक्त बोर्ड 21 के अतिरिक्त 2 निदेशकों को सहयोजित कर सकता है। नेफेड का प्रबंध निदेशक भी बोर्ड का सदस्य है और बोर्ड में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या में इसकी गिनती नहीं होती।

आम सभा द्वारा चुने गये निदेशक बोर्ड में शामिल हैं-

(i) उप नियम 4(क)(i) के अंतर्गत शामिल संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक राज्यस्तरीय सामान्य उद्देश्यीय सहकारी विपणन संघों में से एक नामित व्यक्ति जिसने प्रवेशशुल्क/अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से साम्या के रूप में कम से कम 20 लाख रुपये का योगदान किया हो।

यदि ऐसे सदस्य संघ 10 से अधिक होते हैं तो उनकी रैंकिंग के अवरोहण के क्रम में पहले 10 प्रत्येक नेफेड बोर्ड में एक निदेशक नामित करने के पात्र होंगे। रैंकिंग साम्या अनुपात में नेफेड के साथ कुल व्यापार की प्रतिशतता के रूप में उस राज्य की पीएसएस/एमआईएस अथवा सरकारी स्कीम के किसी अन्य कार्य को छोड़कर नेफेड के साथ औसत व्यापार और नेफेड को कुल जारी अंशपूंजी में संबंधित राज्य की साम्या अंशपूंजी प्रतिशतता के औसत के आधार पर की जाएगी। इस प्रकार का नामित व्यक्ति अधिनियम/नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ii) उपर्युक्त (i) में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर उप नियम 4(क)(ii) के अंतर्गत पंजीकृत संघशासित क्षेत्र की शीर्षस्तर की विपणन समितियों और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से एक नामित व्यक्ति और यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं मिलता तो रिक्ति को उपर्युक्त पैरा (i) में तैयार सूची से ग्यारहवें उम्मीदवार द्वारा भर लिया जाता है।

(iii) कृषि लघुवन्य और समवर्गी उत्पाद के वितरण अथवा विपणन परिसंस्करण, कृषि अपेक्षित और उपभोक्ता माल में संलग्न राज्य स्तरीय सहकारी जिंस संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधि को उपनियम 4(क)(iii) के अंतर्गत स्वीकृत सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

(iv) प्राथमिक सहकारी विपणन और/अथवा कृष्य, लघु वन्य अथवा सम्बद्ध प्रसंस्करण और/अथवा कृषि आदानों और सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व सहकारिता वर्ष के दौरान कम से कम 50 लाख रुपये अथवा अधिक का विक्रय कारोबार वाले सात नामित व्यक्तियों को उनमें से ही उपनियम 4(क)(iv) के अंतर्गत स्वीकृत सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

(v) उप नियम 4(क)(iv) के अंतर्गत भारत सरकार का एक नामित व्यक्ति जिसमें सरकार नेफेड को मूलधन की वापसी और अग्रिमों तथा ऋणों पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी देती है अथवा अनुदानों के तौर पर अथवा किसी अन्य तौर पर नेफेड को कोई सहायता दी है तो सरकार इस तरह से, जैसी भी स्थिति हो, अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नेफेड के बोर्ड में व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा।

(vi) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का एक नामित व्यक्ति पारस्परिक आधार पर नेफेड बोर्ड में प्रतिनिधित्व करता है।

(vii) प्रबंध निदेशक।

(viii) देश में दो से अनधिक प्रख्यात सहयोगी, अर्थशास्त्री अथवा प्रबंधन विशेषज्ञ जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा

सहयोजित किया जा सकता है। उन्हें भाग लेने तथा वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुन: सहयोजन के पात्र होते हैं।

इसके अतिरिक्त नेफेड की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इस विभाग ने नेफेड को परामर्श दिया है कि कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण करे और विस्तार करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मण्डी हस्तक्षेप स्कीम इत्यादि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की चालू स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों से राशियों को प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाएं ताकि नेफेड परिवर्तित व्यापारिक परिदृश्य में एक वाणिज्यिक व्यवहार्य संगठन बन सके ताकि सहकारी समितियों और किसानों के हितों का संरक्षण हो सके।

[हिन्दी]

बांधों का रखरखाव

2281. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने बांध हैं;

(ख) क्या बांधों में गाद जम जाने तथा घटिया रखरखाव के कारण बांधों को नुकसान पहुंचता है और इससे बाढ़ आ जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बांधों से गाद निकालने तथा उनके रखरखाव पर हुए खर्च का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान टूटने वाले बांधों के नाम एवं संख्या क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) विशाल बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर-2002 के अनुसार, देश में वर्तमान में 4050 विशाल, पूर्ण बांध हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) बांधों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/बांधों के स्वामी की होती है। सामान्यत: गाद के कारण बांध को कोई नुकसान नहीं होता है। रिकार्ड के अनुसार खराब रखरखाव के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टूटे बांधों के नाम विवरण-II में दिये गए हैं।

विवरण I

पूरे कर लिए गए विशाल बांधों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	बांधों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	161
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	2
5.	बिहार	24
6.	छत्तीसगढ़	247
7.	गोवा	5
8.	गुजरात	470
9.	हरियाणा	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू-कश्मीर	8
12.	झारखण्ड	48
13.	कर्नाटक	203
14.	केरल	50
15.	मध्य प्रदेश	793
16.	महाराष्ट्र	1453
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	6
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	143

1	2	3
22.	पंजाब	11
23.	राजस्थान	180
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	92
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	113
28.	उत्तराखण्ड	11
29.	पश्चिम बंगाल	22
	कुल जोड़	4050

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टूटे बांधों के नाम

क्र.सं.	बांध का नाम	राज्य
1.	जसवंत सागर	राजस्थान
2.	नंद गवन	महाराष्ट्र
3.	प्रतापपुरा	गुजरात
4.	वी.के. पुर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
5.	आर.के. पुर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
6.	चंदिया	मध्य प्रदेश
7.	पिपलाई	मध्य प्रदेश

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादन

2282. श्री एम. शिवन्ना:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के औसत उत्पादन की तुलना में देश में गन्ने का औसत उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने की अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का है जैसाकि कर्नाटक के कुछ कृषक संघों ने मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2004-05 से 2006-07 में देश में औसत उत्पादन इसी अवधि में 14210.3 लाख टन के औसत विश्व उत्पादन की तुलना में 2912.6 लाख टन है।

(ख) और (ग) हां, श्रीमान जी। गत नौ दशकों के दौरान देश में विकसित किस्मों के गन्ने तथा चीनी पैदावार क्षमता में अनुकूल सुधार हुआ था। देश में गन्ना किस्मीय विकास दो केन्द्रीय संस्थानों अर्थात् गन्ना विकास संस्थान, कोयम्बटूर एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ तथा 20 से अधिक राज्य गन्ना अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान, गन्ने की बहुत सी किस्में देश के भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए जारी की गई जो Co 99004, Co 99006, Co 01061, Co 98014, CoS 96268, CoS 97222, CoJ 20193 तथा CoS 96275 हैं।

(घ) और (ङ) सरकार प्रत्येक मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) के लिए गन्ना हेतु चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय केवल वैधानिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है वर्ष 2008-09 के चीनी मौसम हेतु गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य 9% की बुनियादी वसूली दर के लिए 81.18 प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो उस स्तर की वसूली में प्रत्येक 0.1% बिन्दु वृद्धि के लिए 0.90 के प्रीमियम पर निर्भर करती है। वर्ष 2008-09 के चीनी मौसम हेतु निर्धारित किए गए वैधानिक न्यूनतम मूल्य को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भू-जल का प्रबंधन

2283. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में भूजल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सहित देश के भू-जल संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना अवधि में कृत्रिम जल संचयन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) 460.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से ग्यारहवीं योजना के लिए 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' संबंधी स्कीम का अनुमोदन किया है।

(2) 'डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण' संबंधी स्कीम का अनुमोदन।

(3) प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(4) सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन।

(5) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(घ) देश में दसवीं और ग्यारहवीं योजना में प्रारंभ की गई कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

* 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5.90 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वयन के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

* 11वीं योजना के भाग के रूप में, भूजल प्रबंधन और विनियमन की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात् अति दोहित, गंभीर आकलन यूनिटों, शहरी क्षेत्रों आदि में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन के लिए 100.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 1798.71 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का निर्यात

2284. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री संतोष गंगवार:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात में प्रत्येक राज्य का राज्य-वार योगदान क्या रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों से हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में बुनकरों तथा शिल्पकारों को उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण देने तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के विकास में सहायता प्रदान करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत एवं जारी की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जहां तक हस्तशिल्पों का संबंध है, राज्य-वार निर्यात का ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एकत्रित आंकड़ो के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	रुपये करोड़
2005-06	14526.85
2006-07	17288.14
2007-08	14012.05
2008-09 (अप्रैल-नवम्बर)	4680.37

हथकरघा उत्पादों में अलग आईटीसी (एचएस) कोड की अनुपस्थिति में अप्रैल, 2003 के आगे से हथकरघा पर निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों सहित देश से हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम उठाए गए हैं उनमें वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के आयोजन द्वारा ब्राण्ड इमेज संवर्धन के लिए प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, थिमेटिक प्रदर्शनियां आयोजित करना, उत्पाद विकास कार्यक्रम के माध्यम से नवीन मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास और पैकिंग तथा निर्यात प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न हथकरघा एजेंसियों के बुनकरों के समुचित प्रशिक्षण के साथ उत्पाद विविधिकरण और डिजाइन अभिनवीकरण के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य सामान के विकास के लिए

11वीं योजना में विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं के विकास और कारीगरों तथा बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए उठाए गए कदमों में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) और मानव संसाधन विकास, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, वर्कशेड एवं आवास बुनकर कल्याण स्कीम, बुनकर बीमा योजना, डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, हथकरघा निर्यात संवर्धन स्कीम, मिलगेट प्राइज स्कीम, समेकित हथकरघा समूह विकास स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, समेकित हथकरघा विकास स्कीम, विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम, मिलगेट प्राइज स्कीम और विविधिकृत हथकरघा विकास स्कीम शामिल हैं।

(ङ) कोई राज्य-वार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान निर्मुक्त निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II पर संलग्न है।

10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में हथकरघा के संवर्धन और विकास के लिए निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां
2002-03	130.83
2003-04	130.28
2004-05	154.09
2005-06	192.88
2006-07	195.67

11वीं योजना (विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां (रुपये करोड़ में)
2007-08	292.58
2008-09	200.27 (5.12.2008 के अनुसार)

विवरण I

10वीं योजना अवधि के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय

प्लान

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीमों के नाम	10वीं योजना	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
		परिव्यय	बजट आंक.	संशो. आंक.	परिव्यय	बजट आंक.	सं.आ/ एफजी	परिव्यय	बजट आं.	आरई/ एफजी	परिव्यय	बजट आंक.	संशो. आंक.	परिव्यय	बजट आंक.	संशो. आंक.	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	बाबा साहब अम्बेडकर योजना	82.80	8.80	8.80	8.40	21.05	16.50	15.56	24.48	23.06	21.10	30.70	30.20	29.75	33.00	32.00	28.13
2.	डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	98.50	26.00	26.00	21.95	8.15	8.75	8.48	23.14	16.64	15.80	19.00	18.70	15.41	13.00	11.00	9.96
3.	विपणन एवं सहायता सेवाएं	71.85	13.35	14.00	14.01	14.30	14.60	11.15	19.13	18.45	15.69	19.00	18.60	19.06	18.70	18.70	18.95
4.	निर्यात संवर्धन	43.00	7.50	7.50	3.65	10.00	9.87	9.82	14.45	14.35	9.85	12.60	13.90	14.64	15.25	16.00	11.49
5.	अनुसंधान एवं विकास	10.50	2.50	2.50	1.56	3.10	2.10	1.57	3.30	2.00	1.89	3.30	3.20	2.61	2.50	2.50	0.93
6.	प्रशिक्षण एवं विस्तारण	82.02	17.02	18.01	16.17	0.90	0.62	0.44	0.50	0.50	0.50	1.10	1.10	0.92	1.00	1.00	0.41
7.	जम्मू एवं कश्मीर के लिए एकीकृत पैकेज	0.00	0	1.00	0.89	31.55	14.85	9.69	4.00	4.00	3.74	5.00	5.00	4.82	5.00	4.00	2.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	कारीगरों के लिए बीमा योजना	0.00	0	0.17	0.00	1.00	0.60	0.60	2.70	0.62	0.62	3.80	3.70	1.00	1.00	1.00	4.00
9.	विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	0	0.10	0.10	1.00	1.00	0.85	3.50	3.40	3.08	3.50	3.60	3.68	4.60	5.25	3.83
10.	क्रेडिट गारंटी स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.70	0.07
11.	वर्कशेड स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.95	0.85	1.24
12.	यूएनडीपी परियोजनाएं	6.33	5.33	3.32	3.32	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (राजस्व)	395.00	60.50	81.40	70.05	91.05	68.89	58.16	95.20	83.02	72.27	98.00	98.00	92.04	100.00	94.15	81.72
	पूंजी																
13.	अवसंरचनात्मक परियोजना	23.00	6.10	2.90	1.60	10.10	9.27	6.16	5.80	6.55	4.80	7.00	7.00	5.20	10.00	10.00	17.48
14.	केन्द्र को वित्तीय सहायता	7.00	1.40	1.40		2.40	0.00	0	2.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पीएसयू/एसएचडीसी/शीर्ष समितियां												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल पूंजी	30.00	7.50	4.30	1.60	12.50	9.27	6.16	7.80	6.55	4.80	7.00	7.00	5.20	10.00	10.00	17.48
	कुल योग	425	86.00	85.70	71.65	103.55	79.16	64.32	103.00	89.57	77.07	105.00	105.00	97.24	110.00	104.15	99.20

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजट आबंटन एवं परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2007-08			2008-09		
		बजट आंक.	अन्तिम अनु.	परि. (अन्ति.)	बजट आंक.	संशो. आंक.	31.11.08 तक परि.
1.	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	44.00	34.57	34.19	60.09	53.89	17.7
2.	डिजाइन एवं तकनीकी विकास	11.00	10.96	10.35	14.00	16.00	8.26
3.	विपणन सहायता एवं सेवाएं	42.00	34.71	34.40	52.96	48.46	28.13
4.	हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम	96.00	71.39	71.17	71.60	83.24	35.06
5.	अनुसंधान एवं विकास	6.00	2.05	2.03	9.13	8.18	1.35
6.	मानव संसाधन विकास	6.00	5.20	4.64	6.22	5.72	1.53
7.	जम्मू एवं कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज	5.00	4.00	4.04	0.00	0.00	0
8.	मूलभूत सुविधाएं (पूंजी)	10.00	3.00	2.03	6.00	4.50	0.72
	कुल	220.00	165.88	162.85	220.00	219.99	92.75

पण्यों का केन्द्रीय आबंटन

2285. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित कई बाढ़ प्रभावित राज्यों ने हाल ही में केन्द्र सरकार से बीजों के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ प्रभावित किसानों के वितरण हेतु सरकार द्वारा नि:शुल्क या रियायती दरों पर कितनी मात्रा में गेहूं, तिलहन तथा दलहनों के बीज आबंटित किए गए या आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) केवल बिहार राज्य ने केन्द्र सरकार से बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये 40,000 क्विंटल गेहूं बीज तथा 5,000 क्विंटल मक्का बीज के अतिरिक्त आबंटन के लिये अनुरोध किया था तथा इसे बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच वितरण के लिये बिहार सरकार को आपूर्त किया गया था।

[अनुवाद]

नए डाकघर तथा तारघर खोलना

2286. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बसीरहाट उप-खण्ड सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों तथा तारघर की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है जिससे ग्रामीण लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने नए डाकघर तथा तारघर खोले जाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) **डाकघर**- देश में कुल 1,55,035 डाकघरों (31.03.2008 की स्थिति के अनुसार) के नेटवर्क में से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,173 डाकघर कार्य कर रहे हैं जिनमें से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला में बसीरहाट उप डिवीजन के 196 डाकघर भी शामिल हैं।

डाकघर खोलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जनसंख्या, दूरी और आय के निर्धारित मानदंडों द्वारा विनियमित होती है। विभाग सभी गांवों, जहां डाकघर नहीं है, में मेल के नियमित वितरण, पत्र पेटियों से पत्र निकालने और ग्राहकों के घर तक डाक-टिकटों/स्टेशनरी की बिक्री के रूप में डाक सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध योजना सहायता के अध्यधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव है।

तारघर: ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में पर्याप्त संख्या में तारघर हैं और मौजूदा तारघरों में परियात काफी कम है। बसीरहाट में एक संयुक्त डाकघर है जो क्षेत्र की तार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बसीरहाट संयुक्त डाकघर में तार कार्यभार बहुत कम अर्थात् 5 तार प्रति माह है।

नई सिंचाई परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

2287. श्री संजय धोत्रे: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सिंचाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं या विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त सिंचाई परियोजनाएं कब तक अनुमोदित हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) वर्तमान में महाराष्ट्र की 13 नई वृहद और 30 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन के विभिन्न चरण में हैं जिनमें से 2 वृहद और 4 मध्यम परियोजनाएं कुछ टिप्पणियों के आधार पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई हैं जिनका महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक रूप से अनुपालन किया जाना है ताकि परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति के लिए प्रक्रियाबद्ध किया जा सके।

मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का कितनी तत्परता से संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत करती हैं/अनुपालन करती हैं।

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

2288. श्री अरुण कुमार शर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत एवं पूरी की गई हैं;

(ख) क्या असम के दो सर्वाधिक पिछड़े जनजातीय जिलों लखीमपुर तथा धेमाजी को एएचवीवाई में शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृत एवं पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पूरी हुई परियोजना की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) लखीमपुर जिले को वर्ष 2006-07 में ही अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत शामिल कर लिया गया था क्योंकि परियोजना मैसर्स इंस्टिट्यूट आफ इंटेग्रेटिड रिसोर्स मैनेजमेंट, तेजपुर, सोनितपुर, असम को दी गई है।

जहां तक धीमाजी जिले का संबंध है, यहां उल्लेख किया जाता है कि इस जिले को अभी कवर किया जाना है और चूंकि एएचवीवाई एक सतत् स्कीम है, कवरेज पर स्कीम में मानकों के अनुसार विचार किया जाएगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान मैसर्स बहुमुखी कृषि अरु समाज कल्याण समिति को अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एक परियोजना के रूप में धाकुआखाना ब्लाक को कवर करने की स्वीकृति दी गई थी। संगठन ने प्रस्ताव में उल्लेख किया था कि धाकुआखाना धेमाजी जिले में आता है। अब हमारे संज्ञान में आया है कि धाकुआखाना ब्लाक धेमाजी के तहत न आकर लखीमपुर के तहत आता है। गलत जानकारी प्रदान करने के लिए क्रियान्वयनकारी अभिकरण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) मौजूदा रूप में समग्र देश पर विचार करें तो अब तक, 75 प्रतिशत शिल्प सघन जिलों को कवर किया गया है तथा शेष अर्थात् 25 प्रतिशत अभी भी कवर किया जाना है।

विवरण I

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत् 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष) के दौरान स्वीकृत राज्यवार परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष-वार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	5	8	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	2	–
3.	असम	8	3	8	–
4.	बिहार	4	3	4	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	2	2
6.	दिल्ली	2	3	2	–

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	1	1	1	–
8.	गुजरात	30	2	6	2
9.	हरियाणा	2	3	5	–
10.	हिमाचल प्रदेश	2	2	2	–
11.	जम्मू-कश्मीर	10	3	14	–
12.	झारखण्ड	1	3	6	–
13.	कर्नाटक	2	2	7	–
14.	केरलं	3	2	1	–
15.	मध्य प्रदेश	4	2	7	–
16.	महाराष्ट्र	–	2	5	1
17.	मणिपुर	10	4	5	–
18.	मेघालय	1	1	1	2
19.	मिजोरम	1	1	1	–
20.	नागालैण्ड	6	3	3	–
21.	उड़ीसा	2	3	5	1
22.	पुडुचेरी	–	–	–	1
23.	पंजाब	1	2	3	–
24.	राजस्थान	3	2	7	–
25.	सिक्किम	1	–	–	–
26.	तमिलनाडु	3	4	1	2
27.	त्रिपुरा	3	1	5	–
28.	उत्तर प्रदेश	20	19	20	–
29.	उत्तराखण्ड	1	4	7	–
30.	पश्चिम बंगाल	5	2	8	–
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
34.	चंडीगढ़	–	–	1	–
35.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
	कुल	137	83	147	13

विवरण II

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्ण हुई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2005-06 2001-02 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 227	2006-07 2002-03 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 51	2007-08 2003-04 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	7	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	1
3.	असम	17	0	7
4.	बिहार	1	4	2
5.	छत्तीसगढ़	9	0	0
6.	दिल्ली	3	2	1
7.	गोवा	0	0	1
8.	गुजरात	8	1	7
9.	हरियाणा	6	1	1
10.	हिमाचल प्रदेश	11	2	4
11.	जम्मू-कश्मीर	6	4	3
12.	झारखण्ड	0	6	2
13.	कर्नाटक	2	4	3
14.	केरल	8	0	10
15.	मध्य प्रदेश	19	2	11
16.	महाराष्ट्र	5	1	3
17.	मणिपुर	2	0	2
18.	मेघालय	2	0	0
19.	मिजोरम	2	0	0
20.	नागालैण्ड	6	0	2
21.	उड़ीसा	19	7	3

1	2	3	4	5
22.	पुडुचेरी	1	0	0
23.	पंजाब	3	1	1
24.	राजस्थान	11	2	2
25.	सिक्किम	0	1	0
26.	तमिलनाडु	11	0	1
27.	त्रिपुरा	12	1	3
28.	उत्तर प्रदेश	25	1	10
29.	उत्तरांचल	5	2	4
30.	पश्चिम बंगाल	22	1	2
	कुल	227	51	91

फसल बीमा योजना

2289. श्री विजय कृष्ण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कृषकों के लिए बीमा योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बीमा योजना के अंतर्गत शामिल की गई विभिन्न फसलों का हैक्टेयर में ब्यौरा क्या है;

(ग) संग्रहित की गई प्रीमियम राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में राज्य-वार संवितरित किए गए फसल बीमा दावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कवर की गई फसलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	कवर की गई फसल
1.	बिहार	अधानी धान, मक्का, मिर्च, जूट, गेहूं, चना, मसूर, अरहर, तोरी और सरसों, आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर और गन्ना
2.	उत्तर प्रदेश	धान, मीटी मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, अदरक/तिल, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, गेहूं, चना, मटर, मसूर, तोरी और सरसों तथा आलू
3.	पश्चिम बंगाल	अमन धान, ओस धान, बोडो धान, मक्का, जूट, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, मसूर, अरहर, कथई, तिल, तिलसीड और आलू

(ख) वर्तमान और गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के तहत कवर किए गए क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्तमान और विगत तीन वर्षों के दौरान एनएआईएस के तहत संकलित प्रीमियम और प्रतिपूरित दावों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड
मुख्यालय नई दिल्ली
2005-2008 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के तहत कवर किया गया क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	वर्ष				(हैक्ट.)
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3800567.37	3648680.76	3865330.34	1587100.35	12901678.82
2.	असम	16649.65	13068.80	13149.01	1779.00	44646.46
3.	बिहार	497437.21	839012.71	1157551.28	248253.43	2742254.63
4.	छत्तीसगढ़	1244650.21	1375145.37	1367262.93	1473528.98	5460587.49
5.	गोवा	1425.39	606.79	1415.01	15.34	3462.53
6.	गुजरात	2546638.16	1896094.18	1774405.54	1809066.84	8026204.72
7.	हरियाणा	123168.38	71262.78	167269.61	614.15	362314.92
8.	हिमाचल प्रदेश	7883.76	20250.44	13660.50	4800.25	46594.95
9.	झारखण्ड	432572.47	517036.32	365373.98	231481.27	1546464.04
10.	कर्नाटक	1678536.57	2692780.42	1605994.27	785413.89	6762725.15
11.	केरल	27664.54	24590.84	29469.44	3659.90	85384.72
12.	मध्य प्रदेश	6127779.95	4548265.74	5838670.97	2350017.26	18864733.92
13.	महाराष्ट्र	2125273.90	1314168.56	1281772.23	2225227.64	6946442.33
14.	मेघालय	1876.03	4092.18	1154.20	150.60	7273.01
15.	उड़ीसा	1139634.99	1089845.97	1044466.95	637992.16	3911940.07
16.	राजस्थान	5542828.50	5702717.89	5305708.51	2758161.40	19309416.30
17.	सिक्किम	68.67	20.43	19.23	0.00	108.33
18.	तमिलनाडु	212537.93	440005.64	862324.70		1514868.27
19.	त्रिपुरा	1771.81	1735.47	832.14	28.18	4367.60
20.	उत्तर प्रदेश	1715722.06	2585076.36	3005493.77	398586.64	7704878.83
21.	उत्तराखंड	14096.02	23220.99	37061.33	11526.80	85905.14

1	2	3	4	5	6	7
22.	पश्चिम बंगाल	478435.25	486718.53	520022.19	111215.25	1596391.22
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210.00	106.00	230.00		546.00
24.	पुडुचेरी	6463.00	3719.53	3345.96		13528.49
25.	जम्मू-कश्मीर	5563.35	7588.61	9100.22	762.70	23014.88
	कुल	27749455.17	27305811.31	28271084.31	14639382.03	97965732.82

नोट: (1)*11.12.2008 की स्थिति के अनुसार खरीफ सीजन 2008 के संबंध में आंकड़े।
(2) रबी 2008-09 सीजन चल रहा है और इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण II

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड
मुख्यालय नई दिल्ली
2005-2008 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के तहत कवर किया गया क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष								कुल	कुल
		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09			
		प्रीमियम	दावे	प्रीमियम	दावे	प्रीमियम	दावे	प्रीमियम	दावे	प्रीमियम	दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	10726.84	49692.97	11966.68	55957.24	13929.93	0.00	5210.81		41834.26	105650.22
2.	असम	58.25	1.31	42.18	7.68	70.88	0.00	5.40		176.71	8.99
3.	बिहार	1295.96	15392.55	2525.64	7429.17	4153.21	40991.28	1168.52		9143.33	63812.98
4.	छत्तीसगढ़	1120.95	12.21	1710.10	461.04	1617.36	0.00	2389.55		6837.96	473.26
5.	गोवा	0.21	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.08		0.69	0.00
6.	गुजरात	8532.61	813.04	8290.17	58188.53	8223.13	2390.02	8472.09		33518.00	61391.59
7.	हरियाणा	246.71	1594.13	259.84	32.14	446.76	0.00	2.39		955.70	1626.27
8.	हिमाचल प्रदेश	13.58	104.42	36.37	0.00	33.81	0.04	22.14		105.90	104.46
9.	झारखण्ड	726.41	10738.45	776.58	625.04	571.58	587.71	486.52		2561.09	11951.21
10.	कर्नाटक	4852.60	4536.59	4740.00	20667.71	3698.40	2801.05	2014.45		15305.45	28005.35
11.	केरल	100.00	149.32	108.68	42.31	151.59	0.00	23.95		384.22	191.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	मध्य प्रदेश	7188.05	2000.88	7094.04	5637.83	9641.92	8551.17	5321.41		29245.42	16189.88
13.	महाराष्ट्र	4986.88	3251.09	3845.90	14067.61	3223.03	8631.34	7396.83		19452.65	25950.04
14.	मेघालय	11.05	0.00	23.02	0.07	14.95	2.54	0.38		49.40	2.61
15.	उड़ीसा	3011.82	594.62	3276.23	3164.01	3205.35	2418.76	2176.51		11669.91	6177.39
16.	राजस्थान	6764.99	30057.03	6880.98	23302.24	7415.64	16594.21	4021.59		25083.20	69953.48
17.	सिक्किम	0.38	0.00	0.13	0.00	0.05	0.00	0.00		0.56	0.00
18.	तमिलनाडु	549.13	4827.34	1163.58	829.18	2065.45	26775.03			3778.16	32431.55
19.	त्रिपुरा	8.73	36.16	10.16	0.04	6.71	0.00	0.12		25.72	36.20
20.	उत्तर प्रदेश	3326.99	7926.66	5624.25	14163.35	6393.99	20063.20	764.30		16109.52	42153.21
21.	उत्तराखंड	27.50	235.52	73.68	17.29	103.17	297.91	103.89		308.24	550.72
22.	पश्चिम बंगाल	1900.55	7713.45	2547.07	22753.92	3308.67	4024.96	442.52		8198.82	34492.33
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.72	0.00	0.24	0.00	0.59	0.00			1.55	0.00
24.	पुडुचेरी	20.79	7.93	11.36	0.00	12.93	0.00			45.08	7.93
25.	जम्मू-कश्मीर	5.63	8.56	9.99	1.66	12.52	0.00	1.26		29.40	10.21
	कुल	55477.34	139694.24	61017.06	227348.07	68301.83	134129.19	40024.72		224820.94	501171.50

नोट: (1) 11.12.2008 की स्थिति के अनुसार खरीफ सीजन 2008 के संबंध में आंकड़े।
(2) रबी 2008-09 सीजन चल रहा है और इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
(3) खरीफ 2008 और रबी 2008-09 के लिए दावे जनवरी 2009 और जुलाई 2009 के पश्चात् उपज डाटा की प्राप्ति के पश्चात् प्रोसेस किए जाएंगे।

[हिन्दी]

उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए सहायता

2290. श्री पंकज चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से ऐसी उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में एक उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनें क्षेत्रीय भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी में सेवा प्रदान करेंगी। इन राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों पर आवर्ती व्यय 5 साल के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संसाधनों से खर्च पूरे करने होंगे।

जल संसाधनों का दोहन

2291. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में जल संकट को रोकने के लिए भू-जल सहित जल संसाधनों के बेलगाम दोहन पर नियंत्रण करने के लिए एक योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के लिए कोई योजना लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति में इस बात का उल्लेख है कि "जल संसाधन विकास और प्रबंधन की आयोजना एक जलवैज्ञानिक यूनिट जैसे समग्र रूप से जल निकास बेसिन अथवा बहुविध रूप से एक उपबेसिन के लिए की जाएगी और ऐसा स्थाई उपयोग के वास्ते सतही और भूजल को ध्यान में रख कर किया जाएगा जिसमें मात्रा एवं गुणवत्ता पहलू के साथ-साथ पर्यावरणीय पहलू भी शामिल होंगे।" राष्ट्रीय जल नीति में जल संसाधनों के संरक्षण पर भी बल दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए और इसकी उपलब्धता में वृद्धि की जानी चाहिए। जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान संसाधन के स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है।

कुछ क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(1) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रचार-प्रसार करने के अतिरिक्त, भूजल संसाधनों के संरक्षण और विनियमन के लिए पहल शुरू की गई।

(2) भूजल के विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए एक माडल बिल का मसौदा तैयार किया गया है और आवश्यक कानून बनाने में सहायता के लिए इसे सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

(3) दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।

(4) जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के संबंध में अनुसंधान और विकास के लिए उपाय शुरू किए गए।

(5) जल की प्रत्येक बूंद से अधिक फसल एवं आय प्राप्त करने की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए 5000 "किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम" को मंजूरी मिल गई है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

2292. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री के.एस. राव:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन का फसलों, पशुधन तथा मत्स्यन पर पड़ने वाले प्रभावों का समाकलन करने के लिए व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि पर जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रभाव के दृष्टिगत तैयारी बढ़ाने हेतु कोई नीति/कार्य-योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 10वीं योजना अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में "जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर प्रभाव, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता" विषय पर एक नेटवर्क योजना प्रारंभ की है। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान संस्थागत नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया है। फसल, पशुधन और मात्स्यिकी को सम्मिलित करते हुए नेटवर्क परियोजना के अनुसंधान कार्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक स्तर पर अध्ययन और मूल्यांकन किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि मंत्रालय टिकाऊ कृषि पर मिशन दस्तावेज तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत

8 मिशनों में से जिसकी पहचान एक के रूप में की गई है। यह मिशन फसलों, जल संसाधनों, पशुधन और मात्स्यिकी में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के सभी मूलभूत, नीतिपरक और व्यावहारिक पहलुओं को व्यापक स्तर पर कवर करेगा। मौसम बीमा जैसे जोखिम को कम करने की नीतियों के लिए डाटा सहायता प्रदान करने और न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर बल दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग दोनों द्वारा एक बार यह कार्यक्रम शुरू करने के बाद किसानों के लिए अनुसंधान, नीतिगत पहलुओं और प्रोत्साहनों पर व्यापक स्तर पर जोर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गाय की देशी नस्लें

2293. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाय की भारतीय नस्लें लुप्त होने की कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। 17वीं पशुधन संगणना 2003 के अनुसार, देश में 185.18 मिलियन की कुल गोपशु संख्या में से 160.50 मिलियन गोपशु हैं। बोवाईनों की संख्या की आनुवंशिक संवर्द्धन तथा स्वदेशी गोपशु की उपलब्धता के लिए अक्तूबर, 2000 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पांच-पांच वर्ष के दो चरणों में आरंभ किया है। इसके अलावा, बोवाईनों की संख्या के विकास के लिए भारत सरकार तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं नामत: केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपी एंड टीआई) और केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) भी क्रियान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

इन्टरनेट टेलीफोन सेवाएं

2294. श्री एस. अजय कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने देश में इन्टरनेट टेलीफोनी सेवाओं पर से प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई के इस प्रस्ताव से देश में एसटीडी की दरें सस्ती होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों'' पर अपनी सिफारिशें 18 अगस्त, 2008 को सरकार को सौंप दी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को देश के अंदर सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क/सार्वजनिक लैंड मोबाइल नेटवर्क पर और विलोमत: इंटरनेट टेलीफोनी काल प्रदान करने की मंजूरी सहित इंटरनेट टेलीफोनी की इजाजत दी जाए। अभी तक, सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) एसटीडी प्रशुल्क प्रदाता के विवेक पर छोड़ा गया है। तथापि, ट्राई ने अपनी उपर्युक्त सिफारिशों में उल्लेख किया है कि इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित नेटवर्क (अर्थात् इंटरनेट टेलीफोनी) पर काल संप्रेषित करने से लागत कम आएगी जिसका लाभ सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को कम प्रशुल्क के रूप में दिया जाए।

नारियल के पेड़ों में रोग

2295. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल के उत्पादकों को राजसहायता प्रदान कर नारियल के रोगग्रस्त पेड़ों को हटाने तथा नए नारियल पेड़ लगाने के लिए कोई विशेष परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने रोगग्रस्त नारियल पेड़ों को

हटाने के लिए तथा नए नारियल पेड़ों के रोपण के लिए नारियल उत्पादकों के लिए कोई नई परियोजना आरम्भ नहीं की है किन्तु दसवीं योजना अवधि से नारियल विकास बोर्ड ''उत्पादकता बढ़ाने के लिए जोत क्षेत्र में समेकित खेती'' नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। जिसमें ''रोग प्रभावित ताड़ों का प्रबंधन'' शामिल है। यह स्कीम ग्यारहवीं योजना में भी जारी है।

(ग) और (घ) राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु केरल सरकार को ''केरल में जड़ दुष्प्रभावित नारियल जोतों के प्रबंधन और उत्पादकता की वृद्धि'' के लिए योजना आयोग द्वारा 2005-06 में 40.00 करोड़ रुपये प्रदान किए थे।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

2296. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छः माह की प्रतीक्षा सूची वालों को एक माह के अंदर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है;

(घ) प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों/कस्बों में मोबाइल टेलीफोन प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) बीएसएनएल तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी क्षेत्रों में एक माह के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर रहा है। तथापि, ऐसे कुछ क्षेत्रों में, जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, प्रतीक्षा सूची मौजूद है।

एमटीएनएल मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर रहा है बशर्ते ऐसा करना व्यवहार्य हो।

(ग) 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार अधिकांश प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से अप्रैल, 2009 तक निपटा देने की आशा है। तथापि, प्रतीक्षा सूची का बनते रहना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल कनेक्शनों की सर्किलवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) राजस्थान सर्किल में 20 हजार से अधिक आबादी वाले सभी 139 गांवों/शहरों में पहले ही जीएसएम मोबाइल सेवा उपलब्ध करा दी गई है।

(च) उपर्युक्त पैरा (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

31.10.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल कनेक्शनों की सर्किलवार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल/मैट्रों जिलों के नाम	31.10.2008 की स्थिति अनुसार प्रतीक्षा सूची की स्थिति#			
		वायरलाइन कनेक्शन	डब्ल्यूएलएल (एफ एंड एम) कनेक्शन	जीएसएम मोबाइल कनेक्शन	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	170	2	0	172
2.	आंध्र प्रदेश	13,654	4,111	0	17,765
3.	असम	547	268	0	815
4.	बिहार	34,154	11,674	0	45,828

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	32	144	0	176
6.	गुजरात	5,832	0	0	5,832
7.	हरियाणा	1,334	957	0	2,291
8.	हिमाचल प्रदेश	9,220	0	0	9,220
9.	जम्मू-कश्मीर	4,218	0	0	4,218
10.	झारखंड	230	0	0	230
11.	कर्नाटक	28,260	28,325	0	56,585
12.	केरल	25,472	55	0	25,527
13.	मध्य प्रदेश	1,724	250	0	1,974
14.	महाराष्ट्र	35,742	22,798	0	58,540
15.	पूर्वोत्तर-1	173	214	0	387
16.	पूर्वोत्तर-2	37	0	0	37
17.	उड़ीसा	2,658	5,698	0	8,356
18.	पंजाब	624	0	0	624
19.	राजस्थान	2,943	1,173	0	4,116
20.	तमिलनाडु	10,622	0	0	10,622
21.	उत्तराखंड	436	0	0	436
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7,607	295	0	7,902
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	618	0	0	618
24.	पश्चिम बंगाल	38,017	143	0	38,160
25.	कोलकाता	0	0	0	0
26.	चेन्नै	485	0	0	485
	बीएसएनएल	224,809	76,107	0	300,916

#आंकड़े एमआईएस के अनुसार

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

2297. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने और सिंचाई कार्यों हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान उड़ीसा सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 445.07 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें से 14.05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, उड़ीसा सरकार ने बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम (एफएमपी)-एक राज्य क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत कुल 192.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 102 बाढ़ सुरक्षा और जल निकास कार्यों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। इसमें से 170.42 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 72 कार्यों (प्रत्येक की लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक) का अनुमोदन किया गया था। उड़ीसा सरकार को 69 कार्यों के लिए 45.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जुलाई, 2008 में जारी कर दी गई है।

संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

2298. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभ्यासों से भारतीय नौसेना कितनी लाभान्वित हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय नौसेना ने अक्तूबर, 2008 में दक्षिण कोरिया तथा जापानी नौसेना के साथ पारगमन अभ्यास (पीएएसएसईएक्स) किया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के दो समुद्री जहाजों ने भाग लिया। इससे पूर्व अगस्त, 2008 में जापान के समुद्री जहाजों ने मुंबई का दौरा किया जब बेसिक स्तरीय पैसेक्स आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के दो समुद्री जहाज शामिल हुए थे। इसी प्रकार से साउथ कोरियाई नौसेना के दो समुद्री जहाजों ने अक्तूबर, 2008 के प्रारंभ में कोच्चि का दौरा किया जब इसी प्रकार का बेसिक स्तरीय पैसेक्स आयोजित किया गया था।

इन अभ्यासों से परस्पर सहयोग तथा परस्पर संचालनीयता बढ़ाने में मदद मिली। ऐसे अभ्यासों के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञान से नौसेना को मानवीय सहायता तथा आपदा राहत पहुंचाने में भूमिका निभाने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

झारखण्ड को विशेष पैकेज

2299. श्री घुरन राम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड के कुछ जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में झारखण्ड सरकार से विशेष पैकेज देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2008 (जून-सितम्बर) के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार झारखण्ड में 1092.5 मी.मी. की सामान्य औसत वर्षा की तुलना में 1075.1 मी.मी. वर्षा हुई जो -2% का विचलन दर्शाता है। राज्य में 15 मौसम विज्ञान जिलों में से लोहरदगा तथा पश्चिम सिंहभूम नामक दो जिलों में अपर्याप्त वर्षा हुई। झारखण्ड सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2008 के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण राज्य के किसी भाग में अब तक न तो सूखे की स्थिति की रिपोर्ट दी है, न ही सूखे की स्थिति में केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध भेजा है। देश में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत व्यय का वित्त पोषण वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तात्कालिक राहत उपाय के रूप में सहायता देने हेतु आपदा राहत कोष (सीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) नामक दो स्कीमें हैं। आपदा राहत कोष का गठन प्रत्येक राज्य के लिये किया गया है और भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात में इसमें अंशदान किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में वर्तमान मदों तथा मानकों के अनुसार सीआरएफ कोष से आवश्यक उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। यदि प्राकृतिक आपदा की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर हो और राज्य के सीआरएफ खाते में उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं है तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एनसीसीएफ से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

आईआरआरआई को भारत का अंशदान

2300. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिलीपीन्स स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट के बजट में अंशदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह इंस्टिट्यूट बजट में कटौती का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस इंस्टिट्यूट को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारत ने प्रतिबंधित और गैर-प्रतिबंधित निधिकरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) में योगदान दिया है।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल (सीजीआईएआर) का एक अंशदाता सदस्य है जिसका वार्षिक योगदान 0.75 मिलियन डालर है जिसमें से गैर-प्रतिबंधित-निधिकरण के तहत आईआरआरआई को योगदान 150,000 अमेरिकी डालर है।

इसके अलावा भारत ने प्रतिबंधित निधिकरण के तहत भी योगदान दिया है, पिछले तीन वर्षों में योगदान राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह संस्थान सीधे भारत सरकार के अधीन नहीं आता।

(घ) और (ङ) सरकार संस्थान को इसके लक्ष्य तथा हमारी प्राथमिकता के अनुपात में वित्तीय योगदान देती है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को प्रतिबंधित निधिकरण

संस्थान का नाम	कार्यक्रम	अमेरिकी डालर में राशि (मिलियन) 2005-06	अमेरिकी डालर में राशि (मिलियन) 2006-07	अमेरिकी डालर में राशि (मिलियन) 2007-08
आईआरआरआई	(क) चावल में पराजीनी	0.2	0.2	0.2
	(ख) चावल जीनोमिक्स	0.1	0.1	0.1
	(ग) अजैविक दबावों के लिए चावल का जैव प्रबलीकरण तथा प्रजनन (लवणता तथा नमी दबाव) नए कार्यक्रम (इसे नए कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया है जैसाकि निम्नलिखित घ* में वर्णित है)		0.2	
	(घ)* सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का सामना करने के लिए चावल का जैव प्रबलीकरण प्रजनन			0.1

[हिन्दी]

जेनेटिक फसलों का प्रभाव

2301. श्री हेमंत खंडेलवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेनेटिक फसलों की खेती ने देश के किसानों को ऋण और गरीबी की ओर धकेल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दलहनों का वितरण

2302. श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आयातित दलहनों का संवितरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयातित दलहनों का मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनके वितरण के प्रस्तावित मूल्यों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। दालों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, एमएमटीसी, पीईसी लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां दालें आयात कर सकती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उनके वितरण के लिए राज्य सरकारों को 10/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी पर बेच सकती हैं। आयातित दालों के मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इनका आयात अलग-अलग समय पर करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों की बिक्री उनके मूल्यों में से सब्सिडी की राशि घटाकर करेंगे। राशनकार्ड धारकों को दालों की बिक्री का मूल्य राज्य सरकारें निश्चित करेंगी।

इथनॉल का उत्पादन

2303. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बगास से इथनॉल के उत्पादन की सुविधा मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीधे गन्ने के रस से इथनॉल के उत्पादन के लिए सुविधा/सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उद्योग के स्रोतों के अनुसार चीनी उद्योग और केवल डिस्टलरियों के पास देश में लगभग 1500 मिलियन लिटर इथॉनाल का उत्पादन करने की कुल क्षमता उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, दिसम्बर, 2007 से चीनी कारखानों को गन्ने के रस से सीधे इथॉनाल बनाने की अनुमति दी गई है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-जल का उपकर

2304. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भू-जल पर लगने वाले उपकर में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के भू-जल का उपयोग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल उपकर लगाया जाता है और इसकी वसूली की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वर्तमान में भूजल के उपयोग पर उपकर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मानक प्रमाणन जारी करना

2305. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक प्रमाणन जारी करके कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक प्रमाणन चिह्नों का उपयोग करने वाली कंपनियों की निगरानी करने का कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणन चिह्नों वाले उत्पादों द्वारा गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्नों का अवैध उपयोग करने के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्नों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक प्रमाणन जारी करके वर्ष 2007-08 के दौरान 154.05 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न लाइसेंस धारक कम्पनियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की एक सुपरिभाषित प्रमाणन स्कीम के जरिए निगरानी की जाती है, जिसमें फैक्टरी निरीक्षणों और फैक्टरी और बाजार से उनके उत्पादों के नमूने लेकर तथा संगत भारतीय मानकों से उनके उत्पादों की अनुरूपता की जांच करने के लिए उनके स्वतंत्र परीक्षण के जरिए निरंतर निगरानी की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के 3899 मामले पाए गए और बाद में उनसे संबंधित लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया/उनकी अवधि समाप्त हो गई।

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पाए गए और पंजीकृत किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के अवैध प्रयोग के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	पाए गए और पंजीकृत किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न के अवैध उपयोग के मामलों की संख्या
2005-06	241
2006-07	212
2007-08	125
2008-09 (30 नवम्बर, 2008 तक)	76

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरुपयोग का पता लगने पर अपराधियों के खिलाफ वस्तुपरक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने के लिए छापा मारा जाता है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ विनिर्दिष्ट अदालत में मामला दायर किया जाता है।

असैनिक विमानों का संयुक्त विकास

2306. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) के पास देश में संयुक्त रूप से असैनिक विमानों की अभिकल्पना और उन्हें विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) नए विमान के कब तक परिचालन में लाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। संकल्पना संबंधी कागजात तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेयरी विकास

2307. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से डेयरी विकास संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी), सहकारिताओं को सहायता और गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एसआईक्यूसीएमपी) नामक तीन डेयरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

विगत तीन वर्षों में, आईडीडीपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और जांच करने के बाद विभाग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थी। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। सहकारिताओं को सहायता योजना के अंतर्गत, तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा इन्हें अनुमोदित कर दिया गया था। एसआईक्यूसीएमपी योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 9 प्रस्तावां को अनुमोदित किया गया था। 13 प्रस्तावों के मामले में राज्य सरकार को तीन वर्षों की अवधि के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शेष चार प्रस्तावों पर 14 चालू परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, चूंकि प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ग) अब तक किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भांडागार निगम की स्थापना लागत

2308. श्री नन्द कुमार साय: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय भांडागार निगम (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना लागत में वृद्धि हुई है जिससे इसकी लाभप्रदता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना लागत में कमी करने के लिए उपाय सुझाने हेतु किसी विशेष एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त एजेंसी की सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम की स्थापना लागत नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल लागत	स्थापना लागत	कुल लागत के प्रति स्थापना लागत का प्रतिशत
2005-06	512.55	197.25	38.48%
2006-07	522.64	196.06	35.48%
2007-08	621.47	234.62	37.75%

वर्ष 2007-08 के लिए स्थापना लागत में वृद्धि कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते के विलय का भुगतान करने और 1.1.2006 तथा 1.1.2007 से केन्द्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय संशोधित वेतन का प्रावधान करने के कारण हुई है।

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा विशेष रूप से स्थापना लागत में कटौती करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए कोई विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी तैनात नहीं की गई है। पूर्व में निगम ने संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा जन शक्ति की योजना बनाने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस को तैनात

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के भू-जल का उपयोग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल उपकर लगाया जाता है और इसकी वसूली की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वर्तमान में भूजल के उपयोग पर उपकर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मानक प्रमाणन जारी करना

2305. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक प्रमाणन जारी करके कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक प्रमाणन चिह्नों का उपयोग करने वाली कंपनियों की निगरानी करने का कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणन चिह्नों वाले उत्पादों द्वारा गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्नों का अवैध उपयोग करने के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्नों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक प्रमाणन जारी करके वर्ष 2007-08 के दौरान 154.05 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न लाइसेंस धारक कम्पनियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की एक सुपरिभाषित प्रमाणन स्कीम के जरिए निगरानी की जाती है, जिसमें फैक्टरी निरीक्षणों और फैक्टरी और बाजार से उनके उत्पादों के नमूने लेकर तथा संगत भारतीय मानकों से उनके उत्पादों की अनुरूपता की जांच करने के लिए उनके स्वतंत्र परीक्षण के जरिए निरंतर निगरानी की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के 3899 मामले पाए गए और बाद में उनसे संबंधित लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया/उनकी अवधि समाप्त हो गई।

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पाए गए और पंजीकृत किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के अवैध प्रयोग के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	पाए गए और पंजीकृत किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न के अवैध उपयोग के मामलों की संख्या
2005-06	241
2006-07	212
2007-08	125
2008-09 (30 नवम्बर, 2008 तक)	76

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरुपयोग का पता लगने पर अपराधियों के खिलाफ वस्तुपरक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने के लिए छापा मारा जाता है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ विनिर्दिष्ट अदालत में मामला दायर किया जाता है।

असैनिक विमानों का संयुक्त विकास

2306. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) के पास देश में संयुक्त रूप से असैनिक विमानों की अभिकल्पना और उन्हें विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) नए विमान के कब तक परिचालन में लाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। संकल्पना संबंधी कागजात तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेयरी विकास

2307. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से डेयरी विकास संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी), सहकारिताओं को सहायता और गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एसआईक्यूसीएमपी) नामक तीन डेयरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

विगत तीन वर्षों में, आईडीडीपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और जांच करने के बाद विभाग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थी। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। सहकारिताओं को सहायता योजना के अंतर्गत, तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा इन्हें अनुमोदित कर दिया गया था। एसआईक्यूसीएमपी योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 9 प्रस्तावां को अनुमोदित किया गया था। 13 प्रस्तावों के मामले में राज्य सरकार को तीन वर्षों की अवधि के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शेष चार प्रस्तावों पर 14 चालू परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, चूंकि प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ग) अब तक किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भांडागार निगम की स्थापना लागत

2308. श्री नन्द कुमार साय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय भांडागार निगम (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना लागत में वृद्धि हुई है जिससे इसकी लाभप्रदता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना लागत में कमी करने के लिए उपाय सुझाने हेतु किसी विशेष एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त एजेंसी की सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम की स्थापना लागत नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल लागत	स्थापना लागत	कुल लागत के प्रति स्थापना लागत का प्रतिशत
2005-06	512.55	197.25	38.48%
2006-07	522.64	196.06	35.48%
2007-08	621.47	234.62	37.75%

वर्ष 2007-08 के लिए स्थापना लागत में वृद्धि कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते के विलय का भुगतान करने और 1.1.2006 तथा 1.1.2007 से केन्द्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय संशोधित वेतन का प्रावधान करने के कारण हुई है।

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा विशेष रूप से स्थापना लागत में कटौती करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए कोई विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी तैनात नहीं की गई है। पूर्व में निगम ने संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा जन शक्ति की योजना बनाने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस को तैनात

किया था और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा उनकी लागत में कमी करने संबंधी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था। स्थापना लागत में कमी करने के लिए निगम ने वर्ष 2002-03 और 2005-06 के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लागू की थी जिसके कारण 1586 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दिया था। निगम ने लागत कटौती की प्रक्रिया के रूप में अपनी निर्माण सैलों की संख्या भी 17 से घटकर 3 कर दी है। निगम ने वर्ष 2008 के दौरान अपने इंजीनियरिंग संवर्ग के लिए पुन: स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की है। इंजीनियरिंग संवर्ग के पांच कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प दिया है।

उपर्युक्त के अलावा निगम ने कुछ गैर-महत्वपूर्ण गतिविधियों को आऊटसोर्स भी किया है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू तकनीकी वस्त्र क्षेत्र/उद्योग

2309. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू तकनीकी वस्त्र क्षेत्र/उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में ऐसे वस्त्र क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पर उत्कृष्टता और अवसंरचना सहायता केन्द्रों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की आशा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है;

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र/उद्योग द्वारा राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी प्रगति की गई है;

(छ) क्या उक्त क्षेत्र/उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) (1) सरकार ने जुलाई 2002 में तकनीकी वस्त्र संबंधी विशेषज्ञ समिति (ईसीटीटी) का गठन किया जिसमें तकनीकी वस्त्रों के बाजार आकार और संभावना का आकलन करने, संभावित मदों के लिए परियोजना प्रोफाइल की पहचान करने और उसे तैयार करने तथा वस्त्र उद्योग के विकास का संवर्धन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु तकनीकी वस्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। समिति ने जुलाई 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए समिति द्वारा सुझाई गई प्रमुख सिफारिशों का सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया गया है।

(2) तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रमुख मशीनरी, ऐसी मशीनरी के आयात को आसान बनाने के लिए 5% की रियायती सीमा-शुल्क सूची के तहत रखी गई है।

(3) तकनीकी वस्त्र मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत शामिल किया गया है। 1.4.2007 से लागू संशोधित टीयूएफएस में विनिर्दिष्ट मशीनरी को 5% की ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% पूंजी सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है।

(4) तकनीकी वस्त्रों के विकास के लिए योजना (एसडीजीटीटी) का कार्यान्वयन निम्नलिखित संघटकों के साथ किया जा रहा है:-

(क) तकनीकी वस्त्र उद्योग का डाटाबेस तैयार करने के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण।

(ख) उद्यमियों में जागरूकता पैदा करना; और

(ग) चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना।

(क) तकनीकी वस्त्रों का बेस लाइन सर्वेक्षण

सरकार ने तकनीकी वस्त्र उद्योग का बेस लाइन सर्वेक्षण करने के लिए आईसीआरए प्रबंधन परामर्श सेवा (आईएमएसीएस) का चयन किया है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) उद्यमियों में जागरूकता पैदा करना

सरकार वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए)/उद्योग संघों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

(ग) उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

तकनीकी वस्त्र के प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक स्थान पर अवसंरचना सहायता प्रदान करने के वास्ते सरकार चार उत्कृष्टता

केंद्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। यह उत्कृष्टता केंद्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशालाओं, उद्योग के प्रशिक्षुओं और शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं, आईटी युक्त सूचना केंद्र और तकनीकी वस्त्र उद्यमियों को अन्य अपेक्षित सहायता से सज्जित होंगे। चार उत्कृष्टता केंद्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

टीआरए	क्षेत्र	राज्य
बटरा और अटीरा जिसमें बटरा प्रमुख भागीदार होगा (जियोटेक)	जियोटेक	महाराष्ट्र और गुजरात
सिटरा और एसी कालेज आफ टेक्नोलॉजी जिसमें सिटरा प्रमुख भागीदार होगा (मेडिटेक)	मेडिटेक	तमिलनाडु
ससमीरा और मंतरा एवं नवसारी कृषि विश्वविद्यालय जिसमें आईआईटी दिल्ली नालेज भागीदार और ससमीरा प्रमुख भागीदार होगा (एग्रोटेक)	एग्रोटेक	महाराष्ट्र और गुजरात
निटरा एवं आईआईटी दिल्ली जिसमें निटरा प्रमुख भागीदार होगा (प्रोटेक)	प्रोटेक	उत्तर प्रदेश और दिल्ली

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन/खपत बढ़ने की आशा है जिससे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी।

(च) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्य समूह द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(छ) और (ज) सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के संवर्धन की समीक्षा/मानिटिरंग करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तकनीकी वस्त्र विकास संचालन समिति (एससीजीडीटीटी) और तकनीकी वस्त्र संबंधी अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. द्वारा शुरू की गई योजनाएं

2310. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मोबाइल बेसिक टेलीफोन और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन हेतु कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या उपरोक्त योजनाओं में से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं को बंद कर दिए जाने के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं की जरूरत और प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल, बेसिक टेलीफोन और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं। बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा शुरू की गई स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुसार त्योहारों, बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बीएसएनएल ने अधिकतम 90 दिन की अवधि वाले प्रोत्साहन पैकेजों की भी पेशकश की थी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मोबाइल, बेसिक टेलीफोन और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन के लिए क्रमश: 227, 52 और 106 नंबर की स्कीमें शुरू की हैं।

(ख) से (घ) प्रोत्साहन अवधि के समाप्त होने के बाद प्रोत्साहन प्लान स्वत: खत्म हो गए। कुछ स्कीमें प्रासंगिकता न रहने और बाजार की प्रतिक्रिया को देखते हुए वापिस ले ली गई हैं। विभिन्न स्कीमों को शुरू करने और वापिस लेते समय ट्राई के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

विवरण

क. 01.04.2006 और 10.12.2008 की स्थिति के अनुसार प्लान का ब्यौरा

सेवा	01.04.2006 की स्थिति के अनुसार	10.12.2008 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
मोबाइल	पोस्ट पेड:- प्लान 99/140, प्लान 198, प्लान 225, प्लान 325, प्लान 525, प्लान 299 (वन इंडिया)	पोस्ट पेड:- प्लान 99/100/140, प्लान 198, प्लान 225, प्लान 325, प्लान 525, प्लान 299 (वन इंडिया), प्लान 490/550, प्लान 725, प्लान 999 (बिना हैंडसेट के)

1	2	3
	प्रीपेड:- सामान्य, पुराना/नया अनंत, प्लान 799 (वन इंडिया)	प्रीपेड: सामान्य, पुराना/नया अनंत, प्लान 799 (वन इंडिया), सरल अनंत, प्लान 299 (सुपर वन इंडिया)
बेसिक	पोस्ट पेड:- सामान्य, इकोनामी, स्पेशल, स्पेशल प्लस, सुपर, वन इंडिया, प्रीमियम, सुलभ	पोस्ट पेड: सामान्य, इकोनामी, स्पेशल, स्पेशल प्लस, सुपर, वन इंडिया, प्रीमियम, सुलभ, ग्रामीण 75 वार्षिक/द्विवार्षिक प्लान: प्लान 600, प्लान 1000, प्लान 1200, प्लान 1800, प्लान 2160
डब्ल्यूएलएल	पोस्ट पेड:- सामान्य, इकोनामी, स्पेशल, स्पेशल प्लस, सुपर, वन इंडिया, प्रीमियम, सुलभ	पोस्ट पेड:- सामान्य, इकोनामी, स्पेशल, स्पेशल प्लस, सुपर, वन इंडिया, प्रीमियम, सुलभ, ग्रामीण 75 वार्षिक/द्विवार्षिक प्लान: प्लान 600, प्लान, 1000, प्लान 1200, प्लान 1800, प्लान 2160 सीडीएमए प्रीपेड: सामान्य और लाइफटाइम प्लान सीडीएमए पोस्टपेड: प्लान 99, प्लान 299, प्लान 325, प्लान 525

ख. पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्लान निम्नानुसार हैं

वित्तीय वर्ष 2006-2007

बेसिक और डब्ल्यूएलएल सेवा

1. कार्पोरेट/वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं के लिए 01.10.2007 से "कार्पोरेट प्लान 100" नामक विशेष प्रशुल्क पैकेज।

सेल्यूलर सेवा

1. पोस्ट पेड सेल्यूलर सेवा के अंतर्गत 01.07.2006 से प्लान-490 (बीएसएनएल वन इंडिया रोमिंग प्लान)
2. बीएसएनएल की पोस्ट पेड सेवा प्लान-325 और प्लान-525 के अंतर्गत कार्पोरेट और गैर-कार्पोरेट उपभोक्ताओं, दोनों के लिए 01.07.2006 से जोनल आधार पर वीपीएन/सीयूजी सुविधा की शुरूआत।
3. पोस्ट पेड सेल्यूलर सेवा के अंतर्गत 18.11.2006 से प्लान-725 की शुरूआत।
4. पोस्ट पेड सेल्यूलर सेवा के अंतर्गत 16.01.2007 से प्लान-100 की शुरूआत।

वित्तीय वर्ष 2007-2008

बेसिक और डब्ल्यूएलएल सेवा

1. बीएसएनएल फिक्स्ड और बीएसएनएल सेल्यूलर सेवा की दो श्रेणियों नामत: असीमित वीपीएन सुविधा और रियायती वीपीएन सुविधा के अंतर्गत 01.05.2007 से वीपीएन पैकेज की शुरूआत।
2. सीडीएमए डब्ल्यूएलएल के लिए 01.08.2007 से प्रीपेड सेवा पर प्रशुल्क।

सेल्यूलर सेवा

1. पोस्ट पेड सेल्यूलर सेवा के प्लान-550 के अंतर्गत 03.06.2007 से देश के अंदर प्रत्येक महीने के लिए रोमिंग के दौरान मिनट में (300) मुफ्त इनकमिंग काल
2. प्री पेड सेल्यूलर सेवा के अंतर्गत 21.09.2007 से नया एक्सेल अनंत।
3. 01.01.2008 से बिना किसी हैंडसेट के प्लान-999

वित्तीय वर्ष 2008-2009

बेसिक और डब्ल्यूएलएल सेवा

1. लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए 1 मई, 2008 से वार्षिक/द्विवार्षिक निर्धारित प्रभार प्लान की शुरूआत।

2. सीडीएमए डब्ल्यूएलएल के लिए 16 जुलाई, 2008 से प्रीपेड सेवा के लिए प्रशुल्क (सामान्य) की शुरूआत।

3. 16 जुलाई, 2008 से सीडीएमए (पूरी गतिशीलता) के अंतर्गत पोस्ट पेड सेवा के लिए प्रशुल्क की शुरूआत।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 से 29,999 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज के लिए 01.09.2008 से नया वैकल्पिक प्लान ''ग्रामीण 75''

5. सीडीएमए डब्ल्यूएलएल के लिए 01.11.2008 से प्री-पेड सेवा के अंतर्गत लाइफटाइम वैधता प्लान।

सेल्यूलर सेवा

1. 11.06.2008 से प्री पेड सेल्यूलर सेवा के अंतर्गत ''सरल अनंत'' और ''सुपर वन इंडिया'' नामक दो नए प्लान की शुरूआत।

मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता

2311. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में भारत संचार निगम लिमिटेड के कुल कितने मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में मोबाइल टावरों की संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पास 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र (3293545) सहित पूरे देश में 3,98,11,109 मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता हैं।

(ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र टेलीकाम सर्किल में मोबाइल टावरों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या के अनुरूप है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट सेवा की अनुपलब्धता

2312. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जिलों सहित देश में ऐसे कौन से स्थान हैं जहां अब तक स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सभी स्थानों को इस नेटवर्क के अधीन कब तक लाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश के उन जिलों की सूची नीचे दी गई है जिनमें अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है। गुजरात के सभी जिलों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध कराना ग्राहकों की आवश्यकता, बाजार अपेक्षाओं, प्रत्याशित व्यवसाय और उपलब्ध परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करता है।

देश के जिले जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है:

राज्य का नाम	जिला जहां स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध नहीं है
1. अरुणाचल प्रदेश	1. दिबांग घाटी
	2. लोहित
	3. रोइंग
	4. चांगलांग
	5. दापारिजो
2. जम्मू-कश्मीर	1. पुंछ

[हिन्दी]

वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार

2313. श्री महावीर भगोरा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार के संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य वस्त्र उत्पादों की मांग के अनुरूप थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए पटसन एवं

वस्त्र उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन के लिए निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य और उनकी प्राप्ति संलग्न विवरण-I में दी गई है। रोजगार संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। कार्यकारी समूह द्वारा राज्य-वार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण, घरेलू, गैर-घरेलू और निर्यात क्षेत्रों से वस्त्र उत्पादों के लिए अनुमानित मांग के आधार पर किया जाता है। तथापि, व्यवहार में, वस्त्र उद्योग कमोवेश विभिन्न क्षेत्रों से वास्तविक मांग के अनुसार अपने उत्पादन को समायोजित करता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान कपड़े का उत्पादन दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान लक्ष्यों से अधिक था, लेकिन यार्न का उत्पादन लक्ष्य से कम था। दसवीं योजना के प्रारम्भिक चार वर्षों के दौरान कपास और मानव निर्मित फाइबरों की खपत लक्ष्य से कम थी। इसी प्रकार दसवीं योजना के प्रारम्भिक चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष वस्त्र का निर्यात लक्ष्य से काफी कम था। कुल मिलाकर, वस्त्र क्षेत्र में बहुत अधिक मांग आपूर्ति अंतर नहीं था।

विवरण I

वस्त्र क्षेत्र का 10वीं योजना के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	इकाई	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	स्पन यार्न का उत्पादन											
	(1) सूती	मि.कि.ग्रा.	2405	2177.16	2475	2120.71	2552	2272.26	2630	2520.87	2710	2823.59
	(2) ब्लैंडेड	मि.कि.ग्रा.	752	584.61	815	589.33	880	584.97	950	588.11	1025	635.08
	(3) 100% गैर-सूती	मि.कि.ग्रा.	293	319.60	320	341.76	348	366.28	380	349.31	415	354.71
	कुल	मि.कि.ग्रा.	3450	3081.37	3610	3051.60	3780	3223.51	3960	458.29	4150	3813.38
2.	फिलामेंट यार्न का उत्पादन											
	(1) विस्कोस फिलामेंट यार्न	मि.कि.ग्रा.	56	50.80	56	53.17	57	53.56	57	53.09	58	53.99
	(2) नायलॉन फिलामेंट यार्न	मि.कि.ग्रा.	25	29.73	24	30.99	23	35.41	22	36.84	22	32.25
	(3) पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न	मि.कि.ग्रा.	966	995.37	1045	1013.00	1142	1003.63	1230	1075.82	1334	1270.87
	(4) पोलिप्रोपलिन यार्न	मि.कि.ग्रा.	23	24.41	25	20.82	28	16.30	31	13.58	36	13.37
	कुल	मि.कि.ग्रा.	1070	1100.31	1150	117.98	1250	1108.90	1340	1179.33	1450	1370.48
3.	कपड़ा का उत्पादन											
	(1) सूती	मि. वर्ग मी.	15045	19300	15625	18040	16230	20655	16850	23873	17500	26238
	(2) ब्लैंडेड	मि. वर्ग मी.	4770	5876	5220	6068	5730	6032	6290	6298	6900	6882
	(3) 100% गैर-सूती	मि. वर्ग मी.	15770	16135	16820	17613	17934	17998	19130	18637	20400	19545
	(4) खादी, ऊनी एवं रेशमी	मि. वर्ग मी.	615	662	635	662	656	693	680	769	700	724
	कुल	मि. वर्ग मी.	36200	41973	38300	42383	40550	45378	42950	49577	45500	53389

विवरण II

वस्त्र और उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार

क्र.सं.	क्षेत्र/उद्योग	रोजगार (मिलियन में)		
		मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार (अनुमानित)	10वीं योजना के आखिरी वर्ष के लिए अनुमानित	वर्ष
I.	**वस्त्र क्षेत्र**			
1.	सूती/मानव निर्मित फाइबर/यार्न टेक्सटाइल/मिल क्षेत्र (एसएसआई कताई सहित और बुनाई इकाइयों को छोड़कर)	10.7	1.10	0.03
2.	मानव निर्मित फाइबर/फिलामेंट यार्न उद्योग (टेक्सचराइजिंग उद्योग सहित)	0.11	0.20	0.09
3.	विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र	4.15	4.25	0.10
4.	हथकरघा क्षेत्र	12.00	12.40	0.40
5.	निटिंग क्षेत्र	0.30	0.50	0.20
6.	प्रसंस्करण क्षेत्र	0.24	0.30	0.06
7.	ऊनी वस्त्र क्षेत्र	1.20	1.30	0.10
8.	सिले-सिलाए परिधान क्षेत्र (निटवियर क्षेत्र सहित)	3.54	6.80	3.26
9.	रेशम उत्पादन	5.67	6.03	0.46
10.	हस्तशिल्प क्षेत्र	5.84	6.77	0.93
11.	पटसन उद्योग			
	(i) संगठित पटसन उद्योग	0.20	0.20	0.00
	(ii) विकेंद्रीकृत पटसन उद्योग	0.20	0.30	0.10
	कुल (I)	34.42	40.15	5.73
II.	**संबद्ध क्षेत्र**			
1.	कपास			
	(i) कपास कृषि	16.60	17.45	0.85
	(ii) कपास जिनिंग/प्रेसिंग	0.70	0.85	0.15
	(iii) कपास ट्रेड	17.00	18.00	1.00
	उप-योग	34.30	36.30	2.00
2.	भेड़ पालन	1.20	1.40	0.20
3.	पटसन कृषि	12.00	13.00	1.00
4.	वस्त्र मशीनरी उद्योग एव एक्सेसरीज	0.03	0.05	0.02
	कुल (II)	47.53	50.75	3.22
	सकल योग (I + II)	81.95	90.90	8.95

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड और वाई-मैक्स कनेक्शन की व्यवस्था

2314. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सहित देश में राज्यवार कितने ब्रॉडबैंक कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) निकट भविष्य में राज्यवार कितने कनेक्शन दिए जाने का विचार है;

(ग) अभी तक राज्यवार कितने वायरलैस फिडेलिटी (वाई-फाई) कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) क्या वाई-मैक्स के अंतर्गत किसी स्थान को सम्मिलित किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो देश में किन स्थानों को वाई-मैक्स कनेक्शन के अंतर्गत लाने का विचार है; और

(च) देश में वाई-फाई और वाई-मैक्स परियोजनाओं को विकसित करने हेतु क्या अनुमान लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) 31 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 5 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लि. द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित ब्रॉडबैण्ड कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत संचार निगम लि. द्वारा अब तक प्रदान की गयी वाई-फाई सेवा (हाट स्पाट) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत संचार निगम लि. द्वारा अहमदाबाद (शहरी) बेंगलुरू, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में और हरियाणा (ग्रामीण) में हिसार, रोहतक और मौलाना में 10 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) उपस्कर संस्थापित किये गये हैं।

(च) देश में वाई-फाई और वाई-मैक्स सेवाओं के विकास के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

वाई-फाई

अब तक अधिप्राप्त 300 वाई-फाई उपस्करों में से 128 उपस्कर संस्थापित किये जा चुके हैं, और शेष उपस्करों को उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित कर दिया जाएगा।

वाई-मैक्स

(1) आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम्यता प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी करार कर लिया गया है। अहमदाबाद (गुजरात) में 5 स्थलों का पूर्व-वाणिज्यिक परीक्षण शुरू करने का कार्य चल रहा है।

(2) यह योजना बनायी गयी है कि ब्लाक मुख्यालयों में 1000 वाई-मैक्स (इलेक्ट्रानिक) आधारित स्टेशनों को संस्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाए।

(3) वाई-मैक्स (इलेक्ट्रानिक) आधारित ब्रॉडबैण्ड वायरलेस सेवाओं के लिए 1600 वाई-मैक्स (इलेक्ट्रानिक) आधारित स्टेशन प्रदान किये जाएंगे।

(4) भारत संचार निगम लिमिटेड ने 16 दूरसंचार सर्किलों में राजस्व हिस्सेदारी आधार पर फ्रेंचाइजी माडल का प्रयोग करते हुए वाई-मैक्स (इलैक्ट्रानिक) आधारित ब्रॉडबैण्ड वायरलेस अभिगम सेवाएं प्रदान करने की योजना बनायी है।

विवरण I

अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ता

क्र.सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (31.10.2008 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2282
2.	आंध्र प्रदेश	400663
3.	असम	31456
4.	बिहार (झारखंड सहित)	63305
5.	दिल्ली*	588716

*नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित।

1	2	3
6.	गुजरात	322656
7.	हरियाणा	88558
8.	हिमाचल प्रदेश	20981
9.	जम्मू-कश्मीर	19538
10.	कर्नाटक	569057
11.	केरल	249909
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	934351
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	168951
14.	पूर्वोत्तर**	14202
15.	उड़ीसा	48350
16.	पंजाब	182953
17.	राजस्थान	145449
18.	तमिलनाडु	644912
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	238791
20.	पश्चिम बंगाल	246896
	जोड़	4981976

**मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सहित।

विवरण II

वर्ष 2008-09 में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन

क्र.सं.	सर्किल	लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,000
2.	आंध्र प्रदेश	180,000
3.	असम	18,000
4.	बिहार	18,000
5.	चेन्नई दूरसंचार जिला	85,000
6.	छत्तीसगढ़	20,000
7.	गुजरात	100,000
8.	हरियाणा	43,000
9.	हिमाचल प्रदेश	17,000
10.	जम्मू-कश्मीर	14,000
11.	झारखंड	10,000
12.	कर्नाटक	170,000
13.	केरल	170,000
14.	कोलकाता दूरसंचार जिला	65,000
15.	मध्य प्रदेश	40,000
16.	महाराष्ट्र	65,000
17.	पूर्वोत्तर-1	7,000
18.	पूर्वोत्तर-2	4,000
19.	उड़ीसा	25,000
20.	पंजाब	65,000
21.	राजस्थान	100,000
22.	तमिलनाडु	120,000
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	70,000
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	50,000
25.	उत्तराखंड	17,000
26.	पश्चिम बंगाल	26,000
	कुल	1,500,000

विवरण III

भारत संचार निगम लि. द्वारा अब तक प्रदान की गयी वाई-फाई (हॉट स्पॉट) सेवा का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शहर	संस्थापित हॉट स्पॉट की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	i. हैदराबाद	3
		ii. विजयवाडा	2

1	2	3	4
2.	असम	गोवाहाटी	1
3.	बिहार	पटना	2
4.	गोवा	पणजी	6
5.	गुजरात	अहमदाबाद	3
6.	झारखंड	रांची	1
7.	कर्नाटक	बंगलौर	25
8.	केरल	i. इडुक्की	1
		ii. कोच्ची	6
		iii. त्रिवेन्द्रम	4
9.	मध्य प्रदेश	खजुराहो	2
10.	महाराष्ट्र	i. औरंगाबाद	3
		ii. कोल्हापुर	3
		iii. मुंबई	2
		iv. नागपुर	6
		v. नासिक	5
		vi. पुणे	16
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	3
12.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	2
13.	तमिलनाडु	i. चेन्नै	12
		ii. कोयम्बटूर	1
		iii. कुंभकोणम	1
		iv. मदुरई	2
		v. त्रिची	1
14.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1
15.	पश्चिम बंगाल	i. कोलकाता	13
		ii. सिलीगुड़ी	1
	कुल हॉट स्पॉट		128

पेंशन योजना के अंतर्गत पीएसयू

2315. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने उपक्रमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत लाया गया है और उनके क्या नाम हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखता।

गत तीन वर्षों के दौरान कवर किये गये प्रतिष्ठानों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित) की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	कवर किये गये कुल प्रतिष्ठान
2005-06	444464
2006-07	471678
2007-08	532737

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान

2316. श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के रक्षा मंत्री की हाल की नई दिल्ली यात्रा के दौरान पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की विभिन्न किस्मों की अभिकल्पना और विकास हेतु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अनुसरण में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन संगठन बंद करना

2317. श्री रमेश बर्मन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित सभी टेलीफोन संगठनों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू फोनों की घटी हुई दरों को वापस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति

2318. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को किस प्रकार लागू किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) फिलहाल, कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल शोधन संयंत्र

2319. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-जल में विषैले तत्वों की उपस्थिति तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भू-जल की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में भू-जल को प्रदूषित होने से रोकने हेतु जल शोधन संयंत्र लगाने का है, जहां जल में विषाक्तता अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने अपने सर्वेक्षणों और अध्ययनों के दौरान आर्सेनिक और फ्लोराइड को भूजल संदूषकों के रूप में पाया है। आर्सेनिक प्रदूषित जल का लम्बे समय तक पीने के लिए उपयोग करने से प्रारंभिक चरण में डरमेटोसिस, कीरेटोसिस, कन्जक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस और गेस्ट्रो-एन्टेरिसिस और पेरिफेरल न्यूरोपेथिस, हिपेटोपैथी, मेलेनोसिस, डी-पिगमेन्टेशन और हाइपर-कीरेटोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अत्यधिक फ्लोराइड प्रदूषण से डेन्टल माल्टिंग, स्केलेटल और क्रिपलिंग फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड राज्य सरकारों को संदूषक मुक्त भूजल स्रोतों के अन्वेषण में सहायता प्रदान करता है, राज्यों को भूजल गुणवत्ता की समस्या के समाधान में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति

2320. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न शेयर धारकों की सिफारिशों तथा विचारों को नई नीति में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है तथा इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्राइस नीति के संबंध में विभिन्न पणधारियों की सिफारिशें और विचार मांगे गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) चूंकि उपभोक्ता नीति में अन्य विभागों के उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए इन विभागों के सरोकारों पर ध्यान दिया जा रहा है तथा तदनुसार उपभोक्ता नीति तैयार की जा रही है। उपभोक्ता नीति के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता शिकायतों के प्रतितोष के लिए तीन स्तरीय उपभोक्ता मंच की व्यवस्था की गई है। टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। एक निःशुल्क नम्बर के माध्यम से इससे संपर्क किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणन की एक स्कीम कार्यान्वित करता है। मानव स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कतिपय उत्पादों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इनका उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना नहीं किया जा सकता है। पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के अंतर्गत, पैकेजों पर उत्पाद से संबंधित कतिपय बुनियादी घोषणाएं करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभाग द्वारा 'जागो ग्राहक जागो' बैनर के तहत एक गहन मल्टी मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों को राजसहायता

2321. श्री अजीत जोगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों को कोई राजसहायता/सहायता अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त राजसहायता/सहायता अनुदान की मात्रा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक बढ़ाने और जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों सहित वस्त्र उद्योग को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:-

(1) प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अनुरूप मशीनरी पर निवेश के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर)।

(2) इसके अलावा, विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी में निवेश वाले (कुल 63) वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग 5% ब्याज प्रतिपूर्ति और साथ ही साथ 10% पूंजी सब्सिडी, दोनों के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) टीयूएफएस के तहत निधियां राज्यवार जारी नहीं की जातीं। निधियां, संबंधित वित्तीय संस्थाओं के लिए उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों की नोडल एजेंसियों/सहायक संस्थाओं के माध्यम से जारी की जाती हैं। 1.4.1999 से 30.9.2008 की अवधि के लिए फाइबर, यार्न फैब्रिक्स, परिधान और मेड अप्स के वास्ते जारी की गई कुल राशि 4358.92 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

[अनुवाद]

ब्राजील में इथनॉल उत्पादन

2322. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गन्ने को इथनॉल में बदले जाने हेतु इकाइयां स्थापित करने के लिए ब्राजील में गन्ने की खेती शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल उत्पादक कंपनियों अर्थात् बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल को मिलाकर दिसम्बर, 2006 में एक उद्योग कार्यबल बनाया गया था तथा ब्राजील में इथॉनाल निवेश के लिए एक व्यवहार्य अध्ययन जनवरी, 2007 में शुरू किया गया था जिसके लिए मई, 2007 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। सलाहकार ने अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि ब्राजील में इथॉनाल निवेश भारतीय तेल उद्योग के लिए व्यवहार्य, आकर्षक और रणनीतिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

बाद में तेल उद्योग दल ने ब्राजील में उचित स्थानीय भागीदार की पहचान करने के लिए नवम्बर, 2007 में एक भागीदार खोज अध्ययन किया था। अध्ययन में पहचान के अनुसार उच्च भागीदारी अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करके व्यापक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय तेल उद्योग फिलहाल ब्राजील में इथॉनाल उत्पादन के लिए ब्राजीलियाई भागीदार के साथ एक चीनी मिल का अधिग्रहण करने और ग्रीनफील्ड डिस्टलरी स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। यह काम आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन है।

इसके अलावा, ब्राजील की राष्ट्रीय कंपनी, पैट्रोलियो ब्रेसीलिरो एसए पैट्रोबास के साथ रिओ-डी-जेनिरियो में मै. पैट्रोबास के मुख्यालय में 30.8.2007 को बीपीसीएल द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के अधीन दोनों पार्टियां निम्नलिखित से संबंधित मामलों में अध्ययन करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी:-

* वैश्विक रूप से इथॉनाल ईंधन का उपयोग और व्यापार।
* ईंधन इथॉनाल की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए ब्राजील में इथॉनाल प्लांट निवेशों के क्षेत्रों में सहयोग।
* जैव डीजल उत्पादन और निर्माण प्रक्रिया तथा इथॉनाल के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग प्रदान करना।
* ब्राजील में परिवहन के सक्षम साधनों पर संयुक्त अध्ययन करना और इथॉनाल के लिए संभार तंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त निवेश करना।

[हिन्दी]

छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यावेदन

2323. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छठे वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों के विरोध में भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें विभिन्न मांगों जैसे कि 'एक रैंक एक पेंशन' आश्रित पेंशन के लिए आय संबंधी मानदंड को हटाने, दो परिवार पेंशनों इत्यादि के भुगतान से संबंधित हैं।

(ग) शिकायतों की ध्यानपूर्वक जांच-पड़ताल की जाती है और जहां अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गेहूं के भंडारों की घोषणा

2324. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं (कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों द्वारा भंडार घोषणा) आदेश, 2008 जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त आदेश के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा दी है; और

(घ) उक्त आदेशों से देश में गेहूं की कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर किस तरीके से और कितनी रोक लगाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 11.2.2008 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2008 अधिसूचित किया गया था। आदेश में रबी विपणन मौसम 2008-09 (अप्रैल 2008 से मार्च, 2009) के दौरान सम्पूर्ण देश में 10,000 टन से अधिक गेहूं की खरीदारी करने वाली कंपनी, फर्म और व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ऐसी खरीदारी की घोषणा करते हुए आवधिक रिटर्न सरकार के पास दर्ज करें।

(ग) जिन कंपनियों ने 30.11.2008 तक केन्द्र सरकार के पास रिटर्न भेजी हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्राइवेट व्यापारियों द्वारा गेहूं की अधिक खरीदारी करने का आकलन करने और कर वंचना को रोकने के लिए 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2008 जारी किया गया था। राज्य सरकारों के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और 'चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980' के प्रावधानों के अधीन गेहूं सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी रोकने के लिए पहले ही पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं।

विवरण

गेहूं (कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों द्वारा भण्डार घोषणा) आदेश के अंतर्गत जिन कंपनियों ने केन्द्र सरकार के पास रिटर्न भेजी हैं, उनके नाम

(30.11.2008 की स्थिति के अनुसार)

1. आई टी सी लि., आंध्र प्रदेश
2. कारगिल इंडिया प्रा.लि., दिल्ली
3. ए डब्ल्यू बी इंडिया प्रा.लि., दिल्ली
4. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि., दिल्ली
5. डी एफ एम फूड्स लि., दिल्ली
6. दिल्ली फ्लोर मिल्स कं. लि., दिल्ली
7. अदानी इंटरप्राइजेज लि., गुड़गांव, हरियाणा
8. एग्रीकोर कमोडिटीज प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र
9. श्री नांगली एग्रो टेक. प्रा.लि., पंजाब
10. नागा लि. फूड्स, तमिलनाडु
11. शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र
12. जनरल मिल्स इंडिया प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र
13. ओरई फ्लोर मिल्स प्रा.लि., ओरई, उत्तर प्रदेश
14. आर.बी. कमोडिटीज प्रा.लि., दिल्ली
15. मध्य प्रदेश वाणिज्य कं. मध्य प्रदेश
16. नोबल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग इंडिया प्रा.लि., दिल्ली
17. लुइस ड्रीफस कमोडिटीज इंडिया प्रा.लि., दिल्ली
18. श्री अम्बे फूड प्रोडक्ट प्रा.लि., होसकोटे-562114
19. जितेन्दर रोलर फ्लोर मिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
20. वेलमुरुगन एग्रो इंडस्ट्रीज, सलेम, तमिलनाडु
21. पाइनियर इंडस्ट्रीज लि., पंजाब
22. आर सी एस रोलर फ्लोर मिल्स लि., अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
23. अंकित इंडिया लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल
24. कालांतरी ब्रदर्स प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र

25. साहूवाला सिरियल्स प्रा.लि., महाराष्ट्र
26. कोवल्लपट्टी लक्ष्मी आर एफ एम, तिरुनेलवेल्ली जिला, तमिलनाडु
27. सनवारिया एग्रो आयल्स लि., इटारसी, मध्य प्रदेश
28. पारले प्रोडक्ट्स, प्रा.लि, मुंबई, महाराष्ट्र
29. गंगा रोलर फ्लोर मिल्स लि., दिल्ली
30. भवानी रोलर फ्लोर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
31. रायबरेली फ्लोर मिल्स प्रा.लि., उत्तर प्रदेश
32. खंडेश रोलर फ्लोर मिल्स, जलगांव, महाराष्ट्र
33. आई टी सी, गुड़गांव, हरियाणा
34. साहूवाला फ्लोर मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
35. कृष्णा फ्लोर मिल्स प्रा.लि., बंगलौर, कर्नाटक
36. नन्दी फ्लोर मिल्स प्रा.लि., मैसूर, कर्नाटक
37. एक्कामहादेवी एग्रो इंजस्ट्रीज, बंगलौर, कर्नाटक
38. जयकृष्ण फ्लोर मिल्स प्रा.लि., थिरूमंगलम, तमिलनाडु
39. श्री वेनुगोपाल फ्लोर मिल्स, बंगलौर, कर्नाटक
40. आर के पटेल फूड प्रा.लि., महाराष्ट्र
41. विवेक एग्रो फूड्स, बंगलौर, कर्नाटक
42. लिकित एग्रो फूड, बंगलौर ग्रामीण, कर्नाटक
43. राक्सी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
44. राजलक्ष्मी व्हीट प्रोडक्स प्रा.लि, नासिक, महाराष्ट्र
45. विश्वभारती फूड्स प्रा.लि., जलगांव, महाराष्ट्र।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

2325. मो. मुकीम:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दिवंगत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, जिनके आश्रितों को 30 सितम्बर, 2008, तक अनुकम्पा के आधार पर नौकरी अथवा वित्तीय सहायता नहीं दी गई है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों से संबंधित मामले किस तिथि से लंबित हैं;

(घ) क्या एमटीएनएल का विचार अपने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को कुछ पैकेज देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिवंगत कर्मचारियों के निकट परिजन को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

2जी स्पैक्ट्रम लाइसेंस का आवंटन

2326. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री उदय सिंह:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों ने आवंटित द्वितीय पीढ़ी (2जी) के स्पैक्ट्रम लाइसेंस, अपनी हिस्सेदारी को बढ़े हुए मूल्य पर विदेशी दूरसंचार आपरेटरों को बेच दिया है, जिससे कि राजकोष को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं तथा उन्हें किस मूल्य पर स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया था और उन्होंने किस मूल्य पर उसे विदेशी दूरसंचार आपरेटरों को बेचा;

(ग) क्या इस प्रकार की गतिविधियों के लिए सरकार की स्पैक्ट्रम आवंटन नीति जिम्मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) निजी प्रचालकों को वर्ष 2003 से एकीकृत अभिगम

सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की "पहले आओ, पहले पाओ" नीति के अनुसार लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। तब से लगभग सभी प्रचालकों ने कंपनी में निवेश हेतु निधि जुटाने के लिए अपनी इक्विटी में कमी की है। सरकार सामग्र भारत में प्रचालन के लिए लागू 1658.5701 करोड़ रुपए के शुल्क के आधार पर यूएएस लाइसेंस जारी करती रही हैं और यूएएस लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत वायरलेस सेवा प्रचालित करने के इच्छुक प्रचालक वायरलेस प्रचालन लाइसेंस प्राप्त करते हैं। सरकार प्रचालकों को एक नीति के तहत बिना किसी अपफ्रंट प्रभार के उपभोक्ता आधारित मानदंड के आधार पर वायरलेस स्पेक्ट्रम प्रदान करती रही है और राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार वसूल करती है। विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि निजी प्रचालकों द्वारा विदेशी कंपनियों को किस मूल्य पर इक्विटी बेची गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भू-जल का कृत्रिम रिचार्ज

2327. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अत्यधिक दोहन तथा क्रिटिकल ब्लाकों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने का निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अब तक उपर्युक्त निदेश का पालन नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीसीडब्ल्यूए) ने गंभीर और अति दोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भवन उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की दृष्टि से 12 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक यह दर्शाता है कि छत के वर्षा जल संचयन के संबंध में प्रावधानों को शामिल करने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किया गया है।

बाढ़ राहत हेतु खाद्यान्न

2328. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री फ्रांसिस फैन्चम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों ने गेहूं और चावल की अपनी आवश्यकता की जानकारी सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों हेतु राज्यवार और श्रेणीवार उनकी कितनी मात्रा स्वीकृत की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरतमंदों को खाद्यान्न के वितरण हेतु नया मानदंड अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) बाढ़ संबंधी मामले गृह मंत्रालय से संबंधित हैं। सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव

2329. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के एक अध्ययन में खुलासा किया गया है कि कीटनाशकों का निरंतर प्रयोग किसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे उनका डीएनए क्षतिग्रस्त होता है तथा उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कीटनाशकों के विष के कारण किसानों की मौतें हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रासायनिक कीटनाशकों से किसानों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मानव जीव विज्ञान विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के एक अनुसंधान अध्येता द्वारा पंजाब के चयनित जिलों में विभिन्न कीटनाशकों से व्यवसाय के तहत सम्पर्क में आने वाले श्रमिकों में आनुवंशिक क्षति का आकलन करने के लिये एक अध्ययन कराया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि आनुवंशिक क्षति सम्भवतया कीटनाशकों के कारण हुई तथा ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इसमें सुधार आ गया क्योंकि अनुवर्ती मामलों में आनुवंशिक मामलों में अत्यधिक कम बारम्बारता का पता चला।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 2007-08 के दौरान देश में कीटनाशक विषाक्तता के कारण 693 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

सरकार जैव-कीटनाशकों तथा रासायनिक कीटनाशकों के सुरक्षित यौगिक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे कीटनाशक जिनको विश्व के अन्य देशों में विभिन्न कारणों से प्रतिबंधित/गम्भीरता से निषिद्धि किया गया है, उनके उपयोग को जारी रखने के मामले की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर 28 कीटनाशकों तथा तीन अन्य कीटनाशकों के 4 यौगिकों पर देश में रोक लगा दी गई है।

सरकार समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत कीट नियंत्रण की यांत्रिक संबर्द्धनात्मक जैविक तथा अन्य विधियों और कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। पंजाब सहित राज्यों के गांवों में कृषक क्षेत्र स्कूल आयोजित किये जाते हैं।

एफसीआई का पुनर्गठन

2330. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जिम्मेदार संगठन बनाने के इसके कार्यकरण का पुनर्गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को और अधिक स्वायत्तता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कार्यकरण में सुधार हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की राज्यवार प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को संपुष्ट करने की दृष्टि से निगम के बारे में अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार, मै. मैकेंजे एंड कंपनी को तैनात किया था।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ नए कारोबारी माडलों और भारत सरकार के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की प्रभावकारिता में सुधार करते हुए राजसहायता भार में कमी करने के लिए संगठनात्मक परिवर्तनों पर सिफारिश देने सहित भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में पर्याप्त क्षमता सुधार लाना था।

(ख) मै. मैकेंजे एंड कंपनी द्वारा संस्तुत प्रमुख सुधार संबंधी पहलों में मोटे तौर पर ये शामिल हैं-

(1) ब्याज भार में कमी करने के लिए बहु-स्तरीय ऋण ढांचे के जरिए वित्तीय पुनर्संरचना; (2) रेल संचलन के लिनियर कार्यक्रम (अनाज प्रवाह प्रबंधन) के जरिए नेटवर्क को ईष्टतम बनाना; (3) हैंडलिंग और ढुलाई ठेकों का समेकन; (4) बोरियों के उपयोग और स्रोत पैटर्न में परिवर्तन; (5) खाद्यान्नों की सीधे खरीदारी करके और बिचौलियों को हटाकर लागत में कमी करना; (6) गोदामों जैसी मौजूदा सभी परिसम्पत्तियों का ईष्टतम उपयोग करके राजस्व सृजन के क्षेत्रों का पता लगाना; (7) युक्तिसंगत बनाकर, स्वचालन लाकर और बेहतर कार्य निष्पादन प्रबंधन (जन प्रबंधन प्रणाली) के जरिए मानव संसाधनों का अधिक सस्ता और सक्षम उपयोग करना; (8) खाद्यान्नों में वैश्विक कारोबार के लिए स्मार्ट कारोबारी दृष्टिकोण बनाना; (9) मूल्य मानीटरिंग सैल का सृजन करना; (10) प्रचालन लागतों का प्रबंधन; (11) निष्क्रिय परिसम्पत्तियों का प्रबंधन; (12) सतर्कता प्रशासन; और (13) परिभाषित पैरामीटरों के जरिए कार्य-निष्पादन समीक्षा और जवाबदेही निर्धारित करना।

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास सरकार द्वारा विहित नीतियों के अंदर अपने प्रचालन चलाने की प्रचालनात्मक और वित्तीय सहायता पहले ही मौजूद है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं हेतु गैस एजेंसियां

2331. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युद्ध में भाग ले चुके भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्रवाई के दौरान शहीद हुए जवानों की विधवाओं/उत्तराधिकारियों को गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों का आवंटन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों में जारी किए गए पात्रता प्रमाण-पत्रों संबंधी ब्यौरा इस प्रकार है:

2006	2007	2008 (नवंबर तक)
162	631	155

[हिन्दी]

चीनी तथा एथनॉल का उत्पादन

2332. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में वर्षवार कुल कितनी मात्रा में चीनी और एथनॉल का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण देश में भारी मात्रा में चीनी का अतिरेक भंडार होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चीनी मिलों को कम लागत पर अधिक उत्पादन करने, एथनॉल जैसे उत्पादों का भी उत्पादन करके लाभ बढ़ाने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु कोई परामर्श जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ चीनी मिल को क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी और एथनॉल का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	चीनी का उत्पादन (लाख टन)	एथनॉल का अनुमानित उत्पादन* (मिलिबन लीटर)
2006-07	281.99	2900
2007-08 (अनंतिम)	264.00	2730
2008-09 (वर्तमान वर्ष)	चूंकि 2008-09 चीनी मौसम 1.10.08 से शुरू हुआ है इसलिए अभी आकलन करना जल्दबाजी होगी।	

*अनुमानित एथनॉल के उत्पादन की गणना संबंधित चीनी मौसमों में चीनी उद्योग द्वारा पेराई किए गए गन्ने पर आधारित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बुनकर

2333. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों के सभी बुनकरों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी बुनकरों के परिवारों को कब तक उक्त योजना के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस समय उड़ीसा सहित देश में कितने यार्न बैंक चल रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपर्युक्त जिलों के 18880 परिवारों में से अब तक 9061 परिवारों को कवर किया गया है।

(ख) स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं और कोई हथकरघा बुनकर जो इस संबंध में अपेक्षित फार्म भरता है उसे योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। तथापि, मार्च 2009 तक योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु व्यवसाय से जुड़े शेष बुनकर परिवारों को समझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) वर्तमान में उड़ीसा में 26 सूत बैंकों सहित देश में कार्यरत 624 सूत बैंक हैं।

सशस्त्र सेनाओं में आत्महत्या तथा सहयोगियों की हत्या

2334. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री निखिल कुमार:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं में आत्महत्या तथा सहयोगियों की हत्या के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं में आत्महत्या तथा सहयोगियों की हत्या संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं:-

	2005		2006		2007	
	आत्महत्या	सहयोगियों की हत्या	आत्महत्या	सहयोगियों की हत्या	आत्महत्या	सहयोगियों की हत्या
थलसेना	92	16	129	13	117	07
वायुसेना	23	01	24	00	21	00
नौसेना	05	00	01	00	02	00
कुल	120	17	154	13	140	07

विभिन्न स्तरों पर बेहतर जन प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से पहले ही सक्रिय रहने के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारी जोखिम-श्रेणी का पता लगाना, अधिकारियों तथा जवानों के बीच परस्पर संबंधों एवं संप्रेषण में वृद्धि करना, तनाव-नियंत्रण प्रबंधन, व्यावसायिकों द्वारा परामर्श दिया जाना, हैल्पलाइन की स्थापना करना तथा कल्याणकारी क्रियाकलापों में वृद्धि करना, जैसे उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

सैनिकों को आवास सुविधाएं

2335. श्री गणेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कार्मिकों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या विवाहित आवास योजना (एमएपी) के चरण-1 के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के चरण-2 के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(च) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) रक्षा कार्मिकों को पर्याप्त विवाहित आवास मुहैया कराने के लिए विवाहित आवास परियोजना शुरू की गई है। विवाहित आवास परियोजना के वास्ते वर्ष 2008-09 के लिए आबंटित निधियां/बजट प्राक्कलन 1079.98 करोड़ रुपए है। विवाहित आवास परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत रक्षा कार्मिकों के लिए देश भर के 79 स्टेशनों पर 57875 आवास निर्मित किए जा रहे हैं। ये लक्ष्य, राज्य-वार न करके सेवा-वार नियत किए गए हैं। विवाहित आवास परियोजना के चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत आयोजना और कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। चरण-2 में निर्मित किए जाने वाले आवासों की कुल संख्या 66727 है। विवाहित आवास परियोजना के चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए मात्रा संबंधी बिलों के साथ-साथ विस्तृत वास्तुकला तथा संरचनात्मक ड्राइंगों की तैयारी जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। परामर्शी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

वस्त्र क्षेत्र में कार्य दशाएं

2336. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में कार्य दशाएं बहुत दयनीय हैं तथा कर्मचारियों/कामगारों को दिया जा रहा पारिश्रमिक बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के वस्त्र क्षेत्र की कार्य दशाओं में सुधार करने तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों/कामगारों के पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.जी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी. नहीं। कार्य संबंधी शर्तें, मजदूरी और श्रम संबंधों से संबंधित सभी मामले इस देश में मौजूदा श्रम कानूनों के तहत शासित होते हैं जो वस्त्र क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोबाइल सेवा हेतु सेवा वर्जित क्षेत्र का विस्तार

2337. श्री उदय सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं को देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सेवा वर्जित क्षेत्र का 500 मीटर तक विस्तार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या असामाजिक तत्व भारतीय सिग्नलों का प्रयोग कर रहे हैं तथा फर्जी नामों से कनैक्शनों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कोई निगरानी तंत्र है कि मोबाइल सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग के मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) दिनांक 26 फरवरी, 2007 को मोबाइल सेवा प्रदाताओं से संबंधित लाइसेंस शर्तों के किए गए संशोधन के तहत 'सेवा वर्जित क्षेत्र' शब्द का प्रयोग आरंभ किया गया। 'सेवा वर्जित क्षेत्र' के अंतर्गत कवर होने वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ 500 मी. की चौड़ाई तक फैला हुआ क्षेत्र था। इसके पश्चात् 'सेवा अर्जित क्षेत्र' संबंधी प्रतिबंध दिनांक 11 जुलाई, 2008 के संशोधन के तहत हटा दिया गया और सेवा प्रदाता अब भारतीय भू-भाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में भी मोबाइल सेवा उपलब्ध करा सकते हैं।

(ख) से (घ) सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए सीमा पार के अपने साथियों/आकाओं से संवाद-संपर्क स्थापित करने और कुछ मामलों में उपयुक्त सत्यापन के बिना मोबाइल कनेक्शन जारी कर दिए जाने के बारे में जानकारी मिली है। सेवा प्रदाताओं पर लाइसेंस की शर्तें लागू करने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुश्रवण (टीईआरएम) प्रकोष्ठ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जताई गई आशंकाओं के मद्देनजर लाइसेंस की विभिन्न शर्तों के अनुपालन की निगरानी कर रहे हैं।

नहर परियोजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृति

2338. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने नहर आधुनिकीकरण परियोजना को शीघ्र तकनीकी स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक के साथ कोई बैठक/परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए किए गए मूल्यांकन के अंतर्गत राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने की समयावधि राज्य सरकारों की केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन करने की तत्परता पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से सहायता मांगी जाती है। पंजाब सरकार के अनुरोध पर पंजाब राज्य में भूमि जल, जल जमाव तथा जल की गुणवत्ता की समस्याओं के निदान के लिए नान लेन्डिंग तकनीकी सहायता के प्रस्ताव को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्रदान कराने के लिए वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। विश्व बैंक के तकनीकी मिशन ने सितम्बर, 2008 में पंजाब का दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

विवरण

मूल्यांकन के अधीन नई तथा संशोधित विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	लाभार्थी जिले	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार								
1.	मौजूदा निचली किउल घाटी वीयर स्कीम-ईआरएम	वृहद	किउल/गंगा	जमुई, लखीसराय, शेखपुरा	3/06	27.499	27.95	ए
2.	सोन नहर आधुनिकीकरण स्कीम फेज-1 (संशोधित)	वृहद	सोन/गंगा	मध्य बिहार के सात जिले	01/06	900.00	754.54	ए
हरियाणा								
3.	भूजल के पुनर्भरण के लिए नहरों का पुनर्वास तथा नालियों का नवीकरण	वृहद	यमुना/गंगा	भाखड़ा एवं डब्ल्यूजेसी कमान	01/08	–	100.28	ए
जम्मू-कश्मीर								
4.	लार नहर का आधुनिकीकरण ईआरएम	मध्यम	सुखनाग नाला/झेलम	बडगाम	4/2000	5.25	10.15	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ग्रिमटू नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम	सिंधु	कारगिल	7/07		23.60	ए
6.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण -ईआरएम	मध्यम	रावी बेसिन	कथुआ	9/99	3.304	15.68	बी
7.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण -ईआरएम	मध्यम	सुखनाग नाला/झेलम	बडगाम	04/2000	9.51	20.5149	बी
केरल								
8.	मालमपुझा परियोजना (ईआरएम)	वृहद	मालमपुझा	पलाक्काड	7/07	21.349	9.50	ए
9.	चित्तूरपुझा सिंचाई परियोजना (ईआरएम)-केरल	वृहद	चित्तूरपुझा	पलाक्काड	11/07	4.964	30.00	ए
पंजाब								
10.	भाखड़ा मुख्य नहर की लाइनिंग बढ़ाने हेतु-ईआरएम	वृहद	सतलज	-	3/02	-	26.69	ए
11.	सतलज नदी में नहरों को जल देना-ईआरएम (भाग-I भटिंडा शाखा का पुनर्वास, भाग-II अबोहर शाखा का आधुनिकीकरण, भाग-III सिद्धवान शाखा का आधुनिकीकरण भाग-IV विष्ट दोआब	वृहद	सतलज	भटिंडा, लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट, मोगा, मनसा, बरनाला एवं मुक्तसर	2/08	666.611	552.25	ए
12.	आरडी (119700 से 447927) सरहिन्द फीडर की रिलाईनिंग (ईआरएम)	वृहद		मुक्तसर, फरीदकोट एवं फिरोजपुर एवं फिरोजपुर	7/08	कैरियर चैनल	363.50	ए
13.	आरडी (17900 से 49600 तक) राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग (ईआरएम)	वृहद		फरीदकोट एवं फिरोजपुर	7/08	कैरियर चैनल	897.388	ए
14.	लाइनिंग बढ़ाना/सरहिन्द फीडर के तट-ईआरएम	मध्यम	फिरोजपुर फीडर	फिरोजपुर	5/01	-	13.7543	ए
15.	पंजाब सिंचाई परियोजना (वाहिकाओं की लाईनिंग) आरआईडीएफ निधि के अंतर्गत-ईआरएम	मध्यम	रावी	गुरुदासपुर, अमृतसर एवं पटियाला	2/00	8.330	49.02 (9/99)	बी
उत्तर प्रदेश								
16.	मौजूद सारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन में सुधार करना-ईआरएम*	वृहद	सारदा/गंगा	बरेली, पीलीभीत, नैनीताल, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव एवं राय बरेली	7/01	806.3	102.41	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मेजा बांध का उठाना-ईआरएम	वृहद	टोन्स/गंगा	इलाहाबाद एवं मिर्जापुर	3/92	17.88	65.0	बी
18.	बुंदेलखंड में नहर की लाइनिंग-ईआरएम	वृहद	गंगा	इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर एवं वाराणसी	5/92	23.78	57.37	बी
19.	भूपाली पंप नहर की क्षमता बढ़ाना-ईआरएम	वृहद	गंगा	वाराणसी	8/97	34.605	60.53	बी
20.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना*	वृहद	घग्गर/गोमती	प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच	4/2001	300.00	633/41 (अनंतिम)	बी
21.	सारदा सहायक प्रणाली की भंडारण क्षमता (ईआरएम)	वृहद	सारदा/घाघरा/गंगा	उत्तर प्रदेश के 15 जिले	3/2007	1479.00	269.73	ए
22.	सरजू नहर परियोजना (एलबी घागरा नहर)	वृहद	सरयू	बहराइच	09/96	1404.00	1276.00	बी
23.	केन नहर प्रणाली की रिमाडलिंग	वृहद	केन/बेतवा/यमुना	बांदा (डीपीए)	07/91	98.28	4.76	ए
24.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण -ईआरएम	वृहद	यमुना/गंगा	मथुरा एवं आगरा	12/2000	50.00	181.67	ए

टिप्पणी: ए - मूल्यांकन के अधीन परियोजना के विभिन्न चरण

बी - जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत, जो कुछ टिप्पणियों के अधीन है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र

2339. श्री किरिप चालिहा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली तथा युद्ध-सामग्रियों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो निजी कंपनियों द्वारा किस प्रकार की शस्त्र प्रणाली तथा किन-किन युद्ध सामग्रियों का विनिर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में निजी कंपनियों हेतु धनराशि के स्रोत कौन-कौन से हैं; और

(घ) उन बड़े उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनको शस्त्र प्रणाली तथा युद्ध सामग्रियों के विनिर्माण का दायित्व सौंपा गया है तथा उन्हें क्या दर्जा प्रदान किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) रक्षा उद्योग क्षेत्र को जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित था, मई, 2001 में 26 प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए शतप्रतिशत, दोनों ही लाइसेंस के अध्यधीन, खोल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों जिनमें कवचित एवं युद्धक वाहन, रडार, इलेक्ट्रोनिक युद्ध-पद्धति उपस्कर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, वैमानीकियां, सेना विमान, सुरक्षा एवं प्राक्षेपित उत्पाद, शस्त्रास्त्र एवं गोलाबारूद आदि शामिल हैं, के विनिर्माण हेतु अब तक 118 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(ग) निजी कंपनियों के धन के अपने ही स्रोत हैं जबकि विदेशी निवेश के मामले में कंपनियां रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन विदेशी निवेश प्राप्त कर सकती हैं।

(घ) जो कंपनियां उनके औद्योगिक लाइसेंसों में दिए गए अनुसार रक्षा मदों का विनिर्माण कर सकती हैं उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है। रक्षा उत्पादन हेतु लाइसेंसधारी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को कोई हैसियत प्रदान नहीं की गई है।

विवरण

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग)

हथियारों तथा शस्त्रास्त्रों के विनिर्माण हेतु निजी कम्पनियों के लिए जारी आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंस की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं आशय-पत्र संख्या तथा तारीख	विनिर्माण की मद
1	2	3
1.	मैसर्स रामोस इंडिया, नई दिल्ली एलआई : 75 (2002) दिनांक : 12.12.2002	गोलीरोधी पोशाक, जेकेट, अन्य किस्म के काया कवच, वाहनों को गोलीरोधी बनाना तथा वाहन सुरक्षा फिटमेंट।
2.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, नई दिल्ली एलआई : 54 (2002) दिनांक : 20.8.2002	टरेट, टरेट माउंट, टैंकों पर सेतु बनाने की प्रणालियों जैसी सम्बद्ध प्रणालियां तथा उप-प्रणालियों सहित कवचयुक्त तथा अन्य युद्धक वाहनों का डिजाइन, विकास तथा असेम्बली।
3.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, नई दिल्ली एलआई : 51 (2002) दिनांक : 20.8.2002	तीव्र गति कश्तियां तथा विमान आदि सहित (सुदूरतटवर्ती, तैरने वाले तथा जलमग्न) युद्ध-पोतों, पनडुब्बियों, हथियार प्लेटफार्मों का डिजाइन तथा विनिर्माण।
4.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, नई दिल्ली एलआई : 52 (2002) दिनांक : 20.8.2002	रेडार, सोनार प्रणाली तथा सम्बद्ध उप-प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति उपस्कर तथा प्रणालियां, संवेदी आदि का डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण।
5.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, नई दिल्ली एलआई : 53 (2002) दिनांक : 20.8.2002	(क) उनकी उप-प्रणालियों सहित जमीन तथा पोत आधारित लांचरों तथा लांच प्रणालियों, (ख) छोटे हथियारों, मोर्टार, फील्ड तोप, वायु रक्षा गन, टैंक रोधी हथियार प्रणाली तथा सम्बद्ध प्रणालियों तथा उप-प्रणालियों का विनिर्माण तथा असेम्बली तथा परीक्षण, तथा (ग) सम्बद्ध प्रणालियों तथा उप-प्रणालियों सहित मिसाइल, राकेट, टोरपीडो, भू/नौसैन्य बारूदी सुरंग डेप्थ चार्जिज जैसे गोलाबारूद/आयुध सहित शस्त्रास्त्र का डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण।
6.	मैसर्स महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लिमिटेड एलआई : 62 (2002) दिनांक : 10.10.2002	हल्का कवचित बहु-भूमिका वाहन@ तीव्र सचलता हल्के सैन्य वाहन@ जोड़ा गया देखें डी आई पी पी पत्र संख्या एलआई 62 (2002)/2006 दिनांक 29.8.2006
7.	मैसर्स मैक्स एरोस्पेस तथा उड्डयन लिमिटेड एलआई : 38 (2003) दिनांक : 23.4.2003	वैमानिकियां, सैन्य विमान, हथियार तथा गोलाबारूद
8.	मैसर्स महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लिमिटेड, नई दिल्ली एलआई : 35 (2003) दिनांक : 22.4.2003	निगरानी संवेदियों पर लगाने हेतु महिन्द्रा पिकअप का संशोधन तथा अन्य उपस्कर "सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों एवं पुलिस के लिए मोबाइल निगरानी प्रणाली का विकास तथा संरचना निर्माण" के रूप में संशोधित।
9.	मैसर्स अंजनी टेक्नोप्लास्ट, नोयडा एलआई : 50 (2003) दिनांक : 5.6.2003	गोलीरोधी पोशाक, जैकेट, हेल्मेट तथा पोडियम आदि सहित सुरक्षा तथा प्रक्षेपक उत्पाद।

1	2	3
10.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, मुंबई एलआई : 75 (2003) दिनांक : 29.8.2003	उड्डयन हेतु विमानवाहित एसेम्बलियों, प्रणालियों तथा विमानों, हेलिकाप्टरों तथा निर्जन आकाशीय वाहनों एवं उपस्करों का डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण।
11.	मैसर्स लार्सन एवं टोबरो लिमिटेड, मुंबई एलआई : 73 (2003) दिनांक : 28.8.2003	प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए हथियारों, वाहनों, विमानों तथा पोतों के लिए सैन्य सिम्यूलेटर।
12.	मैसर्स टीआईएल लिमिटेड, कोलकाता एलआई : 74 (2003) दिनांक : 28.8.2003	अन्य विशेष उद्देश्य के गैर-इलेक्ट्रीकल मशीनरी/उपस्करों का विनिर्माण अर्थात् (क) मोबाइल लांचर (ख) मास्ट मोबाइल आकाशीय प्रणाली (ग) विशेष उद्देश्य के संभारिकी वाहन एवं उपस्कर
13.	मैसर्स सदरन ग्रुप इन्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड एलआई : 76 (2003) दिनांक : 3.9.2003	गोलीरोधी जैकेट/पोशाक/हेल्मेट/पटका, वाहनों/कन्टेनरों आदि का गोलीरोधीकरण (क) गोलीरोधी जैकेट/पोशाक (ख) गोलीरोधी हेल्मेट/पोशाक (ग) वाहनों/कन्टेरनों/केबीनों/विमानों का गोलीरोधीकरण (घ) एन बी सी बचाव उत्पाद (सूट, दस्ताने, मुखौटे, टेंट, आदि) (ङ) ई सी सी बचाव गियर तथा उपस्कर (च) कमाफ्लेग उत्पाद (युद्धसूट, मुखौटे, कवरआल) (छ) बम निरोधक सूट तथा कम्बल (ज) बारूदी सुरंग बचाव गियर
14.	मैसर्स आटोमोटिव कोचिज एवं कम्पोनेंट लिमिटेड एलआई : 87 (2003) दिनांक : 13.10.2003	हल्का कवचित बहु-भूमिका वाहन
15.	मैसर्स एच बीएल नाइफ पावर सिस्टम्स लिमिटेड एलआई : 86 (2003) दिनांक : 13.10.2003	इलेक्ट्रॉनिक रेडार तथा उनके हिस्से पुर्जे
16.	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड आईएल : 13 (2004) दिनांक : 23.3.2004	हल्के कवचयुक्त बहु-भूमिका वाहन, कवचित इंजीनियर वाहन, कवचित रिकवरी वाहन, कविचत संभारिकी वाहक, भारी टैंक ट्रांस्पोर्टर, सेल्टर एवं कन्टेनर, विशेष आक्रमण तथा निगरानी वाहन, रणनीतिक फ्लोटिंग सेतु तथा फेरिज, ट्रेक्ड कवचित वाहन, गोलीरोधी कार, जीप तथा सैनिक वाहन, शीघ्र सचलता वाहन, मैकेनाइज्ड मेटीरियल हैंडिलिंग तथा सेतु उपस्कर, बारूदी सुरंग रोधी वाहन।
17.	मैसर्स बी एफ यूटिलिटिज लिमिटेड आईएल : 44 (2004) दिनांक : 8.9.2004	हथियार तथा गोलाबारूद दोनों परम्परागत तथा मार्ग निर्देशित (स्मार्ट गोलाबारूद), (1) 105-155 मि.मी. की रेंज में शेल्स तथा टैंक शाट रोधी का इस्तेमाल हेतु तैयार (2) 120 मि.मी. लम्बी रेंज के लिए मोर्टारों का इस्तेमाल करने हेतु तैयार (ख) हथियार तथा हथियार लांचर (1) 12 मि.मी. ग्राड एवं पिनाक जैसे बहु-बैरल राकेटों का 300 मि.मी. कैलिबर हेतु इस्तेमाल हेतु तैयार (ग) लोवर कैलिबर गनों का उन्नयन करके डायर कैलिबर गनों के इस्तेमाल हेतु तैयार।

1	2	3
18.	मैसर्स बी एफ यूटिलिटिज लिमिटेड आईएल : 48 (2004) दिनांक : 16.9.2004	सम्बद्ध प्रणालियों, उप-प्रणालियों तथा फिटमेंटों से युक्त दोनों ट्रेक्ड तथा पहिएदार कवचयुक्त कार्मिक वाहन।
19.	मैसर्स महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लिमिटेड आईएल : 61 (2004) दिनांक : 21.12.2004	समुद्री बारूदी सुरंग तथा इसके रूपांतर
20.	मैसर्स टी एस एल डिफैंस टेक्नोलिजिज प्राइवेट लिमिटेड आईएल : 34 (2004) दिनांक : 21.12.2004	चाफ डिस्पेंसर तथा मिनी-यू ए वी एवं सम्बद्ध प्रणालियों का डिजाइन विकास तथा विनिर्माण
21.	मैसर्स वेक्ट्रा इंजीनियरिंग मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड आईएल : 1 (2005) दिनांक : 18.01.2005	4×4 हल्का कवचित बहु-उपयोगिता वाहन तथा हल्का रिकवरी वाहन सुपरस्ट्रक्चर
22.	मैसर्स महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लिमिटेड आईएल : 8 (2005) दिनांक : 25.2.2005	5.56 मि.मी. कारबाइन। एल ओ आई समाप्त। फर्म अनुरोध विस्तार। डी आई पी पी हेतु अपेक्षित स्पष्टीकरण।
23.	मैसर्स ब्रिडपोस्ट डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड आईएल : 50 (2005) दिनांक : 01.08.2005	बहु-स्पेक्ट्रम कामफ्लेग नेट (एम एस सी एन)
24.	मैसर्स आई एस टी लिमिटेड आईएल : 99 (2005) दिनांक : 24.11.2005	फ्यूज, रात्रिदृश्य उपकरण तथा संवेदी आधारित प्रणालियां
25.	मैसर्स अल्फा आई टी एल इलेक्ट्रो आप्टिक्स प्राइवेट आईएल : 100 (2005) दिनांक : 25.11.2005	ऑप्टिकल सामान एवं उपस्कर/ऑप्टिकल उपकरण यथा रात्रि दृष्टि दूरबीन (एन सी आर ओ एस), एकनेत्री रात्रि दृष्टि उपकरण (मिनी एन एस ई ए एस), रिफलेक्स साइट (जैसे एम ए आर एस), एमिंग डिवाइस (एम आई/सी, आईयवी)
26.	मैसर्स अल्फा पेजोट्रोन रेडार उपस्कर एवं सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड आईएल : 101 (2005) दिनांक : 25.11.2005	रेडार सामग्री की मरम्मत
27.	मैसर्स वी एक्स एल टेक्नॉलजिस लिमिटेड आईएल : 102 (2005) दिनांक : 28.11.2005	विभिन्न सुरक्षा फ्यूज एवं उपकरण (विस्फोटक भराई सहित/रहित)

1	2	3
28.	मैसर्स मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड आईएल : 103 (2005) दिनांक : 28.11.2005	(1) रेडियों एवं उपग्रह संसूचना उपस्कर (2) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (3) सिमुलेटर (4) ऑप्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्ट्रोनिक्स प्रणालियां (5) इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज (6) प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालियां
29.	मैसर्स अंजनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड डी आई एल : 73 (2006) दिनांक : 12.9.2006	संरक्षा सुरक्षा और बेलिस्टिक संरक्षण उत्पाद अर्थात् बुलेट प्रूफ जैकेट, वैस्ट, हेल्मेट और पोडियम आदि।
30.	मैसर्स इन्डटेक कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड डी आई एल : 74 (2006) दिनांक : 4.10.2006	लघु शस्त्र एवं गोलाबारूद अर्थात् 5.56 मि.मी., 7.62 मि.मी., 9 मि.मी., 12.7 मि.मी. और 14.5 मि.मी.।
31.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 78 (2006) दिनांक : 29.11.2006	अभिकल्पना, विकास, विनिर्माण, असेम्बली और एवियोनिक्स का उन्नयन, वायुयान के लिए वायुवाहित एसेम्बली प्रणालियों एवं उपस्करों, यू वी ए के विकास सहित हेलिकॉप्टरों और ए डब्ल्यू ए सी एस, सभी प्रकार एवं सभी उपयोग के लिए यू वी। रक्षा एवं असैनिक स्पेस प्रणालियों/उप-प्रणालियों एवं संबंधित प्रणालियों सहित।
32.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 79 (2006) दिनांक : 29.11.2006	सेना, नौसेना, वायुसेना, पैरा मिलिट्री एवं अंतर्देशीय सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति (स्टैंड एलॉन और इंटिग्रेटिड) के डिजाइन, विकास, विनिर्माण, असेम्बली और अपग्रेड।
33.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 80 (2006) दिनांक : 29.11.2006	अभिकल्पना, विकास, निर्माण, युक्तिक एवं निर्णायक संसूचना प्रणालियों सहित अत्याधुनिक नेटवर्क केन्द्रिक युद्धक समर्थकों का समन्वायोजन/प्रणाली एकीकरण। कम एवं लम्बी रेंज, विशेष एंटिना और मास्ट का विकास, सोफ्टवेयर निर्धारित रेडियो, गिम्बल्स पेलोड, सैटेलाइट/वायरलैस/ऑप्टिकल संसूचना प्रणालियां, अन्य घटक, उप-प्रणालियां और संबंधित प्रणालियां। नेटवर्क प्रबंधन अनुवीक्षण एवं सुरक्षा के लिए विशेष साफ्टवेयर और कोट्स की कठिनता, रक्षा एवं असैनिक आवेदन, विश्व सकारात्मक प्रणालियां और जी पी एस आधारित वाहन नौचालन और खोज प्रणालियों आदि के लिए संसूचना और नौचालन प्रणालियों के साथ जी आई एस एकीकरण।
34.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 81 (2006) दिनांक : 29.11.2006	अभिकल्पना, विकास, निर्माण, समन्वायोजन एवं आयुध प्रणालियों का उन्नयन, जडत्वीय एवं जी पी एस आधारित नौचालन एवं खोज प्रणालियों सहित भूतल एवं नौसेना अनुप्रयोगों के लिए राकेट एवं मिसाइल लांचर।
35.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 82 (2006) दिनांक : 29.11.2006	वायु रक्षा तोप/फील्ड तोपखाना, नौसेना बन्दूक, टैंक समाघात वाहन, टैंक-रोधी आयुध प्रणालियां, मोर्टार, शैल की अभिकल्पना विकास, निर्माण, समन्वायोजन और उन्नयन। मिसाइल, राकेट, किसी संबंधित प्रणालियों, उप-प्रणालियों परन्तु प्रक्षेप-पथ संशोधन प्रणालियों, मार्गदर्शित युद्ध सामग्रियों/टोरपिडो तक सीमित नहीं है।

1	2	3
36.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 83 (2006) दिनांक : 29.11.2006	नौसेना समाधात, वायु रक्षा, तोपखाना कमांड एवं नियंत्रण प्रणालियां, सीमा सुरक्षा और सेंसरों अर्थात् रेडार, सोनार, थर्मल चित्रित रेडियोग्राफी, आप्ट्रोनिक्स और रात्रि-दृष्टि, उप-प्रणाली और संबंधित प्रणालियों सहित निगरानी की अभिकल्पना, विकास, निर्माण और उन्नयन।
37.	मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड डी आई एल : 84 (2006) दिनांक : 29.11.2006	सैन्य श्रेणी के उत्पादों जैसे कि डिस्पले कंसोल, पुराने कंप्यूटर्स वर्क स्टेशन सर्वर, ऑन बोर्ड कंप्यूटर, जी पी एस रिसीवर, प्रिंटर्स, डाकूमैंट/बायोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम आदि की डिजाइन, विकास, निर्माण एवं उन्नयन।
38.	मैसर्स अल्फा डिजाइन प्रौद्योगिकी प्रा.लि. डी आई एल : 1 (2007) दिनांक : 5.3.2007	राडार प्रणाली, उसके हिस्से-पुर्जे एवं सहायक उपकरण यथा रडार प्रणालियां और उसके हिस्से-पुर्जे यथा भू-आधारित, वायु वाहित एवं नौसेना रडार, उनके समुन्नत एवं उनके संघटकों/उप प्रणालियां आदि का निर्माण।
39.	मैसर्स अस्त्रा माइक्रोवेव प्रॉडक्ट्स लि. डी आई एल : 26 (2007) दिनांक : 28.6.2007	वायरलेस संचार के लिए माइक्रोवेव उप प्रणालियों और घटकों का निर्माण
40.	मैसर्स जुपिटर स्ट्रेटिजिक प्रौद्योगिकी प्रा.लि. डी आई एल : 27 (2007) दिनांक : 28.6.2007	(क) इलेक्ट्रानिक युद्ध पद्धति, (ख) संचार प्रणालियों, (ग) रडार एवं वैमानिकी प्रणालियों, (घ) कमांड एवं कंट्रोल प्रणालियों, (ङ) निगरानी एवं पहुंच नियंत्रण प्रणालियों का निर्माण।
41.	मैसर्स वैम प्रौद्योगिकी प्रा.लि. डी आई एल : 29 (2007) दिनांक : 30.7.2007	राकेटों एवं मिसाइलों के लिए गाइडेंस एवं कंट्रोल प्रणालियों, इलेक्ट्रानिक, वैमानिकी एवं पावर आपूर्तियों का निर्माण।
42.	मैसर्स वैम प्रौद्योगिकी प्रा.लि. डी आई एल : 30 (2007) दिनांक : 30.7.2007	आयुध इलेक्ट्रानिकी, सुरक्षा प्रणालियों और पावर आपूर्तियों का निर्माण।
43.	मैसर्स डाटा पैटर्न (इंडिया) प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 31 (2007) दिनांक : 30.7.2007	वायुवाहित अनुप्रयोगों जैसे कि उड़ान नियंत्रण कंप्यूटरों, डिसप्ले आदि के लिए वैमानिकी एवं इलेक्ट्रानिकी प्रणालियों की डिजाइन का विकास एवं निर्माण।
44.	मैसर्स जेन प्रौद्योगिकी लिमिटेड डी आई एल : 32 (2007) दिनांक : 31.7.2007	ग्रिपेन फ्लाइट सिमुलेटर आदि का निर्माण।
45.	मैसर्स एच बी एल पावर सिस्टम लिमिटेड डी आई एल : 33 (2007) दिनांक : 31.7.2007	रात्रि दृष्टि के उपकरणों, इंटेंसीफायर, थर्मल इमेजर्स और उनके हिस्से पुर्जों का निर्माण।
46.	मैसर्स ईओएन इंफोटेक लिमिटेड डी आई एल : 34 (2007) दिनांक : 31.7.2007	कंप्यूटर आधारित अग्नि नियंत्रण प्रणालियों, कमान और नियंत्रण प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति प्रणालियों, जी पी एस आधारित लोकेशन ट्रेकिंग प्रणालियों, आर एफ एवं सेल फोन जैमरों का निर्माण।

1	2	3
47.	मैसर्स पुंज लायड लिमिटेड डी आई एल : 35 (2007) दिनांक : 11.9.2007	बन्दूक, राकेट एवं मिसाइल आर्टिलरी सिस्टमों एवं संबंधित उपस्करों आदि का निर्माण।
48.	मैसर्स एलन रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक्स प्रा.लि. डी आई एल : 36 (2007) दिनांक : 11.9.2007	पानी/सागर के अन्दर सुरंगों आदि का निर्माण।
49.	मैसर्स डाटा पैटर्न (इंडिया) प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 37 (2007) दिनांक : 11.9.2007	ऑटोमेटिक टेस्ट उपस्करों की डिजाइन, विकास एवं निर्माण, जिसमें अपग्रेड भी शामिल हैं।
50.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 39 (2007) दिनांक : 11.9.2007	जल के भीतर शस्त्र प्रणाली एवं नियंत्रण और उनके घटकों का निर्माण।
51.	मैसर्स डाटा पैटर्न (इंडिया) प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 40 (2007) दिनांक : 11.9.2007	पोत वाहित अनुप्रयोगों तथा ग्राउंड वेपन सिस्टमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की डिजाइन, विकास एवं निर्माण-स्थैतिक एवं चल दोनों जैसेकि अग्निशमन सिस्टम, टोरपीडो कंट्रोल सिस्टम आदि।
52.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 41 (2007) दिनांक : 11.9.2007	थलसेना, वायुसेना एवं पैरामिलटरी बलों के लिए सभी तरह की बन्दूकों जिसमें फील्ड गन, वायु रक्षा गन, मोर्टार शामिल है, का निर्माण।
53.	मैसर्स डाटा पैटर्न (इंडिया) प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 42 (2007) दिनांक : 12.9.2007	यू ए वी, मिसाइल, आर्मामेंट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रानिक सिस्टम का डिजाइन, विकास एवं निर्माण जिसमें उन्नतिकरण भी शामिल हैं।
54.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 43 (2007) दिनांक : 12.9.2007	हथियारबहंद एवं कम्बैट गाड़ियों का निर्माण जिसमें संबंधित प्रणालियों, उप प्रणालियों हिस्से-पुर्जों जैसे कि टरेट्स माउन्ट थार्मोप्रेस्ड हिस्से-पुर्जे शामिल है का निर्माण।
55.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 44 (2007) दिनांक : 12.9.2007	कम्बैट गाड़ियों पर ब्रिज लेइंग सिस्टम का निर्माण।
56.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 45 (2007) दिनांक : 12.9.2007	कंट्रोल सिस्टमों (इलेक्ट्रानिक/हाइड्रालिक) का निर्माण हथियारबंद/कम्बैट गाड़ियों/संबंधित हथियार सिस्टमों के लिए।
57.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 46 (2007) दिनांक : 12.9.2007	सभी किस्म के हथियार फायर कंट्रोल सिस्टमों, वैमानिकी, रेडियो संचार, इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली का निर्माण।
58.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 47 (2007) दिनांक : 12.9.2007	सभी रक्षा सेनाओं और पैरा मिलिटरी बलों के लिए गाड़ियों, प्लेटफार्म, रडार, हथियार, मिसाइल आदि के लिए सभी किस्म के सिमुलेटर्स, कंप्यूटर आधारित ट्रेनरों का निर्माण।

1	2	3
59.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 48 (2007) दिनांक : 12.9.2007	पोत नियंत्रण प्रणाली का निर्माण जिसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आई पी एम एस) शामिल हैं, का निर्माण।
60.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 49 (2007) दिनांक : 12.9.2007	रडारों और संबंधित प्रणालियों का निर्माण।
61.	मैसर्स सामटेल डिसप्ले लिमिटेड डी आई एल : 51 (2007) दिनांक : 13.9.2007	बहु कार्य डिस्प्ले आदि का निर्माण।
62.	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डी आई एल : 54 (2007) दिनांक : 13.9.2007	प्रणोदित प्रणाली का निर्माण जिसमें पोत, पनडुब्बियां एवं पेट्रोल रिसर्च व्हिकल के लिए शाफ्टिंग ए एवं पी बेकिट्स शामिल है।
63.	मैसर्स एच बी एलएल्टा एविओनिक्स सिस्टम प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 57 (2007) दिनांक : 14.9.2007	रडारों एवं हिस्से-पुर्जों आदि का निर्माण।
64.	मैसर्स मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड डी आई एल : 58 (2007) दिनांक : 20.9.2007	एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट/स्पेस एयरक्राफ्ट का निर्माण।
65.	मैसर्स एच बी एल पावर सिस्टम्स लिमिटेड डी आई एल : 62 (2007) दिनांक : 9.10.2007	इलेक्ट्रानिक फ्यूजों (रिक्त) का निर्माण।
66.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 63 (2007) दिनांक : 10.10.2007	अत्याधुनिक नेटवर्क केन्द्रित वारफेयर एम्बुलेंस यथा युद्ध क्षेत्र ट्रान्सेरेन्सिस यंत्रों आदि की डिजाइन, विकास, निर्माण असेंबली/सिस्टम इंटीग्रेशन।
67.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 64 (2007) दिनांक : 10.10.2007	ग्राउंड नेवल अनुप्रयोगों आदि के लिए हथियार सिस्टम राकेट और मिसाइल लांचरों की डिजाइन, विकास एवं निर्माण एकत्रित करना एवं उन्नयन।
68.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 65 (2007) दिनांक : 10.10.2007	एम आई एल (मिलिटरी ग्रेड) उत्पादों आदि का डिजाइन, विकास, निर्माण, समन्वायोजन, रग्डाइजेशन और समुन्नतिकरण आदि।
69.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 66 (2007) दिनांक : 11.10.2007	इलेक्ट्रानिक बारफेयर सिस्टम का डिजाइन, विकास, निर्माण (स्टैंडएलोन एवं इंटिग्रेटेड), सेना, नौसेना, वायुसेना आदि के लिए ई एम आई/ई एम सी।

1	2	3
70.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 67 (2007) दिनांक : 11.10.2007	ग्राउन्ड, नेवी एवं वायु कम्बैट सिस्टम आदि का डिजाइन, विकास, निर्माण एवं असेंबली।
71.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 68 (2007) दिनांक : 11.10.2007	वायु रक्षा गनों आदि का डिजाइन, विकास, निर्माण असेंबली एवं उन्नतिकरण।
72.	मैसर्स तारा सिस्टम्स एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड डी आई एल : 69 (2007) दिनांक : 11.10.2007	वैमानिकी, वायु, संवहनीय असेंबलीय आदि का डिजाइन, विकास, निर्माण, असेंबली एवं उन्नतिकरण।
73.	मैसर्स वी ई एम टैक्नालाजिस प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 70 (2007) दिनांक : 30.10.2007	असेंबली का निर्माण, हथियार एवं गोलाबारूद (राकेट एवं मिसाइलों) आदि का एकसीधरण एवं बहिर्गमन।
74.	मैसर्स हाई एनर्जी बैटरीज (इंडिया) लिमिटेड डी आई एल : 3 (2008) दिनांक : 15.2.2008	सिल्वर जिंक बैटरियों आदि का निर्माण।
75.	मैसर्स रेडिऐंट केबल्स प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 6 (2008) दिनांक : 18.2.2008	इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक तारों/केबलों एवं केबल असेंबिलयों एवं बाहर के वायर/एलॉय उत्पादों का निर्माण।
76.	मैसर्स सैक प्राइवेट लिमिटेड डी आई एल : 7 (2008) दिनांक : 19.2.2008	मिसाइल सिस्टमों के समेकन सामग्रियों का निर्माण (जिसमें मिसाइल इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स विस्फोटक, अग्नि से संबंधित यंत्र, हाइड्रालिक्स, न्यूमेटिक्स एवं अन्य इलेक्ट्रो मेकेनिकल सिस्टम का विनिर्माण।
77.	मैसर्स एच सी एल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड डी आई एल : 8 (2008) दिनांक : 19.2.2008	रक्षा उपयोगों के लिए विमान वाहित एवं भूमि आधारित इलेक्ट्रानिक्स सिस्टमों की डिजाइन विकास, निर्माण एवं एसेंबली उन्नतिकरण।
78.	मैसर्स सैक इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड डी आई एल : 4 (2008) दिनांक : 18.2.2008	रेवेटेड एवं वेल्डेड एयरफ्रेम सेक्शनों का निर्माण जैसे कि नोज कोन, स्पेस फ्रेम, स्टीफेन्ड सिलिन्ड्रिकल सेक्शन, विंग्स एवं फिन्स, कंट्रोल सर्फेस मेकेनिज्म आदि।
79.	मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड डी आई एल : 2 (2008) दिनांक : 15.2.2008	कस्टम मेमोरी मोड्यूल आदि के दस प्रकारों का निर्माण।
80.	मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डी आई एल : 1 (2008) दिनांक : 15.2.2008	भारतीय नौसेना के लिए पोतवाहित कोमिंट/वाइड बैंड डाइरेक्शन रेंज का निर्माण।
81.	मैसर्स गोदरेज एंड बॉएस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड डी आई एल : 24 (2008) दिनांक : 26.3.2008	राकेट इंजन/प्रमुख सब असेंबलियों का निर्माण।

1	2	3
82.	मैसर्स एस एम पल्प पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 38 (2008) दिनांक : 31.3.2008	बुलेट प्रुफ वेस्ट/जैकेट आदि का निर्माण।
83.	मैसर्स वेर्डेन्ट टेलिमिटरी डी आई एल : 44 (2008) दिनांक : 31.3.2008	वायुयान वाहित एन्टीनाओ, राडोमेस, कम्पोजिट, कंपोनेंट्स टेलीमेट्री ट्रांससीमर्स।
84.	मैसर्स माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 43 (2008) दिनांक : 31.3.2008	आर्टिलरी, शैलों, मोर्टर बम, ग्रेनेड और इसी तरह की कुछ सामग्रियों के लिए खाली फ्यूज।
85.	मैसर्स गोदरेज एंड बॉएस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड डी आई एल : 42 (2008) दिनांक : 31.3.2008	मिसाइल लांचर एवं तारपीडो लांचर।
86.	मैसर्स डेफ्सिस सोल्यूशंस प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 41 (2008) दिनांक : 31.3.2008	वैमानिकी/रक्षा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का विकास, समेकन एवं निर्माण।
87.	मैसर्स वैक्ट्रा इंजीनियरिंग मैटिरियल प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 53 (2008) दिनांक : 7.4.2008	आप्टिकल गुड्स एवं उपस्करों/आप्टीकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात् नाइट विजन बाइनाकुलर्स, मोनोकुलर नाइट विजन उपकरणों, रिफ्लेक्स साइट्स, एमिंग उपकरण थर्मल इमैजिंग साइट्स आदि।
88.	मैसर्स मेलट्रॉनिक्स सिस्टम प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 54 (2008) दिनांक : 9.4.2008	इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम का निर्माण (हाई ॲन्ड आटोमेटेड टेस्ट उपकरण, डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टम आदि)।
89.	मैसर्स एलिगेटर डिजाइन प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 55 (2008) दिनांक : 9.4.2008	मिलिटरी क्वालीफायड राइफल साइट का निर्माण।
90.	मैसर्स वैक्ट्रा इंजीनियरिंग मैटिरियल प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 52 (2008) दिनांक : 8.4.2008	विमान वहनीय एसेंबलियों और एयरक्राफ्ट एवं हेलीकाप्टर के लिए ग्राउन्ड बेस्ड उपस्करों की डिजाइन, विकास, समेकन एवं निर्माण।
91.	मैसर्स इन्फ्रा पोलिटेक डी आई एल : 63 (2008) दिनांक : 1.7.2008	10 एयरक्राफ्टों के लिए एयरक्राफ्ट एल सी ए एफ आई एन के हिस्से पुर्जे एवं एसेसरीज, रडर, विंग, फेयरिंगस, कवर दरवाजों, फ्लोर बोर्ड एवं श्राउड आदि का निर्माण।
92.	मैसर्स सेमटेल एच ए एल डिस्प्ले सिस्टम्स प्रा.लि. डी आई एल : 64 (2008) दिनांक : 2.7.2008	बहु कार्य डिस्प्ले आदि, हैडअप डिस्प्ले, हेलमेट माउन्टेड डिस्प्ले।

1	2	3
93.	मैसर्स रोलटा इंडिया लिमिटेड डी आई एल : 65 (2008) दिनांक : 2.7.2008	मैरीटाइम उपस्करों की डिजाइन, विकास, निर्माण, कस्टमाइज्ड एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, फैब्रीकेट, निर्माण, मरम्मत, रिकंडीशन एवं नवीकरण।
94.	मैसर्स रोलटा इंडिया लिमिटेड डी आई एल : 66 (2008) दिनांक : 2.7.2008	संचार सिस्टमों आदि की डिजाइन, विकास, निर्माण, कस्टमाइज्ड एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, फैब्रीकेट, निर्माण, मरम्मत, रिकंडीशन एवं नवीकरण।
95.	मैसर्स रोलटा इंडिया लिमिटेड डी आई एल : 67 (2008) दिनांक : 2.7.2008	एरो सिस्टम आदि की डिजाइन, विकास, निर्माण, कस्टमाइज्ड एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, फैब्रीकेट, निर्माण, मरम्मत, रिकंडीशन एवं नवीकरण।
96.	मैसर्स रोलटा इंडिया लिमिटेड डी आई एल : 68 (2008) दिनांक : 2.7.2008	इलेक्ट्रानिक वारफेयर (युद्ध-पद्धति) आदि की डिजाइन, विकास, निर्माण, कस्टमाइज्ड एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, फैब्रीकेट, निर्माण, मरम्मत, रिकंडीशन एवं नवीकरण।
97.	मैसर्स रोलटा इंडिया लिमिटेड डी आई एल : 68 (2008) दिनांक : 2.7.2008	आप्टो इलेक्ट्रानिक मदों समेत सभी किस्म के सेंसरों की डिजाइन, विकास, निर्माण, एसेंबली, इंटीग्रेशन, फैब्रीकेट, निर्माण, मरम्मत, रिकंडीशन एवं नवीकरण।
98.	मैसर्स एयरबोर्न कम्पोनेंट्स रिपेयर्स सर्विसिज प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 70 (2008) दिनांक : 2.7.2008	एरो इंजन हिस्से-पुर्जों तथा एसेसरी एवं वैमानिक घटक।
99.	मैसर्स जिस्नू कम्यूनिकेशंस लिमिटेड सर्विसिज प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 71 (2008) दिनांक : 2.7.2008	सेटेलाइट यू ए वी मिसाइल आदि जैसे मूविंग आब्जेक्ट ट्रैकिंग अनुप्रयोग के लिए ट्रैकिंग एवं टेलीमेट्री प्रणाली।
100.	मैसर्स ई सी आई एल डी आई एल : 74 (2008) दिनांक : 3.7.2008	ग्राउंड एयर नौसेना अनुप्रयोगों आदि के लिए माइक्रोवेव के माध्यम से एच एफ समेत रेडियो संचार प्रणाली।
101.	मैसर्स एस ई सी इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 75 (2008) दिनांक : 14.8.2008	एयर लांच मिसाइलों के लिए स्थैतिक एवं मोबाइल लांचर (शार्ट, मीडियम एवं लोंग रेंज) राकेट, बम एवं गोलाबारूद एवं पी टी ए एस भूमि व पोत आधारित जिसमें सबसिस्टम एवं अपग्रेड शामिल हैं।
102.	मैसर्स एल एंड टी लिमिटेड डी आई एल : 76 (2008) दिनांक : 14.8.2008	एयरक्राफ्ट (ख) अन्य मेटल उत्पादों (रडारों के हिस्से पुर्जे) के लिए हिस्से पुर्जे।
103.	मैसर्स सिका इंटरप्लांट लिमिटेड डी आई एल : 77 (2008) दिनांक : 14.8.2008	एयरोस्पेस हिस्से-पुर्जे एवं मानक हिस्से पुर्जे जिसमें एयरो/मिल स्पेशीफिकेशनों आदि के अनुसार शामिल हैं।

1	2	3
104.	मैसर्स एवेन्टल सॉफ्टेक लिमिटेड डी आई एल : 78 (2008) दिनांक : 14.8.2008	ई सी एम उपस्कर एवं ई डब्ल्यू सिस्टम आदि के जैमर आदि।
105.	मैसर्स आई सी ओ एम एम टेली लिमिटेड डी आई एल : 79 (2008) दिनांक : 14.8.2008	जमीन व जमीन से हवा आदि के लिए निर्धारित आवृत्ति एवं आवृत्ति हापिंग की स्थापना।
106.	मैसर्स ई सी आई सी एस डी आई एल : 80 (2008) दिनांक : 18.8.2008	इलेक्ट्रोनिक फ्यूज।
107.	मैसर्स कंट्रोल एंड स्विचर कंपनी लिमिटेड डी आई एल : 81 (2008) दिनांक : 18.8.2008	समेकित एल 79 गन, आप्ट्रोनिक्स एवं फायर कंट्रोल एवं फाइल कंट्रोल सिस्टम के साथ।
108.	मैसर्स एलिगेटर डिजाइन प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 82 (2008) दिनांक : 18.8.2008	मिलिटरी क्वालीफायड एल सी डी मानिटर्स/डिस्प्ले।
109.	मैसर्स एलिगेटर डिजाइन प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 83 (2008) दिनांक : 18.8.2008	मिलिटरी क्वालीफायड रग्ड कंप्यूटर।
110.	मैसर्स संदीप मेटलक्राफ्ट प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 85 (2008) दिनांक : 18.9.2008	गन, मोर्टार, मिसाइल, प्राइमर्स, बम बोडीज एवं ग्रेनेडों के लिए रिक्त सम्बध में यांत्रिक फ्यूज।
111.	मैसर्स मिलटेक इलेक्ट्रानिक डिफेंस सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 86 (2008) दिनांक : 18.9.2008	राइफल, कार्बाइन और एल एम जी के लिए स्प्रिंग सहित प्लास्टिक मैगजीन असेम्बली।
112.	मैसर्स अल्फा इलेक्ट्रानिक्स डिफेंस सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 87 (2008) दिनांक : 18.9.2008	ग्राउंड, एयर और पोत आधारित प्लेटफार्मों के लिए इलेक्ट्रानिक युद्ध-पद्धति उपस्कर एवं प्रणालियों की असेम्बली और मरम्मत।
113.	मैसर्स क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्यूफैक्टरिंग प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 88 (2008) दिनांक : 18.9.2008	एरो इंजिन कंपोनेंट आदि।
114.	मैसर्स मर्लिनहॉक एयरोस्पेस प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 89 (2008) दिनांक : 18.9.2008	इलेक्ट्रॉन पावर पैक आदि।

1	2	3
115.	मैसर्स ऑटोटेक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड डी आई एल : 90 (2008) दिनांक : 18.9.2008	फ्लाइट कंट्रोल, कंप्यूटर, संचार प्रणाली, डाटा स्टोरेज, कंट्रोल इलेक्ट्रानिक्स वैमानिक अनुप्रयोगों के लिए डाटा संसाधन, कंप्यूटर एवं संचार प्रणाली नौवहन एवं गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों आदि के लिए।
116.	मैसर्स आई सी ओ एम एम टेली लिमिटेड डी आई एल : 91 (2008) दिनांक : 18.9.2008	एम आई एल ग्रेड उत्पादों आदि का डिजाइन, विनिर्माण।
117.	मैसर्स आई सी ओ एम एम टेली लिमिटेड डी आई एल : 92 (2008) दिनांक : 19.9.2008	महत्वपूर्ण एल एफ/वी एल एफ/एच एफ/वी एच एफ/यू एच एफ इलेक्ट्रानिक प्रणालियों आदि का डिजाइन, विकास और विनिर्माण।
118.	मैसर्स आई सी ओ एम एम टेली लिमिटेड डी आई एल : 93 (2008) दिनांक : 19.9.2008	महत्वपूर्ण प्रणालियों एवं उप प्रणालियों आदि का विनिर्माण एवं इन-व्हिकल एकीकरण।

ग्लोबल हंगर इंडैक्स रैंकिंग

2340. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा दी गई 'ग्लोबल हंगर इंडैक्स' रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया;

(ख) उक्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में भूख की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में वर्ष 1990-2015 के बीच देश में व्याप्त भूख को कम करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट 2008 के अनुसार 88 देशों में भारत का स्थान 66वां है।

(ख) इंडिया हंगर इंडैक्स के अन्तर्निहित घटक और इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट, 2008 वास्तव में वर्ष 2006 की है और 3 विभिन्न समय रेखाओं में फैली हुई 3 घटकों पर आधारित है; अर्थात् घटक (1) कुपोषित आबादी का अनुपात, 2002-04; घटक (2) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का कम वजन, 2001-06; और घटक (3) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 2006। इन तीनों घटकों को एक समान रूप से लागू नहीं किया गया है इसलिए वर्ष 2006 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट-2008 में ग्लोबल हंगर इंडैक्स के निष्कर्ष सीमित हो गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट-2007 में ग्लोबल हंगर इंडैक्स 2003 में भारत का आंकड़ा 25.73 था जबकि 1981 में वह 41.23 था। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट 2008 ग्लोबल हंगर इंडैक्स के आंकड़े में सुधार हुआ है और यह 23.7 है जिससे 2007 में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा सूचित भारत का स्थान 99 से सुधर कर 2008 में 66 हो गया है।

खाद्य सुरक्षा और जनता के पोषाहार स्तर में सुधार करने के उपचारात्मक उपायों के रूप में सरकार विभिन्न कार्यक्रम/स्कीम क्रियान्वित करती है ताकि उचित मूल्यों पर अपेक्षित खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए केन्द्रीय पूल से सरकार द्वारा राजसहायता

प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत बाल विकास स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, ग्रामीण अनाज बैंक योजना, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम, छात्रावासों और कल्याण संस्थाओं के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की स्कीम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम जैसी कई कल्याण स्कीमें भी क्रियान्वित करती है। ये कार्यक्रम और स्कीमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की प्रतिभागिता में क्रियान्वित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक योजना के रूप में सरकार ने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) कृषि के सम्पूर्ण विकास और खाद्यान्न सहित सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 25000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है ताकि 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि हासिल की जा सके।

(2) चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ताकि 11वीं योजना के अंत तक देश में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि की जा सके। 11वीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन कवर किए गए जिलों से इतर जिलों में मैक्रो प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन गेहूं आधारित फसल प्रणाली के संबंध में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम चल रहा है।

विवरण

आई.एफ.पी.आर.आई. रिपोर्ट 2008 - इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स और इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स स्कोर के उल्लिखित घटक

राज्य	कैलरी का अल्पपोषण (3)	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आवश्यकता से कम वजन का अनुपात (2)	प्रति 100 पर यथा सूचित मृत्यु के अनुसार 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर (1)	इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स स्कोर	इंडिया हंगर इंडैक्स रैंकिंग
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	19.6	32.7	6.3	19.53	3
असम	14.6	36.4	8.5	19.83	4
बिहार	17.3	56.1	8.5	27.30	15
छत्तीसगढ़	23.3	47.6	9	26.63	14
गुजरात	23.3	44.7	6.1	24.70	13
हरियाणा	15.1	39.7	5.2	20.00	5
झारखण्ड	19.6	57.1	9.3	28.67	16
कर्नाटक	28.1	37.6	5.5	23.73	11
केरल	28.6	22.7	1.6	17.63	2
मध्य प्रदेश	23.4	59.8	9.4	30.87	17

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	27	36.7	4.7	22.80	10
उड़ीसा	21.4	40.9	9.1	23.80	12
पंजाब	11.1	24.6	5.2	13.63	1
राजस्थान	14	40.4	8.5	20.97	7
तमिलनाडु	29.1	30	3.5	20.87	6
उत्तर प्रदेश	14.5	42.3	9.6	22.13	9
पश्चिम बंगाल	18.5	38.5	5.9	20.97	8
भारत	20	42.5	7.4	23.30	

नोट:

1. स्रोत: एनएफएचएस-3 राष्ट्रीय रिपोर्ट (2005-06 आंकड़े, रिपोर्ट 2007 में प्रकाशित)
2. स्रोत: एनएफएचएस-3 अंतिम डाटा सेट (2005-06); लेखक की गणना
3. स्रोत: एनएसएसओ 61वां दौर (2004-05); लेखक की गणना

नोट: इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स से अभिप्राय इंडिया स्टेट हंगर इंडैक्स को ग्लोबर हंगर इंडैक्स 2008 के साथ तुलना के योग्य बनाए जाने के लिए 1632 किलो कैलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन की कैलरी के अल्प पोषण की कट-आफ का उपयोग करते हुए गणना किए गए इंडैक्स से है। इस कट-आफ का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए आईएसएचआई स्कोर 23.3 है और किसी भी कैलरी कट-आफ की तुलना में भारत के लिए जीएचआई 2008 के स्कोर 23.7 के ज्यादा निकट है।

[हिन्दी]

पैकेजबंद उत्पादों के लिए विनियमन

2341. श्री अधीर चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पैकेजबंद उत्पादों की बिक्री को शासित करने वाले नियमों और विनियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में संशोधन समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन प्राधिकारियों, उद्योगों और व्यापार एवं उद्योग एसोसिएशन जैसे पणधारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किए जाते हैं। भविष्य में जब भी आवश्यक समझा जाएगा, नियमों में संशोधन किए जाएंगे।

सिंचित कृषि भूमि

2342. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र निहित देश में सिंचित कृषि भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी वर्षों में देश में कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा; और

(ङ) सतही जल द्वारा कितनी प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कृषि मंत्रालय के भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश में सिंचित कृषि भूमि (निवल सिंचित क्षेत्र) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) दसवीं योजना के अंत तक निर्मित की गई कुल सिंचाई क्षमता 102.7 मि.है. का आकलन किया गया है। ग्यारहवीं योजना में 16 मि.है. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण की योजना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 9 मि.है. तथा लघु सिंचाई स्कीमों से 7 मि.है. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण भी शामिल है। लगभग 55 प्रतिशत निर्मित सिंचाई क्षमता सतही जल का उपयोग करने वाली परियोजनाओं/स्कीमों द्वारा किया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र

(हजार है.)

राज्य	निवल सिंचित क्षेत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	4392
अरुणाचल प्रदेश	44
असम	140
बिहार	3034
छत्तीसगढ़	1248
गोवा	24
गुजरात	3388
हरियाणा	2936
हिमाचल प्रदेश	105
जम्मू-कश्मीर	311
झारखण्ड	164
कर्नाटक	2970
केरल	401
मध्य प्रदेश	5681
महाराष्ट्र	3296
मणिपुर	51
मेघालय	55
मिजोरम	16
नागालैंड	67
उड़ीसा	1846
पंजाब	4038
राजस्थान	6294
सिक्किम	6
तमिलनाडु	2920
त्रिपुरा	61
उत्तराखंड	345
उत्तर प्रदेश	13175
पश्चिम बंगाल	3135
दिल्ली	24
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
चंडीगढ़	1
दादरा और नगर हवेली	7
दमन और दीव	1
लक्षद्वीप	1
पुडुचेरी	18
कुल भारत	60196

[अनुवाद]

जल प्रभार

2343. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति, 2006 के तहत यह प्रावधान है कि विभिन्न उपयोगों के लिए जलप्रभार इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि प्रारम्भ में इनमें सेवा उपलब्ध कराने के प्रचालन और रखरखाव प्रभाव शामिल हों तथा तत्पश्चात् पूंजी लागत का एक भाग शामिल हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में यह उल्लेख किया गया है कि इस बात को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार इस प्रकार निर्धारित किये जाएं कि उनमें प्रारंभ में कम से कम सेवा उपलब्ध कराने के प्रचालन और रखरखाव प्रभार शामिल हों तथा तत्पश्चात् पूंजी लागत का एक भाग शामिल हो। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में इसके आगे उल्लेख किया गया है कि इन दरों को उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता से सीधे तौर पर जोड़ा जाना चाहिए और जल दरों पर सब्सिडी समाज के वंचित और गरीब वर्गों तक उचित प्रकार से पहुंचाई जाए और यह पारदर्शी हो। राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई राज्य जल नीतियों में भी इस संबंध में आवश्यक प्रावधान है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा जल दरों में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की गई है।

[हिन्दी]

बुनकरों द्वारा आत्महत्या

2344. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री के.एस. राव:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिपोर्टों के अनुसार हाल में आंध्र प्रदेश सहित कुछ कितने राज्यों में बुनकरों ने आत्महत्या की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश में बुनकरों की राज्यवार औसत वार्षिक आय कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और अन्य संरचनाओं ने केन्द्र सरकार से बुनकरों के ऋण का निपटान करने के लिए राज्यों को ऋण राहत/माफी पैकेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा कितनी धनराशि की मांग की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) बुनकरों की अर्जन स्थिति में सुधार लाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं से राज्यवार कितने बुनकरों को लाभ पहुंचा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल 2007 से सितंबर 2008 की अवधि के दौरान बुनकरों द्वारा केवल आत्महत्या की निम्नलिखित राज्यों द्वारा सूचना दी गई है:-

राज्य	बुनकरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	38
केरल	2
उड़ीसा	1
उत्तर प्रदेश	2

वित्तीय समस्या, लाईलाज बीमारी और देशी शराब की लत आदि आत्महत्या के कारण बताए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी और औसत मजदूरी राज्य-दर-राज्य और समूह-दर-समूह में भिन्न-भिन्न है। न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समूह मजदूरी, प्रौद्योगिकी स्तर, करघा उत्पादकता, बाजार प्रवृत्ति और श्रम की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) सरकार को राज्य सरकारों/संस्थाओं से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र में उच्च कार्यशील पूंजी और ऋण श्रृंखला के अवरुद्ध होने की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंध निदेशक, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। हथकरघा क्षेत्र के लिए 2600 करोड़ रु. के वित्तीय पैकेज अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस वित्तीय पैकेज में निम्नलिखित उपलब्ध होंगे:-

(1) हथकरघा बुनकरों/सोसाइटियों की ऋण आवश्यकताओं को 7% ब्याज दर पर पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता।

(2) हथकरघा बुनकरों/पीडब्ल्यूसी/शीर्ष सोसाइटियों के काफी समय से बकाया ऋणों और ब्याज की माफी।

(ङ) भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अवसंरचनात्मक इनपुट एवं वितरण सहायता से बुनकरों की कार्यकुशलता बढ़ाकर उनकी आय एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर को बढ़ाने तथा उत्पादन, उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

हथकरघा क्षेत्र

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक योजना

(4) मिल गेट मूल्य योजना

(5) विविधिकृत हथकरघा विकास योजना।

विद्युतकरघा क्षेत्र

(1) विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एकीकृत योजना

(2) संशोधित समूह कार्यशाला योजना

(3) विद्युतकरघा कामगारों की समूह बीमा योजना

(4) 20% ऋण संबद्ध पूंजी रियायत।

सरकार ने विशेषकर विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र की सहायता के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत 20% ऋण संबद्ध पूंजी योजना कार्यान्वित की है। यह योजना केवल लघु उद्योग क्षेत्र के विद्युतकरघों के लिए लागू है।

(च) सरकार, विद्युतकरघा कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 1 जुलाई, 2003 से समूह बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को जनवरी 2008 के बाद से और अधिक लाभों के साथ संशोधित किया गया था। यह योजना सभी राज्यों में लागू है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत शामिल किए गए कामगारों की संख्या नीचे दी गई है-

वर्ष	नामावली में कामगारों की संख्या
2005-06	96,396
2006-07	94,051
2007-08	1,21,937

विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं द्वारा लाभान्वित हुए हथकरघा बुनकरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	स्वास्थ्य बीमा योजना		महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	
	2007-08	2008-09 (अक्तू. 08 तक)	2007-08	2008-09 (अक्तू. 08 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	127594	19406	83590	34487
अरुणाचल प्रदेश	12318	608	–	–
असम	464635	54180	16490	22884
बिहार	7783	23146	4100	498
छत्तीसगढ़	–	3354	2407	1447
दिल्ली	289	–	348	647
गुजरात	1341	1752	2128	177
हरियाणा	–	22500	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	8655	610	4891
जम्मू-कश्मीर	–	336	493	394
झारखंड	23000	5155	–	–

1	2	3	4	5
कर्नाटक	40437	11556	46784	31131
केरल	5974	6404	7314	6304
मध्य प्रदेश	21368	760	3409	1142
महाराष्ट्र	–	1186	719	192
मणिपुर	18866	24881	–	–
मेघालय	17000	22099	–	–
मिजोरम	–	216	–	–
नागालैंड	–	8783	–	–
उड़ीसा	45812	8210	13857	8628
राजस्थान	2047	4078	4291	1643
सिक्किम	–	170	–	–
तमिलनाडु	284646	17747	205102	–
त्रिपुरा	24003	9936	–	–
उत्तर प्रदेश	431921	66908	14350	13193
उत्तरांचल	–	6930	863	901
पश्चिम बंगाल	245000	51314	59529	10253
कुल	1774034	380171	466484	138812

[अनुवाद]

श्वेत क्रांति

2345. श्री पी.सी. गद्दीगठडर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत दुग्ध के उत्पादन में पहले स्थान पर है;

(ख) क्या देश में गरीब कृषकों को सहायता देने के उद्देश्य से दुग्ध के अधिक उत्पादन हेतु ऊंटों पर कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र स्वदेशी ऊंटों के आनुवंशिक उन्नयन, आहार प्रौद्योगिकी, रोग प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आदि के संबंध में अनुसंधान कर रहा है। इसके अलावा, यह संस्थान ऊंट के दूध के मूल्य वर्धन पर कार्य कर रहा है तथा ऊंट पालकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इससे ऊंट के दूध की कुल्फी, चीज़ आदि जैसे कुछ ऊंट के दूध से बने मूल्यवर्धित उत्पादों को विकसित किया है। यह संस्थान ऊंट के दूध को लोकप्रिय बना रहा है तथा इसने राजस्थान डेयरी संघ के बिक्री केंद्रों पर इस दूध की बिक्री के लिए इस संघ के साथ सहयोग भी किया है।

कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्न

2346. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एफसीआई द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरण हेतु मंत्रालयवार और योजनावार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या एफसीआई द्वारा ऐसे खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण विभिन्न मंत्रालयों पर अत्यधिक धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालयवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एफसीआई द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इनमें से प्रत्येक मंत्रालय से बकाया राशि वसूल करने के लिए एफसीआई द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण स्कीमों के अधीन वितरण करने के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदान किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विभिन्न मंत्रालयों के प्रति 30.11.2008 की स्थिति के अनुसार लंबित बकाया राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मूलधन	-	208.29 करोड़ रुपये
ब्याज	-	2,020.70 करोड़ रुपये
जोड़	-	2,228.99 करोड़ रुपये

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूलधन	-	10,390.82 करोड़ रुपये
ब्याज	-	10,697.00 करोड़ रुपये
जोड़	-	21,087.82 करोड़ रुपये

3. विदेश मंत्रालय - 42.14 करोड़ रुपये

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालय से भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(आंकड़े करोड़ रुपये)

वर्ष	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	विदेश मंत्रालय
2004-05	3000.96	1365.02	185.76
2005-06	17568.37	1043.31	
2007-08	2076.53	750.04	

संबंधित मंत्रालयों से बकाया शेष राशि वसूल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के जरिए सहित नियमित रूप से इस मामले को उठाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बकाया राशि का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए 16,200 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूति जारी की गई थी।

विवरण

विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत आवंटन और उठान दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन)

स्कीम का नाम	2005-06				2006-07				2007-08			
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
	गेहूं		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं		चावल	
1	2		3		4		5		6		7	
मिड डे मील	472.45	363.28	1777.87	1364.59	437.73	349.66	1722.38	1306.19	474.04	394.64	1849.78	1441.34

1	2		3		4		5		6		7	
एसजीआरवाई	2146.64	2128.68	3154.52	3163.75	665.97	497.62	1748.45	1759.82	487.45	452.65	466.99	713.24
एनएफएफडब्ल्यूपी	252.7	408.32	653.67	658.96	0	21.17	0	122.55	0	0	0	0
पोषाहार कार्यक्रम	281.62	273.47	102.03	207.11	319.96	293.86	198.15	161.31	306.72	273.88	195.82	178.71
कल्याण संस्था	243.85	26.63	347.39	236.61	56.72	25.25	325.28	275.38	57.34	32.79	212.9	160.52
अन्नपूर्णा	76.72	69.87	89.93	69.33	76.68	29.00	90.17	60.85	76.71	30.43	91.61	69.73
ग्रामीण अनाज बैंक	0	0	0	0	4.48	2.48	40.34	15.53	2.20	2.28	4.81	20.45
एनपीएजी	0	0	0	0	6.76	6.92	4.114	45.30	7.00	2.66	45.00	35.41

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम

उक्त स्कीम का नाम और क्रियान्वयन मंत्रालय/विभाग निम्नानुसार है-

मिड डे मील - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - ग्रामीण विकास मंत्रालय

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम - ग्रामीण विकास मंत्रालय

गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

कल्याण संस्थान - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें

अन्नपूर्णा - ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण अनाज बैंक योजना - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं का कौशल विकास

2347. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष पहल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पर्याप्त लाभ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो युद्ध मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस योजनाएं तैयार की गई हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) मौजूदा पहल के अलावा कोई नई पहल प्रस्तावित नहीं है। मौजूदा पहल पर्याप्त पाई गई है, और इसमें आगे और विशेष पहलों की जरूरत नहीं समझी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैविक क्षेत्र

2348. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ जोनों/क्षेत्रों को जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जैविक क्षेत्रों के लिए कोई विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा देश के किसी भी जोन/क्षेत्र को जैविक जोन के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड ने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को 100% जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा की है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है।

ग्राम अनाज बैंक योजना

2349. श्री नवीन जिन्दल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम अनाज बैंक योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने अनाज बैंक स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन बैंकों को वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न जारी किया गया है;

(ग) क्या तब से इस योजना के कार्यकरण और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों के विचार मांगे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला तथा यह भुखमरी और कुपोषण दूर करने में कहां तक सफल रही है;

(ङ) क्या इस योजना में कोई बदलाव किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 2005-06 से आज तक की तारीख तक 20 राज्यों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 14,979 ग्रामीण अनाज बैंक मंजूर किए गए हैं। इस विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या और राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या, पिछले दो वर्षों 2006-07 और 2007-08 के दौरान इन ग्रामीण अनाज बैंकों को आबंटित/रिलीज खाद्यान्नों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा इस स्कीम के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रारूप मूल्यांकन रिपोर्ट नवम्बर, 2008 में प्राप्त हो गई है। यह सूचित किया गया है कि अनाज बैंकों की मौजूदगी से ग्रामीणों की खाद्य सुरक्षा और पलायन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 17 राज्यों में ग्रामीण अनाज बैंकों के कार्यकरण का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष में कराने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) इस स्कीम में संशोधन, यदि कोई हो, पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

विवरण

2005-06 से आज की तारीख तक स्वीकृत/स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या और 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आवंटित/रिलीज खाद्यान्नों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	205-06 से आज की तारीख तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	राज्यों द्वारा स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक	आवंटित/रिलीज खाद्यान्न	
				2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	1377	–	5.51	–
2.	आंध्र प्रदेश	4957	1214	19.83	–

1	2	3	4	5	6
3.	पश्चिम बंगाल	420	170	0.68	1.00
4.	बिहार	415	–	–	1.66
5.	गुजरात	354	226	0.90	0.51
6.	मध्य प्रदेश	1285	926	–	1.44
7.	उड़ीसा	500	240	–	1.04
8.	त्रिपुरा	39	13	–	–
9.	राजस्थान	550	–	–	2.20
10.	केरल	387	–	–	1.55
11.	छत्तीसगढ़	1904	1904	6.57	–
12.	झारखंड	583	–	–	–
13.	मेघालय	44	–	–	–
14.	उत्तर प्रदेश	1281	500	2.00	–
15.	असम	100	–	0.40	–
16.	सिक्किम	80	80	0.32	–
17.	हिमाचल प्रदेश	55	–	0.22	–
18.	नागालैंड	300	150	0.60	0.60
19.	उत्तराखण्ड	55	–	0.22	–
20.	मणिपुर	293	192	0.37	0.40
	जोड़	14979	5615	37.62	10.40

[हिन्दी]

पशुपालन के विकास के लिए धनराशि

2350. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पशुपालन के विकास के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पशुपालन के विकास के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पशुपालन के विकास के लिए राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि के लिए प्रस्ताव राज्यों से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा राज्य सरकारों/क्रियान्वयन एजेंसियों को वास्तविक प्रगति और पहले जारी धनराशि के उपयोग के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर समीक्षा की जाती है ताकि नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा सके और क्रियान्वयन को गति प्रदान की जा सके।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना				चारा विकास योजना			
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3575.57	400.00	500.00	4475.57	159.00	0.00	0.00	159.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	200.00	162.70	362.70	10.00	12.00	0.00	22.00
3.	असम	319.50	0.00	0.00	319.50	0.00	85.00	0.00	85.00
4.	बिहार	499.80	0.00	508.25	1008.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	250.00	562.35	284.06	1096.41	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	136.03	165.00	301.03
8.	हरियाणा	200.00	0.00	0.00	200.00	21.25	0.00	0.00	21.25
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	100.00	155.46	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	200.00	0.00	417.40	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	300.00	300.00	106.69	279.19	0.00	385.88
12.	कर्नाटक	903.04	0.00	0.00	903.04	712.00	55.00	0.00	767.00
13.	केरल	1277.07	450.00	197.07	1924.14	279.00	133.00	0.00	412.00
14.	मध्य प्रदेश	711.00	197.50	500.00	1408.50	221.50	0.00	0.00	221.50
15.	महाराष्ट्र	1523.00	0.00	0.00	1523.00	639.50	0.00	0.00	639.50
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	30.00	150.00	0.00	180.00	20.00	30.00	199.50	249.50
19.	नागालैंड	80.00	109.39	68.29	257.68	120.00	0.00	0.00	120.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	740.20	562.00	597.00	1899.20	272.00	0.00	0.00	272.00
21.	पंजाब	350.00	100.00	646.00	1096.00	0.00	0.00	190.21	190.21
22.	राजस्थान	0.00	0.00	632.73	632.73	33.00	0.00	0.00	33.00
23.	सिक्किम	51.32	75.00	131.82	258.14	0.00	33.00	0.00	33.00
24.	तमिलनाडु	400.00	600.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	53.20	211.00	256.82	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	300.00	356.72	161.43	818.15	0.00	21.25	0.00	21.25
28.	पश्चिम बंगाल	265.00	770.43	352.60	1388.03	0.00	136.00	0.00	136.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	11928.70	4947.73	5871.63	22748.06	2593.94	920.47	554.71	4069.12

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	राज्य कुक्कुट/बतख फार्मों को सहायता				संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण			
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	54.00	34.00	100.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	50.00	130.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	68.00	84.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	36.81	32.25	69.06
8.	हरियाणा	0.00	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	23.00	0.00	33.00	27.55	0.00	0.00	27.55
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	25.50	134.40	0.00	159.90	59.41	0.00	0.00	59.41
12.	कर्नाटक	80.00	56.00	34.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	73.32	58.00	99.40	230.72	0.0	0.00	27.25	27.25
14.	मध्य प्रदेश	124.87	200.00	0.00	324 87	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	78.00	50.19	61.81	190.00	32.50	32.00	64.50	129.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	217.50	27.50	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	170.00	191.25	40.00	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	287.00	301.92	0.00	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	30.00	0.00	30.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	120.00	135.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	50.00	28.00	120.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	66.24	16.26	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	136.00	28.00	136.00	300.00	0.00	28.25	0.00	28.25
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	466.31	285.29	84.00	835.60	60.79	0.00	0.00	60.79
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	2513.50	1842.99	723.77	5080.26	230.25	127.06	124.00	481.31

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता				राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना			
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	500.00	532.00	750.00	1782.00	35.00	0.00	20.00	55.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	91.46	121.00	100.00	312.46	35.00	5.00	20.00	60.00
3.	असम	0.00	0.00	200.00	200.00	10.00	10.00	10.00	30.00
4.	बिहार	0.00	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	450.00	330.00	0.00	780.00	15.00	0.00	10.00	25.00
6.	गोवा	30.22	25.00	0.00	55.22	0.00	0.00	5.00	5.00
7.	गुजरात	455.00	280.00	509.00	1244.00	15.00	25.00	20.00	60.00
8.	हरियाणा	150.00	200.00	384.00	734.00	20.00	17.95	0.00	37.95
9.	हिमाचल प्रदेश	103.64	117.00	99.85	320.49	15.00	20.00	0.00	35.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	200.00	200.00	250.00	650.00	5.00	10.00	15.00	30.00
12.	कर्नाटक	865.14	480.00	300.00	1645.14	49.00	0.00	15.00	64.00
13.	केरल	197.23	0.00	100.00	297.23	25.00	18.00	6.00	49.00
14.	मध्य प्रदेश	195.00	362.00	150.00	707.00	25.00	32.00	20.00	77.00
15.	महाराष्ट्र	1035.00	1172.00	600.00	2807.00	34.94	20.00	8.00	62.94
16.	मणिपुर	96.54	244.00	190.00	530.54	10.00	0.00	15.00	25.00
17.	मेघालय	97.31	75.00	100.00	272.31	5.00	10.00	15.00	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	251.10	275.00	203.00	729.10	20.00	15.00	0.00	35.00
19.	नागालैंड	310.32	310.00	150.00	770.32	15.00	20.00	0.00	35.00
20.	उड़ीसा	270.00	450.00	650.00	1370.00	20.00	5.00	13.00	38.00
21.	पंजाब	369.97	0.00	200.00	569.97	30.00	0.00	20.00	50.00
22.	राजस्थान	257.00	289.00	158.00	704.00	15.00	20.00	8.00	43.00
23.	सिक्किम	57.27	75.00	75.00	207.27	15.00	10.00	0.00	25.00
24.	तमिलनाडु	200.00	608.00	1000.00	1808.00	25.00	0.00	10.00	35.00
25.	त्रिपुरा	142.08	0.00	330.00	472.08	0.00	15.00	0.00	15.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	732.00	750.00	1482.00	25.00	29.05	5.00	59.05
27.	उत्तराखंड	157.80	100.00	0.00	257.80	0.00	10.00	5.00	15.00
28.	पश्चिम बंगाल	547.80	1250.00	600.00	2397.80	45.00	25.00	20.00	90.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.00	12.20	15.00	43.20	1.00	1.00	5.00	7.00
30.	चंडीगढ़	5.60	7.00	3.50	16.10	1.00	0.00	0.00	1.00
31.	दादरा और नगर हवेली	11.40	7.00	7.00	25.40	1.00	0.00	0.00	1.00
32.	दमन और दीव	1.00	2.80	1.50	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	55.20	60.00	23.00	138.20	8.00	8.00	4.00	20.00
34.	लक्षद्वीप	16.00	8.00	5.00	29.00	1.00	1.00	0.00	2.00
35.	पुडुचेरी	18.80	0.00	25.00	43.80	2.00	0.00	0.00	2.00
	योग	7153.88	8424.00	8478.85	24056.73	522.94	327.00	269.00	1118.94

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	व्यावसायिक दक्षता विकास				खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1.00	4.00	4.00	9.00	60.00	100.00	0.00	160.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1.81	1.22	3.08	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	10.00	10.00	15.00	35.00	0.00	15.00	20.00	35.00
8.	हरियाणा	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	50.00	50.00	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	5.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	20.00	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	20.00	0.00	5.00	25.00	0.00	44.00	20.00	64.00
14.	मध्य प्रदेश	10.00	4.36	7.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	25.00	0.00	0.00	25.00	123.00	65.00	40.00	228.00
16.	मणिपुर	15.00	4.00	16.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	12.00	18.00	2.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	12.00	8.00	15.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	10.00	0.00	13.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	30.00	145.00
22.	राजस्थान	25.00	20.00	18.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	5.00	27.00
25.	त्रिपुरा	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	21.19	0.00	21.27	42.46	100.00	90.40	135.00	325.40
27.	उत्तराखंड	0.00	6.68	6.59	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	22.00	18.74	15.00	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	10.00	5.00	27.00	2.00	1.00	3.00	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	7.50	0.00	0.00	7.50	4.00	3.00	2.00	9.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00
35.	पुडुचेरी	7.50	14.30	6.69	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	272.00	204.30	205.38	681.68	403.00	394.40	305.00	1102.40

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	समेकित नमूना सर्वेक्षण				पशुधन संगणना			
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19.37	13.10	9.88	42.35	0.00	750.00	1100.00	1850.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.76	4.89	1.91	12.56	6.00	70.00	40.00	116.00
3.	असम	6.30	13.97	2.22	22.49	10.00	756.00	950.00	1716.00
4.	बिहार	19.22	22.65	9.90	51.77	0.00	130.00	1000.00	1130.00
5.	छत्तीसगढ़	7.06	8.55	5.00	20.61	30.00	285.00	120.00	435.00
6.	गोवा	5.91	7.38	5.00	18.29	10.00	40.68	10.00	60.68
7.	गुजरात	42.48	18.70	30.00	91.18	0.00	555.00	600.00	1155.00
8.	हरियाणा	29.70	21.10	15.00	65.80	10.00	275.00	150.00	435.00
9.	हिमाचल प्रदेश	23.10	20.88	7.20	51.18	30.00	220.00	10.00	260.00
10.	झारखंड	18.58	9.20	10.29	38.07	0.00	175.00	250.00	425.00
11.	जम्मू-कश्मीर	11.80	0.73	1.98	14.51	10.00	75.00	100.00	185.00
12.	कर्नाटक	39.43	48.33	30.00	117.76	50.00	515.00	650.00	1215.00
13.	केरल	55.10	45.20	30.00	130.30	20.00	277.00	400.00	697.00
14.	मध्य प्रदेश	27.92	37.55	20.00	85.47	0.00	155.00	900.00	1055.00
15.	महाराष्ट्र	32.88	48.80	30.00	111.68	0.00	400.00	900.00	1300.00
16.	मणिपुर	3.00	2.21	2.54	7.75	5.00	114.00	63.00	182.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	6.84	9.28	1.91	18.03	5.00	164.00	36.00	205.00
18.	मिजोरम	32.60	31.05	8.21	71.86	6.00	59.00	20.00	85.00
19.	नागालैंड	12.65	9.02	5.41	27.08	6.00	109.00	65.00	180.00
20.	उड़ीसा	26.40	23.29	8.91	58.60	0.00	300.00	400.00	700.00
21.	पंजाब	5.10	0.73	1.98	7.81	0.00	240.00	250.00	490.00
22.	राजस्थान	61.00	85.73	26.35	173.08	0.00	325.00	700.00	1025.00
23.	सिक्किम	4.42	4.54	2.22	11.18	6.00	69.00	1.00	76.00
24.	तमिलनाडु	28.02	22.85	15.84	66.71	20.00	225.00	800.00	1045.00
25.	त्रिपुरा	8.43	25.04	8.57	42.04	6.00	159.00	125.00	290.00
26.	उत्तर प्रदेश	63.10	68.70	26.76	158.56	20.00	350.00	1750.00	2120.00
27.	उत्तराखंड	6.00	6.46	10.00	22.46	15.00	175.00	10.00	200.00
28.	पश्चिम बंगाल	25.83	24.55	17.00	67.38	30.00	475.00	900.00	1405.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00	8.51	3.13	21.64	1.00	16.00	1.00	18.00
30.	चंडीगढ़	12.00	11.21	10.52	33.74	1.00	16.00	4.50	21.50
31.	दादरा और नगर हवेली	2.00	0.87	0.67	3.54	1.00	6.00	1.00	8.00
32.	दमन और दीव	3.00	2.68	1.00	6.68	1.00	6.00	0.50	7.50
33.	दिल्ली	15.00	20.52	7.00	42.52	0.00	55.00	290.00	345.00
34.	लक्षद्वीप	5.00	6.69	6.00	17.69	1.00	6.00	1.00	8.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	55.00
	योग	675.00	684.96	372.41	1732.37	300.00	7592.68	12608.00	20500.68

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	पशुधन बीमा				एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम				सकल योग
		2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	950.00	300.00	0.00	1205.00	0.00	109.42	13.22	122.64	10046.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	45.51	1.91	47.42	1205.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	65.42	12.33	77.75	2727.54
4.	बिहार	112.00	100.00	0.00	212.00	0.00	127.23	21.10	148.43	3056.36
5.	छत्तीसगढ़	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	67.51	9.54	77.05	2656.07
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69	0.17	27.86	175.05
7.	गुजरात	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	93.11	8.71	101.82	3599.09
8.	हरियाणा	199.00	200.00	0.00	399.00	0.00	78.89	3.27	82.16	2116.46
9.	हिमाचल प्रदेश	73.00	150.00	0.00	223.00	0.00	56.14	9.32	65.46	1286.14
10.	झारखंड	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	84.57	15.33	99.90	1420.37
11.	जम्मू-कश्मीर	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	61.82	3.13	64.95	1864.65
12.	कर्नाटक	33.00	300.00	0.00	333.00	0.00	98.80	13.86	112.66	5367.60
13.	केरल	450.00	100.00	0.00	550.00	0.00	61.82	0.64	62.46	4469.10
14.	मध्य प्रदेश	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	158.53	26.03	184.56	4277.26
15.	महाराष्ट्र	370.00	250.00	0.00	620.00	0.00	121.55	20.55	142.10	7778.22
16.	मणिपुर	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	47.60	1.12	48.72	890.01
17.	मेघालय	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	41.91	2.83	44.74	875.62
18.	मिजोरम	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	22.75	0.38	23.13	1693.59
19.	नागालैंड	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	22.75	0.62	23.37	1947.70
20.	उड़ीसा	45.00	50.00	0.00	95.00	0.00	107.33	24.13	131.46	5153.18
21.	पंजाब	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	48.36	5.98	54.34	2945.53
22.	राजस्थान	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	113.00	19.43	132.43	3112.99
23.	सिक्किम	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	11.38	0.21	11.59	954.18
24.	तमिलनाडु	582.00	150.00	0.00	732.00	0.00	129.33	7.67	137.00	5048.71
25.	त्रिपुरा	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	33.38	0.42	33.80	1536.44
26.	उत्तर प्रदेश	419.00	0.00	0.00	419.00	0.00	199.10	50.49	249.59	5284.31
27.	उत्तराखंड	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	58.98	7.90	66.88	1481.81
28.	पश्चिम बंगाल	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	73.20	19.17	92.37	6587.71
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.26	5.95	178.79
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.01	2.86	75.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.03	2.88	40.82
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.01	5.70	25.18
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	0.08	25.68	587.90
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.01	2.86	87.55
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	0.04	11.42	140.71
	योग	5000.00	1600.00	0.00	6600.00	0.00	2223.99	300.00	2523.99	90695.54

[अनुवाद]

मत्स्य उत्पादन

2351. श्री एम. शिवन्ना: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षवार कुल कितनी मात्रा में मत्स्य उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या मछुआरे अपने उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य पाने में विफल रहे हैं चूंकि अधिकतर लाभ बिचौलियों द्वारा हथिया लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) कर्नाटक में समुद्री मत्स्य उत्पादन का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	समुद्री मत्स्य उत्पादन (मी. टन)
2005-06	176974
2006-07	168545
2007-08	175566
2008-09*	129112

(*1.4.2008 से 30.11.2008 तक)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्नाटक के मछुआरों द्वारा पकड़ी गई समुद्री मछली का विपणन गैर-सरकारी मत्स्य व्यापारियों के अलावा एस के एंड उदिपि जिला सहकारिता मत्स्य विपणन परिसंघ, एन के जिला सहकारिता मत्स्य विपणन परिसंघ, कर्नाटक मात्स्यिकी विकास निगम, स्थानीय मात्स्यिकी सहकारिता समितियों, स्थानीय मात्स्यिकी संघों द्वारा किया जाता है। मछुआरों को अच्छा मूल्य प्रदान करने हेतु मत्स्य का विपणन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2352. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लैंडलाइन, मोबाइल, डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतीक्षारत आवेदकों को शीघ्रता से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल एवं मोबाइल कनेक्शनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, प्रतीक्षा सूची तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है।

एमटीएनएल में, सभी प्रकार के टेलीफोन कनेक्शन (लैंडलाइन, मोबाइल एवं डब्ल्यूएलएल) व्यवहार्य होने पर मांग के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतीक्षारत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. स्थिर टेलीफोन

(1) स्थिर टेलीफोन कनेक्शन या तो वायर लाइन या डब्ल्यूएलएल प्रणाली के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक कारणों के मद्देनजर, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डब्ल्यूएलएल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। तथापि, कुछ मामलों में वायर लाइन कनेक्शनों को व्यवहार्य बनाने के लिए भूमिगत केबल भी बिछाए जाते हैं।

(2) 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, देश के 2642 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में से 2589 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सेवा उपलब्ध करा दी गई है। शेष अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन, उत्तरोत्तर रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में, सभी 304 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

(3) डब्ल्यूएलएल उपस्कर की 19.2 लाख लाइनों के लिए क्रयादेश दिए जा चुके हैं तथा इस उपस्कर के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। इन उपस्करों के चालू हो जाने पर, टेलीफोन कनेक्शनों को मांग के आधार पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। इन लाइनों में से 2.27 लाख लाइनों के उपस्कर का क्रयादेश महाराष्ट्र सर्किल के लिए दिया जा चुका है।

2. मोबाइल टेलीफोन

(1) जीएसएम उपस्कर की 23 मिलियन लाइनों के विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों की उपलब्धता में काफी वृद्धि होगी। इनमें से, 37 लाख लाइनों वाले उपस्कर का क्रयादेश महाराष्ट्र सर्किल के लिए दिया जा चुका है।

(2) 93 मिलियन लाइनों वाले जीएसएम उपस्कर के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसका प्रापण अगले तीन वर्षों में हो जाएगा और बीएसएनएल की अगले तीन वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से मोबाइल सेवाओं द्वारा 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

विवरण

31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए जाने वाले कनेक्शनों की सर्किलवार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वायर लाइन	डब्ल्यूएलएल	मोबाइल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	3,356	3,427	0
3.	असम	210	268	0
4.	बिहार	30,436	11,674	0
5.	छत्तीसगढ़	7	35	0
6.	गुजरात	1,904	0	0
7.	हरियाणा	1,233	889	0
8.	हिमाचल प्रदेश	8,828	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	3,133	0	0

1	2	3	4	5
10.	झारखंड	32	0	0
11.	कर्नाटक	15,529	27,069	0
12.	केरल	21,784	55	0
13.	मध्य प्रदेश	1,017	250	0
14.	महाराष्ट्र	18,602	20,834	0
15.	पूर्वोत्तर-I	74	214	0
16.	पूर्वोत्तर-II	33	0	0
17.	उड़ीसा	2,254	5,358	0
18.	पंजाब	468	0	0
19.	राजस्थान	2,799	1,171	0
20.	तमिलनाडु	6,401	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6,451	295	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	319	0	0
23.	उत्तराखण्ड	72	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	34,354	43	0
25.	कोलकाता टेलीफोन	0	0	0
26.	चेन्नई टेलीफोन	0	0	0
	कुल	159,404	71,582	0

एनटीसी मिलों द्वारा वस्त्रों का उत्पादन

2353. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) मिलों द्वारा परिधानों सहित वस्त्रों के उत्पादन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनटीसी मिलों द्वारा वस्त्रों का राज्य-वार कितना वास्तविक उत्पादन किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त मिलों को राज्य-वार कितनी हानि या लाभ हुआ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) मिल-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मिल-वार और राज्य-वार लाभ/हानि (वास्तविक की तुलना में लक्ष्य) संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

15 दिसम्बर, 2008

अतारांकित

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मिल-वार राज्य-वार उत्पादन (यार्न और कपड़ा) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिल का नाम	उत्पादन-यार्न (लाख कि.ग्रा.)								उत्पादन-कपड़ा (लाख मी.)							
			2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08		2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	राजस्थान	महालक्ष्मी	10.11	4.23	2.80	2.11	2.40	0.79	0.82	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
		उदयपुर कॉटन	13.58	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		एस.बी.सी.एम.	9.57	2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	32.26	10.24	2.80	2.11	2.40	0.79	0.82	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	पंजाब	खरार	13.31	4.85	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सूरब	12.64	6.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	25.96	11.82	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	एन.बी.टी.	8.55	8.06	7.34	8.93	9.43	9.06	13.31	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0
		बी.टी.एम.	8.18	7.78	7.91	8.51	8.61	8.67	12.91	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	16.73	15.84	15.25	17.44	18.04	17.73	26.22	6.12	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	उत्तर प्रदेश	स्वदेशी माऊ.	10.03	6.26	3.04	3.64	3.03	3.30	3.19	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0
		स्वदेशी माऊ.	10.04	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	20.07	9.13	3.04	3.64	3.03	3.30	3.19	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	3.04	4.67	6.09	5.90	10.75	7.89	4.62	4.36	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	कर्नाटक	भिनर्वा	25.61	14.34	8.65	5.98	10.09	0	0	0		3.17	0	0	0	0	0	0
7.	केरल	पार्वती	13.92	11.08	14.61	13.00	16.61	6.77	3.15	1.54	21.92	12.26	20.19	7.18	12.81	2.52	0	0
		अलप्पा	24.31	24.79	28.11	23.72	31.96	18.57	19.62	11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
		केनू केन्द्र	17.58	13.58	14.05	14.13	16.57	12.71	6.82	5.58	0	0	0	0	0	0	0	0
		केरल लक्ष्मी	23.44	19.49	23.82	20.62	26.59	14.96	18.25	8.59	0	0	0	0	0	0	0	0
		विजय मोहिनी	14.39	10.23	14.03	12.39	18.29	10.97	12.16	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	93.64	79.17	94.62	83.86	110.04	63.98	60.00	29.02	21.92	12.26	20.19	7.16	12.81	2.52	0	0
8	पांडिचेरी	केन माही	17.17	11.64	17.04	8.23	18.81	10.72	8.66	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9. महाराष्ट्र	वारशी	9.99	11.40	13.98	13.62	13.12	11.61	6.27	5.37	0	0	0	0	0	0	0	0
	न्यू सिटी	12.87	14.29	16.79	14.82	12.05	13.17	0	0	0	1.93	0	0	0	0	0	0
	औरंगाबाद	9.75	7.07	11.17	10.19	10.03	6.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	चालीस गांव	11.56	11.35	16.46	12.66	12.71	11.18	6.66	4.77	0	0	0	0	0	0	0	0
	अपोलो	10.77	10.44	11.04	10.60	11.24	7.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	फिनले	8.19	7.76	10.45	5.96	5.30	4.91	2.42	2.69	20.00	25.40	14.68	19.51	13.76	7.39	2.03	3.37
	गोल्ड मोहर	10.55	8.38	9.56	9.38	9.60	8.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	धुले	10.34	12.49	19.51	16.33	18.72	17.23	7.61	7.42	0	0	0	0	0	0	0	0
	नांदेड	14.32	13.26	18.15	15.70	17.35	15.82	7.96	6.36	29.62	15.33	15.56	1.47	0	0	0	0
	टाटा	11.95	10.75	16.29	10.56	12.18	11.09	8.10	5.32	34.29	32.30	34.48	32.23	31.68	31.77	14.83	15.05
	पोद्दार	10.70	15.23	15.72	12.41	8.32	9.08	8.54	5.96	23.09	26.47	20.35	16.32	0	0	0	0
	इन्दु नं. 1	10.15	10.63	11.08	9.99	11.19	8.29	-	-	18.78	16.09	12.05	19.11	18.25	15.06	-	-
	इन्दु नं. 5	7.43	6.37	7.49	9.28	7.62	10.12	10.63	4.78	0	0	0	0	0	0	0	0
	आरबीबीए	9.62	11.30	12.63	11.13	11.88	11.34	5.80	4.91	0	0	0	0	0	0	0	0
	सावंतराम	4.95	5.34	8.19	6.63	6.49	6.11	3.58	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	181.22	156.06	198.51	169.48	167.80	151.86	67.57	50.74	125.78	117.52	97.12	88.64	63.69	54.22	16.86	18.42
10. तमिलनाडु	कम्बोडिया	16.56	15.33	18.64	19.24	25.25	16.64	17.29	9.15								
	रंगविलास	19.69	13.83	18.24	18.91	23.18	17.70	11.59	10.08								
	पंकज	16.55	12.70	19.57	15.81	28.06	13.23	11.74	4.07								
	पोएनियर	20.68	13.80	18.42	15.53	20.22	14.17	10.10	7.08								
	कास 'बी'	17.25	16.76	21.97	19.47	22.04	20.45	10.90	7.60								
	कोयम्ब मुरुगन	2.18	2.00	0.91	2.52	9.92	3.80	4.09	2.51	164.17	78.35	127.25	67.55	146.11	75.17	39.24	35.60
	सी.एस. एंड डब्ल्यू	20.45	15.78	18.63	16.14	23.55	13.81	9.71	7.78								
	सारदा	14.42	11.18	13.3	12.57	14.97	8.95	0	0								
	योग	127.78	101.38	129.68	120.19	167.19	108.75	76.22	48.47	164.17	78.35	127.25	67.65	146.11	75.17	39.24	35.60
11. असम	अवस्थित	3.47	0.96	0	0.84	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. उड़ीसा	उड़ीसा कॉटन	5.20	2.61	3.44	2.62	2.92	2.76	3.20	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मिल-वार राज्य-वार उत्पादन (यार्न और कपड़ा) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिल का नाम	उत्पादन-यार्न (लाख कि.ग्रा.)								उत्पादन-कपड़ा (लाख मी.)							
			2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08		2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	राजस्थान	महालक्ष्मी	10.11	4.23	2.80	2.11	2.40	0.79	0.82	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
		उदयपुर कॉटन	13.58	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		एस.बी.सी.एम.	9.57	2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	32.26	10.24	2.80	2.11	2.40	0.79	0.82	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	पंजाब	खरार	13.31	4.85	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सूरज	12.64	6.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	25.96	11.82	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	एन.बी.टी.	8.55	8.06	7.34	8.93	9.43	9.06	13.31	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0
		बी.टी.एम.	8.18	7.78	7.91	8.51	8.61	8.67	12.91	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	16.73	15.84	15.25	17.44	18.04	17.73	26.22	6.12	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	उत्तर प्रदेश	स्वदेशी माऊ.	10.03	6.26	3.04	3.64	3.03	3.30	3.19	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0
		स्वदेशी माऊ.	10.04	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	20.07	9.13	3.04	3.64	3.03	3.30	3.19	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	3.04	4.67	6.09	5.90	10.75	7.89	4.62	4.36	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	कर्नाटक	मिनर्वा	25.61	14.34	8.65	5.98	10.09	0	0	0		3.17	0	0	0	0	0	0
7.	केरल	पार्वथी	13.92	11.08	14.61	13.00	16.61	6.77	3.15	1.54	21.92	12.26	20.19	7.18	12.81	2.52	0	0
		अल्गप्पा	24.31	24.79	28.11	23.72	31.96	18.57	19.62	11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
		केनू केन्द्र	17.58	13.58	14.05	14.13	16.57	12.71	6.82	5.58	0	0	0	0	0	0	0	0
		केरल लक्ष्मी	23.44	19.49	23.82	20.62	26.59	14.96	18.25	8.59	0	0	0	0	0	0	0	0
		विजय मोहिनी	14.39	10.23	14.03	12.39	18.29	10.97	12.16	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	93.64	79.17	94.62	83.86	110.04	63.98	60.00	29.02	21.92	12.26	20.19	7.16	12.81	2.52	0	0
8	पांडिचेरी	केन माही	17.17	11.64	17.04	8.23	18.81	10.72	8.66	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	महाराष्ट्र	वारसी	9.99	11.40	13.98	13.62	13.12	11.61	6.27	5.37	0	0	0	0	0	0	0	0
		न्यू सिटी	12.87	14.29	16.79	14.82	12.05	13.17	0	0	0	1.93	0	0	0	0	0	0
		औरंगाबाद	9.75	7.07	11.17	10.19	10.03	6.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		चालीस गांव	11.56	11.35	16.46	12.66	12.71	11.18	6.66	4.77	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपोलो	10.77	10.44	11.04	10.60	11.24	7.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		फिनले	8.19	7.76	10.45	5.96	5.30	4.91	2.42	2.69	20.00	25.40	14.68	19.51	13.76	7.39	2.03	3.37
		गोल्ड मोहर	10.55	8.38	9.56	9.38	9.60	8.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		धुले	10.34	12.49	19.51	16.33	18.72	17.23	7.61	7.42	0	0	0	0	0	0	0	0
		नांदेड	14.32	13.26	18.15	15.70	17.35	15.82	7.96	6.36	29.62	15.33	15.56	1.47	0	0	0	0
		टाटा	11.95	10.75	16.29	10.56	12.18	11.09	8.10	5.32	34.29	32.30	34.48	32.23	31.68	31.77	14.83	15.05
		पोद्दार	10.70	15.23	15.72	12.41	8.32	9.08	8.54	5.96	23.09	26.47	20.35	16.32	0	0	0	0
		इन्दु नं. 1	10.15	10.63	11.08	9.99	11.19	8.29	-	-	18.78	16.09	12.05	19.11	18.25	15.06	-	-
		इन्दु नं. 5	7.43	6.37	7.49	9.28	7.62	10.12	10.63	4.78	0	0	0	0	0	0	0	0
		आरवीबीए	9.62	11.30	12.63	11.13	11.88	11.34	5.80	4.91	0	0	0	0	0	0	0	0
		सावंतराम	4.95	5.34	8.19	6.63	6.49	6.11	3.58	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	181.22	156.06	198.51	169.48	167.80	151.86	67.57	50.74	125.78	117.52	97.12	88.64	63.69	54.22	16.86	18.42
10.	तमिलनाडु	कम्बोडिया	16.56	15.33	18.64	19.24	25.25	16.64	17.29	9.15								
		रंगविलास	19.69	13.83	18.24	18.91	23.18	17.70	11.59	10.08								
		पंकज	16.55	12.70	19.57	15.81	28.06	13.23	11.74	4.07								
		पोएनियर	20.68	13.80	18.42	15.53	20.22	14.17	10.10	7.08								
		कास 'बी'	17.25	16.76	21.97	19.47	22.04	20.45	10.90	7.60								
		कोयम्ब मुरुगन	2.18	2.00	0.91	2.52	9.92	3.80	4.09	2.51	164.17	78.35	127.25	67.55	146.11	75.17	39.24	35.60
		सी.एस. एंड डब्ल्यू	20.45	15.78	18.63	16.14	23.55	13.81	9.71	7.78								
		शारदा	14.42	11.18	13.3	12.57	14.97	8.95	0	0								
		योग	127.78	101.38	129.68	120.19	167.19	108.75	76.22	48.47	164.17	78.35	127.25	67.65	146.11	75.17	39.24	35.60
11.	असम	अवस्थित	3.47	0.96	0	0.84	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	उड़ीसा	उड़ीसा कॉटन	5.20	2.61	3.44	2.62	2.92	2.76	3.20	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.	पश्चिम बंगाल	आरती कॉटन	4.63	2.76	3.54	2.88	2.38	2.14	11.60	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0
		लक्ष्मी नारायण	3.86	3.29	3.45	3.24	3.34	2.92	3.47	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
		शोभपुर	3.35	1.57	2.17	1.88	2.09	1.99	2.21	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	11.84	7.62	9.16	7.98	7.8	7.05	17.28	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	गुजरात	ए.एन.टी.	7.80	2.42	0	0	0	0	0	0								
		राजनगर	10.06	2.92	0	0	0	0	0	0								
		योग	17.86	5.34	0	0	0	0	0	0								
	योग		562.85	430.82	488.26	428.49	518.87	374.99	267.98	146.55	311.87	211.30	244.56	163.45	222.61	131.91	56.10	54.02

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मिल-वार राज्य-वार निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिल का नाम	निवल लाभ/हानि (लाख रु. में)							
			2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	महालक्ष्मी	765.02	1426.32	778.32	1031.66	772.48	1121.42	384.97	364.78
		उदयपुर कॉटन	631.80	206.18	584.76	489.70	580.08	499.27	0	265.36
		एस.बी.सी.एम.	583.12	1655.48	633.48	757.47	614.26	764.55	255.95	267.62
		योग	1979.94	3289.98	1996.56	2278.83	1966.82	2385.24	604.92	897.76
2.	पंजाब	खरार	722.78	2032.44	764.64	1007.58	722.40	959.22	364.50	343.09
		सूरज	656.93	1820.15	617.52	811.98	610.92	820.86	302.64	276.25
		योग	1379.71	3852.59	1382.16	1819.59	1333.32	1780.08	667.14	619.34
3.	मध्य प्रदेश	एन.बी.टी.	764.82	-1032.28	963.31	-1230.36	1404.24	-1615.82	423.38	-439.00
		बी.टी.एम.	572.25	-847.05	909.42	-1080.29	1141.15	-1175.72	243.90	-115.98
		योग	1337.07	-1879.33	1873.23	-2310.65	2545.39	-2791.54	867.26	-554.98
4.	उत्तर प्रदेश	स्वदेशी माऊ.	-400.64	-1306.35	-398.21	-406.12	-119.57	-494.32	-111.70	-47.70
		स्वदेशी माऊ.	-990.91	-3300.79	-1384.37	-1051.93	-420.94	-1069.18	-268.00	-101.84
		योग	-3701.43	-2690.72	-1450.14	-829.06	-1188.75	-762.32	-379.70	-149.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	-327.59	-287.74	-326.14	-264.55	55.93	-214.26	-8.58	-134.72
6.	कर्नाटक	मिनर्वा	-2857.34	-4079.32	-2774.14	-1532.76	-824.29	-3180.82	0	-1183.26
7.	केरल	पार्वथी	-978.14	-1373.34	-1148.52	-1159.87	-82.30	-2201.55	-130.79	-462.24
		अल्लाप्पा	-574.67	-477.34	-434.17	-250.05	23.36	-70.80	-2.48	-412.54
		केनू केन्द्र	-95.60	-269.29	-119.03	19.31	-155.73	-269.78	-73.90	-97.59
		केरल लक्ष्मी	-264.72	-456.05	-372.48	-60.15	-157.05	-616.48	-19.70	-308.94
		विजय मोहिनी	-213.65	-458.10	-344.82	-148.48	71.66	-301.15	-38.71	-302.49
		योग	-2126.96	-3034.5	-2419.02	-1599.24	-300.04	-4209.71	-295.56	-1581.8
8	पांडिचेरी	केन माही	-262.81	-393.51	-296.38	-94.06	-218.32	-317.25	-47.59	-221.14
9.	महाराष्ट्र	वारसी	-230.77	-170.06	-113.36	-378.38	-690.28	-814.86	-224.23	-361.07
		न्यू सिटी	-1967.29	-2651.38	-2403.05	-1527.95	-2621.79	-5033.43		
		औरंगाबाद	-437.00	-520.71	-402.86	-540.27	-680.35	-1076.00		
		चालीस गांव	-1024.37	-756.91	-867.91	-1273.96	-1268.59	-1125.34	-538.52	-655.07
		अपोलो	-1773.93	16435.95	-2144.59	16996.33	-314.38	2602-.94		
		फिनले	-2168.93	-3606.74	-2670.59	-4098.35	-2432.40	-2455.46	-1109.14	-1195.42
		गोल्ड मोहर	-1490.50	-2596.75	-1814.81	-1392.74	-2232.51	-3684.40		
		धुले	-1266.34	-948.98	-1621.19	-1388.46	-1245.89	-1227.54	-5[illegible].10	-619.27
		नांदेड	-1282.67	-1135.31	-1271.88	-1745.28	-1472.64	1028.27	-509.31	-718.00
		टाटा	-2946.11	-3719.27	-2827.27	-2644.59	-4055.77	-4085.34	-2268.12	-1954.13
		पोद्दार	-2093.33	-2695.62	-1818.14	-2856.55	-3043.96	-3458.43	-1371.58	-1589.24
		इन्दु नं. 1	-2990.23	-3432.41	-3375.58	-3681.78	-3760.17	-7260.66		
		इन्दु नं. 5	-1629.32	-1997.51	-1735.47	-1995.05	-2175.93	-2201.84	-1340.75	-1213.60
		आरवीबीए	-923.09	-1016.67	-965.77	-1130.71	-1300.85	-2032.5	-706.45	-682.35
		सावंतराम	-831.63	-868.22	-796.27	-509.23	-832.75	-781.68	-602.41	-386.56
		योग	-23055.51	-9482.81	-24866.72	-8167.25	-28128.26	-33663.03	-9348.61	-9855.31
10.	तमिलनाडु	कम्बोडिया	-429.35	-240.42	-780.67	-1077.27	215.18	-760.07	-202.73	-338.98
		रंगविलास	-278.42	577.06	-348.30	-338.52	-440.91	-535.31	-316.24	-307.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.	पश्चिम बंगाल	अमरती कॉटन	4.63	2.76	3.54	2.88	2.38	2.14	11.60	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0
		लक्ष्मी नारायण	3.86	3.29	3.45	3.24	3.34	2.92	3.47	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
		शोभपुर	3.35	1.57	2.17	1.88	2.09	1.99	2.21	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	11.84	7.62	9.16	7.98	7.8	7.05	17.28	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	गुजरात	ए.एन.टी.	7.80	2.42	0	0	0	0	0	0								
		राजनगर	10.06	2.92	0	0	0	0	0	0								
		योग	17.86	5.34	0	0	0	0	0	0								
	योग		562.85	430.82	488.26	428.49	518.87	374.99	267.98	146.55	311.87	211.30	244.56	163.45	222.61	131.91	56.10	54.02

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मिल-वार राज्य-वार निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिल का नाम	निवल लाभ/हानि (लाख रु. में)							
			2005-06		2006-07		2007-08		अप्रैल, 08 से सित., 08	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	महालक्ष्मी	765.02	1426.32	778.32	1031.66	772.48	1121.42	384.97	364.78
		उदयपुर कॉटन	631.80	206.18	584.76	489.70	580.08	499.27	0	265.36
		एस.बी.सी.एम.	583.12	1655.48	633.48	757.47	614.26	764.55	255.95	267.62
		योग	1979.94	3289.98	1996.56	2278.83	1966.82	2385.24	604.92	897.76
2.	पंजाब	खरार	722.78	2032.44	764.64	1007.58	722.40	959.22	364.50	343.09
		सूरज	656.93	1820.15	617.52	811.98	610.92	820.86	302.64	276.25
		योग	1379.71	3852.59	1382.16	1819.59	1333.32	1780.08	667.14	619.34
3.	मध्य प्रदेश	एन.बी.टी.	764.82	-1032.28	963.31	-1230.36	1404.24	-1615.82	423.38	-439.00
		बी.टी.एम.	572.25	-847.05	909.42	-1080.29	1141.15	-1175.72	243.90	-115.98
		योग	1337.07	-1879.33	1873.23	-2310.65	2545.39	-2791.54	867.26	-554.98
4.	उत्तर प्रदेश	स्वदेशी माऊ.	-400.64	-1306.35	-398.21	-406.12	-119.57	-494.32	-111.70	-47.70
		स्वदेशी माऊ.	-990.91	-3300.79	-1384.37	-1051.93	-420.94	-1069.18	-268.00	-101.84
		योग	-3701.43	-2690.72	-1450.14	-829.06	-1188.75	-762.32	-379.70	-149.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	-327.59	-287.74	-326.14	-264.55	55.93	-214.26	-8.58	-134.72
6.	कर्नाटक	मिनर्वा	-2857.34	-4079.32	-2774.14	-1532.76	-824.29	-3180.82	0	-1183.26
7.	केरल	पार्वथी	-978.14	-1373.34	-1148.52	-1159.87	-82.30	-2201.55	-130.79	-462.24
		अल्लप्पा	-574.67	-477.34	-434.17	-250.05	23.36	-70.80	-2.48	-412.54
		केनू केन्द्र	-95.60	-269.29	-119.03	19.31	-155.73	-269.78	-73.90	-97.59
		केरल लक्ष्मी	-264.72	-456.05	-372.48	-60.15	-157.05	-616.48	-19.70	-308.94
		विजय मोहिनी	-213.65	-458.10	-344.82	-148.48	71.66	-301.15	-38.71	-302.49
		योग	-2126.96	-3034.5	-2419.02	-1599.24	-300.04	-4209.71	-295.56	-1581.8
8	पांडिचेरी	केन माही	-262.81	-393.51	-296.38	-94.06	-218.32	-317.25	-47.59	-221.14
9.	महाराष्ट्र	वारसी	-230.77	-170.06	-113.36	-378.38	-690.28	-814.86	-224.23	-361.07
		न्यू सिटी	-1967.29	-2651.38	-2403.05	-1527.95	-2621.79	-5033.43		
		औरंगाबाद	-437.00	-520.71	-402.86	-540.27	-680.35	-1076.00		
		चालीस गांव	-1024.37	-756.91	-867.91	-1273.96	-1268.59	-1125.34	-538.52	-655.07
		अपोलो	-1773.93	16435.95	-2144.59	16996.33	-314.38	2602-.94		
		फिनले	-2168.93	-3606.74	-2670.59	-4098.35	-2432.40	-2455.46	-1109.14	-1195.42
		गोल्ड मोहर	-1490.50	-2596.75	-1814.81	-1392.74	-2232.51	-3684.40		
		धुले	-1266.34	-948.98	-1621.19	-1388.46	-1245.89	-1227.54	-5[illegible].10	-619.27
		नांदेड	-1282.67	-1135.31	-1271.88	-1745.28	-1472.64	1028.27	-509.31	-718.00
		टाटा	-2946.11	-3719.27	-2827.27	-2644.59	-4055.77	-4085.34	-2268.12	-1954.13
		पोद्दार	-2093.33	-2695.62	-1818.14	-2856.55	-3043.96	-3458.43	-1371.58	-1589.24
		इन्दु नं. 1	-2990.23	-3432.41	-3375.58	-3681.78	-3760.17	-7260.66		
		इन्दु नं. 5	-1629.32	-1997.51	-1735.47	-1995.05	-2175.93	-2201.84	-1340.75	-1213.60
		आरवीबीए	-923.09	-1016.67	-965.77	-1130.71	-1300.85	-2032.5	-706.45	-682.35
		सावंतराम	-831.63	-868.22	-796.27	-509.23	-832.75	-781.68	-602.41	-386.56
		योग	-23055.51	-9482.81	-24866.72	-8167.25	-28128.26	-33663.03	-9348.61	-9855.31
10.	तमिलनाडु	कम्बोडिया	-429.35	-240.42	-780.67	-1077.27	215.18	-760.07	-202.73	-338.98
		रंगविलास	-278.42	577.06	-348.30	-338.52	-440.91	-535.31	-316.24	-307.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		पंकज	-333.10	-240.99	-419.82	-292.04	132.62	4199.39	-401.92	-319.03
		पोएनियर	-83.49	-120.31	50.95	-257.08	71.69	-425.59	-195.68	-233.31
		काल 'बी'	-473.09	-68.70	-111.79	-286.05	-39.04	-328.03	-332.26	-226.93
		कोयम्ब मुरुगन	120.75	-179.08	-73.54	-525.82	59.64	-269.66	-132.64	-251.97
		सी.स. एंड डब्ल्यू.	-851.64	-857.67	-1016.83	-1591.27	86.04	-1362.54	-526.11	-693.45
		शारदा	-657.92	-632.24	-586.18	-495.91	-57.54	-1053.87	-363.82	-419.83
		योग	-2986.26	-1762.36	-3286.38	-4863.96	29.88	548.50	-2491.40	-2790.78
11.	असम	अवस्थित	-551.88	-604.35	200.89	-560.21	60.00	-58.75	25.00	-22.64
12.	उड़ीसा	उड़ीसा कॉटन	-766.08	-707.85	-669.00	-663.14	-131.57	-42.79	-119.13	-78.73
13.	पश्चिम बंगाल	आरती कॉटन	-833.10	-709.68	-657.00	-671.52	-162.24	-63.78	-338.11	-83.40
		लक्ष्मी नारायण	-845.40	-763.34	-701.66	-666.00	-172.97	697.25	-141.03	-87.09
		जोधपुर	-779.04	-535.06	-609.96	-596.65	-120.04	-111.32	-107.99	-55.06
		योग	-2457.6	-2008.1	-1966.84	-1934.37	-455.25	522.15	-587.13	-225.55
14.	गुजरात	ए.एन.टी.	-1172.30	-1140.66	-1063.45	-1044.50	-1076.11	-177.47	-80.80	-86.28
		राजनगर	-1074.38	-1152.37	-1238.13	-1164.07	-1179.10	-210.43	-91.38	-103.44
		योग	-2246.68	-2293.03	-2301.58	-2206.57	-2255.21	-387.9	-172.18	-189.72
	योग		-36643.44	-22081.04	-34907.50	-20929.43	-27510.35	-41507.40	-11149.54	-14951.07

[हिन्दी]

उत्पादन की निविष्टि लागत

2354. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने गेहूं सहित विभिन्न खाद्य फसलों के उत्पादन की निविष्ट लागत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों ने अपने गेहूं को उक्त निविष्ट लागत की तुलना में कम कीमत पर बेचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न खाद्य फसलों जिनमें गेहूं भी शामिल है के उत्पादन की निवेश लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न फसलों के पारिवारिक श्रम सहित अनुमानित भुगतान की गई उत्पादन लागत (रुपए/क्विंटल)

फसल/राज्य	वर्ष	
	2006-07	2007-08
1	2	3
धान		
आंध्र प्रदेश	397.19	403.05
असम	440.45	462.14
बिहार	358.50	400.51
छत्तीसगढ़	381.76	394.18
हरियाणा	498.84	527.51
झारखण्ड	454.06	514.23
कर्नाटक	481.36	508.68
केरल	641.49	643.80
मध्य प्रदेश	508.52	539.57
उड़ीसा	409.48	426.42
पंजाब	344.33	367.23
तमिलनाडु	508.81	509.45
उत्तर प्रदेश	385.33	423.73
उत्तराखंड	465.25	462.06
पश्चिम बंगाल	465.19	459.96
कपास		
आंध्र प्रदेश	1142.65	1163.37
गुजरात	1398.31	1420.74
हरियाणा	1287.74	1349.51
कर्नाटक	1505.83	1501.06
मध्य प्रदेश	1893.31	1946.30
महाराष्ट्र	1818.45	1841.86
पंजाब	1786.71	1740.81
राजस्थान	1359.28	1362.47
तमिलनाडु	1908.50	2009.87
ज्वार		
आंध्र प्रदेश	606.73	690.18
कर्नाटक	587.34	621.87
मध्य प्रदेश	577.92	599.58
महाराष्ट्र	485.92	495.06
राजस्थान	426.24	443.11
तमिलनाडु	456.69	488.29
बाजरा		
गुजरात	473.07	501.12
हरियाणा	490.22	521.58
महाराष्ट्र	580.18	606.66
राजस्थान		379.70
उत्तर प्रदेश	409.26	415.39
मक्का		
आंध्र प्रदेश	416.76	434.39
बिहार	350.28	298.21
छत्तीसगढ़		564.80
हिमाचल प्रदेश	442.20	416.68
झारखण्ड	514.53	541.93
कर्नाटक	375.16	382.50
मध्य प्रदेश	444.86	465.19
राजस्थान	553.97	556.82
उत्तर प्रदेश	586.14	597.87
उत्तराखंड		709.36

1	2	3
रागी		
आंध्र प्रदेश	790.06	813.65
कर्नाटक	642.95	665.68
तमिलनाडु	647.43	663.97
तूर (अरहर)		
आंध्र प्रदेश	1000.22	962.95
गुजरात	1112.90	1239.25
कर्नाटक	1514.05	1553.05
मध्य प्रदेश	930.45	949.28
महाराष्ट्र	891.75	999.30
उड़ीसा	1110.01	1169.93
उत्तर प्रदेश	664.39	649.46
मूंग		
आंध्र प्रदेश	1307.60	1283.18
महाराष्ट्र	1456.00	1583.17
उड़ीसा	1669.08	1678.05
राजस्थान	1466.80	1441.30
उड़द		
आंध्र प्रदेश	848.28	865.07
छत्तीसगढ़	652.06	562.98
मध्य प्रदेश	1664.01	1693.17
महाराष्ट्र	1499.26	1543.26
उड़ीसा	1261.88	1366.12
राजस्थान	1591.06	1706.67
तमिलनाडु	1429.46	1376.50
उत्तर प्रदेश	846.30	868.41
गेहूं		
बिहार	456.34	493.41
छत्तीसगढ़	625.97	650.02
गुजरात	463.99	441.10
हरियाणा	360.66	363.49
हिमाचल प्रदेश	539.93	515.69
झारखण्ड	607.94	741.00
मध्य प्रदेश	424.23	426.88
पंजाब	337.17	342.85
राजस्थान	385.00	386.86
उत्तर प्रदेश	392.61	428.97
उत्तराखंड	526.42	508.35
जौ		
राजस्थान	352.42	331.69
उत्तर प्रदेश	371.75	398.17
चना		
बिहार	582.35	701.83
छत्तीसगढ़	831.75	752.43
हरियाणा	867.96	
झारखण्ड	789.15	823.99
मध्य प्रदेश	727.70	843.41
महाराष्ट्र	1163.24	1131.52
राजस्थान	1074.69	1021.18
उत्तर प्रदेश	749.63	714.57
उत्तराखंड	701.04	
लेन्टिल (मसूर)		
बिहार	513.26	616.24
झारखण्ड	778.57	934.13
मध्य प्रदेश	636.03	604.98
उत्तर प्रदेश	886.03	915.80

ग्रामीण क्षेत्र में पीसीओ कनेक्शन

2355. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोग ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन का उपयोग करने और पंचायत स्तर पर पीसीओ कनेक्शन प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए कनेक्शनों के साथ दिए जा रहे टेलीफोन सेट घटिया किस्म के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा पंचायत स्तर पर पीसीओ कनेक्शन उपलब्ध कराने में भी आमतौर पर निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:-

(1) कुछ मामलों, विशेषकर दूर-दराज, पर्वतीय तथा कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में केबल युग्म का उपलब्ध न होना।

(2) कुछ क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) संकेत का उपलब्ध न होना।

(3) बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था।

(4) राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा सड़क चौड़ा करने के लिए खुदाई करते समय मुख्य केबल को क्षति होने के कारण नए कनेक्शनों की व्यवस्था का कुप्रभावित होना।

इन कठिनाइयों के बावजूद, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय कर रही है:-

(1) पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां भूमिगत केबल बिछाया जाना संभव नहीं है, ओवरहेड लाइनों का निर्माण किया जाता है।

(2) जहां भूमिगत केबल अथवा ओवरहेड लाइनें बिछा कर कनेक्शन प्रदान किया जाना संभव नहीं है वहां क्षेत्र को डब्ल्यूएलएल पर व्यवहार्य बनाने के लिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) नए कनेक्शनों के साथ बीएसएनएल के गुणवत्ता और आश्वासन स्कन्ध द्वारा निरीक्षण के बाद टेलीफोन सेट प्रदान किए जा रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शुरूआती स्पेक्ट्रम का आवंटन

2356. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीसैट) को सूचित किया है कि वह नए दूरसंचार प्रचालकों को शुरूआती स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान कितनी और किन-किन कंपनियों को आशय-पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने माननीय टीडीएसएटी के समक्ष 2007 की याचिका सं. 286 के मामले में दिनांक 18.8.2006 के शपथ-पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 2008 के नये एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारकों को आबंटित प्रारम्भिक (शुरूआती) स्पेक्ट्रम की स्थिति के बारे में अधिकरण को सूचित किया है।

(ग) वर्ष 2008 के दौरान एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान करने के लिए जारी किए गए मांग-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2008 के दौरान एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान करने के लिए जारी किए गए मांग-पत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	जारी किए गए मांग-पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	एलियांज इन्फ्राटेक लिमिटेड	2
2.	बाइसेल टेलीकम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5

1	2	3
3.	डाटाकॉम साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	22
4.	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	9
5.	लूप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	21
6.	एस टेल लिमिटेड	6
7.	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	21
8.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	4
9.	स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	13
10.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	3
11.	यूनिटेक वायरलेस (दिल्ली) लिमिटेड	1
12.	यूनिटेक वायरलेस (पूर्व) प्राइवेट लिमिटेड	6
13.	यूनिटेक वायरलेस (कोलकाता) लिमिटेड	1
14.	यूनिटेक वायरलेस (मुम्बई) प्राइवेट लिमिटेड	1
15.	यूनिटेक वायरलेस (उत्तर) प्राइवेट लिमिटेड	6
16.	यूनिटेक वायरलेस (दक्षिण) लिमिटेड	3
17.	यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड	1
18.	यूनिटेक वायरलेस (पश्चिम) प्राइवेट लिमिटेड	3
	कुल	128

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन

2357. श्री संजय धोत्रे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ भागों में अभी भी मोबाइल टेलीफोन सुविधा का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन क्षेत्रों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का गांवों में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने के इच्छुक सेवा प्रदाताओं को सब्सिडी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) देश के जिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा समस्त जिला मुख्यालयों और 15989 शहरों/कस्बों को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) आधारित मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर कर लिया गया है। देश में मोबाइल दूरसंचार सेवाएं प्राइवेट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही हैं। 593601 गांवों में से बीएसएनएल द्वारा 274960 गांवों को मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर किया गया है। सरकार प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र-वार समेकित ब्यौरे नहीं रखती है। मोबाइल नेटवर्क का नेटवर्क पूंजी प्रधान होने के कारण इसकी योजना विभिन्न चरणों में तैयार की जाती है जो विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन होती है।

(ङ) से (छ) मोबाइल कवरेज का विस्तार करने की दृष्टि से, इस समय सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा देश के ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां कोई भी स्थिर वायरलेस अथवा मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में अवस्थित 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना और उनके प्रबंधन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना की भागीदारी तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूएसओएफ ने मोबाइल कवरेज को बढ़ाने की दृष्टि से 11,000 अतिरिक्त टावरों को यूएसओएफ सहायता प्रदान करके देश के अन्य सुविधारहित क्षेत्रों को कवर करने का भी प्रस्ताव किया है।

विवरण

देश के जिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका राज्यवार ब्यौरा

(31.10.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल/राज्य का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32900	37051	69951
2.	आंध्र प्रदेश	7650623	18305349	25955972
3.	असम	1997497	2933365	4930862
4.	बिहार	6787227	8385696	15172923
5.	छत्तीसगढ़	242736	590229	832965
6.	गुजरात	7129808	13494198	20624006
7.	हरियाणा	3278397	4671968	7950365
8.	हिमाचल प्रदेश	1864667	927262	2791929
9.	जम्मू-कश्मीर	1111137	1596389	2707526
10.	झारखंड	225584	508192	733776
11.	कर्नाटक	4744208	15322662	20066870
12.	केरल	5264743	9089712	14354455
13.	मध्य प्रदेश	4400195	11764296	16164491
14.	महाराष्ट्र (-) मुम्बई	8959680	16870529	25830209
15.	पूर्वोत्तर-I	663226	1655995	2319221
16.	पूर्वोत्तर-II	88403	239352	327755
17.	उड़ीसा	3435438	3492543	6927981
18.	पंजाब	4055763	8574530	12630293
19.	राजस्थान	8693641	9650974	18344615
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नई	7050975	15822647	22873622
21.	उत्तराखंड	282274	428985	711259
22.	उत्तर प्रदेश	12494333	24606252	37100585
23.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	6736548	5963753	12700301

1	2	3	4	5
24.	कोलकाता	889791	8870129	9759920
25.	चेन्नई	71239	8369018	8440257
26.	दिल्ली	20	19070794	19070814
27.	मुम्बई	126	16335558	16335684
	कुल	98151179	227577428	325728607

अपर बहुआ जलाशय

2358. श्री गिरिधारी यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार स्थित जाम्वी में अपर बहुआ जलाशय का प्रचालन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जाम्वी, बिहार में ऊपरी बहुआ जलाशय के संबंध में प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डेयरी सहकारिताएं

2359. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डेयरी सहकारिताओं को अपनी अवसंरचना सुदृढ़ बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डेयरी सहकारिताओं को धनराशि उपलब्ध कराने में कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं;

(ग) क्या मौजूदा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि केवल डेयरी सहकारिताओं से संबद्ध क्षेत्रीय यूनियन को ही सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय यूनियन से असंबद्ध परम्परागत दुग्ध सोसाइटियों को शामिल करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग डेयरी सहकारिताओं की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) और गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एसआईक्यूसीएनपी) नामक दो योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

आईडीडीपी योजना के तहत, जिला सहकारिता दुग्ध संघों/गैर आपरेशन फ्लड पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में राज्य सहकारिता परिसंघों और आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान 50 लाख रुपए से कम का निवेश प्राप्त करने वाले जिलों को सीधे शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। दूध के प्रसंस्करण, विपणन तथा इसकी खरीद के संवर्द्धन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

एसआईक्यूसीएमपी योजना के तहत, मौजूदा प्रयोगशाला में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा किसानों को स्टेनलैस स्टील के बर्तनों की आपूर्ति के लिए जिला सहकारिता दुग्ध संघों/राज्य सहकारिता दुग्ध परिसंघों को सहायता-अनुदान दिया जाता है। गांव के स्तर पर व्यापक दुग्ध कूलिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए 75% अनुदान भी दिया जाता है।

(ग) और (घ) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त योजनाओं के तहत, जिलों से संबद्ध डेयरी सहकारिता समितियों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि उक्त एजेंसियों/राज्य सरकारों में व्यवसायियों की कुशल देख-रेख में इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके।

(ङ) और (च) हाल ही में, इस विभाग ने एसआईक्यूसीएमपी योजना के मूल्यांकन तथा प्रभाव अध्ययन का कार्य प्रबंधन विकास केन्द्र, तिरुवनंतपुरम को तथा आईडीडीपी योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों को बदलने की आवश्यकता के मूल्यांकन का कार्य मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा है।

राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट

2360. श्री विजय कृष्ण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अभावग्रस्त जिलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे जिलों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि राधाकृष्णन समिति द्वारा अनुशंसित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र (प्रधान मंत्री राहत पैकेज) के आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के गैर-ऋण घटकों के कार्यान्वयन की अवधि और दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों के लिए ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि ऋण और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) स्कीम 2008 कार्यान्वित की है। नाबार्ड ने उनसे संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपाय आरम्भ किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग

2361. श्री के. सुब्बारायण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों के उपभोग को बढ़ावा देने तथा देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) विभिन्न वस्तुओं की पारिवारिक खपत के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़े, रिपोर्ट सं. 509 के अनुसार यह देखा गया है कि सभी अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत में 1993-94 और 2004-05 के बीच मामूली गिरावट आई है। वर्ष 1993-94, 1999-2000 और 2004-05 के दौरान अनाजों की पारिवारिक खपत से संबंधित उनकी रिपोर्ट से लिया गया विवरण संलग्न है।

खाद्य खपत के पैटर्न में परिवर्तन का कारण आय, स्वाद और पसंद में परिवर्तन जैसे कई घटक हो सकते हैं, इसमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, खाद्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य आदि भी शामिल हैं।

लक्षित आबादी की खपत के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आवंटन किया जाता है। ये खाद्यान्न केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर दिए जाते हैं जो खुला बाजार मूल्यों से कम होते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए यह आदेश है कि वे लाभार्थियों को आवंटित खाद्यान्नों का उचित वितरण सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त के अलावा सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करती है, जिनमें अन्नपूर्णा स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम और ग्रामीण अनाज बैंक योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि वे अपना उपभोग स्तर सुधार सकें।

विवरण

1993-94 और 2004-05 के बीच कुल अनाजों की खपत

अनाज	वर्ष	30 दिन में खपत हुई प्रति व्यक्ति मात्रा (किलोग्राम)	
		ग्रामीण	शहरी
चावल*	1993-94	6.79	5.13
	1999-00	6.59	5.10
	2004-05	6.38	4.71
गेहूं/आटा @	1993-94	4.32	4.44
	1999-00	4.45	4.45
	2004-05	4.19	4.36
ज्वार और इसके उत्पाद	1993-94	0.84	0.39
	1999-00	0.50	0.22
	2004-05	0.43	0.22
बाजरा और इसके उत्पाद	1993-94	0.48	0.13
	1999-00	0.38	0.09
	2004-05	0.39	0.11
मक्का और इसके उत्पाद	1993-94	0.38	0.03
	1999-00	0.32	एन.ए.
	2004-05	0.31	0.025
समस्त अनाज #	1993-94	13.4	10.60
	1999-00	12.72	10.42
	2004-05	12.12	9.94

*चावल उत्पादों को छोड़कर
@अन्य गेहूं उत्पादों को छोड़कर
#सभी अनाज उत्पाद शामिल है।

[हिन्दी]

मृदा हेल्थ कार्ड

2362. श्री पंकज चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को ऐसे "हेल्थ कार्ड" जारी करने का है, जिनमें अन्य जानकारी के साथ-साथ उनके खेतों के उपजाऊ होने तथा खेतों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल फसल और उर्वरक से संबंधित जानकारी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्डों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) संशोधित वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम में समाहित समेकित पोषक तत्व प्रबंधन स्कीम के उपघटक के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण एक अनुमोदित क्रियाकलाप है जिसके लिये राज्य सरकार को सहायता जो 10 रु. प्रति कार्ड से अधिक नहीं है, दी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत 500 स्थायी तथा 250 सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रमुख पोषक तत्वों, गौण पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर मृदा स्थिति की जानकारी शामिल होती है। मृदा स्थिति के आधार पर विभिन्न फसलों के लिये सिफारिशें भी की जाती हैं। 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किसानों को कुल 163 लाख (लगभग) मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।

(ग) सामान्य रूप से, राज्य सरकारें मृदा नमूनों के विश्लेषण के पश्चात् 7 से 30 दिनों की समयावधि में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती हैं।

विश्व विकास रिपोर्ट

2363. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विकास रिपोर्ट में कृषि को देश में गरीबी उपशमन का एक अच्छा माध्यम बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट के आधार पर कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विश्व विकास रिपोर्ट, 2008 के अनुसार कृषि गरीबी उन्मूलन के लिये विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि विकासशील देशों में प्रत्येक चार में से तीन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा उनमें से अधिकांश अपनी जीविका के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। अतएव, विकासशील देशों में गरीबी की समस्या का समाधान कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा गैर-फार्म ग्रामीण रोजगार के सृजन के जरिये किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र को जीवन्त बनाने तथा उसका पुनरुद्धार करने के लिये भारत सरकार द्वारा बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों की सकल आय में परिवर्तन करके खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 का अनुमोदन शामिल है। राष्ट्रीय किसान नीति के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि, जल, पशुधन, मात्स्यिकी तथा जैव-संसाधनों के मामले में परिसम्पत्ति सुधार, कुशलता विकास, सतत तरीके से उत्पादकता में सुधार लाने के लिये अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे आदान, सहायक सेवायें, तथा किसानों के लिये विपणन के बेहतर अवसर आदि शामिल हैं। सरकार की बहुत सी चालू स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत नीति के बहुत से प्रावधानों को प्रचालित किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने दो नई स्कीमें यथा, खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा कृषि व संगत क्षेत्र की स्कीमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को शिथिलता और स्वायत्तता के साथ कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिये राज्यों को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की हैं। सरकार के क्रियाकलापों में 7% प्रति वर्ष की घटाई गई ब्याज दर पर किसानों को 3.00 लाख रु. तक के फसल ऋण का प्रावधान, केन्द्रीय बजट 2008-09 में घोषित किये गये अनुसार ऋण में छूट तथा ऋण राहत की स्कीम का क्रियान्वयन तथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिये क्रियान्वित की जा रही बहुत सी प्लान स्कीमें/कार्यक्रम भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

ईपीएफओ की माफी योजना

2364. श्री एस. अजय कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक माफी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के कितने मामलों को राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत लाया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने मामले वापस लिए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्याज की कीमतें

2365. श्री सुव्रत बोस:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में प्याज के कम उत्पादन के कारण इसकी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्याज की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और इसकी कम आपूर्ति के कारण इसमें और वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो प्याज की उपलब्धता में सुधार लाने तथा मूल्यों को काबू करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां प्याज उत्पादन बढ़ रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) हमारे देश में प्याज की कोई कमी नहीं है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान मानसून आने में देरी के कारण इसकी कमी जैसी स्थिति महसूस की गई है जिसके कारण बुआई में देरी हुई और परिणामस्वरूप बाजार में प्याज देर से पहुंची।

प्याज का मूल्य पिछले वर्ष के अप्रैल से अक्तूबर की अवधि की तुलना में वर्ष 2008 से इसी अवधि में कम रहा। महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज की ताजा खरीफ फसल एक माह के विलम्ब से पहुंची जो आमतौर पर देरी से बुआई के कारण अक्तूबर के

दूसरे पखवाड़े/अन्तिम सप्ताह में पहुंचना शुरू होता है। इस प्रकार प्याज का मूल्य अक्तूबर, 2008 से कुछ बढ़ते रुझान में दिखाई दिया। दिसम्बर, 2008 माह के उत्तरार्द्ध तक इसकी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। रबी प्याज के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की उम्मीद की जाती है। अत: मंडी में प्याज की उपलब्धता में आगामी माह में और सुधार होगा और इससे प्याज के मूल्यों में कमी आने की आशा की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन राज्यों जहां प्याज के उत्पादन में बढ़ोत्तरी रही है, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान प्याज का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (000 है.)				उत्पादन (000 है.)				उपज (टन/हैक्टे.)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
आंध्र प्रदेश	20.90	22.05	19.66	21.93	186.75	197.00	175.58	199.93	8.94	8.93	8.93	9.12
बिहार	24.15	24.05	26.25	27.66	267.25	265.65	289.15	306.43	11.07	11.05	11.02	11.08
गुजरात	47.75	49.23	46.67	52.45	960.00	984.75	983.49	1,113.48	20.10	20.00	21.07	21.23
हरियाणा	13.25	13.05	13.05	13.74	261.00	257.00	257.00	271.05	19.70	19.69	19.69	19.73
कर्नाटक	34.50	41.64	45.84	57.39	270.00	306.60	356.41	455.11	7.83	7.36	7.78	7.93
मध्य प्रदेश	26.00	25.50	22.47	26.29	311.00	303.80	288.37	344.30	11.96	11.91	12.83	13.10
महाराष्ट्र	80.98	93.90	101.16	116.02	1,670.00	1,850.00	2,118.39	2,448.27	20.62	19.70	20.94	21.10
उड़ीसा	55.50	55.50	57.28	57.30	488.00	473.00	499.18	499.45	8.79	8.52	8.71	8.72
अन्य	32.25	33.10	35.86	37.26	381.00	391.75	435.81	451.59	11.81	11.84	12.15	12.12
राजस्थान	27.00	28.35	27.70	30.13	362.00	380.60	408.51	452.42	13.41	13.43	14.75	15.02
तमिलनाडु	19.25	24.00	26.22	27.20	222.50	251.10	267.19	277.11	11.56	10.46	10.19	10.19
उत्तर प्रदेश	53.75	53.65	56.28	60.38	563.00	562.00	589.50	631.38	10.47	10.48	10.47	10.46
कुल	435.28	464.02	478.44	527.75	5,942.50	6,223.25	6,668.58	7,450.52				

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान नासिक, महाराष्ट्र।

वैकल्पिक फसलों की खेती

2366. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तम्बाकू उत्पादन वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुछेक फसलों को सूचीबद्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तम्बाकू

की वैकल्पिक फसलों पर अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कई वैकल्पिक फसलों अर्थात् मक्का, चावल, सरसों, मिर्च, चना, उड़द, अरहर, कपास, गन्ना, मूंगफली, आयल पाम इत्यादि का विकास किया गया है और देश के विभिन्न कृषि जलवायु अंचलों में तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों के लिए इनकी सिफारिश की गई है।

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का राजस्व घाटा

2367. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) क्या घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीएसएनएल तथा एमटीएनएल 3जी स्पैक्ट्रम हेतु भुगतान कर पा रहे हैं और निकट भविष्य में कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन ढांचा लागू करने में सक्षम हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले दो वर्षों तथा वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अर्जित निवल लाभ निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	बीएसएनएल	एमटीएनएल
2005-06	8939.70	580.29
2006-07	7805.87	681.74
2007-08	3009.39	586.89

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य के आकलन के अभाव में 3जी स्पैक्ट्रम हेतु भुगतान अभी देय नहीं हुआ है। जहां तक वेतन संशोधन का संबंध है, लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 26.11.2008 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिस पर प्रबंधन द्वारा विचार किया जा रहा है तथा यथासमय उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जल स्तर

2368. श्री निखिल कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ समय में 70 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) क्या प्रभावित राज्यों के परामर्श से सरकार जलाशयों में जल स्तर को यथावत बनाए रखने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश में 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति की मानीटरी करती है। 11 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार पिछले 10 वर्षों के इन जलाशयों के संयुक्त सक्रिय भंडारण आंकड़ों से इन जलाशयों के सक्रिय भंडारण में कोई गिरावट नहीं देखी गई है।

भुखमरी से हुई मौतें

2369. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 के दौरान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी सहित देश के दूसरे भागों से भुखमरी से मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से भुखमरी से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा भुखमरी से हुई मौतों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भुखमरी से मौत, यदि कोई हो, के संबंध में ब्यौरे मांगे हैं। तथापि, 2008 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी सहित किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भुखमरी से मौत होने की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

(घ) देश में खाद्य सुरक्षा और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है:-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली: सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारक 6.52 करोड़ परिवारों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन कर रही है। इस स्कीम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इनका आबंटन आबादी की गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी किया जाता है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित अन्नपूर्णा स्कीम के अधीन 65 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों अथवा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अधीन यद्यपि पेंशन के लिए पात्र तो हैं लेकिन पेंशन नहीं पा रहे हैं उन्हें 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।

3. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार के जरिए क्रियान्वित इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा के 8 केबीके जिलों में गरीबी रेखा से नीचे की दर पर उड़ीसा राज्य सरकार को लगभग 2 लाख लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न (चावल) आबंटित किए जा रहे हैं।

4. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम के अधीन खाद्यान्नों की जरूरत वाले लोगों को ग्रामीण अनाज बैंकों से खाद्यान्न ऋण पर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

2370. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में आईटी प्रदर्शनी लगाने हेतु कोई सहायता प्रदान की जानी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शोलापुर क्षेत्र में अप्रैल 2007 में आयोजित प्रदर्शनी के लिए कोई सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत संस्था ने पहले ही 51 एसटीपीआई केन्द्र (विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार) स्थापित कर लिए हैं। नया एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार को एसटीपीआई केन्द्र को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल और 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए एसटीपीआई को 50 लाख रुपए की आरम्भिक राशि प्रदान करता है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

(ग) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
नई दिल्ली-110003

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाडा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पुडुचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नई
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरुनेलवेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तराखण्ड	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़गपुर
48.		सिलीगुड़ी
49.		हल्दिया
50.	बिहार	पटना
51.	मेघालय	शिलांग

[अनुवाद]

ग्रामीण गोदाम

2371. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण गोदामों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन दिए गए/जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ''ग्रामीण भण्डारण योजना'' नामक ग्रामीण गोदामों के निर्माण की एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का 1.4.2008 से कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि आदानों इत्यादि के भण्डारण तथा बंधक ऋण और विपणन ऋण की सुविधा सृजित करके आपदा बिक्री की रोकथाम के लिए किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत राजसहायता संस्थागत ऋण से जुड़ी है और केरल ऐसी परियोजनाओं को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास वित्त कंपनियों, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वित्त पोषित हैं; को उपलब्ध होंगे। उद्यमियों के लिए गोदामों के निर्माण के लिए बैंकों ने ऋण पर्याप्त दीर्घावधिक पुर्नभुगतान अवधि के होंगे।

इस स्कीम के तहत सहायता चारदीवारी, आंतरिक सड़क, प्लेटफार्म नाली तंत्र, तुलन, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, भण्डारण सुविधाएं जो गोदाम के प्रचालन के लिए कार्यात्मक रूप से आवश्यक हैं, जैसी सहायक सुविधाओं की लागत सहित गोदामों के निर्माण की पूंजी लागत पर उपलब्ध हैं।

स्कीम के तहत ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं और जो महिला किसानों/उनके स्व-सहायता समूहों/सहकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और उनकी सहकारियों के हैं के मामले में परियोजना की पूंजीगत लागत का 33.33% तथा 62.50 लाख रुपये की सब्सिडी पर अधिकतम सीमा के अध्यधीन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहायता प्राप्त सहकारियों के मामले में राजसहायता पर कोई अधिकतम सीलिंग नहीं है।

(2) किसानों की सभी श्रेणियों (महिला किसानों के अलावा) कृषि स्नातकों, सहकारियों और राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगमों के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का 25% और 46.875 लाख रुपए की राजसहायता पर एक अधिकतम सीलिंग के अध्यधीन एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त सहकारियों के मामले में राजसहायता पर कोई अधिकतम सीलिंग नहीं है।

(3) व्यक्तियों, कंपनियों और निगमों इत्यादि की सभी अन्य श्रेणियों की पूंजीगत लागत के 15% तथा 28.125 लाख रुपए की सब्सिडी पर अधिकतम सीलिंग के अध्यधीन है; और

(4) एनसीडीसी से सहायता के साथ सहकारियों के गोदामों के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का 25%।

यह स्कीम मांग आधारित है और सभी राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए लागू है और राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

स्कीम के आरम्भ से और 31 अक्तूबर, 2008 तक, 235.46 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 19344 भण्डारण परियोजनाएं तथा नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा 523.67 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्मुक्त/स्वीकृत की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान और 31.10.2008 तक स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I से IV के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निजी उद्यमी भी उद्यमी की श्रेणी और परियोजना की अवस्थिति पर निर्भर करते हुए 15%, 25% और 33.33% दर से सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

विवरण I

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
(31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)-संचयी

(भौतिक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नया)		कुल नया निर्माण		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (जीर्णोद्धार)		कुल 7 (5+5)	
		परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टन में	परि. की संख्या	क्षमता टन में
1.	आंध्र प्रदेश	548	2398813	56	4300	604	2403173	51	4750	655	2407923
2.	असम	72	94880	1	650	73	9530	0	0	73	95530
3.	बिहार	2	11000	157	16150	159	27150	2	500	161	27650
4.	छत्तीसगढ़	151	462662	73	357000	224	819662	0	0	224	819662
5.	गुजरात	781	285914	23	78300	804	364214	19	19000	823	383214
6.	हरियाणा	175	1248805	66	10500	241	1259305	103	230817	344	1490122
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	31	3600	31	3600	0	0	31	3600
8.	जम्मू-कश्मीर	1	100	1	1950	2	2050	0	0	2	2050
9.	कर्नाटक	941	799548	41	14825	982	814373	1	100	983	814473
10.	केरल	18	14014	29	9600	47	23614	8	1570	55	25184
11.	मध्य प्रदेश	795	1511014	165	93050	960	1604064	120	72616	1080	1676680
12.	महाराष्ट्र	1136	1268400	31	181000	1167	1449400	129	261300	1296	1710700
13.	मेघालय	2	9600	34	3450	36	13050	3	300	39	13350
14.	नागालैंड	1	4000	0	0	1	4000	0	0	1	4000
15.	उड़ीसा	138	320237	0	0	138	320237	0	0	138	320237
16.	पंजाब	2973	3165049	14	1790	2987	3166839	213	771950	3200	3938789
17.	राजस्थान	48	121124	90	48850	138	169974	116	11600	254	181574
18.	तमिलनाडु	44	158669	24	28300	68	186969	2	600	70	187569
19.	उत्तर प्रदेश	104	817829	89	178100	193	995929	693	955468	886	1951397
20.	उत्तराखंड	24	57405	21	13950	45	71355	0	0	45	71355
21.	पश्चिम बंगाल	1053	351913	91	9100	1144	361013	15	1500	1159	362513
22.	यू टी एस	0	0	02	1400	2	1400	0	0	2	1400
23.	नेफेड	0	0	04	27400	4	27500	0	0	4	27500
	कुल	9007	13101036	1043	1083365	10050	14184401	1475	2332071	11525	16516472

विवरण II

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
(31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)–संचयी

(भौतिक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नया)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (जीर्णोद्धार)		कुल 6 (3 से 5)	
		परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	627	2573709	57	10300	51	4750	735	2588759
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3.	असम	119	147688	1	650	0	0	120	148338
4.	बिहार	13	48267	277	28750	2	500	292	77517
5.	छत्तीसगढ़	181	550797	64	257500	0	0	245	808297
6.	गुजरात	1836	586543	32	93600	19	19000	1887	699143
7.	हरियाणा	169	1274857	74	11300	104	230917	347	1517074
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	31	3600	0	0	31	3600
9.	जम्मू-कश्मीर	1	100	1	1960	0	0	2	2050
10.	कर्नाटक	1150	962317	51	19050	2	240	1203	981607
11.	केरल	23	16346	34	10400	8	1570	65	28316
12.	मध्य प्रदेश	895	1754858	165	93050	120	72616	1180	1920524
13.	महाराष्ट्र	1298	1452352	32	178500	129	261300	1459	1892152
14.	मेघालय	2	9600	34	3450	3	300	39	13350
15.	नागालैंड	1	4000	4	700	0	0	5	4700
16.	उड़ीसा	177	375053	0	0	0	0	177	375053
17.	पंजाब	3256	3165049	14	1790	213	771950	3483	3938789
18.	राजस्थान	198	199070	131	65050	116	11600	445	275720
19.	तमिलनाडु	46	129949	99	36450	185	26950	330	193349
20.	उत्तर प्रदेश	146	975470	90	179100	693	955468	929	2110038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उत्तराखण्ड	45	97447	22	17950	4	18600	71	133997
22.	पश्चिम बंगाल	1208	448233	91	9100	15	2350	1314	459683
23.	यू टी एस	0	0	01	4000	0	0	1	4000
24.	नेफेड	0	0	06	30800	0	0	6	30800
25.	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	1	10000
	कुल	11392	14772650	1312	1067040	1664	2378111	14368	18217801

विवरण III

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
(31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)-संचयी

(भौतिक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नया)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (जीर्णोद्धार)		कुल 6 (3 से 5)	
		परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	739	2946170	57	10300	1	4750	847	2961220
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3.	असम	146	188774	1	650	0	0	147	189424
4.	बिहार	23	62700	342	35350	0	1500	371	99550
5.	छत्तीसगढ़	222	630435	77	258350	0	0	299	888785
6.	गोवा	3	290	0	0	0	0	3	290
7.	गुजरात	3109	928632	39	102500	19	19600	3167	1050732
8.	हरियाणा	220	1423341	201	24000	155	236017	576	1683358
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1364	31	3600	0	0	35	4964
10.	जम्मू-कश्मीर	1	100	1	1950	0	0	2	2050
11.	झारखण्ड	4	5848	0	0	0	0	4	5848
12.	कर्नाटक	1585	1247320	85	52990	2	240	1672	1300550
13.	केरल	32	32510	58	15700	8	1570	98	49780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	1349	2743677	105	93000	120	72616	1574	2909293
15.	महाराष्ट्र	1795	2172479	33	178500	129	261300	1957	2612279
16.	मेघालय	4	8985	34	3450	3	300	41	12735
17.	नागालैंड	1	250	0	0	0	0	1	250
18.	उड़ीसा	209	425785	0	0	4	12000	213	437785
19.	पंजाब	1162	2639002	14	1790	208	385600	1384	3026392
20.	राजस्थान	416	337265	135	66650	116	11600	667	415515
21.	तमिलनाडु	94	319089	98	35650	185	26950	377	381689
22.	उत्तर प्रदेश	196	1154226	87	149100	693	955468	976	2258794
23.	उत्तराखण्ड	82	157080	22	17950	4	18600	108	193630
24.	पश्चिम बंगाल	2183	887491	91	9100	15	1500	2289	898091
25.	यू टी एस	0	0	01	4000	0	0	01	4000
26.	नेफेड	0	0	05	30800	0	0	05	30800
27.	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	01	10000
	कुल	13580	18313758	1518	1105380	1718	2009611	16816	21428749

विवरण IV

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
(31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)-संचयी

(भौतिक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नया)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (जीर्णोद्धार)		कुल 6 (3 से 5)	
		परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टनों में	परि. की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	767	3047697	57	10300	51	4750	875	3062747
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3.	असम	164	246778	1	650	0	0	165	247428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	31	69245	342	35350	6	1500	379	106095
5.	छत्तीसगढ़	225	636634	77	258350	0	0	302	894984
6.	गोवा	3	290	0	0	0	0	3	290
7.	गुजरात	4105	1192559	35	102700	19	19600	4159	1314859
8.	हरियाणा	268	1615762	312	35000	243	244817	823	1895579
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1772	32	3700	0	0	37	5472
10.	जम्मू-कश्मीर	3	6100	1	1950	0	0	4	8050
11.	झारखण्ड	4	5848	0	0	0	0	4	5848
12.	कर्नाटक	1746	1357569	88	69990	2	240	1836	1427799
13.	केरल	36	33584	69	18045	8	1570	113	53199
14.	मध्य प्रदेश	1567	3442322	103	93000	120	72616	1790	3607938
15.	महाराष्ट्र	1955	236260	33	178500	129	261300	2117	2802403
16.	मेघालय	4	8985	34	3450	3	300	41	12735
17.	नागालैंड	1	250	0	0	0	0	1	250
18.	उड़ीसा	246	475287	0	0	4	12000	250	487287
19.	पंजाब	1178	2713519	14	1790	208	385600	400	3100909
20.	राजस्थान	506	418986	156	68150	128	12800	790	499936
21.	तमिलनाडु	111	360935	169	43488	278	37285	558	441708
22.	उत्तर प्रदेश	201	1172005	100	160500	693	955468	994	2287973
23.	उत्तराखण्ड	87	169732	22	17950	4	18600	113	206282
24.	पश्चिम बंगाल	2476	1020843	91	9100	15	1500	2582	1031443
25.	यू टी एस	0	0	01	4000	0	0	01	4000
26.	नेफेड	0	0	05	30800	0	0	05	30800
27.	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	01	10000
	कुल	15690	20360250	1743	1156763	1911	2029946	19344	23546959

एनआईएफटी की क्षमता में बढ़ोत्तरी

2372. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) निफ्ट के चार अतिरिक्त केन्द्र खोले गए थे और तदनुसार स्वीकृत सीटें बढ़ायी गयी थीं:

निफ्ट भोपाल	:	60 सीटें
निफ्ट कन्नूर	:	60 सीटें
निफ्ट पटना	:	60 सीटें
निफ्ट शिलांग	:	60 सीटें

मत्स्यन बंदरगाह

2373. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तमिलनाडु में कार्य कर रहे मत्स्यन बंदरगाहों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास तमिलनाडु में और मत्स्यन बंदरगाहों को मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) नए मत्स्यन बंदरगाहों के कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) तमिलनाडु में पांच मात्स्यिकी बंदरगाह अर्थात् चेन्नई जिले में चेन्नई, थुटुकुडी जिले में थुटुकुडी, तंजावुर जिले में मालीपटनम, नागापटीनम जिले में पझायार तथा कन्याकुमारी जिले में चिनामुटोम में काम कर रहे हैं।

(ख) से (घ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कन्याकुमारी जिले में कोलाचल और थेंगापट्टिनम में क्रमश: 27.10 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो नई मत्स्य बंदरगाह परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन दोनों मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण कार्य तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वीकृत समय-सीमा के भीतर हाथ में लिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार का मात्स्यिकी बंदरगाह का कोई अन्य प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

मवेशियों तथा भैंस संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

2374. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मवेशियों तथा भैंस संबंधी राष्ट्रीय परियोजना द्वारा अपनाए गए उपायों की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की शुरूआत से अब तक समीक्षाधीन अवधि में यथा व्यक्त कितने मवेशियों तथा भैंसों का संरक्षण और उन्नयन किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। स्वतंत्र एजेंसी (नाबार्ड) द्वारा इस परियोजना का मूल्यांकन 12 राज्यों में किया गया था, जिसने पहले चरण के क्रियान्वयन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। एजेंसी के निष्कर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के दूसरे चरण को दिसंबर, 2006 में आरंभ किया गया था। देश में गोपशु और भैंस संपदा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए परियोजना के चरण-I के दौरान ली गई गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना चरण-I के क्रियान्वयन के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी (नाबार्ड) के मुख्य निष्कर्ष

(1) अधिकतर गतिविधियां क्रमिक प्रकृति की हैं, इसलिए निधियों के जारी करने में अंतराल नहीं होना चाहिए;

(2) इस परियोजना के तहत गठित राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां कृत्रिम गर्भाधान के फीस की वसूली के माध्यम से व्यवहार्य नहीं हैं, क्योंकि विशेषकर अधिकांश राज्यों में मुफ्त सेवा प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण लागत की वसूली अभी आरंभ होनी शेष है;

(3) 1970 तथा 1980 के दशकों के मध्य स्थापित अधिकतर वीर्य केंद्रों में एमएसपी के अनुसार सांडशाला और उपकरण उपलब्ध नहीं हैं (क्योंकि अधिकतर राज्यों ने

तरल वीर्य एकत्रीकरण केंद्रों को हिमित वीर्य सांड केंद्रों में परिवर्तित कर दिया है) इस प्रकार, वीर्य उत्पादन की गुणवत्ता और अंततः प्रजनन कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है;

(4) परियोजना के तहत लगाए गए निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता तीन महीने की अवधि के लिए व्यवहार्य नहीं हैं, जिसके दौरान इस समय टेपरिंग अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार, उनकी व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को दीर्घावधिक कार्य निष्पादन से जुड़ी सहायता को टेपरिंग अनुदान के रूप में दिया जाए;

(5) गुणवत्ता प्रजनक सांडों के स्रोत व उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है और इसके लिए सांड उत्पादन कार्यक्रम को देखने के लिए कुछ एजेंसियों की पहचान किया जाना आवश्यक है;

(6) एनपीसीबीबी के लिए निधियों के प्रवाह की पूरकता को पशुधन घटक के साथ बहु-विधा वाली योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों में एकत्रीकरण के माध्यम से आवश्यक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए;

(7) कमियों को दूर करने के लिए समय पर मानिटरिंग तथा कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बिंदुओं की मानिटरिंग के लिए तंत्र (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, वीर्य केंद्रों, फार्मों तथा प्रजनन कार्यक्रमों) को आवश्यक रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए; तथा

(8) वीर्य, वीर्य केंद्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान वाले सांडों के प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय मानिटरिंग पोस्ट की स्थापना करना ताकि प्रजनन के आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

विवरण II

राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना चरण-I के तहत स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए किए गए प्रयास

1. प्राकृतिक सेवा के लिए सांडों की खरीद:

गोपशु संख्या की गैर प्रजातीय तथा प्रजातीय नस्लों के अनुवंशिक उन्नयन के लिए, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों (एसआईए) ने अभिज्ञात अच्छी किस्म के गुणवत्ता सांडों की खरीद की है।

प्राकृतिक सेवा के लिए सांडों को खरीदने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की गई है और 11000 सांडों को शामिल किया गया है अथवा शामिल करने की प्रक्रिया में है। मुख्य रूप से स्वदेशी गोपशु तथा भैंस नस्लों के सांड अर्थात् हरियाणा, थारपरकर, गिर, साहीवाल, रेड सिंधी, ओंगोले, गंगातिरी, मालवी, केनकांथा, पोवर सीरी, कंकरेज, राठी, देवनी, अमृतमहल, अंबलाचेरी, गाओलाओ, मुर्राह, भदवारी, सुरती तथा जाफराबादी को खरीदा गया है। सांडों की खरीद के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

2. फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग प्रणाली (एफपीआरएस):

चरण-1 के दौरान भाग लेने वाले राज्यों को एफपीआरएस का सही तरीके से विकास करने के लिए धनराशि जारी की गई है। राजस्थान (गिर, कंकरेज, हरियाणा, राठी तथा थारपरकर), उत्तर प्रदेश (गंगातिरी, साहीवाल, थारपरकर तथा हरियाणा), उत्तराखंड (रेड सिंधी), पंजाब (साहीवाल), आंध्र प्रदेश (आंगोले), महाराष्ट्र (देवनी), कर्नाटक (देवनी तथा हल्लिकर) तथा गुजरात (गिर तथा कंकरेज) में पशुओं की रिकार्डिंग शुरू हो गई है। इस घटक के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और रिकार्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 20000 से अधिक पशुओं को इसके तहत लाया गया है।

3. सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण:

चरण-1 के दौरान भाग लेने वाले राज्यों में अच्छी किस्म की नस्ल के सांडों की उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से स्वदेशी नस्ल की सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण शुरू किया है। इस घटक के अंतर्गत राज्यों ने उत्तर प्रदेश (हरियाणा-बाबूगढ़ गाजियाबाद, साहीवाल-चकगंजारिया लखनऊ), पश्चिम बंगाल (साहीवाल तथा गिर-हरिघाटा), कर्नाटक (देवनी तथा हल्लिकर), पंजाब (साहीवाल-नाभा), छत्तीसगढ़ (साहीवाल-अंजोरा दुर्ग), महाराष्ट्र (देवनी), सिक्किम (सीरी), अरुणाचल प्रदेश (याक), नागालैंड (मिथुन), मिजोरम (मिथुन) तथा गुजरात (गिर-मोरवी) ने फार्मों की अनुवंशिक क्षमता में सुधार करने के लिए सांड माताओं को बदलने का भी कार्य शुरू किया है। 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

4. कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों की अभिप्राप्ति:

स्वदेशी नस्लों के वीर्य स्ट्राज के लिए राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वीर्य उत्पादन के उद्देश्य से स्वदेशी सांडों का उत्पादन किया है। चरण-1 के दौरान स्वदेशी नस्लों के 600 सांडों का उत्पादन किया गया है। इस घटक के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वार्षिक रूप से लगभग 6 मिलियन कृत्रिम गर्भाधान किए जाते हैं।

5. गोशाला को सहायता:

इस परियोजना के तहत ई.टी. केन्द्र की स्थापना विशेषकर स्वदेशी नस्लों (हरियाणा, साहीवाल, कवरेज एवं राठी) संबंधी भ्रूण का उत्पादन करने के लिए हरियाणा में धादोली गोशाला को 100 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसके परिणामस्वरूप गोशाला में उपलब्ध उन्नत किस्म की गायों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी।

6. भ्रूण अंतरण (ईटी) क्रिया-कलापों की शुरूआत:

चरण-1 के दौरान, स्वदेशी नस्लों में ई.टी. क्रिया-कलापों की शुरूआत करने के लिए उत्तराखंड (रेड सिंधी, साहीवाल), उत्तर प्रदेश (साहीवाल) तथा पश्चिम बंगाल (गिर एवं साहीवाल) को निधियां जारी की गई है। इन राज्यों ने स्वदेशी नस्लों के लिए सांड उत्पादन कार्यक्रम की शुरूआत की है ताकि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए गुणवत्ता सांडों को उपलब्ध कराया जा सके। इस घटक के तहत 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

7. संतति परीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत:

बैफ के सहयोग से उत्तर प्रदेश में स्वदेशी नस्लों के लिए प्रति बैच 20 सांडों आकार वाले संतति परीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। चरण-1 के दौरान पीटीपी प्रारंभ करने के लिए राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने प्रारंभिक क्रिया-कलाप पूरे कर लिए हैं। घटक के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

चरण-1 के दौरान विशेषकर स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, कृत्रिम गर्भाधान संबंधी मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं तथा स्वदेशी वीर्य की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

एआईबीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को सहायता

2375. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न योजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा III में दिया गया है।

(ग) स्थिति संलग्न विवरण-I और III में दी गई है।

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत कृषि की समस्या वाले जिलों को प्रदान की जाने वाली प्रधानमंत्री राहत पैकेज की केन्द्रीय सहायता के लिए शामिल परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्राथमिकता का निर्धारण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

विवरण I

एआईबीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को जारी केन्द्रीय सहायता (अनुदान) और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	स्थिति	राशि				
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06 से आज की तारीख तक कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं							
आंध्र प्रदेश							
1.	श्रीराम सागर (चरण-I) (III) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
2.	चेय्येरू (अन्नामाया) (V) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जुराला (VI) (सी)	पूर्ण	17.8890		0.0000	0.0000	17.8890
4.	सोमसिला (V) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
5.	नागार्जुनसागर (II) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
6.	मड्डुवलासा (V) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
7.	गुंडालावागु (V) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
8.	मेड्डीगेड्डा (V) (सी)	पूर्ण			0.0000	0.0000	0.0000
9.	कानुपुर नहर (III) (डी)	आस्थगित			0.0000	0.0000	0.0000
10.	येर्राकलावा (V)	निर्माणाधीन			0.0000	0.0000	0.0000
11.	वम्सधारा फेज-I	निर्माणाधीन		6.6830	0.0000	0.0000	6.6830
12.	एसआरएसपी की बाढ़ प्रवाह नहर (पीएमपी)	निर्माणाधीन	120.0000	127.4000	74.0000	61.0000	382.4000
13.	श्रीरामसागर परियोजना-II (पीएमपी)	निर्माणाधीन	2.2690	72.0000	0.0000	0.0000	74.2690
14.	तादीपुडी एलआईएस	निर्माणाधीन		48.2200	0.0000	0.0000	48.2200
15.	पुष्कारा एलआईएस	निर्माणाधीन		33.1155	13.9692	0.0000	47.0847
16.	रालीवागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन		6.7095	0.0000	0.0000	6.7095
17.	गोल्लावागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन		28.3500	32.1200	0.0000	60.4700
18.	मथाडीवागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन		28.3500	8.6700	0.0000	37.0200
19.	पेड्डावागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन		50.6250	0.0000	0.0000	50.6250
20.	गुंडलाकम्पा जलाशय (पीएमपी)	निर्माणाधीन	59.6100	39.7425	0.0000	0.0000	99.3525
21.	वल्लीगल्लु जलाशय (सी) (पीएमपी)	पूर्ण		36.085	26.2500	0.0000	62.3355
22.	अली सागर एलआईएस (सी) (पीएमपी)	पूर्ण		13.5000	2.8700	0.0000	16.3700
23.	जे. चोक्काराव एलआईएस (पीएमपी)	निर्माणाधीन		298.1300	405.0000	0.0000	703.1300
24.	ए.आर. गुथपा एलआईएस (सी) (पीएमपी)	पूर्ण		10.9500	6.5500	0.0000	17.5000
25.	निलवाई (पीएमपी)	निर्माणाधीन		2.8500	15.5500	0.0000	18.4000
26.	खोमाराम भीमा (पीएमपी)	निर्माणाधीन		7.7800	109.8300	27.9300	145.5400
27.	थोटापल्ली बैराज	निर्माणाधीन	63.1410		24.6400	11.9500	99.7310
28.	ताराकर्मा तीर्थ सागरम परियोजना	निर्माणाधीन	33.0060		0.0000	0.0000	33.0060

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	स्वर्णमुखी मेद सिंचाई परियोजना	निर्माणाधीन	5.9310	5.9310	0.0000	0.0000	11.8620
30.	पालेमवागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	9.5355		0.0000	0.0000	9.5355
31.	मुसुरिमिल्ली परियोजना	निर्माणाधीन			35.1800	27.7700	62.9500
32.	राजीव भीमा एलआईएस (पीएमपी)	निर्माणाधीन			233.1400	269.8700	503.0100
33.	61 लघु सिंचाई स्कीमें	निर्माणाधीन		27.0000	0.0000	0.0000	27.0000
34.	2008-09 की 6 नई लघु सिंचाई स्कीमें	निर्माणाधीन				24.3000	24.3000
	(आंध्र प्रदेश)-कुल		311.3815	843.4220	987.7692	422.8200	2565.3927

(सी) परियोजना पूर्ण, (डी) परियोजना आस्थगित, दूसरी परियोजना प्रगति पर, (पीएमपी) प्रधानमंत्री पैकेज के तहत परियोजनाएं

विवरण II

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश

मध्यम एवं वृहद परियोजना-लाभान्वित जिला एवं नदी बेसिन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बेसिन/नदी	लाभान्वित/जिला
1	2	3	4
1.	श्रीरामसागर चरण-1	गोदावरी/गोदावरी	निजमाबाद, वारंगल, अदिलाबाद, करीमनगर, नलगोंडा एवं खम्माम
2.	चेय्येरू (अन्नामाया)	पेन्नार/पेन्नार	कुडप्पा
3.	जुराला	कृष्णा/कृष्णा	मेहबूबनगर
4.	सोमसिला	पेन्नार/पेन्नार	नेल्लोर
5.	नागार्जुनसागर	कृष्णा/कृष्णा	नलगोंडा, कृष्णा, खम्माम, नेल्लौर, गुंटुर एवं प्रकाशम
6.	मड्डुवलासा	नागावली/नागावली	विजयानगरम
7.	गुंडालावागु	गुंडलावा/गोदावरी	खम्माम
8.	मेड्डीगेड्डा	मेड्डीगेड्डा/गोदावरी	पूर्वी गोदावरी
9.	कानुपुर नहर	पेन्नार/पेन्नार	नेल्लोर
10.	येर्राकलावा जलाशय	येमाकहा/गोदावरी	पश्चिमी गोदावरी
11.	वम्सधारा चरण-II फेज-I	वम्सधारा/वम्सधारा	श्रीकाकुलम
12.	एसआरएसपी का बाढ़ प्रवाह नहर	गोदावरी	करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा
13.	एसआरएसपी चरण-II	गोदावरी	वारंगल, नलगौंडा, खम्माम, अदिलाबाद

1	2	3	4
14.	तादीपुडी एलआईएस	गोदावरी	पश्चिमी गोदावरी
15.	पुष्कारा एलआईएस	गोदावरी	पूर्वी गोदावरी
16.	रालीवागु	गोदावरी	अदीलाबाद
17.	गोल्लावागु	गोदावरी	अदीलाबाद
18.	मथाडीवागु	गोदावरी	खम्माम
19.	पेड्डावागु	गोदावरी	नेल्लौर
20.	निलवाई	गोदावरी	अदीलाबाद
21.	श्री कोमाराम भीम	गोदावरी	अदीलाबाद
22.	अली सागर एलआईएस	गोदावरी	निजामाबाद
23.	गुथपा एलआईएस	गोदावरी	निजामाबाद
24.	जे. चोक्काराव एलआईएस	गोदावरी	वारंगल, नालगौंडा, करीमनगर, मेडक
25.	वेलीगल्लु	गोदावरी	कदापा
26.	गुंडलाकडम्मा	गुंडलाकम्मा	प्रकाशम
27.	स्वर्णमुखी	स्वर्णमुखी	नेल्लौर
28.	ताराकर्मा तीर्थ सागरम	चम्पावती	विजयानगरम
29.	पालेमवागु	गोदावरी	खम्माम
30.	थोटापल्ली बैराज	नागावली	श्रीकाकुलम, विजयानगरम
31.	मुसुरुमुल्ली	गोदावरी	पूर्वी गोदावरी
32.	राजीव भीमा एलआईएस	कृष्णा/कृष्णा	मेहबूबनगर

विवरण III

एआईबीपी के अंतर्गत डीपीएपी/जनजातीय क्षेत्रों की 67 एमआई स्कीमों की अब तक स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	तालुक	जिला	कार्य की अवस्था
1	2	3	4	5
	राज्य: आंध्र प्रदेश			
1.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
2.	पेंदारूगुडा एच/ओ नारसापुर-बी के नजदीक स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	निविदा आमंत्रित की गई

1	2	3	4	5
3.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
4.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
5.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
6.	स्थानीय नदी के नजदीक नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
7.	इसूकागेडा के ऊपर बचयापालम के समीप जलाशय का निर्माण	उतनूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
8.	कजेरिया जलाशय का निर्माण	अदीलाबाद	अदीलाबाद	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
9.	थेरीनाल के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	तकनीकी स्वीकृति
10.	चालामाला वेगु के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	तकनीकी स्वीकृति
11.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	असिफाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
12.	विक्कीवागु के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	असिफाबाद	अदीलाबाद	निविदा आमंत्रित की गई
13.	कं. कीलावोर के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
14.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
15.	बोकालावेगु शाखा के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	निविदा आमंत्रित की गई
16.	मेदरामवागु के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
17.	मोंगालीवोरे के ऊपर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	असिफाबाद	अदीलाबाद	वास्तविक रूप से पूर्ण
18.	रचिनी रागादी वोर्दी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	असिफाबाद	अदीलाबाद	वास्तविक रूप से पूर्ण
19.	पंगरीवागु पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	मदहोल	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
20.	टेकुमाल्टावागु पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	विस्तृत आकलन की प्रतीक्षा है
21.	पेड्डावागु पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	निविदा आमंत्रित की गई
22.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	सिरपुर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
23.	लघु सिंचाई टैंक का निर्माण (एफएनटी)	मदहोल	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
24.	गंगापुर वागु पर जलाशय का निर्माण	असिफाबाद	अदीलाबाद	विस्तृत आकलन की प्रतीक्षा है
25.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
26.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
27.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
28.	पालामादुगुवागु पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
29.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
30.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	अदीलाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5
31.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण	अदीलाबाद	अदीलाबाद	आकलन जांच के अधीन
32.	चौटी बोरटीं पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत
33.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	उतनूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
34.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	सिरपुर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
35.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
36.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	लक्सेपेट	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
37.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	लक्सेपेट	अदीलाबाद	निविदा आमंत्रित की गई
38.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
39.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	बोथ	अदीलाबाद	तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई
40.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	बोथ	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
41.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
42.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
43.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	असिफाबाद	अदीलाबाद	विस्तृत आकलन की प्रतीक्षा है
44.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	विस्तृत आकलन की प्रतीक्षा है
45.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
46.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	चेन्नूर	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
47.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
48.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
49.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	बोथ	अदीलाबाद	545.00 लाख रुपए का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित है।
50.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	अदीलाबाद	अदीलाबाद	कार्य प्रगति पर
51.	स्थानीय नदी पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	वायापाड	चित्तूर	कार्य प्रगति पर
52.	मेड्डेतेरु वागु पर नये टैंक का निर्माण (एफएनटी)	नांदयाल	कुरनूल	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
53.	चंद्रावंका के ऊपर नये लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	अल्लागड्डा	कुरनूल	विस्तृत आकलन की प्रतीक्षा है
54.	स्थानीय नदी पर लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	कालवाकुर्थी	महबूब	कार्य प्रगति पर
55.	थिप्पार्थी वागु परियोजना के एफआरएल को ऊपर उठाना	नालगौंडा	नालगौंडा	कार्य प्रगति पर
56.	बुनियादीगात्री चेलबू से फील्ड तक एफसी का विस्तारन	रमनपेट	नालगौंडा	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5
57.	बुनियादीगात्री चेलबू फाईल वामपुर से एफसी का विस्तारन	रमनपेट	नालगौंडा	कार्य प्रगति पर
58.	मुसी नदी पर पिकऑप एनीकट का निर्माण	कोडेपी	प्रकाशम	कार्य प्रगति पर
59.	मुसी नदी पर बहुउद्देश्यीय चेक बांध का निर्माण	अंगूल	प्रकाशम	तकनीकी रूप से जांच की और पूरा किया गया, मेदराम स्थानीय नदी
60.	बड्डीपुडी डोंका में मन्नेरू नदी पर अनिकट तथा सड़क का निर्माण	कोडेपी	प्रकाशम	कार्य प्रगति पर
61.	वाल्लरू में वाल्लुरी टैंक का एफटीएल उठाना और सुधार	अंगूल	प्रकाशम	कार्य प्रगति पर
62.	कुनावाराम एच/ओ समिति सिंगाराम (V) के समीप रेंगुलागांदी वागु परियोजना का निर्माण	पलोंचा	खम्माम	2008-09 की नई स्कीमें
63.	आसुपाका (V) के पास कोथुलावागु पर एफएनटी	पलोंचा	खम्माम	2008-09 की नई स्कीमें
64.	पाग्लेडेरू (V) के पास पोसमपाल्लीवागु पर नए टैंक का निर्माण	पलोंचा	खम्माम	2008-09 की नई स्कीमें
65.	रेगल्ला (V) के पास पुल्लाटीगुन पर नए टैंक का निर्माण	पलोंचा	खम्माम	2008-09 की नई स्कीमें
66.	चिंटालागुडेम (V) के पास बुमेरू नदी पर पोगांडा जलाशय	पश्चिमी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र	पश्चिमी गोदावरी	2008-09 की नई स्कीमें
67.	बल्लीकुरावा (एम) के वेलामावारेमपलेम (V) के पास गुंला खाम्मा नदी पर पिकअप अनिकट का निर्माण, अद्दांक (एम) के गोपालापुरम (V) के भावनासी टैंक के लिए फीडर चैनल की खुदाई और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लिए भाबांसी टैंक के एफटीएल को ऊंचा करना		प्रकाशम	2008-09 की नई स्कीमें

[अनुवाद]

टेलीकॉम आपरेटरों में बढ़ोत्तरी

2376. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीकॉम आपरेटरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) देश में दूरसंचार प्रचालकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने वर्ष 2008 के दौरान देश के 22 सेवा क्षेत्रों में 122 नए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस जारी किए हैं। अब देश के सभी 22 सेवा क्षेत्रों में 12 से 14 दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्राप्त हैं। किसी भी सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवा लाइसेंसों की संख्या संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सरकार ने, दिनांक 1.8.2008 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 3जी (तीसरी पीढ़ी) की मोबाइल और बीडब्ल्यूए

(ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम) सेवाओं के लिए दूरसंचार प्रचालकों को शामिल करने की परिकल्पना की है। राष्ट्रीय लम्बी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी तथा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंस, पात्रता की शर्तें पूरी कर दिए जाने पर, प्रचालकों की संख्या संबंधी बाध्यता के बिना ही जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

वायरलैस टेलीफोन कनेक्शन

2377. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य-वार कितने वायरलैस कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) वर्ष 2008-09 के दौरान (01.04.2008 से 31.10.2008 तक) देश में कुल 64.65 मिलियन वायरलैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान (01.04.2008 से 31.10.2008 तक) उपलब्ध कराए गए वायरलैस कनेक्शनों का सर्किल/राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा देश में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), ट्राई द्वारा जारी किए गए विनियमों में अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों की तुलना में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के निष्पादन को दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त तिमाही निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्ट के माध्यम से मॉनीटर करता है। ट्राई मासिक संकुलन रिपोर्ट के भाध्यम से पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) पर संकुलन को भी मॉनीटर करता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता ट्राई द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए अपनी मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना में लगातार वृद्धि करके तथा इसे इष्टतम बनाकर गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

(2) देश के उन 1685 अल्प दूरी क्षेत्रों (एसडीसीए) में, जहां टेलीफोन उपलब्ध कराने की लागत अर्जित राजस्व से कम है, ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की व्यवस्था करने और 27 राज्यों (उत्तर प्रदेश स्थित 666 टावरों सहित) के 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना करने, उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां इस समय कोई स्थिर वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, दूसरे चरण में, लगभग 11000 अतिरिक्त अवसंरचना स्थलों (टावरों) (उत्तर प्रदेश के 733 टावरों सहित) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली के कवरेज में विस्तार करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा और अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(4) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक भागों को आनुषंगिक कवरेज प्रदान करने के लिए सभी राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क की संस्थापना करना।

(5) सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बीएसएनएल द्वारा परियात संकुलन की दृष्टि से मोबाइल नेटवर्क को मॉनीटर किया जा रहा है, सेवाओं को इष्टतम बनाया जा रहा है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(6) निरन्तर बढ़ती मांग तथा परियात के कारण नेटवर्क संकुलन को दूर करने के लिए बीएसएनएल तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क का विस्तार।

(7) बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा दोष-कर को कम करने हेतु यथापेक्षित रूप से तथा केबलों, ड्रॉप वायर आदि को बदल कर आउटडोर नेटवर्क में सुधार करना।

(8) एमटीएनएल लैण्डलाइन तथा मोबाइल दोनों उपभोक्ताओं को समाचार, गाने, ज्योतिष ई-टिकटिंग, लघु संदेश सेवा (एसएमएस), वायस एसएमएस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) आदि जैसी अनेक मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(9) एमटीएनएल उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोलकर, डीलरों तथा एजेंटों आदि की नियुक्ति करके भी उपभोक्ताओं का ध्यान रख रहा है।

विवरण

वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.10.2008 तक) के दौरान बेतार टेलीफोन की वृद्धि संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल/राज्य का नाम	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बेतार उपभोक्ताओं की संख्या	31.10.2008 की स्थिति के अनुसार बेतार उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष 2008-09 (31.10.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए बेतार कनेक्शन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	57846	69951	12105
2.	आंध्र प्रदेश	20577632	25955972	5378340
3.	असम	3913099	4930862	1017763
4.	बिहार	10869459	15172923	4303464
5.	छत्तीसगढ़*	701032	832965	131933
6.	गुजरात	16968200	20624006	3655806
7.	हरियाणा	6401457	7950365	1548908
8.	हिमाचल प्रदेश	2299098	2791929	492831
9.	जम्मू-कश्मीर	2201912	2707526	505614
10.	झारखंड*	640229	733776	93547
11.	कर्नाटक	17043556	20066870	3023314
12.	केरल	11698216	14354455	2656239
13.	मध्य प्रदेश	12491306	16164491	3673185
14.	महाराष्ट्र (-) मुम्बई	21079326	25830209	4750883
15.	पूर्वोत्तर-I	1724165	2319221	595056
16.	पूर्वोत्तर-II*	394367	327755	-66612
17.	उड़ीसा	5180156	6927981	1747825
18.	पंजाब	11715504	12630293	9147825
19.	राजस्थान	13586738	18344615	4757877
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	18284050	22873622	4589572

1	2	3	4	5
21.	उत्तराखंड*	68556	711259	25694
22.	उत्तर प्रदेश	28366704	37100585	8733881
23.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	9381095	12700301	3319206
24.	कोलकाता	784236	9759920	1917484
25.	चेन्नै	7061200	8440257	1379057
26.	दिल्ली	16282949	19070814	2787865
27.	मुम्बई	13631670	16335684	2704014
	जोड़	261,078,967	325,728,607	64,649,640

*टिप्पणी: निजी प्रचालकों ने केवल सेवा क्षेत्र-वार उपभोक्ताओं के आंकड़े प्रदान किए हैं तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर-II के लिए अलग से आंकड़े नहीं दिए हैं जो क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर-I में शामिल हैं।

[अनुवाद]

वायदा बाजार आयोग

2378. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वायदा बाजार आयोग को और अधिक सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से व्यापार की गई विभिन्न कृषि वस्तुओं का कुल कारोबार कितना रहा;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार की गई विभिन्न कृषि वस्तुओं से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ङ) वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार की गई विभिन्न वस्तुओं पर लगाए गए कमोडिटी ट्रांजैक्शन कर का वस्तु-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वायदा बाजार आयोग को सुदृढ़ बनाने और पुनर्गठित करने के लिए सरकार ने 21.03.2006 को लोक सभा में अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक, 2006 पुर:स्थापित किया है। विधेयक में अन्य बातों के अलावा (1) वायदा बाजार आयोग के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर नौ करने, जिसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष होंगे, (2) वायदा बाजार आयोग की शक्तियों में वृद्धि करना, (3) वायदा बाजार आयोग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार प्रदान करने, (4) वायदा बाजार आयोग को शुल्क वसूल करने की शक्ति प्रदान करने, (5) वायदा बाजार आयोग सामान्य कोष के सृजन, जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जायेंगी और (6) वायदा बाजार आयोग में मध्यस्थों के पंजीकरण का उपबंध किया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान विभिन्न कृषि-जन्य वस्तुओं के व्यापार की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कमोडिटी एक्सचेंजों में होने वाले व्यापार की मात्रा से वायदा बाजार आयोग/सरकार को कोई सीधा राजस्व प्राप्त नहीं होता। तथापि, एक्सचेंजों और विभिन्न भागीदारों (अर्थात् व्यापारी, ब्रोकर, अन्य मध्यस्थ इत्यादि) की आय/लाभ, आयकर सहित लागू करों के अध्यधीन हैं।

(ङ) वित्त अधिनियम, 2008 के अनुसार सभी वस्तुओं में कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज संबंधी लेन-देन पर निम्नलिखित दरों पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन्स टैक्स लगाया गया है।

क्र.सं.	टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शन्स	दर	निम्नलिखित द्वारा देय
1.	माल में विकल्प अथवा कमोडिटी डेरीवेटिव में विकल्प की बिक्री	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
2.	माल में विकल्प अथवा कमोडिटी डेरीवेटिव में विकल्प की बिक्री, जहां विकल्प का उपयोग किया जाता है।	0.0125 प्रतिशत	खरीददार
3.	किसी अन्य कमोडिटी डेरीवेटिव की बिक्री	0.017 प्रतिशत	विक्रेता

तथापि, उक्त प्रावधान लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी सरकार द्वारा संगत अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

विवरण

प्रमुख कृषिजन्य वस्तुओं में व्यापार की मात्रा और मूल्य (2006-07 से 2008-09)

(व्यापार की मात्रा - लाख टन में, मूल्य-करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एक्सचेंज	2006-07		2007-08		2008-09 कुल (अक्तूबर, 08)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	**कृषिजन्य वस्तुएं**							
	प्रमुख खाद्य मदें							
1.	चना/दाल		1191.99	306794.19	381.48	93517.27	37.95	10062.91
		एम सी एक्स	24.15	5735.48	34.58	8503.29	0.81	208.71
		एन सी डी ई एक्स	1048.90	269086.11	346.89	85011.97	37.15	9854.20
		अन्य	118.94	31972.59	0.01	2.01	0.00	0.00
2.	सोया तेल		401.51	176667.56	448.29	241588.02	32.13	18200.44
		एम सी एक्स	96.49	42763.51	100.80	53842.06	5.30	2997.34
		एन सी डी ई एक्स	111.78	49941.97	168.86	92505.62	16.97	9601.47
		एन बी ओ टी	171.00	74514.50	178.62	95237.24	9.86	5601.63
		अन्य	22.25	9447.57	0.01	3.11	0.00	0.00
3.	काली मिर्च		76.26	90727.61	71.97	105323.74	15.26	21651.09
		एम सी एक्स	2.17	2740.31	0.15	209.38	0.00	0.65
		एन सी डी ई एक्स	63.41	75408.91	64.78	95007.43	13.99	19847.61
		एन एम सी ई	10.64	12526.56	6.86	9830.68	1.19	1696.54
		अन्य	0.04	51.83	0.19	276.25	0.08	106.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	जीरा		69.15	67476.78	60.73	72929.87	22.38	26131.86
		एम सी एक्स	3.05	2426.70	0.14	163.33	0.00	0.23
		एन सी डी ई एक्स	66.10	65044.09	60.58	72762.69	22.38	26131.63
		अन्य	0.001	5.9	0.004	3.85	0.00	0.00
5.	उड़द		164.65	53546.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		एम सी एक्स	13.75	4377.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	141.39	46329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	9.50	2839.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	लाल मिर्च		71.87	38651.43	25.91	12461.14	3.35	1771.35
		एम सी एक्स	1.83	1010.61	0.05	22.33	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	70.04	37640.82	25.86	12438.81	3.35	1771.35
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	सोयाबीन		189.16	26238.80	326.05	60746.07	200.50	44124.92
		एम सी एक्स	0.72	91.05	1.80	281.44	0.01	3.56
		एन सी डी ई एक्स	187.65	26042.19	323.89	60397.85	176.61	38673.53
		अन्य	0.79	105.56	0.36	66.78	23.87	5447.84
8.	सरसों		114.61	22332.37	362.55	88233.78	269.54	81151.56
		एम सी एक्स	0.04	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	60.18	11685.02	275.77	67392.01	235.33	71037.90
		अन्य	54.29	10640.20	86.78	20841.77	34.20	10113.66
9.	गेहूं		235.07	22179.56	0.15	15.02	0.00	0.00
		एम सी एक्स	4.16	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	230.85	21806.73	0.15	15.02	0.00	0.00
		अन्य	0.07	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	आलू		256.53	15004.25	90.62	5525.92	9.12	388.14
		एम सी एक्स	241.44	14053.64	80.65	4909.21	5.90	244.48
		एन सी डी ई एक्स	15.08	950.61	9.97	616.70	3.22	143.66
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	हल्दी		65.00	14817.62	109.24	28147.52	78.00	31532.47
		एम सी एक्स	0.00	0.00	21.80	6035.64	0.93	323.94
		एन सी डी ई एक्स	64.55	14708.19	86.46	21887.07	77.07	31208.52
		अन्य	0.45	109.43	0.97	224.81	0.00	0.00
12.	चीनी		75.34	13690.22	177.06	24365.09	84.72	14311.60
		एम सी एक्स	7.11	1378.87	11.72	1493.15	0.60	89.09
		एन सी डी ई एक्स	65.02	11709.75	165.34	22871.95	84.13	14222.51
		अन्य	3.21	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	गुड़		81.84	11052.30	50.69	6242.82	12.31	1829.66
		एम सी एक्स	9.76	1294.31	0.56	7.53	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	43.79	5966.30	34.00	4336.37	9.48	1440.10
		अन्य	28.29	3791.69	16.14	1898.93	2.83	389.56
14.	तूर		53.91	10697.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		एम सी एक्स	4.54	929.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	49.37	9767.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	इलायची		1.65	7427.29	0.74	4072.04	0.21	1365.38
		एम सी एक्स	1.50	6786.94	0.73	4041.66	0.21	1365.36
		एन सी डी ई एक्स	0.15	640.35	0.01	30.38	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
16.	मकई		65.19	4921.02	29.21	2300.70	11.88	1072.48
		एम सी एक्स	0.37	23.55	0.0004	0.03	0.00	0.042
		एन सी डी ई एक्स	64.81	4897.47	29.21	2300.67	11.87	1072.04
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	चावल		2.36	456.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		एम सी एक्स	2.19	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	0.17	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	जौ		4.30	347.15	10.15	1034.74	1.88	235.77
		एम सी एक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	4.30	347.15	10.15	1034.74	1.88	235.77
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	कॉफी		1.29	896.04	0.57	417.13	0.73	698.58
		एम सी एक्स	1.28	894.73	0.55	407.21	0.00	0.12
		एन सी डी ई एक्स	0.00	0.05	0.01	9.91	0.00	0.00
		एन एम सी ई	0.00	1.26	0.00	0.00	0.73	698.58
20.	धनिया		0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1513.66
		एम सी एक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1416.35
		एन सी डी ई एक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	97.31
21.	कच्चा पॉम ऑयल		0.11	29.60	0.00	0.00	11.00	4470.22
		एम सी एक्स	0.06	9.82	0.00	0.00	10.31	4138.67
		एन सी डी ई एक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	20.32
		एन एम सी ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एन बी ओ टी	0.00	0.00	0.00	0.00		
22.	कोपरा		0.00	1.17	2.50	1009.67	3.84	1647.10
		एन एम सी ई	0.00	1.17	2.50	1009.67	3.84	1647.10
		एफ सी आई, कोच्चि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(क) कुल योग		3121.79	883954.39	2147.89	747930.54	796.42	262159.18
ख.	प्रमुख गैर-खाद्य मदें							
23.	ग्वार		1609.94	324881.42	670.48	123752.55	390.19	72488.61
		एम सी एक्स	68.71	14007.11	8.77	1640.95	0.00	0.40
		एन सी डी ई एक्स	1373.21	278367.11	656.52	121151.17	377.70	70180.89
		अन्य	168.11	32507.20	5.19	960.44	12.49	2307.32
24.	मेंथा ऑयल		8.56	52103.60	1.95	10051.65	0.77	4787.23
		एम सी एक्स	7.23	43955.81	1.77	9058.15	0.77	4774.25
		एन सी डी ई एक्स	1.33	8147.79	0.18	993.52	0.00	12.98
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	एरण्ड		80.75	14638.78	87.32	19572.71	32.28	9458.69
		एम सी एक्स	1.40	254.48	2.13	441.45	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	12.24	2133.73	10.12	2164.83	4.02	1178.99
		अन्य	67.11	12250.57	75.06	16966.42	28.26	8279.7-
26.	ग्वार गम		25.88	13132.09	10.80	4940.50	4.95	2268.05
		एम सी एक्स	0.25	121.74	0.07	32.46	0.00	0.00
		एन सी डी ई एक्स	25.51	12952.54	10.73	4908.00	4.95	2268.05
		अन्य	0.12	57.81	0.00	0.04	0.00	0.00
27.	कपास		42.28	8256.56	41.47	9789.33	8.14	2106.36
		एम सी एक्स	11.24	2199.90	7.23	1626.31	0.33	81.81
		एन सी डी ई एक्स	13.75	2805.37	18.37	4452.62	2.09	528.20
		अन्य	17.29	3251.30	15.86	3710.40	05.72	1496.35
28.	रबड़		8.45	8166.79	5.65	5119.94	0.42	475.82
		एम सी एक्स	0.78	729.48	0.23	198.47	0.00	3.34
		एन सी डी ई एक्स	0.0001	0.10	0.00008	0.08	0.00	0.00
		एन एम सी ई	7.66	7437.22	5.42	4921.39	0.42	472.48
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	कच्चा जूट		10.66	1426.49	16.38	2164.88	6.78	1086.78
		एम सी एक्स	0.00	0.00	9.10	1235.50	6.78	1085.68
		एन सी डी ई एक्स	0.38	54.24	0.40	52.40	0.01	1.10
		एन एम सी ई	9.77	1307.02	6.81	869.95	0.00	0.00
		अन्य	0.50	65.23	0.06	7.04	0.00	0.00
30.	कपास खली		104.31	7474.56	136.04	10747.11	70.29	6523.72
		एम सी एक्स	21.56	1473.82	16.74	1255.08	3.72	322.50
		एन सी डी ई एक्स	82.75	6000.74	119.30	9492.03	66.57	6201.22
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	सैकिंग	एन एम सी ई	0.00	0.40	12.68	3690.55	12.76	3933.76
32.	इसबगुल	एन एम सी ई	0.00	1.72	7.77	3218.78	6.70	3380.20
	(ख) कुल योग		1890.83	430082.41	990.53	193048.03	533.30	106509.20
ग.	**अन्य कृषि वस्तुएं**		11.30	3088.1	6.81	382.50	156.83	2329.06
	(क+ख+ग)	कुल कृषि वस्तुएं	5023.92	1317125.21	3145.23	941361.07	1486.54	370997.43

[हिन्दी]

बेसिक टेलीफोन उपकरणों को बदलना

2379. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेसिक टेलीफोन उपकरणों को कॉलर आईडी वाले टेलीफोन उपकरणों में बदलने संबंधी नियम और नीति क्या है;

(ख) देश में अब तक बदले गए कुल उपकरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी बेसिक टेलीफोन उपकरणों को कॉलर आईडी वाले टेलीफोन में कब तक बदले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) बीएसएनएल के प्रबंधन के निर्णय के अनुसार जहां कहीं एक्सचेंजों में क्लिप सुविधा उपलब्ध है सभी मौजूदा बेसिक टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से कॉलर आईडी टेलीफोन उपकरणों से बदला जाना है।

एमटीएनएल दिल्ली के मामले में

* जिन उपभोक्ताओं के पास लैंडलाइन प्लान अर्थात् वन इंडिया, 250 और उससे अधिक का प्लान है, उन्हें क्लिप उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।
* क्लिप उपकरण उन सभी बीबी कॉम्बो प्लान उपभोक्ताओं को भी प्रदान किए जा रहे हैं जहां मासिक सेवा प्रभार 500/- रुपए और उससे अधिक हैं।

एमटीएनएल, मुम्बई के मामले में,

* सभी मौजूदा निगमित उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, 500 और उससे अधिक का प्लान रखने वाले फोन का अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और 5 वर्षों से अधिक समय वाले विश्वसनीय उपभोक्ताओं को उनके फोन के स्थान पर क्लिप उपकरण दिए जा रहे हैं।
* सभी नये निगमित उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, 500 और उससे अधिक का प्लान रखने वाले फोन का अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ता।

(ख) बीएसएनएल द्वारा अब तक बदले गए कुल उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एमटीएनएल ने दिल्ली में 1,90,098 लैंडलाइन उपभोक्ताओं को और मुम्बई में 39,336 लैंडलाइन उपभोक्ताओं को क्लिप फोन प्रदान किए हैं।

(ग) बीएसएनएल के मामले में, बुनियादी टेलीफोन उपस्करों को कॉलर आईडी उपस्करों द्वारा बदलने का कार्य वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। एमटीएनएल अपनी मौजूदा नीति के अनुसार कॉलर आईडी उपस्कर प्रदान कर चुका है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बदले गए उपकरणों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11000
2.	आंध्र प्रदेश	255000
3.	असम	26000
4.	बिहार	67360

1	2	३
5.	छत्तीसगढ़	20510
6.	गोवा	30000
7.	गुजरात	99809
8.	हरियाणा	57855
9.	हिमाचल प्रदेश	9543
10.	जम्मू-कश्मीर	5000
11.	झारखण्ड	199410
12.	कर्नाटक	360000
13.	केरल	85347
14.	मध्य प्रदेश	76306
15.	महाराष्ट्र	420000
16.	मेघालय	60
17.	मिजोरम	100
18.	त्रिपुरा	100
19.	मणिपुर	500
20.	नागालैंड	137
21.	अरुणाचल प्रदेश	634
22.	उड़ीसा	7700
23.	पुडुचेरी	1500
24.	पंजाब	135617
25.	राजस्थान	135329
26.	सिक्किम	2000
27.	तमिलनाडु	218500
28.	उत्तराखंड	
29.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	219197
30.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
31.	पश्चिम बंगाल	273243
	कुल	2717757

जायकवाड़ी बांध पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

2380. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित जायकवाड़ी बांध सहित अनेक बांधों पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जायकवाड़ी जलाशय के 34105 हेक्टेयर के जलाशय क्षेत्र को महाराष्ट्र सरकार राजपत्र, दिनांक 10 अक्तूबर, 1986 में ''जायकवाड़ी अभ्यारण्य'' घोषित किया गया था तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में कोई वन-विरोधी गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। यह भी सूचित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2004 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सचिवों को जारी पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सुरक्षित क्षेत्र में कोई वन विरोधी गतिविधि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना करने की आज्ञा नहीं है।

[अनुवाद]

सचल कच्ची सामग्री केन्द्र

2381. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास केन्द्र (एनएचडीसी) का देश में बुनकरों को लाभ पहुंचाने हेतु सचल कच्ची सामग्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार मूल्य से कम दाम पर बुनकरों को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार 1992-93 से मिल गेट कीमत योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत योग्य हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराएं जाते हैं ताकि हथरकघा क्षेत्र को नियमित रूप से बुनियादी कच्चे माल की आपूर्ति हो सके और इस क्षेत्र के पूर्ण नियोजन की संभावना का उपयोग करने में मदद मिल सके। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, भारत सरकार का उपक्रम के माध्यम से किया जाता है। मिल गेट से हथकरघा एजेंसियों के गोदाम तक धागे की ढुलाई में आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति, हथकरघा एजेंसियों को वास्तविक व्यय के अध्यधीन और निम्नलिखित दरों में से जो भी कम हो, की जाती है:-

मद	मैदानी क्षेत्र में	पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र
रेशम/पटसन धागे से इतर	1.00%	1.75%	3.00%
रेशमी धागा	1.00%	1.25%	1.50%
पटसन/पटसन ब्लैंडिड धागा	7.00%	8.00%	8.50%

उपर्युक्त के अतिरिक्त डिपो संचालित करने का भी प्रावधान है जिसके अंतर्गत योग्य हथकरघा एजेंसियों को डिपो संचालन खर्चों की ढाई प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर धागे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के ध्येय से सभी हथकरघा क्लस्टरों को शामिल करके देश भर में 485 सूत डिपो कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषक आयोग

2382. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषकों के हित के लिए तैयार की गई कृषि आय बीमा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कृषक आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) कृषि योजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत तय लक्ष्यों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) एक फार्म आय बीमा स्कीम (एफआईआईएस) जो उत्पादन और मंडी जोखिमों को बीमित करने के तंत्र को समेकित करके किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करती है, रबी 2003-04 और खरीफ 2004 मौसमों में पायलेट आधार पर कार्यान्वित की गई थी। लेकिन यह रबी 2004-05 मौसम से बन्द कर दी गई है।

असंगठित क्षेत्र में कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र का कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007, संसद में पेश किया। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) पहले ही कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की जीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम जैसी स्कीमें हैं जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

(ख) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए दक्षता विकास, कृषि जैव सुरक्षा, कृषि मौसम विज्ञान जैसी समर्थन सेवाएं, बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों, रोगमुक्त रोपण सामग्री का वितरण जैसे आदानों एवं किसानों को संदर्भ सलाह के साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए फार्म मृदा संबंधी समेकित सूचना वाली मृदा स्वास्थ्य पासबुक जैसी सेवाएं ऋण एवं बीमा, महिला किसानों के लिए शिशु सदन, बाल निगरानी केन्द्र और पर्याप्त पोषणिकता संबंधी प्रावधान जैसी समर्थन सेवाएं, विस्तार का पुन: सुधार, प्रशिक्षण एवं ज्ञान सम्पर्कता, किसानों के लिए विस्तृत सामाजिक सुरक्षा स्कीम, बेहतर अवसंरचना और न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावकारी कार्यान्वयन के जरिए किसानों के लिए विपणन अवसरों में सुधार लाना तथा कृषि के संवर्धन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को काम में लाना आदि शामिल है।

(ग) वर्ष 2008-09 के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की कृषि स्कीमों हेतु निर्मुक्त की जाने वाली 9800.00 करोड़ रु. है।

(घ) अधिकतर स्कीमें मांग चालित हैं और समर्थन सेवाएं प्रदान करती हैं इसलिए स्कीमों के लिए भौतिक लक्ष्य सामान्यतया

निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि गत तीन वर्षों के लिए वित्तीय लक्ष्य और किए गए खर्च निम्नानुसार दिए गए हैं:-

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09
वित्तीय लक्ष्य	4900.00	6297.94	9800.00
खर्च	4679.87	7058.50	4849.67 (अक्तूबर, 2008)

(ङ) और (च) जी हां, योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना आबंटनों का 16% अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए तथा 8% जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

समुद्र अपरदन रोधी

2383. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को समुद्र अपरदन रोधी कार्यों पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, कटावरोधी उपायों के लिए कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रारंभ किए जाते हैं। तथापि, तटरेखा के कुछ गंभीर खंडों में समुद्री कटाव की समस्या की गंभीरता को देखते हुए और राष्ट्रीय तटीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना तैयार करने और बाह्य वित्तपोषण की मांग करने के लिए सभी तटवर्ती राज्यों से सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के लिए सभी तटवर्ती राज्यों से सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर इस संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया था और जुलाई, 2004 में इसे योजना आयोग को भेजा गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात सरकार से प्रस्ताव शामिल था।

मार्च, 2005 में योजना आयोग ने एक प्रस्ताव को बाह्य वित्तपोषण के लिए उपयुक्त अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजा। आर्थिक कार्य विभाग ने इस पर काफी विचार करने के पश्चात् इसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को भेजा। एडीबी ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कार्य के संबंध में परियोजना प्रारंभिक तकनीकी सहायता (पीपीटीए) को अनुमोदित किया है। एडीबी और आर्थिक कार्य विभाग के बीच 3 मार्च, 2008 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

एडीबी द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाता ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को शामिल करने के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

अगस्त, 2008 के दौरान, जल संसाधन मंत्रालय ने शेष तटवर्ती राज्यों विशेषकर अन्यों सहित गुजरात के लिए एडीबी द्वारा पीपीटीए के विस्तार का मुद्दा शुरू करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग से अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी सहायता के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरी/समीक्षा करने और इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन करने के लिए सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। 20 नवम्बर, 2008 को आयोजित संचालन समिति की प्रथम बैठक के दौरान, गुजरात सहित शेष तटवर्ती राज्यों को शामिल करते हुए एडीबी द्वारा इस प्रकार की पीपीटीए का विस्तार करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और एडीबी के प्रतिनिधि ने सकारात्मक उत्तर दिया।

स्वदेशी जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट (आईजेटी) का विकास

2384. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वदेशी जेट ट्रेनर एयर क्राफ्ट (आईजेटी) के विकास और इसके इंजन के प्रापण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस वर्तमान में परियोजना की स्थिति क्या है;

(ग) इस पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है; और

(घ) इस दिशा में आगे किन कदमों पर विचार किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) दो आदिरूप विमानों ने 412 उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इस विमान का पूर्ण ऊंचाई क्षेत्र के लिए परीक्षण किया गया है। सीमित श्रृंखला में उत्पादन के लिए प्रथम लॉट के रूप में 6 इंजनों की आपूर्ति करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एनपीओ सेर्टन के बीच एक संविदा की गई है।

दो उड़ान योग्य आदिरूप इंजनों के दिसंबर, 2008 के दौरान प्राप्त होने की आशा है और आदिरूप विमान के नए उड़ान योग्य आदिरूप इंजन के साथ जनवरी, 2009 में उड़ान परीक्षण प्रारंभ करने की संभावना है। दूसरा आदिरूप इस समय अंतिम आवश्यकता तक गति सीमा विस्तारण कार्य में लगा हुआ है। इस परियोजना पर अब तक 376 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) इस विमान का अंतिम प्रमाणन जून, 2010 तक प्राप्त होने की संभावना है।

खाद्य तेलों पर राजसहायता

2385. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों के आयात पर राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य तेलों और तिलहनों का उत्पादन करने वाले उद्यमियों और घरेलू कृषकों को उक्त योजना में शामिल करने के लिए इसके विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार खाद्य तेलों के आयात पर राजसहायता नहीं देती है। तथापि, खाद्य तेलों के बढ़ते हुए मूल्यों से समाज के गरीब वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा निर्धारित अन्य दुकानों के जरिए एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता के साथ 2008-09 में 10 लाख टन तक आयातित खाद्य तेलों के वितरण की एक स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अधीन 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आबंटन किया गया है लेकिन केवल 12 राज्यों ने राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम लागू की है। केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खाद्य तेलों का आयात, पैकिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहन की गई लागत में से राजसहायता घटाकर आपूर्ति की जाती है। यह स्कीम औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश से 28 जुलाई, 2008 को शुरू की गई है। इस स्कीम की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 3.60 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए आदेश दिए गए हैं। 8.12.2008 तक देश में 3.34 लाख टन खाद्य तेल उतर चुका है और लगभग 1.85 लाख टन खाद्य तेल राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपुर्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल राज्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार की स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए वितरित किए जाने वाले आयातित तेलों के समतुल्य नारियल तेल पर राजसहायता देने का अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों के वितरण के लिए भारत सरकार की स्कीम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयातित और वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए खाद्य तेलों तक सीमित है। इस स्कीम का प्रयोजन आयात के जरिए घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना और इस प्रकार तेलों के घरेलू मूल्यों को नियंत्रित रखना तथा बढ़ते हुए मूल्यों से गरीब उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। घरेलू तेलों पर राजसहायता देने के लिए इस स्कीम में कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने की स्कीम

1. राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों का वितरण करने की स्कीम आयातित खाद्य तेलों तक सीमित रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आरंभिक दो महीनों के लिए रिफाइंड पामोलिन/सोयाबीन तेल का आयात कर सकते हैं ताकि अविलंब इस स्कीम को क्रियान्वित किया जा सके और उसके बाद क्रूड पाम/सोया तेल का आयात भी किया जा सकता है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् पीईसी, एमएमटीसी, एसटीसी तथा नेफेड इस स्कीम के अधीन खाद्य तेलों का आयात करेंगे और पीईसी आयात, रिफाइनिंग तथा राज्य सरकारों को पैक खाद्य तेलों की आपूर्ति करने से संबंधित सभी मामलों में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समन्वय करेगी।

3. राजसहायता आयातित तेल के लिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक सीमित रहेगी। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे राजसहायता दी जाएगी।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त तेलों की आपूर्ति करेंगे जो इन्हें राशन कार्डधारकों को देंगी। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार वितरित अधिकतम मात्रा एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति परिवार प्रति माह से अधिक नहीं होगी। वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों/उनके द्वारा यथा निर्णित अन्य दुकानों के जरिए राजसहायता प्राप्त तेल का वितरण कर सकती हैं। वे वितरण को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों अथवा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए एक भाग तक सीमित कर सकती हैं जो उपलब्धता और वितरण संभार तंत्र पर निर्भर करते हुए किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि तेल का विपथन/लीकेज न हो और यह लक्षित उपभोक्ताओं को मिले।

5. राज्य सरकारें उस मूल्य को तय करेंगी जिस पर राशन कार्डधारकों को यह तेल बेचा जाएगा। राज्य सरकारें सम्पूर्ण राजसहायता राशन कार्डधारकों को अंतरित करेंगी।

6. रिफाइंड तेल की पैकिंग राज्य सरकारों द्वारा यथा वांछित 1 किलोग्राम/आधा किलोग्राम के पैकेटों में की जाएगी और इसके लेबल पर अन्य संगत ब्यौरों के साथ भारत सरकार से राजसहायता प्राप्त लिखा होगा।

7. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी मांग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देंगे जो भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन तक सीमित होगी और सहमत हुए समय के अंदर स्टाक का उठान करेंगे। राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सुपुर्दगी केन्द्र/ पैकिंग केन्द्र से रिफाइंड तेल की सुपुर्दगी लेंगी।

8. राज्य सरकारों से पत्तन प्रभार, बैंक प्रभार, कारोबार मार्जिन आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन किए गए प्रभारों सहित पैकिंग और ढुलाई तक आयात की सम्पूर्ण लागत में से 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर राजसहायता घटाकर राशि दी जाएगी। पैकिंग केन्द्र/वितरण केन्द्र से ढुलाई की लागत और सभी अन्य लागत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भुगतान की विधि और वित्तीय लेनदेन के बारे में राज्य सरकारों को सूचित करेंगे।

9. तेल की उत्पादन लागत के अधिकतम 0.75% तक कारोबारी मार्जिन (प्रशासनिक लागत) और पत्तन प्रभार, रिफाइनिंग और पैकिंग जैसी अन्य लागतें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली जाएंगी। तथापि, इसे उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित राजसहायता में खपा दिया जाएगा।

10. भारत सरकार से दी जाने वाली राजसहायता वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस स्कीम के अधीन कुल एक मिलियन टन खाद्य तेलों तक सीमित रहेगी। तथापि, आरंभ में 3 लाख टन तेल का आबंटन राज्यों में किया जाएगा।

11. खाद्य तेलों का आबंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों को राज्य की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, राज्यों द्वारा इस स्कीम के अधीन आबंटन के लिए मांगी गई मात्रा, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सक्षम वितरण तंत्र और राज्यों द्वारा राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों के तत्पर उठान को हिसाब में लेकर किया जाएगा।

12. यदि राज्य आबंटन के एक माह के अंदर आबंटित खाद्य तेलों का उठान नहीं करते हैं तो ऐसे राज्यों के लिए आबंटन को रद्द कर दिया जाएगा तथा इस मात्रा को अन्य राज्यों को पुनः आबंटित कर दिया जाएगा।

13. राज्य निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए भारत सरकार को मासिक विवरण देंगे:-

    (1) उनके द्वारा उठाई गई मात्रा;

    (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के जरिए वितरित मात्रा; और

    (3) वह मूल्य जिस पर ऐसे तेल का वितरण किया गया है।

14. यह स्कीम आरंभ में तीन माह के लिए क्रियान्वित की जाएगी और खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता और मूल्यों पर इसके प्रभाव की समीक्षा करने के बाद इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

रक्षा बलों का आधुनिकीकरण

2386. श्री रनेन बर्मन:
श्री हितेन बर्मन:
श्री नरहरि महतो:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेना सहित रक्षा बलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यथा रक्षा बलों के तीनों स्कंधों के आकार में परिवर्तन करने, बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण आदि मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दीर्घावधि रक्षा चुनौतियों का सामना करने में सेना सहित रक्षा बलों की संरचना में संगठनात्मक सुधारों और आधुनिकीकरण आदि के उद्देश्यों की पूर्ति कब तक होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) विशिष्ट जरूरतों और संक्रियात्मक आवश्यकता के आधार पर रक्षा सेनाओं का संगठनात्मक सुधार और आधुनिकीकरण सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर बल देना

2387. मो. मुकीम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र पर बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार के लिए कितने संस्थानों की स्थापना की गयी और कितने संस्थानों का उन्नयन किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश सहित देश में उक्त शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित और खर्च की गयी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने संलग्न विवरण के अनुसार देश में 51 केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें से नोएडा, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद स्थित चार केन्द्र उत्तर प्रदेश में हैं। एसटीपीआई नोएडा की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी तथा उल्लिखित अन्य केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2001-2002 में की गई थी। पिछले दो वर्षों में और चालू वर्ष में कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

विवरण

भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
नई दिल्ली-110003

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विजाग
5.		वारंगल
6.		काकीनाडा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर

1	2	3
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पुडुचेरी	पुडुचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नई
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरुनेलवेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तराखण्ड	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़गपुर
48.		सिलीगुड़ी
49.		हल्दिया
50.	बिहार	पटना
51.	मेघालय	शिलांग

[अनुवाद]

भाण्डागार केन्द्र

2388. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई खाद्यान्न भण्डारण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाण्डागार केन्द्र बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश में बनने के लिए प्रस्तावित इस प्रकार के भाण्डागार केन्द्रों की संख्या और स्थान सहित उन पर आने वाली लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भांडागार हब का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्न स्टाक का भंडारण करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन भांडागारों का निर्माण करता है। 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 61% उपयोग के साथ कुल 243.40 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी/किराये और ढकी हुई तथा कैप) है। इसके अलावा योजना स्कीम के अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 के दौरान प्रस्ताव है कि पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों पर उपयुक्त भूमि का आबंटन करने की शर्त के अध्यधीन 164 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (भूमि की लागत छोड़कर) से 3.41 लाख टन क्षमता का निर्माण किया जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान गोदामों का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राइवेट प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा 'प्राइवेट उद्यमियों के जरिए गोदामों का निर्माण करने की स्कीम, 2008' नामक एक नई स्कीम की घोषणा की गई है और क्षेत्रवार उन स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जहां प्राइवेट क्षेत्र के निवेश के जरिए गोदामों के निर्माण के लिए आमंत्रण दिया जाएगा।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की प्राथमिकता सूची

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता (टन में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
I.	**असम क्षेत्र**		
1.	चांगसोरी	50,000 साइडिंग के साथ	25
2.	हैलाखंडी	5,000	1.5
3.	करीमगंज	5,000	1.75
4.	कोकराझार	5,000	1.75
5.	नौगांव	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
6.	डिब्रूगढ़	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
7.	फकीरग्राम	5,000	1.75
	जोड़	1.20 लाख टन	66.75
II.	**त्रिपुरा**		
1.	नन्दननगर	2,500 (मौजूदा कांप्लैक्स के अंदर)	1.25
2.	कुमारघाट	5,000	3.0
	जोड़	7,500	4.25
III.	**मणिपुर**		
1.	जीरीबाम	7,500	4.5
2.	सेनापाटी	5,000	3.00
3.	चूराचांदपुर	2,500	1.50
	जोड़	15,000	9.0
IV.	**नागालैंड**		
1.	कोहिमा	5,000	3.0
2.	दीमापुर	5,000	3.0
	जोड़	10,000 टन	6.0
V.	**नागालैंड**		
1.	बाघामारा/दक्षिण गारो हिल्स	2,500	1.50
2.	शिलांग	5,000	3.0
	जोड़	7,500 टन	4.50
	उत्तर जोन		
VI.	**जम्मू-कश्मीर**		
1.	श्रीनगर घाटी (रेल साइडिंग)	20,000	12
2.	पुलवामा	2,500	1.5
3.	उधमपुर	15,000	9.0
	जोड़	37,500 टन	9.0
VII.	**हिमाचल प्रदेश**		
1.	किन्नौर	1,670	1.0
2.	बिलासपुर	5,000	2.0
3.	मंडी	5,000	2.0
4.	नाहन	5,000	2.0
5.	नगरोटा बागवां	5,000	2.0
6.	शिमला	5,000	2.0
	जोड़	26,670 टन	11.0
	पूर्वी जोन		
VIII.	**सिक्किम**		
1.	जोरथांग	5,000	3.0

1	2	3	4
IX.	**झारखण्ड**		
1.	चक्रधरपुर	15,000	7.50
X.	**बिहार**		
1.	मोहनिया/कैमूर	2500	7.25
XI.	**उड़ीसा**		
1.	डूगरपल्ली	10,000	3.0
2.	मानचेश्वर	10,000	3.0
3.	बैरीपेढा	10,000	3.0
	जोड़	30,000 टन	9.00
XII.	**पश्चिम बंगाल**		
1.	जलपाईगुड़ी	10,000	3.0
पश्चिमी जोन			
XIII.	**छत्तीसगढ़**		
1.	बलोड	10,000	3.00
2.	अकालतारा	10,000	3.00
	जोड़	20,000	6.00
XIV.	**महाराष्ट्र**		
1.	भंडारा	10,000	3.00
दक्षिण जोन			
XV.	**संघ राज्य क्षेत्र**		
1.	लक्षद्वीप	2,500	1.25
	जोड़	2,500	1.25
	कुल जोड़	3,41,670	164.000

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच) के पश्चिम तटीय क्षेत्रीय केन्द्र

2389. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच) के प्रस्तावित पश्चिम तटीय क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया है और इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि और भवन का प्रस्ताव भी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्री, केरल सरकार द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2006 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को लिखे पत्र में केरल में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के पश्चिम तटीय क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय में इस मामले की जांच की गई तथा केरल सरकार के जल संसाधन मंत्री को सूचित किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच) के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना विशिष्ट जलविज्ञानीय मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई थी तथा वर्तमान में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के किसी नए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

कृषि परियोजनाएं

2390. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री 5 मई, 2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 5389 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र सहित देश भर में वित्तपोषित की जा रही कृषि परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान कृषि परियोजनाओं की राज्य-वार मौजूदा स्थिति क्या है;

(घ) क्या हाल ही में राज्यों द्वारा किसी नई परियोजना के लिए विदेशी सहायता मांगी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात इकाइयों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

2391. प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्यात इकाइयां ठेका श्रमिकों को नियोजित करते हैं जो न्यूनतम मजदूरी, वेतनवृद्धि, बोनस, ईएसआई, पीएफ और अन्य लाभों से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की इकाइयों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) निर्यात इकाइयों सहित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ठेका श्रम का नियोजन करने वाले प्रतिष्ठानों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी और अन्य लाभ सुनिश्चित करने होते हैं। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की रिपोर्टें प्राप्त होने पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के संदर्भ में कार्रवाई करता है। राज्यों के संबंध में, उक्त अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा लागू किया जाता है। निर्यात इकाइयों सहित केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रवर्तन से संबंधित पिछले तीन वर्षों की सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रवर्तन

क्र.सं.	मद	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्रधान नियोक्ताओं को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	590	675	752
2.	ठेकेदारों को जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या	7277	6973	9280
3.	किये गये निरीक्षणों की संख्या	4540	5663	5365
4.	पता लगायी गयी अनियमितताओं की संख्या	59301	59298	77422
5.	आरम्भ किये गये अभियोजनों की संख्या	3356	2914	2648
6.	सिद्धदोषों की संख्या	2018	1000	887
7.	लाइसेंसों के दायरे में आने वाले ठेका श्रमिकों की संख्या	968792	971570	1001947
8.	निरस्त/रद्द किये गये लाइसेंसों की संख्या	6601	7578	203
9.	निरस्त किये गये पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	08	21	51

महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन

2392. श्री किन्जरपु येरनायडु:
श्री गणेश सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री पंकज चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला अधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सामने आने वाली प्रचालनात्मक समस्याओं, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) आज की तारीख में थलसेना में 1023 (सैन्य चिकित्सा कोर, सैन्य दंत चिकित्सा कोर और सैन्य परिचर्या सेवा को छोड़कर), नौसेना में 256 और वायुसेना में 789 महिला अफसर हैं।

(ख) से (घ) सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग (जेएजी) और सेना शिक्षा कोर (एईसी) और नौसेना तथा वायुसेना में उनकी तदनुरूपी शाखा/संवर्ग, वायुसेना की लेखा शाखा तथा नौसेना की नेवल कंस्ट्रक्टर में महिला अफसरों को भविष्य में शामिल किए जाने हेतु स्थायी कमीशन दिए जाने की पेशकश की गई है। अप्रैल 2008 से प्रशिक्षणाधीन महिलाओं, जिनके मार्च, 2009 में पास आउट होने की संभावना है, को स्थायी कमीशन दिया जाना है। इस निर्णय से कोई संक्रियात्मक समस्याएं सामने आने की संभावना नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास निधियां

2393. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निधि में अदावाकृत राशि का अनुपात क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार निवेश की गयी कुल राशि (अंकित मूल्य पर) निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

कर्मचारी भविष्य निधि	1,95,130.83
कर्मचारी पेंशन निधि	94,101.42
कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा	6,278.22
कुल	2,95,510.47

राज्य-वार विवरण नहीं रखा जाता।

(ख) कुल राशि का 1.3% निवेश किया गया।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

2394. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न युद्धों में देश पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले देशभक्तों की याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त भूमि के आबंटन के लिए शहरी विकास मंत्रालय के साथ सम्पर्क किया गया है। भूमि के आबंटित हो जाने के बाद ही इसे पूरा करने का समय बताया जा सकता है।

मोबाइल नेटवर्क का विस्तार

2395. श्री जुएल ओराम:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री परसुराम माझी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार देश में अपने नेटवर्क में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विस्तार के लिए सरकार द्वारा कितना निवेश करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में अपने मोबाइल नेटवर्क का विस्तार 102.50 मिलियन लाइनों तक करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) उक्त विस्तार के लिए सरकार द्वारा कोई निवेश किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। बीएसएनएल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2011) के लिए मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत अपने आन्तरिक संसाधनों से 52671 करोड़ रु. निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

श्रमिक विवाद

2396. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में श्रमिक असंतोष में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इस प्रकार के विवादों के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के विवादों का शीघ्रता से समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) उक्त अवधि में केन्द्र और राज्य क्षेत्र दोनों में औद्योगिक असंतोष दर्शाने वाले हड़तालों तथा तालाबंदियों संबंधी राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक, छंटनी, छुट्टी और कार्य के घंटे तथा अनुशासनहीनता व हिंसा औद्योगिक असंतोष के कारण हैं। उक्त अवधि के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों में कमी आयी है। केन्द्रीय क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई वाले विवादों संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं और संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई वाले आंकड़ों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में विवादों के त्वरित और प्रभारी समाधान हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

1. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता वाले दो नए क्षेत्र अर्थात् उत्तराखंड हेतु देहरादून और छत्तीसगढ़ हेतु रायपुर बनाये गये हैं।
2. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के 7 पदों तथा सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के 12 पदों का उन्नयन किया गया है।
3. दस बड़े क्षेत्रों का प्रमुख अब क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के स्थान पर उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को बनाया जा रहा है।
4. संराधन अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
5. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों का गठन किया गया है।
6. दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में 'लोक अदालत का आयोजन' योजना भी आरंभ की गयी है और इसे जारी रखा जा रहा है।

विवरण I

वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के दौरान क्षेत्र-वार, राज्य-वार हड़तालें और तालाबंदियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005				2006				2007(अ)				2008(अ)			
	सार्वजनिक		निजी		सार्वजनिक		निजी		सार्वजनिक		निजी		सार्वजनिक		निजी	
	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी	हड़तालें	तालाबंदी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	11	1	7	4	8	0	10	2	1	0	3	5	2	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	1	0	0	3	*	0	4	6	3	0	0	0	2	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	2	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	0	0	0	5	0	1	0	7	0	1	0	2	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	10	0	18	6	5	0	18	4	7	0	21	3	4	0	0	0
हरियाणा	1	0	15	1	*	0	14	1	0	0	6	1	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	0	10	0	*	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	1	0	1	1	–	–	–	–	0	0	0	0
कर्नाटक	6	0	8	2	4	0	9	3	10	0	6	0	2	0	0	0
केरल	4	0	11	2	5	0	4	2	5	0	0	0	5	0	4	0
मध्य प्रदेश	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
महाराष्ट्र	4	0	2	2	4	0	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0
मणिपुर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	2	0	1	4	7	0	1	0	3	0	2	0	1	0	1	0
पंजाब	2	0	4	0	2	0	11	0	0	0	3	0	0	0	0	0
राजस्थान	2	0	11	7	2	0	8	7	9	0	5	2	3	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	52	13	10	0	40	11	9	0	37	11	2	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	3	0	3	0	7	0	1	0	12	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	0	5	2	2	0	9	4	2	0	0	4	2	0	0	0
पश्चिम बंगाल	3	0	23	182	18	0	10	144	18	0	5	118	6	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	56	1	171	228	88	0	155	187	86	0	108	145	35	0	5	0

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

अ - अनंतिम

टिप्पणी: आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण कुल योग में भिन्नता हो सकती है।

वर्ष 2007 और 2008 संबंधी सूचना श्रम ब्यूरो में 25 सितम्बर, 2008 तक प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

* - उपलब्ध नहीं

– - शून्य

विवरण II

केन्द्रीय क्षेत्र में निपटाये गये विवाद

क्षेत्र	वर्ष 2005-06 निपटाये गये विवाद	वर्ष 2006-07 निपटाये गये विवाद	वर्ष 2007-08 निपटाये गये विवाद
अहमदाबाद (गुजरात)	719	748	819
अजमेर (राजस्थान)	401	405	397
आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	458	494	429
बंगलौर (कर्नाटक)	148	261	256
भुवनेश्वर (उड़ीसा)	571	492	549
चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर)	381	492	552
कोचीन (केरल)	325	274	323
चेन्नई (तमिलनाडु)	718	587	551
धनबाद (झारखण्ड)	1056	1040	1123
दिल्ली	552	462	261
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर राज्य)	133	95	79
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	449	406	437
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	526	442	591
कानपुर (उत्तर प्रदेश)	539	391	485
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	189	241	270
मुंबई (महाराष्ट्र)	481	603	556
नागपुर (महाराष्ट्र/विदर्भ क्षेत्र)	285	250	310
पटना (बिहार)	446	449	522
देहरादून (उत्तराखण्ड)	क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था	103	71
रायपुर (छत्तीसगढ़)	क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था	97	68

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) कृषक

2397. श्री अजीत जोगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) कृषकों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषकों के लिए चलायी जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार और राज्य-वार इस उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार कृषक परिवारों से संबंधित 30.53 प्रतिशत व्यक्ति 2003 के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे थे। यह अनुमान राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित ''किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण'' परिणामों पर आधारित है। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) प्रमुख स्कीमें यथा-वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) राष्ट्रीय विकास योजना (आरकेवीवाई) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों के लाभ के लिए, कृषि आय बढ़ाने के लिए देश में कार्यान्वयनाधीन है जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के साथ-साथ सभी किसानों का कल्याण हो सके।

गत तीन वर्षों के दौरान उपरोलिखित स्कीमों के तहत राज्य-वार निर्मुक्त धनराशि संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं। स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जो विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों की सूची व्यवस्थित करती हैं।

विवरण I

वृहद कृषि प्रबन्धन स्कीम के तहत निर्मुक्त धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (4.12.08 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7707.69	2541.54	4643.82	3428.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	1420.00	2200.00	2650.00	2050.00
3.	असम	860.00	1000.00	1594.64	812.50
4.	बिहार	850.00	1564.37	3042.14	3243.03
5.	झारखंड	906.00	830.00	850.00	532.50
6.	गोवा	332.59	385.77	432.63	50.00
7.	गुजरात	4850.00	2330.84	5771.65	1822.50
8.	हरियाणा	1460.00	2700.00	2250.00	1690.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2770.59	2214.88	1985.09
10.	जम्मू-कश्मीर	2250.00	3351.50	2554.04	1830.00
11.	कर्नाटक	4702.58	5214.24	7346.88	2512.50
12.	केरल	5950.00	1350.00	1725.00	637.50
13.	मध्य प्रदेश	2550.00	3963.00	4789.92	3142.50
14.	छत्तीसगढ़	2775.00	1129.76	2455.48	2170.00
15.	महाराष्ट्र	10328.01	11751.30	12034.63	8858.85
16.	मणिपुर	1785.40	2200.00	3309.25	2050.00
17.	मिजोरम	1950.00	2300.00	3000.00	1162.50
18.	मेघालय	800.00	900.00	925.00	712.50
19.	नागालैंड	1800.00	2221.04	2384.00	1162.50
20.	उड़ीसा	2300.00	3550.00	3736.11	1640.00

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	0.00	426.00	650.00	875.00
22.	राजस्थान	6255.00	8212.55	7835.42	2875.00
23.	सिक्किम	1422.00	2000.00	2335.46	925.00
24.	तमिलनाडु	3670.00	6337.00	6662.51	3460.00
25.	त्रिपुरा	1861.56	2000.00	1444.80	925.00
26.	उत्तर प्रदेश	7423.23	5668.14	7153.27	5687.50
27.	उत्तराखंड	1787.87	3144.37	2353.87	2300.00
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	3190.00	3364.21	2212.50

विवरण II

*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निर्मुक्त धनराशि**

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	61.08	132.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.90	0.00
3.	असम	0.00	72.81
4.	बिहार	57.77	74.27
5.	छत्तीसगढ़	52.96	59.94
6.	गोवा	1.70	0.00
7.	गुजरात	49.81	114.51
8.	हरियाणा	21.52	39.50
9.	हिमाचल प्रदेश	16.17	8.19
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	1.20
11.	झारखंड	55.68	10.46
12.	कर्नाटक	154.30	157.07
13.	केरल	55.40	4.80
14.	मध्य प्रदेश	101.62	60.03
15.	महाराष्ट्र	128.20	24.20
16.	मणिपुर	0.00	0.90
17.	मेघालय	6.37	6.77
18.	मिजोरम	0.00	0.80
19.	नागालैंड	3.19	0.99
20.	उड़ीसा	39.30	47.73
21.	पंजाब	36.05	43.76
22.	राजस्थान	55.76	116.88
23.	सिक्किम	2.77	5.68
24.	तमिलनाडु	153.60	70.19
25.	त्रिपुरा	4.16	16.08
26.	उत्तर प्रदेश	103.90	158.29
27.	उत्तराखंड	28.25	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	54.93	76.01

*स्कीम 2007-08 में शुरू की गई थी।

विवरण III

समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) के तहत निर्मुक्त धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (1.12.08 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	4816	4542.00	5325.00	2500.00
2.	असम	3.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	245.00	385.00	1100.00	400.00
4.	छत्तीसगढ़	400.00	675.00	500.00	296.29
5.	गुजरात	1850.00	975.00	1000.00	200.00
6.	गोवा	16.50	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	434.00	411.00	800.00	200.00
8.	हिमाचल प्रदेश	75.50	75.00	100.00	10.00
9.	जम्मू-कश्मीर	142.50	0.00	75.00	0.00
10.	कर्नाटक	1800.00	2700.00	2500.00	376.66
11.	केरल	7.50	15.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	3750.00	2500.00	2000.00
13.	महाराष्ट्र	2739.00	925.00	2000.00	400.00
14.	मिजोरम	90.00	102.87	300.00	150.00
15.	उड़ीसा	500.00	525.00	900.00	275.00
16.	पंजाब	87.50	0.00	0.00	30.94
17.	राजस्थान	2840.00	2934.50	3600.00	2000.00
18.	तमिलनाडु	1245.00	1345.00	1200.00	500.00
19.	त्रिपुरा	7.00	0.00	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	1065.00	1115.00	1600.00	500.00
21.	पश्चिम बंगाल	450.00	674.50	800.00	100.00

विवरण IV

*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत निर्मुक्त धनराशि**

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44.62	33.01
2.	असम	11.39	15.65
3.	बिहार	36.30	44.14
4.	छत्तीसगढ़	14.55	55.66
5.	गुजरात	7.37	8.33
6.	हरियाणा	21.14	4.09
7.	झारखंड	0.00	9.81
8.	कर्नाटक	7.87	15.43
9.	केरल	0.00	1.51
10.	मध्य प्रदेश	46.12	64.38
11.	महाराष्ट्र	14.14	38.36
12.	उड़ीसा	11.34	44.88
13.	पंजाब	32.88	26.40
14.	राजस्थान	24.59	12.71
15.	तमिलनाडु	12.81	26.05
16.	उत्तर प्रदेश	83.79	123.02
17.	पश्चिम बंगाल	13.00	43.81

*स्कीम अक्तूबर, 2007 में शुरू की गई थी।

विवरण V

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निर्मुक्त धनराशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.08 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	7836.94	10468.39
2.	बिहार	3100.00	3500.00	269.72	3122.48
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	6252.41	3000.00
4.	गोवा	315.20	200.00	3.19	50.45
5.	गुजरात	3239.28	2577.03	1954.24	2131.83
6.	हरियाणा	1050.00	3480.00	6476.49	2551.86
7.	झारखंड	3030.00	4000.00	781.00	3000.00
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	8571.05	12536.88
9.	केरल	3533.98	7959.53	6147.73	7517.29
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	5537.49	3500.00

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	13224.97	13021.70
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	3812.16	0.00
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	2409.99	12.48
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	5673.19	2897.71
15.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	8536.82	7688.00
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	9425.90	1079.27
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	681.82	607.20
18.	दिल्ली	0.00	300.00	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	63.00	29.90	0.00
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	85.00	0.00	0.00

फसलों का उत्पादन

2398. श्री अधीर चौधरी:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:
श्री के.एस. राव:
श्री गणेश सिंह:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में मुख्य फसलों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या उपचारी कदम उठाये गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के संबंध में फसलों की उत्पादकता और उत्पादन की वृद्धि दर संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। खाद्य तथा कृषि संगठन की रिप्रोर्ट के अनुसार भारत में प्रमुख फसलों अर्थात् चावल, गेहूं, दाल, सोयाबीन एवं गन्ने की उत्पादकता में अन्य विकासशील देशों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान प्रमुख खाद्य फसलों की उत्पादकता तथा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दरों के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करती है-

फसल	उपज (कि.ग्रा./हैक्टयर)					उपज (मिलियन टन)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09$	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
चावल	1984	2102	2131	2203	2106	-6.10	10.42	1.70	3.30
गेहूं	2602	2619	2708	2785	एन.ए.	-4.86	1.03	9.32	3.42
मोटे अनाज	1153	1172	1182	1418	1379	-11.01	1.79	-0.41	20.08
दालें	577	598	612	635	534	-11.94	1.98	6.05	6.41
खाद्यान्न	1652	1715	1756	1854	1691	-6.96	5.16	4.16	6.16

*दिनांक 09.07.2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान
$ - दिनांक 25.09.2008 को जारी पहले अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)
एन.ए. - लागू नहीं होता क्योंकि गेहूं की बुवाई प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ता आधार

2399. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइन फोन उपभोक्ता तथा टेलीफोन के घनत्व की संख्या में वृद्धि के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, देश में प्रदान किए गए कुल 363.95 मिलियन टेलीफोनों में से 109.05 मिलियन टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 के अनुसार, 2010 तक 4 प्रतिशत ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीघनत्व 13.40 प्रतिशत हो गया है।

(ग) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

(1) निवल लागत की दृष्टि से अव्यवहार्य समस्त 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से सहायता।

(2) देश के ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां कोई भी स्थिर वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए, 27 राज्यों में अवस्थित 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना और उनका प्रबंधन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से यूएसओ निधि द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण में लगभग 11000 अतिरिक्त अवसंरचना स्थलों (टावरों) की संस्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा मांग के आधार पर और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर, केबल बिछाने के लिए पूर्ववर्ती 2.5 कि.मी. के मानदंड में रियायत देकर उसे एक्सचेंजों से 5 किमी तक कर दिया गया है।

(4) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क की संस्थापना किया जाना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक भागों को आनुषंगिक कवरेज प्रदान करने की दृष्टि से बीएसएनएल द्वारा सभी राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क की संस्थापना किया जाना।

(6) जिन दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों को स्थलीय प्रौद्योगिकी द्वारा कवर किया जाना संभव नहीं है, बीएसएनएल द्वारा उनको डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) द्वारा कवर किए जाने की योजना बनाई गई है।

(7) निरंतर बढ़ती मांग और बढ़ते परियात के कारण होने वाले नेटवर्क संकुलन पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से बीएसएनएल द्वारा सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जाना।

(8) बीएसएनएल द्वारा दोष दर कम करने के लिए चरणबद्ध रूप से खंभा रहित नेटवर्क की संस्थापना करके बाह्य नेटवर्क का सुधार किया जाना, भूमिगत पेपर कोर केबलों आदि का प्रतिस्थापन किया जाना।

(9) बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों को अतिरिक्त, प्राइवेट प्रचालक भी टेलीफोन की मांग पूरी करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण क्षति हेतु मुआवजा

2400. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए राज्यों में क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे की दरों में वृद्धि करने और ऋणों को माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत निधियों अर्थात् आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता के लिए व्यय की मदों तथा मापदण्डों, जिन्हें जून, 2007 में संशोधित किया गया था, के अनुसार, 50 व इससे अधिक की फसल क्षति के लिए छोटे और सीमांत किसानों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2000/- रु. प्रति हैक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई के अधीन क्षेत्रों के लिए 4000/- रु. प्रति हैक्टेयर और सभी तरह की बारहमासी फसलों के लिए 6000/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर पर आदान राजसहायता ग्राह्य है। आदान राजसहायता उपर्युक्त दरों पर छोटे व सीमांत किसानों के अलावा अन्य किसानों के लिए भी ग्राह्य है लेकिन यह पहली बार आने वाली प्राकृतिक आपदा के लिए प्रति किसान 1 हैक्टेयर तक सीमित होगी और इसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रति किसान 2 हैक्टेयर तक सीमित होगी भले ही ऐसे किसानों की जोत का आकार कितना भी हो। फिलहाल, ऋणों की माफी के लिए दर तथा पैरामीटर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि पर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट

2401. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से कृषि उत्पादों की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसा कि खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्टेट आफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2008 संबंधी रिपोर्ट में दर्शाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या उपचारी कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बागवानी कृषि फार्म

2402. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक एवं देश के अन्य भागों में बागवानी फार्म घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रहित में स्रोतों का उपयोग करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में पट्टे के आधार पर फार्मों को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। कर्नाटक में बागवानी फार्म घाटे में चल रहे हैं। इन फार्मों का उपयोग किसानों को गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किया जा रहा है और इन्हें प्रौद्योगिकी के प्रसार, कृषि तकनीकों के प्रदर्शन आदि के लिए माडल फार्मों के रूप में विकसित भी किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य बागवानी एजेंसी, जो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई है, एक व्यावसायिक तरीके से सभी बागवानी फार्मों तथा नर्सरियों को विकसित करने की योजना बना रही है ताकि गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन और प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में अपनाए जाने हेतु खेती की तकनीकों के प्रदर्शन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

पशुओं में बीमारियां

2403. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री जुएल ओराम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में पशुओं में मैड काओ और एंथ्रेक्स सहित अनेक संभावित घातक बीमारियों के प्रसार के कारण बड़ी संख्या में पशु मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बीमारियों के फैलने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को मदद प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। देश ऐतिहासिक रूप से मेड काऊ रोग से मुक्त है। तथापि, एंथ्रेक्स सहित संभावित घातक पशु रोग देश में छुटपुट होते रहते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल राज्यों के कुछेक स्थानों में एंथ्रेक्स होने की सूचना है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मेड काऊ रोग पर सघन निगरानी रखी जाती है। अब तक, 8660 से अधिक ब्रेन नमूनों का परीक्षण कर उन्हें नेगेटिव पाया गया है। पशु रोग निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)" के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की जाती है।

छोटी वस्त्र इकाईयों का उन्नयन

2404. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटी वस्त्र मिलों की स्थिति में सुधार, इनका उन्नयन और विकास करने के लिए एक योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इन सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने देश में लघु वस्त्र मिलों सहित संपूर्ण वस्त्र उद्योग के उन्नयन, विकास और स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए है:-

* वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने के लिए सरकार ने 1.4.1999 से 5 वर्ष के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की थी जिसे बाद में 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया और परिधान, तकनीकी वस्त्रों और प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष बल के साथ इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बढ़ा दिया गया है।

* कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था।

* संभावित विकास केन्द्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल विनिर्माण एकक स्थापित करने पर बल देने और निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए दो योजनाओं नामत: निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीई) और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) को मिलाकर एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। आशा है कि एसआईटीपी परम्परागत वस्त्र/अपैरल समूहों में स्थित एककों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना और अंतर को दूर करेगी। 31.03.2008 तक इस योजना के तहत 3046.33 करोड़ की कुल परियोजना लागत से 30 परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में विद्युतकरघा क्षेत्र के उन्नयन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। कुछ योजनाएं नीचे दी गई हैं:-

1. विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एकीकृत योजना के निम्नलिखित संघटक हैं

(क) विपणन विकास योजना;

(ख) विद्युतकरघा बुनकरों का अन्य समूहों का अनुभव दौरा;

(ग) विद्युतकरघों का सर्वेक्षण;

(घ) विद्युतकरघा समूह विकास;

(ङ) कौशल विकास एवं उन्नयन।

2. संशोधित समूह कार्यशाला योजना

सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 29.7.2003 को समूह कार्यशाला योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनरी वाले विद्युतकरघा पार्क स्थापित करना है ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकें। इस योजना को और संशोधित किया गया

तथा संशोधित लागत के अनुसार कार्यशाला के लिए अधिकतम 120/- रु. प्रति वर्गफुट की सीमा के साथ निर्माण लागत के 40% तक सब्सिडी दी जाएगी।

3. विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

सरकार ने समूह बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों के कल्याण के लिए 1 जुलाई, 2003 से भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से एक संशोधित योजना शुरू की है। इस योजना को और अधिक लाभों के साथ 1 जनवरी, 2008 में और संशोधित किया गया। संशोधित योजना के तहत देय प्रीमियम और मिलने वाले लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। योजना के तहत एक कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए 600 रु. प्रति बच्चा/प्रति छमाही शिक्षा अनुदान पाने का भी पात्र होगा।

4. 20% ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी

सरकार ने विशेषकर विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र की सहायता के उद्देश्य से टीयूएफएस के तहत 20% ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना कार्यान्वित की है। इस योजना की घोषणा 6.11.2003 को की गयी थी और यह केवल लघु उद्योग क्षेत्र के विद्युतकरघों पर लागू है। नवम्बर 2003 से मार्च 2008 तक इस योजना के तहत 1916 मामलों के लिए 134 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

5. विद्युतकरघा सेवा केंद्र

सरकार ने देशभर में 44 विद्युकरघा सेवा केन्द्र (पीएससी) स्थापित किए हैं। इन केंद्रों की राज्यवार अवस्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। इन पीएससी द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाओं में समूहों में स्थित विद्युतकरघा एककों को प्रशिक्षण, नमूनों की जांच, डिजाइन विकास, परामर्शी सेवाएं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सेवाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	दी गई सेवाएं	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 अक्तू. तक
1.	प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	6663	8510	10126	6929
2.	नमूना परीक्षण (संख्या)	77857	74247	77113	38849
3.	विकसित डिजाइन (संख्या)	3073	3183	4531	2477
4.	परामर्शी सेवाएं (संख्या)	5247	4187	4664	2645

विवरण I

प्रीमियम

बुनकर अंशदान	80/- रु.
भारत सरकार अंशदान	150/- रु.
सामाजिक सुरक्षा निधि से अंशदान	100/- रु.
कुल प्रीमियम	330/- रु.

लाभ

(1)	प्राकृतिक मृत्यु	60,000/- रु.
(2)	दुर्घटनावश मृत्यु	1,50,000/- रु.
(3)	दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता	1,50,000/- रु.
(4)	दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता	75,000/- रु.

विवरण II

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	इचलकरंजी	महाराष्ट्र
2.	माधवनगर	
3.	शोलापुर	
4.	भिवंडी-1	
5.	भिवंडी-2	
6.	मालेगांव	
7.	करूर	तमिलनाडु
8.	कोमारपलयम	
9.	पल्लडम	

1	2	3
10.	सलेम	
11.	राजपलयम	
12.	सोमानूर	
13.	थिरूचेंगोड	
14.	इरोड	
15.	अहमदाबाद	गुजरात
16.	धोलका	
17.	पांडेसर	
18.	संचिन	
19.	सूरत	
20.	उमरगांव	
21.	बैंगलोर	कर्नाटक
22.	डोडाबल्लापुर	
23.	गडग-बेटागिरी	
24.	बेलगाम	
25.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
26.	नागरी	
27.	कन्नूर	केरल
28.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
29.	कानपुर	
30.	मेरठ	
31.	टांडा	
32.	मऊनाथ भंजन	
33.	इंदौर	मध्य प्रदेश
34.	जबलपुर	
35.	बरुहानपुर	
36.	भीलवाड़ा	राजस्थान
37.	किशनगढ़	
38.	लुधियाना	पंजाब
39.	अमृतसर	
40.	पानीपत	हरियाणा
41.	रानाघाट	पश्चिम बंगाल
42.	कटक	उड़ीसा
43.	भागलपुर	बिहार
44.	गुवाहाटी	असम

[हिन्दी]

फलों का उत्पादन

2405. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में फलों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग फलों सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है नामत: (1) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) और (2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), चूंकि उत्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है, फलों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त स्कीमों को क्रियान्वयन के लिए निर्धारित निधियों के आधार पर क्षेत्र विस्तार के जरिए फल उत्पादन हेतु 9.59 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान देश में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन 8809.00 करोड़ रु. और पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन 1500.00 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है। बजटीय समर्थन फलों सहित समग्र बागवानी विकास के लिए है।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा फलों के उत्पादन सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। उक्त लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए, यह विभाग नियमित अन्तराल पर प्रगति रिपोर्टों, फील्ड में जांच तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से स्कीमों की मानिटरिंग करती है।

[अनुवाद]

आम का उत्पादन

2406. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश में आम का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में आम के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आम का कर्नाटक सहित राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश में आम सहित विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: (1) वर्ष 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) जिसे वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में विस्तारित किया गया है; और (2) वर्ष 2005-06 से शेष राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)। आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों में अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, पुराने तथा जीर्ण फलोद्यानों का पुनरुद्धार, जैव खेती का अपनाया जाना, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कृमि प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान आम का राज्य-वार उत्पादन

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	2004-05 उत्पादन	2005-06 उत्पादन	2006-07 उत्पादन	2007-08 उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.6	1.2	1.1	1.8
2.	आंध्र प्रदेश	3135.2	3306.0	3865.2	3865.2
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	असम	34.7	48.1	48.7	46.3
5.	बिहार	865.6	1222.7	1306.9	1349.0
6.	चण्डीगढ़	0.4	0.4	0.4	0.4
7.	छत्तीसगढ़	143.8	113.1	136.4	119.0
8.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	12.5

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0
10.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0
11.	गोवा	18.7	27.1	19.3	22.5
12.	गुजरात	729.1	772.1	834.3	930.1
13.	हरियाणा	53.4	60.7	47.2	59.7
14.	हिमाचल प्रदेश	59.7	63.1	40.1	29.3
15.	जम्मू-कश्मीर	13.3	14.9	17.6	17.8
16.	झारखण्ड	85.8	88.6	85.8	85.8
17.	कर्नाटक	1105.9	1236.8	1368.8	1337.7
18.	केरल	384.2	511.1	445.4	445.4
19.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	मध्य प्रदेश	63.5	61.0	58.0	64.0
21.	महाराष्ट्र	634.3	638.6	646.3	710.9
22.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0
23.	मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0
24.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0
25.	नागालैण्ड	0.1	0.5	0.5	0.4
26.	उड़ीसा	416.3	428.8	431.4	251.8
27.	पुडुचेरी	5.5	12.5	12.5	12.5
28.	पंजाब	63.7	65.1	64.5	81.0
29.	राजस्थान	94.7	120.4	82.0	82.0
30.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0
31.	तमिलनाडु	539.4	537.8	580.8	753.6
32.	त्रिपुरा	9.3	12.3	11.4	11.6
33.	उत्तर प्रदेश	2585.6	2673.3	2794.1	2876.5
34.	उत्तराखण्ड	98.4	106.6	109.8	112.7
35.	पश्चिम बंगाल	460.8	513.3	549.8	623.3
	कुल	11603.0	12636.2	13558.4	13902.9

इंटरनेट संबंधी कानूनों में संशोधन

2407. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग साइटों में आपत्तिजनक चित्र व वीडियो अपलोड कर लोग इन साईटों का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए इन गतिविधियों को आपराधिक कानून में शामिल करने हेतु संबंधित कानूनों का संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में इंटरनेट पर फिशिंग/पहचान की चोरी के अनेक मामले आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) प्रत्येक मूलसंरचना/सेवा संवेदनशील है तथा कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और यह इस मामले में भी लागू होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा रखे गए अपराध के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005, 2006, 2007 में इलेक्ट्रानिक रूप में अश्लील प्रकाशन/प्रसारण (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत) के क्रमश: कुल 88, 69 तथा 99 मामले दर्ज किए गए।

(ग) जी, नहीं। किन्तु, इलेक्ट्रानिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत एक अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और आगे संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कामुक चेष्टा अथवा आचरण आदि की किसी भी सामग्री के इलेक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) एनसीआरबी देश के लिए साइबर अपराध के आंकड़े रखता है। अपराध शीर्ष 'फिशिंग/पहचान की चोरी' के अंतर्गत अलग से कोई आकंड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साइबर अपराध के नए रूपों की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है जैसेकि इलेक्ट्रानिक रूप में कामुक चेष्टाओं वाली सामग्रियों का प्रकाशन, वीडियो दृश्यरतिकता, सेवा प्रदाताओं द्वारा गोपनीयता भंग करने तथा आंकड़े प्रकट करना, प्रतिरूपण के जरिए ई-वाणिज्य धोखाधड़ी जिसे आमतौर पर फिशिंग के रूप में जाना जाता है, पहचान की चोरी तथा संचार सेवा के जरिए अप्रिय संदेश भेजना।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

2408. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में कार्यरत ठेका मजदूरों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित श्रमायुक्त द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखे के लिए निधियां

2409. श्री संजय धोत्रे:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कृषि विभाग द्वारा आबंटित प्रति व्यक्ति धनराशि का ब्यौरा क्या है और

(ख) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत व्यय का वित्तपोषण समय-समय पर वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तात्कालिक राहत उपाय संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए दो स्कीमें हैं यथा आपदा राहत कोष (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ)। सीआरएफ का गठन प्रत्येक राज्य के लिए किया गया है और इसमें भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान मदों और मानकों के अनुसार सीआरएफ की संचित निधि में से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करें। यदि प्राकृतिक आपदा गंभीर प्रकृति की हो और राज्य के सीआरएफ खाते में उपलब्ध कोष पर्याप्त न हो तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एनसीसीएफ से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है।

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के सूखे के लिए सूखा राहत हेतु मांगी गई सहायता और एनसीसीएफ से उच्च स्तरीय समिति (एचसीएल) द्वारा अनुमोदित सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

विवरण

सूखे की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से मांगी गई तथा उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा स्वीकृत सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 का सूखा		2006-07 का सूखा		2007-08 का सूखा	
		मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता*	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता*	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता*
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	823.13	76.27	–	–
2.	हिमाचल प्रदेश	377.00	39.02	–	–	–	–
3.	झारखण्ड	869.70	107.37	–	–	–	–
4.	कर्नाटक	–	–	1439.81	78.96	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	1883.81	42.09
6.	राजस्थान	1544.63	146.50	–	–	–	–
7.	उत्तराखण्ड	287.80	38.99	–	–	220.04	27.78

*एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित राज्य के आपदा राहत कोष (सीआरएफ) खाते में उपलब्ध अधिशेष के समायोजन के अधीन है।

बारनार जलाशय योजना

2410. श्री गिरिधारी यादव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बारनार जलाशय योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) चालू सिंचाई परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत नई परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर विचार किया जाता है। वर्ष 2008-09 के लिए अभी तक बिहार में बारनार जलाशय स्कीम के लिए जल संसाधन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पशुधन नीति

2411. श्री विजय कृष्ण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विकास में वृद्धि करने के लिए पशुधन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय पशुधन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा साथ ही साथ इसे कार्यान्वित करने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय पशु नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

(1) पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उन प्रतिबंधों को हटाना जो उत्पादकता में बाधा पहुंचाती हैं;

(2) एक दशक के भीतर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 ग्राम के मौजूदा स्तर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 ग्राम तक पशु प्रोटीन की उपलब्धता को दुगुना करना;

(3) छोटे जोत प्रणालियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक समस्याओं की समझबूझ में सुधार करना तथा छोटे फार्म उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण के उद्देश्य से समुचित विस्तार नमूनों का विकास;

(4) प्रत्येक पशुधन प्रजातियों के लिए प्रजनन नीति तैयार करना जिसका लक्ष्य पशुधन उत्पादों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना है;

(5) गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करना;

(6) प्राकृतिक आपदाओं और रोग के प्रकोपों से संबंधित आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें समुचित बीमा पैकेज भी शामिल होगा;

(7) किसानों के साथ-साथ पशु चिकित्सा स्नातकों, सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा संबंधी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना;

(8) पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बड़े पशु रोगों का उन्मूलन एवं नियंत्रण एवं पशुधन और पशुधन उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन।

राष्ट्रीय पशुधन नीति संबंधी मसौदे को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले परिचालित किया जा रहा है। ऐसी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है जिसके तहत इसे क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत से पहले इसे प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय पशुधन नीति संपूर्ण पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करती है। अत: इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, निर्धारित समयावधि में विभिन्न छोटे, मध्यम एवं दीर्घावधि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना होगा।

चूंकि पशुधन क्षेत्र राज्य का विषय है, अत: राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीति अपनानी होगी एवं उपयुक्त कार्यक्रमों को प्रारंभ करना होगा ताकि पशुधन विकास के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

चावल की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त राजसहायता

2412. श्री के. सुब्बारायण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में गरीब वर्ग को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल की आपूर्ति करने हेतु किसी अतिरिक्त राजसहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तमिलनाडु सरकार से राज्य के गरीब वर्गों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल की आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त राजसहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकली कीटनाशक

2413. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित देश के विभिन्न बीज केन्द्रों पर मिलावटी और नकली कीटनाशकों का उत्पादन और बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कीटनाशकों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नकली कीट नाशकों के विनिर्माण और बिक्री की रिपोर्ट है, जिसमें कर्नाटक के चिकावालापुर में दो मामले और देवांगर में एक मामला शामिल है।

(ग) कीटनाशियों के नमूने कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा लिए जाते हैं और इनकी परीक्षण 20 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में 54 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में तथा चण्डीगढ़ और कानपुर में अवस्थित दो क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला संदर्भी विश्लेषण का कार्य करती है। उल्लंघन करने वालों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित तीन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

जल प्रौद्योगिकी केन्द्र

2414. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन कई जल प्रौद्योगिकी केन्द्र स्टाफ की कमी के कारण उचितरूप से कार्य नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर सहित विभिन्न केन्द्रों में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या ये जल प्रौद्योगिकी केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में, वर्षवार, इन केन्द्रों द्वारा अपने बल पर सृजित निधियों का केन्द्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जल प्रौद्योगिकी केन्द्र डब्ल्यूटीसीईआर, भुवनेश्वर तथा डब्ल्यूटीसी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली अपना कार्य केन्द्र के अधिदेश के अनुसार कर रहे हैं।

(ख) डब्ल्यूटीसीईआर, भुवनेश्वर में कुल नौ वैज्ञानिक, एक तकनीकी, एक प्रशासनिक तथा 4 सपोर्टिंग कार्मिकों के पद रिक्त हैं। डब्ल्यूटीसी; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक संवर्ग में कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान डब्ल्यूटीसीईआर, भुवनेश्वर को योजना के तहत रु. 180 लाख तथा गैर-योजना के तहत रु. 188 लाख की राशि आबंटित की गई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान डब्ल्यूटीसी; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को योजना के तहत रु. 19 लाख तथा गैर-योजना के तहत रु. 17 लाख की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) डब्ल्यूटीसीईआर, भुवनेश्वर द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रु. 32.88 लाख तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 13 लाख की राशि का राजस्व सृजन किया गया है। डब्ल्यूटीसी; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रु. 1.73 लाख तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग रु. 0.25 लाख की राशि सृजित की गई है।

संदूषित भूजल

2415. श्री निखिल कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भूजल सीसे एवं यूरेनियम से अत्यंत संदूषित रूप में पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन स्थानों से प्रतिदर्श लिए गए थे तथा इसमें पाए गए संदूषण का स्तर क्या है; और

(ग) भूजल को संदूषण से मुक्त करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है तथा इसके लिए राज्य-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किये गए अध्ययनों के अनुसार संलग्न विवरण में दिये गए ब्यौरों के अनुसार आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भूजल में सीसे की मात्रा 0.05 मिलिग्राम/लीटर की स्वीकृत सीमा से अधिक रिपोर्ट की गई है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल में यूरेनियम की उपस्थिति का विश्लेषण नहीं किया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत राज्य को जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।

विवरण

भूजल में अत्यधिक सीसे के संदूषण से प्रभावित जिलों के भाग

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम सीसा (> 0.05 मिग्रा./लीटर)
1.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी, नालगोंडा
2.	दिल्ली	उत्तर में नजफगढ़ जल निकासी के साथ, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिले
3.	हरियाणा	हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद
4.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू (गंगयाल), बरी ब्रह्मा
5.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बरवानी, दमोह, दतिया, देवास, धर, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा
6.	महाराष्ट्र	अहमद नगर, अकोला, औरंगाबाद, बीद, बुल्दाना, धुले, गडचिरोली, जाल्ना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड, ओसामाबाद, परभानी, पुणे, सांगली, वर्धा, वाशिम, यवतमल
7.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मुक्तसर
8.	राजस्थान	झुंझुनू जिला (खेतड़ी कॉपर डिपोजिट), पाली, जयपुर (सांभर झील, सांगानेर)
9.	तमिलनाडु	डिंडीगुल, तिरूवल्लुर, कांचीपुरम
10.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, भदोही, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर, रायबरेली

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

2416. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल की खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन में यह इंगित किया गया है कि तापमान में चार प्रतिशत की वृद्धि होने से उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईएआरआई) ने चावल तथा गेहूं की खेती पर जलवायुवीय परिवर्तन के प्रभाव पर माडलिंग अध्ययन आयोजित किया है। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक में आयोजित फील्ड एवं ग्रीन हाउस अध्ययन दर्शाते हैं कि बरसात के मौसम के दौरान उच्च तापमान से चावल उत्पादकता प्रभावित होने की संभावना नहीं है। तथापि, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) कोयम्बटूर में एक अध्ययन में यह पाया गया कि शुष्क मौसम के दौरान चावल उत्पादन चावल की फसल के पुष्पण एवं दाना भरने के स्तरों के दौरान उच्च तापमान के परिणामस्वरूप अनुर्वरता होने के कारण कम हो सकता है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस से उपलब्ध रिपोर्ट दर्शाती है कि रात के आसपास के तापमान में प्रति डिग्री की वृद्धि से अनुर्वरता में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होती है। तथापि, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) कटक, में आयोजित अध्ययन दर्शाते हैं कि चावल के पौधे में अनुर्वरता तथा पैदावार में परिणामत: गिरावट दाना भरने सहित पुनरूत्पादक स्तरों के दौरान उच्च तापमान से संबंधित है। ऐसी किस्मों को विकसित करने के उद्देश्य से जो पुनरूत्पादक स्तर पर उच्च तापमान को सह सकती हैं, चावल के जर्म प्लाज्म की जांच करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन

2417. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2021 तक दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है अथवा कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या उस वर्ष तक दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ङ) वर्ष 2021-22 तक दूध की 180 मिलियन टन की प्रतिलक्षित मांग को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय डेयरी योजना बनाने के आरंभिक चरण में है।

मोबाइल टावरों की स्थापना

2418. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने दूरसंचार कंपनियों को छावनी क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और एअरपोर्ट के उन नजदीकी स्थानों पर और मोबाइल टावरों की स्थापना करने हेतु छूट देने के लिए कतिपय दिशानिर्देश जारी किए हैं, जहां से क्षेत्र में मोबाइल के सिग्नल बीच-बीच में नहीं पकड़ने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा इस विषय में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता

2419. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक हैं तथा निर्धारित स्तर की नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मोबाइल सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में, राज्य-वार कितने टावरों की स्थापना की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदान की जा रही ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा सामान्यत: संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा कर रही है। बीएसएनएल अपने कार्य-निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क का निरंतर रूप से इष्टतम उपयोग कर रहा है। ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की निगरानी प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की मोबाइल सेवाओं में और सुधार करने के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय किए हैं तथा कुछ पर विचार कर रही है:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार संचार में वृद्धि करने के लिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से आर्थिक सहायता के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 साझे रूप से उपयोग किए जा सकने वाले अवसंरचना स्थलों की स्थापना करने के लिए योजना (चरण-1) की शुरूआत की गई है। इन टावरों से मोबाइल सेवाओं के चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने की संभावना है।

(2) शेष सुविधा रहित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 11,000 अतिरिक्त टावरों की स्थापना करने हेतु दूसरे चरण की मोबाइल अवसंरचना योजना को शीघ्र ही आरंभ किए जाने की संभावना है।

(3) पूंजीगत लागत और साथ ही प्रचालन लागत में कमी करने के लिए अवसंरचना की साझेदारी करना।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष (30.11.2008 तक) के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित देश में संस्थापित टावरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीएसएनएल द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित देश में संस्थापित टावरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टावरों की संख्या			चालू वित्तीय वर्ष (30.11.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए टावरों की संख्या
		2005-06	2006-07	2007-08	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	20	27	20
2.	आंध्र प्रदेश	588	452	121	796
3.	असम	273	87	222	430
4.	बिहार	335	187	243	439
5.	छत्तीसगढ़	55	243	313	242
6.	गुजरात	206	853	479	188
7.	हरियाणा	446	219	76	81
8.	हिमाचल प्रदेश	237	124	27	88
9.	जम्मू-कश्मीर	266	107	34	104
10.	झारखंड	207	110	50	130
11.	कर्नाटक	637	201	93	335
12.	केरल	561	604	141	215
13.	मध्य प्रदेश	49	566	384	455
14.	महाराष्ट्र	451	1024	738	457
15.	मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा	79	52	72	20
16.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	46	50	29	56
17.	उड़ीसा	363	178	256	195
18.	पंजाब	634	364	46	129
19.	राजस्थान	666	775	246	214
20.	तमिलनाडु	1090	426	176	538
21.	उत्तराखंड	203	105	34	60
22.	उत्तर प्रदेश	1418	1484	388	437
23.	पश्चिम बंगाल	547	500	312	242
	कुल	9372	8731	4507	5871

[अनुवाद]

सेबों की तस्करी

2420. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों से भारी मात्रा में सेबों की तस्करी किए जाने तथा फाइटोसेनिटरी-सर्टिफिकेट के बिना इसे देश में बेचे जाने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पादप स्वच्छता प्रमाणपत्रों के बिना देश के बाहर से सेबों की तस्करी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) से (ङ) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 (पीक्यू आदेश 2003) की अनुसूची 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट प्रवेश स्थलों के माध्यम से कृषि जोखिम विश्लेषण (पीआरए) के पश्चात् ही भारत में सेबों के आयात की अनुमति दी जाती है। भारत में आने वाली खेपों की भारतीय पादप संगरोध अधिकारियों द्वारा पादप संगरोध आदेश, 2003 में दी गई विशिष्ट शर्तों के अनुसार जांच की जाती है।

राष्ट्रीय नदियों का चयन

2421. श्री जसुभाई धाणाभाई बारड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदियों के रूप में घोषित किए जाने हेतु नदियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए हैं/बनाए जाने का विचार है;

(ख) क्या नदियों का राष्ट्रीय नदी के रूप में उन्नयन करने हेतु नदी प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय नदियां घोषित की जाने वाली नदियों के नाम क्या हैं और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने नदी बेसिन की आयोजना के प्रति एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नदी संरक्षण नीति को नया रूप देने के लिए कार्य शुरू किया है। गंगा नदी के लिए अधिकार प्राप्त, आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरी करने वाले प्राधिकरण के रूप में एक नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से शुरू कर दी गई है।

बांधों की सुरक्षा

2422. श्री महावीर भगोरा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दस वर्षों से अधिक पुराने बांधों की राज्य-वार संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने बांधों की सुरक्षा संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) "नेशनल रजिस्टर आफ लार्ज डैम्स-2002" के अनुसार, भारत में 4013 बड़े बांध हैं जो 1998 तक निर्मित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसे बांधों की संख्या देते हुए राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां। चूंकि राज्य सरकारों के पास मुख्यत: सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना का स्वामित्व होता है इसलिए अधिकांश बांध सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके पास रहता है। केन्द्र सरकार की भूमिका ऐसे बांधों की सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में परामर्शी सेवाएं देने तक सीमित है। भारत में बांध सुरक्षा की स्थायी समिति द्वारा निर्धारित किए गए "बांध सुरक्षा प्रक्रिया" के अनुसार, सभी बड़े बांधों (अवधि का विचार के बिना) का मानसून पूर्व तथा मानसून के बाद की अवधियों में वर्ष में दो बार निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। ये निरीक्षण संबंधित राज्यों के "बांध सुरक्षा संगठन"/बांध के मालिकों द्वारा किए जाने होते हैं; और समेकित सूचना, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के "बांध सुरक्षा निगरानी निदेशालय" की वार्षिक रिपोर्टों के रूप में प्रस्तुत की जानी होती है। आज तक की तारीख के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए समेकित रिपोर्टें 8 राज्यों और एनएचपीसी तथा बीबीएमबी से प्राप्त हुई हैं।

(ग) राज्य सरकारों/बांध के मालिकों द्वारा सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों से, बड़े बांधों के मामले में बड़ी कमियां पाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) बांधों के शीर्ष पर अनुदैर्ध्य दरारें,

(2) बांध के मुख्य भाग द्वारा जल का रिसाव,

(3) अनुप्रवाह की ढलान से बहना,

(4) जल निकास छिद्रों का अवरुद्ध होना,

(5) बकेट स्टिलिंग बेसिनों/एण्ड सील वाल्स में कटाव और कंक्रीट की क्षति आदि,

(6) बकेट और एन्ड सील के प्रतिप्रवाह में कटाव,

(7) एप्रन फ्लोर में कटाव/क्षति,

(8) एबटमेन्टस, ट्रांजीशन वाल्स, एन्डसील वाल्स आदि के जोड़ों का खुलना।

(घ) केन्द्र सरकार के स्तर पर, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में अगस्त, 1982 में स्थायी समिति का गठन किया गया था। स्थायी समिति ने आवधिक निरीक्षण तथा बड़े बांधों की सुरक्षा स्थिति की निगरानी के लिए जुलाई, 1986 में बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया। इस समिति को अक्तूबर, 1987 में बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं संबंधी कार्रवाई बिन्दुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करनी है। यह समिति विभिन्न राज्यों/संगठनों में बांध सुरक्षा कार्यकलापों का पर्यवेक्षण भी करती है तथा भारतीय स्थितियों के अनुरूप इनमें सुधार लाने का नवीनतम आधुनिक तर्ज पर सुझाव देती है। बांध के मालिकों द्वारा आपदा वाले बांधों में सुधारात्मक उपायों के वास्ते अपनाई गई तकनीकों के आधार पर विचारों के आदान-प्रदान के रूप में यह एक मंच का कार्य करता है।

विवरण

1998 तक पूर्ण किए गए बांधों के राज्यवार वितरण का सार

क्र.सं.	राज्य	बांधों की कुल सं.
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	161
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	2
5.	बिहार	23
6.	छत्तीसगढ़	247
7.	गोवा	5
8.	गुजरात	470
9.	हरियाणा	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू-कश्मीर	8
12.	झारखंड	48
13.	कर्नाटक	201
14.	केरल	50
15.	मध्य प्रदेश	790
16.	महाराष्ट्र	1430
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	6
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	143
22.	पंजाब	10
23.	राजस्थान	174
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	91
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	113
28.	उत्तराखंड	11
29.	पश्चिम बंगाल	22
	कुल जोड़	4013

डाकघरों में कंप्यूटर सुविधा

2423. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर देश के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में ई-मेल और कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कितने डाकघरों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इन पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) इस समय देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के राज्यवार कितने डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश के शेष डाकघरों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क), (ख), (ङ) और (च) तकनीकी व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में इन सुविधाओं सहित, वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान आबंटित निधियों और व्यय का विवरण नीचे दिए अनुसार है:-

वित्त वर्ष	आबंटित निधि	किया गया व्यय
2007-08	100.26 करोड़ रुपये	61.10 करोड़ रुपये
2008-09 (10/2008 तक)	49.66 करोड़ रुपये	32.66 करोड़ रुपये

डिजिटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज की स्थापना

2424. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार, कितने इलेक्ट्रानिक डिजिटल ट्रंक आटोमैटिक और अन्य प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने एक्सचेंजों की राज्य-वार स्थापना की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में ऐसे और एक्सचेंजों की स्थापना करने अथवा मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक, डिजीटल ट्रंक आटोमेटिक तथा अन्य प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल द्वारा स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों (लैंडलाइन, मोबाइल और डब्ल्यूएलएल) की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दिल्ली	मुंबई
2005-06	03	10
2006-07	शून्य	16
2007-08	06	7

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक/डिजीटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की संख्या शून्य है क्योंकि इस प्रकार के एक्सचेंज केवल लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) पर स्थापित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए लैंडलाइन एक्सचेंजों से संबंधित सूचना विवरण-II में दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लैंडलाइन एक्सचेंजों से संबंधित सूचना भी शामिल है।

(ग) आगामी वर्ष के दौरान और अधिक डिजीटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने या वर्तमान एक्सचेंजों का उन्नयन करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, वर्ष 2009-2010 के दौरान आईटीपीएएक्स एक्सचेंज किए जाने हैं।

जहां तक लैंडलाइन एक्सचेंजों का संबंध है, अधिकांश मामलों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु पर्याप्त लैंडलाइन स्विचन क्षमता उपलब्ध है। नए एक्सचेंज आवश्यकता के आधार पर खोले जा रहे हैं और इनका निरंतर संवर्धन किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 2009-2010 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु नियोजित आईटीपीएएक्स एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की संख्या संबंधी सूची

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान स्थापित डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

राज्य	एक्सचेंजों की संख्या
असम	1
आंध्र प्रदेश	1
अरुणाचल प्रदेश	1
हिमाचल प्रदेश	3
केरल	1
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	1
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	16

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान स्थापित डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

राज्य	एक्सचेंजों की संख्या
असम	1
बिहार	1
जम्मू-कश्मीर	1
केरल	2
महाराष्ट्र	2
मध्य प्रदेश	1
नागालैंड	1
पंजाब	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	2
जोड़	15

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान स्थापित डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

राज्य	एक्सचेंजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
दिल्ली	1
जम्मू-कश्मीर	1
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	10

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित लैंडलाइन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निम्न वर्षों के दौरान स्थापित लैंडलाइन एक्सचेंजों की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	109	326	56
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	2	1	0
6.	गुजरात	0	4	3
7.	हरियाणा	2	11	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	4
9.	जम्मू-कश्मीर	3	4	1
10.	झारखंड	21	19	3
11.	कर्नाटक	3	15	12
12.	केरल	13	13	4
13.	मध्य प्रदेश	7	4	3
14.	महाराष्ट्र	11	9	12
15.	पूर्वोत्तर-1	1	0	3
16.	पूर्वोत्तर-2	0	0	0
17.	उड़ीसा	12	5	5
18.	पंजाब	0	0	0
19.	राजस्थान	12	4	1
20.	तमिलनाडु	9	4	5
21.	उत्तराखंड	3	1	1
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	38	2	0
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2	0	1
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
25.	कोलकाता	3	11	21
26.	चेन्नै	0	0	0
	जोड़ (बीएसएनएल)	252	436	141

विवरण III

वर्ष 2009-2010 के दौरान नियोजित आईपी टीएएक्स का ब्यौरा

राज्य	नियोजित आईपी टीएएक्स की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
आंध्र प्रदेश	22
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	7
बिहार	14
छत्तीसगढ़	6
दिल्ली	1
गुजरात	17
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू-कश्मीर	3
झारखंड	6
कर्नाटक	18
केरल	11
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	28
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	11
पंजाब	11
राजस्थान	21
तमिलनाडु	18
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	36
उत्तराखण्ड	3
पश्चिम बंगाल	13
कुल जोड़	297

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2425. श्री महावीर भगोरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी है तथा इनसे सिंचित होने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं तथा उक्त परियोजनाओं को पूरा होने का अनुमानित समय क्या है;

(ग) राजस्थान में कितनी विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने का लक्ष्य क्या है तथा इस दिशा में हुई प्रगति की प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) मौजूदा और प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी भूमि के क्षेत्रफल की सिंचाई होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई क्षेत्र की चरम सिंचाई क्षमता 58.47 मिलियन हैक्टे. है, जिसमें से 42.77 मिलियन हैक्टे. 10वीं योजना के अंत तक सृजित किया जाना प्रत्याशित है। बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता सृजन/उपयोगिता में राज्यवार उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। बड़ी परियोजनाओं के

कार्यान्वयन हेतु लिया जाने वाला औसत समय 10 से 15 वर्ष है और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए यह 5 से 8 वर्ष है। तदनुसार, 1992 के दौरान या उससे पहले शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं और VIIIवीं योजना के दौरान या उससे पहले शुरू की गई मध्यम परियोजनाएं ग्यारहवीं योजना में चल रही परियोजनाओं के रूप में जारी हैं और इन्हें विलंबित परियोजनाओं के रूप में माना जा सकता है। संलग्न विवरण-III में दिया गया ब्यौरा ऐसी चल रही विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा है। सिंचाई राज्य का विषय है और परियोजनाएं संबंधित राज्यों द्वारा स्वयं अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं जो कोष की उपलब्धता तथा अन्य संसाधनों पर भी निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना कार्यान्वित कर रही है। परियोजना में 6.2 लाख हैक्टे. क्षेत्र तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों को कवर करते हुए 90 (7 बड़ी, 37 मध्यम और 48 छोटी) स्कीमों को पुनर्जीवित करने पर विचार किया गया है। परियोजना 95,670 हैक्टे. क्षेत्र में सिंचाई की भी पुन:स्थापना करती है, 749.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा 29.3.2001 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार की गई। दिसम्बर, 2007 के दौरान राजस्थान सरकार ने चल रही राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना में राजस्थान क्षेत्र में चंबल नहर प्रणाली में पुनरुद्धार संबंधी कार्य सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। चंबल राईट नहर प्रणाली टीएसी द्वारा स्वीकृत मूल परियोजना प्रस्ताव में कवर नहीं की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि वह टीएसी स्वीकृति हेतु चंबल नहर परियोजना प्रस्तुत करे। 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाली राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना भी जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी), जापान के सहयोग से कार्यान्वित है।

कोटा बैराज से शुरू होने वाली 383.79 करोड़ रुपए के वितरण प्रणाली लागत सहित चंबल राईट प्रमुख नहर (00 कि.मी. से 124.00 कि.मी.) के नवीनीकरण और पुन:स्थापना संबंधी एक परियोजना रिपोर्ट जांच के लिए 28.04.2008 को सीडब्ल्यूसी में प्राप्त हुई है।

विवरण I

दसवीं योजना के अन्त तक एमएमआई क्षेत्र में राज्यवार संभावित भौतिक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के नाम	बड़ी एवं मध्यम सिंचाई के लिए अनुमानित सिंचाई परियोजनाएं	दसवीं योजना के अंत तक उपलब्धित क्षमता	दसवीं योजना के अंत तक उपलब्धित क्षमता	दसवीं योजना के दौरान विस्तार												दसवीं योजना की उपलब्धि	
					2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		कुल योग			
					योजना	पीए	योजना	पीए	योजना	पीए	योजना	पीए	योजना	पीए	योजना	पीए	योजना	पीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	5000.00	3303.22	3051.59	94.24	61.26	112.98	73.44	78.03	50.72	11.74	7.63	142.45	92.19	439.44	285.84	3742.66	3337.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.8	0.62	0.3	0.2	0.1	0.07	0	0	0	0	1.2	0.79	1.20	0.79
3.	असम	970.00	243.92	174.37	5.6	3.68	8.62	8.4	47.81	30.97	2.6	1.63	12.71	2.16	68.91	44.84	312.50	219.21
4.	बिहार	5223.50	2680.00	1714.83	27	17.65	45	29.28	45	29.26	37	24.06	126	81.28	278	181.35	2959.00	1896.18
5.	झारखण्ड	1276.60	354.47	230.45	68	57.7	47	78.62	59.5	38.68	5.0	32.6	35	22.75	249.5	210.28	603.97	440.70
6.	गोवा	62.00	21.17	15.33	1.72	1.12	3.16	2.88	2.22	1.44	4.29	2.65	5.1	3.32	16.48	10.68	37.65	25.91
7.	गुजरात	3000.00	1430.37	1300.83	144	93.8	137.13	89.13	188	109.2	324	219.8	18	9.78	782.13	812.28	2218.50	1813.11
8.	हरियाणा	3000.00	2099.49	1849.97	18.3	10.6	13.57	8.82	16.43	10.68	20.28	13.18	26.29	18.44	91.87	69.72	2191.36	1809.69
9.	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	7.51	0.2	0.13	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	1	0.65	2.1	1.38	15.45	8.89
10.	जम्मू-कश्मीर	250.00	179.69	168.75	3.86	2.31	4.82	3.13	0	0	15.23	8.8			22.81	15.35	203.30	184.09
11.	कर्नाटक	2500.00	2121.12	1844.82	1.4	1.2	2.6	1.88			2.83	2.2			8.82	5.00	2127.75	1849.91
12.	केरल	1000.00	609.48	568.87	57.12	37.13	68.21	44.34	74.67	29.87	134.09	17.64	148.88	98.48	480.96	224.36	1080.47	783.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.	मध्य प्रदेश	4853.07	1385.90	875.63	10	6.6	16	5.76	16	9.76	10	6.5	16	9.76	66	42.25	1451.90	917.88
14.	छत्तीसगढ़	1145.93	922.60	760.74	191.76	68.14	125.32	81.46	147.76	39.6	170.17	110.81	343.18	223.07	888.18	826.70	1816.56	1281.52
15.	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	2147.24	24	16.4	1.15	74.76	118	74.75	1.18	0.76			256.16	168.86	3494.15	2313.09
16.	मणिपुर	135.00	91.15	72.91			8.18	4.5	6.29	4	0	0	1.6	0.18	11.9	9.48	103.05	82.39
17.	मेघालय	20.00	0.00	0.00											0	0	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00													0	0	0.00	0.00
19.	नगालैंड	10.00	0.00	0.00									1	0.86	1	0.65	1.00	0.65
20.	उड़ीसा	3600.00	1826.56	1794.17	28.92	19.45	67.4	43.81	27.76	18.00	0	3.26	35.34	21.67	163.41	108.22	1989.97	1900.39
21.	पंजाब	3000.00	2542.48	2485.89	2.19	8.00					30	19.5	30	10.5	62.19	44.93	2604.67	2530.02
22.	राजस्थान	2750.00	2482.15	2313.87	44.8	29.12	68.85	44.95	92	92	71	48.16	131.56	96.51	408.2	287.73	2890.35	2611.60
23.	सिक्किम	20.00	0.00	0.00											0	0	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1500.00	1549.31	1549.29	4.25	2.76	6.14	3.34	2.36	1.63					11.75	7.53	1561.06	1556.92
25.	त्रिपुरा	109.00	4.90	4.50					4.5	2.93	4.95	3.02	4.68	3.02	13.8	8.97	19.70	13.47
26.	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	6334.00	145.34	94.47	74.72	38.83	145.2	130	162	105.3	344	223.5	371.26	692	8781.35	6926.00
27.	उत्तराखंड	348.00	290.30	185.41	1.24	0.81	2.48	1.51	2.48	1.81	2.48	1.61	0.67	4.44	3.38	8.95	289.65	191.40
28.	पश्चिम बंगाल	2300.00	1683.29	1527.12	39	25.36	7.62	4.89	15	9.75	10	6.5	18	9.76	86.62	56.24	1769.81	1583.38
	संघशासित क्षेत्र	98.00	6.51	3.94	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6.51	3.94
	कुल	58465.00	36981.43	30972.13	812.33	531.91	922.26	638.95	1064.2	494.92	1068.51	425.28	1428.41	921.41	6295.63	3409.53	42277.06	34381.65

विवरण I

ग्यारहवीं योजना में चलने वाली परियोजनाओं की राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	बड़ी	मध्यम	ईआरएम	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	26	19	6	51
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	2	2	2	6
बिहार	10	2	5	17
छत्तीसगढ़	4	7	1	12
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	3	15	11	29
हरियाणा	1	0	1	2
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	4
जम्मू-कश्मीर	0	6	4	10
झारखंड	6	16	0	22
कर्नाटक	15	27	5	47
केरल	3	4	2	9
मध्य प्रदेश	18	8	5	31

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	53	83	3	139
मणिपुर	2	1	4	7
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	1	0	1
उड़ीसा	7	10	14	31
पंजाब	1	0	2	3
राजस्थान	2	7	2	11
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	2	3	5
त्रिपुरा	0	3	0	3
उत्तर प्रदेश	9	0	13	22
उत्तराखंड	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	2	5	6	13
कुल	166	222	89	477

विवरण III

शुरू होने वाली योजना	ग्यारहवीं योजना में चलने वाली संभावित परियोजनाएं		
	बड़ी	मध्यम	कुल
I	0	0	0
II	2	0	2
III	5	1	6
एपी 66-69	2	0	2
IV	8	3	11
V	33	23	56
एपी 78-80	2	5	7
VI	25	21	46
VII	10	13	23
एपी 90-92	2	2	4
VIII		48	48
कुल	89	116	205

[अनुवाद]

बाजार हस्तक्षेप योजना

2426. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से बाजार हस्तक्षेप योजना में और फसलों को शामिल करने तथा प्रोत्साहन के माध्यम से किसानों को हुई हानि की भरपाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार ने इन राज्यों के मध्यम एवं छोटे किसानों को लाभ देने हेतु क्या अतिरिक्त उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) से (च) कृषि मंत्रालय किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर ऐसे बागवानी और कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित करती है जो सामान्यतया नाशवान किस्म के हैं और मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते। यह स्कीम विपत्ति में बिक्री से बचने के लिए उस समय लागू की जाती है जब बाजार मूल्य उत्पादन की लागत से नीचे चल रहे हों। खरीद एजेंसियों को होने वाली हानि, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) वहन की जाती है। तथापि, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वहन की जाने वाली हानि की राशि अधिप्राप्ति लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है। अधिप्राप्ति एजेंसियों को होने वाले लाभ, यदि कोई हो, उनके द्वारा धारित कर लिए जाते हैं। एमआईएस के ये दिशानिर्देश 30.7.2001 से प्रभावी है। कुछ राज्य सरकारों ने अधिप्राप्ति लागत के 25 प्रतिशत के बजाय वास्तविक हानि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त एमआईएस मध्यम तथा छोटे किसानों सहित सभी किसानों के लिए प्रयोज्य है।

डाकघरों में एटीएम सुविधा

2427. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री पंकज चौधरी:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को एटीएम सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डाकघरों के कार्य का आधुनिकीकरण करने और इसे और ग्राहक अनुकूल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने हुए डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) शुरू करने का प्रस्ताव है। चुने हुए डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान स्थापित होने के उपरांत इन डाकघरों के खाताधारकों को एटीएम सुविधा देने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(घ) डाकघरों का आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 31.03.2008 तक विभाग ने 2504 डाकघरों को आधुनिकीकृत (कार्य-वातावरण में सुधार) और 9639 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया था। इसके बाद डाकघरों के कार्यकलापों को आधुनिकीकृत बनाने तथा उन्हें अधिक ग्राहकोनुकूल करने के लिए निम्नलिखित और क़दम उठाए गए हैं-

(1) ग्राहकों और स्टाफ, दोनों के लिए आम जन के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान पर समुचित फर्नीचर, लिखने के लिए डेस्क और अन्य उपयोगी सुविधाओं जो समुचित प्रकाशमय ढंग से प्रदर्शित हों, की आपूर्ति। प्रचार सामग्री के लिए बोर्ड और ग्लो साइनबोर्ड की भी व्यवस्था की गई।

(2) काउंटर में उपलब्ध सेवाओं और उनके समय के संबंध में जनसाधारण के लिए पब्लिक हाल में सूचना प्रदर्शित की गई हैं।

(3) अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए फ्रन्ट कार्यालय के लेआउट को पुन: तैयार किया गया।

(4) फन्ट कार्यालयों में बहुउद्देश्यीय काउंटरों को बेहतर एवं अधिक ग्राहकोनुकूल बनाने के लिए सुसज्जित किया गया।

(5) चालू वर्ष में "प्रोजेक्ट ऐरो" के अंतर्गत दक्ष जन सेवाएं उपलब्ध कराने और डाकघरों को अधिक ग्राहकोनुकूल बनाने के लिए 500 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

उद्योगों के बंद हो जाने के कारण नौकरी समाप्त हो जाना

2428. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में गुजरात सहित औद्योगिक फैक्ट्रियों/बंद पड़ी इकाइयों एवं रुग्ण घोषित की गई इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान बेरोजगार हुए कामगारों/कर्मचारियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बंद फैक्ट्रियों/इकाइयों को पुन: चालू करने तथा बेरोजगार हुए कामगारों/कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कामबंदियों तथा उनसे प्रभावित कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (25.8.2008 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य-वार रुग्ण घोषित की गयी औद्योगिक इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) और (घ) पुनरूज्जीवन/पुनर्वास संबंधी विकल्पों पर विचार करने के पश्चात् ही इकाइयों में कामबंदी की जाती है। यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-02 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए भी योजना प्रारम्भ की गयी है।

विवरण I

2005-2008 के दौरान कामबंदियों तथा प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या

	2005		2006		2007(अ)		2008(अ)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1	92	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	1	14	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	*	*	*	0
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	196
गोवा	2	120	1	100	–	–	–	–
गुजरात	7	280	4	430	2	45	*	*
हरियाणा	2	21	3	118	4	198	5	330
हिमाचल प्रदेश	*	*	1	10	6	139	*	*
जम्मू-कश्मीर	*	*	3	54	–	–	–	–
झारखण्ड	1	350	*	*	*	*	*	*
कर्नाटक	8	329	5	379	1	4	1	30
केरल	1	18	5	121	3	45	*	*
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	*	*
महाराष्ट्र	–	–	–	–	*	*	*	*
मणिपुर	*	*	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–	1	10	0	0
पंजाब	1	25	–	–	–	–	–	0
राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	–	1	49	0	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	*	*	*	*	1	26	*	*
त्रिपुरा	47	2346	127	3681	53	1285	15	361
उत्तर प्रदेश	14	1117	10	1269	15	1941	0	–
उत्तराखण्ड	–	–	1	77	2	116	0	–
पश्चिम बंगाल	–	–	5	925	2	36	*	*
अण्डमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	*
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	1
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	*	*	*	0
दमन और दीव	*	*	–	–	*	*	*	*
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
पुडुचेरी	*	*	2	11	–	–	*	*
सकल योग	86	4895	168	7189	91	3894	23	918

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
(अ - अनंतिम)
क - बंद की गयी इकाइयों की संख्या
ख - प्रभावित कामगारों की संख्या
* - उपलब्ध नहीं।

विवरण II

गत वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रुग्ण घोषित की गयी औद्योगिक इकाइयों की सूची

(25.08.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	7	6	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	1	0	0	0
4.	बिहार	0	1	1	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
6.	दिल्ली	19	9	9	2

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	2	0	0	0
8.	गुजरात	23	20	11	6
9.	हरियाणा	1	3	5	1
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
12.	झारखण्ड	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	8	8	2	1
14.	केरल	9	1	4	4
15.	मध्य प्रदेश	7	4	2	3
16.	महाराष्ट्र	39	25	19	8
17.	मणिपुर	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	1	0	1	2
22.	पंजाब	12	15	7	3
23.	राजस्थान	10	3	2	0
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	18	7	1	1
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	5	6	5	1
28.	उत्तराखंड	0	1	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	11	9	2	1
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पुडुचेरी	1	0	0	0

स्रोत: औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.)

समुद्री मत्स्यन पर सुनामी का प्रभाव

2429. डा. के.एस. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री मत्स्यन पर सुनामी के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने हेतु समुद्र में आर्टिफिशियल क्रेज सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग ने समुद्री मात्स्यिकी पर सुनामी के प्रभाव के अध्ययन के लिए नाजुक क्षेत्रों की पहचान की है तथा सभी सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अध्ययन आरंभ करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि के माध्यम से ''फ्लोटिंग केज फार्म फार फिन फिश एंड शेलफिश'' नामक पायलट परियोजना आरंभ की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व से लेकर पश्चिमी तट तक खुला समुद्री केज कल्चर प्रदर्शन फार्म स्थापित करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन

2430. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मृदा अपरदन के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में, राज्यवार हुए कुल मृदा अपरदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने मृदा अपरदन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं इस संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। अद्यतन आकलनों के अनुसार जल क्षरण और वायु क्षरण क्रमश: 73 तथा 12 मिलियन हैक्टेयर हैं। केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई) देहरादून ने मृदा कटाव के नियंत्रण के लिए कई स्थान विशिष्ट जैव अभियांत्रिकी उपाय किए हैं।

(ग) देश में मृदा कटाव की औसत दर 16.4 टन/है./वर्ष है जिससे प्रत्येक वर्ष ऊपरी मृदा की करीब 1 किलोमीटर परत हटती है। बारह राज्यों के लिए औसत दर इस प्रकार है, मध्य प्रदेश-18.6, आंध्र प्रदेश-13.1, असम-22.6, बिहार-7.3, छत्तीसगढ़-19.4, गुजरात-8.2, कर्नाटक-12.2, महाराष्ट्र-12.7, उड़ीसा-11.3, राजस्थान-15.9, त्रिपुरा-15.1 तथा पश्चिम बंगाल-8.3।

(घ) भारत सरकार ने विभिन्न योजना अवधि के दौरान देश में केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित विभिन्न स्थान विशिष्ट कटाव नियंत्रण उपायों पर आधारित, ठोस जल संभर विकास कार्यक्रमों को चलाया है। संस्थान ने प्रतिभागी जलसंभर प्रबंध पर फील्ड कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।

पूरी की गई 311 जल संभर परियोजनाओं की समीक्षा दर्शाती है कि सिंचित क्षेत्र (33 प्रतिशत) तथा फसल गहनता (63 प्रतिशत), में बढ़ोत्तरी से लाभ मृदा में नुकसान की कमी (से 0.8 टन/है.) तथा जल अपवाह (13 प्रतिशत तक) है जिसमें लागत लाभ अनुपात 1:2.14 तथा लाभ की आंतरिक दर 22 प्रतिशत है।

कृषि उत्पादन

2431. श्री अजीत जोगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रति एकड़ कृषि उत्पादन के अनुसार कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्गीकरण हेतु अपनाए जाने वाले प्रस्तावित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में, भूमि प्रयोग

संबंधी आंकड़ों का नौ-सूत्रीय वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत राज्यवार तथा जिलेवार संकलित है-

* वन क्षेत्र
* कृषि-भिन्न कार्यों में प्रयुक्त भूमि
* बंजर तथा अकृष्य भूमि
* स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई भूमि
* विविध वृक्ष फसलों के अधीन भूमि
* बेकार कृष्य भूमि
* चालू परती भूमि
* चालू परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि
* बुवाई किया गया निवल क्षेत्र।

[अनुवाद]

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास की खरीद

2432. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों से और अधिक कपास खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदी गई कपास का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) कपास किसानों के हितों की रक्षा तथा कपास के प्रचलित मूल्यों में गिरावट के मद्देनजर भारत सरकार की नामित एजेंसियां अर्थात्, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और नैफेड एपीएमसी बाजारों में कपास किसानों द्वारा लाई गई अच्छी औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाली कपास की पूरी मात्रा को बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जो भारत सरकार द्वारा कपास की विभिन्न किस्मों/ग्रेड एफएक्यू ग्रेड के लिए प्रतिवर्ष नियम किया जाता है, पर खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीसीआई द्वारा खरीदी गई कपास का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2008-09 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और वाणिज्यिक मूल्य (सीपी) के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा की गई राज्य-वार खरीद नीचे दी गई है

मात्रा (गांठ में)

राज्य	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
	एमएसपी	सीपी	कुल	एमएसपी	सीपी	कुल	एमएसपी	सीपी	कुल	एमएसपी	सीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	52389	5779	58168	-	43201	43201	-	78976	78976	588859	1604	590463
हरियाणा	4429	12549	16978		15010	15010		19441	19441	139525	3124	142640
राजस्थान	70159	1526	71685		60153	60153		69653	69653	60630		57152
गुजरात	293167	45400	338567		144764	144764		130058	130058	226230		209838
महाराष्ट्र	295206	29883	325089	539754	3990	543744		379320	379320	631247		600216
मध्य प्रदेश	118267	2361	120628	89844	1209	91053		37935	37935	262021		250510
आंध्र प्रदेश	350058	489	350547	527646		527646	218694	29882	248576	783400		753293
कर्नाटक	62564	1879	64443	4954	7271	12225		17854	17854	44189	202	44391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु					90	90						
पश्चिम बंगाल	248		248		238	238		119	119			
उड़ीसा	6064		6064	16257	489	16746	4611	6288	10899	26535		21154
कुल	1252551	99866	1352417	1178455	276415	1454870	223305	769526	992831	2762636	4930	2669666

[हिन्दी]

दालों का उत्पादन

2433. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 2008 के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के संबंध में दालों के कुल उत्पादन संबंधी कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 25.9.2008 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ 2008 के दौरान दालों का उत्पादन 4.72 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। चूंकि रबी फसलों की बुआई का कार्य चल रहा है, अत: रबी 2008 के दौरान दालों के उत्पादन का निर्धारण करना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पाद

2434. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन अथवा विपणन के लिए किसी प्रोत्साहन अथवा समर्थन के अभाव में बागवानी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। बागवानी क्षेत्र की 202.70 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 6.70 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। बागवानी विकास की क्षमता को स्वीकार करते हुए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय (1) उत्पादन व फसल कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास; और (2) शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बागवानी उत्पाद के भण्डारण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता संबंधी स्कीमों के अलावा दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" और "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन" का कार्यान्वयन कर रहा है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत बागवानी उत्पाद के मूल्यवर्धन सहित विपणन और फसल कटाई पश्चात प्रबंधन के लिए अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों तथा उद्यमियों को सहायता मुहैया कराई जा रही है।

कृषि एवं बागवानी जिन्सों के प्रापण हेतु राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कृषि मंत्रालय मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) भी कार्यान्वित कर रहा है। अत्यधिक फसल होने पर जब मण्डी में फसलों की भरमार होती है और मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाते हैं, उस स्थिति में विपत्ति में बिक्री किए जाने से इन जिन्सों के उत्पादकों को बचाने के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमि. (नैफेड) तथा राज्य नामित एजेंसियों द्वारा प्रापण कार्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, बागवानी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान

2435. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के पुन: अनुकूलन का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इसे और प्रासंगिक बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों का पुनर्विन्यास तथा उनकी प्राथमिकता एक अनवरत प्रक्रिया है। भारतीय कृषि द्वारा उभरती चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी अनुसंधान कार्यसूची में गुणवत्ता बीज; जलवायु परिवर्तन; जैविक खेती; पराजीनियों; कीट जैव प्रणालीबद्धता; पशु टाइप कल्चर; जीन पिरामीडिंग; युग विकल्पी (एलिल) खनन; मार्कर समर्थित प्रजनन आदि पर अनुसंधान परियोजनाओं का रिओरिएंटेशन किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पाठ्यक्रम में आवश्यकता आधारित चुनौतियों की सिफारिश के लिए चौथी संकाय समिति का गठन किया है। सभी कृषि विश्वविद्यालयों को उक्त समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी गई है।

प्रति हैक्टेयर कपास उत्पादन

2436. श्री फ्रांसिस फैन्चम:
श्री सूरज सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने प्रति हैक्टेयर कपास उत्पादन शीर्ष कपास उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रति हैक्टेयर कपास उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित सारणी विश्व के शीर्ष कपास उत्पादक देशों की तुलना में भारत में कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन (पैदावार) प्रस्तुत करती है:

देश	उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)
ब्राजील	1480
चीन	1253
अमेरिका	938
पाकिस्तान	670
भारत	591

स्रोत - खाद्य एवं कृषि संगठन।

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 तक की अवधि का राज्यवार प्रति हैक्टेयर उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 तक की अवधि का राज्यवार प्रति हैक्टेयर कपास उत्पादन

राज्य	उपज किलोग्राम/हैक्टेयर			
	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09$
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	347	381	518	390
असम	73	102	170	170
छत्तीसगढ़	227	340		
गुजरात	604	625	581	600
हरियाणा	437	582	663	650
कर्नाटक	228	276	294	237
केरल	220	170		
मध्य प्रदेश	204	220	233	117
महाराष्ट्र	187	253	373	373

1	2	3	4	5
मेघालय	184	182	#	#
मिजोरम	113	4420	#	#
नागालैंड	289	170	#	#
उड़ीसा	435	363	425	422
पंजाब	731	750	663	699
राजस्थान	317	363	397	397
तमिलनाडु	258	374	362	294
त्रिपुरा	227	227	#	#
उत्तर प्रदेश	201	238	170	
पश्चिम बंगाल	510	438	476	
पुडुचेरी	128	128	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	216	238
अखिल भारत	362	421	466	445

*दिनांक 09.07.2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान
$ - दिनांक 25.09.2008 को जारी पहले अग्रिम अनुमान
# - अन्य में शामिल
एन.ए. - लागू नहीं

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन हेतु विश्व बैंक से सहायता

2437. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार तथा विश्व बैंक से सहायता हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है न ही इस अंतर को पाटने के लिए सरकार और विश्व बैंक से सहायता मांगने के संबंध में ही कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समूचे देश में सरकार और विश्व बैंक की सहायता से अगले 15 वर्षों में दूध उत्पादन बढ़ाने के बारे में एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह तैयार होने के आरंभिक चरण में है।

आयातित गेहूं की चोरी

2438. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित गेहूं की भारी मात्रा का कथित रूप से वर्तमान में कोई अता-पता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और मूल्य के गेहूं गायब हुए हैं तथा ये किन स्थानों से गायब हुए हैं;

(ग) क्या इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा ही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कपास की उत्पादन लागत में वृद्धि

2439. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास की उत्पादन लागत में वृद्धि और कपास की कमी के कारण वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पारिश्रमिक समानता

2440. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत पुरुष और महिला कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के पारिश्रमिकों में समानता है;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उपर्युक्त क्षेत्रें में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का अनुपालन न करने के संबंध में क्षेत्रवार प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) पारिश्रमिक समानता से संबंधित नियमों/कानूनों के अनुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2004-2005 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कामगारों की कुल संख्या 45.9 करोड़ थी जिनमें से 43.3 करोड़ (94%) असंगठित क्षेत्र में तथा शेष 2.6 करोड़ (6%) असंगठित क्षेत्र में थे। संगठित क्षेत्रों में श्रम बल का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये अनुसार है। असंगठित क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में मजदूरी तथा अन्य सुख-सुविधाओं के संदर्भ में पुरुष तथा महिला कामगारों के बीच भेदभाव किये बिना समान पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) पुरुष एवं महिला के आधार पर मजदूरी में भेदभाव के बारे में कोई भी शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लायी गयी है। केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (के.) का कार्यालय और राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उचित क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए निरीक्षण करने हेतु समुचित प्राधिकरण हैं। जब कभी पता चलता है तब समुचित प्राधिकरण द्वारा संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में महिला कामगारों के लिए विधिसम्मत पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

31.03.2005 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में राज्य-वार नियोजन

(हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन	निजी क्षेत्र में नियोजन	कुल
1	2	3	4	5
1.	असम	531.5	580.6	1112.1
2.	आंध्र प्रदेश	1395.8	647.0	2042.8
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.0	2.7	37.7
4.	बिहार	494.7	32.5	527.2
5.	चंडीगढ़	60.50	28.50	89.00
6.	छत्तीसगढ़	307.30	31.70	339.00
7.	दिल्ली	614.90	216.20	831.10
8.	दमन और दीव	2.0	12.5	14.5

1	2	3	4	5
9.	गोवा	70.0	41.9	111.9
10.	गुजरात	832.1	861.4	1693.5
11.	हरियाणा	389.90	258.00	647.90
12.	हिमाचल प्रदेश	258.40	58.90	317.30
13.	जम्मू-कश्मीर	199.6	10.5	210.1
14.	झारखण्ड	891.7	150.3	1042.0
15.	कर्नाटक	1059.3	802.8	1862.1
16.	केरल	614.9	524.9	1139.8
17.	मेघालय	72.6	9.3	81.9
18.	मणिपुर	77.9	2.7	80.6
19.	मिजोरम	40.1	1.4	41.5
20.	महाराष्ट्र	2137.6	1403.3	3540.9
21.	मध्य प्रदेश	915.3	155.7	1071.0
22.	नागालैंड	68.2	4.1	72.3
23.	उड़ीसा	659.9	90.2	750.1
24.	पंजाब	520.0	253.1	773.10
25.	राजस्थान	932.8	247.7	1180.5
26.	त्रिपुरा	110.4	12.9	123.3
27.	पुडुचेरी	40.4	17.6	58.0
28.	तमिलनाडु	1512.8	765.9	2278.7
29.	उत्तर प्रदेश	1650.4	437.5	2087.9
30.	उत्तराखंड	224.0	37.30	261.3
31.	पश्चिम बंगाल	1286.4	752.4	2038.8
	कुल	18006.4	8451.5	26457.9

[अनुवाद]

कृषि विस्तार योजनाएं

2441. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कर्नाटक सहित देश में कृषि विस्तार योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) "विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" कार्यक्रम नामक स्कीम को वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था और उसका उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में नई संस्थागत व्यवस्था करके विस्तार प्रणाली को कृषक चालित और कृषक उत्तरदायी बनाना है। एटीएमए में किसानों, किसानों के समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, केवीके, पीआरआई तथा जिला व इससे नीचे के स्तर पर कार्यरत अन्य स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी है। कर्नाटक सहित 29 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 581 एटीएमए की स्थापना की जा चुकी है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

कृषि प्रौद्योगिकियों के आंकलन, परिष्करण और प्रदर्शन के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक नेटवर्क तैयार किया है। अब तक, देश में 562 केवीके स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 26 कर्नाटक के ग्रामीण जिलों में हैं। स्वीकृत केवीके की राज्यवार संख्या और वर्ष 2008-09 के दौरान आवंटित निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2005-06 से अब तक विस्तार सुधार स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 360.73 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। निधियों की निर्मुक्ति की राज्यवार और वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

विवरण I

एटीएम जिलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम	संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, चित्तूर, कुरूनूल, प्रकासम, श्रीकाकुलम, कृष्णा, अनन्तपुर, कादपा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, गुंटूर, करीमनगर, खम्माम, मेहबूबनगर, मेढक, नलगौण्डा, नेलोर, वारंगल	18
		विजीनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी	4
2.	बिहार	बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुज्जफरपुर, पुर्णिया, पटना, रोहतास, सहरसा, सारन, वैशाली और पश्चिमी चम्पारन	15
		अरारिया, अरवाल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारन, (मोतीहारी), गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर (भाभुना), खगरिया, किसनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, श्योहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपाल	23
3.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम, रायगढ़, सरगुजा	5
		बिजापुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, नारायणपुर, उत्तरी बस्तर, कांकेर, रायपुर, राजनांदगांव, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा	13
4.	दिल्ली	दिल्ली	1
5.	गोवा	पूरा गोवा एक जिले के रूप में	1
6.	गुजरात	अहमदनगर, अमरेली, बरूच, दाहोद, जामनगर, कच्छ, साबरकांठा, वलसाड़	8
		आनन्द, बांसकांठा, भावनगर, डन्गास, गांधीनगर, जुनागढ़, खेड़ा, मेहसाना, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा	17

1	2	3	4
7.	हरियाणा	हिसार, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, पानीपत, गुडगांव, फरीदाबाद, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़, नरनौल, मेवात नूहं, झज्जर, जीन्द और भिवानी	20
8.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, उना	7
		चम्बा, किन्नौर, लाहुल और स्फीती, सिरमौर, सोलन	5
9.	जम्मू-कश्मीर	अनन्तनाग, बडगाम, कारगिल, कुपवाड़ा, लेह, साम्बा, कथुआ, पूंछ, रेआसी, उधमपुर, जम्मू डिवीजन में रामबन और किश्तवाड़, श्रीनगर, गण्डरबाल, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, कश्मीर डिवीजन में बारामुला और बण्डीपुरा	19
10.	झारखण्ड	छत्रा, दुमका, गरहवा, हजारीबाग, जामतारा, पालमाऊ, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूमि, बोकारो, देवगढ़, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहर, लोहरदगा, पाकुर, रांची, साहिबगंज, सिमदेगा	22
11.	कर्नाटक	बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चित्तदुर्गा, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, हवेरी, हासन, कोप्पल, कोलार, कोडगू, (कोरग), शिमोगा, चिक्काबल्लापुर, बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), रामनगरम, मण्डेया, मैसूर, उदुपी, डी कन्नड़, यू. कन्नड़, टुमकूर, देवनागरी, गंडक, धारवाड़ बेल्लारी, रायचुर और बगलकोट	29
12.	केरल	अलप्पुझा, कासरगोड, इदुक्की, पालक्कड़, तिरूवनंतपुरम, वायनाड	6
		एर्नाकुलम, कुन्नूर, कोल्लम, कोझीकोड, कोयट्टम, मलापुरम, पठानमिथट्टा, त्रिचुर	8
13.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, डिण्डौरी, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन (पश्चिमी निमाड), मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, शहडोल, टिकमगढ़, उज्जैन	15
		अशोकनगर, अनुपपुर, बरवानी, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छत्तरपुर, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, हरदा, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मण्डला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सतना, सिहोरा, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया, विदिशा	33
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, बुलढाना, गढ़चिरौली, हिंगोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नन्दुरबार, पुना, रतनागिरी, सिन्धुदुर्ग, सांगली, थाने, वासिम, वर्धा, यवतमाल, रायगढ़, बीद, धुले, भण्डारा, जलगांव, नाशिक, गोदिया, नांदेड़, उस्मानाबाद, परबनी, सोलापुर, चन्द्रपुर, सतारा, नागपुर	33
15.	उड़ीसा	बालासोर, बोलनगिर, धेनकनाल, गंजम, जगतसिंहपुर, क्योंझर, कन्दमाल खुरदा, कोरापूट, मयूरभंज, नौपाड़ा, संबलपुर, सुन्दरगढ़	13
		कटक, पुरी, कालाहांडी, भद्रक, जैयपुर, केन्द्रपाड़ा, नयागढ़, परलखेमुण्डी, रायगाड़ा, नवरंगपुर, मल्कागंज, सोनपुर, झारसुगुड़ा, देवघर, बारगृह, अगंलु, बौध	17

1	2	3	4
16.	पंजाब	अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरुदासपुर, जालंधर, पटियाला, रोपड़ (रूप नगर), संगरूर, तारन-तरन, मोहाली	10
		बरनाला, भटिण्डा, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोंगा, मुक्तसर, नवानशहर	10
17.	राजस्थान	अलवर, अजमेर, बंसवाड़ा, भिलवाड़ा, बारन, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डुंगपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौन, जोधपुर, झालवाड़, करौली, नागौर, पाली, राजसमन्द, श्रीगंगानगर, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक	22
		बारमेड़, बीकानेर, बुन्दी, चुरू, दौसा, धोलपुर, जैसलमेर, झुनझुनु, कोटा, उदयपुर	10
18.	तमिलनाडु	धरमपुरी, एरोड, कृष्णागिरि, पुडुकोट्टी, सेलम, थुथुकुण्डी (तूतीकोरिन), तिरूनेलवेली, वेल्लूर, विरुद्धुनगर, त्रिची, नागापट्टीम, शिवगंगाई, कोयम्बटूर, मदुराई, रामनाड, नामक्कल, थेनी, डिण्डुगल, पेराम्बालपुर, कन्याकुमारी, तिरूवरूर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, थान्जावुर, थिरूवल्लुर, कुड्डालोर, तिरूवन्नामलाई, करूर	28
19.	उत्तराखण्ड	अलमोड़ा, चमौली, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	8
		बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और टिहरी	5
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, औरैया, बाराबंकी, बरेली, बागपत, बस्ती, बैहराइच, बडौन, इटावा, फरूखाबाद, गोरखपुर, गोण्डा, गाजियाबाद, हाथरस, जौनपुर, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, कन्नौज, लखनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुज्जफरनगर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सहारनपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, वाराणसी	32
		गौतमबुद्ध नगर, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, सुलतानपुर, बलरामपुर, देवरिया, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, चंदौसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मउ, बलिया, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, लखिमपुर खीरी, बुलन्द शहर, रामपुर, मथुरा, रायबरेली, हरदोई, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद, कांशीराम नगर	39
21.	पश्चिम बंगाल	बंकुरा, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर (पूर्व), उत्तरी 24 परगना	6
		दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, वीरभूम, वर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, दक्षिणी 24-परगना, पुरलिया, पश्चिम मिदनापुर	12
22.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग, निचली दिबांग वैली, लोहित, निचली सुबानसिरी, पापुमपारे, तिराप, पश्चिम कांमेंग	7
		अलोंग, अनिनी, अंजाव, चांगलांग, दपोरिजो, कुरूरंग कुमेय, सेप्पा, तवांग, यिंगकिंयोंग	9

1	2	3	4
23.	असम	बोंगाईगांव, कचर, दाररंग, गोलघाट, गोअलपारा, कोकराझाड़, करीमगंज, लखिमपुर, मोरीगांव, एनसी हिल्स, शिवसागर, तिनसुकिया	12
24.	मणिपुर	इम्फाल (पूर्व), इम्फाल (पश्चिम), सेनापति थौबल, विश्नुपुर, चुरचन्द्रपुर, चन्देल, उखरूल और तामेगांग	9
25.	मिजोरम	आइजोल, चम्पाई, कोलासिब और लुंगलई	4
		सेरछिप, ममित, लवनगतलाई और सैहा	4
26.	मेघालय		0
27.	नागालैण्ड	दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग	3
		तंनसांग, मौंनक, फेक, जुन्हेबूतो, वोखा, लौंगलेग, किफिरे, पेरेन	8
28.	सिक्किम	पूर्वी जिले, दक्षिणी जिले	2
		उत्तरी जिले, पश्चिमी जिले	2
29.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा - धरम नगर, दक्षिणी त्रिपुरा-उदैयपुर, पश्चिमी त्रिपुरा और दालहाई	4
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	सम्पूर्ण एक जिले के रूप में	1
31.	पुडुचेरी	पुडुचेरी, करैकाल	2
	कुल		581

नोट: 14 छूटे हुए जिले - (असम-4, मेघालय-7, लक्षद्वीप-1, दादरा व नगर हवेली-1, दमन व दीव-1)

विवरण II

केवीके की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या और वर्ष 2008-09 के दौरान आवंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केवीके की संख्या	2008-09 के दौरान आवंटित निधियां
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	73.50
2.	आंध्र प्रदेश	22	1265.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	262.25
4.	असम	20	548.45
5.	बिहार	38	1452.25
6.	छत्तीसगढ़	16	665.65
7.	दिल्ली	1	42.00
8.	गोवा	2	105.34
9.	गुजरात	24	1123.38
10.	हरियाणा	18	834.05
11.	हिमाचल प्रदेश	12	673.25
12.	जम्मू-कश्मीर	14	738.65
13.	झारखण्ड	21	1042.67
14.	कर्नाटक	26	1141.73

1	2	3	4
15.	केरल	14	659.51
16.	लक्षद्वीप	1	22.75
17.	मध्य प्रदेश	47	1676.42
18.	महाराष्ट्र	33	1957.29
19.	मणिपुर	9	344.20
20.	मेघालय	5	70.25
21.	मिजोरम	8	229.75
22.	नागालैंड	8	260.00
23.	उड़ीसा	29	1426.03
24.	पुडुचेरी	2	71.75
25.	पंजाब	17	817.30
26.	राजस्थान	32	1472.80
27.	सिक्किम	4	139.00
28.	तमिलनाडु	29	1291.73
29.	त्रिपुरा	4	80.00
30.	उत्तर प्रदेश	63	3032.04
31.	उत्तराखण्ड	13	621.21
32.	पश्चिम बंगाल	17	847.30
	कुल	562	24988.26

विवरण III

गत तीन वर्षों (2005-06) और वर्तमान वर्ष के दौरान विस्तार सुधार (एटीएमए) स्कीम के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(12.12.2008 तक अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्तियां			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	223.00	467.00	2470.64	–
2.	बिहार	176.00	239.10	1463.00	2256.00
3.	छत्तीसगढ़	125.00	110.00	422.24	–
4.	गोवा	27.00	00.00	18.76	–
5.	गुजरात	116.00	194.00	311.21	189.39
6.	हरियाणा	123.00	116.00	285.84	477.00
7.	हिमाचल प्रदेश	122.00	183.00	372.75	224.88
8.	जम्मू-कश्मीर	104.00	00.00	–	–
9.	झारखण्ड	163.00	157.00	557.73	–
10.	कर्नाटक	180.00	155.00	339.00	452.00

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	80.00	117.00	125.00	–
12.	महाराष्ट्र	231.00	383.00	1283.14	973.47
13.	मध्य प्रदेश	200.00	294.00	612.23	823.75
14.	उड़ीसा	255.00	419.00	1233.16	887.56
15.	पंजाब	159.00	133.00	427.60	55.86
16.	राजस्थान	231.00	242.00	1152.97	575.00
17.	तमिलनाडु	128.00	263.00	679.14	1006.00
18.	उत्तर प्रदेश	547.00	601.00	2135.03	1586.00
19.	उत्तराखण्ड	149.00	182.00	262.25	–
20.	पश्चिम बंगाल	92.00	193.00	635.10	1200.62
21.	असम	160.00	00.00	–	–
22.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	126.00	142.25	39.00
23.	मणिपुर	59.00	00.00	93.58	–
24.	मिजोरम	49.50	118.60	46.55	67.00
25.	मेघालय	14.00	00.00	–	–
26.	नागालैंड	61.00	50.00	–	133.36
27.	त्रिपुरा	22.00	00.00	94.66	143.00
28.	सिक्किम	39.00	65.00	83.09	75.80
29.	दिल्ली	16.00	00.00	–	–
30.	पुडुचेरी	16.00	00.00	20.75	–
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.00	18.00	11.88	14.00
32.	लक्षद्वीप	16.00	00.00	–	–
33.	दादरा और नगर हवेली	16.00	00.00	–	–
34.	दमन और दीव	16.00	00.00	–	–
35.	मैनेज	366.56	00.00	300.00	96.00
36.	डी ओ ई	00.00	01.00	01.21	00.39
	कुल	4390.06	4826.70	15580.76	11275.84

इलेक्ट्रानिक अंतर्राष्ट्रीय धनादेश सेवा

2442. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इलेक्ट्रानिक अंतर्राष्ट्रीय धनादेश सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेवा का विस्तार अन्य देशों में भी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। डाक विभाग ने 26 अप्रैल, 2008 से संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए इलेक्ट्रानिक अन्तर्राष्ट्रीय धनादेश सेवा शुरू की है।

(ख) (1) यह सेवा दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई जैसे मैट्रो शहरों और केरल राज्य में शुरू की गई है।

(2) प्रेषक संयुक्त अरब अमीरात के डाकघरों से दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई जैसे मैट्रो शहरों और केरल राज्य में रहने वाले प्राप्तकर्ता के पते पर धनादेशों को भेज सकता है।

(3) एकल आवक धनादेश की अधिकतम सीमा 2500/- अमरीकी डालर निर्धारित की गई है। एक कलेंडर वर्ष में एक प्राप्तकर्ता को अधिकतम 12 धनादेश भेजे जा सकते हैं।

(ग) प्राप्त किए गए कुछ प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(घ) प्राप्त प्रस्ताव विचारात्मक स्तर पर हैं और इनको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ई-गवर्नेंस के लिए साफ्टवेयर पैकेज का विकास

2443. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इसके बहुचर्चित ई-गवर्नेंस के लिए एक अभूतपूर्व साफ्टवेयर पैकेज विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस साफ्टवेयर पैकेज को विकसित करने में 'फ्री साफ्टवेयर डवेलर्स' को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) ई-शासन के लिए किसी "अनूठे साफ्टवेयर पैकेज" का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नि:शुल्क एवं मुक्त स्रोत साफ्टवेयर के संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र, चेन्नई में राष्ट्रीय नि:शुल्क एवं मुक्त स्रोत साफ्टवेयर संसाधन केन्द्र (एनआरसीएफओएसएस) स्थापित किया है। अन्ना विश्वविद्यालय केबीसी अनुसंधान केन्द्र भी इसमें भाग ले रहा है। साधनों और मानव संसाधन कार्यक्रमों का विकास करने के अलावा यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहायता केन्द्रों की स्थापना, नि:शुल्क/मुक्त स्रोत साफ्टवेयर के संवर्धन तथा विभिन्न प्रयासों में इसका इस्तेमाल करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

फसल बीमा योजना

2444. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री उदय सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान फसल बीमा योजना में सुधार हेतु अध्ययन के लिए गठित संयुक्त समूह की सिफारिशें कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या नई योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से मशवरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में किसानों को बीमा राशि मंजूर करने में असाधारण विलंब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी नहीं, फसल बीमा स्कीम संबंधी संयुक्त दल की सिफारिशों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। तथापि, दल की रिपोर्ट को राज्यों/के.शा. प्रदेशों और अन्य संबंधितों अर्थात् वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (ए आई सी) आदि को उनकी टिप्पणियों/विचारों हेतु परिचालित किया गया था। संयुक्त दल की सिफारिशों और विभिन्न राज्यों/के.शा. प्रदेशों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के आधार पर, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(ङ) और (च) कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आमतौर पर एआईसी जो कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) की कार्यान्वयक एजेंसी है, संबंधित राज्य सरकार से उपज आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् दो महीनों के भीतर ग्राह्य दावों का निपटान करती है बशर्ते कि एआईसी को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की निधियों का हिस्सा प्राप्त हो गया हो। कभी-कभी उपज आंकड़ों में असंगतियों, कानूनी मामले आदि के कारण, दावों के निपटान में विलम्ब हो जाता है और राज्यों से दावों को शीघ्र निपटाने के अनुरोध प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शीघ्र कार्रवाई किए जाने के लिए मामलों के तुरंत कार्यान्वयन एजेंसी (अर्थात् एआईसी) को भेजा जाता है।

हस्तशिल्प परिसरों/शोरूमों की स्थापना

2445. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में हस्तशिल्प परिसरों/शोरूमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों को दर्शाते हुए जहां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इन परिसरों/शोरूमों को स्थापित किया गया है का स्थान-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अन्य स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां नए परिसर/शोरूम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हस्तशिल्प बोर्ड से प्राप्त ऋणों अथवा सहायता से चलने वाले अनेक परिसर/शोरूम बंद हो चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना के लिए सहायता देने हेतु कोई स्कीम नहीं है तथापि देश में शहरी हाट और शोरूम स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान स्थापित शहरी हाट का स्थान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
शहरी हाट			
श्रीनगर में शहरी हाट	जोधपुर (राजस्थान) में शहरी हाट	1. अहमदाबाद तथा भुज (गुजरात में शहरी हाट 2. मैसूर (कर्नाटक) में शहरी हाट	1. रायपुर (छत्तीसगढ़) में शहरी हाट 2. दीमापुर (नागालैंड) में शहरी हाट। 3. पीतमपुरा, (दिल्ली) में शहरी हाट
एम्पोरियम			
शून्य	शून्य	1. बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 2. गुंटूर, आंध्र प्रदेश 3. रंगिया - असम 4. जोरहाट - असम	1. सिरीनिवासम, तिरुपति-आंध्र प्रदेश 2. राजीव गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 3. खम्माम, आंध्र प्रदेश 4. चम्फई, मिजोरम 5. वाशी, मुम्बई (महाराष्ट्र) 6. कालीकट (केरल)

(ग) राजस्थान में जयपुर और अजमेर, झारखंड में हजारीबाग और रांची, उड़ीसा में पुरी, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में नवी मुंबई एवं पुणे, उत्तर प्रदेश में रामपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, झांसी, देहरादून, तमिलनाडु में चेन्नई, असम में गुवाहाटी, त्रिपुरा में अगरतला, दिल्ली में दिल्ली हाट-II, छत्तीसगढ़ में रायपुर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में शहरी हाटों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) शून्य।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक परिवर्तन

2446. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री सुनील खां:
श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री के.एस. राव:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री जुएल ओराम:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित न्यायमूर्ति वधवा और अन्य समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में इन योजनाओं में व्यापक परिवर्तन करने/इनको प्रतिस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबों को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उपर्युक्त प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर केन्द्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 से क्रियान्वित की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक भाग के रूप में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम पर खाद्य राजसहायता को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिम्मेदारियों में हिस्सेदारी की जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण चलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्न उचित रूप से लक्षित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को वितरित किए जाते हैं, अपेक्षित कानूनी ढांचा और नियामक तंत्र लागू किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन प्रावधानों के अलावा अगस्त, 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है। इस फ्रेमवर्क से राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वह सभी अपेक्षित कार्रवाई कर पाते हैं जिनसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। नियमित रूप से मानीटरिंग करने और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समीक्षा करने के अलावा सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए समय-समय पर मूल्यांकन कराती रही है। चूंकि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग और ओआरजी मार्ग द्वारा पूर्व में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में 2005 में सूचित किया गया था कि कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का लीकेज और विपथन हुआ है, लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के मामले में शामिल करने और शामिल न करने की त्रुटियां हैं, और उचित दर दुकानों का कार्य वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है इसीलिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा चार श्रेणी के पग उठाए गए हैं।

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मशीनरी के कार्यकरण में सुधार करने और गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा की जा रही है, उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी की जा रही है, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न समय से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कर्मचारियों तथा सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों का प्रदर्शन किया गया है, वेबसाइटों पर आबंटित मात्रा दिखाई गई है, संशोधित नागरिक अधिकार-पत्र अपनाया और क्रियान्वित किया गया है, उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने और राशन कार्डधारकों को इनका वितरण करने का मासिक प्रमाण-पत्र दिया जाता है तथा प्रचार सह-जागरूकता अभियान चलाया गया है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर सतर्कता के स्तर में सुधार किया गया है तथा जाली राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों सहित कदाचार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने पर जोर दिया जोर दिया जा रहा है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने, आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित, सुपुर्दगी करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करने और राशन कार्डों की बार कोडिंग आदि जैसी नई प्रौद्योगिकी लागू करना।

इन सभी पहलुओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समवर्ती मूल्यांकन किया गया है। इन उपायों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण सुप्रवाही हो रहा है।

श्री डी.पी. वाधवा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। अब तक इस समिति ने दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की है। न्यायालय ने अन्य राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता समिति से कहा है और उसके बाद ही न्यायालय द्वारा इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम संबंधी मुद्दों पर सांविधिक प्राधिकरण

2447. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सरकार से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में श्रम संबंधी मुद्दों को निपटाने के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण गठित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपर्युक्त प्राधिकरण के गठन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम संबंधी मुद्दों को निपटाने के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण गठित करने के संबंध में किसी भी श्रमिक संघ से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नोडल विभाग के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सभी श्रम कानून लागू होते हैं और इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कामगारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग

2448. प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग के कारण हुए राजस्व घाटे का वर्ष-वार, श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अवैध रूटिंग में संलग्न फर्म/कंपनी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) बीएसएनएल ने स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:

* निजी आपरेटरों से बीएसएनएल को आने वाले परियात की आवधिक मानीटरिंग।

* अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी कालों को अवैध रूप से दूसरे मार्गों पर डालने से रोकना।

* गुप्त/अवैध दूरसंचार केन्द्रों/टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रचालन को रोकना।

(ग) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, वर्ष-वार और श्रेणी-वार स्थानीय लाइनों के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग के कारण हुई राजस्व हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल नेशनल हानि			कुल (रुपए)
	आईएलएल/आईएसपी/ आईपीएलसी/आईएसडीएन	ब्रॉडबैंड	वी-सैट	
2006-07	11,96,20,000	1,05,98,400	शून्य	13,02,18,400
2007-08	शून्य	6,92,35,000	शून्य	6,92,35,000
2008-09	54,81,000	शून्य	शून्य	54,81,000

(घ) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अवैध रूटिंग में संलिप्त फर्म/कंपनी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) कनेक्टिविटी की श्रेणी के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	फर्म/कंपनी की कुल संख्या	प्रयुक्त कनेक्टिविटी की श्रेणी आईएलएल/ आईएसपी/ आईपीएलसी/ आईएसडीएन	ब्रॉडबैंड	वी-सैट
2006-07	46	42	4	शून्य
2007-08	4	शून्य	4	शून्य
2008-09	1	1	शून्य	शून्य

(2) कंपनियों और व्यक्तियों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:-

* देश के विभिन्न लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा क्षेत्रों तथा प्रमुख दूरसंचार जिलों में दूरसंचार विभाग के अधीन 34 दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और अनुश्रवण प्रकोष्ठ (जिन्हें पहले सतर्कता दूरसंचार अनुश्रवण (वीटीएम) प्रकोष्ठ कहा जाता था) बनाए गए हैं। टीईआरएम प्रकोष्ठ, कानून प्रवर्तनकारी एजेंसियों की सहायता से अवैध टेलीफोन एक्सचेंजों के कारोबार को रोकने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग को नियंत्रित करने का सतत प्रयास करते हैं।

* अवैध कारोबार में प्रयुक्त उपकरणों को कानून प्रवर्तनकारी एजेंसियों द्वारा जब्त किया जाता है और अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। एजेंसियों द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है।

* नि:शुल्क सार्वजनिक नंबर, 1800-110-420 चालू किया गया है ताकि आम जनता स्थायी लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रुटिंग के कारोबार का पता लगाने में विभाग की सहायता कर सके। जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया में विज्ञापन दिए जाते हैं और मोबाइल फोन सेवा आपरेटरों द्वारा एसएमएस भेजे जाते हैं।

* दूरसंचार विभाग ने ऐसी अवैध रुटिंग की प्रभावी मानीटरिंग करने, उनका पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुदेश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

* ऐसे अवैध कारोबार को रोकने के संबंध में बेहतर जागरूकता के लिए वरिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों के मध्य समय-समय पर आपसी विचार-विमर्श किया जाता है।

विवरण

2006-07 के लिए 46 कंपनियों की सूची

क्र.सं.	कंपनी एवं व्यक्तियों के नाम एवं पते
1	2
1.	करुवदन रशीद 19/030, वेलीयेनचेरी काकथ हाउस, पुठिया पालम रोड, थाली, कालीकट-673002
2.	सी.के. सुब्रमणियन, जासलू सेंटर, 1 कॉम सोल्यूशन रूम नं. 1/970, डी 18, थर्ड फ्लोर, वेस्ट हिल, कोजीकोड, केरल-673001
3.	शौकथ 4/66, सीपीआई (एम) ऑफिस के पास, थेक्कयीदु लेन, नाडक्कावु, कोजिकोड-1

1	2
4.	लोकेश किरण, 15 जे थर्ड स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, क्रोस, अशोक नगर, बेंगलूरू
5.	पीए मोहिन श्री राज कम्युनिकेशन्स जमीला बिल्डिंग नजदीक गेलेक्सी होटल चेम्बूमुक्कू, एर्नाकुलम
6.	मिस्टर-विजयन विजीनेट होम, 23/576, पानमपिल्ली नगर
7.	लेविन जॉर्ज कोचापिल्ली कम्प्लैक्स अपार्टमेंट, चेम्बूमुक्कू, एर्नाकुलम
8.	जी सुकुमार न्यू नं. 19, 1 स्ट्रीट, गोपाल पुरम, चेन्नई
9.	मि. सैयद सिद्दिकी 98 लिंघी चेट्टी स्ट्रीट, केरल-1
10.	मैसर्स सोनिक टेक्नोलोजी, ए/127 (टीसी 15/1920/5) फोरेस्ट लेन, वजथूकौड, त्रिवेन्द्रम केरल (मैसर्स सिटी केबल के आईएसपी के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में मोहन लाल)
11.	मि. इंदुकुमार 3 फ्लोर, नं. 640/128, 3 क्रोस, कॉन्वेंट रोड, कम्मनहल्ली, बेंगलुरू-560084
12.	एन श्रीधर नं. 184 8वां क्रोस, 1 मेन रोड, एमएसआर नगर बेगंलुरू-560054
13.	मैसर्स अरुणी रिसर्च एवं टेक्नोलोजी प्रा.लि., न्यू 146, सेकंड फ्लोर, आरकोड रोड, वलसरावालकम, चेन्नई
14.	मैसर्स इन्फोटेक सिस्टम (मि. पी. ससीकुमार) 66/1 मुरुगप्पा मुदली स्ट्रीट, पुरुसावककम वेपरी, चेन्नई-7
15.	मि. अल्वी पुत्र श्री कुनजोली हाजी 8/46, पुलिनजोलिल हाउस, पन्नोर विलेज, ऐलनगोड, थालासेरी
16.	मि. विनोद, थोटटासेरी, रून मं. 7, 2 फ्लोर, एमटी कम्पलेक्स, ऊटी रोड, पैरीन थालमन्ना, केरल
17.	अरुण इशाक हेवेन 3/170, इंडियन बैंक कालोनी, न्यू नाथम रोड, मदुरै-625016
18.	मैसर्स बेसिक्स एंड बेसिक्स # 2, 1 फ्लोर, ग्रीन लीफ एक्सटेंशन, 80 फुटा रोड, 4 ब्लॉक पैरीफेरल रोड, कोरमंगला, बेंगलुरू
19.	मैसर्स सेलवम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओल्ड नं. 22, न्यू नं. 2, केनेट लेन, एगमोर, चेन्नई
20.	मि. केशव रेड्डी फर्स्ट फ्लोर परमार प्लाजा के सामने, यूको बैंक के ऊपर, सेंट्रल टाउन फगवाड़ा
21.	133, अशोक नगर, लुधियाना
22.	मैसर्स सिक्कानेट मैसर्स गोमती केबल नेटवर्क प्रा. लिमिटेड
23.	साइन टेक्नोलोजी
24.	49/सी-13, थोन्डीकरडू तिरु चेंगोड, सलेम, तमिलनाडु
25.	हाउस नं. 10-5-23/4/1 गार्डन टावर के बगल में मैसब टैंक
26.	फ्लैट नं. 506, मेजर रेजीडेंसी, मैसब टैंक
27.	फ्लैट 510, ब्लॉक सं. 1 दिव्य शक्ति कॉम्रर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट
28.	1.1.380/4, वी.वी. नगर कालोनी, जवाहर नगर, हैदराबाद
29.	फ्लैट 103, 1 फ्लोर साई बालाजी निवास, प्रशांत नगर कालोनी, ए.एस. राव नगर, साइबदराबाद
30.	थर्ड फ्लोर, वेंकट साईं अपार्टमेंट, मुंताज कालेज रोड, न्यू मालक पेट, हैदराबाद
31.	प्लाट सं. 62/ए, एमएलए कालोनी रोड नं. 12, बंजारा हिल, हैदराबाद
32.	फ्लैट बी-2, एलिगेंस अपार्टमेंट, पुलिस आफिसर्स मेस के सामने, मसाबटैंक, हैदराबाद
33.	माइक्रोसिज लिमिटेड, प्लाट नं. 143/बी, सेक्टर-ए, जोन-ए, मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर, उड़ीसा
34.	माडर्न इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड बी/2, गुंजन पैलेस बोमीखाल, भुवनेश्वर, उड़ीसा
35.	बिजकॉन साल्यूशन्स आर 8/5, बुद्ध राजा, जगन्नाथ कालोनी, सम्बलपुर, उड़ीसा
36.	वर्चुअल ग्लोबल सिस्टम्स, प्लाट नं. 19, एचपी गैस कंपनी के पीछे, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद
37.	मेटाफोर कन्सलटेन्सी, एलआईजी 159/सी, प्रथम तल, एस.आर. नगर ई-सेवा के पीछे, बेंगल राव नगर, हैदराबाद
38.	7-1-400/25/ए, द्वितीय तल, ईस्ट श्रीनिवास नगर, अमीरपेट, हैदराबाद
39.	# 8-3-234/30, लक्ष्मी नरसिम्ह नगर, कोटला विजय भाष्कर रेड्डी स्टेडियम के समीप, युसुफगुडा, हैदराबाद

1	2
40.	# 101, ग्रीन पार्क रेजीडेन्सी, प्लाट 135, राजीव नगर, मोतीनगर, हैदराबाद-45
41.	# 2-2-1167/3/68/2, प्रथम तल, तिलक नगर, नल्लाकुंटा, हैदराबाद
42.	# 15-15-114, तीसरा, तल, बी.आर. काम्प्लेक्स, बुद्धावरपु गार्डेन्स, आर के बीच रोड, वीएसपी
43.	ओम साईं टेक्नोलोजिज, "कृष्णा" नम्बर 11, बेट्टाप्पा लेन, सीटी स्ट्रीट क्रास, बेंगलुरू-2
44.	श्री सचिन जे. शाह, जी-22, मरादिया काम्प्लेक्स, सी.जी. रोड, अहमदाबाद और मैसर्स यमुनाजी इन्वेस्टमेंट, सं. 17, प्रथम तल, इस्कॉन आर्केड, अहमदाबाद
45.	मकान नं. 10-1-139/ए, फ्लैट नं. 302, द्वितीय तल, जैन काम्प्लेक्स, हकीम प्लाजा के सामने, चिंतल बासी, खैराताबाद, हैदराबाद
46.	डी नं. 1-11-252/1, द्वितीय तल, जब्बार एस्टेट, पेट्रोल बंक से सटे, एयरपोर्ट फ्लाईओवर के समीप, एस.पी. रोड, बेगमपेंट, हैदराबाद

2007-08 और 2008-09 के लिए 5 कंपनियों की सूची

क्र.सं.		कंपनी और व्यक्तियों के नाम और पते	
1.	हर्षवर्द्धन अग्रवाल	मकान नं. 3-4-308/9/1 पारवरसिबाग, बाग लिंगमपल्ली, कचिऊगुडा, हैदराबाद	2007-08
2.	पी नरेन्द्र गौड़ उर्फ रोहित	प्लैट नं. 3, साना अपार्टमेंट, मकान नं. 6-3-252/ए/पी, ताज रेजीडेन्सी के पिछले गेट के समीप, एरामंजिल, सोमाजीगुडा, हैदराबाद	2007-08
3.	राजेश कुमार, ए राजू	# 1-8-27/14/ए, ओरोरा डिग्री कालेज लेन, चिक्कड पल्ली, हैदराबाद	2007-08
4.	जी मैक्स काल सेंटर	410, ब्ल्यू चिप काम्प्लेक्स, सायाजी, गुजरात, बडोदरा	2007-08
5.	के. नरसिम्हा रेड्डी, एंड एसोशिएट्स	मकान नं. 1-38/1, प्रभात नगर चैतन्यपुरी, दिलसुख नगर, हैदराबाद	2008-09

एफसीआई हेतु परिक्रामी निधि

2449. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों की खरीद हेतु शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को प्रतिस्थापित करने की किसी वैकल्पिक योजना तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) हेतु परिक्रामी निधि का सृजन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बदलने के लिए किसी नई स्कीम को लाने और खाद्यान्नों की खरीदारी के लिए भुगतान में तेजी लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम हेतु किसी परिक्रामी निधि का सृजन करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों के लिए विशेष योजना

2450. श्री अजीत जोगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त उपस्करों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र के शिल्पकारों को सहायता प्रदान कर रही है, जो इस प्रकार है:-

क्षतिग्रस्त उपस्करों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु आर्थिक सहायता के जरिए हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्रों के शिल्पकारों को सहायता		
(क)	**पारंपरिक शिल्प (हस्तशिल्प) के लिए**	– 2,000/- रुपये प्रति शिल्पकार
(i)	क्षतिग्रस्त उपकरणों/उपस्कर के प्रतिस्थापन के लिए	
(ii)	प्रसंस्करण/सज्जित सामान में कच्चे माल/सामान की हानि	– 2,000/- रुपये प्रति शिल्पकार
(ख)	**हथकरघा बुनकरों के लिए**	
(i)	करघा उपस्करों और सहायक उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	**करघे की मरम्मत के लिए** – 1000/- रुपये प्रति करघा **करघे के प्रतिस्थापन के लिए** – 2,000/- रुपये प्रति करघा
(ii)	रंग और रसायन तथा फिनिश्ड स्टाक जैसी अन्य सामग्री तथा धागे की खरीद	– 2,000/- रुपये प्रति करघा

आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत सहायता का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति/प्रतिस्थापन/हानि को प्रमाणित किया जाना होता है।

भारत सरकार हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास तथा बुनकरों/शिल्पकारों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

क्र.सं.	हथकरघा क्षेत्र	हस्तशिल्प क्षेत्र
1.	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	बाबा साहिब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
2.	विपणन और निर्यात संवर्धन योजना	विपणन सहायता तथा सेवा योजना
3.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
4.	मिल गेट कीमत योजना	अनुसंधान तथा विकास योजना
5.	विविधीकृत हथकरघा विकास योजना	मानव संसाधन विकास योजना
6.		हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

2451. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी प्रगति हासिल की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में किसी केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि, राज्यों को "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)" नामक राज्य क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 11वीं योजना के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि		11वीं योजना के दौरान कुल
		2007-08	2008-09	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	987.7692	422.8200	1410.5892
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.1800	7.5700	54.7500
3.	असम	77.3380	229.9250	307.2630
4.	बिहार	62.2400	29.6200	91.8600
5.	छत्तीसगढ़	96.9640	89.9965	186.9605
6.	गोवा	32.4800	15.1100	47.5900
7.	गुजरात	585.7200	251.9000	837.6200
8.	हरियाणा	0.0000	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	114.0500	0.0000	114.0500
10.	जम्मू-कश्मीर	199.2251	196.2300	395.4551
11.	झारखंड	9.2244	3.7200	12.9444
12.	कर्नाटक	349.9000	318.0800	667.9800
13.	केरल	0.0000	0.0000	0.0000
14.	मध्य प्रदेश	500.3450	192.8516	693.1966

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	972.2500	1161.6473	2133.8973
16.	मणिपुर	103.9870	97.4600	201.4470
17.	मेघालय	1.1600	1.2500	2.4100
18.	मिजोरम	34.3434	28.1600	62.5034
19.	नागालैंड	40.5100	21.3900	61.9000
20.	उड़ीसा	624.3590	269.4200	893.7790
21.	पंजाब	13.5000	0.000	13.5000
22.	राजस्थान	156.5300	178.6200	335.1500
23.	सिक्किम	3.2400	0.0000	3.2400
24.	त्रिपुरा	8.1000	16.1600	24.2600
25.	तमिलनाडु	0.0000	0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	150.6900	161.4900	312.1800
27.	उत्तराखण्ड	265.6500	300.7700	566.4200
28.	पश्चिम बंगाल	8.9500	22.8100	31.7600
	कुल	5445.7051	4017.0004	9462.7055

बेरोजगारी में वृद्धि

2452. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक विकास दर में वृद्धि होने के बावजूद देश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विकास कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आर्थिक विकास दर के समतुल्य रोजगार विकास दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। रोजगार और बेरोजगारी पर हाल ही के दो पंचवर्षीय सर्वेक्षण दौरों के अनुसार चालू दैनिक स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 7.3% से बढ़कर 8.3% हो गई है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ कि कार्य बल में प्रतिवर्ष 2.62% की वृद्धि दर की अपेक्षा श्रम बल में वृद्धि की गति में प्रति वर्ष 2.84% की दर से बढ़ोत्तरी हुई। श्रम बल में वृद्धि मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण हुई कि कुल जनसंख्या की तुलना में कार्यशील आयु की जनसंख्या में अपेक्षाकृत तीव्रता से वृद्धि हुई तथा 1999-2000 से 2004-05 के दौरान विशेषकर महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान 1999-2000 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजन करने का लक्ष्य है। पहले की तुलना में अधिक तीव्र गति से उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सामान्य सुधार लाने के लिए उसके समूहों की आय में बढ़ोत्तरी करने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से कृषि संबंधी विकास के लक्ष्य पर भी बल है। सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है, जिनमें से प्रमुख हैं- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए)।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान 1999-2000 के मूल्यों पर आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें (%)

क्र.सं.	उद्योग	1999-2000 से 2004-05 तक
1.	कृषि, वनप्रान्त और मछली पालन	1.56
2.	खनन व उत्खनन	4.80
3.	विनिर्माण	6.46
4.	विद्युत, गैस व जल आपूर्ति	4.22
5.	निर्माण	9.18
6.	व्यवसाय, होटल व रेस्तरां	7.87
7.	परिवहन, भण्डारण व संचार	12.90
8.	वित्तीय सेवाएं, बीमा, अचल सम्पदा व व्यापार सेवाएं	6.71
9.	सामुदायिक, सामाजिक व वैयक्तिक सेवाएं	5.00
10.	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (1 से 9)	5.98

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 2008, जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-9547/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री शंकर सिंह वाघेला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-9548/08]

(2) (एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9549/08]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): महोदय, मैं श्री ए.के. एंटनी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9550/08]

(3) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9551/08]

(5) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9552/08]

(7) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9553/08]

(9) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सशस्त्र बल अधिकरण (सभापति, उप-सभापति और अन्य सदस्यों के कदाचार अथवा असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 20 जुलाई, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 64 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र बल अधिकरण (उप-सभापति तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 20 जुलाई, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 65 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र बल अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2008, जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 17 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9554/08]

(10) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत सशस्त्र बल अधिकरण (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश 2008, जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9555/08]

(11) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2008, जो 1 जून, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 49 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9556/08]

(12) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9557/08]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9558/08]

(ख) (एक) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9559/08]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डि गामा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डि गामा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9560/08]

(घ) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9561/08]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9562/08]

(च) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9563/08]

(छ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9564/08]

(14) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9565/08]

(15) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9566/08]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9567/08]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2008 जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा (संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 705(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 30 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(नौ) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2004 जो 17 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 45(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक संशोधन जो 31 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1230 में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9568/08]

(5) मात्स्यिकी क्षेत्र के कार्यों से संबंधित अभिसमय संख्या 188 और सिफारिश संख्या 199, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, 2007 में जेनेवा में हुए अपने 96वें सत्र में स्वीकृत किया गया था, के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9569/08]

(6) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अंतर्गत धातुप्रद खान (संशोधन) विनियम, 2008, जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 701(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9570/08]

(7) मानव संसाधन विकास से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 142 और सिफारिश संख्या 150 (वर्ष 2004 में सिफारिश संख्या 195 द्वारा संशोधित) जो जेनेवा में 1975 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 60वें सत्र में स्वीकृत किया गया था, के बारे में की-गई-कार्यवाही अथवा प्रस्तावित की-जाने-वाली-कार्यवाही संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9571/08]

(8) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं योजना, 2008, जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9572/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9573/08]

(2) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9574/08]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9575/08]

(ख) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9576/08]

(6) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9577/08]

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चावल (कंपनियों अथवा फर्मों अथवा व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2008, जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2302(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 2417(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देश को अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तीन) गन्ना (वर्ष 2007-2008 में उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2008, जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 707(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9578/08]

(8) जम्मू और कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1991-1992 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9579/08]

(9) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1986-87 से 2007-08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9580/08]

(10) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9581/08]

(11) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9582/08]

(12) असम एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे

जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9583/08]

(13) मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006-07 से 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9584/08]

(14) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंवला श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 8 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इमली (बीजयुक्त) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9585/08]

(15) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9586/08]

(16) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9587/08]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9588/08]

(18) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9589/08]

(19) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9590/08]

(20) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9591/08]

(21) (एक) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9592/08]

(22) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9593/08]

(23) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9594/08]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9595/08]

(ख) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9596/08]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) निराकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2008 जो 7 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 823(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 17 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 895(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) निराकरण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2117(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) निराकरण (चौथा संशोधन) आदेश, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2118(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9597/08]

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) संशोधन विनियम, 2008 जो 8 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9598/08]

(5) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (6) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक-डिग्री कोर्स (बी.वी.एस.सी. और ए.एच.) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 12-5/2002-वी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9599/08]

(6) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9600/08]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9601/08]

(8) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9602/08]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एप्पारेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एप्पारेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9603/08]

(2) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9604/08]

(3) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9605/08]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9606/08]

(दो) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9607/08]

(तीन) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9608/08]

(चार) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9609/08]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9610/08]

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9611/08]

(ग) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9612/08]

(घ) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9613/08]

(8) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2143(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं को अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में वितरण की आपूर्ति के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा कि एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9614/08]

(9) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9615/08]

(10) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9616/08]

(11) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9617/08]

(12) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9618/08]

(13) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9619/08]

(14) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9620/08]

(15) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9621/08]

(17) (एक) टेक्सटाइल कमिटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल कमिटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9622/08]

(18) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9623/08]

(19) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9624/08]

(20) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9625/08]

(21) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9626/08]

(22) (एक) वुल एण्ड बूलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल एण्ड बूलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9627/08]

(23) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9628/08]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, मैं श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नॉलाजी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नॉलाजी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-9629/08]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9630/08]

(दो) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9631/08]

(3) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9632/08]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9633/08]

(ख) (एक) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9634/08]

(4) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9635/08]

(5) (एक) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9636/08]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9637/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9638/08]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 2483(अ) जो 20 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2709(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9639/08]

अध्यक्ष महोदय: आपके कनिष्ठ साथी को इसके लिए नोटिस देना चाहिए था। फिर भी, मैंने आपको अनुमति दी है।

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9640/08]

(ख) (एक) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9641/08]

(दो) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9642/08]

(तीन) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-9643/08]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

11वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष जी, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में धन की कथित पेशकश के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच करने संबंधी समिति

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में धन की कथित पेशकश के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

67वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संजय धोत्रे (अकोला): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या का निर्धारण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

14वां और 15वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष जी, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-एक समीक्षा" के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-2008 और 2008-2009) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 21वें और 23वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की उपर्युक्त रिपोर्टों के संबंध में की गई कार्रवाई और सभी सिफारिशों की स्थिति बताने वाला विवरण अलग से संलग्न है। कृपया यह नोट किया जाए कि 21वीं रिपोर्ट में 16 सिफारिशें हैं जिनमें से 8 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और 23वीं रिपोर्ट में 31 सिफारिशें हैं जिनमें से 27 स्वीकार कर ली गई हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समिति की इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। उन सिफारिशों के ब्यौरे जिन्हें स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया गया है को सभा पटल पर रख दिया गया है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9644/08

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति की सैतीसवीं रिपोर्ट (2008-09) में शामिल की गई सिफारिशों की स्थिति पर यह वक्तव्य रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2008-09 हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच की तथा 16.4.2008 को लोक सभा में सैतीसवीं रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में 15 सिफारिशें हैं। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के उत्तर 1 अगस्त, 2008 को समिति को भेजे गए।

समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में की-गई-कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

अपराह्न 12.04 बजे

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): महोदय, मैं श्री ए.के. एंटनी की ओर से लोक सभा के माननीय अध्यक्ष

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9645/08

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9646/08

के 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 में समाविष्ट निर्देशों के अनुपालन में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) की 29वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य रखता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 29वीं रिपोर्ट 'रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों' से सम्बद्ध है। यह रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी और 16 अप्रैल, 2008 को राज्य सभा में रखी गई थी।

29वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 14 अक्तूबर, 2008 को भेजे गए थे।

समिति द्वारा अपनी 29वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जोकि सभा-पटल पर रख दिया गया है। अनुबंध की सारी विषय-वस्तु पढ़कर मैं सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04½ बजे

(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें से 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, मैं श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग क्रमशः संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें, 57वें और 58वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9647/08

अपराह्न 12.05½ बजे

(पांच) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के द्वारा जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) लोक सभा में 22 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित थी।

स्थायी समिति की उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्रवाई टिप्पणी समिति को 18 अगस्त, 2008 को भेज दी गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों सहित इस रिपोर्ट में 20 सिफारिश पैरा थे, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई थी। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यतः योजना व्यय की गति की समीक्षा, रिक्त पदों को भरने, राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित अध्ययन, जल उपयोग दक्षता में सुधार, "वृहद एवं मध्यम सिंचाई" के लिए बजटीय शीर्ष के अंतर्गत योजना आबंटन के उपयोग, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की संख्या पर अंकुश लगाने, सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग के बीच अंतर के कारणों के समुचित आकलन की आवश्यकता, जल विज्ञान परियोजना-2 के कार्यान्वयन, "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" नामक स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों की गति बढ़ाने की आवश्यकता, "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" स्कीम का शीघ्र निष्पादन, माजुली द्वीप की सुरक्षा कार्य की गति बढ़ाने, बाढ़ क्षेत्र स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन, फरक्का बैराज परियोजना के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में कटावरोधी उपाय, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधि जारी करना और राज्यों द्वारा उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, एआईबीपी परियोजना के संबंध में विशेष श्रेणी के अंतर्गत राज्यों की पहचान के लिए नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता आदि जैसे मुद्दों से संबंधित थीं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9647/08

[श्री जय प्रकाश नारायण यादव]

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुलग्नक की सभी विषयवस्तु को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.06½ बजे

बादागरा-माहे नहर की खुदाई के बारे में दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं बादागरा-माहे नहर की खुदाई के संबंध में श्रीमती सी.एस. सुजाता, संसद सदस्या द्वारा दिनांक 28.4.2008 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 के भाग "क" से "ग" के उत्तर में संशोधित विवरण सदन के सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है:

"कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, जैन धर्म देश का बहुत पुराना धर्म है, यह लाखों वर्ष पुराना धर्म है। इसकी मान्यता न सिर्फ हिन्दुस्तान में, बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी दुनिया में लोग जैन धर्म को मानते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो का संदेश हमें जैन धर्म ने दिया है। 2900 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का संदेश आज भी हम लोगों के मध्य विद्यमान है। महाराष्ट्र का एक संगठन है- अनूप मंडल। इस संगठन के लोग पहले राजस्थान में और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषण करते हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बांटते हैं। मेरा निवेदन है कि हम चाहे जिस धर्म को मानें, लेकिन दूसरे धर्म को मानने वाले को तकलीफ देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर यह हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार करे, वहां के मुख्यमंत्रियों को लिखे, वहां के मुख्य सचिवों को लिखे कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोगों में इसे लेकर बहुत आक्रोश है, जगह-जगह लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस प्रकार के संगठन जो समाज में अशांति पैदा करते हैं, दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत करते हैं, उन

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9649/08

पर बैन लगना चाहिए। जो संगठन ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): सामान्यत: भारत में और विशेष रूप से तमिलनाडु के गन्ना उत्पादक गन्ने के उत्पादन लागत से बहुत कम मूल्य के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

उर्वरक लागत बढ़ने और राज्य में अक्सर बिजली की कटौती के कारण गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ गई है। वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों ने गन्ने के 1050/- रुपये प्रति टन मूल्य की सिफारिश की है। इसी समय पर कृषि लागत और मूल्य आयोग ने भी गन्ने के लिए 1,550/- रुपये प्रति टन की सिफारिश की है। उत्पादन लागत कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए, मैं अपने दल एमडीएमके और अपने नेता तिरु वैको की ओर से, सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों को इस कठिन स्थिति से बचाने के लिए तत्काल ही गन्ने का मूल्य 2000/- रुपये प्रति टन घोषित किया जाए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): मैं तिरु रविचन्द्रन द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: किसी और के सूचना देने के बाद, आप उससे संबद्ध होना चाहते हैं। आपने सूचना नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. मोहन।

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मैंने इसी विषय पर बोलने के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, मैंने इसीलिए आपका नाम पुकारा है।

***श्री पी. मोहन:** पूरे देश के गन्ना उत्पादक अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है और इससे इसमें लगे कठिन परिश्रम के बाद उत्पादन लागत भी नहीं निकलती। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550/- रुपये प्रति टन करने की सिफारिश की है। कृषि विश्वविद्यालय ने भी फसल बुवाई चरण पर आदानों की लागत 880.70 रुपये बताई है। लेकिन केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य की भांति पुन: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् 811.80 रुपये निर्धारित किया है। गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए, पूरे देश के कृषिविदों ने संयुक्त रूप से गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वर्ष 10 दिसंबर को संसद के सामने एक विशाल रैली आयोजित की।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मूल्य वृद्धि की स्थिति से गन्ने की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम-से-कम 1550 रुपये प्रति टन तक बढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय: डा. सी. कृष्णन भी श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन के साथ संबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह (राजनन्दगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ के राजनन्दगांव के कवर्धा गांव का वह विवाद उठाना चाहता हूं जो नकली खाद का है। वर्तमान रबी के सीजन में किसानों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इफ्को, कृभको और एनएफएल जैसी जो संयुक्त उपक्रम कम्पनियां हैं, वहां से किसानों को जो खाद प्राप्त हो रही है, उनमें बड़े पैमाने पर रेत की शिकायत मिलती है, कहीं-कहीं राख की शिकायत मिलती है और कहीं-कहीं कंकड़ मिलाने की शिकायत मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति है। रबी की फसल के समय पहले से खाद की कमी थी। खाद की कमी होने के बावजूद जो खाद उपलब्ध हो रही है, उसमें विक्रेताओं के माध्यम से इफ्को और कृभको जैसी राष्ट्रीय कम्पनियों की खाद में मिलावट की बहुत शिकायतें आ रही हैं और बहुत जगह फसल इसलिए भी खराब हो गई कि जो खाद मिली, उस बोरी को खोल कर उनमें मिलावट की गई और कई जगह जो नकली खाद पाई गई, उसके ऊपर इफ्को और कृभको जैसी कम्पनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे निश्चित रूप से किसानों को काफी अधिक नुकसान हुआ है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।

कोयला उत्पादक राज्य बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां 1995 से विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

गलत नीति के कारण, अब यह त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के लाभ से वंचित है और दसवीं पंचवर्षीय योजना और व्यपगत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, दोनों के दौरान इसने भारी हानियां उठाई हैं। पिछले दस वर्षों से, उड़ीसा के पास अधिशेष विद्युत होने के कारण यह अन्य जरूरतमंद राज्यों को विद्युत मुहैया कराता रहा है। लेकिन, अब जबकि राज्य के औद्योगिकीकरण में त्वरित वृद्धि हुई है, इसे विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उड़ीसा सरकार ने विद्युत मंत्रालय से एनटीपीसी केन्द्रों के अनाबंटित भाग से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के लिए और व्यापक अन्तर्राज्यीय अंतरण योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है। उड़ीसा सहित सभी कोयला उत्पादक राज्य, खनन संबंधी राख के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के उपयोग, वनों की कटाई, जल निकायों के प्रदूषण और विस्थापन तथा पुनर्वास समस्याओं के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं।

अत:, केन्द्र सरकार कोयला खदानों वाले केन्द्रों की विद्युत की मांग को स्वीकार करे और विद्युत उत्पादन पर कुछ प्रभार भी लगाए तथा संबंधित राज्यों को लाभ दे या राज्य सरकार को प्रभार के संग्रहण और रखने के लिए प्राधिकृत करने पर विचार करे।

महोदय, इस समय, विद्युत उत्पादक राज्यों के लिए किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, वे प्रदूषण के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आपने अपना मुद्दा रख दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: दूसरी बात, उड़ीसा को इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसने विद्युत सुधारों को स्वीकार किया है। सरकार एक तरफ तो राज्यों से सुधारों के लिए अनुरोध कर रही है। लेकिन जिन राज्यों ने सुधारों को स्वीकार किया है वे लाभ से वंचित हैं। भारत सरकार दोहरी नीति लागू कर रही है। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इन सभी चीजों पर विचार करे और उड़ीसा तथा अन्य कोयला उत्पादक राज्यों की सहायता करे।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड): महोदय, मैं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, केरल के दो लोग—एक कासरगौड जिले में उप्पाला के अब्दुल जब्बार और दूसरा कन्नूर जिले में मत्तान्नुर के श्री अनूप एक जलपोत पर काम करते थे। लगभग दो या डेढ़ महीने पहले, वे पोत में यात्रा कर रहे थे। उनके बारे में कोई खबर नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे लापता हैं अथवा नहीं। यह समझा गया है कि वे समुद्री डाकुओं का शिकार हो गये हैं। हमें समाचार पत्रों से भी ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली। इन परिवारों द्वारा राज्य और केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिए गए हैं। तथापि, इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन व्यक्तियों के परिवार वाले बहुत दयनीय स्थिति में हैं।

अत:, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष गंगवार—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.18 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, आपको सभा के माननीय नेता को भी इस तथ्य की जानकारी है कि पीटीटी संस्थान के कारण पश्चिम बंगाल में लगभग 75,000 युवा कठिनाई में हैं।

महोदय, पीटीटी संस्थान आठ संस्थानों में से एक है और यह पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त है। परन्तु, इस संस्थान ने केन्द्र सरकार, एनसीटीई से अनुमति नहीं ली है, जिसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि यह संस्थान पूर्णत: अवैध है। वे छात्र इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है-संभवत:, इस स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अभाव रहा होगा। वे इसके लिए जिम्मेवार हो सकती हैं, परन्तु छात्र इसके लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं हैं। छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

महोदय, इन 75,000 युवाओं में से 32,000 युवा पहले से ही रोजगार में हैं। वे प्राथमिक शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब, 32,000 छात्रों के मामले लंबित हैं। इन मामलों में भी कार्यवाही की जा रही है। पहली बात यह है कि इसमें बहुत से कर्मचारी हैं, दूसरे उपरोक्त मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और तीसरे, वहां बहुत से छात्र भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि चूंकि यह संस्थान अवैध है इसलिए, छात्र उसमें अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते।

महोदय, चूंकि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है इसलिए इसमें छात्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। छात्रों को यह कैसे पता चलेगा कि सरकार ने एनसीटीई से अनुमति प्राप्त की है अथवा नहीं?

सभा के माननीय नेता, श्री प्रणब मुखर्जी उसी राज्य से हैं और लोक सभा अध्यक्ष के रूप में आप भी इस मामले में चिन्तित हैं। मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। महोदय, ऐसे समय में जबकि पूरे विश्व में कर्मचारियों की छंटनी हो रही है इन 75,000 में से ये 32,000 युवा पहले से ही रोजगार में हैं। उनकी आजीविका और जीवन पूर्णत: बर्बाद हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि सभा के नेता भी इस पर विचार करेंगे।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मेरे विचार से सभा इस विषय को गंभीरता से लेगी और मेरा सभा के नेता से अनुरोध है कि इस संस्थान को एक बार छूट प्रदान की जाए ताकि सरकार इसे नियमित कर सके और इन 75,000 छात्रों को राहत मिले। *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए इस बहुत गंभीर मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि आप अध्यक्षपीठ को भी इस मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति देंगे।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक आंदोलित करने वाला मुद्दा है और बड़ी संख्या में युवक और युवतियां इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के हाल ही के दौरे के दौरान उनका ध्यान भी इस मामले की ओर आकृष्ट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं और उन्होंने मुझसे इस मामले को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाने के लिए कहा है। मैं इस मामले को पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठा चुका हूं। हम इसके लिए कोई तंत्र विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी राज्य सरकार के संपर्क में हूं और हम एक ऐसा तंत्र तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से इन लड़के और लड़कियों का भविष्य बचाया जा सके।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुजाता क्या आप स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध कर रही हैं?

श्रीमती सी.एस. सुजाता: जी हां, महोदय *...(व्यवधान)*

डा. के.एस. मनोज (अल्लेपी): महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी इस मुद्दे से संबद्ध हो रहे हैं। बहुत अच्छा, आप नाम भेज दें उन्हें नोट किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, रबर के दामों में बहुत कमी आई है। पहले इसका मूल्य 142 रु. प्रति किलोग्राम था। अब यह कम होकर 60 रु. प्रति किलोग्राम हो गया है। चूंकि, केरल रबर का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, अत:, इससे केरल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई है। रबर के लगभग 95 प्रतिशत उत्पादक छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से 8 एकड़ भूमि है। हमारे देश में रबर का आंतरिक उत्पादन और उपभोग लगभग बराबर है। वर्ष 2008-09 के लिए 8,75,000 टन रबर का उत्पादन और 8,99,000 टन रबर की खपत होने का अनुमान है। अत:, यह लगभग बराबर है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को रबर का मूल्य स्थिर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी भी मूल्य पर रबर का आयात न किया जाए। कुछ समय के लिए आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अतिरिक्त शुल्क रहित आयात को भी निलंबित किया जाए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि पत्तनों पर इसके संबंध में तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। अत:, इन तीन उपायों से रबर का मूल्य स्थिर करने में सहायता मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करके किसानों का खोया आत्म विश्वास लौटाया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, हम सब स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल): मैं, स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री पी. मोहन: मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केरल और तमिलनाडु से सभी माननीय मित्र स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध कर रहे हैं। जो कोई भी इच्छुक हो वह स्वयं को इससे संबद्ध कर सकता है।

अब, श्री अनुराग ठाकुर बोलेंगे। अब हम अपने युवा सदस्य को सुनते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 14 दिसम्बर, 2008 को ऊना से नई दिल्ली के लिए जन शताब्दी शुरू की गई है, उसके लिए इस सदन के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और इसके साथ-साथ इस पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया था ताकि इस प्रदेश में उद्योग लग सकें और केन्द्र सरकार द्वारा इसी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे उद्योग लगे, प्रदेश की सरकार ने भूमि भी उपलब्ध करवाई, बिजली भी सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई लेकिन आज वहां पर रेल मार्ग की कमी है। हमने पहले भी आग्रह किया था कि बद्दी-बरौटीवाला को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ा जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इसी वर्ष इस पर काम शुरू किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्यवश वह काम शुरू नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से और प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बद्दी-बरौटीवाला रेलवे लाइन पर काम शुरू हो ताकि इस पर्वतीय राज्य के एक और क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके। यह मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बढ़िया, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से उठाया।

श्री एस.के. खारवेलमधन (पलानी): महोदय, मेरे पलानी संसदीय क्षेत्र में, पलानी तालुक में चिन्नागांधीपुरम में पेचैयार के ऊपर का पुल 1993 में बाढ़ में बह गया था और नाबार्ड बैंक की सहायता से छोटे आकार का पुल बनाया गया था। यह भी 1995 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बह गया था।

इसके बाद वर्ष 2007 में एक अस्थाई पुल बनाया गया था और हाल ही में वह भी बह गया। अब चिन्ना-गांधीपुरम, पुलियमपट्टी, चणमुगापुरम और अन्य गांवों के रहने वाले लोग अपनी जमीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीज, खाद लाने तथा उत्पादित माल बाजार में वापस लाने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है। उन्हें अपनी भूमि तक आने और वापस जाने के लिए 10 कि.मी. से भी अधिक दूर यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरह से, अंदीपट्टी तथा पप्पामपट्टी के बीच कुर्थीरियार नदी पर बना पुल भी बह गया है। नाबार्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है। निधि भी आवंटित की गई थी, लेकिन आज की तिथि तक कार्य का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अंडीपट्टी पंचायत कुर्थीरियार नदी के दोनों ओर स्थित है। लोग अस्पताल, बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं तथा स्कूल के बच्चे भी पप्पामप्टीट स्थित स्कूल पहुंचने में समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपने गंतव्य स्थान के लिए कोयबंटूर जिले से होकर 15 कि.मी. लम्बे मार्ग से जाने को बाध्य होना पड़ रहा है।

इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बेदासांतुर तालुक में अच्चालुर कस्बा पंचायत में वरत्तारू नदी कोडांगी पट्टी, अरासानपट्टी तथा कोन्नीयानपट्टी से होकर गुजर रही है। वर्षाकाल के दौरान, इन सभी स्थलों पर किसान अपने भूमि पर पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसी तरह स्कूल के बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और समय पर कक्षा में भाग नहीं ले पाते।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी पुलों को नाबार्ड योजना के अंतर्गत ले और उपर्युक्त पुलों के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर निधियां आवंटित करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य-उपस्थित नहीं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में सम्बलपुरी भाषा उड़ीसा के पश्चिमी भाग में 10 जिलों में एक करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का अलग शब्द कोष है और रामायण और महाभारत जैसे कई महाकाव्य इस भाषा में लिखे गए हैं। बहुत से सुन्दर गीत लिखे गए हैं और संबलपुरी गाने उड़ीसा के बाहर भी मशहूर हैं। कई उपन्यास भी लिखे गए हैं और इस भाषा में फिल्में भी बनी हैं। यह मांग लगातार की जाती रही है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह बहुत पुरानी मांग है और इस मांग के लिए पहले आंदोलन भी हुआ था। अब भी इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग करते हुये लोगों में आंदोलन हो रहा है। भारत सरकार ने इस भाषा को मान्यता दी है क्योंकि उड़ीसा राज्य में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस भाषा को बोलते हैं। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मांग पर विचार करे जोकि बहुत पुरानी मांग है और इस भाषा को भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. प्रसन्न आचार्य द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जी.डी.एस. कर्मचारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैन हैं, उनके बारे में मामला उठाना चाहता हूं। वे पोस्टमैन गांवों की जनता के लिये चिट्ठी और मनीआर्डर देने का काम करते हैं। लेकिन उन्हें मात्र वेतन 3500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। उन लोगों को सेवा में 15 से 20 साल तक हो गये हैं। अब तो यहां तक कर दिया गया है कि इन्हें घंटों के हिसाब से वेतन देने का काम किया गया है। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि वे पोस्टआफिस केवल तीन घंटे ही खुला करेंगे। इस हिसाब से उन्हें कितना वेतन मिलेगा? मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के आधार पर जीडीएस कर्मचारियों को वेतन दिया जाये। इन लोगों को आज तक बोनस तक नहीं मिला है। उन्हें भी केन्द्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों के अनुसार बोनस दिया जाये और ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवा में कटौती न की जाये। श्री नटराजमूर्ति समिति द्वारा निर्धारित मानदंड खत्म किये जायें, सीधे-सीधे उन्हें खारिज किया जाये। ग्रामीण डाक सेवा कम से कम चार घंटे जरूर खुले। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतने बड़े स्टेटमेंट के लिये टाइम नहीं है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष जी, छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पे बैंड इनके लिये भी लागू किया जाये और वार्षिक बढ़ोतरी 3 प्रतिशत तय की जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी अनुरोध है कि इन कर्मचारियों का ध्यान रखा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाक संबंधी सभी सुविधायें प्रदान की जाये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार को रेस्पांस करना चाहिए, यह ग्रामीण डाक सेवकों का मामला है। ये समाज के अंतिम कर्मचारी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गंगवार, मैंने आपका नाम पुकारा था। आपकी बारी चली गई होती। लेकिन आपके उप नेता नहीं हैं। इसके आश्वासन में, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आप मेरे मित्र को दूर क्यों भेज रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि रेलवे के इतिहास में पहली बार रेल यूनियन की मान्यता के लिए नवम्बर, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर चुनाव हुए। इसमें मुख्य रूप से तीन-चार यूनियन सामने आयी थीं। उत्तर रेलवे में एक समस्या देखने को आ रही है जिस यूनियन को सर्वाधिक मत मिले, वह अधिकारियों के साथ मिलकर, नंबर दो पर रहने वाली यूनियन का उत्पीड़न कर रही है, इससे बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। खासतौर पर दिल्ली मंडल में मान्यता प्राप्त यूनियन से कुछ कम वोट पाने के कारण, जो मुख्य विपक्षी यूनियन थी, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, अधिकारी लोग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और जो मुख्य विपक्षी यूनियन बनी है, वह उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के हिसाब से काम कर रही है और सही ढंग से काम कर रही है। कर्मचारियों को यह लग रहा है कि यह यूनियन अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मान्यता प्राप्त यूनियन बिना वजह परेशान कर रही है और इस कारण अच्छे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। अधिकारी यह लिखकर देते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, लेकिन उनका अनावश्यक उत्पीड़न करना और उनका स्थानान्तरण किया जाना, एक सामान्य बात हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करवायें। धन्यवाद।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के एन.एच.-28 और एन.एच.-29 ई इन दो महत्वपूर्ण राजमार्गों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, एन.एच.-28 गोरखपुर को प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी से जोड़ता है और एन.एच.-29 ई उत्तर प्रदेश को नेपाल से जोड़ने का एक प्रमुख राजमार्ग है। वर्तमान में एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और स्थानीय माफिया और अपराधियों से मिलीभगत के कारण इसकी बड़ी बदतर और बदहाल स्थिति है। पिछले एक वर्ष से दोनों राजमार्ग अत्यंत बदतर स्थिति में हैं। कई-कई घंटे तक इन मार्गों पर जाम लगा रहता है। एनएचएआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राजमार्गों को देने का दावा पूरे देश के अंदर करती है, लेकिन ये दोनों राजमार्ग वर्तमान में अत्यंत खराब स्थिति में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: एनएचएआई ने एन.एच. 28 के लिए 9 करोड़ 71 लाख रुपए पहले ही स्वीकृत किया हुआ है, अभी तक कार्य न करवाना, कई-कई घंटों तक जाम करके पूरे प्रदेश और देश की राजधानी से पूरी तरह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का समन्वय स्थापित न होना, इन मार्गों की बदतर स्थिति के कारण अत्यंत खराब स्थिति में है। इसी प्रकार से एन.एच.-29ई पर भी भारत सरकार से पैसा स्वीकृत है, लेकिन 9 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक छह महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। स्थानीय एनएचएआई के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय माफियाओं से मिलकर पूरी तरह से इन राजमार्गों के प्रति उदासीन है। एनएचएआई, इसकी खराब स्थिति और इसे पूरी तरह बदनाम कराने पर उतारू है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करवायी जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और दोनों राजमार्गों की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए ताकि आवागमन सामान्य बन सके और यात्रियों को आने-जाने में होने वाली परेशानी से निजात मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, यह एक समस्या है, मेरे विचार से प्रत्येक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, धन्यवाद। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए अनुमति मांगने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जो नालगोंडा जिले से होते हुए हैदराबाद से विजयवाड़ा को जाता है, की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है।

महोदय, पिछले चार वर्षों से, मैं इस मुद्दे को लगातार उठा रहा हूं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपेक्षा की जा रही है, और संबंधित मंत्री भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अत:, वास्तविक समस्या यह है। पुलिस के अनुसार इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर से प्रति दो सेकण्ड में एक वाहन गुजरता है। सभी तटवर्ती जिलों और खम्माम तथा नालगोंडा जिलों को, राज्य की राजधानी हैदराबाद से जोड़ने के लिए यह संपर्क मार्ग है।

पिछले कुछ वर्षों में, दुर्घटना में 805 लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, किंतु कुछ निविदाओं तथा निविदाओं में विवाद के नाम पर इसे लगातार स्थगित किया जा रहा है। वास्तव में, इस सड़क को छह लाइनों की सड़क होना चाहिए लेकिन चार लाइनों की सड़क भी नहीं बनाई जा रही है।

मैं शर्मिन्दा महसूस कर रहा हूं कि संसद तथा यहां तक कि प्रधान मंत्री के निजी अभ्यावेदन के प्रयासों के बावजूद दुर्भाग्यवश सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। निविदा की प्रक्रिया में योजना आयोग के हस्तक्षेप ने अधिक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे। सामान्यत:, 'शून्य काल' में उत्तर नहीं दिए जाते...

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' जैसा कुछ नहीं है। 'प्रश्न काल' के पश्चात् यह समय महत्वपूर्ण मामलों को उठाने के लिए है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि यदि वे संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दें, तो यह न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गरीबों के लिए बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए लाभकारी होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अब्दुल रशीद शाहीन-अनुपस्थित।

श्री रूपचंद पाल-अनुपस्थित।

20 नोटिस निर्धारित अवधि के भीतर दिए गए थे। मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। पांच सदस्य अनुपस्थित हैं। तीन नोटिस निर्धारित अवधि के बाद दिए गए; लेकिन मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा।

श्री खगेन दास-अनुपस्थित।

डा. के.एस. मनोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

केरल का मुख्य भोजन चावल है। लेकिन, दुर्भाग्य से केरल में केवल 15 प्रतिशत चावल का ही उत्पादन किया जाता है। केरल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, और 85 प्रतिशत

से अधिक खाद्यान्न बाहर से आता है और यह आवश्यकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा पूरी की जाती है। केरल में पीडीएस खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में प्रभावी है।

केरल की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। राज्य में लगभग 70.25 लाख राशन कार्ड धारक हैं जिसमें से लगभग 50 लाख एपीएल कार्डधारक हैं। मार्च, 2007 तक एपीएल चावल का केन्द्रीय आबंटन 1,13,420 मी. टन था। अप्रैल, 2008 से इसे घटाकर 17,056 मी. टन कर दिया गया जिससे इसमें 96,364 मी. टन की कमी हो गई, जो लगभग 85 प्रतिशत है।

महोदय, वर्तमान में खाद्यान्न आबंटन मात्र 29,000 मी. टन है। केवल एपीएल कार्डधारकों हेतु खाद्यान्न की कुल आवश्यकता ही 1,73,005 मी. टन है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. मनोज यह वाद-विवाद नहीं है। आप अपनी बात रखिए।

डा. के.एस. मनोज: मैं माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा कृषि मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे केरल का चावल और गेहूं का पीडीएस आबंटन कोटा पुन: बहाल करें ताकि मुद्रास्फीति और महंगाई के दौरान केरल के लोगों को इसका लाभ मिले। आजकल अधिकाधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज: अत: मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने और शीघ्रातिशीघ्र पीडीएस कोटा पुन: बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. मनोज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहती हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मैं भी डा. मनोज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहती हूं।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, मैं भी इस मामले के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: केरल के माननीय सदस्य इस मुद्दे पर उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: अध्यक्ष महोदय, यह मामला उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

केरल में तीन लाख से अधिक कामगार काजू उद्योग पर निर्भर हैं। कामगारों में अधिकतर महिलाएं हैं जो अ.जा./अ.ज.जा. और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से हैं। वर्तमान में प्रसंस्कृत काजू मुख्यत: विकसित देशों को भेजा जाता है और आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अत: इस उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक खपत को बढ़ाया जाए और देश में ही इसका बाजार विकसित किया जाए तथा काजू के घरेलू उत्पादन में भी सुधार किया जाए।

इस उद्योग के समग्र विकास के लिए इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और इसके बागान क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय काजू बोर्ड (सेन्ट्रल कैशू बोर्ड) का गठन किया जाए। यह बहुत पुरानी मांग है कि केन्द्रीय काजू बोर्ड का गठन किया जाए जिसका मुख्यालय केरल के कोलम में हो।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

श्री पी. राजेन्द्रन: महोदय, मैं श्रीमती सी.एस. सुजाता द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, हम नियम 377 के अंतर्गत मामलों को विचारार्थ लेंगे। अभी कुछ समय शेष हैं। मैं कुछ सदस्यों को नियम 377 के अंतर्गत मामलों को उठाने की अनुमति दूंगा।

अब, श्री निखिल कुमार।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कृपया मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने आपका नाम पुकारा, तो आप यहां नहीं थे। तब से आप आकर यहां बैठे हुए हैं और आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप यह मामला उठाना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने अपना हाथ उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: आपने संकेत भाषा में कहा। ठीक है, अब आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री आचार्य, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कोहरे के कारण उड़ान में विलंब हुआ था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मेरी गलती नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? कोलकाता में कोहरे के कारण संसद का कार्य नहीं रूक सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जिस रीति से 2 जी स्पेक्ट्रम का कथित आबंटन किया गया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एसडब्ल्यूएएन और यूनीटेक द्वारा शेयरों की बिक्री से यह स्पष्ट है कि दुर्लभ स्पेक्ट्रम को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने से राष्ट्रीय राजकोष को 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

महोदय, अपेक्षित स्पेक्ट्रम के अंतर्गत इस चौथे लाइसेंस को जारी करने के लिए संचार मंत्रालय ने 2001 के मूल्यों के आधार पर लाइसेंस तथा लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिए पूर्णतया न समझा जा सकने वाला सिद्धांत- 'पहले आओ, पहले पाओ' को अपनाया है।

उपभोक्ताओं के लिए कथित रूप से लागत कम करने के लिए इन 2जी लाइसेंसों का निर्धारण 2001 के मूल्य पर हुआ। तथापि, लाइसेंस की शर्तों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप जिन्हें यह लाइसेंस मिला था, उन्होंने इसे बेच दिया और उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। बल्कि, वे अपने शेयरों को भी भारी लाभ पर बेच रहे हैं। महोदय, यह एक खुला घोटाला है और इसके कारण सीडीएमए आपरेटरों सहित 2जी जीएसएम स्पेक्ट्रम देकर राष्ट्रीय राजकोष को 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य कृपया इतना ज्यादा विवरण न दें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह देश का अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बन गया है। महोदय, जो खुला घोटाला हुआ है उस पर कार्यवाही करने की बजाय सरकार ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप यह मामला उठा सकते हैं लेकिन मैं इस प्रकार के आरोपों को यहां उठाने नहीं दे सकता, उनकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कृपया इसे मेरी जानकारी में लाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जो मूल्य बहुत पहले निर्धारित किए गए थे, उनके आधार पर 2007 में 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने की स्वतंत्र और गहन रूप से जांच कराए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि इस घोटाले के संबंध में सभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताया गया है कि उन बैठकों में गणपूर्ति नहीं हुई।

श्री बसुदेव आचार्य: इन सभी प्रश्नों की जांच करने, इसके लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाने तथा ऐसा घोटाला किस प्रकार हुआ जिसके कारण सरकार ने राजकोष को 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए।

मैं मांग करता हूं कि अब तक के इस सबसे बड़े घोटाले की जांच संसदीय समिति करे।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे बालू के अवैध खनन की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वन विभाग की जमीन पर और व्यक्तिगत पट्टों से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन में एम एम 11, जो सरकारी धन इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें 400-500 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां का ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्र सरकार से कैसे संबंधित है?

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: सर, यह अवैध खनन वन विभाग की जमीन से किया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अध्यक्ष महोदय: वन विभाग की जमीन से खनन किया जा रहा है। ठीक है बोलिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो छः चक्के का ट्रक है, उससे 1800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और जो 10 पहिए का ट्रक है, उससे 2700 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश के गरीब व्यक्ति हैं, जो मकान बनवाना चाहते हैं, बालू की महंगाई की वजह से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। पहले एक ट्रक 2000 या 2500 रुपए का मिल जाता था, लेकिन अब वही ट्रक 5000 रुपए का मिल रहा है। जो बालू पहले मुश्किल से 4000 रुपए की मिलती थी, वही

बालू आज 10,000 या 12,000 रुपए की मिल रही है। बालू के अवैध खनन के कारण वहां कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। सिंडीकेट के नाम से यह पैसा वसूला जा रहा है। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इसकी सी.बी.आई. जांच कराई जाए, जो टैक्स सरकार की आड़ में वसूल किया जा रहा है उसकी भी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अपराह्न 12.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

(एक) ग्रामीण डाकघर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं संचार मंत्रालय, डाक विभाग का ध्यान ग्रामीण डाक कर्मचारियों की दुर्दशा की ओर दिलाता हूं। ग्रामीण डाक कर्मचारियों की संस्था लगभग एक सौ पचास वर्ष पुरानी है। वे ग्रामीण डाकघरों में कार्य करते हैं और प्राय: बहुत से गांवों के पतों पर पत्र पहुंचाते हैं। इस संबंध में, यद्यपि उनके कार्य शहरी क्षेत्र में स्थित डाकघरों के समान है तथापि, दूसरे रूप में उनका कार्यभार उनके शहरी साथियों की तुलना में ज्यादा असुविधाजनक होता है।

ग्रामीण डाक कर्मी बड़े क्षेत्र में कार्य करते हैं और वे यह कार्य नि:शुल्क तथा त्वरित परिवहन व्यवस्था के बिना कर लेते हैं। अत: ये कर्मचारी अपने शहरी साथियों के समान होने के पात्र हैं किन्तु उनका दुर्भाग्य है कि उनके वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं में भारी अंतर है। जबकि शहरी कर्मचारी वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं और उन्हें ये मिलती भी है, वहीं ग्रामीण डाक के कर्मचारियों को सिर्फ आवश्यक दैनिक भत्ता दिया जाता है और वे अन्य परिलब्धियों के हकदार नहीं होते। यह अनुचित असमानता है। इससे उनका मनोबल गिरने के अलावा उन्हें पूरी तरह परिहार्य कठिनाइयों और बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका दुष्प्रभाव स्वाभाविक रूप से उनके कार्य-निष्पादन पर पड़ता है। लोक हितों को बढ़ावा देने के लिए यह उपयुक्त स्थिति नहीं हो सकती, दूसरी ओर यह निर्विवादित है कि ऐसे कार्यों के सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उच्च मनोबल आवश्यक है।

अत: संचार मंत्रालय से अनुरोध है कि वह कृपया इस पर ध्यान दे और ग्रामीण डाक कर्मचारियों की न्यायोचित शिकायतों का निवारण करे ताकि उन्हें अति आवश्यक सहायता उपलब्ध हो।

(दो) उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में रुग्ण चीनी मिलों की दशा में सुधार लाने तथा इन राज्यों में सहकारी गन्ना समितियों का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों के पुनर्गठन/परिसीमन/विलय तथा बीमार चीनी मिलों के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों तथा गन्ना समिति बोर्ड का पुनर्गठन एवं परिसीमन/विलय संबंधी निर्णय के अभाव में कई चीनी मिल बीमार अवस्था में चल रही हैं, जैसे मझोला सहकारी गन्ना विकास समिति, जो उत्तर प्रदेश में है तथा इस मिल की सहकारी समिति उत्तराखण्ड में है। यह मिल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड दोनों प्रदेशों का गन्ना क्षेत्र है। आज यह बीमार अवस्था में है, प्रदेश में इस तरह की कई अन्य चीनी मिलें हैं। इन मिलों को बीमारी से उबारने के लिए सहकारी समितियों एवं गन्ना समिति बोर्ड का पुनर्गठन करना अत्यधिक आवश्यक है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि केन्द्र सरकार शीघ्रातिशीघ्र सहकारी समितियों तथा मझोला सहकारी गन्ना विकास समिति का पुनर्गठन करने के आदेश देने के साथ-साथ सहकारी समितियों को निर्देश दे कि मझोला सहकारी विकास समिति क्षेत्र के किसान इस वर्ष अन्य चीनी मिलों में अपना गन्ना भेज सकें।

मान्यवर, बीमार चीनी मिलों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। गन्ना/चीनी सहकारी समितियों तथा मझोला सहकारी गन्ना विकास समिति का पुनर्गठन होने से चीनी मिलों के कर्मचारियों तथा गन्ना किसानों की रोजी-रोटी सही तरह चलेगी तथा इन लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित हो सकेगा।

(तीन) विधिक शिक्षा प्रणाली को फिर से चालू किए जाने और विधि महाविद्यालयों में हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.के. खादरवेनथन (पलानी): महोदय, देश में कानून की शिक्षा तथा कानूनी पेशे की निगरानी के लिए एडवोकेट एक्ट

[श्री एस.के. खारवेनथन]

1961 के प्रावधानों के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। विधि और न्याय मंत्रालय विधि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया को निधि उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में चेन्नई के डा. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 12.11.2008 को हुई घटना से देश में विधि कालेजों तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अस्तित्व पर बहुत से प्रश्न उठे हैं। 100 पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में दो विद्यार्थी समूहों के बीच कालेज प्रांगढ़ में जाति आधारित हिंसा शुरू हो गई और जो गंभीर हमलों में बदल गयी जिससे चार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकर दुख हुआ कि इतने पुराने शैक्षिक संस्थान में कोई शैक्षिक वातावरण नहीं रहा है। वहां कोई आधुनिक पुस्तकालय नहीं है। स्थायी शिक्षकों के 20 में से चार पद तथा 22 अंशकालिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रावधानों के अनुसार प्रति दिन कम से कम पांच घंटे कक्षाएं चलनी चाहिएं किंतु कक्षाएं एक दिन में दो घंटे भी नहीं चलती हैं। इसके अलावा, छात्रों के लिए उपस्थिति के कड़े नियम नहीं हैं। छात्रों के खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। छात्रावासों का रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। बार काउंसिल आफ इंडिया एक केन्द्रीय एजेन्सी है जो पूरे देश में विधि कालेजों को स्वीकृति देती है। चेन्नई लॉ कालेज को 2006-07 के बाद स्वीकृति नहीं मिली है। तमिलनाडु और अन्य राज्यों में कई सरकारी और निजी विधि कालेज ऐसे ही चल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित कुछ विधि कालेजों से कोई व्यक्ति बिना एक दिन भी कक्षा में भाग लिए डिग्री ले सकता है। इस देश में विधि शिक्षा दिन प्रतिदिन गिर रही है।

अत: मैं विधि तथा न्याय मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह देश में विधि शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कार्यवाही करे तथा भविष्य में विधि कालेजों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करे।

महोदय, मैं भारत सरकार से तमिलनाडु में राष्ट्रीय विधि कालेज की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ये निजी कालेज हैं। वे धन कमा रहे हैं परन्तु कार्य क्यों नहीं कर रहे?

(चार) गुजरात के काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा केन्द्र में लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां दिए जाने की आवश्यकता

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी): महोदय, मैं काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केन्द्र, डाकघर-अनुमला, जिला तापी (गुजरात) जो कि भारत सरकार के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है, में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में हो रहे विलंब की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस संगठन में वर्ष 2002 से अनुकम्पा के आधार पर एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। यहां अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के कुल नौ मामले हैं। इनमें से सात मामले अनुसूचित जनजाति के हैं। जिनमें से पांच मामले ऐसे लोगों के हैं जो भूमिहीन हैं क्योंकि उनकी जमीन काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए अधिगृहीत कर ली गई थी। ये सभी परिवार अत्यंत गरीब हैं और इनके पास जीविकोपार्जन हेतु आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। उन्हें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है।

मुझे पता लगा है कि कम्पनी उन्हें नियुक्ति के स्थान पर एकमुश्त नकद क्षतिपूर्ति देना चाहती है जोकि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उन्हें नौकरी के माध्यम से नियमित आमदनी की आवश्यकता है। लेकिन सरकार उन्हें पिछले अनेक वर्षों से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं कर रही है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केन्द्र में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाए ताकि इन प्रभावित परिवारों को नियमित आमदनी का जरिया मुहैया हो सके।

(पांच) मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय: आप केवल वही पढ़िये जिसके लिए अनुमति दी गई है।

श्री अनवर हुसैन: वर्ष 1936 के एक सरकारी आदेश के अनुसार हिन्दू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध दलितों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। वर्ष 1950 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार केवल हिन्दू दलितों को दलित घोषित किया गया। वर्ष 1956 में सिख दलितों को अनुसूचित जाति की सूची में पुन: सम्मिलित किया गया। वर्ष 1990 में नए बौद्धों को अनुसूचित जाति की सूची में पुन: शामिल किया गया। अत: 1950 आदेश के पैरा 3 के अनुसार हिन्दू, सिख और बौद्ध दलितों को दलित माना गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनवर हुसैन वक्तव्य के अलावा कुछ और मत पढ़िये। अनुमत वक्तव्य के अतिरिक्त जो भी कहा जाएगा वह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुस्लिम दलितों की जनसंख्या मात्र 0.8 प्रतिशत है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री को सौंपे गए रंगनाथ मिश्र आयोग के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सभी ने दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति घोषित करने की पुरजोर सिफारिश की है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुसलमान और ईसाई दलितों को चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाए।

(छह) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) सुविधाओं संबंधी नियमों को समान और पारदर्शी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना): महोदय, मेरी सूचनानुसार सी.एस.डी. की सुविधा पूर्व एवं कार्यरत नागरिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध है।

मेरी सूचनानुसार मेरठ में पूर्व सैनिकों व सेवानिवृत्त रक्षा नागरिक कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख के बाद कैंटीन आने को कहा जाता है और तब तक सामान समाप्त हो जाता है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हों, तो वह प्रकाशित व प्रचारित होने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन अन्य सभी मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाता है।

(सात) विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का निपटान करने हेतु तात्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): यही वह समय है जब हमें विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों के निपटान के लिए तत्काल पहल करनी चाहिए।

ऐसा नहीं है कि सरकार लंबित मामलों का निपटान करने का प्रयास नहीं कर रही है। नि:संदेह, सरकार की ओर से न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के न्यायालयों में प्रतिदिन अधिकाधिक मामले जमा होते जा रहे हैं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान विभिन्न आधारों पर मामलों का स्थगन होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय मिलने में विलंब होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्याय में विलंब न्याय न मिलने के समान है। हम अक्सर न्यायालयों द्वारा निर्णय देने में लिए गए समय से संबंधित समाचार, समाचार-पत्रों में देखते रहते हैं। कभी-कभी एक मामले के निपटान में दशकों लग जाते हैं और तब तक अधिकतर पक्ष यह दुनिया छोड़ चुके होते हैं।

मैं आपके माध्यम से विधि और न्याय मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि भविष्य में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों का निपटान किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उचित कारण के बिना मामले को स्थगित न किया जाए।

(आठ) मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों के लिए 'अफीम की मात्रा' के प्रतिमान में ढील दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर): मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में जहां अफीम की काश्त बहुतायत में होती है। विगत दिनों असामयिक वर्षा होने तथा साथ ही तेज आंधी चलने के कारण अफीम की गाढ़ता में जो 55 डिग्री अपेक्षित है, उसमें स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप के कारण कमी आयी है। जिसके बारे में सैंकड़ों अफीम काश्तकारों द्वारा अफीम तौल केन्द्रों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करायी गयी है। सभी अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम उत्पादन का जो न्यूनतम मापदंड है उससे कहीं अधिक दिया गया है। जो औसतन 60 से 62 किलोग्राम तक रहा है।

किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में अफीम काश्तकारों को आशंका है कि उनके लाइसेंसों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व में भी विगत 2 वर्षों में इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसमें शिथिलता भी दी गयी थी।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस वर्ष भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए (जैसा कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कहीं-कहीं स्थिति का

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

आंकलन भी किया गया है, इसमें शिथिलता दिये जाने को उचित माना है।) अफीम काश्तकारों से ली जाने वाली अफीम की गाढ़ता में छूट दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि अफीम काश्तकार अप्रत्याशित हानि से बच सके।

(नौ) महाराष्ट्र के शोलापुर रेल मंडल में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** (शोलापुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर, जिसमें शोलापुर रेलवे डिवीजन, जो देश का सबसे पुराना रेलवे डिवीजन है, के अंतर्गत जेउर रेलवे स्टेशन और शोलापुर स्टेशन के पूना साईड के होम सिग्नल के पास फ्लाईओवर का निर्माण न किए जाने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है। इस डिवीजन के अंतर्गत लगभग 400 ऐसे रेलवे गेट हैं, जिन पर रेलवे का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप आये दिन भयंकर रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन रेलवे गेट पर कम से कम रात्रि में रेलवे कर्मचारी तैनात किए जाने की आवश्यकता है।

विगत काफी समय से शोलापुर-पूना-शोलापुर इंटरसिटी रेलगाड़ी को दोनों तरफ से एक साथ प्रारम्भ किए जाने और शोलापुर-नागपुर के बीच वाया हैदराबाद होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने तथा शोलापुर डिवीजन के अंतर्गत भिगवन से शोलापुर के बीच दोहरी रेल लाईन बनाये जाने एवं शोलापुर से पूना के बीच रेलवे विद्युतीकरण किए जाने की मांग की जा रही है, किन्तु अभी तक इस बारे में भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

देश में रेलवे के विभिन्न जोन्स में विशेषकर शोलापुर जोन में रेल मार्ग के अनुपात में गैंगमेन की तैनाती नहीं की गयी है और इन गैंगमेन को विशेषकर रात्रि में ग्रामीण अंचलों में ड्यूटी पर आने जाने हेतु सुरक्षा एवं संचार संबंधी समुचित सुविधा भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जिस कारण उनको आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन कार्यों को वरीयता के आधार पर शीघ्र करवाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(दस) देश में डीएनटी/वीजेएनटी के लिए नौकरियों में आरक्षण देने तथा अन्य कल्याण उपायों का उपबंध करने वाला विधान लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): द नेशनल कमीशन फॉर डीनोटीफाइड एंड नोमेडिक कमीशन (रेंके कमीशन) ने 2 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट संघ सरकार को सौंप दी है जिसमें 15 करोड़ गैर-अधिसूचित खानाबदोश (नामेडिक) जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई है। इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित रीति से तत्काल लागू किया जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले डीएनटी लोगों को मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें 27% आरक्षण नहीं चाहिए, वे केवल 7% आरक्षण चाहते हैं और यह 7% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकार से मिलने वाले सभी लाभ उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी (डीएनटी/वीजेएनटी, जो ओबीसी के अंतर्गत आती है) के गैर-अधिसूचित खानाबदोश जनजातियों/विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियों को भी दिए जा सकें। डीएनटी के विभिन्न संगठनों/संघों ने सुझाव दिया कि डीएनटी/वीजेएनटी को 7% आरक्षण दिया जाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार की पद्धति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में पहले से शामिल जातियों के मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, 7% आरक्षण ऐसे डीएनटी/वीजेएनटी को ही मिलना चाहिए जो अ.जा. और अ.ज.जा. में शामिल नहीं है और उन्हें ओबीसी के 27% कोटा में से "अनुसूचित गैर-अधिसूचित जनजाति" के रूप में एक पृथक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तार्किक रूप से यह मांग उचित है और इस फार्मूले से रेंके आयोग की रिपोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के 50% आरक्षण सीमा के निर्देश को प्रभावित किए बिना, आसानी से लागू किया जा सकता है। सरकार को आयोग की प्रमुख सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे कि सेवा, पदोन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण; संसद, विधान सभाओं, स्थानीय नागरिक निकायों, पंचायतों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व; डीएनटी के विकास हेतु पृथक बजट; डीएनटी विकास निगमों का गठन, आवासीय विद्यालयों की स्थापना; वित्तीय निगम से ऋण; उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति; इंदिरा आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना जैसी विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं में पृथक निधि निर्धारित करते हुए डीएनटी हेतु 7% आरक्षण, डीएनटी टांडास (बसावटें) को राजस्व गांव के रूप में मान्यता इत्यादि को समय व्यर्थ किए बिना तत्काल लागू किया जाए।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के अकोला में मध्य रेलवे के फाटक संख्या 31सी के समीप एक रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री संजय एस. धोत्रे** (अकोला): पिछले तीन चार साल से अकोला जिले के बालापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनारखेड,

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

कसूरा, कोलसा, मांडोली, सोनगिरी, कलंबा, कलंवी, महागांव और डोंठारगांव के करीबन 25000 से ज्यादा ग्रामवासियों की मध्य रेलवे के गेट नं. 31 सी के पास डी-क्लास स्टेशन के निर्माण की मांग है।

इन सभी ग्राम पंचायतों की ओर से बार-बार यह मांग रही है कि भुसावल स्टेशन से अकोला स्टेशन के दरम्यान मध्य रेलवे के गेट नं. 31सी के समीप डी-क्लास स्टेशन की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। यहां रह रहे करीबन 25000 से ज्यादा लोगों के परिवारों के बच्चे पास के बड़े शहरों में रोजाना स्कूल, कालेजों में पढ़ाई के लिये आते-जाते हैं। इनके अलावा दिहाड़ी मजदूर भी पैदल आना-जाना करते हैं। कुछ विद्यार्थी साईकिल या स्कूटर पर जाते हैं। परन्तु गरीब बच्चे यह 15-20 मील का फासला पैदल ही पार करते हैं। सर्दी तथा बारिश के मौसम में बहुत बुरा हाल होता है। अगर गेट नं. 31सी के पास एक डी-क्लास स्टेशन का निर्माण हो जाता है तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उपरोक्त हालात में अगर डी-क्लास स्टेशन का निर्माण किया गया तो इन ग्राम पंचायत के लोगों को खासकर पढ़ाई करने वालों को और दिहाड़ी मजदूरों को पैसेन्जर गाड़ी से नजदीक के शहरों में जाने-आने के लिए सुविधा हो जायेगी और कई सालों से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा। कृपया आवश्यक मंजूरी प्रदान करें।

(बारह) केन्द्रीय काजू बोर्ड, जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो, की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्रीमती सी.एस. सुजाता** (मवेलीकारा): केरल के काजू उद्योग पर तीन लाख से अधिक कर्मचारी निर्भर हैं। कामगारों में बहुसंख्यक अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं। वर्तमान में प्रसंस्कृत काजू मुख्यत: विकसित देशों को निर्यात किया जाता है लेकिन आर्थिक मंदी ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अत: उद्योग को बनाए रखने के लिए घरेलू खपत बढ़ाना और स्वदेशी बाजार विकसित करना तथा काजू का घरेलू उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है। इस उद्योग के समग्र विकास के लिए इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और पौधरोपण क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय काजू बोर्ड बनाया जाए। केरल के कोल्लम में केन्द्रीय काजू बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किए जाने की मांग काफी समय से की जा रही है।

मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती हूं।

(तेरह) केरल में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चलाए जा रहे पारंपरिक करघा उद्योग के संरक्षण हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

***श्रीमती पी. सतीदेवी** (बडागरा): केरल में लगभग 755 प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं जिनमें से अधिकांश गरीब महिलाएं हैं। आर्थिक संकट के कारण इन समितियों का कार्यकरण बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अत: इन समितियों के ऋण बट्टे खाते में डालते हुए तत्काल ऋण राहत उपाय किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ओणम, रमजान, विशु, दीपावली और क्रिसमस आदि त्यौहारों के मौसम में छूट दी जानी चाहिए। निर्यातित माल पर हथकरघा मुहर लगाने की कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। इस परंपरागत उद्योग के बचाव हेतु केरल की कताई मिलं को परंपरागत सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में मैलानी-दुधवा-गोण्डा रेलवे खंड पर रेल सेवाएं फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मैलानी-दुधवा-गोंडा रेल खंड की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस खंड पर मैलानी से आगे पैसेंजर यातायात रोक दिया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 10 लाख आदिवासी रहते हैं। इस रेल खंड पर लगभग 18 ट्रेनें चलती थीं, उन्हें बंद कर दिया गया है जिससे इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष है।

सवारी गाड़ी न होने के कारण बस वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मैलानी-दुधवा-गोंडा खंड पर पैसेंजर यातायात दोबारा शुरू कराया जाए, ताकि गरीब जनता को सुविधा मिल सके।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार झांसी-मिर्जापुर और कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर महोबा के अंतर्गत झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी स्वीकृत निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं, वे अत्यंत ही धीमी गति एवं मानकों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं तथा उक्त मार्ग के शेष भाग को भी निर्माण हेतु तुरंत स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया दोनों मार्गों पर भारी यातायात को देखते हुए उचित मानकों के अनुरूप शीघ्र निर्माण कराए जाने एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत छूटे हुए कानपुर सागर मार्ग में हमीरपुर से छतरपुर के बीच एवं देवरी बांध से बांदा के बीच पड़ने वाले सभी छोटे बड़े पुल-पुलियों सहित शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सोलह) बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर कुसहा बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

***श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (मधेपुरा): महोदय, पिछले महीने अगस्त में भारत-नेपाल सीमा पर कुसहा बांध टूटने से कोसी का कहर बिहार के छः जिलों में देखा गया। केन्द्र के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित कर एक बड़ी रकम देकर सहारा दिया गया, परंतु केन्द्र की राशि एवं अनाज प्रभावितों के बीच सही रूप से नहीं पहुंच पाई। इतना ही नहीं, बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए ही शिविरों को बंद कर दिया गया। अभी भी लाखों लोग बेघर हैं। मृतकों की सही सूची नहीं बनायी गयी न ही आश्रितों को मुआवजा दिया गया। कटे बांध को बांधना आवश्यक है। नहीं बांधने पर छः माह बाद पुनः कोसी अपना कहर इन प्रभावितों पर ढहाएगी।

अतः आग्रह है कि मेरे द्वारा दर्शाये गए सभी बिन्दुओं की जांच संसदीय टीम से करायी जाए तथा स्थानीय सांसद की देख-रेख में कार्य को निष्पादित कराया जाए।

(सत्रह) श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा करने तथा तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों को सहायता देने के लिए उन्हें धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर): चेन्नई कलेक्टरेट से चिंगलपुट और आगे तक लगभग 56 किलोमीटर लंबी अभूतपूर्व मानव शृंखला बनाई गई। विभिन्न क्षेत्रों के चिंतित भारतीय नागरिक दलगत भावना से ऊपर उठकर भारी वर्षा का सामना करते हुए तमिलनाडु में एकत्रित हुए जो श्रीलंकाई तमिलों के प्रति उनकी सहानुभूति को दर्शाता है, जो वर्तमान में भारी दुःखों का सामना कर रहे हैं। जिससे भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह अद्भूत था कि तमिलनाडु विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार से तमिलों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया ताकि भारत में या उनके अपने देश में वह केवल शरणार्थी बनकर न रहें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सर्वदलीय दल के साथ भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर और द्वीप देश के उपद्रवियों और सशस्त्र सेना के बीच संघर्ष समाप्त करते हुए सामान्य हालात सुनिश्चित करने हेतु निवेदन किया।

अतः मैं भारत सरकार से सभी संभावित उपाय करने का आग्रह करता हूं ताकि हमारा रक्षा मंत्रालय श्रीलंकाई सेना को हथियार न दे, हमारा विदेश मंत्रालय उन्हें समझा सके कि वे नागरिक क्षेत्रों में हमले बंद करे जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर का उल्लंघन है तथा हमारा वित्त मंत्रालय असंख्य तमिल शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु अधिक निधियां आवंटित करे जिससे तमिलनाडु पर पड़ रहे भारी बोझ को कम किया जा सके।

(अठारह) झारखंड में बुनियादी संरचना विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री हेमलाल मुर्मू** (राजमहल): महोदय, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विकास खासकर रेल, सड़क, पुल आदि के निर्माण एवं विकास सहित झारखंड के संथाल परगना जिलों खासकर साहिबगंज जिला में पावर प्लांट का निर्माण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु पैकेज की मांग केन्द्र सरकार को जुलाई 2008 में की गई थी। इस संबंध में सरकार द्वारा आश्वस्त कराया गया था कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, परन्तु सरकार को समर्पित संबंधित ज्ञापन के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई अपर्याप्त है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि 19.7.2008 को विभिन्न सांसदों के द्वारा केन्द्र सरकार को समर्पित 13 सूत्री मांग के आलोक में प्रत्येक विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(उन्नीस) श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री एल. गणेशन** (तिरुचिरापल्ली): भारत सरकार को श्रीलंका सरकार को बिना किसी और विलम्ब के उनके संविधान के ढांचे के भीतर वार्ता द्वारा राजनीतिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए क्योंकि हाल ही में विद्रोहियों ने दोनों पक्षों द्वारा युद्धविराम समझौते की इच्छा व्यक्त की है।

हमारे देश के हित और इसकी सुरक्षा के लिये पड़ोसी देश में शांति और अमन बनाए रखने की आवश्यकता है।

यह अनिवार्य है क्योंकि यह भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि वहां तमिलों की दयनीय दशा है और शरणार्थियों के आने से भारत में तमिलों में दु:ख और चिंता बढ़ रही है।

यह आवश्यक है क्योंकि भारत ने अनेक अवसरों पर सद्भावना प्रकट की है जैसे कच्चा तिवू द्वीप सौंपना और हजारों भारतीय मूल के तमिलों को वापस लेना, यद्यपि वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दिनों से 50 से 100 वर्षों से भी अधिक समय से, जब भारत और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, उस द्वीपीय देश में रहे हैं।

भारत को श्रीलंका सरकार से आग्रह करना चाहिये कि राष्ट्र की सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिये और उनकी राष्ट्रीय प्रजातियों के बीच कितनी भी कड़ी दुश्मनी हो, विद्रोहियों का दमन करने का अर्थ एक राष्ट्रीय प्रजाति और नृजातीय समूह को समाप्त करना नहीं होना चाहिए। जो उस देश के मूल निवासी हैं।

(बीस) जनगणना में विभिन्न जातियों के पृथक आंकड़े दिए जाने तथा उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): महोदय, देश की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही उपलब्ध करवाये जाते हैं, बाकि किसी जाति के आंकड़े नहीं होते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि आगामी अर्थात् 2011 में होने वाली जनगणना 2009 में करवाकर देश की समस्त जातियों के आंकड़े अलग-अलग एकत्रित किए जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं ताकि यह विदित हो सके कि देश की आबादी में किस-किस जाति के कितने नागरिक हैं और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत अलग-अलग क्या है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया गया है। लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किए गए निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू किए जाने संबंधी अति लोक महत्व के प्रकरण को अविलम्ब क्रियान्वित किए जाने हेतु सतत पहल करे।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अपराह्न 12.59 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

51वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है। तब हम असम मामले पर विचार करेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न भागों में, विशेषकर असम के संदर्भ में, बम विस्फोटों के कारण उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 24 नामत: नियम 193 के अधीन चर्चा को लेंगे। मैं श्री एस.के. बैसीमुथियारी से चर्चा आरंभ करने का निवेदन करता हूं।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 193 के अधीन चर्चा, जो 30 अक्तूबर, 2008 को कोकराझार, बोंगईगांव, बोरपेटा रोड और असम में गुवाहाटी के कुछ स्थानों पर हुए शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की घटनाओं से संबंधित है, आरंभ करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की वीभत्स घटना के बारे में बोलते हुए मुझे दु:ख होता है। मैं इन कायरतापूर्ण हिंसा की निंदा करता हूं जिसमें सत्तासी लोग मारे गए, जबकि पांच सौ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतने बड़े पैमाने पर शृंखलाबद्ध बम धमाके इससे पहले देश में कहीं नहीं हुए।

कोकराझार नगर की सब्जी मंडी में प्रात: 5.25 बजे विस्फोट हुआ जिसके बाद 11.28 बजे मछली बाजार में विस्फोट हुआ और तीसरा धमाका 11.26 बजे रेलवे स्टेशन के निकट नगर के उत्तरी भाग में हुआ। बम विस्फोटों की इन भयानक घटनाओं में 20 लोग मारे गए और 160 लोग घायल हुए। अन्य विस्फोट खूबचन्द चौक जिसे कमरपट्टी के नाम से भी जाना जाता है, पर पूर्वाह्न 11.28 बजे हुआ जिसके बाद गुवाहाटी के गणेशगुड़ी क्षेत्र में 11.30 बजे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। लगभग 11.27 बजे गुवाहाटी में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के निकट विस्फोट हुआ। शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की इन सब नृशंसतापूर्ण घटनाओं में 87 लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग अपंग हो गए। अब बड़ा प्रश्न यह है कि निर्दोष लोगों को मारने के कायरतापूर्ण कृत्य कैसे हुए? असम के लोग हैरान हैं कि पुलिस बल क्या कर रहा था। क्या उन्हें कोई पूर्व सूचना थी कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? मैं बताना चाहता हूं कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई ने 2 नवम्बर को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि पुलिस को इन विस्फोटों की जानकारी थी लेकिन समन्वय के अभाव के कारण वह इस पर कार्यवाही करने में असफल रही।

अब तक जो जानकारी प्राप्त की है इसके अनुसार, केन्द्र सरकार के आसूचना ब्यूरो को इन संभावित विस्फोटों की आशंका थी और जीओसी, 4 कार्प्स, लेफ्टीनेंट जनरल श्री बी.एस. जायसवाल ने प्रधानमंत्री को 1 नवम्बर को उनकी असम यात्रा के दौरान बताया कि "सेना को अपने संबंधित आसूचना अभिकरणों से इन संभावित विस्फोटों की जानकारी मिली थी। हमें केवल संदेश मिला था और हमने कोई संदेश पकड़ा नहीं था।"

यदि केन्द्रीय आसूचना अभिकरणों, भारतीय सेना और एसएसबी ने असम पुलिस को पूर्ण सूचना दे दी थी तो उन्होंने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? उनकी अकर्मण्यता से अनेक जानें गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जांच दल के अनुसार अमोनिया नाइट्रेट, टी एण्ड टी, पी एण्ड टी एन और आर डी एक्स का प्रयोग किया गया था। एन एस जी जांच दल के अनुसार तीन विस्फोटों में 6 किलो आर डी एक्स का प्रयोग किया गया था जिसने कोकराझार नगर को हिला दिया था। दूसरे 6 किलो आर डी एक्स का प्रयोग बोंगईगांव विस्फोट में किया गया था। बारपेटा रोड पर प्रयुक्त आर डी एक्स की मात्रा 2 किलो थी। गणेशपुरी और कामरूप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के निकट प्रत्येक विस्फोट के लिए तीन किग्रा आर डी एक्स का प्रयोग किया गया था। लगभग 168 वाहन और पांच सौ करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन-इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्स-इंडियन मुजाहिदीन के इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेते हुए एक न्यूज चैनल 'न्यूज लाइव' को एक एसएमएस भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उस मोबाइल फोन के मालिक की पहचान नहीं कर सकी जिससे वह एसएमएस भेजा गया था। असम सरकार बार-बार यह कहती रही है कि बम विस्फोट की इन घटनाओं में पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा प्रायोजित जेहादी और आतंकी संगठन शामिल थे। हम सरकार से इन घटनाओं में शामिल दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का आग्रह करते हैं। मैं सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं। 12 नवम्बर को गुवाहाटी में हुई सर्वदलीय बैठक में अंगीकार किए गए संकल्प के अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से इन घटनाओं की सीबीआई जांच कराने हेतु निवेदन करने का निर्णय किया। आपको यह ज्ञात होगा सरकार के विभिन्न आसूचना अभिकरणों ने बताया है कि आईएसआई और कुछ जेहादी इन घटनाओं में शामिल थे, बांग्लादेश सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने इन आरोपों का खंडन किया है। लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। हाल में 26 नवम्बर को मुंबई पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित दस आतंकवादी शामिल थे। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से, पाकिस्तान सरकार इस हमले में किसी पाकिस्तानी नागरिक के शामिल होने से इनकार कर रही है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन ने अपनी भारत यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हुए कहा: "हम जानते हैं कि मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार समूह लश्कर-ए-तैय्यबा है और उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गार्डन ब्राउन का बहुत अच्छा वक्तव्य है जबकि पाकिस्तान में, श्री ब्राउन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी को बताया: ''यह कार्यवाही का वक्त है न कि बातों का।'' पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी के समक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह जोरदार वक्तव्य दिया था। इसी तरह, अमरीकी सीनेटर और विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष श्री जान कैरी, जो हाल में दिल्ली आए थे, ने कहा कि ''उन्होंने लश्कर-ए-तैय्यबा बनाया। आईएसआई का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में सरकार पर आसीन लोग यह जानते हैं कि सरकार के लश्कर-ए-तैय्यबा के साथ संबंध है।''

यदि पाकिस्तान सरकार मुंबई आतंकी हमले में किसी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी के शामिल होने से इंकार कर सकती है तो बांग्लादेश सरकार असम विस्फोट में बांग्लादेशी जेहादियों की भूमिका होने से इंकार क्यों नहीं कर सकती? अब यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस सत्य का पता लगाए कि वास्तविक दोषी कौन हैं तथा सरकार को ऐसे नृशंस कृत्य करने वालों को अवश्य दंड देना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में बार-बार हो रही हैं। 3 और 4 नवंबर को जेहादी तत्वों ने असम के उडालगुडी और दारंग जिले के कुछ बोडो गांवों पर हमला किया। उन्होंने न सिर्फ बोडो लोगों के घरों को जलाया बल्कि इन दो जिलों के कई स्थानों पर पाकिस्तानी झंडा भी फहराया। 3 और 4 अक्तूबर को उडालगुडी जिले के चार गांवों में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। जिन बोडो गांवों में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया वे हैं-रंगागढ़, सोनारी-पारा, सुमलीगुड़ी और सम्यारी। एक देशभक्त भारतीय होने के नाते हम यह देखकर स्तब्ध और दुखी हैं कि ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं। हम यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी घटनाओं की आवृति के बावजूद सरकार ने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ अधिकारी यह कह रहे हैं कि झंडे पाकिस्तान के नहीं थे। उनके अनुसार झंडे ईद के त्योहार के अवसर पर फहराए गए थे। चाहे पाकिस्तान का झंडा हो या ईद का झंडा, सरकार को पूरी घटना की जांच करानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज, मैं सत्य जानने के लिए सीबीआई जांच की मांग करता हूं। मैं सरकार से अपील भी करता हूं कि वह उदालगुडी और दरांग जिले में हुई घटनाओं की सीबीआई जांच का आदेश दे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** ऐसी घटनाएं असम में क्यों हो रही हैं? ऐसा भारत सरकार की घोर असफलता के कारण हो रहा है तथा असम की उत्तरवर्ती सरकारों के लाखों अवैध बंग्लादेशी लोगों की घुसपैठ को रोकने में असफल रहने के कारण ऐसी घटना हो रही है। आज हमारे स्वदेशी बोडो तथा राज्य के अन्य जनजातीय समूह अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर है और उनकी सुरक्षा तथा अस्तित्व को भारी खतरा है।

अत: मैं मांग करता हूं कि राज्य के विभिन्न भागों में हुए शृंखलाबद्ध धमाकों की सीबीआई जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। महोदय, दूसरी बात, मैं अनुरोध करता हूं कि पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्राह राशि दी जाए। असम सरकार ने पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को 3 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया है। जबकि पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपए का हर्जाना देने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा को अभी पूरा होना है। माननीय गृह मंत्री ने पीड़ितों को तीन लाख रुपए हर्जाना देने का वादा किया था। लेकिन वे भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं यह भी मांग करता हूं कि बोडोलैण्ड सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति दी जाए। बोडोलैण्ड सरकार को बोडोलैण्ड प्रादेशिक पुलिस बटालियन बनाने की शक्ति भी दी जाए। बोडोलैण्ड के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार बोडोलैण्ड के लिए अलग से पुलिस आयुक्तालय बनाए अर्थात् सरकार अवैध बंग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए कदम भी उठाए। तथापि इस बात की अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि विदेशियों को पता लगाने के नाम पर किसी वास्तविक भारतीय नागरिक को परेशान न किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा आतंकवाद विरोधी दस्ते की नई बटालियनों का गठन किया जाए तथा इनकी तैनाती सभी राज्यों में की जाए। यह गंभीर चिंता का मामला है कि असम में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 65,630 है। 8 हजार से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। वर्तमान में हमारे राज्य में सिर्फ 57190 पुलिस कर्मी हैं। महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे राज्य में यथाशीघ्र एक लाख सिपाहियों की भर्ती की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** सरकार को पुलिस बल तथा सूचना तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए एक पृथक पुलिस आसूचना अभिकरण होना चाहिए। अंत में मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह कड़े कदम उठाए ताकि हमारे देश में भविष्य में हिंसा का ऐसा नृशंस कृत्य न हो। हम भारत विरोधी ताकतों से कभी समझौता न करें। हमारी सरकार लोगों के जीवन विशेषत: बोडो लोगों की रक्षा करे।

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता को बुलाने से पहले, मैं अपने साथी की ओर से एक अनुरोध करता हूं। मेरे पास ऐसे सदस्यों की लंबी सूची है जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। माननीय मंत्री को किसी बैठक में जाना पड़ा है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि 5.30 बजे से पूर्व चर्चा को पूर्ण किया जा सके।

अब मैं श्री अधीर चौधरी को बुलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। मैं नहीं समझता कि मुझे इसे दोबारा कहने की आवश्यकता है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में आतंकवाद पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। माननीय सदस्य श्री बैसीमुथियारी ने इस विषय पर वाद-विवाद शुरू किया है। हम भली-भांति जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आतंकवाद एक अभिशाप बन गया है।

कुछ दिन पहले न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विश्व, व्यापारिक राजधानी मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से निश्चेत, हैरान तथा दुखी हुआ।

पूरे देश ने आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस अभिशाप से निपटने के उपायों पर हुई चर्चा में लोगों ने भाग भी लिया। अत: पूरा देश, देश में आतंकवाद के संदर्भ में चर्चा में भाग ले रहा है। हम सब आशा करते हैं कि गृह मंत्री, जिन्होंने इस संवेदनशील मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर करारा प्रहार करेंगे।

स्वतंत्रता के दिन से ही भारत के लोग घुसपैठ, आतंकवाद, अतिवाद आदि के दानव का सामना कर रहे हैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र जोकि हमारे देश के लिए भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभाजन के बाद घुसपैठ का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए पुरस्कार और दण्ड की नीति अपना रही है। अत: हमने मिजोरम शांति समझौता किया है। हम असम समझौता और बोडो समझौता करने में सफल हुए हैं। तथापि, यदि इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि मिजोरम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पर लगातार आतंकवाद का खतरा बना हुआ है।

बंटवारे के बाद से ही पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भू-अवरुद्ध क्षेत्र बनकर रह गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का लगभग 98 प्रतिशत क्षेत्र बंगलादेश, भूटान, म्यान्मार आदि जैसे देशों से लगा हुआ है और उसकी केवल दो प्रतिशत भूमि, मुख्य भूमि भारत से जुड़ी हुई है। जो केवल 27 किलोमीटर चौड़ा है। यह सिलीगुड़ी में है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देश के इरादों को देखते हुए हमें सिलीगुड़ी को बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि सिलीगुड़ी को अलग कर दिया जाता है तो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य भूमि भारत से अलग हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देशों का उद्देश्य यही है। अत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि कोई भी दीर्घकालिक उपाय करते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, यह सत्य है कि यह सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसे इन्द्रधनुषी एरिया भी कहा जाता है, के विकास के लिए भारी धनराशि दे रही है।

शुक्ला आयोग पहले ही वहां क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, रोजगार बढ़ाने और विभिन्न जातीय समूहों के बीच के असंतुलन को कम करने के लिए 22,000 करोड़ रु. से अधिक धनराशि निवेश करने की सिफारिश कर चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक मिश्रित और जटिल क्षेत्र है जहां जातीय विभाजन और साम्प्रदायिक विभाजन पूर्णत: सुस्पष्ट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति से निपटते समय हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे बदनियत पड़ोसी देश हमारी किसी गलती का लाभ न उठा सकें।

महोदय, दूसरे पर आरोप लगाना अत्यंत आसान है परंतु एक भारतीय होने के नाते हमें इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। 30 अक्तूबर को असम में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के समय हमें असम की सुरक्षा की स्थिति की पहले से ही जानकारी थी इसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे जो किसी एक विशेष धर्म के न होकर हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बोडो आदि सभी धर्मों के थे।

जहां तक असम में सुरक्षा स्थिति का संबंध है वहां 474 घटनाएं हुईं जिनमें 27 सुरक्षाकर्मी और 287 आम नागरिक मारे गए। वर्ष 2006 में 413 घटनाएं हुईं जिनमें 32 सुरक्षा कर्मी और 164 नागरिक मारे गए। गृह मंत्रालय द्वारा पहले जारी वक्तव्यों में दिए गए आंकड़ों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य जिसमें जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटनाओं की तुलना की गई थी, से यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जम्मू व कश्मीर की तुलना में ऐसी घटनाएं अधिक हुई हैं।

यह लगभग सभी मानते हैं कि आईएसआई देश के पश्चिमी क्षेत्र से अपना ठिकाना बदलकर पूर्वी क्षेत्र में बना रही है और

बंगलादेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही तत्वों को आश्रय देने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। पूरी सीमा में कोई बाड़ नहीं लगाई गई है और यह घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित मार्ग बन गया है। मुम्बई जांच से भी हमें यह पता चला है कि पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता से भी सिम कार्ड एकत्रित किए जा रहे हैं। अत: अब सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य जोर-शोर से किया जाना चाहिए। दूसरे, गुप्तचर अवसंरचना का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। सभी वर्गों के लोगों ने इसका व्यापक समर्थन किया है और इसे स्वीकृति भी दी है। मैं माननीय गृह मंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि वह स्थानीय लोगों को गुप्तचर विभाग में शामिल करें ताकि निम्नतम स्तर की सूचना एकत्र की जा सके क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर बनाना है।

हाल ही में वहां का आर्थिक विकास हुआ है। जब कांग्रेस सरकार ने केन्द्र की बागडोर संभाली थी तब यह आर्थिक संकट की स्थिति में था। अब इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और यह अपनी आर्थिक निद्रा से जाग चुका है। आतंकवादियों का उद्देश्य इस विशिष्ट क्षेत्र के आर्थिक विकास को अस्थिर बनाना है। दूसरे, मैं माननीय गृह मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि गुप्तचर अवसंरचना स्थापित करने के अलावा हमें आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ वैचारिक आन्दोलन भी शुरू करना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत को एक मिश्रित संस्कृति वाला देश माना जाता है। समाज के सभी तबकों के लोगों, सन्तुलित विचारधारा वाले लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि वे इस देश को अस्थिर बनाने और इसका विनाश करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सैद्धान्तिक आन्दोलन चला सकें।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि हमारे नए गृह मंत्री के नेतृत्व में हम विद्रोह, आतंकवाद और ऐसी ही अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त नहीं तो कम अवश्य कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास 23 से अधिक सदस्यों की सूची है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह संक्षेप में बोलें।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मुझे खुशी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर अलग से चर्चा हो रही है। जब माननीय गृह मंत्री बम विस्फोटों के संबंध में बयान दे रहे थे तब हम कुछ नाराज थे पर अन्तत: आज हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय गृह मंत्री के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह उनके लिए ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि उनका कार्यकाल लोक सभा में सभी राजनीतिक दलों में आतंकवाद की निन्दा के लिए उठे एकजुट स्वर के साथ प्रारंभ हुआ है। देश में आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों से निपटने के लिए माननीय गृह मंत्री के पास यह एक उचित अवसर है।

महोदय, आज हम असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में हुए बम विस्फोटों पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम, मैं यह टिप्पणी करना चाहूंगा कि यदि मुम्बई में ओबराय और ताज होटलों में आतंकवादी हमला नहीं होता तो देश में आतंकवादी विरोधी जो लहर चल रही है वह नहीं चल रही होती। असम में आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला और बम विस्फोट कोई इक्के-दुक्के मामले नहीं हैं और एक या दो बार नहीं हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पूरे वर्ष घटती रहती हैं परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि न ही सभा का और न ही राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। ऐसी घटनाओं का उल्लेख तो हुआ है परंतु इस पैमाने पर नहीं हुआ। तथापि, कभी नहीं से देर भली, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यहां देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद और अन्य विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए गृह मंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता हूं। गुवाहाटी सहित उदयगिरि, दीमापुर, कोकराझार और त्रिपुरा में भी अनेक बार बम विस्फोट हुए हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई। मैं यहां उन घटनाओं या उनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं यहां केवल इस समस्या और समस्या के संभावित निदान के बारे में चर्चा करूंगा।

महोदय, हमें यह मानना चाहिए और कि सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि वह विफल रही है। इस आतंकी हमले से पहले खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी। इस प्रकार की बहुत सी जानकारियां थी, जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय कर सकती थी। परन्तु, दुर्भाग्यवश सरकार ने ऐसा नहीं किया। नए गृह मंत्री से हमें बहुत आशायें हैं।

यदि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में घटी घटनाओं की जड़ तक जाएं तो मैं बंग्लादेश पर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकता। हम कूटनीतिक संपर्कों, स्वयं के प्रयासों और द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु, मुझे नहीं लगता कि सरकार बंग्लादेश के द्वारा पैदा की जा रही समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कर रही है। यह कहीं अधिक जटिल समस्या है।

[श्री कीरेन रिजीजू]

मैं यहां एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डी.पी. सिन्हा जो कई दशकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात रहे थे, ने कहा है कि आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए बंगलादेश में कई कैंप स्थापित किए थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि 200 आतंकी कैंपों को पीओके से हटाकर बंग्लादेश में स्थापित कर दिया गया है। यह कोई हल्की चुनौती नहीं है। बंग्लादेश के साथ-साथ भूटान, म्यांमार की ओर से भी हमलों की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में चीन के क्षेत्र का उपयोग होने की रिपोर्ट भी मिल रही है। हमें इन सभी मामलों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। विदेश मंत्रालय से समन्वय का भी बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें सभी ओर से सामूहिक प्रयास करने होंगे। मैं, यहां एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं।

असम पुलिस ने आईएसआई के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। उसकी पहचान आलम उर्फ मुजीबुल्लाह आलम असफी आलम के रूप में हुई। वह ढाका में उतरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आजमपुर गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान आईएसआई के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता तथा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख के रूप में हुई है। ये कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हैं। मैं उदलगिरी में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान असम में बंग्लादेशी झंडा फहराए जाने की हाल की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे उस समय बड़ी निराशा हुई जब असम सरकार ने इस घटना पर सफाई देने का प्रयास किया। इस घटना की जांच कराने की बजाय उन्होंने इस संबंध में सफाई देना आरंभ कर दिया। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि वह पाकिस्तान का झंडा नहीं था। एक मंत्री का यह कहना था कि वह पाकिस्तान के झंडे जैसा था; एक अन्य सूत्र ने कहा कि वह पाकिस्तानी झंडा है और एक और सूत्र का कहना था कि वह घटना की विडियो फुटेज देखेंगे। ऐसे गंभीर मुद्दे पर सरकार में शामिल लोग दोहरी भाषा क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जमीन पर पाकिस्तानी अथवा बंग्लादेश का झंडा फहराया जाना एक गंभीर मामला है। ऐसे गंभीर मामले में कोई कार्यवाही या जांच क्यों नहीं आरंभ की गई है? मैं यह समझने में असमर्थ हूं। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। यह एक गंभीर चूक है। सरकार को लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करनी है। सरकार, राजनैतिक पार्टियों और लोगों के सहयोग के बिना ऐसे गंभीर मुद्दे का समाधान किस प्रकार कर सकती है? सबसे पहली बात है लोगों के मन में विश्वास की भावना पैदा करना। यद्यपि, आरंभ में ही कुछ कदम उठाए जा सकते थे, परन्तु, अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जब भी उसे ऐसी रिपोर्ट और जानकारी मिले तब शीघ्र कार्यवाही की जाए। यह एक गंभीर मुद्दा है।

महोदय, बोडो लोग हमारे क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं। उन्हें अल-थलग कर दिया गया है; उन्हें अपनी ही जमीन पर पराया बना दिया गया है। उन्हें किसने विस्थापित किया है। उन्हें बंग्लादेश के कथित घुसपैठियों ने विस्थापित किया है। आज उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। गृह मंत्रालय के एक पूर्व राज्य मंत्री ने राज्य सभा में यह वक्तव्य दिया था कि आज बहुत बड़ी संख्या में बंग्लादेशी लोग अवैध रूप से असम में रह रहे हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य वापस ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने किसके दबाव में अपना वक्तव्य वापस लिया? इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए। एक ओर, झूठा वक्तव्य देकर इस सम्माननीय सभा की अवमानना की जा रही है वहीं दूसरी ओर सरकार इस गंभीर मामले की गंभीरता की अवहेलना कर रही है। यह एक बहुत गंभीर मामला है।

महोदय, हमें मणिपुर में हुए विस्फोट की घटना की भी चर्चा करनी चाहिए जिसमें 26 लोगों की जानें गई थीं। इंफाल में मुख्यमंत्री के निवास के निकट हुए इस विस्फोट की घटना जिसमें 26 लोगों की जानें गईं, के बाद जब गृह मंत्री से इस घटना के संबंध में टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उनका उत्तर यह था कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था और केन्द्र सरकार इस संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है और वह राज्य का विषय है।

यह राज्य का विषय नहीं है। आतंकवाद राज्य का विषय नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद का मुकाबला करना है। यदि आप यह मानते हैं कि पूर्वोत्तर एक अलग-थलग पड़ा हुआ क्षेत्र है तो मुझे खेद हैं कि आप इसे खोने जा रहे हैं। आप भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। महोदय, मैं यह आरोप नहीं लगा सकता कि आप इस मामले में गंभीर नहीं हैं। मैं इन पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता परन्तु, इस संबंध में लापरवाही पूर्ण रवैया न अपनाया जाए। सरकार इस संबंध में कभी गंभीर नहीं रही है। मुझे आपकी मंशा पर संदेह नहीं है। आप कार्यवाही करते दिखाई देने चाहिए। आपकी कार्यवाही स्पष्ट और दृष्टिगत होनी चाहिए। केवल कार्यवाही की बता करना ही पर्याप्त नहीं है।

महोदय जहां तक असम और मणिपुर में उत्तर भारतीयों की हत्याओं का संबंध है मैं इस मुद्दे पर पूरी सभा की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हूं। प्रारंभ में, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री राम कृपाल यादव इस मुद्दे पर सरकार पर बहुत दबाव डाल सकते थे। असम और मणिपुर में आपकी गठबंधन सरकारें हैं। कुछ दिनों के लिए आपने सभा में उन मुद्दों को उठाया बाद में आप उन्हें भूल गए। चाहे मुंबई, मणिपुर या असम हो हमने लगातार इन मामलों

को उठाया है क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है। क्यों बंगलादेशियों को शरण दी जा रही है और भारतीय नागरिकों को धमकियों दी जा रही हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हमें उनका मुकाबला करना चाहिए और हमें एक संघठित राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए।

महोदय, हमें इसकी जड़ तक जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य से सरकार को कौन रोक रहा है? यदि सरकार तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर सकती है, तो असम समझौते के पश्चात् इतने वर्षों में भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने से आपको कौन रोक रहा है? इस बात को 20 साल से अधिक हो चुके हैं। यह कार्य पूरा करने से आपको कौन रोक रहा है? मैंने उस क्षेत्र में एक संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और मैंने स्वयं उन सीमावर्ती क्षेत्रों को देखा। वहां पर बाड़ लगाने का कार्य केवल नाम मात्र को हुआ है। वस्तुत: वहां पर बाड़ जैसी कोई चीज नहीं है। आपने यहां-वहां कुछ चौकियां बनाई हैं। परन्तु इससे देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। हमें एक समयबद्ध तरीके से सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा करना चाहिए। अन्यथा, आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं पुन: मांग करता हूं कि असम समझौते को पूरी तरह लागू किया जाए।

[हिन्दी]

क्यों देर हो रही है? इसमें डिटैक्शन, डिलीशन और डीपोर्टेशन की जो बात है, वह आज तक पूरी नहीं हुई है। नेशनल रजिस्ट्रेशन की बात हमने की है। अपने सिटिजन्स का रजिस्टर तो कम से कम मेनटेन करें। आज असम की इंडीजिनस पापुलेशन बहुत ही घटती जा रही है। मैं इसलिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ बात करते हुए असम अकार्ड को इंप्लीमैंट कराने के लिए कदम उठाएं।

महोदय, आपका इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। मैं अपनी बात शार्ट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

आतंकवाद का सामना किस प्रकार से किया जाए? हमें अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाना होगा। हमें अपने अर्ध सैनिक बलों को आधुनिक बनाना होगा। मैं बता सकता हूं आज पूर्वोत्तर में,

[हिन्दी]

न हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, न अच्छे इंटैलिजैन्स नेटवर्क की फैसिलिटी है। हमारे पुलिस अधिकारी घिसी-पिटी जीप और जिप्सी में घूम रहे हैं।

[अनुवाद]

आप इस खतरे का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? महोदय, आप वित्त मंत्री रहे हैं। मुझे आशा है कि आप माननीय प्रधानमंत्री को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं कि पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिए बेहतर वित्तीय आवंटन और बेहतर बजटीय प्रावधान किस प्रकार किया जाए। इसके बाद, पूर्वोत्तर परिषद के समान ही हम पूर्वोत्तर सुरक्षा परिषद का गठन करने पर भी विचार कर सकते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि पूर्वोत्तर की समस्या का समाधान वहां की विशिष्ट परिस्थितियों और मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए समन्वित रीति से किया जाना चाहिए, तो आप पूर्वोत्तर सुरक्षा परिषद का गठन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप पूर्वोत्तर की समस्या का समाधान करने के लिए समर्पित अधिकारियों, कमांडों और पुलिस बलों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं एक पोलिटीशियन हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ष नहीं है। पोलिटीशियन और अल्ट्राज के नैक्सस के बारे में क्या किया है?

[अनुवाद]

ऐसी एक रिपोर्ट है और एक शिकायत भी है जिसमें कहा गया है-यहां तक कि सेना प्रमुख ने कहा है-मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भूमिगत तत्वों को 50 करोड़ रुपये दिए हैं।

[हिन्दी]

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आर्मी चीफ ने कहा है।

[अनुवाद]

सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है? यदि नेताओं-चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों न हों-का चरमपंथियों के साथ किसी संबंध अथवा समझौते का पता चलता है, तो सरकार को न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए।

[श्री कीरेन रिजीजू]

[हिन्दी]

हमसे ही सुधार शुरू करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अच्छे राजनेता की छवि हमें स्वयं बनानी होगी। हमें इन समस्याओं के समाधान की चर्चा करने से पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। राजनेताओं और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ एक गंभीर मामला है।

यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो पूर्वोत्तर की समस्या जम्मू और कश्मीर की समस्या से भी बड़ी बन जाएगी। पूर्वोत्तर जल रहा है। मैं यह अपील करना चाहता हूं "भारत को बचाने के लिए पूर्वोत्तर को बचाइए।"

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 61 साल हो गए हैं। एक नई भाषा चारों तरफ सुनी एवं सुनाई जा रही है और वह धमाकों और आतंक की भाषा है। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई इश्यू है जो आज की तारीख में इससे कहीं ज्यादा सुना जाता होगा और सुनाया जाता होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एक तरफ यह भी पढ़ते एवं सुनते रहे हैं कि साऊथ एशिया एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है, जहां आने वाले दस वर्षों में नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी एडजोइनिंग कंट्रीज हैं, वहां लगभग 85 परसेंट पापुलेशन नौजवान लड़के-लड़कियों की है। यह रेश्यो कुछ समय बाद पूरी धरती पर लगभग उल्टी हो चुकी होगी, 55 परसेंट से भी ज्यादा लोग बूढ़े हो चुके होंगे और 45 परसेंट लोग जवान होंगे। ऐसे मौके पर हमारे नौजवानों को यह सोचना चाहिए था कि हम कुछ ऐसा करें कि अब मानवता की सेवा करने के लिए घर से बाहर निकलें और पूरी ह्यूमेनिटी की देखभाल करें और ऐसे मौके पर हम हिन्दुस्तान में धमाकें सुन रहे हैं। यह हताशा के स्वर हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इन धमाकों की नई भाषा को सुनके उसका अर्थ समझने का प्रयास करे, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान साथियों ने बहुत कुछ कहा है, मैं उनके साथ अपनी बात रखते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि दो चीजें सामने आ रही हैं- कुछ जगह धमाके हैं और कुछ जगह करप्शन है। मुझे लगता है कि यह वास्तविक कथा करप्शन वर्सिस टेरेरिज्म की है और दोनों कहीं बिछड़ कर जुड़ते भी हैं, कम्पेनसेट भी कर रहे हैं। हम सब के बीच में वे आफ लाइफ बनते जा रहे हैं। जैसा हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि मुम्बई में एक बड़ी घटना घटी तो यह एक नेशनल इश्यू हो गया। नार्थ-ईस्ट में यह परम्परा बन चुकी है। वहां डेली होता है और इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। टेरेरिस्ट एक्टीविटीज के लिए टालरेंस उतना ही खतरनाक है, जितना हिन्दुस्तान में फैला हुआ जो व्यापक भ्रष्टाचार है, उसके लिए टालरेंस बन रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इस चीज को बहुत गहराई के साथ समझना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं, जो हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को जड़ कर देना चाहती हैं, वह लोकतंत्र, जिसके लिए हिन्दुस्तान के लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए संघर्ष किया। हमने यह तय किया था कि हम हिन्दुस्तान में बराबरी लाएंगे, हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और जो कमजोर हैं, उनकी मदद करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, हम एक अच्छा मुल्क बनाएंगे, लेकिन 60 साल हो गए, इन वर्षों में जो चीजें सामने आई हैं, उनमें देखने को मिलता है कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को सोश्यल सिस्टम्स के अंदर लॉक करके रख दिया गया है। हिन्दुस्तान में तरक्की हुई, उसे नहीं पता। हिन्दुस्तान में खुशहाली आई, उसे नहीं पता। हिन्दुस्तान में थोड़ी शिक्षा बढ़ी, उसे आज भी नहीं पता। हिन्दुस्तान में रोजगार मिला, उसे आज तक नहीं पता। हिन्दुस्तान ने साढ़े नौ परसेंट आर्थिक ग्रोथ सस्टेन की, उसे नहीं पता। हिन्दुस्तान का एक ऐसा तबका है, जिसे हिन्दुस्तान की इन खूबियों के बारे में पता नहीं चला। उसे यह पता ही नहीं चला कि हिन्दुस्तान का विकास भी हुआ है। यह लॉकिंग मैकेनिज्म है। सोश्यल लॉकिंग, इकोनोमिक लॉकिंग और पालीटिकल लॉकिंग से, आज तक हम हिन्दुस्तान के उस तबके को बाहर नहीं निकाल पाए। इसी का परिणाम है कि यह नई भाषा आज हमें सुनने को मिल रही है।

महोदय, पिछले साल, माननीय शिवराज पाटिल जी यहां बयान दे रहे थे। हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों के जो 580 जिले हैं, उनमें से 230 में, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, वे बन्दूकें उठा चुके हैं और व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। कोई प्रजा राज्यम, कोई पीपल्स वार, कोई नक्सल, कोई गाओ, और कोई माले इस प्रकार के संगठन बना चुके हैं। यकीनन बहुत देर हो गई। जिस प्रकार से हमारे डिलीवरी सिस्टम ने परफार्म किया है, उससे आदमी को इंसाफ नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, न्याय नहीं मिला। उसका यह परिणाम है कि हिन्दुस्तान में जातीयता और आईडेंटिटी की एक नई राजनीति पैदा हो गई और वह मिलिटेंट पालीटिक्स में कन्वर्ट हो रही है।

महोदय, मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि हमने बहुत देर कर दी, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो 7200 जातियां हैं, वे एक-दूसरे में अपना विश्वास खो रही हैं, वह इसलिए कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, टेररिज्म पर बात कर रहे हैं और बाम्ब ब्लास्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने गौर से कभी देखा है कि हिन्दुस्तान में प्रोसीक्यूशन रेट कितना है? मैं अपने जिले की बात जानता हूं, जो बार्डर का जिला है, वहां सात या आठ परसेंट प्रोसीक्यूशन रेट है। यानी गुनाह करने वाला कभी जेल नहीं जाएगा। जेल कौन जाएंगे, जो स्पेशल एक्ट के शिकार हैं, फिर चाहे दहेज कानून के अन्दर बन्द हों या हरिजन एक्ट के अंदर बन्द किए गए हों। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर इन मामलों से जेलें भरी बड़ी हैं, लेकिन गुनाह करने वाले जेलों से बाहर हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मददगार हैं। दुर्भाग्य यह है कि एक नई अर्थव्यवस्था पैदा हो गई और वह है गुनाह की अर्थव्यवस्था।

महोदय, हमने वोहरा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, जो आज तक इस हाउस में डिसकस नहीं हुई। पता नहीं, वह कब से धूल खा रही है। उसमें साफ-साफ बताया है कि हिन्दुस्तान में जो संगठित आर्थिक अपराध हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चेन बन चुकी है, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है। वह रिपोर्ट 12-13 साल से आज तक धूल खा रही है, लेकिन आज तक उस पर डिबेट नहीं हुई। महोदय, हिन्दुस्तानी समाज को नए रूप में देखने के लिए जो नए लक्ष्य थे उन्हें पूरा करने के लिए, कुछ न कुछ करना चाहिए था, लेकिन वह आज तक हमसे नहीं हो सका। सच्चाई यह है कि आज हम पाकिस्तान से अपराधी मांग रहे हैं। क्या हमारी सरकार की ताकत है, क्या हमारी राज्य सरकारों की ताकत है कि अपने अपराधियों को जेल में बन्द कर दें। अभी मुम्बई के अंदर हमला हुआ, पूरा मुल्क हिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि लगभग सभी राज्यों में, जिस कद्र हिन्दुस्तानियों के ऊपर, अपने ही भाइयों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, जान से मारा जा रहा है। असम और महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। क्या हम अपने ही अपराधियों को जेल भेजने की हिम्मत कर पाएंगे, चाहे फिर दिल्ली में दंगा हुआ हो, गुजरात में हमला हुआ हो या महाराष्ट्र में दंगा हुआ हो? हम पाकिस्तान से अपने अपराधी मांग रहे हैं जब कि हम अपने ही देश के अंदर अपने ही अपराधियों को जेल भेजने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर सवाल है। मैं बहुत ब्रीफ में बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप मुझे थोड़ा और मौका दीजिए।

महोदय, इस पर हमें एक बार बड़ी गहराई से सोचना होगा कि हम सिम्पटोमैटिक ट्रीटमेंट कर के समस्या से बाहर नहीं आ सकते। हमें अपने लोगों को अन्दर से इम्यून करना होगा और उन रास्तों को बन्द करना होगा जिन रास्तों पर चलकर आज हम यहां तक पहुंच गए हैं। लोकतंत्र का जो हमारा उद्देश्य था और जो हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया। आज जो हमारी नीतियां हैं, उन्होंने अमीर और गरीब आदमी के बीच बहुत खाई बढ़ा दी है। हम 7 लाख 50 हजार करोड़ रुपए बजट पर खर्च कर रहे हैं। लगभग 25 लाख करोड़ रुपया हमारे हिन्दुस्तान पर विदेशियों का कर्जा है। प्रधानमंत्री जी एक बार कह रहे थे कि हमें इन्क्लूसिव ग्रोथ चाहिए, कहां से इन्क्लूसिव ग्रोथ आएगी, जब किसान जहर खाकर मर रहा है और सर्विस सेक्टर में लोगों को बड़े-बड़े मुनाफे हो रहे हैं। अमीर और गरीब के अन्दर इतनी दूरी पैदा हो गई है, जो सामाजिक गैप पैदा हो गया है, मुझे लगता है कि इसको हमें नए तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के निवासियों के बीच में जो दूरी आ रही है, यह वह समय है कि एक स्टेचुटरी प्रोवीजन किया जाए कि हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे कोई भी सरकार हो,

[अनुवाद]

सभी को विशिष्ट आर्थिक विकास दर को बनाए रखना होगा।

[हिन्दी]

कोई भी सरकार, चाहे वह प्रान्त की सरकार हो या वह यहां की सरकार हो, अगर वह उस स्पेसीफाइड ग्रोथ रेट से नीचे एचीव करती है तो उसको चेतावनी कांस्टीट्यूशन्स से मिलनी चाहिए।

आज भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति की जाती है, भाई को भाई से लड़ाकर राजनीति की जाती है, समाज को तोड़ा जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, उसको पीछे घसीटा जा रहा है, क्या उन लोगों को शासन करने का हक है? आज पूरे हिन्दुस्तान में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। मैं मुम्बई का हाल देख रहा था, हमला आतंकवादियों ने किया, लेकिन लोग नेताओं को गालियां दे रहे थे तो आखिर क्यों? कहां से कमी आई, इसके अन्दर कौन सी चूक हो गई? यह निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है, यह मैंने पहले भी कई बार कहा है।

मैं फिनिश करना चाहता हूं। सरकार आर्थिक सुधारों की ओर आगे बढ़ रही है, बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना व्यापक स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए हुए आर्थिक सुधार लागू करने के मायने क्या थे? यही एक दूरी है, इसी ने हिन्दुस्तान के अन्दर गैप पैदा किया है। आज आम आदमी को न्याय भी, इन्साफ भी मुहैया नहीं, लेकिन जो सम्पन्न लोग हैं, उनका कुछ नहीं होता, चाहे वे कितना भी बड़ा गुनाह कर लें। यह अखबारों ने हमें बताया है, यह मीडिया ने हमको बताया है और यह मैसेज पूरे हिन्दुस्तान में चला गया। इस मैसेज को

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

मिटिगेट करने के लिए हमने कहा था कि हर तरीके से एक ट्रियो चाहिए, इकोनोमिक रिफोर्म्स के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडीशियल रिफोर्म्स लांच करने बहुत जरूरी हैं।

अब मैं एक बात पर आ रहा हूं कि जो बाहर से स्पोन्सर्ड आतंकवाद हिन्दुस्तान में है, यह हिन्दुस्तान का फर्ज बनता है कि हिन्दुस्तान अकेला तरक्की नहीं कर सकता। जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, यह उनके ऊपर जवाबदेही है कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ में हम लोगों ने सार्क की बात की थी, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक पोलिटिकल इकोनोमिक ग्रुप बनाने की बात की थी, अगर कहीं हमारी वहां सफलताएं रही हैं तो निश्चित रूप से आज वे हमसे कीमत ले रही हैं और उससे भी बड़ी बात, जो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वोल्व है, वह फिलोसोफिकली अपडेटिड नहीं है। यह हमने अभी देखा कि जिस तरीके से इंसरजेंसी एक नई भाषा बनती जा रही है धमाके एक नई भाषा बनते जा रहे हैं, जो हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सुने जाने लगे हैं, यह जिम्मेदारी सरकारों पर आती है, राज्य सरकारों पर भी और भारत सरकार के ऊपर भी कि एक व्यापक स्तर पर बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाकर जो कारण हैं, उन कारणों को मिटाने का काम करें और जो मशीनरी और जो पब्लिक इसमें इन्वोल्व्ड है, उसकी जो फिलोसोफिकली अपडेटिंग है, वह इस समस्या का समाधान कर सकती है। यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को पार करके हिन्दुस्तान आगे निकलेगा और आगे निकलकर जो उसकी गरिमा और गौरव है, उसे प्राप्त करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं।

इसी संसद ने रिजोल्व किया है, संकल्प किया है कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लम्बाई हमें लड़नी है, लेकिन उस लड़ाई में टूल्स खाली सरकार के हाथ में नहीं हैं, उस लड़ाई के टूल्स जनता के हाथ में भी देने पड़ेंगे। उसको जनता को आगाह करना पड़ेगा, उसको एम्पावर करना पड़ेगा, तब जाकर यह लड़ाई लड़नी होगी। मैं आशा करता हूं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, बहुत मेम्बर बोलने वाले हैं, इसलिए भाषण ब्रीफ में करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज श्री सानछुमा बैसीमुथियारी जी ने नियम 193 के तहत असम और पूर्वोत्तर राज्यों में हुए बम विस्फोटों पर चर्चा उठाई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज का जो विषय इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषय है, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि हर सत्र में, चाहे उग्रवाद पर चर्चा होती है या नक्सली हिंसा पर चर्चा हो, पर अब सबसे ज्यादा आतंकवादी हिंसा पर चर्चा हो रही है।

यह सम्पूर्ण देश के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ा है क्योंकि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुरक्षा और अस्मिता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश को आतंकवादी हिंसा से अस्थिर करना आतंकवादियों का लक्ष्य है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समस्या और कारण की चर्चा काफी विस्तार से बराबर होती है, लेकिन हम लोग समाधान पर कोई निश्चित मत नहीं बना पाते। अच्छा प्रिसिडैंस हुआ, परसों जब मुम्बई पर चर्चा हो रही थी तो पूरे सदन में एक स्वर से संकल्प लिया है, पूरे राष्ट्र का एक संकल्प हुआ। उस संकल्प से सरकार और हम सब लोग बंधे हैं। 30 अक्टूबर को असम की राजधानी गुवाहाटी, कोकराझार, बारपेटा, बोगाईगांव में जिस ढंग से सिलसिलेवार, एक के बाद एक बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उससे पूरा राष्ट्र मर्माहत हुआ है, हम सब लोग उससे मर्माहत हुए हैं। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं से मुक्ति कब मिलेगी? हम सुन रहे थे, श्री कीरेन रिजीजू ने बहुत अच्छी बात कही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कब ठीक होगी या आतंकवाद पर कब नियंत्रण होगा? यह सवाल आज यक्ष की तरह पूरे देश में खड़ा है। इसीलिए हमें इन प्रश्नों का उत्तर जनता को देना ही होगा, यह सवाल है। जनता, अवाम, पूरे देश को, चाहे सरकार जो चाहे हम लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, सांसद हों, सर्वोच्च सदन में यह चर्चा हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेना को इस आतंकी हमले की आशंका थी क्योंकि जिस तरह की जानकारी दी गई है और यह अखबारों में मीडिया के जरिए भी आया है। खुफिया जानकारी मिली थी। इतने संभावित आतंकी हमले की जानकारी असम राज्य सरकार और असम पुलिस मशीनरी को भी दी गई थी, जैसे कहा गया है। ठीक है, हम किसी की आलोचना करके इस समस्या का हल नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, उनकी इस पर नियंत्रण करने की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि ला एंड आर्डर स्टेट का भी विषय है। आज जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें मैं समझता हूं कि राज्य के चारों शहरों में दर्जनभर को जो बम विस्फोट सिलसिलेवार हुए और निर्दोष लोगों की जानें गईं, यहां तक कि अगल-बगल के भी पूर्वोत्तर राज्यों, और राज्यों में भी बराबर परम्परागत ढंग से यह घटना घटती रही। ये घटनाएं नियंत्रण में नहीं आ पा रही हैं। इसका मतलब है कि हम देश में समन्वित प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आतंकवाद निरोधक बल का अभाव है या कमजोर खुफिया तंत्र है। जो भी हो, हम इस पर जितनी भी चर्चा कर लें, इस चर्चा से हमें कोई निजात नहीं मिलेगी। समुचित समाधान क्या हो। इसीलिए आज का विषय हमें समुचित

समाधान की ओर ले जाता है। हम इस पर जितनी भी चर्चा कर लें, आतंकी घटना की निन्दा कर लें, राजनीतिक दौर चल पड़ता है, नेता निन्दा करते हैं, दुख और संवेदना व्यक्त करते हैं, मृतकों और घायलों के नाम पर अनुग्रह राशियां बांटी जाती हैं, लेकिन इसी के साथ सरकार, बड़े-बड़े आधिकारी अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। उग्रवाद और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के बजाए हम कोई समाधान नहीं निकाल पाते, यह सवाल है।

मैं इस बात पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज असम हो चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, जहां भी इस तरह बम ब्लास्ट के आतंकी हमले या उग्रवादी हिंसा हो रही है, कीरेन जी ने ठीक कहा था, हमने पिछले सत्र में भी इस विषय को उठाया था। किस तरह बिहारी मजदूरों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिन्दी भाषा-भाषी लोगों को, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर भी अटैक हुआ, क्योंकि उग्रवादी संगठन, उलफा हो या आज हूजी का नाम आ रहा है, कई आतंकवादी संगठनों का नाम आ रहा है, जो भी नाम आ रहा हो, आखिर यह जो समस्या है, इसका समाधान क्या है। क्या हम विफलता पर चर्चा कर लें? खुफिया तंत्र की विफलता थी, राज्य सरकार की विफलता थी। पुलिस को अत्याधुनिक नहीं बनाया गया। इन सारी चर्चाओं के बाद भी हम समाधान पर नहीं पहुंचते। इसलिए आज समाधान पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय समस्या को गंभीरतापूर्वक क्यों नहीं लिया जाता? शासक तो बदलते रहते हैं लेकिन इस देश में प्रशासक परमानेंट है, परमानेंट का मतलब जब तक उनकी कार्यावधि है।

अभी मुम्बई में घटना घटित हुई। वह नैशनल इश्यू बना, तो वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हट गये। क्या इससे समस्या का समाधान हो गया? चूंकि प्रशासक नहीं बदलता, प्रशासक वही है, उसी तंत्र से हमें काम लेना है, उसी तंत्र से आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आतंकवादी राष्ट्रविरोधी है और जो उग्रवादी हैं, वे व्यवस्थाविरोधी हैं। इन दोनों में फर्क है। जो आतंकवादी हैं, वे राष्ट्रविरोधी हैं और जो उग्रवादी हैं, चरमपंथी हैं या नक्सली हिंसा है, वह व्यवस्थाविरोधी है। इसलिए इन दी लार्जेस्ट इंटरेस्ट आफ दी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के व्यापक हित में और इन दी लार्जेस्ट इंटरेस्ट आफ दी कानून व्यवस्था, पूर्वोत्तर राज्यों की कानून-व्यवस्था और वहां के लोगों की जान-माल की रक्षा का सवाल है। पूर्वोत्तर राज्यों या असम का डेवलपमेंट हो, उनके व्यापक हित का सवाल हो, इससे पूरे देश के व्यापक हित कुंठित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वहां की प्रगति रुक जाएगी। इसलिए कंट्री की सिक्युरिटी और अस्थिरता फैलाने का जो काम है, उस पर विचार करके हम समझते हैं कि शासक दल चाहे विपक्ष हो या छोटी पार्टियां हों, सब लोग मिलकर इस पर गहन गंभीरता से विचार करें। जो लोग एंटी-टेररिस्ट के विशेषज्ञ हैं, जो आतंकवाद की जानकारी रखते हैं या सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को भी बैठक में बिठाया जाए और इस पर गंभीरता से विचार करके सरकार को कोई रणनीति तैयार करनी होगी क्योंकि हर बार घटना होगी, निंदा होगी, लोगों को राहत राशि मिल जाएगी और हम लोग भूल जाएंगे।

अभी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था। उन्होंने जो कहा, उसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आज जो प्रशासक हैं, जो रूल करते हैं, वह तंत्र तो वही है। अब मंत्री बदल देने से तंत्र तो नहीं बदलता, तंत्र तो वही रह जाता है। जब तक उसमें एफीसिएंशी नहीं होगी, उनकी इच्छाशक्ति नहीं जगाई जाएंगी, उनमें जब तक संकल्प नहीं होगा, जब तक वे एक्शन प्लान नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। केवल आलोचना और विफलता की चर्चा करके हम इससे निजात नहीं पा सकते। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज हम सब लोगों को इस बात पर विचार कर लेना चाहिए, मन बनाना चाहिए क्योंकि यह सर्वोच्च सदन है। हम केवल सरकार की विफलता कहकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। केवल विफलता और आलोचना की चर्चा करके इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसका समुचित समाधान निकालने के लिए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और विचार करके रणनीति बनानी चाहिए। विशेषज्ञों की एक बैठक होनी चाहिए और सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सीमा पार के प्रशिक्षित आतंकवादी जो हमारे देश में प्रवेश करते हैं, उनको रोकने के लिए स्पष्ट उपाय करने चाहिए। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के खुफिया तंत्रों में स्पेशल कोआर्डीनेशन कायम करने हेतु कोई स्पष्ट निर्देश और गाइडलाइन्स होने चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य के पुलिस बलों और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए हाइटेक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

चौथा, राज्य सरकारों ने पुलिस में इजाफा करने की बात उठायी थी। उनका कहना है कि राज्यों में पुलिस की संख्या कम है। यदि वहां पुलिस की संख्या कम है, तो वह मुकाबला कैसे करेंगे। जब पूरा पूर्वोत्तर राज्य आतंकवाद से जूझ रहा है, चाहे वह मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी या असम प्रदेश हो, सब जगह बारी-बारी से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं।

अपराह्न 3.19 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद और उग्रवादी व्यवस्था परिवर्तन का सवाल उठाते हैं। मैं समझता हूं कि इन राज्यों के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया जाता है, वह जमीन पर

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

लागू नहीं होता। अब वह जमीन पर कैसे लागू हो? आप नार्थ ईस्टर्न रीजन, पिछड़े राज्यों को स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, लेकिन क्या वे पैसे जमीन पर जा पाते हैं? वे पैसे तो ऊपर ही रह जाते हैं। वे पैसे नीचे विकास में नहीं जाते। राष्ट्र की मुख्य धारा में पूर्वोत्तर राज्यों के लोग कैसे आयेंगे? जब तक वे राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते तब तक बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित करने में ये लोग सफल हो जाते हैं। इसलिए यह भी बेसिक सवाल है। सभापति महोदय, मैं कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी वित्तीय मदद दी जाती है, वह हकीकत में जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हिंसा का यह भी एक कारण है। यह भी ठीक बात है कि आतंकवादियों का कोई राष्ट्र नहीं होता। वे लोग हमारे देश को अस्थिर करके तोड़ना चाहते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्रीय जांच एजेंसीज जब भी कभी कोई अनुसंधान करती हैं, तो उन्हें राज्य सरकारों की इजाजत लेनी पड़ती है। केन्द्रीय जांच एजेंसीज को आजादी होनी चाहिए ऐसे मामलों में, जहां आतंकवादी गतिविधियां हैं, जहां उग्रवादी हिंसा फैला रहे हैं, वहां इन्हें राज्यों से स्वीकृति नहीं लेनी की आजादी होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने ठीक बात कही कि उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार से सेना के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी आ रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए केन्द्रीय जांच एजेंसी को यह अधिकार होना जरूरी है। इसके लिए धारा 355 में संशोधन आवश्यक हो तो करना चाहिए।

हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही पदभार सम्भाला है। इन्होंने मुम्बई घटना पर खुफिया एजेंसीज से चूक होने की बात स्वीकार की है। यह एकदम सफेद दूध की तरह बात इन्होंने कही है। इस तरह की बात करके गृह मंत्री जी ने एक नई परम्परा शुरू की है, केवल उथली-उथली बात कहकर जबर्दस्ती बयान देने से उन्होंने परहेज किया है। हम इसका स्वागत करते हैं।

यह ठीक है कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आतंकवादी गतिविधि, नक्सली हिंसा, उग्रवादी हिंसा जिस एरिया में हों, वहां केन्द्रीय जांच एजेंसीज को राज्य सरकार से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यक हो तो धारा 355 में संशोधन करना पड़े तो बुनियादी संशोधन करना चाहिए। आतंरिक सुरक्षा की चिंता को देखते हुए यदि संविधान में भी इस संबंध में कोई संशोधन की जरूरत पड़े, तो उसके लिए विधेयक लाना चाहिए, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। इसलिए इस विधेयक को तुरंत लाया जाए। जहां तक सरकार ने विशेष जांच एजेंसी स्थापित करने की बात कही है, तो मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत है। इसलिए इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं। देश में कहीं साम्प्रदायिक सद्भाव न बिगड़े, तब ही हम आतंकवादी और उग्रवादी हिंसा का मुकाबला कर सकते हैं। अगर देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा तो उसका मुकाबला करना कठिन होगा। इसलिए हम सब एक स्वर से, चट्टानी एकता से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करें, तो मैं समझता हूं कि हम उस पर काबू पा लेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, पिछले सप्ताह हमने मुम्बई में हुई भयानक घटना पर चर्चा की थी। आज, हम असम में चार स्थानों पर हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। असम में लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। असम और समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पिछले अनेक वर्षों से आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है।

हमें याद है कि समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे हम सात बहनों के नाम से जानते हैं, को पृथक करके छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की साजिश रची गई थी। हम अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा रची गई साजिश 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' को नहीं भूले हैं।

30 अक्तूबर को दिन के समय उन्होंने ऐसा समय चुना, जब अधिकांश लोग किसी जगह एकत्रित होते हैं, चाहे वह फैन्सी बाजार हो, चाहे वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने का स्थान हो अथवा गणेशगुरी हो।

महोदय, असम में पिछले दस वर्षों में 700 से अधिक घटनाएं हुई हैं, और इन घटनाओं में बहुत अधिक लोग मारे गए हैं। 30 अक्तूबर को ये सिलेसिलेवार बम धमाके चार स्थानों—गुवाहाटी, बारपेटा रोड, कोकराझार और बोगाईगांव में एक ही समय पर हुए। यह एक सुनियोजित कार्रवाई थी। यदि यह सुनियोजित कार्रवाई नहीं होती, तो इन स्थानों पर एक ही समय में एक जैसी घटनाएं कैसे हो सकती थीं?

महोदय, मैंने स्वयं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट परिसर की दीवार के सामने पान बाजार और गणेशगुरी का दौरा किया था। अगले दिन मैंने और राज्य सभा सदस्य कामरेड वृंदा करात दोनों गुवाहाटी गए और फैन्सी बाजार तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट का दौरा किया। हमने उन अस्पतालों का भी दौरा किया जहां घायलों को भर्ती किया गया था। इन चार स्थानों पर 100 से अधिक लोग मारे गए थे। फैन्सी बाजार जहां यह बम विस्फोट हुए, वहां से पुलिस थाना मात्र कुछ मीटर दूर है। उस स्थान से महिला पुलिस थाना भी बहुत नजदीक है। इनके सबसे अधिक शिकार आम लोग हुए हैं। वे छोटी दुकानों के मालिक, सब्जी

बेचने वाले, दिहाड़ी मजदूर, कोकराझार के आदिवासी, बंगाली, मुसलमान और बिहारी हैं और इनमें से अधिकांश समाज के निर्धनतम वर्ग के हैं।

महोदय, इसका विरोध हुआ था। इस विरोध के परिणामस्वरूप गणेशगुरी में कर्फ्यू लगाया गया था। जब ऐसी आतंकवादी घटना के बाद संयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी और लोगों में एकता की भावना पैदा करने की आवश्यकता थी, ऐसी स्थिति में लोगों को विभाजित करने और इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया था। हमने देखा कि भाजपा के उपाध्यक्ष, जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, वह लोगों को भड़का रही थी। उन्होंने लोगों को भड़काने और लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करने के उद्देश्य से एक शव को लेकर जुलूस निकाला।

महोदय, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। जब वहां एकजुट होकर संयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, जो कतिपय वर्गों समूहों और संगठनों जैसे भाजपा, आर एस एस और बजरंग दल ने इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं असम के लोगों को बधाई देता हूं, जो इस प्रकार की बातों से नहीं भड़के।

महोदय, मैंने विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी का वक्तव्य देखा था। उन्होंने जिस दिन गुवाहाटी का दौरा किया, उस दिन हम भी वहीं थे। उन्होंने कहा कि 'असम के लोगों को उक्त घटनाओं का जवाब अगले लोक सभा चुनावों में देना चाहिए।' यह शर्मनाक कार्य है। ऐसी स्थिति में यदि कोई राजनीतिक दल इस स्थिति को भुनाने का इसका फायदा उठाने का प्रयास करता है, तो वह कार्य अक्षम्य है। जब आडवाणी जी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का दौरा किया, तो वहां 'आडवाणी जी वापस जाओ' का नारा लगाया गया था। असम के लोग, गुवाहाटी के लोग इस प्रकार की बातों से नहीं भड़के।

वहां विरोध प्रदर्शन हुआ था। मैं जानता हूं कि यह गुप्तचर एजेंसियों की विफलता है। जब उस दिन शाम को हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो हमने इन पहलुओं पर भी चर्चा की कि क्या प्रशासन को उक्त घटना की जानकारी थी या नहीं। हमने समाचारपत्रों में देखा कि प्रशासन के पास यह जानकारी थी कि गुवाहाटी में इस प्रकार की घटनाएं होंगी। हालांकि, यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन यह घटना बहुत भयावह थी। पहले भी इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं, जहां मारे गए लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन, इस बार लगभग 100 लोग मारे गए। तीन वर्ष पहले भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई थी। जब गुवाहाटी में उल्फा द्वारा किए गए बम धमाके में बिहार के 12 गरीब रिक्शेवाले और सब्जी बेचने वाले मारे गए थे, तो उस समय मैं वहां गया था।

महोदय, यह बहुत चिंताजनक बात है कि उल्फा, जेहादियों और के एल ओ के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। माओवादियों से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

अत:, सरकार को पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस संपूर्ण क्षेत्र की प्रगति रुक गई है। मैं एक रेलवे परियोजना के बारे में जानता हूं। संतोष दा को इसके बारे में पता है। क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह परियोजना स्वीकृत हुई थी और काम शुरू हुआ था।

लेकिन अभी निर्माण कार्य रोक दिया गया है क्योंकि वहां दो साल पहले रेलवे पुलिस बल के 11 कर्मी मारे गए थे। लोग वहां जाने से डरते हैं। ऐसी स्थिति है। केन्द्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हमारे पास रिपोर्ट है। असम राज्य में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात सबसे कम है। यदि वह परियोजना त्रिपुरा में निर्धारित समय पर पूरी हो सकती है तो असम में क्यों नहीं? लुमडिंग-बदरपुर-सिल्चर गेज परिवर्तन परियोजना रुक गई है। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं इसे नहीं भूल सकता। मुझे अभी भी सुनीता नाम की महिला का चेहरा याद है। उसने अपना पति खो दिया था। जब हम गुवाहाटी मेडीकल कालेज हास्पीटल गए, हमने उसे अपने बच्चे छोटे बेटे के साथ बैठकर रोते हुए देखा। महोदय, वह 80 प्रतिशत जल गया था। उसने कहा कि "अब मैं कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी? मैंने अपना पति खो दिया है।" गणेशगुरी क्षेत्र में उसका पति उनके छोटे बच्चे को स्कूल से घर ला रहा था।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: बम विस्फोट के कारण उसके पति की जान गई। यहां तक कि उसे उसके पति का मृत शरीर भी नहीं मिल सका। वह शरीर की पहचान नहीं कर सकी। यह कोई एक घटना नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: अब इस बात की आवश्यकता है कि पिछले सप्ताह हम इस मुद्दे पर सदन में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार को इन गतिविधियों को असम राज्य और उत्तर-पूर्व के दूसरे क्षेत्रों में अलग-अलग करके देखना चाहिए।

त्रिपुरा राज्य में एक घटना हुई। त्रिपुरा लगातार खतरे में है। वहां कुछ राष्ट्र विरोधी संगठन हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: हमें यह पता लगा कि चुनावों में लाभ उठाने के लिए चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ऐसे समूहों से गठबंधन किया है जो राष्ट्र विरोधी हैं। उनकी मांग त्रिपुरा से पृथक राज्य की थी। निर्वाचित होने के लिए उन्होंने विघटनकारी शक्तियों से गठबन्धन किया है। यदि कांग्रेस जैसा दल संकीर्ण राजनीतिक अवसरवाद का मार्ग अपनाता है तो क्या आतंकवाद की समस्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विद्रोह की समस्या हल की जा सकती है? इसके लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। अब, श्री मित्रसेन यादव।

श्री बसुदेव आचार्य: केन्द्र सरकार कानून लाएगी। लेकिन हमारी मांग यह है। जब कभी हमारे देश में कोई आतंकी घटना होती है, तो भाजपा की मांग 'पोटा' को पुन: स्थापित करने की होती है। महोदय, पोटा एक क्रूर अधिनियम था। इसे संप्रग सरकार द्वारा हटा दिया गया, यह इस सदन के अधिकांश सदस्यों की मांग थी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि सरकार परिवर्तित नाम के तहत उन क्रूर और कठोर प्रावधानों, जो पोटा में थे, को नए विधेयक में लाती है तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। एक कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन पोटा जैसा क्रूर और कठोर कानून आतंकवाद की समस्या को हल करने में सहायक नहीं होगा।

सभापति महोदय: कृपया आप समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: अत: एक समन्वित प्रयास, संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों में एकता लाकर हम आतंकवाद की समस्या का सामना कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि उत्तर-पूर्व की प्रगति और विकास के हित में, उस क्षेत्र में शांति के हित में सरकार कार्रवाई करेगी। महोदय, नागालैण्ड और मिजोरम में भी समस्या है। इनमें से प्रत्येक राज्य में, समस्याएं हैं। केन्द्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोगों को एकजुट करना चाहिए।

सभापति महोदय: यह बहुत कठिन है। कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें लोगों की सहायता लेकर और लोगों में परस्पर एकता लाकर न कि लोगों को बांटकर, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है। अब श्री मित्रसेन यादव बोलेंगे। इसके अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट दें।

सभापति महोदय: नहीं, मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कभी ऐसी घटना होती है, कुछ वर्ग, कुछ राजनीतिक दल, कुछ समूह स्थिति को सांप्रदायिक बनाने और लोगों को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ...*(व्यवधान)* समन्वित प्रयास द्वारा ऐसे समूहों को अलग-थलग करने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से घटनाओं, जो वर्षों से घट रही हैं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री मित्रसेन यादव आप बोलना शुरू करें। वह नहीं रुकेंगे।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, केवल एक मिनट, कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। केवल श्री मित्रसेन यादव का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे समय देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्तुत असम की गम्भीर परिस्थिति पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में जिनको इसका परीक्षण करना है, वह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारे सदन और सरकार के बहुत वरिष्ठ माननीय मंत्री गृह विभाग देख रहे हैं। माननीय चिदम्बरम जी का पूरे देश में बड़ा आदर-सम्मान है और मैं समझता हूं कि समस्या के समाधान में उनकी अपनी योग्यता भी काफी कुछ काम करेगी। दरअसल उस प्रदेश के अंदर घटने वाली घटनाओं और उसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन निदान पर हम चर्चा नहीं करते कि आखिर इनसे निपटने का उपाय क्या है। समुद्र में सतुआ को साना जाता है, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाता है। असम में उग्रवाद और आतंकवाद की घटनाओं या देश के अंदर उग्रवाद का कारण क्या है। ये कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैं या इसके पीछे विदेशी आतंकवाद है, इसके मूल में क्या कारण हैं, इसके बारे में हम अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। यदि आर्थिक कारण है तो सरकार को देखना चाहिए। इस सरकार को सत्ता में रहते हुए लगभग 60 साल हो गए हैं। हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में पंचवर्षीय योजना लागू करके सभी क्षेत्रों में इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, स्वास्थ्य तथा सिंचाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में समानता लाने का हमारा दायित्व था लेकिन इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो जिम्मेदारी ली थी, उसे नहीं निभाया। असलियत क्या है कि हमने संविधान में डेमोक्रेसी सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बनाने का संकल्प लिया था। माननीय मंत्री जी काफी जिम्मेदार मंत्री हैं। इसलिए मैं उन्हीं से सुनना चाहता हूं कि देश के लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आजाद बनाकर जिस संविधान की प्रस्तावना में देश को ढालने के लिए संकल्प लिया था, उस पर आप कितने कदम चले? क्या आपकी डेमोक्रेसी पर आंच नहीं आई है? क्या आप सेकुलर स्टेट बनाने में समर्थ हो रहे हैं? पूरे संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना भी आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए सवाल इस बात का है कि अगर विषमता की खाई जैसे हमारे अन्य साथियों ने कहा, यानी गरीबी-अमीरी की खाई जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही इस देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ता जाएगा।

राजनैतिक कारणों को हमने देखा। पंजाब में हमने अकाली दल को फेल करने के लिए भिंडरावाले को पैदा किया तो हमने इंदिरा गांधी जैसी नेता को खोया और इसी तरह से हमने गलत तरीका अपनाया तो हमने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को खोया। आज भी इसी तरीके से न मालूम कितने लोगों को हम खो रहे हैं। हमने इस कारण को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए आज देश के अंदर, आम जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। आज देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद की पैदाइश क्यों हो रही है? नक्सलवाद के जन्म का कारण क्या है, क्या हम लोग इसे नहीं जानते हैं? इसलिए जब तक इन कारणों को जानकर इनका इलाज नहीं किया जाएगा तब तक घटनाओं पर चर्चा करने से और कानून बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कानून और बनाते जाइए अगर जनता भूखी है, जनता में अगर असंतोष है, लोगों में दोहरा मापदंड है, सभी क्षेत्रों में अगर आप विषमता कायम कर रहे हैं तो कानून से आदमी नहीं मानेगा। कोई कानून भूख को नहीं रोक सकता। आपकी परिभाषा क्या है? उस परिभाषा के हिसाब से आपने अपने देश में क्या किया? सभी प्रदेशों के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने सभी चीजों पर एकाधिकार कायम कर दिया है, निजीकरण कर दिया है, मींस आफ प्रोडक्शन लोगों के हाथों में चले जा रहे हैं। जनता को न तो रोटी मिल रही है, न काम मिल रहा है तो जनता कानून नहीं तोड़ेगी तो क्या करेगी? उसके लिए आतंकवाद या उग्रवाद जो भी करना पड़े, वह करेगी। इससे हम क्यों मुंह चुराते हैं? इससे हम अपने को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या उग्रवाद और आतंकवाद की है और अगर हमें इन समस्याओं का निदान करना है तो उसके इलाज की जड़ में हमें जाना पड़ेगा और उसका हमें बैठकर निदान ढूंढना होगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि पूरे देश की तमाम पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बैठाकर, देश में जो उग्रवाद या जो आंतरिक असंतोष है, उसका हल करने के लिए सबको कोई रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि देश इस मामले में एक हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ देश एक साथ खड़ा हो गया है। किसी भी बुराई के खिलाफ, किसी भी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए देश की जनता, देश की पार्टियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आप इसके खिलाफ जनमत बनाएं।

इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो विषमताएं आतंकवाद और उग्रवाद जो देश की सुरक्षा के लिये सब से ज्यादा घातक है, उन्हें समाप्त करने के लिये आप एक जनमत तैयार करें। आज जरूरत इस बात की है कि गरीबी, बेरोजगारी तथा तमाम तरह के अन्यायों संबंधी समस्यायें हैं, उन्हें हल करने के लिये जब तक आप राजनैतिक तौर पर कोई समाधान नहीं करेंगे, या इसके पीछे राजनीति की जाएगी—चाहे सम्प्रदायवाद हो या राजनैतिक दलों का स्वार्थ हो—जैसा कि हमारे साथियों ने भी कहा है, इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिये सरकार से मेरी मांग है कि इस गम्भीर विषय की संजीदगी को देखते हुये देश के नेताओं और बड़े अधिकारियों को आपस में बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिये कि किस तरीके से बढ़ते हुये जनता के असंतोष, विषमताओं, गरीबी-अमीरी की खाई को बढ़ने से रोकने के लिये नीति बनाई जाये जिससे वह असंतोष नक्सलवाद और उग्रवाद में न तबदील हो जाये। हमें इसके लिये एक बुनियादी तरीका अपनाना होगा। अगर नहीं अपनायेंगे तो कानून से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): धन्यवाद, महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे असम धमाकों संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

पूरे भारतवर्ष में और विश्व के कई भागों में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है जो मानवजाति के लिए खतरा बन गई है और विध्वंस का कारण बन गई है। वास्तव में यह कृत्य मानवता विरोधी है।

असम में अस्तूबर में चार जिलों में कार और मोटर बम धमाके हुए, जिसमें लगभग 80 लोग मारे गए और सौ से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इसके लिए तत्काल मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया गया और कभी-कभी इसे इस्लामिक आतंकवाद का नाम भी दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है क्योंकि आतंकवाद स्वयं अपना एक धर्म है। हम आतंकवादियों को मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई या सिक्ख आतंकवादी का नाम नहीं दे सकते। आतंकवाद अपने आप में एक नई जाति है और आतंकवादी एक नए धर्म से संबंध रखता है जो अपराधियों, अमानवीयता और शैतानों का धर्म है। अत: आतंकवांद की तुलना देश के अन्य किसी धर्म, जाति अथवा समुदाय से नहीं की जा सकती।

मालेगांव में आतंकवादी हमले हुए और कुछ सन्यासी-सन्यासिनों पर संदेह किया गया और गिरफ्तार किया गया। हमें सिर्फ इस कारण ही उन्हें हिन्दू आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। अत:, मैं हिन्दू आतंकवादी; मुस्लिम आतंकवादी; ईसाई आतंकवादी या सिक्ख आतंकवादी जैसे शब्दों के प्रयोग के सख्त खिलाफ हूं।

जहां तक असम का संबंध है, गत वर्ष वहां एक या दो घटनाएं नहीं हुई बल्कि 1,500 से अधिक घटनाएं हुईं। वहां लगातार कई बम धमाके हुए।

उनकी पराकाष्ठा के रूप में, अक्तूबर के धमाके हुए। हाल ही में 'मिल्ली गैजेट' नामक एक समाचारपत्र ने यह कहते हुये कि हमारे देश में 174 आतंकवादी समूह हैं तथा इसने दक्षिण एशियाई आतंकवादी प्रवेशद्वार को उद्धृत किया है। जम्मू कश्मीर में 32 आतंकवादी समूह, पंजाब में 12, मणिपुर में 40, असम में 36, त्रिपुरा में 30, नागपुर में 3, मेघालय में 4, मिजोरम में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 1 आतंकवादी समूह है। इन आतंकवादी समूहों की पहचान की जा चुकी है।

अपने कार्यकाल के दौरान माननीय गृह मंत्री आम आदमी के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। अब हमें विश्वास है कि हम आतंकवादियों 'बम आदमी' को इस देश से निकाल बाहर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस देश के आतंकवादी समूहों के संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी करें, जिसमें सभी आतंकवादी समूहों, उनके नेताओं, उनके विचारों और इस देश में उनके द्वारा किए गए हमलों की जानकारी दें। यदि इस देश के लोगों को यह जानकारी दी जाएगी, तो वह समझ पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है।

असम, जो एक अरबी शब्द है, का अर्थ है मृत्यु। परंतु, अब इन बम धमाकों के कारण यह लोगों के लिए मौत का घर बन गया है। इन बम धमाकों को भारत की भूमि से उखाड़ फेंकना चाहिए। भारत एक ऐसी जगह है, जहां अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का संगठन है। इस देश में रह रहा प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय इस महान देश की महिमा और गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है।

असम में, मुसलमानों को विदेशी समझा जाता है। जो लोग बंगाली भाषा बोलते है, उन्हें बांग्लादेश से आए लोग माना और समझा जाता है। मैं यहां सभा में पिछले चार वर्षों से यही सुनता आ रहा हूं कि असम में रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेश से आए लोग कहा जाता है। वह इस देश में शुरू से ही रह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वह इस देश के नागरिक हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: उन्हें इस देश का नागरिक माना जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाता। उन्हें बाहर से आए हुए या विदेशी नहीं समझा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ, तो उसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। आप चिंता मत कीजिए।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन लोगों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को अलग-थलग किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन लोगों में भेद किया जाना चाहिए। परंतु असम में रहने वाले सभी मुसलमानों को विदेशी नहीं समझा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपत्तिजनक टिप्पणी को रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मैं यह काफी समय से सुनता आ रहा हूं। वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक को विदेशी समझा जाता है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह विदेशियों, की पहचान करे ...*(व्यवधान)* अत: मेरा यह निवेदन है कि भारत की प्रभुसत्ता, महिमा और गौरव से पूरे विश्व को अवगत कराया जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, एक दिन हम मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों पर चर्चा कर रहे थे और आज हम असम में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

कुछ अन्य राज्यों में भी नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं, ऐसा लगता है कि पूरा देश आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित हैं और केन्द्र सरकार इस समस्या को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम है। अब देश की यह स्थिति है।

पूरा देश असम में 30 अक्तूबर, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों जैसी जघन्य आतंकवादी घटनाओं से स्तब्ध है। इस घटना से केन्द्र सरकार, असम सरकार और उनके गुप्तचर विभाग की विफलता का पता चलता है। आतंकवादियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे अपनी इच्छानुसार देश में किसी भी भाग में हमला कर सकते हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि भारत में कहीं भी कोई भी हमला कर सकता है। आज देश में यह स्थिति है।

असम में आतंक न केवल दुखद घटना है बल्कि एक अहितकारी विध्वंस भी है क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है जिन्हें हाल की घटनाएं न देखी जाए तो अभी तक आतिशय, शांत, शांतिप्रिय स्वभाव और उदारता के लिए जाना जाता है।

30 अक्तूबर, 2008 को असम में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 66 लोग मारे गए, जिसमें 33 गुवाहाटी में मरे जबकि 350 से अधिक घायल हुए। इस राज्य में सुबह के 11.30 बजे नौ धमाके हुए तथा सभी धमाके सुनियोजित ढंग से टाइमर उपकरण लगाकर किए गए थे। इस नरसंहार की योजना बनाने वाले मस्तिष्क ने निसंदेह सिलसिलेवार घटनाओं की योजना बनाई थी। इन्हें कम समय में, और एक बड़े क्षेत्र में अधिकतम नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया था और यह दिखाने के लिए किया गया था कि आतंकवादी अपनी इच्छा से कहीं भी हमला कर सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में देश और स्वयं असम के खिलाफ हुई हथियारबन्द बगावत वहां उत्पन्न जनजातीय और साम्प्रदायिक मतभेद से असम का निरन्तर पतन हो रहा है। यह वस्तुत: एक दिलचस्प बात है कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभिन्न व्यक्ति अभी तक इस उलझन में हैं कि यह कार्य किसने किया है। माननीय प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने विघटनकारी ताकतों की निंदा की है; राज्य के पुलिस महानिरीक्षक ने इसके लिए कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यह महसूस करते हैं कि यह उल्फा का कार्य है; और खुफिया एजेंसियों का यह कहना था कि यह कार्य उल्फा से अलग हुए एक समूह ने हुजी की सांठगांठ से किया था। इस प्रकार सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियां अलग-अलग जबान में बात कर रही हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पक्का भरोसा नहीं है कि यह कार्य किसने किया है।

वर्ष 2007 में, असम, भारत में आतंकवाद से जुड़ी हत्याओ की घटनाओं के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। इसमें कोई बहुत बड़ी चूक है और कोई नहीं जानता की इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि असम में क्या गलत हो रहा है। विशेष रूप से 2004 से असम में पूर्णत: अव्यवस्था छाई हुई है। वर्ष 2004 में वहां आतंकवाद से जुड़ी हुई लगभग 267 घटनाएं हुईं। वर्ष 2005, 2006 और 2007 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की संख्या बढ़कर क्रमश: 398, 413 और 474 हो गई और अब वर्ष 2008 चल रहा है जिसमें ये बम धमाके हुए हैं। असम में आज स्थिति बदतर हो गई है।

इसी प्रकार, वर्ष 2004 से 2007 के बीच इन घटनाओं में क्रमश: 194, 173, 164 और 287 आम नागरिक मारे गए। इन घटनाओं में वर्ष 2004 से 2007 के बीच क्रमश: 17, 7, 32 और 27 सुरक्षाकर्मी मारे गए। वर्ष 2008 में क्या हुआ है यह हम सबने देखा ही है। मेरा मानना है कि इनमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक होगी।

यदि हम पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो वहां स्थिति बदतर है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई है। असम में अधिकांश घटनाएं उल्फा के एलएनएलएफ और डीएचजी (जे) जैसे संगठनों द्वारा की गई है। मणिपुर और नागालैंड भी आतंकी संगठनों द्वारा की जा रही बड़ी संख्या में आतंकवादी कार्यवाहियों से प्रभावित हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी गत वर्ष की अपेक्षा ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से 2007 के दौरान केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही क्रमश: 1234, 1332, 1366 और

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

1489 आतंकी घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2004 में 414 आम नागरिक मारे गए और वर्ष 2007 में यह संख्या बढ़कर 498 हो गई। इस प्रकार पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। मैं माननीय सांसद श्री कीरेन रिजीजू की इस बात से सहमत हूं कि सरकार इस संबंध में पूर्णत: विफल रही है। असम समझौते को लागू हुई 20 वर्ष हो गए हैं परन्तु, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। पूर्वोत्तर बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र का ध्यान रखें। सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाड़ लगाने का निर्णय लिया था। परन्तु, मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार के पास धनराशि नहीं है क्यों सरकार पिछले 20 वर्षों में बाड़ लगाने का कार्य पूरा नहीं कर सकी। यह इच्छाशक्ति का प्रश्न है। ऐसा लगता है कि सरकार बहुत गंभीर नहीं है। पूरे पूर्वोत्तर में हमेशा तनाव की आशंका बनी रहती है। हमने देखा है कि मुंबई में क्या हुआ है। इस घटना से तटीय राज्यों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता पैदा हुई है। भारत सरकार आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के प्रति बहुत गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक राजनैतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए जो कि सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर नहीं है। असम सरकार ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। मैं इन सभी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित संसद सदस्य पहले ही इस पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी यह चाहती है कि बाहर के लोग राज्य में आएं। उनकी संख्या बढ़ रही है।

कुछ सदस्य यह जानना चाहते थे कि सरकार पहचान-पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है। पहचान-पत्र जारी करने में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के सामने क्या समस्या आ रही है? वे जानबूझकर यह कार्य नहीं कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा न करने के पीछे उनका कोई निहित स्वार्थ है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इन सभी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अन्ततः इससे देश का अहित होगा।

एक बहुत गंभीर बात यह है कि इस इस संबंध में खुफिया जानकारी पहले से थी। सीमा सुरक्षा बल ने हमले की संभावना के बारे में एक या दो माह पहले ही जानकारी दे दी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल के पास इस प्रकार की कोई खुफिया जानकारी मौजूद थी या नहीं। केन्द्र सरकार के सामने क्या बाधा आ रही है? केन्द्र ने यह जानकारी राज्य सरकार को क्यों नहीं दी? यदि यह जानकारी राज्य सरकार को दी गई थी, तो उन्हें एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए?

आज देश के सभी लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं और केन्द्र सरकार तथा असम सरकार के उदासीन रवैए के कारण वे असहाय और दुखद स्थिति में हैं। अत: हमें आशा है कि इस स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी अन्यथा, देश इससे पीड़ित होता रहेगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, मुम्बई पर जो आतंकी हमला हुआ, उसे देश पर हमला कह कर हमने इस सदन में उसकी कड़ी निन्दा की। सारा सदन इस बात पर एक रहा और उसी दिन जब हम मुम्बई पर हुए आतंकी हमले की चर्चा के लिए यहां एकत्रित हुए, जो आसाम से हमारे सदस्य हैं, जो नार्थ-ईस्ट से सदस्य हैं, वे आसाम में हुए सीरियल ब्लास्ट्स को लेकर काफी उत्तेजित थे और उन्होंने अपनी उस उत्तेजना को सदन में भी प्रकट किया।

सभापति जी, उस चर्चा में कई वक्ताओं ने यह कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। हम भी उन सारी बातों से सहमत हैं। आतंकवादी आतंकवादी हैं और आतंक आतंक है। यदि आतंक हमारे देश के लिए खतरा है, यदि आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश पर बार-बार हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए यदि सबसे ज्यादा किसी बात की आवश्यकता है, तो वह पालिटिकल विल यानी राजनीतिक मनोबल की आवश्यकता है। क्या सचमुच में हम इस आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, आज यह सवाल पूरे देश की जनता पूछना चाहती है?

महोदय, हमने मुम्बई के आतंक के ऊपर यहां बहस की। उस हमले की हमारे गृह मंत्री जी ने कड़े शब्दों में निन्दा की। साफतौर पर उन्होंने यह भी कहा कि इसकी सारी जड़ें पाकिस्तान में हैं। हमने पहली बार, अपने विदेश मंत्री जी को इतनी तेज और कठोर भाषा में बोलते हुए सुना और उन्होंने भी उस हमले की भर्त्सना की, निन्दा की और उन्होंने भी यही कहा कि इसकी सारी जड़ें पाकिस्तान में हैं। महोदय, आसाम में जो सीरियल बम ब्लास्ट्स हुए, उनकी जांच करने के लिए कि आतंकवादी कहां से आए, इसके लिए किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे आतंकवादी बांग्लादेशी हैं। आज नार्थ-ईस्ट में, विशेषकर आसाम में, पिछले कई दिनों से जो लगातार, आतंकवादी हमले कर रहे हैं, वे सारे आतंकवादी बांग्लादेशी हैं और इसे साबित करने के लिए हमें किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है और इस बात को सारा हिन्दुस्तान मानता है कि आसाम में जो भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं, वे सारे बांग्लादेशी हैं और जब वे सारे बांग्लादेशी हैं और वे हमारे देश

में आकर आतंक फैला रहे हैं, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट्स कर रहे हैं, जो हमारे लोग निरपराध हैं, जो निर्दोष हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, गोली से भूना जाता है, बम से उड़ाया जाता है और उसके बाद भी हम उन पर कोई कार्रवाई न करें, तो यह बात कैसे देश सहन कर सकता है?

महोदय, राज्य सरकार तो इन आतंकी हमलों को रोकने में असफल है। केवल असम ही नहीं, बल्कि जहां-जहां ये आतंकी हमले हुए हैं, वहां की सारी राज्य सरकारें इन्हें रोकने में असफल रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे लड़ना, हमारे वश की बात नहीं है और जब यह राज्यों के वश की बात नहीं है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। हम कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, इस सदन में कई बार हमने कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये इस देश में हैं और जब हम यह कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिये इस देश में आये हैं तो सीधे हमें यह कहा जाता है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठिये कहकर मुसलमानों के साथ उनको जोड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उस पड़ोसी देश से यदि कोई गैरकानूनी रूप से हमारे देश में रहता हो तो वह घुसपैठिया है, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सारे देश को इसके लिए एक होना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमें यह सीख दी जाती है कि आप बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों को टार्गेट करते हैं। यह हमारी समझ के बाहर की बात है। यह कोई हिन्दू या मुसलमान का विवाद नहीं है, बल्कि यह एक समस्या है। आज दिल्ली में कितने ही हैं, मुम्बई में कितने ही बांग्लादेशी हैं।

मैं असम में एक टूर पर गया था, मेरे ख्याल से यह लगभग 10 साल पहले की बात है, जब रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की एक ही कमेटी थी। आज के मंत्री श्री संतोष मोहन देव जी उसके चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में सांसदों का एक दौरा हुआ था। हम तब असम में सिल्चर गये थे। जब हम सिल्चर गये तो सिल्चर के पास एक करीमगंज शहर है और करीमगंज के बीच में एक छोटी सी नदी है, उस नदी के उस तरफ भी करीमगंज है और इस तरफ भी करीमगंज है। जो नदी के इस तरफ करीमगंज है, वह भारत का अंग है और नदी के उस तरफ जो करीमगंज है, वह बांग्लादेश का अंग है। दोनों शहरों का नाम करीमगंज है। उस करीमगंज के लोगों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। ...*(व्यवधान)* हम वहां के शहर का नाम बता रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप उसे सुधारिये। उस करीमगंज में जब हम गये तो वहां पर एक रीवर है, जो हमारा बोर्डर है, वह एक नदी है। वहां फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है और वहां के लोगों के बीच में रोटी-बेटी का रिश्ता है। जो नदी के उस तरफ बांग्लादेश से हैं, वे व्यापार करने के लिए हमारे करीमगंज में आते हैं और कहते हैं कि शाम को वापस जाते हैं, उनके आपस में शादी-ब्याह होते हैं। यह किस प्रकार की हमारी सीमा है, कैसा हमारा बोर्डर है? एक खाली गेट बनाकर रखा है। बांग्लादेश के करीमगंज से लोग आते हैं और करीमगंज हमारे असम का हिस्सा है। एक बार असम में आते हैं तो वहां से सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। इस प्रकार से यदि हमारी सीमाएं हमने खोल रखी हैं और इस प्रकार से यदि विदेशी नागरिक हमारे देश में घुसते हैं और उसके खिलाफ अगर हम कहते हैं कि इन्हें देश से बाहर करना चाहिए, तब हमें यह सीख दी जाती है कि आप बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों की आलोचना करते हैं।

सवाल बंग्ला भाषा का नहीं है, सवाल किसी अन्य भाषा का नहीं है, लेकिन यह सत्य है और रोजाना लोग आ रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अब यह मामला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए यह खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। आज एक के बाद एक असम में विस्फोट होते हैं। आज हमारी कोई भी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी नोर्थ ईस्ट के दूर पर नहीं जा सकती और यदि जाना है तो पूरी सेना को साथ में लेना पड़ता है। हिन्दुस्तान में, हमारे देश में यदि हमें किसी नोर्थ ईस्ट के स्टेट में जाना है तो हमें सेना को साथ में ले जाना पड़ता है। यह कहा जाता है कि उनके समर्थन के बगैर ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं अकेला यह नहीं कह रहा हूं, हमारे सारे सदस्य किसी न किसी समति के सदस्य हैं। हम वहां सुरक्षा के बगैर कहीं नहीं जा सकते। यह हालत है और ऐसी स्थिति में हमें अब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ यदि हमें लड़ना है, आतंकवाद को खत्म करना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि राजनैतिक मनोबल को, पोलिटिकल विल को यह कहने की आवश्यकता है कि इसके आगे किसी बांग्लादेशी घुसपैठिये को इस देश में कदम नहीं रखने देंगे। इस देश में जो भी हैं, उन्हें देश से बाहर करेंगे, यह साहस सरकार को करना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं तो हम आतंकवाद से किस प्रकार लड़ेंगे। लोग जानें गंवाते हैं, नागरिक मरते हैं, हम खाली यहां पर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एक दिन के लिए सदन को स्थगित करते हैं। आज सारी दुनिया में हमारे देश का एक मजाक हो चुका है। गिने-चुने आतंकी आते हैं और पूरे देश को ललकारते हैं।

सभापति जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी जांच करके, जितने भी विदेशी हैं, उन सबको हमारे देश से बाहर करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, इस सभा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मुंबई में हुए धमाकों के संदर्भ में हमारे

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

देश में आतंकवाद के बारे में किसी अन्य दिन हमने चर्चा की। आतंकवाद की ये घटनाएं चाहे वह मुंबई में हों अथवा असम में एक समान हैं। हमारे देश को अस्थिर बनाने; राष्ट्र को विघटित करने; हमारी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने; और हमारी संप्रभुता पर हमला करने के लिए यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र का हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

तेईस वर्ष पहले असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कई और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। परन्तु, आज जबकि हम इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने गत 23 वर्षों के दौरान असम समझौते को लागू करने के लिए कोई राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। आज यहां उपस्थित विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी में से किसी ने भी, जब उन्हें अपनी राजनैतिक इच्छाशक्ति दर्शाने और असम समझौते को लागू करने का अवसर मिला तब अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं दर्शाई। मैं खेद के साथ यह कहता हूं कि वे इसमें बुरी तरह विफल रहे। यह एक सच्चाई है।

असम समझौता क्या था? संक्षेप में इस समझौते के अंतर्गत उन सभी विदेशियों, जिन्होंने 1971 के पश्चात् हमारे देश में घुसपैठ की थी, की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाना था और यही वह कार्य था जो नहीं किया गया। इसलिए, आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आज, जबकि ऐसे षडयंत्रों जो कि भारत के विरुद्ध किए जाते हैं, के लिए अनुकूल अवसर मिल रहे हैं तो मुंबई और असम में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह कहीं और भी हो सकता है।

ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। यह क्षेत्र इतनी अधिक सुंदर जनजातियों के साथ हमारे राष्ट्र की विविधता को दर्शाता है। परन्तु, ये जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। यह देश का एक सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र के लिए कोई पैकेज नहीं हैं। बहुत से पैकेज हैं। हम ऐसा सुनते हैं कि पैकेज लागू किए जाते हैं। परन्तु, वास्तविकता यह है कि उनसे लोगों को लाभ नहीं मिलता। संभवत: सभा में कोई इस बात का उल्लेख कर रहा था और यह झूठ भी नहीं है कि पूर्वोत्तर को दी जाने वाली धनराशि का एक बड़ा भाग, आतंकवादियों तक पहुंच जाता है। क्या यह बहुत शर्मनाक बात नहीं है कि देश में ऐसा हो रहा है जहां केन्द्र और राज्य सरकार धन खर्च करते हैं तथा आतंकवादी उनमें से अपना हिस्सा ले रहे हैं और स्वयं को सशक्त बना रहे हैं? इस तरह, हम इस देश में प्रशासन नहीं चला सकते। हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि चीजें ठीक दिशा में चलें। अब, समय आ गया है कि हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया और कई माह पहले असम में हुई घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की। असम के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। क्या केवल चिंता व्यक्त करना पर्याप्त है? अब, मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे।

इन विस्फोटों के बाद असम में सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। काफी समय पहले से यह मांग की गई थी। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब, मैं नए गृह मंत्री से तत्काल कदम उठाने का निवेदन करता हूं क्योंकि उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है कि महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे तथा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपाय भी किए जाएंगे।

महोदय, असम के लोग इस संबंध में हुई प्रगति और वहां हुई आतंकी घटनाओं की सीबीआई जांच कराना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या कठिनाई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बात के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाएंगे कि सर्वदलीय बैठक की मांगें स्वीकार की जाएंगी और तत्काल कार्यवाही की जाएगी। यह महत्वपूर्ण बात है और लोग समझेंगे कि केन्द्र कार्यवाही कर रहा है।

दूसरा, हमें सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। यदि इसके लिए समयबद्ध ढंग से काफी अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता हो तो यह किया जाना चाहिए और केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां शांति बनी रहेगी।

महोदय, उस क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी है। इसका क्या समाधान है? उनके पास कोई उद्योग नहीं है। आपको इसका पता होगा और आप वहां गए होंगे। वह हमारे देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है जहां प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन और जल संसाधन हैं लेकिन वह सबसे निर्धन क्षेत्र है जहां इन सभी खनिज और भौतिक संपदा और जल संसाधनों का बहुत कम दोहन किया जाता है। अत: वहां के लिए तत्काल कोई योजना बनानी चाहिए और उसे दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि हम यह देख सकें कि यह क्षेत्र भी देश के अन्य क्षेत्रों के साथ विकसित हो। अन्यथा सेंसेक्स में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय काम नहीं आएगी। उनके जीवन में बदलाव होना चाहिए। अत: इस दिशा में, मैं सरकार से कुछ कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूं।

अब, यहां प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि बांग्लादेश में षडयंत्र रचा जा रहा है। यह गोपनीय नहीं है। यदि बांग्लादेश में षडयंत्र रचा जा रहा है तो हमें इस मुद्दे पर बांग्लादेश से बात करनी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। इसे हल करना इतना आसान नहीं है। यदि इसका समाधान नहीं होता है तो हमें ऐसे उपाय करने होंगे कि हमारी सीमाएं भली-भांति सुरक्षित रहें। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में भारत की सीमा कई देशों से लगी है। लेकिन हम केवल यह नहीं कह सकते कि यह अभिशाप है, यह भौगोलिक तथ्य है। अत: यदि देश के इस क्षेत्र में, हम उस तरफ सीमा पर बाड़ लगाने का प्रयास करें तो यह सहायक होगा। गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि यह कछारी भूमि है। इस कछारी भूमि में, हमें बाड़ लगाना या अन्य कुछ करना है यह जो भी हो, मैं नहीं जानता ...*(व्यवधान)* मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हमें कार्यवाही करनी है ताकि हमारी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो। यह कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आम राय बनाई जानी चाहिए। आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। आतंकवाद से केवल तभी लड़ा जा सकता है जब हम लोगों को एक करने में सफल हों। संयुक्त रूप से, यदि वे निर्णय करें कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं तभी आतंकवाद पराजित होगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए ताकि देश की सीमा सुरक्षित हो। राजनयिक कौशल दिखाना चाहिए ताकि पड़ोसी देश हमारे पक्ष में हों। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आम राय बनानी चाहिए ताकि भारत का मामला उदाहरण बन जाए जहां हम कुछ कह सके कि देश के हित पर हमला किया जा रहा है; जनता और देश के शत्रुओं द्वारा इन हितों को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अत:, इस संदर्भ में, मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपेक्षा करता हूं। तत्काल कदम यह है कि शीघ्र ही सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं जो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की मांग थी। फिर, सरकार को तुरंत आवश्यक उपाय करते हुए सीमा को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को ऐसे मामलों को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि हमें उनसे हमारे पक्ष में समर्थन प्राप्त हो। बांग्लादेश को बता दिया जाना चाहिए यदि वह भारत के विरुद्ध षडयंत्रों का अड्डा बनने जा रहा है तो हम इसे सहन नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मैं सदन से मुझे सहयोग देने का निवेदन करता हूं। अभी लगभग 14 वक्ताओं को बोलना है। आवंटित समय बहुत कम है। कृपया मेरी सहायता करें। अपने भाषण को पांच मिनट तक सीमित रखें। सदस्य दस मिनट ले रहे हैं। कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि लगभग सभी मुद्दे ले लिए गए हैं जिस किसी प्रश्न का पहले उल्लेख नहीं किया गया उसका उल्लेख किया जा सकता है। अत:, इस दृष्टिकोण से, मेरा निवेदन है आप अपना भाषण पांच मिनट या इससे कम समय तक ही सीमित रखें।

अब, डा. अरुण कुमार शर्मा बोलेंगे।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। जब हमने मुंबई में हुए आतंकी हमले की चर्चा की थी, हम आंदोलित थे कि असम बम विस्फोटों को मुंबई के मुद्दे के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई में हुआ आतंकी हमला भारत पर हमला है लेकिन असम में हुआ आतंकी हमला एक अलग मामला है और यह राज्य या उत्तर-पूर्व क्षेत्र की कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए किया गया था। मैं इस गरिमामय सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से भी अपील करता हूं कि हमारी चर्चा के माध्यम से बांग्लादेश को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। एक अन्य संकल्प के माध्यम से बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश देना चाहिए ताकि यह उपयुक्त तरीके से किया जाए।

महोदय, हमने बांग्लादेश निर्माण का स्वागत किया था। लेकिन, बाद में यह बारंबार भारत के सामने समस्याएं खड़ी कर रहा है। अनेक उग्रवादी संगठनों को शरण दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वर्तमान में भी वे आईएसआई की गतिविधियों को शरण दे रहे हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों को, बांग्लादेश गलियारे के समीप के क्षेत्र के भारत के विरुद्ध प्रयोग करने, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के लिए, शरण दे रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर सशक्त संदेश देने और बांग्लादेश से बात करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की अपील करता हूं क्योंकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पहले से ही 50 लाख से अधिक बांग्लादेश में रह रहे हैं।

हमने उन्हें मतदान का अधिकार देकर एक और ऐतिहासिक भूल की है। ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश निर्माण के लिए यह अनिवार्य था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को मतदान का अधिकार देने और असम के स्वदेशी लोगों पर वरीयता देकर उन नागरिकों को इनके समान अधिकार देने की क्या आवश्यकता थी। उस ऐतिहासिक भूल के लिए अब हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। असम और देश के विभिन्न भागों में घट रही घटनाओं का संबंध बांग्लादेशी प्रवासियों से है। अत:, यह एक गंभीर मुद्दा है।

[श्री अरुण कुमार शर्मा]

महोदय, पूर्वोत्तर की समस्या को देश के अन्य भाग में हो रही आतंकवादी गतिविधियों से नहीं जोड़ा जा सकता। पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष होता है, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उग्रवादी घटनाएं हो रही है और सीमाएं सटी हुई है- पूर्वोत्तर क्षेत्र की 98 प्रतिशत सीमा चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांनमार जैसे देशों से सटी हुई हैं और सीमाएं सटी हुई होने के कारण सभी गतिविधियां पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाई जा रही हैं। आईएसआई गतिविधियों में लिप्त जिन लोगों की गिरफ्तारी 7 वर्ष पहले हुई थी, उन्हें अब छोड़ा जा रहा है, क्योंकि असम सरकार उनके विरुद्ध उपयुक्त आरोप नहीं लगा पाई और इसलिए न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया है। आईएसआई के कार्यकर्ताओं में से एक अस्पताल से भाग गया है। यह शर्मनाक है कि बांग्लादेश की ओर से हमारे देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के खतरे को हम नजरअंदाज कर रहे हैं।

यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार हिंसा को रोकने तथा पूरे क्षेत्र के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने और कई बटालियनों तथा कार्यबलों के गठन जो कि वास्तव में परिस्थिति से निपट सकते हैं, के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाएगी। वर्तमान में, केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को असम सरकार पर डाल रही है और असम सरकार अभी तक इस मुद्दे पर निर्णायक कार्यवाही करने में असफल रही है। कई अवसरों पर, आसूचना एजेंसियों ने असम सरकार को सतर्क किया है लेकिन सरकार कार्यवाही करने में असफल रही। अभी तक असम में 600 बम धमाके हो चुके हैं लेकिन आज तक एक भी दोषी नहीं पकड़ा गया है। ऐसा कैसे हो रहा है कि इस प्रकार के दोषी देश के अन्य भागों में पकड़े गए हैं? यहां कुछ संदेह है, हमें इस पर भी ध्यान देना है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाते हैं और अब होटलों और किराए के मकानों में शरण लेते हैं क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय पहचान-पत्र नहीं है और इसके कारण कोई भी व्यक्ति आकर भारतीय होने का दावा कर सकता है सुरक्षा बलों के लिए उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब अवैध प्रवास के मुद्दे पर असम में आंदोलन हो रहा था तब नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण को अद्यतन बनाये जाने और इसके आधार पर सभी नागरिकों को पहचान-पत्र दिए जाने की मांग हो रही थी। संभवत: तभी हम आतंकवादियों का पता चला सकते हैं।

यह दूसरा गंभीर मुद्दा है। एक सम्मानित सदस्य ने यहां बताया कि हम भारतीय मुसलमानों तथा बांग्लादेशी मुसलमानों से अलग-अलग व्यवहार करते हैं और इस कारण से बांग्लादेशी मुसलमानों ने सभी शक्तियां ले ली हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है और उन्होंने हमारी राजनीतिक पहचान को प्रभावित किया है। असम के लिए मुख्य खतरा यही है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, हमें एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना है। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया और जब भारतीय सेना ने असम छोड़ दिया तो वहां भारतीय मुद्राओं को जलाया गया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था- "असम के लोगों के पास मुझे सहानुभूति है।" उस समय के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतों ने पूर्वोत्तर में कार्य करना शुरू किया। हमने क्षेत्र की उपेक्षा की है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और क्षेत्र में धन-उगाही उग्रवादियों के लिए आय का मुख्य स्रोत हो गया है। अत: यदि हम वास्तव में स्थिति से ठीक से निपटना चाहते हैं तो हमें इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग मानना चाहिए और पूर्वोत्तर को देश के अन्य भागों के समान मानना चाहिए।

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें। आपकी पार्टी के एक और वक्ता हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, आप बड़े उदार व्यक्ति हैं। मैं पूर्वोत्तर का हूं इसलिए मुझे समस्या के मूल कारणों पर कुछ मिनट और बोलने दिया जाए।

महोदय, मैंने चीन के आक्रमण का संदर्भ क्यों दिया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय के बाद से आसूचना एजेंसियों नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग सभी ने मुद्दे को अलग करके देखना शुरू किया है और पूर्वोत्तर के सम्यक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह क्षेत्र आतंकवादियों तथा पड़ोसी देशों के अवैध हथियारों एवं लाखों बांगलादेशी नागरिकों का गढ़ बन गया है, जिससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। असम सरकार किसी भी घटना के दोषियों का पता लगाने में असमर्थ रही है। 30 अक्तूबर को बम विस्फोट से पूर्व एक घटना हुई थी। सुरक्षा बलों ने हुजी के दस आतंकवादियों को मार गिराया है। असम सरकार को संदेश दिया गया परंतु कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था लेकिन असम सरकार ने ईद त्योहार पर फहराया गया झंडा बताकर इसकी लीपा-पोती की। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है और पूर्वोत्तर के संपूर्ण मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर ध्यान दिया जाए। भारत सरकार पूर्वोत्तर के मुद्दे पर विशेष ध्यान दे। भविष्य में पूर्वोत्तर की उपेक्षा न हो।

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बोलना बंद नहीं करेंगे। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यहां भेदभाव है। पूर्वोत्तर की सीमाएं सील क्यों नहीं की जा रही हैं? हम बांग्लादेश को मित्र देश क्यों मान रहे हैं और ऐसी घटनाएं होने दे रहे हैं? इसके पीछे क्या आशय है? यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन किया जाएगा और भारत सरकार की कार्यसूची में पूर्वोत्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'विदेशियों' के मुद्दे का समुचित समाधान किया जाएगा।

महोदय, मुझे श्री चिदंबरम जी पर पूरा विश्वास है। उनका लंबा अनुभव है और मुझे उन पर विश्वास है कि वह पूर्वोत्तर में हिंसा को रोकने और वे पूर्वोत्तर की असमानता को मिटाने तथा पूर्वोत्तर को देश के विकसित भागों के बराबर लाने के लिये उपयुक्त रणनीति अपनाएंगे।

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई): धन्यवाद, महोदय। इस समय असम एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है।

आप सब यह जानते हैं कि असम एक शान्त राज्य है जहां के लोग मिलनसार, शांतिप्रिय, वैष्णव सम्प्रदाय के पश्चिमी दर्शनशास्त्र और जीवनशैली में विश्वास करने वाले और साथ ही साहसी भी हैं।

कभी-कभी, मुझे लगता है कि यदि मुम्बई में ये घटनाएं नहीं घटी होती तो शायद यहां इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही होती। मुम्बई की घटनाओं के तत्पश्चात् जब माननीय गृह मंत्री ने इस विषय पर संसद में चर्चा की उसी के परिणामस्वरूप आज पूर्वोत्तर मामले विशेषकर असम के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सभा में इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

महोदय, मुझे आशंका है कि यदि असम में यह सब चलता रहा तो वह भारत का हिस्सा न रहकर बांगलादेश का हिस्सा बन जाएगा। 30 अक्तूबर को वहां सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इससे पहले भी असम में कई बम धमाके हुए हैं। इसके बाद वह काला शुक्रवार आया जब उदलगुड़ी और थारंग हत्याकाण्ड हुआ; वहां साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया और जनजातीय लोगों को राहत शिवरों में आकर रहना पड़ा, सैकड़ों लोग मारे गए, अनगिनत लोग घायल हुए और आज भी एक लाख से अधिक लोग शिविरों में रह रहे हैं।

असम में यह सब चल रहा है और भारत सरकार इसकी मूक दर्शक बनी हुई है तथा हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मेरे कई सहकर्मियों ने बताया कि वहां सीमा पर कोई बाड़ नहीं है। मैं वहां सीमा पर गया हूं और मैंने स्वयं यह देखा है। वहां कोई भी किसी भी समय आ सकता है। इसीलिए घुसपैठियों (अवैध अप्रवासियों) के साथ-साथ आतंकवादी भी चोरी-छिपे यहां चले आते हैं। जैसा कि अभी बताया गया था कि डुबरी में सात हुजी आतंकवादियों को मार गिराया गया परंतु इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग बयान दिए गए। सेना ने इन लोगों को मार गिराया। उदलगुड़ी और दारंग की घटनाओं और फिर सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद अब मुझे यह आशंका है कि भारत सरकार ऐसी घटनाओं को रोकना चाहती भी है या नहीं अथवा वह यह चाहती है कि असम में फिर से ऐसा हो।

मुझे लगता है कि इस विस्फोटक स्थिति का मुख्य कारण असम की बाड़रहित सीमा और वहां बड़े पैमाने पर आने वाले अवैध घुसपैठिए हैं। वे धीरे-धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल रहे हैं। असम के लगभग छह जिलों के स्वदेशी लोग पहले ही अल्पसंख्या में आ गए हैं। जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं परंतु हम भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं। असम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परंतु यदि यहां बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी आते रहेंगे तो जनसांख्यिकी का मूल ढांचा असन्तुलित हो जाएगा। अब असम के छह जिलों के असमी लोग अल्पसंख्या में आ गए हैं और अब अन्य छह जिलों में भी यही स्थिति होने वाली है। लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। सबसे अधिक चिंता की बात यही है कि उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है।

असम के उदालगुड़ी और दारांग जिलों में हाल ही में 3 सितम्बर, 2008 से शुरू हुई हिंसा में 100 लोग मारे गए, अनगिनत लोग घायल हुए और जनजातीय समुदायों के 1,20,000 लोगों को राहत शिवरों में शरण लेनी पड़ी। जनजातीय दंगों, जिन्हें काला शुक्रवार हत्याकाण्ड भी कहा जाता है, की शुरूआत का संदेहास्पद बांगलादेशी घुसपैठियों द्वारा बोडो और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों पर किए गए हमलों से हुई। यहां तक कि अवैध अप्रवासियों और जेहादियों ने उदालगुड़ी जिले में कुछ गांवों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नारायण चन्द्र वरकटकी]

में पाकिस्तानी झंडे भी लहराए। परंतु असम के मुख्यमंत्री और सरकार के प्रवक्ता ने झंडा फहराने की इस घटना से इनकार किया। सरकारी प्रवक्ता ने यह दावा किया कि ईद के झंडे को पाकिस्तानी झंडा समझा गया जबकि एफडीएफ के अध्यक्ष हाफीज राशिद चौधरी ने कहा कि ईद के मौके पर झंडे फहराने की कोई परम्परा नहीं है। केन्द्र सरकार को इस प्रकरण पर ध्यान देना चाहिए तथा स्वतंत्र जांच का और अपराधियों से निपटने का आदेश देना चाहिए।

उपर्युक्त साम्प्रदायिक दंगों पर मुख्य मंत्री, सरकार के प्रवक्ता और डीजीपी ने अलग-अलग वक्तव्य दिए। डीपीपी, श्री आर.एन. माथुर ने कहा कि दंगों में एनडीएफबी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं इससे सभा का समय भी बचेगा।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: महोदय, मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। अपने बात के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के साथ लगी पूरी सीमा को शीघ्रातिशीघ्र सील किया जाना चाहिए। समय-समय पर की जा रही त्रिपक्षीय बातचीत से कोई मदद नहीं मिलेगी अत: असम समझौते का पूर्णत: कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। घुसपैठ की समस्या को प्रशासनिक स्तर पर और राजनैतिक बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। विद्रोही संगठनों से वार्ता शुरू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: आईएसआई की गतिविधियों को रोकने के लिए गुप्तचर एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे भारतीय नागरिक होने पर गर्व महसूस कर सकें। सीमावर्ती क्षेत्रों नामत: असम के धुबरी और करीमगंज, मेघालय की गारो पहाड़ियों और शेला में रह रहे लोग बांगलादेशी रेडियो और टीवी चैनलों के प्रसारण से प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह के सीमापार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही, वर्तमान कमजोर ट्रान्समीटरों को हटाकर नए ट्रान्समीटर लगाकर हमारे इलैक्ट्रानिक मीडिया को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु सभी विभागों में अलग से चिन्हित दस प्रतिशत निधियों को केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास हेतु खर्च किया जाना चाहिए। यदि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसका सपना देखा था उस परियोजना का अक्षरश: कार्यान्वयन किया जाता है तो वहां तेजी से विकास होगा और आतंकवाद को भी रोका जा सकेगा क्योंकि विकासात्मक गतिविधियों की कमी के कारण वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है और युवक वर्ग आसानी से आतंकवादी संगठनों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जैसे लोग स्थिति को नहीं समझते। आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए। इससे सभा का भी समय बचेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: महोदय, मैं अपनी बात अभी समाप्त कर रहा हूं। सभा के प्रतिष्ठित सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने आज एक मामला उठाने का प्रयास किया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई नहीं सुनेगा।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: माननीय आडवाणी जी द्वारा असम के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए की गई अपील में क्या गलत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

***श्री नारायण चन्द्र वरकटकी:** महोदय, वर्तमान विस्फोटक स्थिति निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकती है:-

पड़ोसी देश बांग्लादेशी के साथ सटी सीमा से बहुत अधिक संख्या में अवैध रूप से विदेशी आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहां की जनसांख्यिकी स्थिति में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए, असम के 6 जिलों में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की संख्या स्थानीय हिन्दू जनसंख्या से अधिक हो गई है और वे बहुसंख्यक हो गए हैं। कुछ वर्षों के बाद, अन्य 6 जिलों में भी यही स्थिति हो जाएगी। युवाओं में अपनी पहचान खो देने की भावना इतनी प्रबल हो गई कि आल असम स्टूडैंट यूनियन के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ, जो छह वर्षों तक चला और इसमें लगभग 850 से अधिक लोग शहीद हुए।

इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार, असम सरकार और आल असम स्टूडैंट यूनियन के बीच ऐतिहासिक असम अभिसंविदे पर

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि दो दशक बीत जाने के बाद भी, अभिसंविदे को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है।

30 अक्तूबर, 2008 को हुए शृंखलाबद्ध बम धमाकों से असम दहल गया, जिसमें लगभग 90 लोग मारे गए, गुवाहाटी, कोकराझार, बारपेटा रोड और बोंगइगांव में 350 लोग घायल हुए, मारे गए कुल लोगों में से अकेले गुवाहाटी में 33 लोग मारे गए। असम में एक साथ 10 से अधिक बम-धमाके हुए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा यह विघटनकारी ताकतों द्वारा किया गया, राज्य के आईजीपी ने कट्टरपंथियों पर आरोप लगाया, स्वास्थ्य मंत्री ने महसूस किया कि इस घटना के पीछे उल्फा का हाथ है और गुप्तचर एजेंसियों ने कहा कि उल्फा से अलग हुए संगठन ने हूजी के साथ मिलकर ये बम धमाके किए।

अत: यह स्पष्ट है कि असम सरकार असम के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है और विपक्षी दलों ने असम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

उपर्युक्त कथन के मद्देनजर, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार असम को निकट भविष्य में बांग्लादेश का एक हिस्सा बनने से बचाने के लिए निम्नलिखित सख्त निर्णय ले और उसे कार्यान्वित करें:

(1) बांग्लादेश के साथ लगे समस्त सीमा को यथाशीघ्र सील किया जाए।

(2) असम अभिसंविदे को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए, समय-समय पर त्रि-पक्षीय बैठक करने से कोई फायदा नहीं होगा।

(3) घुसपैठ की रोकथाम प्रशासनिक रीति और बातचीत के माध्यम से की जाए। घुसपैठियों से भी बातचीत की जानी चाहिए।

(4) आईएसआई की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, गुप्तचर एजेंसियों को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

(5) सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले को विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे भारतीय नागरिक होने पर गर्व करें।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): सभापति महोदय, 30 अक्तूबर को जो बम विस्फोट हुआ था उसमें 89 से अधिक लोग मारे गए और 545 लोग घायल हो गए, उनमें से 52 मेरे संसदीय क्षेत्र में मारे गए थे।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग उस प्रत्येक परिवार से मिला हूं जहां मृत्यु हुई है। चूंकि अब मैं बोल रहा हूं, मुझे उन लोगों के चेहरे याद हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन्होंने अपने अकेले पुत्र, अकेले कमाने वाले सदस्य को खोया है। मैं इस अवसर पर न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में, बल्कि 30 अक्तूबर को हुए बम विस्फोट में और अन्य अवसरों पर मारे गए सभी लोगों की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं मुंबई में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं। महोदय, असम में यह कहा जाता है,

"बंदूकर गुलिर सब्दात राति पुवाई,
कुली केतेकर मतोत केतिया राति पुवाब?"

[हिन्दी]

बंदूक और बम धमाके से सुबह आती है, बुलबुल और कोयल की आवाज से फिर कब सुबह आयेगी।

अपराह्न 4.51 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी वर्गों के सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद असम का हरा-भरा क्षेत्र मौत का क्षेत्र बन गया है। वहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां हत्या होना आम बात है। क्रूर हत्या और मृत्यु अन्तहीन त्रासदी की गाथा पीछे छोड़ रही है। हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि ये हत्याएं रुक जाएंगी। हमें, एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी है। इसमें राजनीतिक दोषारोपण के लिए कोई जगह नहीं है।

महोदय, चूंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र, जहां हत्याएं हुईं के प्रतिनिधि के रूप में यह वाद-विवाद आरंभ कर रहा हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हमने 26 नवम्बर को मुंबई में हुई ऐसी ही घटना के बारे में चर्चा की है। मुंबई और गुवाहाटी की घटनाओं में अन्तर है। मैं सोच रहा था कि मुझे असमानताओं पर जोर देना चाहिए या समानताओं पर। लेकिन, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को समझने के लिए दोनों ही समान रूप से प्रासंगिक हैं।

इसमें भिन्नताएं थीं। मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है, जहां प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिनेमा का मुख्यालय है और जहां प्रमुख खेल क्रिकेट का मुख्य केन्द्र है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी को अपराह्न 5.30 बजे उत्तर देना है।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मैंने इसे समझ लिया है।

वहां तीन सी हैं- कामर्स, सिनेमा और क्रिकेट। असम में जहां बम विस्फोट हुए थे, वे छोटे स्थान हैं और राष्ट्रीय मीडिया के लिए अनजान हैं। पूरी तरह अनजान लोगों की जानें गई हैं। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप उन लोगों के बारे में चर्चा करने का अवसर दे रहे हैं।

महोदय, यह सीमा पार आतंकवाद का मामला भी था। वास्तव में, गुवाहाटी में बम लगाने के लिए विदेशी नहीं आए थे। कम से कम हम इतना जानते हैं कि स्थानीय उग्रवादियों द्वारा बम लगाए गए थे लेकिन उनकी शरणस्थली हमारे दूसरे पड़ौसी देश बांग्लादेश में है। असम के अधिकांश उग्रवादियों की शरणस्थली बांग्लादेश में है। मुझे अपने गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को, जो एक प्रतिभाशाली भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और क्षेत्र के विकास पर काफी ध्यान दे रहे हैं, नहीं कहना पड़ेगा कि महोदय, अब समय आ गया है कि इसके लिए बांग्लादेश पर अंगुली उठाई जाए। समय की मांग यही है। सभी वर्गों के लोगों का यही मत है। पूर्वोत्तर में होने वाले सभी प्रकार के आतंकी हमलों के लिए बांग्लादेश को शरणस्थली बनने नहीं दिया जाना चाहिए।

हां, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को भी नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि श्री पी. चिदम्बरम जितनी जल्दी संभव हो बांग्लादेश को काबू में करें। वे उत्तर-पूर्व के उग्रवादियों को वहां उनको गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दे सकते; वे अपने बैंकों को अवैध धन जो उन्हें असम या उत्तर-पूर्व में जबरन वसूली से मिलता है। जमा करने की अनुमति नहीं दे सकते।

महोदय, चूंकि समय कम है, मैं केवल दो या तीन बातों पर जोर दूंगा क्योंकि बम विस्फोट के बाद मैंने गुवाहाटी के सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों से चर्चा की थी। दलगत आधारों, दलगत संबंधों से हटकर, इन सभी बुद्धिजीवियों ने मुझे भारत सरकार, राष्ट्रीय नेतृत्व तक प्रेषित करने के लिए कुछ बातें बताई।

महोदय, अब आप गृह मंत्री बन चुके हैं....

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं बना हूं।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मैं स्वाभाविक रूप से माननीय अध्यक्ष के माध्यम से बोल रहा हूं।

अब, महोदय, हमारे पास नए गृह मंत्री हैं, क्या गृह मंत्री कम से कम एक दिन के लिए अपना संदेशवाहक भेजेंगे और वहां आतंकवाद और उग्रवाद का समाधान करने के लिए गुवाहाटी में स्थित सभी प्रमुख नागरिकों की राय लेना शुरू करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किरिप चालिहा: दूसरा, क्या इस नई स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास आपदा पूर्व तंत्र नहीं होना चाहिए। क्या हमारे पास आतंकवाद के शिकार और उसके बाद में होने वाली मानसिक पीड़ा से निपटने के लिए एक समान घटनोत्तर तंत्र नहीं होना चाहिए?

महोदय, समय कम है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, समय की कमी है।

श्री किरिप चालिहा: चूंकि समय कम है, मैं एक बार पुन: वही प्रश्न उठाते हुए समाप्त करूंगा जो प्रश्न असम के लोगों ने उठाया था कोयल और बुलबुल के गीतों से शुरू होने वाली सुबह कब आएगी? क्या यह कभी आएगी अपनी जिम्मेदारी नए गृहमंत्री पर है और आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब, कुमारी अगाथा संगमा। आप आगे आ सकती हैं। यहां आइए।

कुमारी अगाथा के. संगमा (तुरा): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय।

जब माननीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में अपना भाषण पूरा किए जाने के पश्चात् मुझे और मेरे साथियों को इस बात से बहुत दुख पहुंचा कि उनके भाषण में असम में हुए बम धमाकों का कोई जिक्र नहीं था। परन्तु, मैं इस बात को भी समझती हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बात को लेकर चिन्तित हैं तभी उन्होंने असम बम धमाकों पर अलग से चर्चा की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत जटिल क्षेत्र है और वहां ऐसी बहुत सी समान और अलग-अलग समस्याएं हैं जिनसे पूर्वोत्तर के विभिन्न भाग प्रभावित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सम्मानीय सभा में हमें इस गंभीर विषय पर चर्चा करने और इस गंभीर विषय का समाधान तलाशने का अवसर दिया गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 26/11 को मुंबई में हुआ हमला पूरी तरह से बाहरी ताकतों का काम है। दूसरी ओर असम में 30 अक्तूबर को हुए बम धमाके, उपद्रवी संगठनों और आतंकवादियों द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले बम धमाकों का एक भाग है, और इन संगठनों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति भंग करने के लिए कुछ अपराधिक तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं और इस बात से मैं बहुत चिन्तित हूं।

महोदय, मैं हाल ही में हुए हमलों या पहले हुए किसी हमले के बारे में विस्तार से नहीं बोलना चाहती। अपनी बात संक्षेप में कहने के लिए मैं केवल मौजूदा स्थिति के कारणों का जिक्र करना चाहती हूं। सबसे पहले, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 45000 किलोमीटर लंबी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है जो चार देशों से लगती है। इसके कारण ऐसे उग्रवादी समूहों के लोगों को सीमा के आर-पार बेरोकटोक आवागमन करने में सहायता मिलती है।

महोदय, जैसा कि मेरे साथी श्री कीरेन रिजीजू ने उल्लेख किया है, मैं भी यह कहना चाहती हूं कि सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के कार्य को गति प्रदान करना आवश्यक है। इससे न केवल आतंकवादी संगठनों को भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे संगठनों के माध्यम से सुरक्षित स्थान तलाशने पर रोक लगेगी अपितु, इससे हमारे पड़ोसी देश अर्थात् बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने में भी सहायता मिलेगी जो कि एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ से वहां के मूल निवासियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है जिससे वहां लोगों के बीच एक संघर्ष पैदा हो रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस अवैध घुसपैठ पर ध्यान देने के लिए एक प्रणाली की स्थापना की जाए।

अंततः, मैं यह कहना चाहती हूं कि विकास के अभाव और केन्द्र सरकार की उपेक्षा ने इन उपद्रवी और अलगाववादी संगठनों को पूर्वोत्तर में अपनी जड़ें जमाने में मदद की है। अब वहां एक दुष्चक्र स्थापित हो चुका है। यद्यपि, असम और शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में काफी समृद्ध हैं, परन्तु यह क्षेत्र आतंकवाद से पीड़ित है। कोई भी औद्योगिक घराना, यहां किसी विकास परियोजना की स्थापना करने को इच्छुक नहीं है, जिससे कि वहां के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, इसके परिणामस्वरूप वे इन आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं।

मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास करने से आतंकवाद की समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि यद्यपि, मैं गारो हिल्स का प्रतिनिधित्व करती हूं और मैं अपने क्षेत्र के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहूंगी, परन्तु, आज मैं यहां एक भारतीय, इस खूबसूरत देश की एक नागरिक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रही हूं जिसका यह मानना है कि प्रत्येक जीवन पवित्र है जिसके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। हम यहां एक राष्ट्र के रूप में संगठित हैं और मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मुझे इस सभा के साथ एकता दर्शाने और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेकर उस पर विजय पाने का एक अवसर मिला है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। सभा में पहली बार दिए गए भाषण पर मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र भी इस बात से प्रसन्न होंगे।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण): महोदय, हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत चिंता है। मैं पश्चिम बंगाल से हूं परन्तु, यह भी निसंदेह रूप से भारत का भाग है। हमारा बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल का प्रवेश द्वार है। अरुणाचल प्रदेश चीन का भी प्रवेश द्वार है।

सीमापार से आतंकवाद और इन सभी बातों के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती है। हमें इन घटनाओं से बहुत धक्का लगा। हमने देखा कि असम के बोगाईगांव, कोकराझार, गुवाहाटी, सिलचर, करीमगंज और अन्य विभिन्न स्थानों पर बम धमाके हुए। महोदय, हमारा यह मानना है कि वहां आतंकवाद की समस्या होने के कारण केवल सुरक्षा बल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। वहां सीमा-पार आतंकवाद की समस्या है। वहां विदेशी मुद्रा भी चलन में है। वहां कुछ तस्करी के भी केन्द्र हैं। यह भी एक अवैध गतिविधि है। इस प्रकार मणिपुर में भी आतंकवाद की समस्या है। उनकी अपनी अलग समस्या है। मणिपुर की भी अपनी अलग समस्या है। नागालैंड में, भूमिगत नागा संगठनों की समस्या है। यहां तक कि त्रिपुरा और असम में भी उनकी अलग-अलग तरह की समस्या हैं। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में यह आठ राज्यों वाला क्षेत्र है। सिक्किम भी इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। सिक्किम भी उसका प्रवेश द्वार है और यह वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र का भाग है।

मैं यह नहीं मानती कि केवल बांग्लादेशी लोगों के कारण ये बम धमाके और ये सभी गतिविधियां हो रही हैं। हमें इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि बांग्लादेशी लोगों की बात करें तो, हम सभी लोगों की भाषा बंगला है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बंगला भाषा बोलने वाले सभी लोग घुसपैठिए हैं। वहां ऐसा नहीं है। इंदिरा-मुजीब समझौते के अनुसार मार्च, 1971 तक बांग्लादेश से आए सभी लोग पूरी तरह से भारतीय हैं। केवल कोई विशेष भाषा बोलना ही कोई सामाजिक अभिशाप नहीं हो सकता।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

जो हमारे तमिलनाडु और श्रीलंका की भाषा बोलने की एडजस्टमेंट है उसी तरह केरल की भाषा बोलने की भी एडजेस्टमेंट है।

[अनुवाद]

मेरा मानना है कि यह भी समान भाषा और समान संस्कृति की बात है। तमिलनाडु और श्रीलंका की भाषा और संस्कृति समान है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मामले में भी यही बात है। मैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल से हूं। तो क्या हुआ? हमारी भाषा हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति समान है। अत:, हमें किसी विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को इस मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। इस प्रकार इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता।

मेरा विचार है, हां मामला बहुत गंभीर है। गृह मंत्रालय वहां व्यापक आधार वाले परिषद का गठन करे। यह सुरक्षा परिषद के नाम पर न हो। आप वित्त मंत्रालय को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तस्करी की गतिविधियां मादक पदार्थ और क्या नहीं-हर चीज वहां चल रही है। वहां कुछ केन्द्र हैं। अत: मेरे विचार में, परिषद में रॉ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आसूचना शाखा सहित गृह मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों और विदेश मंत्रालय को शामिल किया जाए। तब आप वहां व्यापक आधार वाले परिषद का गठन कर सकते हैं। वहां पूर्वोत्तर विकास परिषद पहले ही वहां है। भा.ज.पा. से मेरे भाई कह रहे हैं कि यह पूर्वोत्तर सुरक्षा परिषद होना चाहिए, किंतु यदि वहां व्यापक आधार वाला परिषद हो तो हम उसमें आर्थिक, प्रशासकीय समस्याएं-सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तब इस मामले में हम कुछ जान फूंक सकते हैं।

तब आपको कम से कम आशा की किरण मिल सकती है। वस्तुत:, केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को ज्यादा धनराशि दे रही है। हम शुरू से यह जानते हैं। महोदय, किंतु समस्या यह है कि ये सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्र हैं और उग्रवादियों को भौगोलिक स्थिति का वहां लाभ मिलता है। मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी भागों का दौरा किया है। जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तो वे मुझे हर जगह मिजोरम से नागालैण्ड और नागालैण्ड से मणिपुर आदि भेजा करते थे। हम भी संगठित दल हैं। यदि आप देखें तो पाएंगे कि दोनों समुदाय वहां मुसीबत में है। ईद के पहले रमजान में मैं वहां टीपू सुल्तान मस्जिद में थी, मैंने सुना कि अगरतला और त्रिपुरा में बम विस्फोट हुए। इसलिए कई लोगों की मौत हो गई। वे बम विस्फोट के कारण मारे गए। पूजा के समय, मैंने देखा है कि बहुत से अल्पसंख्यक लोग भी मारे गए हैं। यह पूजा के समय हुआ। हम वास्तव में अचंभित थे। असम के भाईयों और बहनों को भी यातना दी गई और उनकी हत्या की गई।

उग्रवादी किसी समुदाय या जाति या पंथ या किसी चीज से संबंधित नहीं हो सकते। मेरा विचार है कि सरकार न सिर्फ हमारा मत ले बल्कि सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा ले। मेरे विचार में बांग्लादेश में 29 दिसंबर को चुनाव हो रहा है। हम बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वागत करें। हम यह नहीं कह सकते कि मालदीव हमारा शत्रु है, क्योंकि वह इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा शत्रु है, क्योंकि ये इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या बांग्लादेश हमारा शत्रु है, आदि। यदि हम यह कहते हैं कि प्रत्येक पड़ोसी देश हमारा शत्रु है, तो कौन हमारा मित्र होगा? हमें मित्रता का भाव भी जगाना है। हमें इसे मजबूत करना है। मैं मानती हूं कि बेहतर होगा कि सरकार मामले पर बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि से सामान्य तरीके से बात करे।

अरुणाचल की सीमा पर आपकी नियंत्रण रेखा पूरी तरह खुली है। यह चीनियों के लिए खुली है। मेरे विचार में, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सरकार इसकी जांच करे। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां चीनी उत्पाद बाजार हमारी बाजार पर हावी हो गया है। आप इस समस्या को भी देखें।

मेरे विचार में मामला ज्यादा गंभीर है। हम जो कुछ यहां कह रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में, दो तीन शब्दों या चार-पांच मिनट में हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते। माननीय गृह मंत्री पहले वित्त मंत्री थे। उन्हें मालूम है कि किस तरह विदेशी मुद्रा सिलीगुड़ी या मणिपुर या नागालैण्ड या मिजोरम से भेजी जा रही थी। कृपया आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें। आप कुछ समय लें, किन्तु ऐसा करें। आप विदेशी देशों से भी पहल करने को कहें तथा हमारे देश के भीतर भी पहल करें। कैंसर इसमें है—अंदर और बाहर। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। मेरे विचार में, समस्या का समाधान हो सकता है, यदि हम साथ हैं। हमें सिर्फ एक भाषा बोलनी है। हम किसी भाषा की निन्दा नहीं कर सकते। हमें आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, माननीय सदस्य। मेरे पास पूर्वोत्तर के छह सम्मानित सदस्यों के नाम आए हैं। हमें 5.35 बजे तक अपनी बात समाप्त करनी है। मैं पांच मिनट का समय रख रहा हूं। इसका मतलब प्रत्येक सम्मानित सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको बुला लूंगा। अन्यथा आप शांत होकर बैठें।

अब श्री अनवर हुसैन बोलें। कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा।

30 अक्तूबर को हुए शृंखलाबद्ध बम धमाके निसंदेह पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए अन्य धमाकों की तुलना में ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक हैं। असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो तरह की आतंकवादी शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ आंतरिक हैं और कुछ बाह्य हैं। हम जानते हैं कि बाह्य शक्तियां आईएसआई, हुजी आदि हैं। आंतरिक आतंकवाद के संदर्भ में, आठ सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं और नौ इकाइयां निष्क्रिय अवस्था में हैं।

भारत सरकार ने असम में आंतरिक आतंकवाद के मुख्य कारण की भी पहचान की है। यह क्षेत्रीय असमानता के अलावा कुछ भी नहीं है। क्षेत्रीय असमानता या अल्प विकास तथा विकास की धीमी गति इसका मुख्य कारण है और आतंकवादी ताकतों ने अभियान चला रखा है कि 'आओ, पैसे लो, आतंकवादी बनो, असम को स्वतंत्र करो और आप के पास सब कुछ होगा और वे शिकार बन जाते हैं', महोदय यही कारण है।

महोदय, इसी बीच जांच एजेंसियों ने बताया है कि आईएसआई, एनडीएफबी और उल्फा द्वारा समर्थित डीजीएफआई 30 अक्तूबर के विस्फोट में शामिल हैं। बांग्लादेश सुरक्षित पनाह दे रहा है और भारत उग्रवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने तथा चलाने में मदद कर रहा है। डेढ़ वर्ष पूर्व की डीआर और बीएसएफ के बीच फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ ने बांग्लादेश में रह रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 76 आतंकवादियों के नेताओं की सूची सौंपी तथा वहां चल रहे 70 शिविरों तथा भारतीय उग्रवादियों की मदद करने वाले छह बांग्लादेशी नागरिकों की सूची भी सौंपी। डेढ़ वर्ष की अवधि बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने कार्यवाही नहीं की है। हमारी ओर से भी मुंबई के मामले में, हमने देखा है कि सरकार प्रत्येक दिन प्रत्येक मिनट कार्यवाही की निगरानी कर रही है, लेकिन असम के मामले में, डेढ़ वर्ष बीत गए और कुछ नहीं किया गया है।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बांग्लादेश पर राजनीतिक दबाव डालें और मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि यदि वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते, तो हमें बांग्लादेश की धरती के चिन्हित स्थानों पर तत्काल हमला करना चाहिए। दूसरी ओर, उन्हें बाध्य किया जाए ताकि वे बांग्लादेश में रह रहे 76 चरमपंथी नेताओं को सौंपे।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि गृह मंत्री ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिया है कि असम और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बाड़ लगाई जाएगी। हर बार हमें यह आश्वासन दिया जाता है, परन्तु कार्य पूरा नहीं हुआ है। सीमा पर खुले और निगरानी रहित ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां घुसपैठिए, आतंकवादी और काला बाजारी करने वाले लोग आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। वहां से प्रतिदिन हथियार और गोला-बारूद तथा मवेशियों को लाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए ताकि हम माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन सकें।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध है कि वहां का दौरा करें तथा शीघ्र कार्रवाई करें ताकि सीमावर्ती क्षेत्र की पूरी तरह से चौकसी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेन गोहेन।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मुझे समय के अभाव की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। समय को सीमित करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलती।

श्री अनवर हुसैन: इस बीच, असम के माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से बातचीत की थी। विभिन्न व्यक्तियों, प्रेस और संगठनों ने आतंकवाद से जुड़ी हिंसा की जांच हेतु एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना करने, राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्रों की स्थापना करने की मांग करने के साथ-साथ इस बात की मांग की थी अगले दस सालों तक केन्द्र सरकार आईआरबी के रख-रखाव की 50 प्रतिशत लागत वहन करे।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा यह है।

अध्यक्ष महोदय: पिछले दस मिनट से आप आखिरी मुद्दे पर ही हैं। आपके पास केवल आखिरी मुद्दा ही है।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मैं एक बंगाली हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बंगाली तो ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मैं एक बंगाली मुस्लिम हूं और हम पर हमेशा यह आरोप लगाया जाता है.....

अध्यक्ष महोदय: आप सभा के एक बहुत सम्माननीय सदस्य हैं। मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मेरा यह कहना है कि हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे देश में कोई बांग्लादेशी नागरिक नहीं होना चाहिए और सभी बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिएं।

[श्री अनवर हुसैन]

*असम में 30 अक्तूबर को हुए सिलसिलेवार बम धमाके निसंदेह रूप से पहले हुई घटनाओं से बहुत खतरनाक और शर्मनाक है। यूएलएफए, एडीएफबी, डीएचडी, केएलएनएलएफ, यूपीडीएस आदि संगठन असम में बहुत सक्रिय हैं। यूएलएफए असम को एक प्रभुसत्ता संपन्न देश बनाना चाहता है वहीं एनडीएफबी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश बोडोलैंड की मांग कर रहा है। स्वायत्तशासी जिले कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कचर पहाड़ी के लोग असम के अंदर एक स्वायत्तशासी राज्य की मांग कर रहे हैं।

असम के लोग, विशेषकर असम की पूरी युवा पीढ़ी का विकास की बहुत धीमी रफ्तार और विकास के अवसरों के पूर्ण अभाव के कारण पूर्णत: मोहभंग हो चुका है और वह कुंठित है। आतंकवादी संगठनों के प्रचारकों द्वारा इस प्रकार का जोरदार अभियान और दुष्प्रचार किया जा रहा है कि तीव्र विकास और सभी को रोजगार दिलाने का केवल एक ही विकल्प है और वह है एक स्वतंत्र देश की स्थापना किया जाना। असहाय और बेरोजगार किशोरों को कुछ सौ रुपये प्रतिमाह देकर भर्ती किया जा रहा है।

मेरा संसद और सरकार से अनुरोध है कि वह तीव्र विकास और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का कार्य आरंभ करें।

क्या यह केवल असम या पूर्वोत्तर क्षेत्र की ही समस्या है? नहीं, यह केवल भारत की भी समस्या नहीं है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रश्न यह है कि कौन और कैसे इस समस्या का समाधान करेगा। केन्द्र सरकार को इसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

जैसा कि जानकारी मिली है कि आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई और हुजी, यूएलएफए, एनडीएफबी आदि को संरक्षण दे रही हैं। यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश, भारतीय आतंकवादी संगठनों छिपने, प्रशिक्षण कैंपों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के के लिए एक सुरक्षित शरणस्थली बन गया है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीय आतंकवादी संगठनों के 76 नेताओं और बांग्लादेश में चल रहे 71 प्रशिक्षण कैंपों की एक सूची तथा इन संगठनों को पूरा समर्थन दे रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पूरा समर्थन दे रहे बांग्लादेशी नागरिकों का पूरा ब्यौरा बांग्लादेश राइफल्स को सौंपा। बीडीआर ने वादा किया कि इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। परन्तु, कुछ नहीं किया गया।

असम सरकार और असम के लोग केन्द्र सरकार पर इस संबंध में राजनयिक दबाव बनाने और इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाने के लिए काफी दबाव डाल रहे हैं। यदि बांग्लादेश सहयोग नहीं करता है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत को केवल आत्म रक्षा में, बांग्लादेश की सीमा में चल रहे इन संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों और उनकी शरणस्थलियों पर तत्काल आक्रमण कर देना चाहिए। बांग्लादेश को भारत के उन अपराधियों, जिनको उन्होंने शरण दे रखी है, भारत को सौंपने के लिए बाध्य किया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा में सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, परन्तु इसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है। सीमा के कुछ भाग, विशेष रूप से खुले और चौकसी रहित तटवर्ती सीमा क्षेत्र के कुछ भाग से घुसपैठिए, आतंकवादी और काला बाजारी करने वाले लोग आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हथियार और गोला-बारूद भेजा जा रहा और लगभग 1000 पशु प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं। उपरोक्त मुद्दों का समाधान किए बिना हम आतंकवाद की समस्या का समाधान करने की बात कैसे कर सकते हैं। सरकार को स्पष्ट रूप से यह बात बतानी चाहिए।

बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। परन्तु, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। क्योंकि बांग्लादेश उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार इस बात का जवाब दे कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमारा मित्र देश माना जाता है। परन्तु, वे भारतीय मुस्लिमों के लिए सबसे खतरनाक शत्रु हैं और हमें यह गलतफहमी है कि वे हमारे मित्र हैं। अब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 'डिकेन मुजाहिद्दीन और इंडियन मुजाहिद्दीन क्या हैं? क्या इन संगठनों का वास्तव में कोई अस्तित्व है, या उन भारतीय मुस्लिमों को लेकर उनका गठन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार सबसे उपयुक्त प्राधिकारी है। परंतु परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि ये फर्जी संगठन है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बनाए गए हैं। जब भारतीय मुसलमान उन्हें सहयोग देने से इंकार करते हैं तो पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ षडयंत्र रचते हैं। मुंबई धमाकों के संबंध में सरकार पहले हुई सभी घटनाओं की जांच करे और देखे कि क्या पूर्व की सभी घटनाओं में निर्दोष भारतीय मुसलमानों को शिकार बनाया गया है।

बांग्लादेश के हूजी का मामला लें। लगभग दो महीने पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हूजी के सात लोग कथित रूप से मारे गए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने यह दुष्प्रचार किया कि असम के मुसलमान, जिन्हें उन्होंने बांग्लादेशी नाम दिया है, हूजी बन गए हैं। उसे 5 अक्तूबर

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

के जातीय संघर्ष तथा 30 अक्तूबर के धमाके में असम के मुसलमान, जिन्हें उन लोगों ने बांग्लादेशी नाम दिया, पर शक किया गया और बढ़-चढ़कर इसका प्रचार किया गया। सेना के कमान अधिकारी श्री शेखावत ने बताया कि मारे गए सात लोग हूजी के नहीं थे। दोनों घटनाओं के समय माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ही थे जिन्होंने असम के मुसलमानों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट रूप से कहा कि 30 अक्तूबर का बम धमाका एनडीएफबी ने कुछ विदेशी आतंकवादियों की मदद से किया था।

शांतिपूर्ण माहौल में तत्काल बातचीत की जाए। जब कभी वे बातचीत के लिए आएं तो उन्हें अपने हथियार डालने होंगे और उन्हें निर्दिष्ट शिविरों में रहना होगा। एनडीएफबी से युद्ध विराम की अवधि 31.12.2008 को समाप्त हो रही है। यदि सरकार युद्ध विराम की समयावधि बढ़ाना चाहती है तो वह एनडीएफबी की विश्वसनीयता की गंभीरता से जांच करे। दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर तथा निहित राजनीतिक स्वार्थ को त्यागकर इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर हम संगठित हों और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार के हाथों को मजबूत करें। केन्द्र सरकार असम के माननीय मुख्यमंत्री के निम्नलिखित प्रस्ताव का समर्थन करें, (1) आतंक से संबंधित हिंसा के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाना, (2) राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केन्द्र बनाना, (3) संघ सरकार आईआरबी की अनुरक्षण लागत का 50 प्रतिशत अगले 10 वर्ष तक वहन करे।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस सदन में मुम्बई ब्लास्ट्स पर भी चर्चा हुई। उस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों ने अपने मतभेद छोड़कर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की भावना की जो अभिव्यक्ति की, वह देश के लिए सही संकेत है, ऐसा मैं मानता हूं।

अगर मुंबई घटना पर ही ध्यान देकर देश में सुरक्षा-व्यवस्था की जाए और असम की समस्या को सामने नहीं लाया जाए तो मेरा मन कहता है कि यह देश असल में सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए आज सदन में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो सुरक्षा-व्यवस्था आप बनाने जा रहे हैं, असम की घटना को सामने रख कर ही सुरक्षा-व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, क्योंकि असम की घटना थोड़ी अलग है, मुंबई से काफी फर्क है। हम लोग पाकिस्तान को अपना शत्रु देश मान लेते हैं, परन्तु हम बांग्लादेश को उस हिसाब से देखते नहीं हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारे देश को कम हानि नहीं कर रहा है, उससे शायद ज्यादा ही कर रहा है। हमारे सभी मित्रों ने अपने भाषण में बताया कि बांग्लादेश ने, नार्थ-ईस्ट के जितने भी एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उन लोगों की मदद की। आईएसआई बांग्लादेश में बैठ कर नार्थ-ईस्ट के पूरे एक्स्ट्रीमिस्ट्स तथा विदेशों के ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहा है। ये सब देखने के बावजूद भी अगर हम बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाएं तो मेरा मन कहता है कि इस तरह पाकिस्तान अगर कंट्रोल भी हो जाएगा तो दूसरा एक्स्ट्रीमिस्ट्स को बढ़ावा देने वाला बांग्लादेश बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो वोट बैंक की राजनीति है, देश की सुरक्षा के लिए जो भी सिद्धान्त अपनाना है, मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति सामने रखने से वह सिद्धान्त कभी सही नहीं होगा। आज जैसे इसी सदन में हमारे असम में 1979 में आसु ने जो आंदोलन किया था, वह छः साल चला था। उस आंदोलन में असम की जनता की यही मांग थी कि पड़ोसी देश से लोग आकर हमारे अधिकार ले जा रहे हैं, हम अपने ही देश में, घर में बेघर होने जा रहे हैं, इसीलिए हमें बचाइए। उस समय आंदोलन के परिणामस्वरूप इस सदन से जो राजनीतिक षडयंत्र असम के खिलाफ हुआ है, उसका परिणाम आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उस समय देश की जो कानून-व्यवस्था थी, उस कानून से बांग्लादेशी या विदेशी शिनाख्त करने के बजाए उसे दबा कर दूसरा कानून बना लिया। उस कानून से आपने किसकी मदद की, उस कानून से, शायद अपने देश की मदद नहीं की, जो बांग्लादेशी हैं, उन्हें खुश करने के लिए यहां से इस तरह का कानून बन गया, जिससे आज असम के लोग अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। अभी जो असम में सरकार है, यह घटना किस ने की, अभी तक सरकार उसे खोज नहीं पाई कि इस घटना के पीछे कौन है। हमारे मित्र किरिप चालिहा जी ने कहा कि लोकल इंसरजैन्स ग्रुप उस बम ब्लास्ट के पीछे इन्वाल्व था। अभी असम में जो सरकार है, उस सरकार ने प्राइम सस्पेक्ट के हिसाब से जिसे पकड़ कर रखा है, उसका नाम ...* है। वह कांग्रेस का एक एक्टीविस्ट है। *...(व्यवधान)* मेरे पास उसका फोटोग्राफ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन: महोदय, वह यहां नाम कैसे ले सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गोहेन, मैं उस नाम की अनुमति नहीं दूंगा, नाम काट दें।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: अध्यक्ष जी, मैंने यह कोई गलत बात नहीं बताई, इसमें साफ दिखाई देता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोहोन, आपको दिया गया समय समाप्त हो गया। अब मैं श्री खगेन दास से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर बोलना शुरू करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोहेन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, प्रारंभ में *...(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, रिकार्ड से नाम हटाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: नाम हटा दिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलत बात नहीं बताई, सही बात बताई हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी सम्मानीय सदस्यों से अपनी-अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करने को कहा था अन्यथा मुझे अन्य सदस्यों को रोकना होगा।

...(व्यवधान)

श्री खगेन दास: महोदय, कृपया मुझे कुछ मिनट बोलने दें और उसके बाद मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखने के लिए आपसे अनुमति लूंगा।

मैं सीधे यह प्रश्न पूछता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों में क्यों श्रेणीबद्ध किया गया है। स्वतंत्रता के 61 वर्ष के बाद भी पूर्वोत्तर राज्य आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े क्यों हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध बार-बार अपनी आवाज उठायी है और त्रिपुरा की वामपंथी सरकार या अन्य राज्य की सरकार को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश की एकता और अखण्डता के लिए केन्द्र सरकार से उपयुक्त कार्यवाही करने की अपील की। तथापि, उसका निवारण ठीक ढंग से नहीं किया गया। जब मैं दूसरी सभा का सदस्य था तो हमने भी केन्द्र सरकार को बताया था कि यदि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर की स्थिति के प्रति उदासीन रहेगी तो इसका परिणाम पूरे देश के लिए घातक होगा।

असम और त्रिपुरा में क्रमवार धमाके राष्ट्र विरोधी उन गतिविधियों के अनुक्रम में हुए हैं जो हाल ही में देश के अन्य भागों में हुई थीं। त्रिपुरा, जहां उग्रवाद तथा हिंसा पहले काफी अधिक थी, में ऐसे बम धमाके पहले कभी नहीं हुए थे। राष्ट्र विरोधी ताकतों की बरबर्तापूर्ण कार्रवाई से हम बहुत चिंतित हैं। अब समय आ गया है कि उन ताकतों की पहचान की जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने यह नृशंस कार्य किया है।

यह अत्यधिक चिंता की बात है कि त्रिपुरा के अग्रणी संगठन, जिनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगी है, के साथ दो बड़े राजनीतिक दलों ने लोक सभा तथा विधान सभा चुनाव में चुनावी समझौता किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह रिकार्ड में है, कि दोनों दलों के नेतृत्व को इसकी जानकारी बार-बार दी गई कि जब तक बांग्लादेश में आतंकवादी संगठनों को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में एटीटीएफ तथा एनएल.टी.एम आतंकवादियों के 25 शिविर हैं। बांग्लादेश के सभी आतंकवादी शिविरों को तत्काल खत्म करने के लिए तत्काल एक राजनयिक दबाव डाले जाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने के लिए और समय गवाएं बिना पूर्वोत्तर राज्यों की वाजिब और आवश्यक मांगों को पूरा करे।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: हां, बिल्कुल।

***श्री खगेन दास:** मैं असम और त्रिपुरा में हाल ही में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की कड़ी निन्दा करता हूं जिसमें असम में अस्सी लोगों की मौत हुई और दोनों राज्यों के अनेक लोग घायल हुए। ये विस्फोट हाल ही में देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रविरोधी आतंकी कृत्यों के अनुक्रम में हुए हैं।

मैं उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस नृशंस हमले में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है।

त्रिपुरा, जहां पहले भयंकर उपद्रव और हिंसा हुई थी, में इससे पहले कभी इस प्रकार के धमाके नहीं हुए थे। अत: त्रिपुरा के लोग राष्ट्रविरोधी ताकतों के इस बर्बरतापूर्ण कृत्य से बहुत चिंतित हैं।

अब समय आ गया है कि उन राष्ट्रविरोधी ताकतों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कदम उठाए जाएं जो इन जघन्य अपराधों में लिप्त हैं।

हमें स्मरण है कि चार से अधिक दशकों से पूर्वोत्तर राज्य आईएसआई तथा अन्य बाहरी ताकतों एवं देश के राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारे पर आतंकवादियों की शरणस्थली बन गए हैं।

त्रिपुरा की स्थिति पर मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूं कि जब 1978 में पहली बार त्रिपुरा में वामपंथी सरकार सत्ता में आई थी तब 1980 में एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।

इस हिंसा की पृष्ठभूमि में राज्य का एक 'क्षेत्रीय जन जातीय दल' था जिसने मार्च 1980 में दक्षिण त्रिपुरा के तैदू नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता भी मौजूद थे।

सम्मेलन में एक संकल्प स्वीकार किया गया कि "जो लोग 15 सितम्बर, 1949 के बाद त्रिपुरा आए, उन्हें इस राज्य से चले जाना चाहिए।" उन्होंने "विदेशियों को वापस भेजने" का नारा बुलंद किया और जून, 1980 में "लगातार सात दिनों तक बाजार का बायकाट करने का आह्वान" किया।

सम्मेलन को संबोधित कर रहे कांग्रेसी नेता ने कहा कि "त्रिपुरा को विदेशियों से मुक्त कराया जाना चाहिए।"

बाद में "बाजार बायकाट का आह्वान" गंभीर साम्प्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया।

उस हिंसा में सैकड़ों जनजातीय और गैर-जनजातीय लोग मारे गए थे। हजारों घर जला दिए गए थे और दोनों समुदायों के हजारों लोगों ने राहत शिविरों में आश्रय लिया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दल के साथ वाम दल और शांतिप्रिय लोग शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चला रहे थे, जो उस समय की मांग थी। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दलों ने राज्य में "राष्ट्रपति शासन" लगाने की मांग की थी।

इस दौरान, उक्त "क्षेत्रीय दल" के एक अग्रणी नेता भूमिगत हो गए थे और उन्होंने बांग्लादेश में आश्रय लिया था। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन अर्थात् टी.एन.वी. का गठन किया और राज्य में आतंक फैलाने और वाम मोर्चे की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से जनजातीय युवाओं के एक वर्ग को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया।

उन्होंने "स्वतंत्र त्रिपुरा" का नारा बुलंद किया और इसके लिए लोगों को बर्बर और अंधाधुंध रीति से मारने की नीति अपनाई।

इसी अवधि के दौरान, कुछ संगठनों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से अलग करने के लिए विदेशियों के निर्वासन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में एक आंदोलन शुरू किया था, जो सीआईए की "आपरेशन ब्रह्मपुत्र" योजना थी।

वर्ष 1988 में, उक्त टीएनवी नेता ने सरकार के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया। इसके बाद, दो आतंकवादी संगठन अर्थात् एटीटीएफ और एनएलएफटी बनाए गए थे।

उन्होंने भी स्वतंत्र त्रिपुरा का नारा बुलंद किया। बांग्लादेश से कार्य संचालन करते हुए, ये आतंकवादी संगठन हत्या, अपहरण, जबरन पैसा वसूली और सभी प्रकार के असामाजिक तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

मंत्री, विधायक, एडीसी सदस्य सहित सैकड़ों सीपीआई(एम) नेता, कार्यकर्ता और समर्थक आतंकवादियों द्वारा मारे गए।

अनेकों सुरक्षाकर्मियों ने भी आतंक विरोधी अभियानों में अपनी जान न्यौछावर की। बाद में, इन दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने त्रिपुरा में संसद और विधान सभा चुनावों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एक प्रमुख संगठन के साथ चुनावी समझौता किया।

राज्य में आतंकवाद पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन इसका नेटवर्क बांग्लादेश में होने तथा पूर्वोत्तर के आतंकवादी संगठनों के बीच आपसी संबंध होने के कारण यह

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री खगेन दास]

आतंकवादी गतिविधियों की संभावना भी दर्शाता है। जांच रिपोर्ट में बार-बार यह सुझाव दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई के लोग बांग्लादेश में सक्रिय हैं और पूर्वोत्तर के विभिन्न भारत-विरोधी संगठनों को एक साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जब तक बांग्लादेश में आतंकवादियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने का कोई दीर्घावधिक समाधान नहीं हो सकता।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, एटीटीएफ और एनएलएफटी आतंकवादी संगठनों के 25 कैम्प बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी आतंकवादी कैम्पों को तत्काल समाप्त करने के लिए तत्काल और व्यापक राजनयिक दबाव बनाए जाने की आवश्यकता है।

विचलित करने वाले अन्य पहलू को भी देखा जा रहा है। यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकवादी समूहों के अनेक नेताओं को आतंकवादी प्रशिक्षण विशेषकर विस्फोटक के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ले जाया गया है।

अगरतला में 1.10.2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके के संबंध में, गिरफ्तार आतंकवादियों ने बताया कि बांग्लादेश में आईएसआई के लोग भारतीय आतंकवादी संगठनों को उनके प्रभाव के क्षेत्र में बम धमाके करने के लिए बहलाते और प्रेरित करते हैं। भारतीय आतंकवादी समूहों को बांग्लादेश में विस्फोटकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था। अगरतला में विस्फोटक बांग्लादेश से लाए गए थे।

अगरतला में हुए बम धमाकों के संबंध में, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की उचित निगरानी करने के लिए त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकाधिक कर्मियों को तत्काल तैनात करने की आवश्यकता है।

अगरतला में हुए बम धमाकों को राज्य में अस्थिरता फैलाने और आतंकवाद का सामना करनें में वाम मोर्चे की सरकार के प्रयासों को विफल करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।

अब समय आ गया है कि सभी वर्गों के लोग और राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और तुच्छ स्वार्थों के विरुद्ध आवाज उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करके देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करने के लिए अविलंब पूर्वोत्तर राज्यों की उचित और महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए।*

अध्यक्ष महोदय: श्री शुक्लवैद्य जी, यदि आपके पास लिखित भाषण है, तो आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अपना भाषण दो अथवा तीन मिनटों में समाप्त कर दूंगा।

कुछ दिनों पहले इस सभा में आतंकवाद पर एक लंबी चर्चा हुई थी। हमने सभी प्रकार के आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा लोगों को मारे जाने की निन्दा की थी और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। महोदय, इसका सकारात्मक पहलू यह था कि सभा में हम एकजुट हों और हमने संकल्प किया कि हमें आतंकवाद का सामना एकजुट होकर ही करना चाहिए। इसके साथ ही, हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्निर्माण करना है, जो अनेकता में एकता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, देश में एकता और समृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आतंकवाद पर हमने पहले भी चर्चा की है और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं कि हम सभा में पुन: एकजुट हों और असम और अन्य स्थानों पर हुए सिलसिलेवार धमाकों की सभी की निन्दा करें। हमें कम से कम अपनी गुप्तचर एजेंसियों को मजबूत करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश के लोग और आतंकवादी हमारे देश पर आकर हमला न कर सकें, क्योंकि मुम्बई में हुए धमाके बाहरी आक्रमण था। इसी प्रकार, असम में हुए सिलसिलेवार धमाके भी बाहरी आक्रमण हैं और हमें इसका सामना एकजुट होकर करना चाहिए। अत:, हमारा कर्त्तव्य क्या है? हमें लोगों को आतंकवाद के प्रति जागरूक करना होगा और साथ ही सभी लोगों से आपस में लड़ाई-झगड़ा किए बिना समृद्धि हेतु शांति से रहने का अनुरोध करना होगा। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभा में यह भी बताया गया कि अनेक स्थानों पर बंगला भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जाता है। लेकिन एक राज्य के लोग आर्थिक कारणों से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। वह हिन्दू अथवा मुसलमान कोई भी हो सकते हैं, जो आजीविका के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। इस तरह के लोग जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, इससे कोई अन्य समस्या उठ खड़ी होगी।

मैं सभी से पुन: अनुरोध करता हूं कि हम इन सभी समस्याओं का सामना एकजुट होकर करें।

*मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की चर्चा के दौरान आतंकवाद के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के तरीके से पता चलता है कि यह हमारी संप्रभुता पर सीधे प्रहार है।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

इसी तरह असम के सिलसिलेवार धमाकों में शामिल आतंकवादी पड़ोसी देश के लोग हैं। जहां उनका शिविर है और उन्हें जिहादी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद हम देख रहे हैं वह अपने पहले के तरीके के कारण आज के उग्रवाद से भिन्न है। पहले चरमपंथियों के हमले के तरीके में एक विशेष लक्ष्य हुआ करता था।

अब आतंकवादी आदेशों पर चलते हैं तथा विनाश के उपकरण मांग हो गए हैं।

अब हमले का तरीका अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने तथा सरकार की बदनामी करने के लिए अधिकतम लोगों को मारना, अधिकतम आतंक फैलाना और अधिकतम संपत्ति का नुकसान करना है।

पिछले अक्तूबर में असम में हुए सिलसिलेवार धमाकों में बम भीड़भाड़ वाले बाजारों में रखे गए थे। पूर्वोत्तर, विशेषकर असम पिछले तीन दशकों से आतंकवाद से ग्रस्त है जिससे राज्य के विकास की बहुत बड़ी हानि हुई है। तत्कालीन सरकार, जिसके शासन काल में राज्य में आतंकवाद शुरू हुआ, ने बार-बार हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया । उसके परिणामस्वरूप सब विकास रुक गया और वृद्धि दर 3 प्रतिशत तक नीचे चली गई, बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई। लगभग आठ वर्ष पहले जब वर्तमान मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला तो सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए कोई धन नहीं था और यह लगभग दीवालिया होने की स्थिति में थी। वर्तमान मुख्यमंत्री ने कठिन प्रयास किया और कुछ आतंकी समूहों को मुख्य धारा में वापस लाए हैं तथा बहुत सी बाधाओं को दूर करते हुए वृद्धि दर को आगे बढ़ाया। केन्द्र सरकार के सहयोग से वर्तमान सरकार स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रण में ला पाई है और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में चरमपंथी संगठनों की संख्या तीन दर्जन से घटकर सिर्फ आठ रह गई है। कुछ चरमपंथियों ने अपने हथियार सौंप दिए हैं, कुछ ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की है।

चूंकि आज की चर्चा पूर्वोत्तर के राज्यों के विभिन्न भागों विशेषकर असम के संदर्भ में हुए बम धमाकों से उत्पन्न स्थिति पर हो रही है, यह खेद की बात है कि तीन दशकों के उग्रवाद के बाद भी लोगों ने इसे गंभीर मुद्दा नहीं माना, हम संगठित नहीं हुए बल्कि उन्हें अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखते रहे।

अब हम हर तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए संगठित हैं। यह असम राज्य के लिए शुभ संकेत है।

उदालगुड़ी में मुसलमानों और बोडो लोगों के बीच टकराव की घटनाएं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ लोगों को बांग्लादेशी घोषित करने और उन्हें वापस भेजने के मुद्दे पर हुई। इस टकराव में कई हिन्दुओं और मुसलमानों की मौत हुई।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह ध्यान में रखना होगा कि सभी मुसलमान और सभी हिन्दू बांग्लादेशी नहीं हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने तथा कार्य करने का अधिकार है आर्थिक कारणों से लोग एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं और अपनी आजीविका के लिए बस जाते हैं। अत: लोगों के किसी प्रकार के उत्पीड़न से इस तरह का उपद्रव हो गया। जो कुछ उदालगुड़ी जिले में हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार ने अतिरिक्त बलों की तैनाती कर हिंसक भीड़ पर फायरिंग कर, तथा कर्फ्यू लगाकर त्वरित कार्रवाई की है तथा स्थिति को नियंत्रण में किया है। किन्तु इस सरकार की भी अपनी एक सीमा है क्योंकि यहां अखिल भारतीय स्तर की तुलना में पुलिस की संख्या का औसत कम है और पुलिस विभाग में बहुत अधिक रिक्तियां हैं जिन्हें न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों के कारण भरा नहीं जा सका।

तथापि, वर्तमान सरकार ने 2006-2008 तक पुलिस बलों की संख्या में दस हजार वृद्धि की है, अभी भी आठ हजार पद रिक्त हैं।

मेरा सभी से अनुरोध है कि हम दलगत भावना से ऊपर उठकर संगठित हों और लोगों में आतंकवाद के खतरे के संबंध में जागरूकता पैदा करें और राज्य तथा देश से आतंकवाद को मिटाने में सरकार की संयुक्त रूप से मदद करें।*

***श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़)**: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 30 अक्तूबर को असम में हुए बम विस्फोट की घटनाओं पर बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों को रोकने में सरकार की विफलता को स्वीकार किया लेकिन आज मैंने आशा की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जो असम का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी अपनी बात रखने के लिए इस चर्चा में भाग लेंगी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने हमें वास्तव में हतोत्साहित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभी सम्मानित सदस्यों, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, ने कहा है कि बांग्लादेश के कारण हम ऐसी घनटाओं का सामना कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय आप देश के गृह मंत्री होने के साथ-साथ एक जाने-माने

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

कानूनविद भी हैं। मेरे विचार से हमारे देश में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश पर राजनयिक दबाव बनाना होगा। असम समझौते का क्रियान्वयन न होने के कारण वे इसका लाभ उठा रहे हैं।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा में पहले ही अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा है कि असम में पचास लाख बांग्लादेशी होने के कारण राज्य की जनांकिकी के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। इससे राज्य के मूल निवासियों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और वास्तविक भारतीय नागरिक असुरक्षा की स्थिति में रह रहे हैं। इंडियन मुजाहिद्दीन ने 30 अक्तूबर की घटनाओं की जिम्मेदारी ली है यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे को केवल असम का मुद्दा मानकर दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। असम के बम धमाकों को भी सरकार/मीडिया का उतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए जितना कि मुंबई की घटना ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान उस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि 'असम समझौते' पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।

उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से यह समझौता हुआ था और 1985 में लाल किले की प्राचीर से असम के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा और स्थानीय असमी लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी कीमत पर धर्मनिरपेक्ष असमिया समाज की रक्षा की जाएगी। प्रत्येक जाति, पंथ और धर्म के लोगों को गरिमामय जीवन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से असम समझौते के क्रियान्वयन न होने से स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। हम सीमा बंदी भी नहीं कर सके हैं। हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह भारत सरकार की ओर से गंभीर प्रशासनिक चूक है जिसके कारण हमारी सीमा की सुरक्षा करने में असफलता मिली है। सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय गृह मंत्री को शीघ्र ही हमारे सीमा का दौरा करने हेतु आमंत्रित करता हूं। आपको निश्चित रूप से स्थिति का अहसास होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं महोदय हम बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र में तैरती हुई सीमा चौकी के रूप में एक पोत तैनात करने का हमारा निवेदन बांग्लादेश ने अस्वीकार कर दिया था। हमें अभी भी नदी तट हेतु गश्ती दल बनाना है।

अत: हमें बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र नहीं मानना चाहिए। इसने हमारे देश के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं आपसे असम समझौते को महत्व देने और इसे शीघ्र ही क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं उत्तर-पूर्व राज्यों विशेषकर असम के विभिन्न भागों में बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

26 नवम्बर को जब हम सबने घोषित किया था कि मुंबई पर युद्ध थोपा गया है, वास्तव में वह मानवता पर थोपा गया युद्ध है। इसी वजह से यह चर्चा हुई। वास्तव में हमें संतोष है कि आतंकवाद की निंदा करने के लिए सदन एकमत था। उस समय, हमने 30 अक्तूबर के दिन को याद किया था जब असम के विभिन्न भागों में शृंखलाबद्ध विस्फोट हुए थे।

इस पर वापस जाते हुए, हमेशा हमने इसकी निंदा की है। हम जानते हैं कि इसमें आंतरिक और बाह्य शक्तियां शामिल थीं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे सभी मित्रों ने उनके बारे में चर्चा की है। मैं सीधे अपने राज्य मणिपुर पर आता हूं, जो कि ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है। मेरे राज्य की समस्या का मुख्य कारण यह है और मैं इसे बहुत संक्षेप में रखता हूं।

इसके दो कारण हैं- एक है उग्रवादी समस्या। वास्तव में, इस वर्ष मणिपुर में तीन बार बम विस्फोट हुए थे। एक तो बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में हुआ जहां सभी मंत्री रहते हैं; यहां तक कि मुख्यमंत्री के आवास को भी नहीं छोड़ा गया। 21 अक्तूबर को रागैलोंग नामक स्थान पर एक बम विस्फोट में 17 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए। यह बहुत दु:खद घटना है। हम सभी इसकी निन्दा करते हैं, हमें इसके लिए बहुत खेद है; हम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं।

मणिपुर में, रोज लोगों को मारना उनके लिए एक सनक बन गई है; हम रोज समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं और सामान्यत: उनके लिए खेद व्यक्त करते हैं। उग्रवादियों के अनेक समूह हैं। हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने, नागालैण्ड में बहु-आलोचित अधिनियम विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 को लागू करते हुए उग्रवाद की समस्या का समाधान करने हेतु कुछ करना शुरू किया है। अब जम्मू-कश्मीर सहित देश के अन्य भागों में भी इसका विस्तार किया गया है, लेकिन इससे अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

इस संप्रग सरकार के कार्यकाल के आरंभ में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसने स्पष्ट रूप से इस अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की थी। हमने हमेशा यह सिफारिश की है कि इस अधिनियम को हटा देना चाहिए क्योंकि इस स्थिति से निपटने के लिए अन्य बहुत से कानून हैं।

मणिपुर में उग्रवाद फैलने का एक अन्य कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। इस लोक सभा के प्रारंभ से ही मैं यह कहता आ रहा हूं कि मणिपुर और त्रिपुरा संप्रभु राज्य थे। अत:, जब 1949 में हम भारत में शामिल हुए, हमारी बहुत स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं थीं।

इस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अनेक बार अनेक सदस्यों ने सदन में इस विशेष स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया है। हम इसके विरुद्ध हैं। मणिपुर की क्षेत्रीय अखण्डता पर कतई कोई समझौता नहीं होगा। जब हम भारतीय संघ में शामिल हुए हैं, तो हम एक संप्रभु राज्य थे। ये दो मूल कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जब तक हम पूरी तरह इस पर ध्यान नहीं देते इसका समाधान नहीं कर सकते। राज्य को बहुत अधिक धन दिया जा रहा है लेकिन उग्रवाद की समस्या के कारण कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा सका है। एक बार इस समस्या का समाधान हो जाए तो मणिपुर अपने बेहतर भविष्य की ओर उन्मुख होगा।

मैं हमेशा महसूस करता हूं कि हत्या और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। तथापि, कोई समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, इसका समाधान किया जा सकता है। सबसे अच्छा समाधान शांतिपूर्ण वार्ता से मेज पर आमने-सामने बैठकर और अहिंसक तरीकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। आज पूरा विश्व एक छोटा वैश्विक गांव बन गया और इस युग में भी हम एक-दूसरे को मारने की सोच रहे हैं। इससे कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा।

नए गृहमंत्री के यहां होने से, हमारी आशाएं बढ़ गई हैं कि वे इस समस्या से निपटने में सक्षम होंगे। उनके पद संभालते ही हमने उनके साथ मिलकर राष्ट्र से माफी मांगी कि शायद कुछ गलतियां हुई हैं और ये गलतियां आगे नहीं होंगी और ये चीजें भविष्य में पुन: नहीं दोहरायी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, सभी राजनीतिक दल बोल चुके हैं और उत्तर-पूर्व से सभी सदस्यों, जो बोलना चाहते थे, को मौका दिया गया है।

अब, मैं माननीय गृह मंत्री को बुलाता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मुझे एक छोटा सा निवेदन करना है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बैसीमुथियारी जी, डिबेट आपने ही शुरू की है, आप बोलने वालों में पहले नम्बर पर थे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले मंत्री जी को बोलने दीजिए। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आप बाद में मांग सकते हैं। हमें नई प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है क्योंकि आप मुंबई से आते हैं और यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बैसीमुथियारी और उन 21 अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। गृह मंत्री के रूप में मेरा पहला वाद-विवाद मुम्बई धमाकों के संबंध में था और दूसरा असम धमाकों के संबंध में है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है परंतु फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों विशेषकर पूर्वोत्तर के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि असम और पूर्वोत्तर की समस्या भी मेरे लिए मुम्बई और भारत के किसी अन्य भाग की समस्या के समान ही महत्वपूर्ण है। हमने मुम्बई धमाकों पर पहले और असम धमाकों पर बाद में चर्चा की तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम असम अथवा पूर्वोत्तर की समस्या को महत्व नहीं दे रहे।

अध्यक्ष महोदय: विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में भी इसी बात पर सहमति व्यक्त की गई थी।

श्री पी. चिदम्बरम: हमें भी इसकी चिंता है। पिछले कुछ दिनों में इस चर्चा के लिए तैयारी करते समय मैंने इस संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्र की और अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इस मुद्दे के संबंध में मैं क्या करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, यदि तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करें तो मैं 30 अक्तूबर, 2008 को असम और उसी अवधि के आस-पास मणिपुर और त्रिपुरा में हुए धमाकों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, 30 अक्तूबर, 2008 की सुबह असम के गुवाहाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में बम धमाके हुए। इन धमाकों के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार लगातार एक दूसरे के संपर्क में रही और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश भी की। सेना के अधिकारियों को भी तुरंत सावधान कर दिया गया और उनसे राज्य सरकार की सहायता करने और जहां भी आवश्यक हो फ्लैग मार्च करने का अनुरोध किया गया। वहां स्थायी रूप से तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों के अलावा असम में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 14 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों और आईबी के बम धमाके के उपरांत जांच विशेषज्ञों को तुरंत राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया।

गुवाहाटी, कोकराझार, बारपेटा और बोंगाईगांव में बम धमाके हुए। कई माननीय सदस्यों ने मारे गए और घायल हुए लोगों के बारे में बताया। यह सही संख्या है। उस दिन 89 व्यक्ति मारे गए और 545 व्यक्ति घायल हुए।

गुवाहाटी में 54 लोग मारे गए और 215 घायल हुए; कोकराझार में 20 लोग मारे गए और 155 घायल हुए; बारपेटा में 15 लोग मारे गए और 164 घायल हुए और बोंगाईगांव में 11 व्यक्ति मारे गए। यह अत्यंत खेद की बात है कि इन बम धमाकों में और अधिक लोग मारे जा सकते थे और घायल हो सकते थे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुवाहाटी गए थे। अगले दिन गृह मंत्री भी बारपेटा और कोकराझार गए।

राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल बनाया गया। अब तक इस षडयंत्र में शामिल होने, इसके लिए आदानों का प्रबंध करने तथा इन धमाकों को अंजाम देने के कार्यों में शामिल होने के संदेह में 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसे अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।

जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर सरकार को इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) के शामिल होने की आशंका है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि इन दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें बांग्लादेश आधारित आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जेहाद-इस्लामी (हूजी) के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। इस संबंध में जांच चल रही है और उसकी समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

उल्फा एक प्रतिबंधित संगठन है। उल्फा के विरुद्ध समन्वित तरीके से लगातार उग्रवाद विरोधी कार्यवाही चल रही है। उल्फा की तथाकथित 28वीं बटालियन की 2 कम्पनियों के कार्यकर्ताओं ने हिंसा रोकने की घोषणा कर दी है। कुछ कार्यकर्ता निर्धारित कैम्पों में आ गए हैं। एनडीएफबी भी एक प्रतिबंधित संगठन है। कार्यवाही रोकने संबंधी एक समझौता किया गया था जिसकी अवधि जून 2005 में समाप्त हो गई इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया और अब यह 31 दिसम्बर, 2008 तक मान्य है। सुरक्षा बलों और एजेंसियों से गतिविधियों में शामिल एनडीएफबी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

महोदय, यह उल्लेख किया गया था कि अब तक सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए। यह सत्य है कि सर्वदलीय बैठक में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। असम सरकार ने 28 नवम्बर, 2008 को केन्द्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाया परंतु उन्होंने सभी तक मामलों की सूची और मामलों की संख्या का ब्यौरा नहीं भेजा है। मैंने यह अनुदेश दिए हैं कि असम सरकार कल अर्थात् 16 दिसम्बर, 2008 तक इस मामले की पूरी जानकारी भेज दे। मैंने यह निर्देश दिया है कि जैसे ही भारत सरकार को यह जानकारी मिल जाती है इस मामले को 18 दिसम्बर तक सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी कर दिए जाएं। अत: मुझे आशा है कि मैं 18 दिसम्बर शाम 6 बजे तक यह कार्य पूरा कर दूंगा।

महोदय, त्रिपुरा और मणिपुर में भी बम धमाके हुए। त्रिपुरा में पूर्वी और पश्चिमी अगरतला में 1 अक्तूबर, 2008 को कई जगहों पर बम धमाके हुए जिसमें 76 लोग घायल हुए जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल थे। अगरतला शहर में अतिरिक्त सेना तैनात की गई। साक्ष्य एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों और उन एजेंसियों ने बम धमाके वाले स्थानों का दौरा किया। अब त्रिपुरा सरकार की सीआईडी ने जांच का यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है और उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा बाकी तीन को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक गाड़ी भी जफ्त की जा चुकी है। अब तक किसी भी संगठन ने बम धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। तथापि, जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य से पता चलता है

कि बम धमाकों की योजना आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) द्वारा बनाई गई थी। इस बात के सबूत मिले हैं कि तीन अभियुक्तों को आई.ई.डी. तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया था। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि एटीटीएफ भी एक प्रतिबंधित संगठन है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश में सतचरी में है। तीनों अभियुक्तों के बांग्लादेश में होने की सूचना मिली है।

21 अक्तूबर, 2008 को मणिपुर के इम्फाल के पश्चिमी जिले में राइगलोंग बाजार में बम धमाका हुआ था। ग्यारह लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और चार घायल लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया, इसके अतिरिक्त इसमें 31 लोग घायल हुए थे। राज्य सरकार ने मृतकों और घायलों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की। केन्द्र सरकार ने भी विद्यमान योजना के अंतर्गत मुआवजा देने की घोषणा की।

गश्त बढ़ा दी गई है और नियमित सुरक्षा बलों के अतिरिक्त पुलिस कमांडों को भी घटना-सम्भावित मार्गों पर तैनात किया गया है। कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी/एमसी (ललहबा ग्रुप) ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली और इसके लिए यह तर्क दिया कि बाजार में एकत्र भीड़ "लगाओ" में लिप्त थी, जो मणिपुर के समाज के लिए ठीक नहीं था। केसीपी/एमसी के विरुद्ध चल रहे अभियान में मणिपुर की राज्य पुलिस ने उस संगठन से जुड़े अनेक लोगों को निष्क्रिय किया।

5 नवम्बर, 2008 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई गई थी। सुरक्षा भी स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और अभियानों में समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम, त्रिपुरा और मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति की व्यापक समीक्षा करना चाहता हूं। समीक्षा के दौरान हम विभिन्न विद्रोही संगठनों और उल्फा, एनडीएफबी और एटीटीएफ तथा केपीपी/एमसी सहित प्रतिबंधित संगठनों से निपटने के लिए अपने कार्यनीति की भी समीक्षा करेंगे।

हम इस बात से भी चिन्तित हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जमीन का उपयोग भारतीय उग्रवादी संगठनों द्वारा भारत और यहां के लोगों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि वे भारतीय उग्रवादी संगठनों को अपनी जमीन का उपयोग करने नहीं देंगे। तथापि, खेदजनक पहलू यह है कि भारतीय उग्रवादी संगठनों के अनेक नेता बांग्लादेश की जमीन का उपयोग सुरक्षित शरण-स्थल के रूप में कर रहे हैं। हमें आशा है कि बांग्लादेश उक्त गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का उपयोग न करने और ऐसे उग्रवादी संगठनों को सुरक्षित शरण-स्थान मुहैया न करने की अपनी वचनबद्धता और आश्वासन को पूरा करेगा।

हूजी की गतिविधियां भी चिन्ता का कारण हैं। हूजी भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन और अन्य सहायता देता है। बांग्लादेश सरकार का कर्त्तव्य है कि वह हूजी की गतिविधियों पर रोक लगाए और उन नेताओं को गिरफ्तार करे, जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। खुफिया जानकारी है कि उल्फा, एनडीएफबी और कुछ अन्य संगठनों के साथ हूजी अपनी गतिविधियों को समन्वित कर रहा है।

मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर में अनेक हिंसक और आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार भारतीय उग्रवादी संगठनों से निपटने के लिए हमें अपनी नीति की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं जो इस संबंध में सरकार की मदद करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भारतीय उग्रवादी संगठनों से निपटने और उनकी गतिविधियों को समाप्त करने की नीति को दृढ़ता से लागू करना चाहते हैं।

महोदय, मैं केवल तीन या चार मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। पहला, मुझे नहीं लगता कि पूर्वोत्तर पर हो रही चर्चा में हमें किसी पक्षपातपूर्ण रवैये को शामिल नहीं करना चाहिए। जैसाकि श्री चन्द्रप्पन ने ठीक ही कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने केन्द्र और संबंधित राज्य दोनों जगह शासन किया है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के हमारे 10 अथवा 20 वर्षों के अनुभव में हमारा सामूहिक निर्णय यह है कि इसमें हम विफल हुए हैं और यह सामूहिक विफलता है। यदि कुछ क्षेत्रों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर, मिजोरम और मेघालय में लगभग पूर्ण रूप से सफलता मिली है, तो यह एक सामूहिक सफलता है। मैं कामरेड चन्द्रप्पन की बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस मामले में किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का कोई कारण अथवा औचित्य नहीं है। यहां हमें सीमित सामूहिक सफलता मिली है, लेकिन सामूहिक विफलता अधिक है। प्रश्न यह है कि आगे की कार्यनीति क्या हो?

महोदय, पहले मैं उग्रवाद के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। अन्य समस्याओं के बावजूद जिनका मैं सामना कर रहा हूं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वोत्तर में भारतीय उग्रवादी संगठन अभी भी उपस्थित और सक्रिय हैं।

ये सभी भारतीय हैं जो किसी न किसी जनजाति और राज्य से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय हैं। वे विदेशी नहीं हैं। वे भारतीय उग्रवादी संगठन हैं। वे गुमराह किए गए,

[श्री पी. चिदम्बरम]

दिशाहीन भारतीय उग्रवादी संगठन हैं जो उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब तक वहां उग्रवाद रहेगा, तब तक वहां सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और वे इन उग्रवादी संगठनों से संघर्ष करते रहेंगे। इसमें उग्रवादियों और सुरक्षा कर्मियों की जानें जाती रहेंगी। लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए जब तक वहां उग्रवाद रहेगा, हमें वहां सुरक्षा बलों को तैनात करना होगा और सुरक्षा बल इन उग्रवादियों से संघर्ष करेंगे।

अब बड़े मुद्दों पर आते हुए माननीय सदस्यों ने सही मुद्दों की पहचान की है। वहां प्रगति की धीमी रफ्तार और सीमा में बाड़ लगाने का कार्य पूरा न करना, बांग्लादेश से अवैध अप्रवास, अनेक कारणों से विकास न होना, यह अवधारणा कि वहां भ्रष्टाचार बहुत है और अन्त में राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना का धीमा कार्यान्वयन है। मुख्य रूप से सभी माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों की पहचान की है। इन मुद्दों को कोई राजनीतिक रूप नहीं दिया गया है। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर हम सब सहमत हैं। हम सभी सहमत हैं कि सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और यह कि हमें विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा, हमें राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और अवैध आप्रवास और असम समझौते के आधे-अधूरे कार्यान्वयन की समस्या का समाधान ढूंढना होगा।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि कम से कम मैं इन समस्याओं से अवगत हूं। मैंने इन समस्याओं की पहचान कर ली है और मैं अपनी पूरी योग्यता से इनका समाधान करूंगा। जब मैं राज्य मंत्री था, मैंने पंजाब में बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया था और हमने अधिकतर स्थानों पर बाड़ लगा दी थी। उसका हमें बहुत फायदा मिला और उससे पंजाब में उग्रवाद को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। हमने अभी पूर्वोत्तर में सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य आरंभ किया है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं लेकिन आज वह महत्वपूर्ण नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा पहचान किए गए इन पांच मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करूं।

अन्ततः, यहां बांग्लादेश का मुद्दा है। जो कुछ मैंने अपने वक्तव्य में कहा मैं उससे अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैंने सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का चुनाव किया है। बांग्लादेश को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि अपनी प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों को पूरा करना उसका कर्त्तव्य है। बांग्लादेश अपने क्षेत्र का उपयोग भारतीय उग्रवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में करने की अनुमति नहीं दे सकता। बांग्लादेश को यह महसूस करना चाहिए कि यदि वह भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है और बांग्लादेश और भारत की सीमाएं उपद्रव और उग्रवाद से सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं होती तो दीर्घकाल में यह उसके लिए नुकसानदायक है। मैं अगले कुछ सप्ताहों और महीनों में सरकार में अपने साथियों और प्रधानमंत्री के निर्देशों की सहायता से इन मुद्दों से निपटूंगा। लेकिन मैं सदन के सभी वर्गों, विशेषकर उत्तर-पूर्व के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं, वे मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हम माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछ सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह धारा प्रवाह बोलते हैं, अतः मैं उन्हें बोलने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मेरा एक सुझाव है। जिस तरह मुम्बई घटना के बाद हमने पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकवादियों के इस्तेमाल न करने देने के लिए यहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। वैसा ही एक प्रस्ताव बांग्लादेश के लिए भी पास करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को भी चेतावनी देनी चाहिए कि वह अपनी जमीन हिन्दुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को इस्तेमाल न करने दे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने सरकार के रवैये और अपने मंत्रालय के रवैये को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अतः, काफी हद तक आपकी चिंताओं का समाधान हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। *...(व्यवधान)* मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। माननीय गृह मंत्री द्वारा अपने उत्तर में दिए गए आश्वासनों से हम प्रसन्न हैं।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा राजनेताओं और उग्रवादियों के बीच संबंध का है। समय-समय पर ऐसी खबरें आती रही हैं और सरकार को भी इसकी जानकारी है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी की क्या राय है?

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: महोदय, असम में पाकिस्तानी झण्डा फहराने के संबंध में भारत सरकार का क्या रवैया है?

अध्यक्ष महोदय: कौन इसका समर्थन कर सकता है?

श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप कहां बैठे हुए हैं?

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: मैं आगे आना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले ने क्या कहा है?

श्री पी. चिदम्बरम: श्री आठवले कह रहे हैं कि वह आगे आना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि लोग आपको पुन: चुनकर भेजेंगे। मुझसे अनुमति लीजिए। अन्यथा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रामदास आठवले: महोदय, क्या मैं इस सीट से बोल सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अच्छा ठीक है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मुम्बई पर हमला हुआ और पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। असम और नार्थ ईस्ट प्रदेशों पर जो हमले होते हैं, चाहे नक्सलवादी हमले हैं, चाहे माओवादी हमले हैं या वहां के इंटरनल लोग भी हैं और जानकारी मिली है कि बांग्लादेश से भी आतंकवादी आते हैं, इसलिए जिस प्रकार से पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, उसी तरह भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की सरकार को अल्टीमेटम देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वही मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: बांग्लादेश से जो आतंकवादी आते हैं, उन्हें रोकने का काम बांग्लादेश की सरकार को करना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश सरकार को भी अल्टीमेटम देने की जरूरत है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने चाइना की बहुत मदद की और चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात पूरी हो चुकी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 23 लेगी।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं होगी। मैं पहले ही अगला मद ले चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री इस पर विचार करेंगे। हर बार इस तरह प्रश्न और उत्तर नहीं दिए जा सकते। नई प्रणाली मत शुरू कीजिए।

अपराह्न 5.58 बजे

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"कि असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस विधेयक के वर्तमान रूप में मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि इस विधेयक में श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है। डा. अर्जुनसेन गुप्ता समिति ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित के लिए व्यापक विधान की सिफारिश की थी। इस पर भी इस विधेयक में पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया है। यह विधेयक इस सदन के चौदहवें सत्र, जिसका कार्यकाल चार या पांच महीनों में समाप्त होने वाला है, के अंत में लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे।

अब सभा 16 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008/ 25 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	221
2.	श्री रनेन बर्मन श्री नवजोत सिंह सिद्धू	222
3.	श्री पी.एस. गढ़वी श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	223
4.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	224
5.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	225
6.	प्रो. एम. रामदास श्री किन्जरपु येरननायडु	226
7.	श्री चंद्रकांत खैरे	227
8.	डा. के.एस. मनोज	228
9.	श्री नन्द कुमार साय श्री फ्रांसिस फैन्थम	229
10.	श्री हरि सिंह चावड़ा श्री रामदास आठवले	230
11.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	231
12.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल श्री जे.एम. आरून रशीद	232
13.	श्री गणेश सिंह श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	233
14.	श्री सुग्रीव सिंह	234
15.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	235
16.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री पी. राजेन्द्रन	236
17.	श्री अजीत जोगी श्री के. सुब्बारायण	237
18.	श्री किरिप चालिहा श्री निखिल कुमार	238
19.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	239
20.	श्रीमती निवेदिता माने श्री संतोष गंगवार	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2315
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2320
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2327, 2390, 2426, 2447
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2320, 2332, 2363, 2430
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2293
6.	अजय कुमार, श्री एस.	2294, 2374
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2446
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	2334
9.	आठवले, श्री रामदास	2350, 2405, 2437, 2451
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2226, 2314, 2383, 2421, 2443
11.	बर्मन, श्री हितेन	2266, 2386
12.	बर्मन, श्री रनेन	2317, 2386
13.	भगोरा, श्री महावीर	2246, 2313, 2382, 2422, 2425
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2269, 2342
15.	बोस, श्री सुब्रत	2247, 2279, 2365, 2386
16.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2365
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2286, 2356
18.	चालिहा, श्री किरिप	2339
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2326, 2389, 2446
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2249, 2263, 2318
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2332, 2446
22.	चिन्ता मोहन, डा.	2302

1	2	3
23.	चौधरी, श्री पंकज	2290, 2362, 2392, 2427
24.	चौधरी, श्री अधीर	2341, 2398
25.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2326
26.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2263, 2333
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2263, 2303, 2370, 2399, 2440
28.	धोत्रे, श्री संजय	2287, 2357, 2409
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2305, 2328, 2404, 2436
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2332
31.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2274, 2345, 2402, 2434
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2312, 2388, 2424, 2445
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2346, 2385
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	2256, 2292, 2366, 2413, 2439
35.	गंगवार, श्री संतोष	2284
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2234
37.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2253, 2260, 2320
38.	घुरन राम, श्री	2299
39.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2291
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	2392, 2427
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2242
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	2276, 2347, 2392, 2403, 2435
43.	जिन्दल, श्री नवीन	2244, 2349
44.	जोगी, श्री अजीत	2321, 2397, 2431, 2450
45.	करूणाकरन, श्री पी.	2280
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2330, 2393, 2428, 2449
47.	खां, श्री सुनील	2446
48.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	2301
49.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2325
50.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2227, 2373, 2381, 2420, 2442
51.	कोली, श्री रामस्वरूप	2223
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2241, 2310, 2379
53.	कृष्ण, श्री विजय	2271, 2289, 2360, 2411
54.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2295
55.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2254, 2372
56.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2233
57.	महरिया, श्री सुभाष	2248, 2282, 2398
58.	महतो, श्री नरहरि	2239, 2279, 2386
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2296
60.	महताब, श्री भर्तृहरि	2297, 2367, 2398, 2414
61.	माझी, श्री परसुराम	2395
62.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2291
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	2271
64.	माने, श्रीमती निवेदिता	2346, 2385
65.	मनोज, डा. के.एस.	2331, 2394, 2429
66.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2267, 2446
67.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2281, 2395, 2409, 2413
68.	मैन्या, डा. टोकचोम	2261, 2292

1	2	3
69.	मोहले, श्री घुन्नूलाल	2284, 2355
70.	मुकीम, मो.	2259, 2325, 2387
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2275, 2285, 2344
72.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2265, 2334
73.	निखिल कुमार, श्री	2292, 2334, 2368, 2415
74.	ओराम, श्री जुएल	2229, 2374, 2395, 2403, 2446
75.	पल्लानी शामी, श्री के.स	2235, 2306
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2291
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2232, 2340, 2353, 2365, 2430
78.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2354, 2408, 2438, 2452
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2324, 2385, 2444
80.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2240, 2344
81.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2239, 2336
82.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2344
83.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2307, 2377, 2430, 2446
84.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2253, 2320
85.	राजगोपाल, श्री एल.	2278, 2348
86.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2238, 2424
87.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2353, 2407
88.	रामदास, प्रो. एम.	2328, 2391, 2427, 2448
89.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2228, 2378
90.	राणा, श्री काशीराम	2252, 2320, 2446
91.	राव, श्री के.एस.	2236, 2292, 2344, 2398, 2446
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2338, 2396
93.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2283, 2352
94.	रावत, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह	2268
95.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2264
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2258, 2344
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2271, 2366, 2385, 2446
98.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2271
99.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2311, 2380, 2419, 2452
100.	साय, श्री नन्द कुमार	2308, 2324, 2385, 2423
101.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2288
102.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2264
103.	सेन, श्रीमती मिनाती	2224
104.	सेठी, श्री अर्जुन	2262
105.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2257, 2323
106.	शर्मा, श्री मदन लाल	2328, 2391, 2427, 2448
107.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2253, 2255, 2322, 2416
108.	शिवन्ना, श्री एम.	2282, 2351, 2398, 2406, 2446
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2304, 2376, 2418, 2441
110.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2323
111.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2243, 2363
112.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2324
113.	सिंह, श्री दुष्यंत	2275, 2371, 2417

1	2	3
114.	सिंह, श्री गणेश	2335, 2392, 2398
115.	सिंह, श्री राकेश	2251
116.	सिंह, श्री रेवती रमन	2300
117.	सिंह, श्री सुग्रीव	2324, 2385, 2423, 2444
118.	सिंह, श्री सूरज	2302, 2398, 2436
119.	सिंह, श्री उदय	2326, 2337, 2444
120.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2225, 2316, 2384
121.	सुब्बारायण, श्री के.	2361, 2398, 2412
122.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2237, 2306, 2309, 2316
123.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2230, 2359
124.	सुमन, श्री रामजीलाल	2273, 2344, 2398, 2401, 2433
125.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2250, 2271, 2319, 2334
126.	थामस, श्री पी.सी.	2261
127.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2446
128.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2298, 2346, 2385
129.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2272, 2332, 2343, 2400, 2432
130.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2252, 2332, 2354, 2408, 2438
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2277
132.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2255, 2258, 2322, 2327, 2369
133.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2231, 2375
134.	यादव, श्री गिरिधारी	2245, 2276, 2358, 2410
135.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2344
136.	यादव, श्री मित्रसेन	2270
137.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2329, 2392, 2427.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	223, 228, 234, 237
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	222, 227, 229, 232, 239
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	226, 230, 231, 236, 240
रक्षा	:	233, 238
श्रम और रोजगार	:	224
वस्त्र	:	221
जल संसाधन	:	225, 235.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2229, 2232, 2244, 2248, 2249, 2256, 2257, 2262, 2266, 2267, 2280, 2282, 2285, 2289, 2292, 2293, 2295, 2299, 2300, 2301, 2307, 2328, 2329, 2345, 2348, 2350, 2351, 2354, 2359, 2360, 2362, 2363, 2365, 2366, 2371, 2373, 2374, 2382, 2390, 2397, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2409, 2411, 2413, 2414, 2416, 2417, 2420, 2425, 2426, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2441, 2444
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2231, 2233, 2234, 2235, 2237, 2242, 2245, 2246, 2258, 2259, 2265, 2269, 2270, 2275, 2286, 2294, 2296, 2310, 2311, 2312, 2314, 2317, 2325, 2326, 2337, 2352, 2355, 2356, 2357, 2367, 2370, 2376, 2377, 2379, 2387, 2395, 2399, 2407, 2418, 2419, 2423, 2424, 2427, 2442, 2443, 2448
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2223, 2230, 2238, 2241, 2253, 2271, 2279, 2290, 2302, 2303, 2305, 2308, 2320, 2322, 2324, 2330, 2332, 2340, 2341, 2346, 2349, 2361, 2369, 2378, 2385, 2388, 2412, 2438, 2446, 2449
रक्षा	:	2227, 2236, 2239, 2240, 2247, 2251, 2254, 2260, 2261, 2264, 2268, 2298, 2306, 2316, 2323, 2331, 2334, 2335, 2339, 2347, 2384, 2386, 2392, 2394
श्रम और रोजगार	:	2226, 2228, 2255, 2276, 2315, 2318, 2364, 2391, 2393, 2396, 2408, 2428, 2440, 2447, 2452
वस्त्र	:	2252, 2263, 2272, 2273, 2284, 2288, 2309, 2313, 2321, 2333, 2336, 2344, 2353, 2372, 2381. 2404, 2432, 2439, 2445, 2450
जल संसाधन	:	2224, 2225, 2243, 2250, 2274, 2277, 2278, 2281, 2283, 2287, 2291, 2297, 2304, 2319, 2327, 2338, 2342, 2343, 2358, 2368, 2375, 2380, 2383, 2389, 2410, 2415, 2421, 2422, 2451.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।